Telephone : 044 – 28519654, 28415702
E-Mail : investor@iobnet.co.in
FAX : 044 – 28585675

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
केंन्द्रीय कार्यालय- पोस्ट बॉक्स सं 3765, 763 अण्णा सालै, चेन्नै 600 002

Indian Overseas Bank
Central Office: P.B.No.: 3765, 763 Anna Salai, Chennai 600 002
Investor Relations Cell

IRC/ 141 /2018-19

19.07.2018

The Vice President
National Stock Exchange Limited
"Exchange Plaza", C-1, Block G
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E)
Mumbai - 400 051

Senior General Manager
Dept. of Corporate Services
BSE Limited
Floor 1, P.J. Towers
Dalal Street
Mumbai - 400 001

Dear Sir/Madam,

Regulation 34 (1) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), Regulations 2015 (LODR) – Submission of Annual Report

Pursuant to Regulation 34(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we submit Annual Report 2017-18 in pdf format.

Please take the same on record.

Thanking You

Yours faithfully,

C Haridas
General Manager

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Investor Relation Cell, C.O.
Indian Overseas Bank

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2017 - 2018

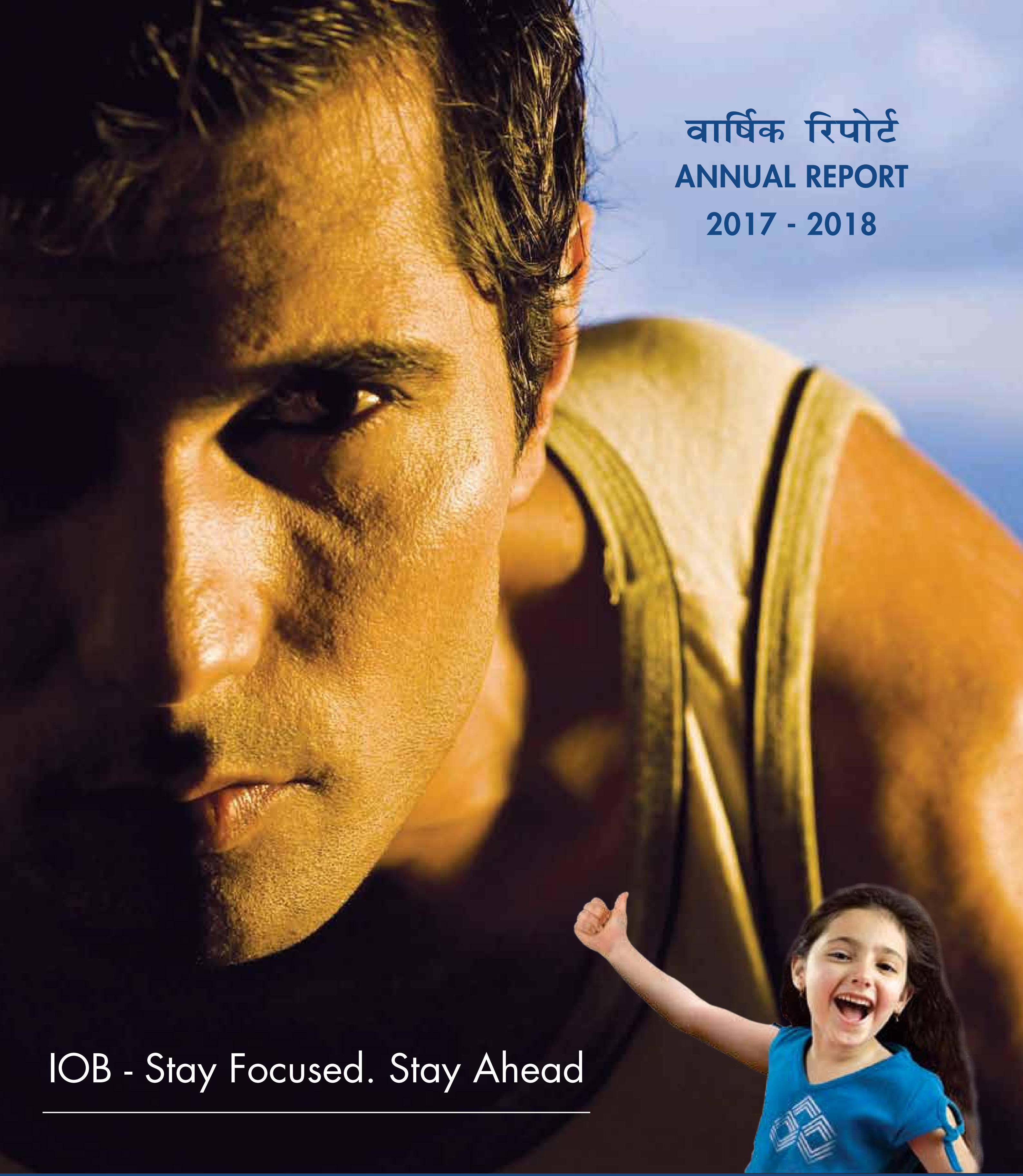

IOB - Stay Focused. Stay Ahead

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
(A Government of India undertaking)
आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good people to grow with

www.iob.in

Touching Hearts Spreading Smiles

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
(A Government of India undertaking)
आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good people to grow with
www.iob.in

Touching Hearts Spreading Smiles

Toll free: 1800 425 0000 (24 X 7)
Website: www.iob.in
E-mail: info@iobnet.co.in
/IOBIndia
@iobindia
IOB YouTube

Central Office Address:
763 Anna Salai, Chennai - 600002. Phone : +91-44-2852 4212

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank

निदेशक मंडल
Board of Directors

श्री टी. सी. ए. रंगनाथन
गैर-कार्यकारी अध्यक्ष
Shri. T C A Ranganathan
Non-Executive Chairman

श्री आर. सुब्रमण्यकुमार
एमडी व सीईओ
Shri. R. Subramaniakumar
Managing Director & CEO

श्री के. स्वामिनाथन
कार्यपालक निदेशक
Shri. K. Swaminathan
Executive Director

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक
Shri Ajay Kumar Srivastava
Executive Director

सुश्री ऐनी जॉर्ज मैथ्यु
सरकारी नामिती निदेशक
Ms. Annie George Mathew
Government Nominee Director

श्री निर्मल चंद
भा.रि.बै. नामिती निदेशक
Shri.Nirmal Chand
RBI Nominee Director

श्री के. रघु
सनदी लेखाकार प्रवर्ग के तहत अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक
Shri. K Raghu
Part-time Non- official Director under Chartered Accountant Category

श्री विष्णुकुमार बंसल
अपर निदेशक
Shri. Vishnukumar Bansal
Additional Director

श्री संजय रूंगटा
शेयरधारक निदेशक
Shri. Sanjay Rungta
Shareholder Director

श्री नवीन प्रकाश सिन्हा
शेयरधारक निदेशक
Shri Navin Prakash Sinha
Shareholder Director

शिवरामन अनंत नारायण
अंश-कालिक गैर-आधिकारिक निदेशक
Sivaraman Anant Narayan
Part-time Non- official Director

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केन्द्रीय कार्यालय : 763, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002

वार्षिक रिपोर्ट – 2017-18

निदेशक मंडल (दिनांक 31 मार्च 2018 तक)

श्री टी सी ए रंगनाथन
गैर – कार्यपालक अध्यक्ष

श्री आर सुब्रमण्यकुमार
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

श्री के स्वामिनाथन
कार्यपालक निदेशक

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

कुमारी ऐनी जार्ज मैथ्यू
सरकार नॉमिती निदेशक

श्री निर्मल चंद
भारिबै नॉमिती निदेशक

श्री के रघु
सनदी लेखाकार प्रवर्ग के तहत अंश-कॉलिक गैर , अधिकारिक निदेशक

श्री विष्णु कुमार बंसल
अतिरिक्त निदेशक

श्री संजय रूंगटा
शेयरधारक निदेशक (दिनांक 08.12.2017 से प्रभावी)

श्री नवीन प्रकाश सिन्हा
शेयरधारक निदेशक (दिनांक 08.12.2017 से प्रभावी)

श्री शिवरामन अनंत नारायण
अंश-कॉलिक गैर आधिकारिक निदेशक (दिनांक 27.12.2017 से प्रभावी)

श्री सी हरिदास
महा प्रबंधक एवं मंडल सचिव

Indian Overseas Bank

Central Office: 763, Anna Salai, Chennai-600 002

ANNUAL REPORT 2017-18

BOARD OF DIRECTORS (as on 31.03.2018)

Shri T C A Ranganathan
Non-Executive Chairman

Shri R Subramaniakumar
Managing Director & CEO

Shri K Swaminathan
Executive Director

Shri Ajay Kumar Srivastava
Executive Director

Ms. Annie George Mathew
Government Nominee Director

Shri Nirmal Chand
RBI Nominee Director

Shri K Raghu
Part-time Non-Official Director under
Chartered Accountant Category

Shri Vishnukumar Bansal
Additional Director

Shri Sanjay Rungta
Shareholder Director (w.e.f. 08.12.2017)

Shri Navin Prakash Sinha
Shareholder Director (w.e.f. 08.12.2017)

Shri Sivaraman Anant Narayan
Part-time Non-Official Director (w.e.f. 27.12.2017)

Shri C Haridas
General Manager & Board Secretary

लेखाकार

1. हरिभक्ति एंड कंपनी एलएलपी, मुम्बई
2. तलाटी एंड तलाटी, अहमदाबाद
3. आर सुब्रमणियन एंड कंपनी एलएलपी, चेन्नै
4. एस ए आर सी एंड ऐशोसिएट्स, नई दिल्ली

AUDITORS

1. M/s. Haribhakti & Co. LLP, Mumbai
2. M/s. Talati & Talati, Ahmedabad
3. M/s. R Subramanian and Company LLP, Chennai
4. M/s. S A R C & Associates, New Delhi

पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट

मेसर्स मेसर्स केमियो कॉर्पोरेट सिर्वसेज़ लि.
(यूनिट - इण्डियन ओवरसीज़ बैंक)
सुब्रमणियन बिल्डिंग
पांचवां तल, नं. 1 – क्लब हाउस रोड,
चेन्नै – 600 002
दूरभाष : 044-28460390 (छ: लाइनें)
044-284600395
फैक्स - 044 – 28460129
ई मेल : cameo@cameoindia.com

Registrar & Share Transfer Agent

M/s. Cameo Corporate Services Ltd
(Unit-IOB)
Subramanian Building
V Floor, No.1 Club House Road
Chennai-600 002.
Tel: 044-28460390 (Six Lines)
044-28460395
Fax:044-28460129
e-mail : cameo@cameoindia.com

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
केंद्रीय कार्यालय : 763, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002

Indian Overseas Bank
Central Office: 763, Anna Salai, Chennai-600 002

वार्षिक रिपोर्ट 2017-18

ANNUAL REPORT 2017-18

विषय वस्तु **पृष्ठ सं.**

विषय वस्तु	पृष्ठ सं.
एक झलक में	3
प्रबंध निदेशक व सी ई ओ की डेस्क से	4
शेयरधारकों को सूचना	16
निदेशकों की रिपोर्ट	32
प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण	36
वर्ष 2017-18 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट	74
कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र	113
वार्षिक लेखे	114
नकदी प्रवाह विवरण	116
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	194
अतिरिक्त प्रकटीकरण	198
व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट - 2017 - 18	260
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक लाभांश वितरण नीति	284

(यदि इस वार्षिक रिपोर्ट के हिन्दी रुपांतरण में कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी रुपांतरण सही माना जाएगा)

Contents	Page No.
At a Glance	3
From the Managing Director & CEO's Desk	4
Notice to the Shareholder	16
Directors' Report	33
Management Discussion and Analysis	37
Report of the Board of Directors on Corporate Governance for the year 2017-18	75
Auditors' Certificate on Corporate Governance	113
Annual Accounts	114
Cash Flow Statement	116
Independent Auditors' Report	195
Additional Disclosure	199
Business Responsibility Report 2017-18	261
IOB Dividend Distribution Policy	285

(In this Annual Report, in case of any discrepancy found in Hindi Version, English Version will prevail)

वित्तीय कैलेंडर

1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक के वित्तीय वर्ष के लिए

बही खाता बंदी तिथि	04.07.2018 (बुधवार) से दिनांक 11.07.2018 (बुधवार) तक
वार्षिक रिपोर्ट की पोस्टिंग	13.06.2018 (बुधवार) से 16.06.2018 (शनिवार) तक
परोक्षी फार्म की प्राप्ति की अंतिम तिथि	06.07.2018 (शुक्रवार), सांय 5:00 बजे
वार्षिक आम बैठक का दिनांक	11.07.2018 (बुधवार), प्रात: 10.00
लाभांश की घोषणा	शून्य

Financial Calendar

For the Financial Year 1st April, 2017 to 31st March, 2018

Book Closure Dates:	04.07.2018 (Wednesday) to 11.07.2018 (Wednesday)
Posting of Annual Report	13.06.2018 (Wednesday) to 16.06.2018 (Saturday)
Last Date of receipt of Proxy Form	06.07.2018 (Friday), 5.00 p.m.
Date of AGM	11.07.2018 (Wednesday), 10.00 a.m.
Declaration of Dividend	Nil

एक नज़र में

(रु. करोड़ में)

	मार्च-18	मार्च-17	मार्च -16	मार्च-15	मार्च-14
कुल कारोबार	3,67,831	3,68,119	3,97,241	4,25,090	4,09,057
वैश्विक जमाएं	2,16,832	2,11,343	2,24,514	2,46,049	2,27,976
घरेलू जमाएँ	2,10,388	2,05,154	2,18,556	2,39,819	2,19,731
घरेलू सकल अग्रिम	1,38,516	1,42,651	1,55,429	1,62,838	1,61,992
वैश्विक निवल अग्रिम	1,32,489	1,40,459	1,60,861	1,71,756	1,75,888
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	70,040**	63,984**	67,615*	63,635*	58,090*
कृषि ऋण	29,851**	29,348**	30,237*	29,236*	26,254*
निवल निवेश	68,646	71,654	79,189	79,298	70,237
ब्याज आय	17,915	19,719	23,517	23,938	22,684
गैर ब्याज आय	3,746	3,373	2,528	2,139	2,169
परिचालनात्मक व्यय	5,585	4,912	5,025	4,200	3,749
सकल लाभ	3,629	3,650	2,885	3,322	3,997
निवल लाभ / निवल हानि	-6,299	-3,417	-2,897	-454	602
इक्विटी शेयर पूंजी	4,890.77	2,454.73	1,807.27	1,235.35	1,235.35
सकल एनपीए (%)	25.28	22.39	17.40	8.33	4.98
निवल एनपीए (%)	15.33	13.99	11.89	5.68	3.20
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%)	9.25	10.50	9.66	10.11	10.78

- 31 मार्च तक बकाया
- प्राथमिकता क्षेत्र से संबंधित भारिबैं के परिशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2016-17 के चार तिमाहियों के औसत निष्पादन की गणना प्राथमिकता क्षेत्र लक्ष्यों और उपलक्ष्यों की प्राप्ति से होगी।

At a Glance

(₹ in Crore)

	Mar-18	Mar-17	Mar-16	Mar-15	Mar-14
Total Business	3,67,831	3,68,119	3,97,241	4,25,090	4,09,057
Global Deposits	2,16,832	2,11,343	2,24,514	2,46,049	2,27,976
Domestic Deposits	2,10,388	2,05,154	2,18,556	2,39,819	2,19,731
Domestic Gross Advances	1,38,516	1,42,651	1,55,429	1,62,838	1,61,992
Global Net Advances	1,32,489	1,40,459	1,60,861	1,71,756	1,75,888
Priority Sector Advances	70,040**	63,984**	67,615*	63,635*	58,090*
Agricultural Credit	29,851**	29,348**	30,237*	29,236*	26,254*
Net Investments	68,646	71,654	79,189	79,298	70,237
Interest Income	17,915	19,719	23,517	23,938	22,684
Non Interest Income	3,746	3,373	2,528	2,139	2,169
Operating Expenses	5,585	4,912	5,025	4,200	3,749
Gross Profit	3,629	3,650	2,885	3,322	3,997
Net Profit/Net Loss	-6,299	-3,417	-2,897	-454	602
Equity Share Capital	4,890.77	2,454.73	1,807.27	1,235.35	1,235.35
Gross NPA (%)	25.28	22.39	17.40	8.33	4.98
Net NPA (%)	15.33	13.99	11.89	5.68	3.20
Capital Adequacy Ratio (%)	9.25	10.50	9.66	10.11	10.78
* Outstanding as on 31st March					
** As per revised priority sector guidelines of RBI, from the FY 2016-17 the average performance of four quarters will be reckoned towards achievement under Priority Sector targets and other sub targets.					

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक - केन्द्रीय कार्यालय चेन्नै

INDIAN OVERSEAS BANK - CENTRAL OFFICE CHENNAI

प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी से पत्र

Letter from Managing Director & Chief Executive Officer

श्री आर सुब्रमण्यकुमार, प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Shri.R. Subramaniakumar, Managing Director & Chief Executive Officer

प्रिय शेयरधारकों,

वर्ष 2017-18 के लिए मुझे आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है। मैं वर्ष के दौरान बैंक के निष्पादन संबंधी मुख्य पहलुओं के साथ-साथ आगे बढ़ते बैंक के लिए आउटलुक को भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ।

आर्थिक परिवेश

वर्ष 2016-17 में जीडीपी की विकास दर जहाँ 7.1% थी, वहीं उसके तुलना में 2017-18 में यह 6.7% रही। 2016-17 के दौरान कृषि क्षेत्र का विकास जहाँ 6.3% था, वह इसकी तुलना में 3.4% घट गया है। बरसात में कमी और उसके सभी क्षेत्रों में असमतल फैलाव के चलते ऐसा हुआ है। पिछले साल निर्माण क्षेत्र जहाँ 7.9% बढ़ा, वहीं संबंधित अवधि में यह 5.5% ही बढ़ पाया। यह ह्रास 2017-18 की प्रथम तिमाही में फीके निष्पादन के कारण हुआ है, क्योंकि जीएसटी के अमल में आ जाने से उत्पादनकर्ताओं/ निर्माणकर्ताओं ने डी-स्टॉकिंग गतिविधियों को अंजाम दिया। फिर भी, इस क्षेत्र में अंतिम 3 तिमाहियों के दौरान सुधार देखा गया, क्योंकि जीएसटी के अमल में आने से जो दिक्कतें आईं थीं, वह दूर होती गईं, इसलिए री-स्टॉकिंग गतिविधियों ने जगह ले ली। 2017-18 के दौरान अर्थव्यवस्था में संवर्धन सेवा क्षेत्र द्वारा हुआ, जो 2016-17 के 7.5% की वृद्धि की तुलना में 7.9% बढ़ा। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल नियत पूँजी सृजन (जीएफ़सीएफ़) 2015-16 से ही 28.5% पर ही स्थिर है। फिर भी, निवेश दर में तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही में सुधार हुआ, जो कि क्रमश: 28.2% और 29.1% रही। इसी बीच 2017 में विश्व बैंक के "ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नस" से संबंधित रैंक में भारत देश 30 स्थान ऊपर चढ़ते हुए 100वें नंबर पर पहुँच गया, जो कराधान, लाइसेंसिंग, निवेशक सुरक्षा और दिवालिया समाधान में सुधारों के ज़रिए अर्थव्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के सरकार के प्रयासों की पहचान है।

भारत में बैंकिंग परिवेश

बैंकिंग क्षेत्र खराब ऋणों और भारी प्रावधानों के बोझ तले दबा हुआ है। 31.03.2018 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल एनपीए रु.895592 करोड़ रहा, जोकि 31.03.2017 को यह रु.619199 करोड़ था। इसी अवधि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की प्रावधान राशि और आकस्मिकताएँ 57 प्रतिशत बढ़ती हुई रु.149808 करोड़ से रु.235508 करोड़ हो गई। इसलिए पिछले साल रिपोर्ट किए गए रु.472 करोड़ के निवल लाभ की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा रु.85362 करोड़ की राशि निवल हानि के रूप में रिपोर्ट की गई। उच्च अनर्जक आस्तियों और आस्तियों पर नकारात्मक

Dear Shareholders,

I have pleasure in presenting your Bank's Annual Report and financial statements for the year 2017-18. I would like to share with you the performance highlights of the Bank during the year as well as the outlook for the Bank going forward.

Economic Environment

GDP grew at 6.7% in 2017-18 compared to 7.1% growth in 2016-17. Agriculture sector grew at 3.4% lower than 6.3% during 2016-17. This is due to deficient monsoon along with uneven spread across regions. The manufacturing sector grew at 5.5% as against the growth of 7.9% in the previous year. The decline in growth was due to lacklustre performance in the first quarter of 2017-18 when the producers undertook destocking activities with the implementation of the GST. However, the sector witnessed improvement in the last 3 quarters after the restocking activities were undertaken following waning of disruptions post implementation of the GST. During 2017-18, the economy was driven by service sector with growth of 7.9% compared to 7.5% in 2016-17. The gross fixed capital formation(GFCF) as a % of GDP is stagnant at 28.5% since 2015-16. However, there has been an improvement in Q3 (28.2%) and Q4 (29.1%) in the investment rate. Meanwhile, India rose 30 places in the World Bank's Ease of Doing Business ranking in 2017 to rank 100th in recognition of the Government's efforts to streamline the economy through reforms in taxation, licensing, investor protection and bankruptcy resolution and is poised to improve further.

Banking Environment in India

Banking sector is reeling under bad loans and heavy provision burden. As on 31.3.2018 PSBs reported GNPA of Rs.895592 crore as against Rs.619199 crore as on 31.3.2017. For the same period the provisions and contingencies of the PSBs increased by 57 percent from Rs.149808 crore to Rs.235508 crore. As such the net loss reported by PSBs amounted to Rs.85362 crore as against the reported net profit of Rs.472 crore during the last year. More than half of the public sector banks are under the Prompt Corrective Action

प्रतिलाभ (आरओएएस) के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के आधे से ज़्यादा बैंक प्रॉम्प्ट करेक्टिव ऐक्शन (पीसीए) के तहत आ गए हैं। फिर भी, पीसीए का उद्देश्य है कि बैंकों के लिए टर्न-अराउंड योजना तैयार करने में उनकी मदद की जाए। कृषि उधार, एमएसएमई व रिटेल पोर्टफोलियो के लिए निधियों का प्रमुख स्रोत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ही रहेंगे।

आस्ति गुणवत्ता और प्रावधानीकरण के संबंध में हमारा बैंक भी बैंकिंग उद्योग में पाई गई प्रवृत्ति से दो-चार हो रहा है। दबावग्रस्त आस्ति फ्रेमवर्क विषयक नए विनियामक दिशानिर्देशों के कारण ही प्रमुख रूप से एनपीए पर दबाव बना हुआ है। कॉर्पेरिट एनपीए की पहचान के साथ ही उसके मूल्य को हासिल करने का समय आना निश्चित है। हमारा बैंक आने वाले वर्षों में "रिटेल, कृषि और एमएसएमई-केन्द्रित बैंक" बना रहेगा।

आर्थिक दृष्टिकोण (आउटलुक)

ओईसीडी अनुमानों के अनुसार वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए क्रमश: 7.4 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत के वास्तविक जीडीपी विकास के साथ विश्व की तीव्रतम गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था के रूप में भारत द्वारा अपना स्टेटस बनाये रखा जाना अपेक्षित है। विमुद्रीकरण और जीएसटी के अस्थायी नकारात्मक प्रभावों के पश्चात अर्थव्यवस्था दुबारा पटरी पर आ रही है। नैशनल काउंसिल फॉर एपलाइड इकॉनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) के अनुसार जीएसटी के विस्तृत रूप से अमल में आ जाने से 0.9 प्रतिशत से 1.7 प्रतिशत की रेंज में भारत के जीडीपी को लाभ मिलेगा। फिर भी, अर्थव्यवस्था बैंकिंग प्रणाली की अनर्जक आस्तियों, समुन्नत बॉण्ड आय, संवर्धित कारोबार सुरक्षा तंत्र, बढ़े हुए वैश्विक तेल मूल्यों और मुद्रा ह्रास जैसी बाधाओं से दो-चार हो रही है। उच्च तेल मूल्यों को एक अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए ताकि बहिर्जात बाधाओं का समाधान करते हुए घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके।

आइओबी की तुलना में बैंकिंग क्षेत्र के लिए आउटलुक

इनसॉल्वेन्सी एण्ड बैंक्रप्टसी कोड (आइबीसी) के तहत एनपीए समाधानों के कारण बैंकिंग क्षेत्र में पुनरुत्थान अपेक्षित है, जिससे बैंकों के लिए पूँजी रिलीज़ होने की संभावना है। 2017-18 की चौथी तिमाही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गई हानियाँ मुख्य रूप से खराब ऋणों की पहचान में बढ़ोत्तरी के कारण हैं, जोकि दबावग्रस्त आस्तियों पर आरबीआइ के संशोधित फ्रेमवर्क के अनुसार है। फिर भी, सकारात्मक पहलू यह है कि बैंकिंग क्षेत्र खराब ऋणों की विरासत की संपूर्ण पहचान के बहुत करीब पहुँच गया है और प्रावधानिक कवरेज अनुपात में सुधार देखा गया है। बैंकों द्वारा आस्तियों की एनपीए के रूप में पहचान से निकट भविष्य में लाभप्रदता घट जाएगी, लेकिन सुदीर्घावधि में यह लाभ प्रदान करेगी और तुलन-पत्रों का शुद्धीकरण बैंकिंग क्षेत्र के लिए क्रेडिट पॉज़िटिव रहेगा।

बैंकिंग क्षेत्र के लिए सामान्य तौर पर आउटलुक के परिप्रेक्ष्य में, हमारा बैंक एनपीए घटाने और अपनी टर्न-अराउंड रणनीति के विभिन्न पक्षों पर ध्यान केन्द्रित करेगा ताकि दक्षता और उत्पादकता में सुधार ला सके। बैंक अपने बुनियादी तत्वों में सुधार लाने के प्रति अग्रसर है और वित्तीय वर्ष 2019 में सशक्त नतीजों को बैंक दर्ज करेगा।

➢ **कारोबार और वित्तीय निष्पादन की विशेषताएँ-2017-18**

- निवियों की लागत कम करने और एक स्थिर जमा प्रोफाइल स्थापित करने के उद्देश्य से उच्च लागत की जमाओं और एकमुश्त जमाओं को कम करने तथा रिटेल सावधि जमाओं को बढ़ाने के लिए बैंक द्वारा उठाए गए कदमों के फलस्वरूप बैंक की कुल जमाएँ 31 मार्च 2018 तक रु.2,16,832 करोड़ रहीं, जबकि 31 मार्च 2017 को यह रु.2,11,343 करोड़ थी।

(PCA) framework, due to high non-performing assets and negative return on assets (ROA). However, PCA is meant to help design a turnaround plan for banks. PSBs will continue to be a major source of funds for agriculture lending, MSME and Retail Portfolio.

Our Bank is also witnessing the trend observed in the banking industry in terms of asset quality and provisioning. The stress of NPA is mainly due to new regulatory guidelines on stressed asset framework. With recognition of Corporate NPA, the time to unlock value is imminent. Our Bank will remain a “Retail, Agriculture and MSME-focused bank” in the coming years also.

Economic Outlook

India is expected to maintain its status as the world’s fastest growing economy with the real GDP growth at 7.4 per cent and 7.5 per cent for 2018-19 and 2019-20 as per OECD estimates. Economy is rebounding after the transitory negative impacts of demonetization and GST. As per National Council for Applied Economic Research (NCAER), implementation of a comprehensive GST would provide gains to India’s GDP in the range of 0.9 to 1.7 per cent. However, the economy is facing a number of headwinds like non-performing assets of the banking system, elevated bond yields, increased trade protectionism, elevated global oil prices and currency depreciation. High oil prices need to be taken as an opportunity to boost domestic production by addressing exogenous bottlenecks.

Outlook for Banking Sector vis-à-vis IOB

Revival in banking sector is expected due to NPA resolutions under the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) which in turn is expected to release capital for the banks. The losses reported by PSBs in Q4 of 2017-18 were mainly on account of acceleration of bad loan recognition in terms of RBI’s revised framework on stressed assets. However, the positives are that the banking sector is moving close to full recognition of legacy of bad loans and there is an improvement in provision coverage ratio. The asset recognition as NPA by banks will reduce profitability in the near term but produce benefits over the longer term and cleaning the balance sheets will be credit positive for the banking sector.

In the light of the outlook for the Banking Sector in general, our Bank will be focusing on NPA reduction and on various aspects of its Turnaround strategy so as to improve efficiency and productivity. Bank is poised to improve the fundamentals and post strong results in FY19.

➢ **Business and Financial Performance Highlights – 2017-18**

- Total deposits stood at Rs. 2,16,832 crore as on 31st March 2018 as against Rs. 2,11,343 crore as on 31st March 2017, by reducing high cost deposits and bulk deposits and increasing retail term deposits with a view to reduce the cost of funds and have a stable deposit profile.

- 31 मार्च 2017 के रु.1,56,776 करोड़ के सकल अग्रिमों की तुलना में 31 मार्च 2018 तक सकल अग्रिम रु.1,50,999 करोड़ रहे। बैंक ने कुल घरेलू अग्रिमों के रैम (रीटेल, अग्रिम व एमएसएमई) शेयर से अपना क्रेडिट पोटफोलियो री-बैलेंस किया है और 31.03.2017 के 58.74% की तुलना में 31.03.2018 तक 66.14% को संवर्धित किया है।
- 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए जहां बैंक का परिचालनगत लाभ रु.3650.20 करोड़ था, वहीं 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए यह रु.3629.08 करोड़ रहा।
- 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए जहाँ निवल हानि रु.3416.74 करोड़ थी, वहीं 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए यह रु.6299.49 करोड़ हो गई, इसलिए कि दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान विषयक संशोधित फ्रेमवर्क पर आरबीआइ के दिशानिर्देशों के अनुक्रम में उच्चतम प्रावधानों सहित वर्ष के दौरान किए गए रु.9928.58 करोड़ के प्रावधानों के कारण ऐसा हुआ।
- 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए जहाँ कुल आय रु.23091 करोड़ थी, वहीं कम ट्रेशरी आय व क्रेडिट के संकुचन के कारण 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए यह रु.21662 करोड़ रही और तत्संबंधी अवधियों के लिए ब्याज आय की राशि क्रमश: रु.19719 करोड़ और रु.17915 करोड़ रही। गैर ब्याजगत आय पिछले साल जहाँ रु.3373 करोड़ थी, वहीं संबर्धित होके यह 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए रु.3746 करोड़ रही।
- 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए जहाँ कुल खर्च रु.19441 करोड़ था, वहीं यह घटकर 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए रु.18033 करोड़ हो गया।
- 31 मार्च 2017 तक जहाँ सकल एनपीए 22.39% के अनुपात के साथ रु.35098 करोड़ था, वहीं यह 31 मार्च 2018 तक 25.28% के अनुपात के साथ रु.38180 करोड़ रहा, जहाँ रु.3629 करोड़ की दबावग्रस्त आस्ति के संशोधित फ्रेमवर्क के कारण नये स्लिप्पेजों के शामिल होने से यह राशि बढ़ी।
- 31.03.2017 तक निवल एनपीए जहाँ 13.99% के अनुपात के साथ रु.19749 करोड़ था, वहीं यह 31.03.2018 तक 15.33% के अनुपात के साथ रु.20,400 करोड़ हो गया।
- वसूली फ्रण्ट पर बैंक का निष्पादन काफी अच्छा रहा और उसने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए जहाँ रु.8710 करोड़ वसूल किये थे, वहीं वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए रु.15496 करोड़ वसूल किये।
- 31 मार्च 2017 तक के 36.09% की तुलना में बैंक ने अपना कासा अनुपात 31.03.2018 तक 36.75% को संवर्धित किया।
- बैंक का कोर रिटेल (आवास ऋण, वाहन ऋण, बेज़मानती ऋण, शिक्षा ऋण, बंधक ऋण) पोर्टफोलियो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 26.26% बढ़ गया।
- प्रावधानिक कवरेज अनुपात 31.03.2018 तक 59.45% बढ़ गया, जबकि पिछले साल यह 53.63% था।
- 31.03.2018 तक लागत व आय का अनुपात 60.61% रहा।
- 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए एनआइएम 2.19% पर रहा।
- 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए जमा की औसत लागत जहाँ

- Gross Advances stood at Rs.1,50,999 crore as on 31st March 2018, as against Rs.1,56,776 crore as on 31st March 2017. The Bank has consciously rebalanced its credit portfolio with RAM's (Retail, Agri and MSME) share of total domestic advances improving from 58.74% as on 31.03.2017 to 66.14% as on 31.03.2018.
- Operating Profit of the Bank is Rs. 3629.08 crore for the year ended 31.03.2018 as against Rs. 3650.20 crore for the year ended 31.03.2017.
- Net Loss for the year ended 31.03.2018 is Rs. 6299.49 crore as against Rs. 3416.74 crore for the year ended 31.03.2017 mainly due to provisions of Rs. 9928.58 crore made during the year including higher provisions on account of RBI guidelines on revised framework on Resolution of Stressed Assets.
- While Total Income for the year ended 31.03.2018 is Rs. 21662 crore as against Rs. 23091 crore for the year ended 31.03.2017 on account of less treasury income and contraction of credit and Interest Income stood at Rs. 17915 crore as against Rs. 19719 crore for the corresponding periods, Non Interest Income improved to Rs. 3746 crore for the year ended 31.03.2018 as against Rs. 3373 crore for the previous year.
- Total Expenditure declined from Rs. 19441 crore for the year ended 31.03.2017 to Rs. 18033 crore for the year ended 31.03.2018.
- Gross NPA as at 31st March 2018 is at Rs. 38180 crore with ratio of 25.28% as against Rs. 35098 crore with ratio of 22.39% as on 31st March 2017 with fresh slippage due to revised framework of stressed asset of Rs. 3629 crore.
- Net NPA is Rs.20,400 crore with ratio of 15.33% on 31.03.2018 as against Rs. 19,749 crore with ratio at 13.99% as on 31.03.2017.
- On the Recovery front, the Bank has performed well by clocking recovery of around Rs. 15496 crore for FY 2017-18 as against Rs. 8710 crore for FY 2016-17.
- The Bank was able to improve CASA ratio to 36.75% as on 31.03.2018 as against 36.09% as on 31st March 2017.
- Core Retail (Housing Loans, Vehicle Loans, Clean Loans, Education Loans, Mortgage Loans) of the Bank has shown y-o-y growth of 26.26%.
- Provision Coverage Ratio has improved to 59.45% as on 31.03.2018 from 53.63% a year back.
- Cost to Income Ratio is 60.61% as on 31.03.2018.
- NIM stood at 2.19% for the year ended 31.03.2018.
- Average Cost of Deposit is 5.49% for the year ended

6.17% थी, वहीं 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए यह 5.49% रही।

➢ **टर्न-अराउण्ड रणनीति**

अनुभवी एवं पेशेवर बोर्ड के मार्गदर्शन और दूरदर्शिता के साथ बैंक ने पिछले साल निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष फोकस देते हुए एक टर्न-अराउण्ड रणनीति तैयार की :

- टेकनॉलजी मुद्दे और लिवरेजिंग
- एनपीए समाधान और एनपीए प्रबंधन
- क्रेडिट प्रबोधन और नए स्लिप्पेजों की रोकथाम
- मानव संसाधन प्रबंधन व मानव संसाधन विकास
- पूँजी और कारोबार वृद्धि की लिवरेजिंग

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इन फोकस क्षेत्रों पर बैंक द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी मैं अपने शेयरधारकों को देना चाहूँगा और यह भी बताना चाहूँगा कि हमारी टर्न-अराउण्ड रणनीति के जो मुख्य स्तंभ हैं, उनसे संबंधित क्षेत्रों में बैंक की दक्षता एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बैंक की भविष्यगत योजनाएँ क्या हैं।

1. टेकनॉलजी मुद्दे और लिवरेजिंग

- हमारा बैंक पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जिसने फिनाकल के नवीनतम वर्शन 10.2.17 को अपनाया है और विदेशी शाखाओं सहित अपनी सभी शाखाएँ फिनाकल में माइग्रेट की हैं। बैंक सेवा संवर्धन के लिए फिनाकल पैकेज को लिवरेज करने की प्रक्रिया में है। बैंक की इन-हाउज़ टीम ने न केवल फिनाकल में बल्कि उससे जुड़े प्रयोजनों में कई अप्लिकेशन्स कस्टमाइज़ेशन के साथ विकसित किए हैं।
- तकनीकी प्लैटफार्म स्थिरता प्रदान करने का मुद्दा शीर्ष कार्यसूची के रूप में लिया गया और आश्वासन के अनुसार बैंक ने सीबीएस प्लैटफार्म को स्थिरता प्रदान की ।
- डिजिटल पहलें और सुदृढ तकनीकी पैठ :अत्यंत सुविधा के साथ ग्राहकों को लाभ पहुंचानेवाले विभिन्न डिजिटल उत्पादों और योजनाओं को शुरू करने में आइओबी हमेशा अग्रणी रहा है ।
  - एटीएम को रेशनालाइज़ करने संबंधी कार्यक्रम के तहत 1.09.2015 से 31.03.2018 के बीच 826 अव्यवहारिक एटीएमों को बंद कर दिया गया जिससे 27.72 करोड की वार्षिक बचत हुई ।
  - बैंक ने 704 नए कैश रिसाइकलरों और 700 नए एटीएमों को विनियोजित किया है जो अमल के तहत हैं ।
  - बैंक ने 700 ई पास बुक कियोस्क भी विनियोजित किए हैं ।
  - बैंक ने अपनी तरह के पहले ''मोबाइल कैश रिसाइकलर'' की फरवरी 2018 में स्थापना की है ।
  - हमारे इंटरनेट बैंकिंग में इन्स्टा पे और पोस्ट लॉगइन पद्धतियों का प्रयोग करते हुए भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) की शुरुआत बैंक ने की है । हमारा बैंक पहला पीएसबी बैंक है जिसने बीबीपीएस में टीएनईबी बिलर को जोडा ।
  - एक्वायरर के रूप में बैंक ने यूपीआई को सक्रिय किया ।
  - खाता संख्या और एमएमआइडी का उपयोग करते हुए आइएमपीएस के अलावा बैंक ने आधार का उपयोग करते हुए

31.03.2018 as against 6.17% for the year ended 31.03.2017.

➢ **TURNAROUND STRATEGY**

With the guidance and oversight of an experienced and professional Board, the Bank had in the previous year finalized a Turnaround Strategy with special focus on the following areas :

- Technology Issues and leveraging
- NPA Resolution and NPA Management
- Credit Monitoring and arresting fresh slippage
- HR management and HR development
- Leveraging Capital and Business Growth

I take this opportunity to apprise our shareholders of the steps the Bank has taken during the year under review on these focus areas as well as our future plans to improve the efficiency and productivity of the Bank in these areas that form the cornerstone of our Turnaround Strategy.

1. **Technology issues and leveraging**

- Our Bank is the first Public Sector Bank to have migrated to latest version of Finacle and has successfully migrated all the branches including Overseas Branches to Finacle 10.2.17 version. The Bank is in the process of leveraging the Finacle package for service enhancement. Bank's in-house team has developed several applications with customisations in Finacle as well as in the surrounding applications.
- Technology platform stabilization was taken as top agenda and as assured, Bank stabilized the CBS platform.
- Digital Initiatives and strong technology penetration. IOB has always been a pioneer in launching various digital products and schemes that benefit customers the most along with utmost convenience.
  - Under the ATM rationalization program, 826 unviable ATMs have been closed from 1.09.2015 to 31.03.2018 resulting in annual savings of Rs. 27.72 crore.
  - Bank has already deployed another 704 new Cash Recyclers and 700 new ATMS which are under implementation.
  - Bank has also deployed 700 E-Passbook kiosks
  - The Bank rolled out the first of its kind "Mobile Cash Recycler" in February 2018.
  - Bharat Bill Payment System (BBPS) has been enabled using Insta Pay and Post Login modes in our internet banking. Our Bank was the first PSB to onboard a biller (TNEB) in BBPS
  - As an acquirer, UPI has been made LIVE for our Bank.
  - IMPS can be done using Aadhar apart from IMPS

आइएमपीएस पद्धति की शुरुआत की।

- ग्राहकों को बेहतर जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक ने आइओबी सहायक, आइओबी नन्बन, आइओबी कनेक्ट जैसी कई डिजिटल पहलों की शुरुआत की ।

- हमारे बैंक ने सूचना प्रौद्योगिकी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी (आईटीआईएल) के सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन की शुरुआत की है ताकि उन्नत आईटी सेवा वितरण और आईटी एवं व्यापार के बीच मजबूत संरेखण को सक्षम करने के लिए जोखिम और सेवाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए अनुकूलित लागत और संसाधनों के माध्यम से संतुष्टि में सुधार किया जा सके।

- तकनीकी जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क तैयार किया गया ।

- सिस्टम सुरक्षा को सुदृढ़ करना बैंक की प्रमुख रणनीतियों में से एक है। स्विफट प्रणाली को सभी भुगतान संदेशों के लिए सीबीएस के साथ समेकित किया गया तथा दस्तावेज़ प्रबंधन समाधान –डीएमएस सहित फेक्स परिचालनों को केंद्रीकृत भी किया गया और स्विफट सुरक्षा पर अन्य सभी दिशानिर्देशों का भी अनुपालन किया गया । बैंक में एंटी वायरस कार्यान्वयन और अद्यतन, एंडपॉइंट एडवांस्ड थ्रेट प्रोटेक्शन (एटीपी), डीप डिस्कवरी विश्लेषक (डीडीएएन) सहित विभिन्न उपायों को शुरू किया गया और लागू किया गया।

- रिटेल ऋणों जैसे आवास ऋण , वाहन ऋण व निर्बंध ऋण का क्रेडिट रेटिंग, मानकीकृत दस्तावेज और ऋण संवितरण के स्रोत से डिजिटलकरण के साथ ऑनलाइन प्रसंस्करण।

- ग्राहक आईडी के साथ आधार जोड़ने के लिए शाखाओं को कस्टमाइज़्ड् मेनू प्रदान किया गया ।

- डिपोज़िट ग्राहकों को टीडीएस की कटौती,फार्म 15जी/ 15 एच जमा करना , थ्रेसहोल्ड सीमा को पार करते समय फॉर्म 15 जी / एच की छूट हेतु एसएमएस सुविधा प्रदान करना।

- नेट बैंकिंग का उपयोग करने वाले ग्राहकों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई सुरक्षा सुविधाओं की शुरुआत की गईं जिनमें ओटीपी को 6 अंकों तक बढ़ाना, कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए दैनिक लेनदेन सीमा की स्थापना, वैकल्पिक सेवा प्रदाताओं के माध्यम से ओटीपी को फिर से भेजने के विकल्प, पहला अनुरोध विफल होने पर, जीएसटीआईएन पंजीकरण ऑनलाइन, निलंबित डेबिट कार्ड ऑनलाइन, टीएनईबी भुगतान सत्र निर्धारण आदि शामिल है।

2 एनपीए संकल्प एवं एनपीए प्रबंधन

टर्नाराउंड रणनीति का प्रमुख फोकस एनपीए प्रबंधन पर है।

जैसा कि पहले शेयर किया जा चुका है और बताया जा चुका है कि तिमाही 1, तिमाही2 और तिमाही 3 एनीए स्लिपेज धीरे धीरे कम होते गए और संबंधित अवधि के दौरान वसूली में सुधार हुआ । साथ ही, जैसा कि रणनीती बनायी गयी वैसे पहली तीन तिमाकियों के दौरान स्लिपेजों की तुलना में वसूली में वृद्धि हुई ।

मार्च 2018 को समाप्त तिमाही के लिए कुल सिलपेज रू.9868 करोड़ है जो कि मुख्य रूप से स्ट्रेसड/तनावग्रस्त आस्तियों के संकल्प पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संशोधित फ्रेमवर्क पर जारी दिशानिर्देशों के कारण है।

using Account Number and MMID.

- Bank introduced many digital initiatives like IOB Sahayak, IOB Nanban, IOB Connect for the better dissemination of information to customers.

- Our Bank has initiated implementation of the processes aligning with the best practices of Information Technology Infrastructure Library (ITIL) so as to have improved IT service delivery and satisfaction through optimized costs and resources for better management of risk and services to enable strong alignment between IT and the business.

- Technology Risk Management Framework devised.

- Strengthening system security is one of the key strategies of the Bank. SWIFT system was integrated with CBS for all payment messages along with centralization of FEX operations with Document Management Solution (DMS) and all other directions on SWIFT security has been complied with. Several initiatives for strengthening SWIFT operations were taken including centralization of SWIFT operations, STP with CBS implemented. Various security measures were implemented across the Bank including Anti virus implementation and updation, Endpoint Advanced Threat Protection (ATP), Deep Discovery Analyser (DDAN).

- Online processing of retail loans viz., Housing Loans, Vehicle Loans and Clean loans, with digitalization right from sourcing of loan, credit rating, standardized documentation and loan disbursement.

- Customized menu provided to branches for linking the Aadhaar with customer ID.

- SMS Alert facility to Deposit Customers on TDS deduction, submission of Form 15G/15H, exemption of Form 15 G/H when crossing the threshold limit enabled.

- Several security features were introduced to give better protection to customers using net banking including increasing OTP to 6 digits, setting of daily transaction limit for corporate customers, option for resending OTP through alternate service providers if the first request fails, GSTIN Registration Online, Suspending debit card online, TNEB payment session fixation etc

2. NPA resolution and NPA Management

An important focus of the Turnaround Strategy is NPA Management.

As informed and shared earlier, NPA slippage gradually reduced in Q1, Q2 and Q3 and the recovery improved during the same period. Further as strategised, the recovery increased over slippage during the first 3 quarters.

The total slippage for quarter ended March ’18 stood at Rs. 9868 crore mainly on account of the impact of RBI guidelines on revised framework on Resolution of Stressed Assets. Pursuant to the revised framework, the Bank has

संशोधित फ्रेमवर्क के अनुसार, बैंक ने विशिष्ट पुनर्गठित खातों को मौजूदा आईआरएसी मानदंडों के अनुसार वर्गीकृत किया है।तनावग्रस्त आस्तियों के संशोधित फ्रेमवर्क के कारण फ्रेश स्लीपेज़ रू.3629 करोड़ है।

वर्ष के लिए एनपीए की वसूली रुपए 15496 करोड़ रही जो पिछले साल की तुलना में 77.91 प्रतिशत ज्यादा है । 2017-18 में सकल एनपीए की तुलना में निवल संचयन रुपए 3082 करोड़ रहा जबकि मार्च 2017 में यह रुपए 5050 करोड था जो निवल जीएनपीए संचयन में कमी को दर्शाता है ।

31-03-2018 तक रिटेल का सकल एनपीए 2.44 प्रतिशत रहा जो मार्च 2017 की तुलना में 19.95 प्रतिशत घट गया ।

बैंक द्वारा एनपीए प्रबंधन हेतु निम्न उपाय किये जा रहे हैं :

- एनपीए खातों, एकल वित्त पोषित खाते, कंसोर्टियम खाते जहां हम लीड बैंक हैं, क्रोनिक एनपीए खाते जहां प्रावधान 100% है, एनपीए खाते जहां प्रवासन प्रावधान में होने की संभावना है पर गहन ध्यान केंद्रित करना
- दैनिक वसूली रिपोर्ट प्रणाली ।
- लोक अदालत, रिकवरी कैंप , रिकवरी ड्राइव , इत्यादि के माध्यम से वसूली करना। छोटे मूल्य के एनपीए खातों को निपटाने के लिए राष्ट्रीय वसूली दिवस मनाया गया।
- कृषि संबंधी एनपीए खातों में वसूली के अंतर्गत कारोबारी संवादियों और ग्रामीण विकास अधिकारियों का सक्रिय उपयोग ।
- जहां बंधक उपलब्ध है वहां ऐसे रिटेल खातों में सरफेसी कार्रवाई के ज़रिए व्यवस्थित वसूली ।
- पुनर्वास, उन्नयन या समझौते के उद्देश्य से एमएसएमई के मध्यम वर्गीय एनपीए खातों से जुडे केंद्रों पर वसूली टीमों का कई बार दौरा ।
- रिटेल एनपीए खातों और लघु और सूक्ष्म वर्ग के एमएसएमई खातों में क्रेडिट एजेंसियों के ज़रिए पतारहित उधारकर्ताओं का पता लगाकर वसूली के लिए अनुवर्तन किया गया ।
- ओटीएस को निपटाने के लिए शाखा / क्षेत्रीय / अंचल प्रबंधकों को अधिकार देने के उद्देश्य से विशेष ओटीएस योजना लागू की गयी ।
- ऋण वसूली एजेंटों का युक्तम प्रयोग
- प्रत्येक क्षेत्र हेतु 10 से 15 सदस्यों की विशेष पूर्णकालिक वसूली टीम जिन्हें एनपीए ,खातों के अनुसरण हेतु विर्निदिष्ट शाखाएं आबंटित की गई हैं।
- हमारे बैंक द्वारा **आईओबी सहायक** नामक मोबाइल एप की शुरुआत की गयी जिसमें एनपीए वसूली विज़िट, एनपीए वॉर , जैसी विशेषताएँ शामिल हैं।
- तनावग्रस्त आस्ति समाधान हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित फ्रेमवर्क के अनुसार रू. 1 करोड़ तक की, रू.1 करोड़ से रू.3 करोड़ तक और रू.3 करोड़ से अधिक तक के स्लैब वाले तनावग्रस्त आस्तियों हेतु 3 उप वर्टिकल सहित तनावग्रस्त आस्ति वर्टिकल की स्थापना की गयी ।

classified the specific restructured accounts in accordance with extant IRAC norms. The fresh slippage due to revised framework of stressed assets amounts to Rs. 3629 crore.

NPA Recovery for the year is Rs. 15496 crore which is 77.91% higher than last year. Net accrual to GNPA in 2017-18 is Rs. 3082 crore as against Rs. 5050 crore in March ’17 thus showing reduction in the Net GNPA accrual.

GNPA of Retail is 2.44 % as on 31.03.2018 with reduction of 19.95% over March ’17.

The Bank has taken the following measures for NPA Management :

- Special focus on Chronic NPA accounts where provision is 100%, accounts migrating to higher provisions in small value accounts
- Daily Recovery Report mechanism
- Effecting recovery through Lok Adalats, Recovery Camps, Recovery drives etc. National Recovery Day observed to settle maximum small value NPA accounts.
- Active utilisation of Business Correspondents and RDO in recovery of agriculture NPA accounts.
- Systematic recovery through SARFAESI action in case of Retail NPA accounts where mortgage is available.
- Recovery teams make multiple visits to MSME medium sector NPA accounts to rehabilitate, upgrade or resolve through compromise
- Skip tracing of untraceable borrowers done through credit agencies in retail NPA accounts as well as MSME NPA accounts of Small and Micro Sector and follow up for recovery
- Special OTS scheme to empower Branch / Regional / Zonal Managers to settle OTS.
- Optimal utilisation of Debt Recovery Agents
- Special full time Recovery Teams with 10 to 15 members in each region who have been allocated specific branches for follow up of NPA accounts.
- **IOB Sahayak,** a mobile app for our Staff has been released by our Bank with features including NPA Recovery Visit and NPA War
- Stressed Asset Vertical has been set up with 3 sub-verticals to deal with stressed assets of slabs upto Rs. 1 crore, Rs. 1 crore to Rs. 3 crore and above Rs. 3 crore in terms of RBI’s revised framework for stressed asset resolution.

3. ऋण प्रबोधन और ताजा स्लिपेज़ को कम करना

- अंचल कार्यालयों में एजीएम की अध्यक्षता में विशेषीकृत क्रेडिट प्रबोधन विभाग बनाया गया ताकि केंडिट का सिंहावलोकन सुधारा जा सके, शुरुआती सचेत संकेतकों की पहचान की सके और नए स्लिपेजों की रोकथाम की जा सके ।
- गहन क्रेडिट और फेक्स प्रशिक्षण के द्वारा फील्ड स्तर पर क्रेडिट अधोलेखन कौशल को सुद्दढ किया जा रहा है ।
- बिजनेस इंटेलिजेंस के अंतर्गत एसएमए पोर्टल उपलब्ध है जो कि केंद्रित वसूली हेतु कलर कोडिंग के साथ सभी एसएमए खातों के आँकड़े प्रदान करता है ।
- एसएमए आवंटन पोर्टल क्षेत्रीय कार्यालय को अनियमित खातों में अतिदेय की वसूली व अनुवर्तन हेतु कलर कोडिंग सहित् क्षेत्र के सभी स्टाफ सदस्यों को एसएमए खाता आवंटित करने की सुविधा प्रदान करता है।स्टाफ को इस संबंध में एसएमएस अलर्ट भेजे गये हैं।
- यह सुनिश्चित करने हेतु कि कम मूल्य के खातों का नियमित अनुवर्तन किया जा रहा है रिटेल व एसएमई खातों के कुछ चयनित योजनाओं हेतु कॉल सेंटर के माध्यम से अनुवर्तन करना
- अतिदेय खातों में एसएमएस अलर्ट द्वारा उधारकर्ताओं को चुकतान का संदेश और शाखा प्रबंधक से अंचल प्रबंधक तक का निरंतर आधार पर व्यक्तिगत दौरा ।

4. मानव संसाधन प्रबंधन और विकास

- वरिष्ठतम प्रबंधन और फील्ड के बीच सशक्त सामंजस्य स्थापित करते हुए स्टाफ का मनोबल बढ़ाया गया ।
- कार्यपालक मेंटरिंग, विरासती योजना और करियर पथ का निर्माण जैसी एचआर पहलों के ज़रिए नई प्रणाली स्थापित की गयी ।
- क्षमता निर्माण पहल : ट्रेजरी, जोखिम प्रबंधन, लेखा, क्रेडिट प्रबंधन, विदेशी मुद्रा, आईटी इत्यादि जैसे विशेष क्षेत्रों को संभालने वाले अधिकारियों की क्षमता का निर्माण करने के लिए मान्यताप्राप्त संस्थानों जैसे आइआइबीएफ, मुंबई, एनआइबीएम, पुणे और मूडीज़ एनालटिक्स के ज़रिए योजना निर्माण पर आरबीआई की समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रमाणित कार्यक्रमों की योजना बनाई गई ।
- वरिष्ठ संकाय को शामिल करते हुए प्रशिक्षण प्रणाली को सुद्दढ को बनाया गया और प्रशिक्षण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने हेतु पुनर्गठन किया गया ।

लिवरेज़ पूँजी एवं व्यापारिक विकास

आइओ बी ने कई फ्रंटों में सुधार किया है और एनपीए पर दबाव इसलिए है कि दबावग्रस्त आस्ति फ्रेमवर्क पर नए विनियामक दिशनिर्देश अमल में आए हैं ।

1) 37 .43 प्रतिशति पर घरेलु कासा अपने शीर्ष पर है और जिसमें एसबी की 5 .35 प्रतिशत है । दो मिलयन ग्राहकों को बैंक से जोडना दर्शाता है ग्राहक सेवा स्तर काफी सुधार हुआ है ।

2) कोर रिटेल सेगमेंट वर्ष दर वर्ष आधार पर 26.26 प्रतिशत तक बढा और तिमाही दर तिमाही आधार पर यह 6 .71 प्रतिशत बढ़ा जिसमें आवास ऋण की संवृद्धि 36 प्रतिशत है ।

3. Credit monitoring and arresting fresh slippage

- Specialised Credit Monitoring Department has been formed at Zonal Offices headed by AGM to improve the credit overview, to identify early warning signals and to arrest fresh slippages.
- Credit underwriting skills are being strengthened at field level through intensive credit and FEX training.
- SMA Portal is available under Business Intelligence which provides data on all SMA accounts with colour coding to drive focused recovery with visual colour impact.
- SMA accounts are allotted to every staff member at the branch for follow up and recovery of overdues in irregular accounts. SMS alerts are also sent to staff reminding them of their responsibility.
- Soft calls made through call centres for recovery of overdue SME accounts to ensure that small value accounts are followed up regularly.
- SMS alerts to borrowers for repayment of overdue amount, personal visits from Branch Manager to Zonal Manager on continuous basis.

4. HR management and HR development

- Staff morale improved with establishing strong connect between Senior Management and field team
- HR engagement initiatives like mentoring the executives, succession planning, building career path has been established
- To build up the capacity of officers handling specialized areas like Treasury, Risk Management, Accounting, Credit Management, Forex, IT etc. certification programs introduced from accredited institutions like Indian Institute of Banking & Finance (IIBF), Mumbai, National Institute of Banking Management (NIBM), Pune and Moody's Analytics.
- The training system has been strengthened with induction of Senior faculty to make it more effective.

5. Leverage Capital & Business growth

IOB improved in many fronts and the stress of NPA is seen mainly due to new regulatory guidelines on stressed asset framework.

i) Domestic CASA at 37.43% is at peak with SB growth of 5.35% and addition of 2 million customers demonstrates the customer service level improvement

ii) Core Retail segment grew by 26.26 % YoY & 6.71% QoQ with Housing Loans growth of 36%.

3) आरएएम कुल घरेलू अग्रिमों का 66 प्रतिशत रहा जो अत्यंत सशक्त है और जिसमें रिटेल का शेयर 20 .34 प्रतिशत है, कृषि का शेयर 22 .35 प्रतिशत है तथा एमएसएमई का 23 .54 प्रतिशत है । मूल तत्वों का सुधार करने के लिए और पूंजी का संरक्षण करने के लिए ऋण बही के पुनर्तुलन पूरा किया गया ।

4) सीओडी जमा का आधार खोए बिना 5 .49 प्रतिशत पर रहा जो कि मार्च 17 की तुलना में 6 .17 प्रतिशत अधिक है । निम्न एकमुश्त और बिना लागत वाली जमाएं तुलन पत्र के सुदृढ होने का प्रमाण है ।

5) हालांकि अगिमों पर आय 7 .51 प्रतिशत रही, फिरभी इसमें कमी हमारे उत्पादों की स्पर्धात्मक प्रवृत्ति को दर्शाती है । तथापि स्वस्थ वसूली विशेष रूप से निरंतर एनपीए के तहत, वित्तीय वर्ष 2019 में वृद्धि को दर्शाएगी ।

6) प्राथमिकता क्षेत्र का 47.48 प्रतिशत पर रहने से इसका जोखिम व्याप्त करने में सुविधाजनक रहा और सभी शाखाओं की प्रतिभागिता में बैंक के टर्नअराउण्ड प्रयासों को बल मिला ।

7) एसईआर, एस 4 ए आदि के तहत पुनर्गठित कार्पोरेट बही के कारण ही मुख्य रूप से ब्याज की आय 9 .15 प्रतिशत की कमी आयी । इनमें पिछले एक साल से कोई अर्जन नहीं हो रहा था हालांकि यह मानक थे (अब संशोधित विनियामक फ्रेमवर्क के कारण एनपीए में तब्दील हो गए) लेकिन गैर ब्याज दर आय 11.08 प्रतिशत बढ़ गयी ।

8) सशक्त कासा के चलते ब्याज पर खर्च 14.33 प्रतिशत घट गया और इसमें निम्न एकमुश्त, बिना लागत की जमाओं का योगदान है ।

9) तिमाही दर तिमाही आधार पर परिचालन गत लाभ चौथी तिमाही के लिए लगभग दुगना हो गया और वर्ष दर वर्ष दर आधार पर यह समतल रहा जबकि पिछले वर्ष की तत्संबंधी तिमाही की तुलना में कम ब्याज अर्जन आस्तियां 8 .47 प्रतिशत बढ़ी ।

10) एनपीए पर अधिक प्रावधान के चलते जिसकी राशि रुपए 6738 करोड़ है, बैंक ने 2017-18 चौथी तिमाही के लिए रुपए 3607 करोड़ की हानि दर्ज की ।

11) 2017-18 की तीसरी तिमाही जहां लागत आय का अनुपात 65.71 प्रतिशत था वहीं इस वर्ष की चौथी तिमाही के लिए यह 58.49 प्रतिशत रहा ।

12) उच्चतम प्रावधान और ऋण बही के पुनर्तुलन के कारण आरडब्ल्यूए 107.89 प्रतिशत से घटकर 89.34 प्रतिशत हो गयी ।

13) एक साल के भीतर हानि जन्य शाखाएं 15.89% से घट कर 11.13% हो गई ।

14) वर्ष के दौरान रु.15496 करोड़ की एनपीए वसूली अब तक की सबसे अधिक है । फिर भी दबावग्रस्त आस्तियों के नए फ्रेमवर्क के चलते रु.3692 करोड़ के स्लिप्पेज सहित रु.16825 करोड़ के स्लिप्पेज ने इस वसूली पर प्रभाव डाला। रु.3000 करोड़ की अन्य आस्तियों सहित ये आस्तियां पुनर्गठित की जा सकती थी लेकिन पुनर्गठन के दिशा-निर्देशों की निकासी से यह संभव नहीं हो पाया ।

iii) RAM is robust 66% of the total domestic advances. With Retail share of 20.34%, Agri 22.35%, MSME 23.54%, the rebalancing of loan book is achieved to conserve capital and improve the fundamentals.

iv) COD at 5.49% without losing deposit base has shown improvement over 6.17% as at March '17. Lower bulk and almost NIL high cost deposit is a testimony of balance sheet strengthening.

v) Although YOA is 7.51%, the reduction demonstrates competitiveness of our loan products. However with healthy recovery especially under chronic NPA it will increase in FY 19.

vi) Priority sector of 47.48% facilitated risk spread and participation of all branches in the Bank's Turnaround effort.

vii) The interest income reduced by 9.15% mainly due to restructured corporate book under SDR, S4A etc not earning since almost one year despite being standard (now slipped to NPA due to revised regulatory framework) but the non interest income increased by 11.08% .

viii) Interest expenditure reduced by 14.33% with the strong CASA and low bulk , nil high cost deposit.

ix) Operating profit for Q4 2017-18 almost doubled QoQ and remained flat YoY and despite less interest earning assets grew by 8.47% over corresponding quarter of last year.

x) Bank booked loss of Rs. 3607 crore in Q4 2017-18 mainly due to high provision on NPA to the extent of Rs. 6738 crore.

xi) Cost to income ratio reduced from 65.71% in Q3 2017-18 to 58.49% in Q4 2017-18.

xii) RWA reduces drastically to 89.34% from 107.89% with the higher provision and rebalancing of loan book.

xiii) Loss making branches reduced from 15.89% to 11.13% in one year

xiv) NPA Recovery at Rs. 15496 crore in the year is one of the highest. However the same is impacted by slippage of Rs. 16825 crore with Rs. 3692 crore slipped due to new frame work in stressed assets. These assets along with another Rs.3000 crore would have been restructured but for withdrawal of the restructured guidelines.

15) पूरे वर्ष के दौरान एनपीए में निवल परिवर्धन सिर्फ रु.3082 करोड़ है और इसमे से भी रु.3692 करोड़ संशोधित फ्रेमवर्क के कारण हुए स्लिप्पेजों के चलते है ।

16) इन्हीं कारणों वश जीएनपीए और एनएनपीए बढ गए, फिर भी आरबीआइ की एनसीएलटी सूची 1 और सूची 2 के तहत रु.8000 करोड़ के होने से 50% खातों में समाधान संभव है जिसके कारण कम से कम रु.4000 करोड़ अनलॉक किए जाएंगे। इन खातों में प्रावधान का प्रतिशत क्रमश: 71% और 63% है ।

17) बैंक ने एमटीएम हानि और एनसीएलटी प्रावधान को फैलाने के प्रति कोई फॉरबेरेंस नहीं लिया है बल्कि इस साल ही उसका लेखांकन कर लिया है और इस तरह भविष्यगत डेफिनिटिव्स को हटा दिया है ।

सभी बिग टिकट खातों की पहचान हो जाने के चलते भविष्य में फोकस एनपीए की कमी पर रहेगा और आरएएअम संसाधन को डिजिटलाइज़ करने की रणनीति रहेगी । पहले ही रीटेल को एंड टू एंड स्वचालित कर लिया गया है और प्रभावात्मकता और उत्पादकता में वृद्धि की गई है । 400+ की सशक्त वसूली टीम छोटे मूल्य की वसूलियों पर विशेष रूप से कार्य कर रही है

वित्तीय वर्ष 2019 में बैंक अपने मूल तत्वों में सुधार लाएगा और सुद्दढ नतीजे दर्ज़ करेगा।

- बैंक की टर्नअराउंड रणनीति फीस आधारित आय बढ़ाने और मिड कॉरपोरेट व लार्ज कॉर्पोरेट पर ध्यान देते हुए खुदरा और एमएसएमई में त्वरित वृद्धि सहित ऋण विकास में सुधार करने पर केंद्रित है।बैंक ने क्रेडिट पोर्टफोलियो को कुल घरेलू अग्रिमों में आर ए एम (रिटेल, कृषि और एमएसएमई) शेयर जो 58.74% से बढ़कर 66.14% (मार्च '17 की तुलना में मार्च '18 में) हो गया। खुदरा क्रेडिट में 17.98% की वृद्धि दर्ज की गई और एमएसएमई 6.71% प्रति वर्ष् बढ़ी। कोर रिटेल 26.26% बढ़ गया। 31.03.2018 को प्राथमिक क्षेत्र उधार एएनबीसी के 40% की आवश्यकता के मुकाबले 47.47% हो गया है। 31.03.2018 को एएनबीसी की 18% की आवश्यकता के मुकाबले कृषि 20.23% है।

आर ए एम को सुधारने हेतु निम्न पहलें की गयी है :

- o सरल व ससमय मंजूरी हेतु रिटेल क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल की शुरुआत
- o केंद्रित ध्यान हेतु रिटेल आस्ति वर्टिकल बनाया गया।.
- o 32 केंद्रों पर 57 रिटेल मार्ट की शुरुआत की गयी।
- o 156 विशेष रिटेल बिजनेस प्रबंधको का नामांकन
- o वाहन डीलर और प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के साथ गठबंधन
- o फिनटेक कम्पनीयों और अग्रणी प्रापर्टी पोर्टलों के साथ अनुबंध
- o 28 विशेषीकृत व 273 एसएमई केंद्रित शाखाओं के माध्यम से केंद्रित उधार
- o 9 क्लस्टर विशिष्ट योजनाओं की शुरुआत

xv) Net addition to NPA is Rs. 3082 crore only in the entire year and the major portion is Rs. 3692 crore of slippage due to revised framework.

xvi) GNPA AND NNPA peaked due to these reasons, however with Rs. 8000 crore under NCLT list 1& list 2 of RBI, resolution in atleast 50% accounts amounting to atleast Rs. 4000 crore will be unlocked. The provision in these accounts are 71% & 63% respectively.

xvii) Bank did not avail forbearance given towards MTM loss and spreading the NCLT provision and accounted for the same in this year itself , thereby removing the future definitives.

With almost all big ticket accounts recognized, the future will be focusing on NPA reduction and the strategy is to digitalise RAM processing, already retail is end to end automated, and improve efficiency and productivity. The robust recovery team of 400 plus on the field is working exclusively on the small value recovery.

Bank is poised to improve the fundamentals and post strong results in FY19.

- Bank's turnaround strategy is focused on augmenting fee based income and improving credit growth with accelerated growth in retail and MSME while not losing sight of Mid Corporate and Large Corporate. The Bank has rebalanced the credit portfolio with RAM's (Retail, Agri and MSME) share of total domestic advances improving from 58.74% to 66.14% YoY (March '18 over March '17). Retail credit recorded a growth of 17.98% and MSME grew by 6.71% YoY. Core Retail grew by 26.26% YoY. Priority Sector Lending as a % of ANBC as on 31.03.2018 is 47.47% as against the requirement of 40%. Agriculture as a % of ANBC as on 31.03.2018 is 20.23% as against the requirement of 18%.

The initiatives taken to improve RAM are as follows :

- ○ Retail Credit Scoring Model introduced for easy and timely sanction.
- ○ Retail Asset Vertical formed for focussed attention.
- ○ 57 Retail Marts introduced at 32 centres
- ○ 156 exclusive Retail Business Managers nominated
- ○ Tie up with Vehicle Dealers and reputed Educational Institutions.
- ○ Tie up with Fintech companies and leading property portals
- ○ Focused lending through 28 specialised and 273 SME focussed branches
- ○ Introduced 9 Cluster Specific schemes
- ○ Online registration of MSME application with

- o ई ट्रैकिंग के साथ एमएसएमई आवेदन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
- o संपूर्ण डिज़िटलाइजेशन और ऑनलाइन रिटेल व एमएसएमई ऋण प्रोसेसिंग
- o एमएसएमई हेतु नये स्कोरिंग मॉडल की शुरुआत
- o लघु ट्रेडर / वेंडर हेतु आइओबी एसएमई 300 दैनिक उत्पाद
- o स्टैंड अप इंडिया, केवीआईसी , उदय मित्रा पोर्टलों से लीड जेनेरेशन
- o जीएसटी अमल में आने के बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट आदि से जुडें मुद्दों से लेकर अपने कारोबार को औपचारिक बनानें के लिए उधारकर्ता के वास्ते **आइओबी जीएसटी – ईज़ स्कीम** की शुरूआत की गई।
- प्राप्यों के प्रति वित्तपोषण करने के लिए **टीआर ईडीएस प्लाटफोर्म** में प्रतिभागिता हेतु आरएक्सआईएल के साथ सदस्य के रूप में इनरोल किया गया।
- ए,एए,एएए,रेटेड उधारकर्ताओं को उधार देने, शून्य जोखिम भारित आस्तियों – आभूषणों ऋणों, तरल प्रतिभूतियों के प्रति ऋणों , केन्द्र सरकार प्रतिभूत ऋणों , रिटेल एवं एमएसएमई प्रवर्गों जैसे मामलों के प्रति आरडब्ल्यू आधारित एप्रोच सहित पूंजीदक्ष वृद्धि पर फोकस
- दबावग्रस्त सेक्टरों में सावधानीपूर्वक एप्रोच
- राजस्व सृजन प्राथमिक फोकस क्षेत्र है। बैंक गैर-ब्याजगत आय की वृद्धि पर फोकस कर रहा है, जोकि तकनीक उन्मुख होगी।
- डिजिटल आधारित उत्पादों और अनवरत अभियानों के निर्माण के जरिए कासा में निरंतर वृद्धि
- जमाओं की लागत में कटौती से रिटेल ऋणों के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक बनें रहने में बैंक को व्यापक रास्ता मिलेगा।
- संसाधन प्रबंधन में सुधार के साथ प्रशासनिक लागत और कर्मचारी लागत दोनों में व्यय नियंत्रण। बैंक की अंतरिक्ष लेखा परीक्षा पहल ने अच्छे परिणाम दिए हैं। पहले आउटसोर्स किए गए एटीएम ऑपरेशंस को अब इन-हाउस बनाया गया है।
- बैंक, हानि वाली शाखाओं में कमी करने के साथ-साथ शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों के युक्तिकरण के द्वारा लागत में कमी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। बैंक में वर्तमान में 3332 शाखाएं और 3552 एटीएम/कैश रीसाइक्लर हैं।
- बैंक वर्तमान में एनसीएलटी को संदर्भित खातों के संकल्प को प्राथमिकता दे रहा है क्योंकि इस तरह के संकल्प में पूंजी आवंटन में सुधार की संभावना है।
- पूंजी का संरक्षण और जोखिम भारित संपत्तियों (आरडब्ल्यूए) में कमी, बैंक के लिए निर्धारित विकास पथ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- ग्राहक प्रतिक्रिया के छः विषयों; जिम्मेदार बैंकिंग, क्रेडिट

E-Tracking

- ○ End to end digitalisation and online Retail and MSME credit processing
- ○ Introduced New Scoring Model for MSMEs
- ○ IOB SME 300 Daily product aimed at Small Traders / Vendors
- ○ Lead generation from Standup India, KVIC, Udayamitra portals
- Introduced **IOB GST – EASE Scheme** to facilitate borrowers to formalize their business from the issues related to input tax credit etc. during post GST implementation
- Enrolled as member with RXIL to participate in the **TReDS platform** for financing against receivables
- Focus to sanction capital efficient growth with RWA based approach such as lending to A, AA, AAA rated borrowers, Zero Risk Weight assets – Jewel Loans, Loans against liquid securities, Central Government guaranteed loans, retail & MSME segments.
- Cautious approach in stressed sectors
- Revenue generation is a primary focus area. The Bank is focusing on non interest income growth driven by technology.
- Sustained growth in CASA through building up of digital based products and frequent campaigns.
- Reduction in cost of deposits gives the Bank headroom for being competitive in retail loans
- Expenditure control both in administrative costs and employee cost with optimizing of resource management. The Bank's space audit initiative has yielded good results. ATM operations earlier outsourced have been made in-house.
- Bank is aggressively concentrating on cost reduction by reducing the number of loss incurring branches as well as rationalisation of branches and administrative offices. The Bank presently has 3332 Branches and 3552 ATM / Cash Recyclers.
- Bank is currently prioritising the resolution of accounts referred to NCLT as such resolution has the potential to improve capital allocation.
- Conservation of capital and reduction of Risk Weighted Assets (RWA) will play a vital role in the growth path charted for the Bank.
- The recapitalisation plan for Public Sector Banks announced by the Government of India during the year under review is accompanied by a strong Reforms Agenda for Public Sector Banks under the overarching framework of "Responsive and Responsible PSBs"

ऑफ टेक, उद्यमी मित्र के रूप में पीएसबी, वित्तीय समावेश व डिजिटलकरण और ब्रांड पीएसबी के लिए विकासशील कर्मियों आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा घोषित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए पुनर्पूंजीकरण योजना के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए एक मजबूत सुधार एजेंडा है, जिसका उद्देश्य ईएएसई-उन्नत पहुंच और सेवा उत्कृष्टता के उद्देश्य से "उत्तरदायी और जिम्मेदार पीएसबी" है।

रेटिंग दृष्टिकोण उन्नयन

- अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, मूडीज इनवेस्टर्स सर्विस, सिंगापुर ने हमारे बैंक और हमारी हांगकांग शाखा को "स्थिर" से "सकारात्मक" करने के लिए अपने रेटिंग दृष्टिकोण को संशोधित किया है। (09.02.2018)
- क्रिसिल लिमिटेड ने क्रिसिल ए+/ए-/एफएए में रेटिंग की पुष्टि करते समय इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (आईओबी) के दीर्घकालिक ऋण उपकरणों पर अपना दृष्टिकोण "स्थिर" से "सकारात्मक" संशोधित किया है। बैंक के जमा कार्यक्रम के प्रमाण पत्रों की 'क्रिसिल ए1+' में रेटिंग की पुष्टि की गई है। 25.01.2018)

आईओबी द्वारा जीते गए पुरस्कार और प्रशस्तियां :

- मध्यम बैंकों की श्रेणी में बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ भुगतान पहल के लिए आईबीए द्वारा रनर अप पुरस्कार।
- एसोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेटर्स, मुंबई से बैंक की त्रैमासिक हिंदी पत्रिका "वाणी" को कांस्य श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त।
- भारत के माननीय राष्ट्रपति के करकमलों से हिंदी दिवस अर्थात 14.09.2017 के अवसर पर हमारे प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा हिन्दी गृह-पत्रिका वाणी को 2016-17 के लिए द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया गया।
- आईओबी पे उत्पाद के लिए जो एक ऑनलाइन एकीकरण है उसके लिए इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा वर्ष 2017 के लिए दिए जाने वाले इंटेलिजेंट एंटरप्राइज़ अवॉर्ड (श्रेणी-एंटरप्राइज़ एप्स) के लिए हमारे बैंक को विजेताओं में से (36 बैंकों में से) एक के रूप में चुना गया था।
- बास्केटबॉल: हाल ही में (मई 2018) को चित्तूर में आयोजित राष्ट्रीय फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही हमारी बैंक की बास्केटबाल टीम देश में नंबर-1 टीम है।
  - बैंक ने 2 राज्य स्तरीय टूर्नामेंट अर्थात महापौर राधाकृष्णन राज्य स्तरीय इंवीटेशनल @ एग्मोर, चेन्नई तथा राज्य स्तरीय इंवीटेशनल टूर्नामेंट@ रोयापुरम, चेन्नई में जीत हासिल की है।
  - राष्ट्रीय स्तर पर, बैंक ने 6 अखिल भारतीय टूर्नामेंटों में अर्थात 52वें नाचिमुथु गौंडूर कप @ कोयम्बत्तूर, पीएसजी टेक @ कोयम्बत्तूर, इंवीटेशन टूर्नामेंट @रोहतक-हरियाणा, विजया बैंक द्वारा आयोजित चौथा मुलकी सुन्दर राम शेट्टी @बैंगलोर, इंवीटेशन टूर्नामेंट @कोलकाता और इंवीटेशन टूर्नामेंट @गोवा में जीत दर्ज की है।

aimed at EASE –Enhanced Access and Service Excellence, focusing on six themes of customer responsiveness, responsible banking, credit off take, PSBs as Udyami Mitra, deepening financial inclusion & digitalisation and developing personnel for brand PSB. These six themes are already a sharp focus area for the Bank.

➢ **Ratings Outlook Upgrade**

- International Credit Rating Agency, Moody's Investors Service, Singapore has revised their rating outlook on our Bank and our Hongkong Branch to "POSITIVE" from "STABLE" (09.02.2018)
- CRISIL Limited has revised its outlook on the long term debt instruments of Indian Overseas Bank (IOB) to 'STABLE' from 'NEGATIVE', while reaffirming the ratings at CRISIL A+/A-/FAA. The rating on the certificates of deposits programme of the Bank has been reaffirmed at 'CRISIL A1+'. (25.01.2018)

➢ **Awards and Accolades won by IOB:**

- Runner Up Award for Best Payment Initiatives amongst Medium Banks from IBA.
- Bank's quarterly Hindi Magazine " **VANI** " has received prize in Bronze category from Association of Business Communicators, Mumbai.
- 2nd Prize for in-house Hindi magazine VANI for 2016-17 received by our MD & CEO on the occasion of Hindi Diwas ie. 14.09.2017 from Hon'ble President of India
- Our Bank was chosen as one of the winners (out of 36 banks) of Intelligent Enterprise Award (Category-Enterprise Apps) presented by Indian Express group for the year 2017 for the product **IOB PAY** which is an online integration.
- Basketball : Our Bank's **Basketball Team is No.1** in the Country for having won a Gold Medal in the recently concluded National Federation Cup held at Chittoor (May 2018).
  - The Bank has won 2 State level tournaments viz. Mayor Radhakrishnan State level Invitational @ Egmore, Chennai and State Level Invitational Tournament @ Royapuram, Chennai
  - At the National Level, the Bank has notched up wins in 6 All India tournaments viz. 52nd Nachimuthu Gounder Cup @ Coimbatore, PSG Tech @ Coimbatore, Invitation tournament @ Rohtak, Haryana, 4th Mulki Sunder Ram Shetty organised by Vijaya Bank @ Bangalore, Invitation tournament @ Kolkata and Invitation tournament @ Goa

- इस वर्ष **हॉकी** में, बैंक ने दो राज्य स्तरीय टूर्नामेंट अर्थात 11वाँ पासुपथी अब्दुल शाधिक मेमोरियल, एरियालुर और इंविटेशन टूर्नामेंट में जीत दर्ज की है।
- चेन्नई के प्रतिष्ठित राज्य चैम्पियनशिप जीतने पर, हमारी बैंक की **वॉलीबॉल टीम** तमिलनाडु में **नंबर-1** टीम है। इसके अलावा, हमने सुंदर मेमोरियल राज्य स्तरीय टूर्नामेंट @चेन्नई और अखिल भारतीय मेयर कप @बैंगलोर में भी जीत हासिल की है।
- तीन सदस्यों, श्री रुपिंदर पाल सिंह (हॉकी में ओलंपियन), श्री ए. अरविंद और श्री पी जीवानंदम (बास्केट बॉल) ने हाल ही में गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया 2018 में आयोजित के राष्ट्रमंडल खेलों में हमारी भारतीय टीमों का प्रतिनिधित्व किया था।

अभिस्वीकृतियाँ :

मैं इस अवसर पर बोर्ड, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के सदस्यों को बैंक के चुनौतीपूर्ण समय का सामना करने के लिए उनके मूल्यवान समर्थन और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने सभी मूल्यवान ग्राहकों को उनके निरंतर समर्थन और विश्वास के लिए धन्यवाद देता हूँ और उन्हें आश्वासन देता हूँ कि हम अपने साथ अपने बैंकिंग अनुभव को अधिक बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे क्योंकि आपका कस्टम हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मैं अपने कर्मचारियों के समर्पण और वचनबद्धता की प्रशंसा भी करता हूँ। यह हमारे सभी हितधारकों का समर्थन और प्रोत्साहन है, जो बदलाव के लक्ष्य की ओर खोज में हमारी ताकत और लचिलेपन को बढ़ाता है और हमारा **ध्यान केंद्रित** करने में मदद करता है जिससे हमें **आगे रहने** में सहायता मिलती है।

शुभकामनाओं सहित,

सादर,

आर. सुब्रमण्यकुमार

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

- In **Hockey**, this year, the Bank has won two State level tournaments viz. 11th Pasupathi Abdul Shadhik Memorial at Ariyalur and Invitational tournament at Madurai.
- Our Bank's **Volleyball team is No.1** in Tamil Nadu, by virtue of winning the Prestigious State Championship @ Chennai. Besides this, we have also won Sunder Memorial State Level Tournament @ Chennai and All India Mayor's Cup @ Bangalore.
- Three players viz. Shri.Rupinder Pal Singh (Olympian in Hockey), Shri.A.Aravind and Shri.P.Jeevanantham (Basketball) had represented our Indian Teams in the recently held Commonwealth Games at Gold Coast, Australia 2018.

Acknowledgements:

I take this opportunity to thank the members of the Board, the Government of India and the Reserve Bank of India for their valuable support and guidance as the Bank continues to face challenging times. I thank all our valued customers for their continued support and trust and assure them that their custom is extremely important to us as we endeavour to improve their banking experience with us. I also place on record my appreciation for the dedication and commitment of our staff members. It is the support and encouragement of all our stakeholders that enhances our strength and resilience in our pursuit of the goal of turnaround and helps us **Stay focused** which in turn helps us **Stay Ahead**.

With warm regards,

Yours sincerely,

R Subramaniakumar

Managing Director & Chief Executive Officer

शेयरधारकों को सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारकों की 18 वीं वार्षिक सामान्य बैठक गुरूवार, दिनांक 11 जुलाई 2018 को सुबह 10.00 बजे ऑडिटोरियम, स्टॉफ कॉलेज, इण्डियन ओवरसीज बैंक, वी केयर हॉस्पीटल के पीछे, 100 फीट रोड, थिरूमंगलम की तरफ, 230/7ए, जवाहरलाल नेहरू रोड, अण्णा नगर, चेन्नै 600 040 में निम्नलिखित कार्यों हेतु आयोजित की जाएगी :

1. 31 मार्च 2018 तक बैंक के लेखा परीक्षित तुलनपत्र, 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ एवं हानि लेखे, लेखा द्वारा कवर की गई बैंक की अवधि के दौरान बैंक की गतिविधि और कार्यों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और के लेखे व तुलनपत्र पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, मंजूरी एवं उन्हें अपनाने के लिए।

2. आगे और शेयरों को ज़ारी करना।

निम्नलिखित संकल्पों पर **विशेष संकल्प** के रूप में विचार करना और उपयुक्त समझे जाने पर पारित करना:

''संकल्प किया गया है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 **(अधिनियम)**, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) **योजना** 1970 और इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन 2003 **(विनियम)** 2008 तक यथासंशोधित के प्रावधानों के अनुक्रम में और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक **(आरबीआइ)**, भारत सरकार **(जीओआइ)**, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(सेबी)** और / या किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा, जो वांछित हों, के अनुमोदनों, सहमतियों और मंजूरियों की शर्त पर और उन अनुमोदनों को मंजूरी प्रदान करने में उनके द्वारा यथा निर्धारित निबंधनों, शर्तों और संशोधनों की शर्त पर जिसपर बैंक का निदेशक मंडल सहमत है और जो विनियमों के अनुपालन में है - यथा सेबी (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियमन 2009 (आइसीडीआर विनियम) जैसा कि आज की तिथि तक संशोधित है/ दिशानिर्देशों, यदि कोई है, के अनुपालन में है तथा यह कि ये दिशार्निदेश बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 **(बीआर अधिनियम),** भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 और अन्य सभी लागू कानूनों व अन्य सभी संबंधित प्राधिकरणों, जो समय समय पर जारी होते हैं, के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी की अधिसूचनाओं / परिपत्रों और स्पष्टीकरणों द्वारा निर्धारित **हैं**, और जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर निर्धारित हैं, वहाँ के स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए यूनिफॉर्म लिस्टिंग करार की शर्त पर वे आधारित हैं, बैंक के शेयरधारकों की एतदर्थ व एतद्द्वारा सहमति बोर्ड के निदेशक मंडल (आगे से जिसे **''बोर्ड''** कहा जाएगा और जिसमें ऐसी कोई भी समिति शामिल रहेगी जिसे बोर्ड ने गठित किया हो या इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों का उपयोग करने हेतु बाद में गठित करता हो) को इस आशय से दी जाती है कि वे उस संख्या में इक्विटी/वरीयता शेयरों (संचित/गैर संचित) / प्रतिभूतियों (वरीयता शेयरों की श्रेणी, ऐसे वरीयता शेयरों की प्रत्येक श्रेणी के निर्गम की सीमा, क्या वे निरंतर हैं या मोचनीय हैं या अमोचनीय है, उन निबंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिनके आधार पर वरीयता शेयरों की प्रत्येक श्रेणी का निर्गमण किया जाएगा - से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार) को सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित व आबंटित (निश्चित आबंटन पर आरक्षण के

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the 18th Annual General Meeting of the shareholders of INDIAN OVERSEAS BANK will be held on Wednesday, 11th July 2018 at 10.00 a.m. at Auditorium, Staff College, Indian Overseas Bank, Behind Vee Care Hospital,100 Feet Road towards Thirumangalam, 230/7A Jawaharlal Nehru Road, Anna Nagar, Chennai - 600 040 to transact the following businesses:

1. To discuss, approve and adopt the audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2018, Profit and Loss account of the Bank for the year ended 31st March 2018, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

2. To issue further shares to public:

To consider and if thought fit, to pass the following Resolution as a **Special Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 **(Act),** The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 **(Scheme)** and the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 **(Regulations)** as amended upto 2008 and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India **("RBI")**, the Government of India **("GOI")**, the Securities and Exchange Board of India **("SEBI")**, and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI(Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations) as amended up to date/ guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/ circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949 **(B R Act)**, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 **(SEBI Act)** and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Uniform Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called **"the Board"** which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity/preference shares (cumulative / non-cumulative) / securities (in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class

लिए प्रावधान और / या उस समय लागू कानून द्वारा यथा अनुमत व्यक्तियों के प्रवर्गों और निर्गम के किसी हिस्से के प्रतिस्पर्धात्मक आधार सहित) कर सके और यह कार्य किसी प्रस्ताव दस्तावेज /या विवरणिका के ज़रिए या फिर भारत अथवा विदेश में इस प्रकार के अन्य दस्तावेज़ के ज़रिए होगा तथा प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य रु.10 /- प्रति शेयर होगा और किसी भी हालत में कुल शेयर 354,97,76,735 की संख्या का अधिगमन नहीं होगा व यह राशि विद्यमान प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूंजी के साथ रु.10000 करोड़ की बैंक की कुल प्राधिकृत पूँजी में अधिनियम की **धारा** 3 (2ए) के अनुसार या फिर उस संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार, जो भविष्य में अधिनियम बन सकता है, बढ़ाई गई प्राधिकृत पूँजी की हद तक, निर्धारित सीलिंग है, वह भी इस तरह कि केन्द्रीय सरकार का बैंक की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी में धारण सभी समय 52 से कम नहीं रहेगा, चाहे वह एक या अधिक भागों में हो और चाहे बट्टे पर हो या प्रीमियम दर पर या फिर बाजार दर पर, जहाँ आबंटन एक या उससे अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों **(''एनआरआइ'')**, निजी व सार्वजनिक कंपनियों, निवेशक संस्थाओं, संघों, न्यासों, शोध संगठनों, योग्य संस्थागत खरीदारों **(''क्यूआइबी'')** जैसे विदेशी संस्थागत निवेशक **(''एफआइआइ''),** बैंक, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल निधियों, उद्यमी पूँजीगत निधियों, विदेशी उद्यम पूँजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्तीय संस्थाओं या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों या निवेशकों के किसी ऐसे प्रवर्ग को किया जा सकता है, जिन्हें बैंक द्वारा जैसे वह उचित समझे उस रूप में उक्त में से किसी को या संयुक्त रूप में विद्यमान विनियमों /दिशानिर्देशों के अनुसार या आइसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII ए के अनुसार संस्थागत स्थानन कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थागत निवेशकों को बैंक के इक्विटी/वरीयता शेयरों / प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।"

'' यह भी संकल्प किया गया कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन सार्वजनिक निर्गम, राइट निर्गम, सेबी के विनियम (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ), 2014 **(''एसबीइबी विनियम'')** के जरिए कर्मचारियों को इक्विटी शेयर या ऐसा अन्य निर्गम जो कि लागू विधि द्वारा उपलब्ध किया जा सके, अधिमान निर्गम के ज़रिए और / या निजी स्थानन के आधार पर अति आबंटन विकल्प सहित या विकल्प रहित किया जाएगा और इस तरह का प्रस्ताव, निर्गम, स्थानन और आबंटन अधिनियम, **आइसीडीआर विनियमन** और भा.रि.बैं, सेबी द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशों तथा लागू अनुसार किसी अन्य प्राधिकारियों के दिशानिर्देशों और ऐसी पद्धति में, ऐसे समय या समयों पर और ऐसे निबंधनों व शर्तों पर किया जाएगा, जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझता हो ।"

''यह भी संकल्प किया गया कि अग्रणी प्रबंधकों और/या अधोलेखकों और/ या अन्य सलाहकारों अथवा अन्यथा के साथ जहाँ आवश्यक हो वहॉ परामर्श करके ऐसे किसी रूप में जिसे वह उचित समझे, ऐसे मूल्य या मूल्यों को निश्चित करने का प्राधिकार बोर्ड को होगा, और उन निबंधनों और शर्तों पर होगा, जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आइसीडीआर विनियमनों, अन्य विनियमनों अथवा अन्य सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमनों और दिशानिर्देशों के अनुसार निश्चित करता है चाहे ऐसे निवेशक बैंक के वर्तमान सदस्य हों कि नहीं और मूल्य का नियतन आइसीडीआर विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के तहत निर्धारित मूल्य से कम पर नहीं होगा ।"

of such redeemable preference shares and the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued) of the face value of Rs.10 each and in any case not exceeding 354,97,76,735 equity shares as on date which together with the existing Paid-up Equity share capital shall be within the total authorized capital of the Bank of Rs.10000 crore, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the **Act** or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians **("NRIs")**, Companies, private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers **("QIBs")** like Foreign Institutional Investors **("FIIs")**, Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/ securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above or to QIBs under Institutional Placement Programme as per Chapter VIII A of ICDR Regulations, as may be deemed appropriate by the Bank".

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of public issue, rights issue, issue of equity shares to employees through SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 **("SEBI Regulations")**, preferential issue and/or private placement, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Act, **ICDR Regulations** and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations".

''आगे यह भी संकल्प किया गया कि संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए यूनिफॉर्म लिस्टिंग करार के प्रावधानों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के प्रावधानों (लिस्टिंग बाध्यताएं व प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015, **(''एलओडीआर''), अधिनियम के प्रावधानों, विनियम के प्रावधानों,** आइसीडीआर विनियमन के प्रावधानों, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों और विदेशी विनिमय प्रबंधन (भारत से बाहर रहनेवाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गमन) विनियमन 2000 के प्रावधानों के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ), विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआइपीबी), औद्योगिक नीति व प्रोत्साहन विभाग, (डीआइपीपी) वाणिज्य मंत्रालय और यथा वांछित अनुसार अन्य सभी प्राधिकारियों (आगे जिनका ''समुचित प्राधिकारीगण'' के रूप में संदर्भ लिया जाएगा) दिये जाने वाले आवश्यक अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और / या मंजूरियों, की शर्त पर और उन शर्तों पर जोकि ऐसे अनुमोदन, ऐसी सहमति, अनुमति और/या मंजूरी (आगे से जिसे ''अपेक्षित अनुमोदन'' कहा जाएगा) प्रदान करते समय उनमें से किसी के भी द्वारा निर्धारित किये जाते हैं तथा जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत निश्चित करता है, ईक्विटी शेयरों या किन्ही भी प्रतिभूतियों को एक या अधिक किस्तों में समय समय पर निर्गमित प्रस्तावित तथा आबंटित किया जा सकता है केवल उन वारंटों को छोड़कर जो बाद की तिथि में ईक्विटी शेयरों के साथ विनिमयित किये जा सकते है या परिवर्तित किये जा सकते हैं, वह भी इस तरह कि किसी भी समय केन्द्रीय सरकार का धारण बैंक की ईक्विटी पूंजी में 52 से कम न हो और यह स्थानन या आबंटन क्यूआइबियों (आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII में परिभाषित अनुसार) को, योग्यताप्राप्त संस्थात्मक स्थानन (क्यूआइपी) होने के अनुक्रम में जैसा कि आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के तहत प्रावधानित किया गया है और/ या संस्थानन स्थानन कार्यक्रम (आइपीपी) के अनुसरण में जैसा कि आइसीडीआर विनियमों के अध्याय VIIIए में प्रदान किया गया है, किसी स्थानन दस्तावेज़ और/या ऐसे अन्य दस्तावेज़ों / लेखनों / परिपत्रों / ज्ञापनों के द्वारा तथा ऐसे रूप में और ऐसे मूल्य पर, निबंधनों और शर्तों पर , जो कि आइसीडीआर विनियमनों के अनुसार या कानून के उन अन्य प्रावधानों के अनुसार जो कि उस समय विद्यमान है, बोर्ड द्वारा निश्चित किये गये हैं, बशर्ते इस प्रकार निर्गमित इक्विटी शेयरों का प्रीमियम सहित मूल्य आइसीडीआर विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम न हो ।''

''यह भी संकल्प किया गया कि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूची करार के प्रावधानों के अनुसार आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के क्रम में योग्यताप्राप्त संस्थागत स्थानन के मामले में प्रतिभूतियों का आबंटन आइसीडीआर विनियमनों के अध्याय VIII की परिभाषा के भीतर ही योग्यताप्राप्त संस्थागत खरीददारों को किया जाएगा और ऐसी प्रतिभूतियाँ पूर्णत: प्रदत्त होंगी और इन प्रतिभूतियों का आबंटन संकल्प की तिथि से 12 महीनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा ।''

''यह भी संकल्प किया गया कि क्यूआइपी निर्गम के मामले में प्रतिभूतियों के शुरुआती मूल्य पर पाँच प्रतिशत से अनधिक की छूट पर आइसीडीआर विनियमन के विनियम 85(1) के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक शेयर देने को प्राधिकृत है तथा प्रतिभूतियो के शुरुआती मूल्य निर्धारण की संबंधित तिथि को आइसीडीआर विनियमनों के अनुसार रखा जाएगा । ''

"RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Uniform Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, **("LODR")** the provisions of the Act, the provisions of Regulations, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of SEBI, Stock Exchanges, RBI, Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board may, at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 52% of the Equity Capital of the Bank, to QIBs (as defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations) pursuant to a Qualified Institutions Placement (QIP) as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, and / or Institutional Investors pursuant to Institutional Placement Programme (IPP), as provided for under Chapter VIIIA of the ICDR Regulations through a placement document and/ or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time; provided the price inclusive of the premium of the equity shares so issued shall not be less than the price arrived in accordance with the relevant provisions of ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a QIP made pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations, the allotment of Securities shall only be to QIBs within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of passing of this resolution".

"RESOLVED FURTHER THAT in case of QIP issue, the Bank in pursuance to proviso to Regulation 85(1) of ICDR Regulations is authorized to offer shares at a discount as prescribed by ICDR Regulations from time to time and relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations".

''यह भी संकल्प किया गया कि किसी मंजूरी, हामी, स्वीकॉति और / या भारत सरकार, सेबी, भारिबैं और स्टॉक एक्सचेंजों की मंजूरी की शर्त पर, जो भी अपेक्षित हो और सभी अन्य आवश्यक मंजूरियों, अनुमतियों, सहमतियों की शर्त पर और / या सम्बन्धित सांविधिक एवं अन्य उचित प्राधिकारियों की मंजूरी और उसमें ऐसे नियमों, शर्तों और आशोधनों की शर्त पर जो इनमें से किसी के भी द्वारा निर्धारित किया गया हो जो ऐसी स्वीकृतियों, अनुमतियों, हामियों और मंजूरियों को देते हुए प्रदान की गई हों जिस पर बोर्ड सहमत हुआ हो, एत्‌ारा बोर्ड को हामी, प्राधिकार एवं मंजूरी प्रदान की जाती है वो प्रत्येक रुपए 10 की फेस मूल्य के इक्विटी शेयर (''इक्विटी शेयर'') सेबी आइसीडीआर विनियम के अद्याय VIIIए के अनुसरण में योग्यताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं को संस्थागत स्थानन कार्यक्रम **(''आइपीपी'')** के जरिए ताजा ईक्विटी शेयर इस प्रकार सृजित, प्रस्तावित, निर्गम और आबंटित कर सके ताकि 'पब्लिक' (प्रतिभूति संविदाओं (विनियम) में परिभाषितानुसार) नियम, 1957 यथासंशोधित **(''एससीआरआर'')** द्वारा धारित ईक्विटी शेयरों की कुल संख्या, ऐसे प्रस्तावों के पूर्ण होने के फौरन बाद लाभांश पात्रता के लिए परी पसू समेत जो भी लागू हो, ऐसी प्रतिभूतियों के आबंटन की तिथि तक बकाया ईक्विटी शेयरों की कुल संख्या का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।''

''यह भी संकल्प किया गया कि बोर्ड के पास भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक / भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड / स्टॉक एक्सचेंजों, जहाँ बैंक के शेयर लिस्ट किये गये हैं या ऐसे अन्य किसी समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और निर्गमों से संबंधित मंजूरियों, आबंटन और उनकी लिस्टिंग, जैसा कि बोर्ड द्वारा सहमत हो, वांछित अथवा निर्देशित अनुसार प्रस्ताव में किसी भी संशोधन को स्वीकार करने का प्राधिकार व अधिकार होगा तथा इस संबंध में बैंक के शेयरधारकों से कोई अन्य अनुमोदन अपेक्षित नहांह होगा।''

''यह भी संकल्प किया गया कि ऐसी घोषणाओं के समय प्रभावी सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार अनिवासी भारतीयों, विदेशी संस्थागत निवेशकों और /या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को नये इक्विटी शेयर/प्रतिभूतियां का आबंटन यथासंशोधित विनियम की शर्त पर होगा तथा घोषित लाभांश,यदि कोई है तो, समेत बैंक के मौज़ूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होंगी और अनिवासी भारतीय/एफआआइ तथा/ या अन्य पात्र विदेशी निवेश को ऐसे आबंटन और निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की शर्त पर विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत किया जाएगा परंतु अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर लागू अनुसार ही किया जाएगा ।''

''यह भी संकल्प किया गया कि इक्विटी/अधिमान्य शेयरों / प्रतिभूतियों के ऐसे निर्गम से संबंधित किसी बुक रनर(रों), अग्रणी प्रबंधक(कों), बैंकर(रों), हामीदार(रों), डिपाज़िटरी(स), रजिस्ट्रार(रों), लेखापरीक्षक(कों) और ऐसे सभी अभिकरणों के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाएं निष्पादित करने और ऐसी सभी संस्थाओं और अभिकरणों को कमीशन, दलाली, शुल्क के संबंध में तथा उनके परामर्श से निर्गम(ों) के निबंधनों व प्रकार निर्धारित करने, निवेशकों के संवर्ग सहित जिन्हें शेयर/प्रतिभूति आबंटित किए जानेवाले हैं, उनमें से प्रत्येक वर्ग को आबंटित किए जानेवाले शेयरों / प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (यदि प्रीमियम हो तो वह भी शामिल है), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि / प्रतिभूतियों का परिवर्तन / वारंट बदलना / प्रतिभूतियों की परिपक्वता राशि लेना, ब्याज दर, परिपक्वता अवधि, प्रतिभूतियों का परिवर्तन या परिपक्वता या निरसन पर ईक्विटी शेयरों / अधिमान्य शेयरों

"RESOLVED FURTHER THAT subject to any approval, consent, permission and/or sanction of GOI, SEBI, RBI and the stock exchanges, as may be required and subject to all other necessary approvals, permissions, consents and/or sanctions of concerned statutory and other relevant authorities and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by any of them while granting such approvals, permissions, consents and sanctions and which may be agreed to by the Board, consent, authority and approval is hereby accorded to the Board to create, offer, issue and allot equity shares of face value of Rs.10 each (the "Equity Shares") by way of fresh issue of Equity Shares through an Institutional Placement Programme **("IPP")** to qualified institutional buyers in accordance with Chapter VIIIA of the SEBI ICDR Regulations, such that the total number of Equity Shares held by the 'public' (as defined in the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 as amended **("SCRR")**, immediately at the completion of such offerings does not exceed 25 percent of the total number of outstanding Equity Shares as at the date of allotment of such Securities, including pari passu clause for dividend entitlement, as may be applicable."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board and no further approvals in this regard would be required from the shareholders of the Bank".

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / securities, shall be subject to the Regulations as amended and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank including dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration and such issue and allotment, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies, to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like in consultation with them to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/ securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds,

या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, मूल्य,प्रतिभूतियों का निर्गम/परिवर्तन पर प्रीमियम / बट्टा, ब्याज दर,परिवर्तन की अवधि, लेखा बंदी और संबंधित या विविध मामलों हेतु रिकार्ड तारीख का नियतन करने, भारत में और / या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज मे सूचीबद्ध करने,जैसे मंडल उचित समझे,के लिए मंडल को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाए और ऐसे कार्यों, दस्तावेजों और करारों को निष्पादित करने जिन्हें वे आवश्यक,उचित या वांछनीय समझें और सार्वजनिक प्रस्ताव,निर्गम, आबंटन और निर्गम राशि की उपयोगिता के संबंध में कोई संदेह या प्रश्न हो तो उन्हें सुलझाने या अनुदेश देने या निदेश देने हेतु तथा निबंधनों व शर्तों के संबंध में किए जानेवाले ऐसे संशोधनों, परिवर्तनों, बदलावों, जोड, विलोपनों आदि पर बैंक के हित हेतु अपने विवेकाधिकार में कार्रवाई करने, जिसके लिए बैंक और मंडल को दिए गए सभी या किसी अधिकारों के अनुसार सदस्यों से और अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है और इस संकल्प पर मंडल द्वारा कार्य करने हेतु मंडल को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाए ।"

''यह भी संकल्प किया गया कि ऐसे शेयरों / प्रतिभूतियों जो अभिदानित नहीं हैं, का निपटान बोर्ड द्वारा उसके परम विवेकाधिकार के तहत इस प्रकार किया जाए जैसा बोर्ड उचित समझे और जैसा कानून द्वारा अनुमत हो और यह कि बोर्ड को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाए कि वह प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक/(कों) या बनी हुई/ अब से बनाई जाने वाली निदेशकों की समिति को प्रदत्त सभी या कोई एक अधिकार प्रत्यायोजित कर सके कि उपर्युक्त संकल्प प्रभावी हो सके । ''

3. आगे, **कर्मचारियों** को शेयर जारी करने पर विचार करना :

निम्नलिखित संकल्पों पर **विशेष संकल्प** के रूप में विचार करना और उपयुक्त समझे जाने पर पारित करना:

''संकल्प किया जाता है कि बैंकिग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम 1970 **(अधिनियम),** राष्ट्रीय बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970 **(योजना),** सेबी (सूचीबद्ध बाध्यता व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 **(एलओडीआर),** 2008 तक संशोधित इण्डियन ओवरसीज़ बैंक **(शेयर व बैठक)** विनियम 2003 **(विनियम)** और एलओडीआर के अनुसार बीएसई लिमिटेड व नैशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए यूनिफॉर्म लिस्टिंग समझौते के प्रावधानों की शर्त पर (तत्संबंधी किसी संशोधन या उसके अधिनियमन) तथा विनियमों के **विनियम** 4ए तथा भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम 2014 (समय समय पर किसी भी सांविधिक संशोधन (ओं), संशोधन (ओं), अधिनियमन समेत) के प्रावधानों के अनुसार है। **(सेबी शेयर आधारित विनियम)** और **भा.रि.बै, भारत सरकार, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज** के अनुमोदन, सहमति व मंज़ूरी के अधीन जिनमें बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं जहाँ कहीं लागू हों और किसी भी प्राधिकारी के किसी भी लागू अनुमोदन (नों), अनुमति (यों) तथा मंज़ूरी (यों), किसी भी स्तर पर और किसी भी शर्तो व संशोधनों जैसा कि एसे प्राधिकारियों द्वारा ऐसे अनुमोदन (नों), अनुमति (यों) तथा मंज़ूरी (यों) को देते हुए निर्दिष्ट या लगाया गया हो और जो कि बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाए, बोर्ड को ऐसे कर्मचारियों, बेशक वे भारत या विदेश में कार्यरत हों, को एक या अधिक बार में देने, ऑफर करने, निगमन,

documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board as the Board in its absolute discretion deems fit".

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law and that the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director and Chief Executive Officer or to the Executive Director/(s) or to Committee of Directors constituted/hereafter constitute to give effect to the aforesaid Resolutions."

3. To consider further issue of shares to **Employees:**

To consider and if thought fit, to pass, the following Resolution as a **Special Resolution:**

"RESOLVED THAT subject to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 **(Act)**, The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 **(Scheme)**, Regulation 41 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 **(LODR)**, the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 **(Regulations)** as amended upto 2008 and the provisions of the Uniform Listing Agreements entered into with the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited **(Stock Exchanges)** as per LODR (including any amendment thereto or re-enactment thereof) and in accordance with the provisions of Regulation 4A of the **Regulations** and the Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 (including any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment from time to time) **("SEBI Regulations")**, and subject to the approval, consent and sanction of **RBI, GOI, SEBI, Stock Exchange**(s) in which Bank's equity shares are listed, wherever applicable, and subject to any applicable approval(s), permission(s) and sanction(s), at any stage, of any authority and subject to any condition(s) and modification(s) as may be prescribed or imposed by such authorities while granting such approval(s), permission(s) and sanction(s) and which may be agreed to and accepted by the Board, consent be and is hereby accorded to the Board to grant, offer, issue and allot, in one or more tranches, to such permanent employees, whether working

आबंटन करने के लिए, जो कि बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकों **(कर्मचारियों),** जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित हो, रु. 10 प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य के 24,45,00,000 तक इक्विटी शेयरों, कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना **(आगे से ''एसबीईबी-ईएसपीएस 2018" के रूप में संदर्भित)** के तहत बोर्ड द्वारा निर्धारितानुसार लाभांश के भुगतान समेत सभी संदर्भो में बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ-साथ ऐसे मूल्य या मूल्यों तथा बोर्ड द्वारा निर्धारितानुसार ऐसे निबंधन व शर्तों पर सहमति को दर्ज किया जाता है।"

''इसके अतिरिक्त संकल्प लिया जाता है कि बैंक भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम 2014 के विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों या किसी सांविधिक आशोधन(नों), संशोधन (नों) या उसके अधिनियमन का पालन करेगा।"

''इसके अतिरिक्त बोर्ड को स्टॉक एक्सचेंज के साथ शामिल एकरूप सूचीबद्ध करार के निबंधन व शर्तो व अन्य लाग दिशानिर्देशों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों जहाँ बैक के शेयर सूचीबद्ध हैं **''एसबीईबी-ईएसपीएस 2018"** के तहत आबंटित इक्विटी शेयरों की लिस्टिंग के लिए आवश्यक कदम उठाने को प्राधिकृत करने का संकल्प लिया जाता है।"

''इसके अतिरिक्त बोर्ड को ऐसे निबंधन व शर्तो, जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित हो, पर ''एसबीईबी-ईएसपीएस 2018" के कार्यान्वयन, गठन, प्रभाव में लाने तथा समय-समय पर ''एसबीईबी-ईएसपीएस 2018" के निबंधन व शर्तो में संशोधन, परिवर्तन करने के लिए, जिसमें कीमत, अवधि, पात्रता मानदंड या ''एसबीईबी-ईएसपीएस 2018" को इस तरीके से जैसे कि बोर्ड अपने विवेकाधिकार में निर्णय करे, सस्पेंड, आहरण, निरस्त या संशोधित करना शामिल है , और साथ ही **''एसबीईबी-ईएसपीएस 2018"** के कार्यान्वयन तथा प्रस्तावित **''एसबीईबी-ईएसपीएस 2018"** के अनुपालन में ज़ारी शेयरों के संबध में उठे प्रश्नों, कठिनाइयों या संदेहों के निपटान हेतु, जिसमें शेयरधारकों की अन्य सहमति या अनुमोदन अपेक्षित नहीं है या शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकारी द्वारा अपना अनुमोदन दे दिया है, प्राधिकृत करने का संकल्प लिया जाता है।"

''इसके अतिरिक्त यह सकंल्प किया गया कि निदेशकों की समिति (यों), प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक (को) या बैंक के कुछ अन्य अधिकारी (यों) को इसमें प्रदत्त सभी या कुछ अधिकारों को प्रत्यायोजित करने के लिए बोर्ड को एत्‌द्वारा प्राधिकृत किया जाए जोकि भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 व अन्य लागू विधि के अनुपालन में उक्त संकल्प को प्रभावित करने के लिए उपयुक्त माने जाए।"

निदेशक मंडल के आदेश से

चेन्नै
11.06.2018

(आर सुब्रमण्यकुमार)
प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

in India or outside India, which expression shall include the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director(s) of the Bank **("The Employees")**, as may be decided by the Board, up to 24,45,00,000 equity shares of face value of Rs. 10/- (Rupees Ten only) each, ranking pari-passu with the existing equity shares of the Bank for all purpose and in all respects, including payment of dividend, as may be decided by the Board under an Employee Stock Purchase Scheme (hereinafter referred to **"SBEB-ESPS 2018"**), at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board in its absolute discretion."

"RESOLVED FURTHER THAT the Bank shall conform to the accounting policies as specified in Regulation 15 of the Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 or any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment thereof."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to take necessary steps for listing of the equity shares allotted under the **"SBEB-ESPS 2018"**, on the stock exchanges where the shares of the Bank are listed, as per the terms and conditions of the uniform listing agreements entered into with the stock exchanges and other applicable guidelines, rules and regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to implement, formulate, evolve, decide upon and bring into effect the **"SBEB-ESPS 2018"**on such terms and conditions as may be decided by the Board and to make any modification(s), change(s), variation(s), alteration(s) or revision(s) in the terms and conditions of the **"SBEB-ESPS 2018"**, from time to time, including but not limited to, amendment(s) with respect to price, period, eligibility criteria or to suspend, withdraw, terminate or revise the **"SBEB-ESPS 2018"**in such manner as the Board may determine in its sole discretion and also to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in relation to the implementation of the **"SBEB-ESPS 2018"**and to the shares to be issued pursuant to the proposed **"SBEB-ESPS 2018"**without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders or otherwise to the end and intent that the Shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by authority of this resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Committee(s) of Directors, the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution in compliance to Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 and other applicable laws.

By order of the Board of Directors

Chennai
11.06.2018

(R Subramaniakumar)
Managing Director & CEO

नोट्स

1. बैठक के कारोबार के संबंध में भौतिक तथ्यों को निर्धारित करने वाला व्याख्यात्मक वक्तव्य यहां संलग्न है।

2. प्रॉक्सी की नियुक्ति :

बैठक में उपस्थित होने और वोट करने के लिए पात्र शेयरधारक स्वयं अपने स्थान पर उपस्थित होने और वोट करने के लिए किसी प्राक्सी को नियुक्त करने के लिए पात्र है और प्राक्सी बैंक का शेयरधारक हो, यह ज़रूरी नहीं है।

बहरहाल प्रतिनिधि की नियुक्ति के संबंध में पत्र, बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में बैठक प्रारंभ होने के चार दिन पहले अर्थात् बुधवार दिनांक **6 जुलाई 2018 को अपराह्न 5.00 बजे** तक या पहले जमा कर देना चाहिए।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

कोई भी व्यिक्त कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में तब तक भाग लेने के लिए पात्र नहीं हो सकता या वोट नहीं दे सकता जब तक कि उसे किसी कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हुए पारित संकल्प की सत्यापित प्रति, जो कि उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित् की हो,जिसमें प्रतिनिधि की नियुक्ति का संकल्प पारित है, बैंक के केंद्रीय कार्यालय में बैठक की नियत तारीख से चार दिन पहले अर्थात दिनांक 6जुलाई 2018 को अपराह्न 5.00 बजे तक या पहले जमा नहीं की जाती है।

4. बैंक के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

5. प्रवेश पर्ची :

शेयरधारकों की सुविधा के लिए, उपस्थिति पर्ची इस नोटिस से जुड़ी हुई है। शेयरधारकों / प्रॉक्सी धारकों / अधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उस स्थान पर उनके हस्ताक्षर करें और स्थल पर इसे जमा करें करें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी / अधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची पर "प्रॉक्सी" या "अधिकृत प्रतिनिधि" के रूप में मामले के रूप में होना चाहिए

6. शेयर धारकों का रजिस्टर को बंद करना :

शेयरधारकों के रजिस्टर और बैंक की शेयर अंतरण बहियाँ 04.07.2018 (बुधवार) से 11.07.2018 (बुधवार) (दोनों दिनों सहित) तक बंद रहेंगी ।

7. अदावी लाभांश, यदि कोई हो

2010-2011 के बाद से जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वॉरण्ट को नहीं भुनाया/ लाभांश नहीं प्राप्त किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अनुलिपि वारंट जारी करने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेण्ट से संपर्क करें।

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 बी में हुए संशोधन के अनुसार अदावी लाभांश खाते में अन्तरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि के लिए भुगतान न किए गए या अदावी शेष लाभांश की रकम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आई ई पी एफ) में अन्तरित करनी है।

8. पते में परिवर्तन :

जिन शेयरधारकों के शेयर भौतिक रूप में हैं, उन मामलों में, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने पते में परिवर्तन को निम्नलिखित पते पर,

NOTES

1. The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ELIGIBLE TO ATTEND AND VOTE, IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The instrument appointing proxy should, however be deposited at the Central Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting **i.e. on or before 6th July, 2018, 5.00 p.m.**

3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the shareholders of Indian Overseas Bank as the duly authorised representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Central Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting **i.e. on or before 6th July, 2018, 5.00 p.m.**

4. No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative or proxy of a shareholder.

5. ATTENDANCE SLIP

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

6. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **04.07.2018 (Wednesday) to 11.07.2018 (Wednesday)** (both days inclusive).

7. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend from **2010-11** onwards are requested to contact the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank for issue of duplicate.

Pursuant to the amendment of the Act, Section 10B provides that the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government under Section 125 of the Companies Act, 2013 (Section 205C of The Companies Act, 1956).

8. CHANGE OF ADDRESS:

In case of shareholders holding shares in physical form, they are requested to intimate to the Registrar and Share Transfer

रजिस्ट्रार-व शेयर-अंतरण एजेंट को भेज दें:

मेसर्स कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेस लिमिटेड
(आइओबी-यूनिट) 5वां तल, सुब्रमणियन बिल्डिंग, नं.1 - क्लब हाउस रोड, चेन्नै - 600 002

शेयर इलेक्ट्रानिक फार्म अर्थात डीमैट खाते के माध्यम से रखने वाले जो शेयरधारक, अपने लाभांश वारंट इत्यादि पर अपने पते में हुए परिवर्तन की सूचना अपने डिपाज़िटरी प्रतिभागी को दे दें।

9. फोलियो का समेकन :

यह पाया गया है कि कई शेयरधारक एक से अधिक फोलियो यानि विविध फोलियो रखते हैं । कुशल सेवा प्रदान करने के लिए हम शेयरधारकों स अनुरोध करते हैं कि वे अपने शेयर प्रमाणपत्रों को हमारे रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट को उनके रिकॉर्ड में आवश्यक सुधार हेतु भेजते हुए फोलियो का समेकन करें।

10. वोटिंग अधिकार

अधिनियम की धारा 3 के उप-खंड (2ई) के प्रावधानों के अनुसार समवर्ती नए बैंक के किसी भी शेयरधारक को केंद्र सरकार के अलावा, अपने द्वारा धारित किसी भी शेयर के सम्बन्ध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। अधिनियम, विनियम अधिनियम, योजना एवं विनियमों में किसी प्रकार के संशोधन के मामले में जिसकी वजह से सूचना में दी गई वर्तमान प्रक्रिया में किसी या हिस्से में बदलाव होता है तो संशोधन ही मान्य होगा।

11. रिमोट ई-वोटिंग

एलओडीआर विनियम एवं स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टिंग करार के अनुसरण में बैंक को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने में खुशी हो रही है जिससे शेयरधारक अपना वोट सूचना में वर्णित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट दे पाएंगे, इसके लिए बैंक ने ई-प्लेटफॉर्म सुविधा प्रदान करने के लिए **सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)** को ई-वोटिंग एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया है। ई-वोटिंग वैकल्पिक है। शेयरधारकों / लाभकर्ताओं द्वारा बुधवार तक धारित इक्विटी शेयरों के सम्बन्ध में ही उनके वोटिंग अधिकारों को गणना में लिया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए वृहस्पतिवार 29.06.2018 शुक्रवार अंतिम तिथि है। बैंक के शेयरधारक जिनके पास अंतिम तिथि तक बैंक के शेयर भौतिक या अमूर्त रूप में हैं, वे अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डाल सकते हैं।

12. 11.07.2018 को वोटिंग प्रक्रिया

कार्यवृत्त मदों पर चर्चा के पश्चात, कार्यवृत्त मदों के सम्बन्ध में बैंक वोटिंग आयोजित करेगा। वोटिंग का आयोजन और उसका पर्यवेक्षण इस उ`श्य के लिए नियुक्त जांचकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। सामान्य बैठक के स्थान पर मौजूद शेयरधारकों / प्रॉक्सी(यों)/ प्राधिकृत प्रतिनिधि(यों) द्वारा वोटिंग प्रक्रिया के अंतर्गत वोट डाला जा सकता है। हालांकि, शेयरधारक जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट पहले ही डाल दिया है वे बैठक के स्थान पर वोटिंग प्रक्रिया में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे। वोटिंग की समाप्ति के बाद, अध्यक्ष इस बैठक को समाप्त घोषित करेंगे।

13. वोटिंग परिणाम

बैंक ने रिमोट ई-मतदान प्रक्रिया आयोजित करने और बैठक में भौतिक मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए मेसर्स आर श्रीधरन एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

Agent of the Bank any change in their address to

M/s. Cameo Corporate Services Ltd. (Unit - IOB)
V floor, Subramanian Building,
No. 1, Club House Road, Chennai 600 002

In case of shareholders holding shares in Electronic form i.e. through Demat account, they are requested to intimate to their depository participant any change in their address.

9. CONSOLIDATION OF FOLIOS:

It has been found that many shareholders maintain more than one folio (i.e.) multiple folios. In order to provide efficient service, we request the shareholders to consolidate the folios by forwarding their share certificates to Registrar and Share Transfer Agents for necessary corrections in their records.

10. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Act no shareholder of the corresponding new Bank other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. In case of any amendments to the Act, Regulation Act, Scheme and Regulations which would result in change of any or part of the existing process as laid in this Notice, the amendment shall prevail.

11. REMOTE E-VOTING

Pursuant to LODR Regulations and the Uniform Listing Agreements with stock exchanges, your Bank is pleased to provide Remote e-voting facility to enable shareholders to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice for which Bank has appointed **Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL)** as e-voting agency to provide the remote e-voting platform. E-voting is optional. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on Friday, 29.06.2018 being the Cut-off Date for the purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off Date, may cast their vote electronically.

12. VOTING PROCESS on 11th July 2018

After the agenda item have been discussed, the Bank will conduct voting in respect of the agenda items. Voting will be conducted and supervised by the Scrutinizer appointed for the purpose. The shareholders/Proxy (ies)/Authorised Representative(s) present at the venue of the annual general meeting can exercise their votes through voting process. However, the shareholders who have already cast their votes through remote e-voting will not be entitled to participate in the voting process at the venue of the meeting. After conclusion of the voting, the Chairman will declare the meeting as closed.

13. VOTING RESULT

The Bank has appointed M/s R Sridharan & Associates, Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process and the physical voting process at the meeting in a fair and transparent manner.

संवीक्षक एजीएम के समापन पश्चात, एजीएम मतदान के खत्म होने पर 48 घंटों के अंदर, बैठक के अध्यक्ष को विशेष प्रस्ताव के पक्ष में या उसके पक्ष में कुल वोटों की एक समेकित रिपोर्ट जारी करेगा।

वोटिंग परिणाम बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों में घोषित किए जाएंगे, बैंक की वेबसाइटों और सीडीएसएल, ई-वोटिंग एजेंसी में होस्ट किए जाएंगे।

रिमोट ई-वोटिंग के लिए अनुदेश निम्न प्रकार से हैं :

सदस्यों से आग्रह है कि वे ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट डालने के लिए निम्न अनुदेशों का पालन करें :

i) वोटिंग की अवधि 08.07.2018 को सुबह 9.00 बजे (आइएसटी) शुरू होगी और 10.07.2018 को शाम 5.00 बजे (आइएसटी) को समाप्त हो रही है। इस अवधि के दौरान कंपनी के शेयरधारकों को जो उन्हें भौतिक रूप में या बेकागज़ीकृत रूप में कटऑफ की तिथि 29.06.2018 धारित किए हुए हैं वे अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं। इसके बाद सीएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को असमर्थ कर दिया जाएगा।

ii) ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों को वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करना चाहिए।

(iii) शेयरहोल्डर्स पर क्लिक करें।

(iv) अब अपनी यूज़र आइडी प्रविष्ट करें

क. सीएसडीएल के लिए : 16 अंकों का लाभकर्ता आइडी

ख. एनएसडीएल के लिए : 8 कैरेक्टर की डीपी आइडी के बाद 8 अंकों की क्लाएंट आइडी

ग. भौतिक रूप में शेयरधारित करने वाले सदस्यों को कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो संख्या प्रविष्ट करनी चाहिए।

(v) इसके बाद प्रदर्शित अनुसार इमेज वेरिफिकेशन प्रविष्ट कीजिए और लॉग इन पर क्लिक करें।

(vi) यदि आपके पास शेयर डीमैट रूप में हैं और आप www.evotingindia.com पर लॉग आन कर पहले किसी अन्य कंपनी की वोटिंग में वोट डाल चुके हैं तब आपको मौजूदा पासवर्ड इस्तेमाल करना है।

(vi) यदि आप प्रथम बार उपयोग कर रहे हैं तो नीचे दिए कदमों का पालन करें :

	डीमैट और भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फा-न्यूमेरिक पैन प्रविष्ट करें (दोनों डीमैट और भौतिक रूप से शेयर धारित करने वालों पर लागू) • सदस्य जिन्होंने अपना पैन कंपनी / डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के पास अद्यतन नहीं कराया है उनसे अनुरोध है कि वे अपने नाम के पहले दो अक्षरों और पैन फील्ड में सिक्वेंस संख्याओं के 8 अंक का प्रयोग करें। • यदि सिक्वेंस संख्या 8 अंकों से कम है तो संख्या से पहले और अपने नाम के दो अक्षरों को कैपिटल लेटर में लिखने के बाद जितनी संख्याओं की आवश्यकता हो उतने '0' (शून्य) प्रविष्ट करें यानि यदि आपका नाम रमेश कुमार है और सिक्वेंस संख्या 1 है तब पैन फील्ड में आरए00000001 प्रविष्ट करें।

The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the AGM, within forty eight hours of the conclusion of the AGM, issue a consolidated Report of the total votes cast in favour of or against the Special Resolution to the Chairman of the meeting.

The Voting Results will be announced by the Bank to the stock exchanges, hosted in the websites of the Bank and CDSL, the e-voting agency.

The instructions for Remote E-Voting are as under:

Members are requested to follow the instruction below to cast their vote through e-voting:

(i) The voting period begins on 08.07.2018 at 9.00 a.m.(IST), and ends on 10.07.2018 at 5.00 p.m.(IST). During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date 29.06.2018 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

(ii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.

(iii) Click on Shareholders.

(iv) Now Enter your User ID

a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,

b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,

c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.

(v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

(vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.

(vii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Members who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field. • In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.

लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (डीओबी)	लॉग इन करने के लिए लाभांश बैंक या जन्म तिथि (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई प्रारूप में) प्रविष्ट करें जैसा कि आपके डीमैट खाते में या कंपनी में दर्ज़ है। • यदि दोनों विवरण डिपॉज़िटरी या कंपनी के पास दर्ज़ नहीं हैं तब कृपया लाभांश बैंक विवरण खाली स्थान में (iv) में दिए अनुदेशों के अनुसार सदस्य आइडी / फोलियो संख्या प्रविष्ट करें।

(viii) इन विवरणों को सही प्रकार से भरने के बाद "सबमिट" टैब पर क्लिक करें।

(xi) भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य इसके बाद सीधे कंपनी चयन की स्क्रिन पर पहुंच जाएंगे। हालांकि, डीमैट रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य 'पासवर्ड क्रिएशन' मेन्यू पर पहुंचेंगे यहां उन्हें अपना लॉग इन और पासवर्ड, नए पासवर्ड फील्ड में, अनिवार्य रूप से प्रविष्ट करना होगा। कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड को डीमैट शेयरधारकों द्वारा अन्य कंपनियों के संकल्पों की वोटिंग के लिए, जिनके लिए वे वोट करने के लिए पात्र हैं, वहां भी इस्तेमाल किया जाएगा बशर्ते कि कंपनी ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के प्लेटफॉर्म का विकल्प चुनती है। यह ज़ोर देकर बताया जा रहा है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य के साथ साझा नहीं करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें।

(x) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों का विवरण सिर्फ इस नोटिस में मौजूद संकल्प पर ई-वोटिंग के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

(xi) इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के ईवीएसएन पर क्लिक करें।

(xii) वोटिंग पेज पर आपको "रिजॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन" दिखाई देगा और उसी विकल्प में वोटिंग के लिए "यस/ नो" का विकल्प मिलेगा। अपनी इच्छा अनुसार यस या नो विकल्प का चयन करें। विकल्प यस का मतलब होगा कि आप संकल्प के पक्ष में हैं और विकल्प नो का अर्थ है कि आप संकल्प से सहमत नहीं है।

(xiii) यदि आपको पूरा संकल्प विवरण देखना है तो "रिजॉल्यूशन फाइल लिंक" पर क्लिक करें।

(xiv) वोट के लिए संकल्प का चयन करने के बाद "सबमिट" पर क्लिक करें। एक पुष्टि बॉक्स आपके सामने प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने वोट को पुष्ट करना चाहते हैं तो "ओके" को क्लिक करें अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए "कैंसिल" पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट बदलें।

(xv) संकल्प पर एक बार अपने वोट की "पुष्टि" करने के बाद आपको अपने वोट में बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xvi) आप वोटिंग पेज पर "क्लिक हियर टू प्रिंट" विकल्प से डाले गए वोटों का प्रिंट भी ले सकते हैं।

(xvii) यदि कोई डीमैट खाता धारक अपना लॉग इन पासवर्ड भूल गया है तो उसे यूज़र आइडी और इमेज वेरिफिकेशन कोड प्रविष्ट करना होगा और फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना होगा।

Dividend Bank Details **OR** Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login. • If both the details are not recorded with the depository or company please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).

(viii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(xi) Click on the EVSN of Indian Overseas Bank.

(xii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xiii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(xv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xvi) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xvii) If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xviii) शेयरधारक अपना वोट सीडीएसएल के मोबाइल एप एम-वोटिंग के जरिए भी डाल सकते हैं जो एंड्रॉएड आधारित मोबाइल पर उपलब्ध है। एम वोटिंग एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। एपल और विंडोज़ फोन इस्तेमाल करने वाले उपयोगकर्ता एप स्टोर या विंडोज़ फोन स्टोर से क्रमश: एप को डाउनलोड कर सकते हैं। अपने मोबाइल पर वोट करते हुए कृपया अपने मोबाइल पर आ रहे अनुदेशों का पालन करें।

(xix) गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों एवं अभिरक्षकों के लिए नोट

- गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों (यानि वैयक्तिक,एचयूएफ, एनआरआइ इत्यादि के अलावा) और संरक्षकों को www.evotingindia.com पर लॉग इन करना होता है और खुद को कॉरपोरेट के तौर पर पंजीकृत कराना होता है।
- पंजीकरण फॉर्म की स्कैन्ड प्रति जिस पर ईकाई का स्टैंप और हस्ताक्षर अंकित होता है उसे helpdesk.evoting@cdslindia.com को ईमेल किया जाएगा।
- लॉग इन विवरण प्राप्त करने के पश्चात एडमिन लॉग इन और पासवर्ड की मदद से एक अनुपालन उपयोगकर्ता सृजित करना होगा। अनुपालन उपयोगकर्ता उस खाते (खातों) को लिंक कर सकेगा जिनके लिए वे वोट करना चाहते हैं।
- लॉग इन में लिंक किए गए खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल की जानी चाहिए और खातों की मंजूरी मिलने के बाद वे अपना वोट डाल सकेंगे।
- बोर्ड संकल्प और मुख्तारनामा (पीओए) जिसे उन्होंने संरक्षक के पक्ष में जारी किया है, यदि कोई है तो, उसे पीडीएफ प्रारूप में संवीक्षक द्वारा जांच के लिए प्रणाली में अपलोड किया जाएगा।
- यदि ई-वोटिंग के सम्बन्ध में आपके प्रश्न हैं या मामले हैं तो आप अक्सर पूछे गए प्रश्नों ("एफएक्यू") और www.evotingindia.com पर हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल कर सकते हैं।
- जो लोग रीमोट ई-वोटिंग का विकल्प नहीं चुनते हैं वे इस नोटिस के व्याख्यात्मक विवरण अनुभाग में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार 11 जुलाई 2018 को होने वाली बैठक में मतदान के दौरान अपना वोट डाल सकते हैं।
- बैंक की असाधारण सामान्य बैठक के दिन या उसके बाद ई-वोटिंग के परिणाम घोषित किए जाएंगे। घोषित परिणाम को संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ बैंक के ईजीएम के दो दिनों के बाद बैंक की वेबसाइट यानि www.iob.in और सीडीएसएल की वेबसाइट यानि https://www.evotingindia.com पर डाला जाना चाहिए और एनएसई / बीएसई को भी सूचित किया जाना चाहिए।

निदेशक मंडल के आदेश से

चेन्नै
11.06.2018

(आर सुब्रमण्यकुमार)
प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(xviii) Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.

(xix) Note for Non – Individual Shareholders and Custodians

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com
- Those who do not opt for remote e-voting can cast their votes at the Poll to be conducted at the meeting on 11th July 2018 as per the procedure stated in the Explanatory Statement section of this Notice.
- The Results of the e-voting shall be declared on or after the AGM of the Bank. The Results declared along with Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website i.e. www.iob.in and on the website of CDSL i.e. https://www.evotingindia.com within two days of the AGM of the Bank and also communicated to NSE/BSE.

By order of the Board of Directors

Chennai
11.06.2018

(R Subramaniakumar)
Managing Director & CEO

नोटिस की कार्यसूची मद सं.2 के व्याख्यात्मक विवरण:

1. 31 मार्च 2018 को बेसल III के अनुसार बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 9.25% है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 9.00 से ज़्यादा है । फिर भी, बैंक की कुछ विस्तार योजनाओं के कारण, बेसल III मानदंड के कार्यान्वियन व तत्पश्चात पूंजी प्रभार के कारण पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और सुद्दएढ़ करने हेतु पूंजी को बढ़ाने की आवश्यकता है।

2. प्रदत्त पूंजी बढ़ाने के लिए अधिनियम की धारा 3(2बी)(सी) के निबंधनों के अनुसार बैंक भारत सरकार का आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा। तथापि, केन्द्रीय सरकार कr धारणा, बैंक की प्रदत्त पूंजी में किसी भी समय में 52 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

3. एलओडीआर विनियम का विनियम 41 प्रावधान करता है कि बैंक द्वारा निर्गम या कोई नया निर्गम जारी किया जाता है और शेयरधारकों द्वारा सामान्य बैठक में कोई दूसरा निर्णय नहीं लिया गया है तो वर्तमान शेयरधारकों को भी समानुपातिक रूप से दिया जाना चाहिए। यह संकल्प यदि पारित हो तो वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक रूप से करने के अलावा, प्रतिभूति आबंटित व जारी करने हेतु बैंक की ओर से मंडल को अनुमति है

4. संकल्प बैंक को समर्थ करता है कि वह सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमानी निर्गम और/या निजी स्थानन के आधार पर आबंटन के ज़रिए ईक्विटी शेयरों /अधिमानी शेयरों/प्रतिभूतियों के प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन कर सके । निर्गम राशि के कारण बैंक यह सुनिश्चित कर सकेगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताएं सुद्दढ़ हो जाए ।

5. संकल्प से यह भी अपेक्षित है कि आइसीडीआर विनियमन में उल्लिखितानुसार योग्य संस्थागत खरीदारों के साथ योग्य संस्थागत स्थानन करने हेतु निदेशक मंडल को अधिकार दिया जाए । शेयरधारकों से नया अनुमोदन प्राप्त किए बिना, निदेशक मंडल अपने विवेकाधिकार में आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के तहत उल्लिखित इस प्रणाली को बैंक के लिए निधि जुटाने के लिए अपनाएं।

   क्यू आइ पी निर्गम के मामले में, आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के निबंधनों के अनुसार प्रतिभूतियों का निर्गम क्यू आइ पी के आधार पर उस मूल्य पर किया जा सकता है जो कि संबंधित तारीख के पूर्व दो सप्ताह के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में सूचित साप्ताहिक उच्च व निम्न अंतिम मूल्यों के आनुपातिक मूल्य से कम न हो । संबंधित तारीख' का अर्थ है कि जिस तारीख को बैठक में बैंक क्यू आइ पी निर्गम खोलने के लिए बैंक का मंडल या समिति निर्णय लेता है ।

6. 31.03.2018 को बैंक की प्रदत्त पूँजी का 89.74% भारत सरकार व 10.26% पब्लिक धारण करती है। सेबी आइसीडीआर विनियमनों के अध्याय VIII के अंतर्गत संस्थागत प्लेसमेंट प्रोग्राम (आइपीपी) के अंतर्गत संस्थागत निवेशकों को एक या अधिक चरणों में ईक्विटी शेयर सृजित,ऑफर , प्रस्तावित, निर्गम और आबंटित करने के लिए बैंक शेयरधारकों के समक्ष समर्थ बनाने वाले संकल्प का प्रस्ताव रख रहा है।

7. प्रस्ताव के विस्तृत निबंधन व शर्तें वर्तमान बाज़ार स्थितियों व अन्य नियंत्रक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सलाहकारों, अग्रणी प्रबन्धकों और हामीदारों और ऐसे अन्य प्राधिकार या प्राधिकारों जैसे आवश्यक है, के साथ परामर्श करके निर्धारित किए जाएंगे ।

Explanatory Statement

Agenda No. 2

1. The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on March 31, 2018, as per Basel III is 9.25% and above the 9.00% stipulated by the Reserve Bank of India. However, with a view to comply with Basel III requirements relating to capital adequacy, there is an increasing need to raise capital to shore up the capital adequacy of the Bank and fund the general business needs of the Bank.

2. The Bank in terms of Section 3(2B)(c) of the Act will obtain requisite approval of the Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid up capital. However, the Central Government shall, at all times, hold not less than fifty-two per cent of the paid – up equity capital of the Bank.

3. Regulation 41 of the LODR Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

4. The Resolution seeks to enable the Bank to offer, issue and allot equity shares/preference shares/ securities by way of public issue, rights issue, preferential issue and/ or on a private placement basis. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.

5. The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a Qualified Institutions Placement with Qualified Institutional Buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

   In case of a QIP issue in terms of Chapter VIII of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made only at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

6. As on 31.03.2018, GOI holds 89.74% and the public holds 10.26% of the paid up capital of the Bank. Bank is proposing an enabling resolution before the shareholders to create, offer, issue and allot equity shares in one or more tranches to Institutional Investors under Institutional Placement Programme (IPP) under Chapter VIII A of SEBI ICDR Regulations.

7. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

8. चूंकि प्रस्ताव के मूल्यांकन का निर्णय बाद की तारीखों के अलावा नहीं लिया जा सकता, अत: जारी किए जानेवाले शेयरों का मूल्य बताना नामुमकिन है। तथापि यह आइसीडीआर विनियमन, अधिनियम और विनियमनों के प्रावधानों, जो समय समय पर संशोधित हैं या अन्य दिशानिर्देशों/ विनियमनों / सहमतियों जो लागू या आवश्यक हो, के अनुसार होगा ।

9. उक्त कारणों के कारण, और एक संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है जिससे मंडल को निर्गम के निबंधन निर्धारित करने हेतु पर्याप्त अधिकार दिया जा सकेगा ।

10. आंबटित इक्विटी शेयर सभी संदर्भों में लाभांश समेत बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे।

11. उक्त इश्यू से संबंधित शेयरों की कीमत सेबी (आइसीडीआर) विनियम, 2009 के अध्याय VIII / VIII के अनुसार की जाएगी।

इस उद्देश्य के लिए बैंक को विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है। तदनुसार, नोटिस के मद संख्या 2 में रखे गए प्रस्ताव हेतु विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति माँगी जा रही है।

निदेशक मंडल नोटिस में वर्णित संकल्पों को पास करने की संस्तुति देते हैं। बैंक के किसी भी निदेशक की, बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा की हद के अलावा, पूर्वकथि संकल्प(पों) में कोई दिलचस्पी नहीं है न ही वे चिंतित हैं।

इस नोटिस के एजेंडा मद 3 के लिए व्याख्यात्मक विवरण :

दीर्घ अवधि के संसाधनों द्वारा कारोबार के विस्तार हेतु निधियों की बढ़ती आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया, साथ ही पूँजी पर्याप्तता से संबंधित बेसल III की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए व पूँजी जुटाने की योजना के अनुसार, बैंक अपने कर्मचारियों को "एसबीईबी-ईएसपीएस 2018" के अंतर्गत शेयर जारी करने के लिए प्रस्तावित करता है। उक्त प्रस्ताव, यदि आवश्यक हो तो भारत सरकार/ भा.रि.बैं./ स्टॉक विनिमयों व अन्य नियामक निकायों से अनुमोदनों के अधीन होता है।

अब, बैंक ने उन शर्तों व निबंधन पर जैसा कि "एसबीईबी-ईएसपीएस 2018" के तहत वर्णित हैं अथवा बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार या "इक्विटी शेयरों को जारी करने के लिए निदेशकों की समिति" (समिति) के अनुसार बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकों सहित सभी स्थाई कर्मचारियों ("पात्र कर्मचारियों") को इक्विटी शेयर प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है जो कि निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ-साथ लागू विधि, नियमों, विनियमों व दिशानिर्देशों के अधीन होगी।

i. बैंक की वृद्धि व लाभप्रदता में सहयोग देने के लिए पात्र कर्मचारियों को प्रोत्साहन देना, बेहतर निष्पादन के लिए उनके प्रयत्नों को बढ़ावा देना;

ii. बैंक की वृद्धि के लिए पात्र कर्मचारियों को उनके लगातार समर्थन व सहयोग हेतु पुरस्कार देना;

iii. बैंक में स्वामित्व हित को प्राप्त करने के लिए पात्र कर्मचारियों द्वारा इक्विटी स्वामित्व को बढ़ावा देना।

आंबटित इक्विटी शेयर सभी संदर्भों में लाभांश समेत बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे।

एलओडीआर विनियमों का विनियम 41 बताता है कि जब कभी भी बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त इश्यू या ऑफर किया जा रहा है तो वर्तमान शेयरधारकों

8. As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Act and the Regulations as amended from time to time or any other guidelines / regulations / consents as may be applicable or required.

9. For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.

10. The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.

11. Pricing of Shares relating to the said issue shall be done in accordance with Chapter VIII / VIII A of SEBI (ICDR) Regulations, 2009.

For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Accordingly, the consent of the shareholders through a special resolution is being sought for the proposal as contained in item no. 2 of the Notice.

The Board of Directors recommends passing of the Resolution as mentioned in the notice. None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution, except to the extent of their shareholding in the Bank.

Agenda No. 3

In order to meet the growing requirement of funds for expanding the business by way of long term resources as may be decided by the Board, as also to comply with BASEL III requirements relating to capital adequacy, the Bank proposes to issue shares under "SBEB-ESPS 2018" to its employees. The said proposal is subject to approvals from GOI/RBI/Stock Exchanges and other regulatory bodies, if required.

Now, the Bank proposes to grant equity shares to all permanent employees of the Bank including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank ("Eligible Employees") on such terms and conditions as stated under "SBEB-ESPS 2018" or as may be decided by the Board or Committee of Directors for Issue of Equity Shares (Committee) subject to the applicable Laws, Rules, Regulations and Guidelines, inter-alia, with the following objectives:

i) Providing incentive to eligible employees, to stimulate their efforts towards better performance to contributing to the growth and profitability of the Bank;

ii) Rewarding eligible employees for their continued support and contribution towards the Bank's growth;

iii) Encouraging equity ownership by eligible employees by providing them with the means to acquire a proprietary interest in the Bank.

The equity shares issued as above shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

Regulation 41 of the LODR Regulations provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the

को समानुपातिक आधार पर वही प्रदान किया जाना चाहिए जबतक कि सामान्य बैठक में शेयरधारक निर्णय अन्यथा नहीं ले लेते। उक्त संकल्प, यदि पास हो जाता है तो वह बैंक की ओर से बोर्ड को वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर प्रतिभूतियाँ प्रदान करने के बजाए प्रतिभूतियाँ जारी व आबंटित करने के लिए अनुमति देगा।

इसके अतिरिक्त, सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 (सेबी विनियम) के विनियम 6 व 14 के अनुसार, बैंक की प्रतिभूतियों को शामिल करते हुए सभी कर्मचारियों की लाभ योजना सेबी विनियमों व इस संबंध में सेबी द्वारा तैयार किए गए अन्य दिशानिर्देशों, विनियमों आदि के अनुपालन में होंगी।

सेबी द्वारा परिपत्र सं. सीआइआर/सीएफडी/पॉलिसी सेल/2/2015 दिनांकित 16 जून, 2015 में वर्णितानुसार, निम्नलिखित **''एसबीईबी-ईएसपीएस 2018''** के व्यापक निबंधन व शर्तों के साथ होगा :

1. योजना का संक्षिप्त विवरण :

बैंक, उन निबंधन व शर्तों पर जैसा कि ''एसबीईबी-ईएसपीएस 2018'' के तहत वर्णित हैं अथवा बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार या ''इक्विटी शेयरों को जारी करने के लिए निदेशकों की समिति'' (समिति) के अनुसार बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकों सहित सभी स्थाई कर्मचारियों (''पात्र कर्मचारियों'') को इक्विटी शेयर प्रदान करने की इच्छा रखता है , इसके साथ ऑफर के समय, उपयुक्त प्रीमियम के साथ रु.10 के अंकित मूल्य पर 24.45 करोड़ के इक्विटी शेयरों से अधिक नहीं होना चाहिए।

2. प्रदान किए जाने वाले शेयरों की कुल संख्या

24,45,00,000 इक्विटी शेयरों को एसबीईबी-ईएसपीएस 2018 के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को प्रदान करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। हालांकि, एसबीईबी-ईएसपीएस 2018 के अनुसार, किसी पात्र कर्मचारी को प्रदान किए गए शेयर, यदि वे गैर-सब्सक्राइब रहते हैं तो वे इच्छुक पात्र कर्मचारियों को उसी कीमत पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जैसा कि बोर्ड या समिति द्वारा निर्णय लिया जाए।

3. एस.बी.ई.बी-ई.एस.पी.एस 2018 में भाग लेने व लाभार्थी बनने के हक़दार कर्मचारियों के वर्ग की पहचान

बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक समेत बैंक के सभी स्थाई कर्मचारी

4. वेस्टिंग की आवश्यकता व वेस्टिंग की अवधि

लागू नहीं

5. अधिकतम अवधि (विनियमों के विनियम 18(1) व 24(1),जैसा भी मामला हो, के अधीन) जिसके भीतर विकल्प/एसएआरएस/ लाभ प्रदान किया जाएगा

लागू नहीं

6. विकल्प प्रयोग मूल्य,एसएआर मूल्य, क्रय मूल्य या मूल्य निर्धारण फॉर्मूला

इक्विटी शेयरों के निर्गमन हेतु क्रय मूल्य या मूल्य निर्धारण फॉर्मुला का निर्धारण ऑफर के समय सेबी (एस.बी.ई.बी) विनियम के अनुसार निदेशकों की समिति द्वारा किया जाएगा।

existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

Further as per Regulations 6 & 14 of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 (SEBI Regulations) all employees' benefit schemes involving the securities of the Bank shall be in compliance with SEBI Regulations and any other guidelines, regulations etc., framed by SEBI in this regard.

As per the requirements enumerated by SEBI through Circular No. CIR/CFD/POLICY CELL/2/2015 dated 16th June, 2015 the following would inter-alia be the broad terms and conditions of the **"SBEB – ESPS 2018":**

1. BRIEF DESCRIPTION OF THE SCHEME:

The Bank desirous to grant equity shares to all permanent employees of the Bank including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank ("Eligible Employees") on such terms and conditions as stated under "SBEB-ESPS 2018" or as may be decided by the Board or Committee of Directors for Issue of Equity Shares (Committee) subject to the applicable Laws, Rules, Regulations and Guidelines, inter-alia, not exceeding 24.45 crore equity shares at a face value of Rs 10 each with appropriate premium, at the time of offer.

2. TOTAL NUMBER OF SHARES TO BE GRANTED

Up to 24,45,00,000 equity shares are proposed to be offered to the eligible employees under the SBEB – ESPS 2018. However, the portion of shares offered, pursuant to the SBEB – ESPS 2018, to any eligible employees, if remains unsubscribed, shall be made available to interested eligible employees at such price, as may be decided by the Board or Committee.

3. IDENTIFICATION OF CLASSES OF EMPLOYEES ENTITLED TO PARTICIPATE AND BE BENEFICIARIES IN THE SBEB – ESPS 2018

All permanent employees of the Bank including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank

4. REQUIREMENTS OF VESTING AND PERIOD OF VESTING

Not Applicable.

5. MAXIMUM PERIOD (SUBJECT TO REGULATION 18(1) AND 24(1) OF THE SEBI REGULATIONS, AS THE CASE MAY BE) WITHIN WHICH THE OPTIONS / SARs / BENEFIT SHALL BE VESTED

Not Applicable

6. EXERCISE PRICE, SAR PRICE, PURCHASE PRICE OR PRICING FORMULA

Purchase price or pricing formula will be determined by the Committee of Directors for Issue of Equity Shares as per SEBI Regulations at the time of offer.

7. विकल्प प्रयोग अवधि तथा विकल्प प्रयोग की प्रक्रिया

निर्गमन / ऑफर की तारीख से एक माह

8. एस.बी.ई.बी-ई.एस.पी.एस 2018 के लिए कर्मचारियों की पात्रता के निर्धारण हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया

शेयरों की ऑफरिंग / निर्गमन की तारीख तक बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक समेत बैंक के सभी स्थाई कर्मचारी लागू विनियामक अपेक्षाओं व दिशानिदेर्शों के अधीन भाग लेने के हक़दार होंगे।

9. प्रति कर्मचारी व समग्रता में ज़ारी विकल्प, एसएआर, शेयर, जैसा भी मामला हो, की अधिकतम संख्या

बैंक समग्रता में अधिकतम 24,45,00,000 इक्विटी शेयरों को ज़ारी करने का प्रस्ताव रखता है और प्रति कर्मचारी ज़ारी किए जाने वाले शेयर ज़ारी पूँजी के 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।

10. योजना के तहत प्रति कर्मचारी को प्रदान किए जाने वाले लाभ की अधिकतम प्रमात्रा

चूँकि नए शेयरों का एस.बी.ई.बी-ई.एस.पी.एस 2018 के तहत निर्गमन प्रस्तावित है, पात्र कर्मचारियों को कोई अन्य लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।

11. क्या योजना(ओं) को सीधे कंपनी द्वारा कार्यान्वित तथा एडमिनिस्टर किया जाना है या न्यास के ज़रिए

एस.बी.ई.बी-ई.एस.पी.एस 2018 सीधे बैंक द्वारा कार्यान्वित तथा एडमिनिस्टर किया जाएगा।

12. क्या योजना(ओं) में कंपनी द्वारा नए शेयरों का निर्गमन न्यास द्वारा द्वितीयक अधिग्रहण या दोनों शामिल है

एस.बी.ई.बी-ई.एस.पी.एस 2018 के तहत बैंक नए इक्विटी शेयरों को सीधे पात्र कर्मचारियों को ज़ारी करेगा।

13. कंपनी द्वारा न्यास को योजना(ओं) के कार्यान्वयन हेतु प्रदान की जाने वाली ऋण की राशि, उसकी अवधि, उपयोग, चुकतान निबंधन आदि:

चूँकि बैंक द्वारा एस.बी.ई.बी-ई.एस.पी.एस 2018 के तहत शेयरों को सीधे पात्र कर्मचारियों को जारी किया जाता है, न्यास के गठन या न्यास को ऋण प्रदान किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

14. सेकंडरी अधिग्रहण की प्रतिशतता (विनियमों के तहत निर्दिष्ट सीमा के अधीन) जिसे योजना(ओं) के लिए न्यास द्वारा किया जा सकता है

चूँकि बैंक द्वारा एस.बी.ई.बी-ई.एस.पी.एस 2018 के तहत शेयरो को सीधे पात्र कर्मचारियों को ज़ारी किया जाता है, न्यास के गन्यास द्वारा सेकंडरी अधिग्रहण का प्रश्न नहीं उठता।

15. कंपनी विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों के अनुरूप होगी, इस अर्थ की विवरणी

बैंक विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों के अनुरूप होगी।

7. EXERCISE PERIOD AND PROCESS OF EXERCISE

One month from the date of issue / offer.

8. THE APPRAISAL PROCESS FOR DETERMINING THE ELIGIBILITY OF EMPLOYEES FOR THE SBEB – ESPS 2018

All permanent employees including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank as on the date of offering/ issue of shares will be entitled to participate subject to the applicable regulatory requirements and guidelines.

9. MAXIMUM NUMBER OF OPTIONS, SARs, SHARES, AS THE CASE MAY BE, TO BE ISSUED PER EMPLOYEE AND IN AGGREGATE

The Bank proposes to issue maximum of 24,45,00,000 equity shares in aggregate and shares proposed to be issued per employee shall not exceed 1% of the issued capital.

10. MAXIMUM QUANTUM OF BENEFITS TO BE PROVIDED PER EMPLOYEE UNDER THE SCHEME

As the new shares are proposed to be issued under SBEB – ESPS 2018, no other benefits will be provided to eligible employees.

11. WHETHER THE SCHEME(S) IS TO BE IMPLEMENTED AND ADMINISTERED DIRECTLY BY THE COMPANY OR THROUGH A TRUST

SBEB – ESPS 2018 will be implemented and administered directly by the Bank.

12. WHETHER THE SCHEME(S) INVOLVES NEW ISSUE OF SHARES BY THE COMPANY OR SECONDARY ACQUISITION BY THE TRUST OR BOTH

Under the SBEB – ESPS 2018, the Bank will issue new equity shares directly to the eligible employees.

13. THE AMOUNT OF LOAN TO BE PROVIDED FOR IMPLEMENTATION OF THE SCHEME(S) BY THE COMPANY TO THE TRUST, ITS TENURE, UTILIZATION, REPAYMENT TERMS, ETC.;

As the shares are directly issued to the eligible employees under the SBEB – ESPS 2018 by the Bank, formation of the trust or providing loan to the trust does not arise.

14. MAXIMUM PERCENTAGE OF SECONDARY ACQUISITION (SUBJECT TO LIMITS SPECIFIED UNDER THE SEBI REGULATIONS) THAT CAN BE MADE BY THE TRUST FOR THE PURPOSES OF THE SCHEME(S)

As the shares are directly issued to the eligible employees under the SBEB – ESPS 2018 by the Bank, secondary acquisition by the trust does not arise.

15. A STATEMENT TO THE EFFECT THAT THE COMPANY SHALL CONFORM TO THE ACCOUNTING POLICIES SPECIFIED IN REGULATION 15

Bank will conform to the accounting policies specified in Regulation 15

16. प्रक्रिया जिसे कंपनी अपने विकल्पों या एसएआर के मूल्य निर्धारण के लिए प्रयोग करेगी।

चूँकि एस.बी.ई.बी-ई.एस.पी.एस 2018 के तहत सिर्फ शेयर ज़ारी किए जाते हैं, एसएआर के मूल्य निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता।

17. निम्नलिखित विवरणी, यदि लागू हो:

यदि कंपनी यथार्थ मूल्य के आधार पर शेयर आधारित कर्मचारी लाभ के विकल्प को नहीं चुनती है तो परिकलित कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत व उचित मूल्य के उपयोग पर आने वाले कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत के अंतर को निदेशक रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा और इस अंतर की वजह से कंपनी के लाभ व प्रति शेयर अर्जन ("ईपीएस") पर पड़ने वाले प्रभाव को भी निदेशक रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा।

बैंक उक्त अपेक्षाओं का आवश्यकता पड़ने पर पालन करेगा।

लॉक-इन अवधि:

एसबीईबी-ईएसपीएस 2018 के तहत ज़ारी इक्विटी शेयरों को सेबी सेबी विनियमों के अनुसार आबंटन की तारीख से न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए लॉक किया जाएगा। इस लिए बैंक को विशेश संकल्प के ज़रिए शेयरधारकों से सहमति प्राप्त करनी होगी। अत: उक्त प्रस्ताव हेतु आपकी सहमति का अनुरोध है।

निदेशक मंडल प्रस्तावित विशेष संकल्प के पारित होने को संस्तुत करता है। बैंक का कोई भी निदेशक उक्त संकल्प (पों) के प्रति इच्छुक नहीं है, बिना बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा के।

निदेशक मंडल के आदेश से

चेन्नै
11.06.2018

(आर सुब्रमण्यकुमार)
प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

16. THE METHOD WHICH THE COMPANY SHALL USE TO VALUE ITS OPTIONS OR SARs

As only the shares are issued under the SBEB – ESPS 2018, the valuation of options or SARs does not arise.

17. THE FOLLOWING STATEMENT, IF APPLICABLE:

'In case the company opts for expensing of share based employee benefits using the intrinsic value, the difference between the employee compensation cost so computed and the employee compensation cost that shall have been recognized if it had used the fair value, shall be disclosed in the Directors' Report and the impact of this difference on profits and on earnings per share ("EPS") of the company shall also be disclosed in the Directors' Report'.

The Bank will comply with the above requirements as and when applicable.

Lock in period:

The equity shares issued under SBEB-ESPS 2018 shall be locked in for a minimum period of one year from the date of allotment as per SEBI Regulations. For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

The Board of Directors recommends the passing of the proposed Special Resolution. None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding in the Bank.

By order of the Board of Directors

Chennai
11.06.2018

(R Subramaniakumar)
Managing Director & CEO

निदेशकों की रिपोर्ट 2017-18

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन-पत्र एवं लाभ व हानि खाते के साथ-साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए निदेशक मण्डल को हर्ष का अनुभव हो रहा है ।

वैश्विक कारोबार निष्पादन

वर्ष 2017 वैश्विक अर्थव्यवस्था बृद्धि तथा व्यापार स्थिति में महत्वपूर्ण सुधारों का साक्षी रहा है । हालांकि, अमेरिका और चीन के बीच आंतरिक तनाव चिंता का प्रमुख कारण था क्योंकि दोनों के बीच बिगड़ते संबंध वैश्विक व्यापार की रफ्तार को धीमी कर सकते थे । भारत 2017-18 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने का अनुमान है और ये वैश्विक विकास के लिए एक प्रमुख सूत्र होगा । अर्थशास्त्रियों की रिपोर्टों के मुताबिक, वर्ष की पहली तिमाही पर विमुद्रीकरण का असर के चलते कम रहा, अगली ही तिमाही में माल और सेवा कर (जीएसटी) के लागू किए जाने के कर्ण सम्पूर्ण व्यवसाय को नए व्यवस्था में समायोजित होने का दवाब रहा । हालांकि, तीसरी तिमाही के बाद, विकास की वापसी के संकेत स्पष्ट थे । भारत में निजी निवेश गतिविधि के मूल्यांकन की क्षमता से संबंधित मुद्दों और फर्मों (विशेष रूप से कॉर्पोरेट) ने बैलेंस शीट पर दबाव को बढ़ा दिया है । आर्थिक विकास मुख्य रूप से सरकार द्वारा उपभोक्ता खर्च और सार्वजनिक निवेश पर निर्भर करता है । हालांकि, पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन, अर्थव्यवस्था में निवेश गतिविधि के लिए प्रॉक्सी सातवें महीने फरवरी में में सीधे 20% पर पहुंच गया जो विगत 20 महीनों में अपनी शीर्ष गति पर था । भारत की खुदरा मुद्रास्फीति मार्च में लगातार चौथे महीने घट कर 4.28% रह गई । आरबीआई ने 2018-19 की पहली छमाही में के लिए मुद्रास्फीति पूर्वानुमान घटा कर 4.7% -5.1% और दूसरी छमाही में 4.4% कर दिया । केंद्रीय बैंक ने +/- 2 प्रतिशत अंक के बैंड के भीतर 4% की मुद्रास्फीति के लिए मध्यम अवधि के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक जनादेश जारी किया । भारतीय रिजर्व बैंक ने विकास का समर्थन करते हुए अगस्त 2015 में 7.25 प्रतिशत से रेपो दर लगातार घटा कर अगस्त 2017 में 6 प्रतिशत कर दी । तब से भारतीय रिजर्व बैंक ने घरेलू विकास को बनाए रखने पर अधिक जोर देने के साथ ही नीति दर स्थिर रखी है ।

वर्तमान वर्ष में बैंक ने अपने तुलन पत्र को पुनःसंतुलित बनाने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हैं । हमारा ध्यान जोखिमों को कम करने तथा पूंजी दक्षता को सुधारने के लिए से आरएएम पोर्टफोलियो को सुधारने के लिए केन्द्रित था । बैंक ने एकमुश्त जामाओं की ओर से अपना ध्यान हटा कर कम लागत जमाओं का हिस्से में सुधारने की ओर कर दिया है । वैश्विक व्यापार स्तर 31 मार्च 2018 को 31 मार्च को रु.3,68,118 करोड़ के मुकाबले रूपये 3,67,831 करोड़ रुपये था । वैश्विक जमा और सकल अग्रिम 31 मार्च 2018 को क्रमश: रूपये 2,16,832 करोड़ और रूपये 1,50,999 करोड़ रहे जो 31 मार्च 2017 के मुकाबले क्रमशः रूपये 2,11,343 करोड़ और रूपये 1,56,776 करोड़ थे।

वित्तीय कार्य निष्पादन

क्योंकि परिचालन वातावरण स्थिर रहा इसलिए चालू वर्ष के दौरान प्रयास परिचालन दक्षता में सुधार किया गया । तुलन पत्र का सही आकार दिए जाने का प्रभाव काफी हद तक राजस्व प्रवाह पर पड़ा । गैर-बैंकिंग संचालन से आय पर ध्यान केन्द्रित किया गया जिससे बैंक को अपनी परिचालन दक्षता को बनाए रखने में मदद मिली । नतीजतन, बैंक ने अपने ऑपरेटिंग लाभ को बनाए रखा जो कि वित्त वर्ष 2017-18 में 3,629 करोड़ रुपये था जोकि पिछले वर्ष में रु.3,650 करोड़ दर्ज किया गया था ।

वित्त वर्ष 2017-18 सकल एनपीए बढ़ कर रुपये 38,180 करोड़ हो गया जिसमें गिरावट का प्रमुख कारण नियामक दिशानिर्देशों में बदलाव था जो वित्त वर्ष 2016-17 में 35,098 करोड़ था । परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान रुपये 9,929 करोड़ की उच्च प्रावधान आवश्यकताओं ने बैंक को सालाना रुपये 6,299 करोड़ के शुद्ध हानि को रिपोर्ट करने के लिए विवश कर दिया । बैंक ने वर्ष 2016-17 के दौरान रूपये 3,417 करोड़ की हानि रिपोर्ट की थी ।

आय एवं व्यय विश्लेषण

बैलेंस शीट के परिसंपत्ति पक्ष के पुनर्वितरण का बैंक के राजस्व पर बड़ा असर पड़ा । यद्यपि, बैंक को जमा लागत के अनुकूल लागत के साथ कम लागत वाली जमा पर ध्यान केंद्रित करने से लाभ प्राप्त हुआ किन्तु एनपीए स्तर और पूंजीगत बाधाओं ने आय में सुधार के विकास के अवसरों को प्रतिबंधित कर दिया । प्रभारों के स्वचालितकरण के साथ ही गैर ब्याज आय में सुधार के लिए अधिकतम प्रयास किए गए जिसके अच्छे परिणाम मिले । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस वित्त वर्ष में गैर ब्याज आय रुपये 3,746 करोड़ में पिछले वित्त वर्ष 2016-17 में 3,373 करोड़ की अपेक्षा 11.08% की वृद्धि दर्ज की गई है ।

घरेलू कासा जमा 31 मार्च 2018 को रूपये 78,739 करोड़ पर बरकरार रहा जो गत वर्ष रूपये 75,446 करोड़ था । कासा का प्रतिशत 31 मार्च 2017 को 36.78% के मुक़ाबले 31 मार्च 2018 को 37.43% अधिक रहा ।

उच्च स्तर के कसा और थोक जमा में कमी ने बैंक को घरेलू जमा की लागत को कम करने में मदद की जो वित्त वर्ष 2017-18 के के अंत में 5.62% थी जबकि ये वित्त वर्ष 2016-17 में 6.32% थी । पूरे एक साल 1 अप्रैल 2017 तक बैंक की एमसीएलआर दर 8.65% थी जो अनुरूप समीक्षा अवधि के उद्योग की प्रवृत्ति के अनुसार कम करके 8.40% कर दी गई । इसके अलावा, वृद्धिशील एनपीए के परिणामस्वरूप आय में गिरावट आई है नतीजतन, वित्त वर्ष 2017-18 के लिए घरेलू अग्रिम घट कर 7.91% रह गए जो पिछले वर्ष 8.92% थे ।

2016-17 में 7.36% की तुलना में पूरे वर्ष 2017-18 के लिए निवेश पर घरेलू उपज 7.77% तक बढ़ गई । बैंक 2.07% के मुकाबले 2017-18 में वैश्विक शुद्ध ब्याज मार्जिन 2.19% पर बनाए रखने में सक्षम था । बैंक ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 59.45% का प्रावधान कवरेज अनुपात बनाए रखा जबकि यह वित्त वर्ष 2016-17 में 53.63% था ।

2017-18 के दौरान जुटाई गई पूंजी

बैंक ने नकदी के बदले भारत सरकार को प्राथमिक आधार पर 39,78,30,018 शेयर रूपये 10/- प्रति इक्विटी शेयर के रूप में रूपये 27.65 प्रति इक्विटी शेयर की इश्यू कीमत पर रूपये 1,100/- करोड़ के लिए (रूपये 17.65 प्रति इक्विटी शेयर प्रीमियम सहित) 16.03.2018 को भारत सरकार द्वारा प्राप्त वित्तीय समावेशन के लिए 31.03.2017 को तथा भारत सरकार को 28.03.2018 को प्राथमिक आधार पर 203,82,11,029 शेयर रूपये 10 प्रति शेयर के आधार पर (रूपये 13.03 प्रति इक्विटी शेयर प्रीमियम सहित) 23.03 प्रति इक्विटी शेयर की इशू कीमत पर रूपये 4,694 करोड़ के लिए शेयर जारी किए गए । अतः बैंक की पेडअप कैपिटल रूपये 2,454.73 करोड़ से बढ़कर 4,890.77 करोड़ हो गई । भारत सरकार की शेयर धारिता रूपये 1,953.04 करोड़ (79.56%) से बढ़कर रूपये 4,389.69 करोड़ (89.74%) हो गई और सार्वजनिक शेयर धारिता रूपये 501.69 (वर्तमान में 10.26%) बरकरार रही है ।

31.03.2017 को संचित घाटे के मुकाबले 31.03.2017 को शेयर प्रीमियम खाते से निपटान

31.03.2017 को जमा प्रीमियम खाते में उपलब्ध शेष राशि का उपयोग करने के लिए बैंक ने 30.01.2018 को आयोजित ईजीएम में विशेष प्रस्ताव के माध्यम से शेयरधारकों की मंजूरी मिलने के बाद संचित घाटे का निपटान कर दिया गया था तथा बैंक के मामलों की एक वास्तविक और निष्पक्ष

DIRECTORS' REPORT 2017-18

The Board of Directors have pleasure in presenting the Annual Report together with Audited Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2018.

Global Business Performance

Fiscal year 2017 witnessed a significant improvement in global economic growth and trade situation. However, Geopolitical tensions between US and China was a major cause of concern as strenuous relations between the two could weigh down global trade. India is pegged to be the fastest growing economy in the world in 2017-18 and will be a key driver for global growth. As per the economist reports, the first quarter of the year saw the impact of demonetisation settling down, in the next quarter, introduction of the Goods and Services Tax (GST) brought in some pressures as businesses adjusted to the new regime. However, from the third quarter onwards, signs of growth returning were evident. Private investment activity in India has been weighed down by capacity related issues and firms' (especially corporate) stressed balance sheets. Economic growth has been heavily dependent on consumer spending and public investment by the government. However, capital goods output, a proxy for investment activity in the economy, rose for the seventh straight month in February at 20%, the fastest pace in 20 months. India's retail inflation decelerated for the fourth consecutive month in March to 4.28%. RBI has lowered its inflation forecast for 2018-19 to 4.7%-5.1% in the first half and 4.4% in the second half. The central bank has a mandate of achieving the medium-term target for inflation of 4% within a band of +/- 2 percentage points, while supporting growth. The Reserve Bank of India has steadily cut the repo rate from 7.25 per cent in August 2015 to 6 per cent in August 2017. Since then the RBI has held the policy rate steady, with a greater emphasis on reviving domestic growth.

The Bank continued its efforts towards rebalancing its Balance Sheet under the current year. The focus was laid on to improve the RAM portfolio with a view to mitigate the risk and improve capital efficiency. The Bank further reduced the concentration of Bulk deposits and improved the share of low cost deposits. The Global Business level stood at Rs. 3,67,831 crores as on 31st March 2018 against Rs. 3,68,118 crores as on 31st March 2017. The global deposits and gross advances stood at Rs. 2,16,832 crores and Rs. 1,50,999 crores respectively as on 31st March 2018 against Rs. 2,11,343 crores and Rs. 1,56,776 crores respectively as on 31st March 2017.

Financial Performance

The efforts during the current year were to improve the operational efficiency as the operating environment remained firm. The right sizing of balance sheet had its impact felt on the revenue streams substantially. Focused attention was laid to improve the income from non-core operations which helped the Bank to maintain its operational efficiency. As a result, the Bank maintained its operating profit which ended at Rs 3,629 crores in FY 2017-18 compared to Rs. 3,650 crores recorded in previous year.

Gross NPA had increased to end at Rs. 38,180 crores for FY 2017-18 as against Rs. 35,098 crores in FY 2016-17, major fallout of the changes in regulatory guidelines. The resultant higher provision requirements of Rs.9,929 crores during the year forced the Bank to report a Net Loss of Rs.6,299 crores for the year. The Bank had reported Rs. 3,417 crores of loss during 2016-17.

Income and Expenditure Analysis

The rebalancing of asset side of the Balance sheet had major impact on the revenues of the Bank. Even though, the Bank got benefit from its focused attention on low cost deposit with a favorable Cost of Deposits, the NPA levels & Capital constraints restricted the growth opportunities to improve the income level. Maximum effort was laid on towards improving the Non interest income with higher thrust given on automating charges which has yielded results. It is noteworthy to mention that the Non Interest Income recorded a growth of 11.08% to end at Rs. 3,746 crores as against Rs. 3,373 crores recorded in FY 2016-17.

The domestic CASA deposits stood at Rs. 78,739 crores as on 31st March 2018 as against Rs. 75,446 crores as on 31st March 2017. The CASA% stood higher at 37.43% as on 31st March 2018 as against 36.78% as on 31st Mar 2017.

The higher level of CASA and reduction of the bulk deposits helped the Bank to reduce the domestic Cost of deposits which ended at 5.62% for FY 2017-18 as against 6.32% in FY 2016-17. The Bank's one year MCLR rate which stood at 8.65% as of 1st April 2017 was brought down to 8.40 % during the review period in line with the industry trend. Further, the incremental NPAs also resulted in decline in incomes. As a result, the yield on domestic advances came down to 7.91% for FY 2017-18 as against 8.92% in the previous year.

The domestic yield on investments improved to 7.77% for the whole year 2017-18 compared to 7.36% in 2016-17. The Bank was able to maintain the global Net interest margin at 2.19% in 2017-18 as against 2.03% in 2016 - 17. The Bank maintained a Provision Coverage Ratio of 59.45 % for FY 2017-18 as against 53.63% for FY 2016-17.

Capital Raised during 2017-18

The Bank issued 39,78,30,018 equity shares of Rs.10/- each for cash at issue price of Rs.27.65 per equity share (including premium of Rs.17.65 per equity share) aggregating upto Rs.1,100 crores to Government of India on Preferential Basis on 31.08.2017 for the capital infusion received from Government of India on 16.03.2017 and 203,82,11,029 equity shares of Rs.10/- each for cash at issue price of Rs.23.03 per equity share (including premium of Rs.13.03 per equity share) aggregating upto Rs.4,694 crores to Government of India on Preferential Basis on 28.03.2018. Hence, the paid-up capital of the Bank has increased from Rs.2,454.73 crores to Rs. 4,890.77 crores. The shareholding of Government of India, has increased from Rs.1,953.04 crores (79.56%) to Rs.4,389.08 crores (89.74%) and the Public shareholding stood at Rs.501.69 crores (presently 10.26%).

Set off of Share Premium Account as on 31.03.2017 as against the accumulated losses as on 31.03.2017

The Bank had, after obtaining the approval of the shareholders by way of a Special Resolution at the EGM held on 30.01.2018 for utilizing the balance available in the Share Premium account as at 31.03.2017 to set off the accumulated losses as at 31.03.2017,

तस्वीर पेश करने के लिए 31.03.2017 को शेयर प्रीमियम खाते के क्रेडिट के लिए बकाया 7,650.06 करोड़ रुपये के संचित नुकसान को सेटऑफ करने के लिए रुपये की राशि से 6,978.94 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया अतः 31.03.2017 को 6,978.94 करोड़ रुपये और के संचित घाटे को समाप्त करने के बाद 31.03.2017 को शेयर प्रीमियम खाता और संचित घाटे तदनुसार कम हो गए हैं ।

प्राधिकृत पूंजी

31 मार्च 2018 तक बैंक की राधिकृत पूंजी रूपये 10,000 करोड़ है जोकि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांकित 27 फरवरी 2017 के जरिए रूपये 3000 करोड़ से बढ़ गई ।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात

31 मार्च 2018 तक बैंक की पूंजी पर्याप्तता अनुपात बेसल III मानदंडों के अनुसार 9 .25% था ।

शाखा नेटवर्क

31 मार्च 2017 को बैंक की 3,373 घरेलू शाखाओं के मुकाबले 31 मार्च 2018 शाखाओं 3,332 शाखाएँ थीं । जिसमें 922 ग्रामीण शाखाएं (27.67%), 990 अर्ध शहरी शाखाएं (29.71%), 678 शहरी शाखाएं (20.35%) और 742 मेट्रोपॉलिटन शाखाएँ (22.27%) शामिल थीं । इसके अलावा, बैंक के पास 7 अंचल कार्यालय, 48 क्षेत्रीय कार्यालय, 4 विस्तार काउंटर, 20 सैटेलाइट कार्यालय, 3 सिटी बैक ऑफिस और 6 निरीक्षणालय हैं । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने प्रशासनिक लागत को तर्कसंगत बनाने के लिए 41 शाखाएं और एक क्षेत्रीय कार्यालय बंद कर दिया है ।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

कॉरपोरेट गवर्नेंस अपने दिन-प्रतिदिन के मामलों के संचालन में बैंक की अंतर्निहित मूल्य प्रणाली को दर्शाता है । बैंक प्रभावी कॉर्पोरेट प्रशासन के महत्व की महत्वपूर्ण को बैंक की सुरक्षित और सुदृढ़ कार्यप्रणाली के लिए मान्यता देता है और बैंक और उसके हितधारकों के हितों की सेवा के लिए रणनीतिक उद्देश्यों को स्थापित करने के लिए संरचनाओं, प्रक्रियाओं और प्रणालियों को स्थापित करने पर जोर देता है और जो प्रभावी निगरानी की सुविधा भी प्रदान करता है

आईओबी - अंदरूनी व्यापार, 2015 के निषेध के लिए आचार संहिता

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियमन, 2015 के विनियमन 9 के प्रावधानों के विनियमन तथा अनुपालन के लिए बैंक ने **अंदरूनी व्यापार, 2015 के निषेध के लिए आईओबी आचार संहिता तैयार की है** ताकि निदेशक, कर्मचारियों तथा बैंक से संबन्धित अन्य व्यक्तियों के द्वारा व्यापार की रिपोर्ट तथा निगरानी की जा सके ।

भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड –कर्तव्यों की सूची और आवश्यक विनियमन का खुलासा -2015

सेबी के अनुसार

- बैंक को अपने शेयरधारकों को वार्षिक आम सभा / अतिविशिष्ट आम सभा में ई – मतदान हेतु रिमोट प्रदान करना चाहिए।
- बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन (जैसे बैंक के महा प्रबन्धक) पर भी आचारसंहिता लागू होगी।
- बैंक कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट लेखा परीक्षा समिति और बीएसई तथा एनएसई जहां पर बैंक के शेअर लिस्ट किए गए हैं, जमा करती है ।
- बैंक बीएसई तथा एनएसई को तिमाही निवेशक शिकायत रिपोर्ट भी जमा करती है ।

निवेशक शिक्षण और सुरक्षा फंड

कॉर्पोरेट संबंध मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने वर्ष 2009-10 से संबंधित आदत्त लाभांश दिनांक 27.10.2017 को आईईपीएफ़ के खाते में हस्तांतरित करवा दी है । वर्ष 2010-11 से 2013-14 का आदत्त लाभांश एमसीए की वेबसाइट पर पोर्ट करावा दी गई है तथा यह www.iob.in. पर भी उपलब्ध है । तदनुसार आईईपीएफ़ को आदत्त लाभांश हस्तांतरित करने के मामले में बैंक ने भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है ।

बैंक नियामक प्राधिकारियों / भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों/विनियमों का अनुपालन करता है । बैंक शेयरधारकों की शिकायतों का निपटान बिना किसी विलंब के करता है ।

निदेशक बोर्ड

श्री निरंजन कुमार अग्रवाल , शेअर धारक निदेशक, ने दिनांक 07.12.2017 को अपने तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है । श्री संजय रुंगटा , शेअरधारक निदेशक का भी दिनांक 07.12.2017 को अपना तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया ।

श्री आर सुब्रमण्य कुमार को दिनांक 05.05.2017 से 30.06.2019 तक के लिए को बैंक के प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके पूर्व बैंक में उनकी नियुक्ति कार्यपालक निदेशक के रूप में दिनांक 29.09.2016 को नियुक्ति की गई । उन्हें दिनांक 11 नवंबर 2016 से 10 फरवरी 2017 और उसके पश्चात 28 फरवरी 2017 से 27 मई 2017 तक उन्हें बैंक के प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतिरिक्त कार्यभार दिया गया । श्री अजय कुमार श्रीवास्तव को दिनांक 09.10.2017 से 08.10.2020 तक के लिए बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। श्री संजय रूंगटा 08.12.2017 से07.12.2020 तक की अवधि के लिए बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में पुन निर्वाचित हुए । श्री नवीन प्रकाश सिन्हा 08.12.2017 से07.12.2020 तक की अवधि के लिए बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में चुना गया । श्री शिवरामन अनंत नारायण 27.12.2017 से 26.12.2020 तक की अवधि के लिए बैंक के अकार्यालयीन निदेशक के रूप में चुना गया ।

आभार

निदेशक बोर्ड भारत सरकार , भारतीय रिज़र्व बैंक , भारतीय सुरक्षा और विनियमयन बोर्ड , स्टॉक एक्सेंज, राज्य सरकारों , वित्तीय संस्थानों और सभी विदेशी नियामकों का उनके अमूल्य सलाह और सहायता के लिए आभारी है । निदेशक बोर्ड अपने अमूल्य ग्राहकों , कर्मचारी यूनियन ,अधिकारी संघ, घरेलू और विदेशी बैंकिंग समूह , शेयरधारकों तथा सभी हितधारकों के उनके समर्थन के लिए आभारी है तथा यह आशा करते हैं कि वे बैंक को इसी प्रकार संरक्षण देंगे ।

इसके साथ बोर्ड बैंक के सभी स्तरों के स्टाफ सदस्यों की गहन प्रशंसा को भी रिकॉर्ड में रखता है और भविष्य में उनसे यह आशा करता है कि वे लक्ष्यों की प्राप्ति में अपना संपूर्ण योगदान प्रदान करेंगे ।

निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

चेन्नै **श्री आर सुब्रमण्य कुमार**

29 मई 2018 प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी

so as to present a true and fair picture of the state of affairs of the Bank, utilised an amount of Rs.6,978.94 crores out of an amount of Rs. 7,650.06 crores standing to the credit of Share Premium account as at 31.03.2017 to set off the accumulated losses of Rs. 6,978.94 crores as at 31.03.2017 and the Share Premium account and accumulated losses stand reduced accordingly.

Authorised Capital

As on 31st March 2018, the Authorized Capital of the Bank is Rs. 10,000 crores which was increased from Rs.3000 crores vide GOI notification dated 27th Feb 2017.

Capital Adequacy Ratio

The Bank's capital adequacy ratio as on 31st March 2018 stood at 9.25 % as per Basel III norms.

Branch Network

As on 31st March 2018, the Bank had 3,332 domestic branches, as against 3,373 branches as on 31st March 2017, comprising of 922 rural branches (27.67%), 990 Semi Urban branches (29.71%), 678 Urban branches (20.35%) and 742 Metropolitan branches (22.27%). Besides, the Bank has 7 Zonal Offices, 48 Regional Offices, 4 Extension Counters, 20 Satellite Offices, 3 City Back Offices and 6 Inspectorates. During the year under review, the Bank has closed 41 branches and one Regional Office with a view to rationalize administrative costs.

Corporate Governance

Corporate Governance reflects the built in value system of the Bank in conducting its day to day affairs. The Bank recognizes the critical importance of effective Corporate Governance for the safe and sound functioning of the Bank and lays emphasis on ensuring that structures, processes and systems are put in place to establish strategic objectives to serve the interest of the Bank and its stakeholders and which also facilitate effective monitoring.

IOB – Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading, 2015

Pursuant to Regulation 9 of Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the Bank has formulated **IOB Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading, 2015,** to regulate, monitor and report trading by the Directors, employees and other connected persons of the Bank with a view to comply with the provisions of the Regulations.

Securities and Exchange Board of India - Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015 (LODR)

As per SEBI (LODR),

- The Bank is providing remote e-voting facility to its shareholders, in all Annual General Meetings/ Extraordinary General Meetings.
- The Code of Conduct is applicable to all members of the Board and the Senior Management (i.e., General Managers of the Bank).
- The Bank is submitting a quarterly compliance report on Corporate Governance to the Audit Committee of the Board and to BSE & NSE, where the shares of the Bank are listed.
- The Bank is also submitting Quarterly Investor Grievance Report to BSE & NSE.

Investor Education & Protection Fund (IEPF)

As per the guidelines of Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India, the Bank transferred Unpaid Dividend amount pertaining to the year 2009-10 to IEPF on 27.10.2017. The unpaid dividend data pertaining to the years 2010-11 to 2013-14 is ported in MCA website and is also available at www.iob.in. Accordingly, the Bank has complied with the guidelines of Government of India in respect of transfer of unpaid dividend to IEPF.

Bank is complying with all guidelines/regulations laid down by the Regulatory Authorities and Government of India from time to time. The Bank redresses the shareholders' grievances without any delay.

Board of Directors

Shri Niranjan Kumar Agarwal, Shareholder Director, completed his three years' term on 07.12.2017. Shri Sanjay Rungta, Shareholder Director, completed his three years' term on 07.12.2017.

Shri R. Subramaniakumar has been appointed as Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank from 05.05.2017 to 30.06.2019. Previously, he was appointed as Executive Director with effect from 29.09.2016. He was entrusted with the additional charge of MD & CEO for a period of 3 months from 11th November 2016 to 10th February 2017 and for a period of another 3 months from 28th February 2017 to 27th May 2017. Shri Ajay Kumar Srivastava has been appointed as Executive Director of the Bank from 09.10.2017 to 08.10.2020. Shri Sanjay Rungta has been re-elected as Shareholder Director of the Bank from 08.12.2017 to 07.12.2020. Shri Navin Prakash Sinha has been elected as Shareholder Director of the Bank from 08.12.2017 to 07.12.2020. Shri Sivaraman Anant Narayan has been appointed as Non-Official Director of the Bank from 27.12.2017 to 26.12.2020.

Acknowledgement

The Board of Directors are grateful for the valuable guidance and support received from the Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, State Governments, Financial Institutions and all Overseas Regulators. The Board of Directors acknowledge with thanks the valued Customers, Employees Union, Officers Association, domestic and international banking group, the shareholders & other stake holders for their valued support and continued patronage with the Bank.

The Board also wishes to place on record its profound appreciation for the valuable contribution of the Bank's Staff at all levels and looks forward to their continued involvement with commitment towards achieving the future goals.

For and on behalf of the Board of Directors

Chennai
29th May, 2018

(R. SUBRAMANIAKUMAR)
Managing Director & Chief Executive Officer

प्रबंधब विचार विमर्श एवं विश्लेषण

आर्थिक और बैंकिंग वातावरण

भारत ने विनिर्माण और सेवाओं के क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2018 की अक्तूबर – दिसंबर तिमाही वृद्धि संचालित होने से विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था की स्थिति हासिल की । अक्तूबर – दिसंबर तिमाही में सकल घरेलू पीआर में 7.2% की वृद्धि हुई। दिसंबर तिमाही के दौरान ,विनिर्माण के लिए सकाल मूल्य वर्धित (जीवीए)पिछली तिमाही में 6.9% की तुलना में 8.9% अधिक बढ़ गया । निर्माण क्षेत्र में पिछली तिमाही की 2.8% की तुलना में 6.8% की वृद्धि दराज की । इसी प्रकार से कृषि क्षेत्र में जीवीए पिछली तिमाही के 2.7% की तुलना में 4.1% बढ़ा। निर्माण क्षेत्र ने 6.8% की बढ़ोतरी दर्ज की है जो कि पिछली तिमाही की तुलना में 2.8% बढ़ा है। वित्तीय सेवाओं सहित सेवा क्षेत्र में पिछली तिमाही में 6.4 प्रतिशत से बढ़कर 6.7% हो गई । बैंकिंग क्षेत्र में , अग्रिम में उठाव के कारण सुधार दिखाई दिया । 31 मार्च 2018 तक कुल बैंकिंग प्रणाली में कुल जमा 1,14,749.90 अरब रू था जो कि मार्च 2017 के 1,08,051.52 अरब रू की तुलना में 6.19% की वृद्धि हुई। अग्रिम मार्च 2017 के 78,818.80 अरब रू से बढ़कर मार्च 2018 में 86,507.10 अरब रू हो गया । इसी अवधि के लिए कुल सीडी अनुपात 72.94% से बढ़कर 75.39% हो गया ।

बैंक की पृष्ठभूमि

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की स्थापना 10 फरवरी 1937 को श्री एम सीटी एम चिदंबरम चेट्टीयार जो कि कई क्षेत्रों के अग्रणी थे, द्वारा की गई । 1969 में राष्ट्रीयकृत 14 बैंकों में से आईओबी एक प्रमुख बैंक था । 1969 में राष्ट्रीयकरण की पूर्व संध्या पर, आईओबी की भारत में 195 शाखाएँ थीं जिसमें कुल जमाएँ 67.70 करोड़ रूपए और 44.90 करोड़ रूपए थी ।

वर्तमान में आईओबी दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित कर रहा है, तमिलनाडु में पाण्डियन ग्रामीण बैंक तथा ओड़िशा में ओड़िशा ग्रामी बैंक । बैंक की विदेश में 5 देशों में उपस्थिती है, जो हैं सिंगापुर ,हाँग काँग ,थाईलैंड ,श्रीलंका और दक्षिण कोरिया ।

मुख्य विशेषताएँ

- बैंकिंग क्षेत्र में 81 वर्षों से सेवारत
- भारत में 3332 शाखाओं और 3552एटीएम के साथ मजबूत उपस्थिती
- विटीय समावेशन की पहुँच अधिक लोगों तक पहुंचाने और उनकी सहायता करने हेतु 57% शाखाएँ ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रों में
- अधिक लोगों तक पहुँचने हेतु 2713 कारोबार संवाहक
- दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु राज्य में एक मजबूत ब्रांड
- 35 मिलियन सक्रिय ग्राहकों का विश्वास।
- शाखाओं और 1 प्रतिनिधि कार्यालय के साथ विदेशों में
- कम लागत जमाओं में सतत वृद्धि
- खुदरा, कृषि एवं एमएसएमई घटकों में निष्पादन में सुधार, घरेलू अग्रिमों में 66% योगदान एक वर्ष पहले 54%
- डिजिटल पहले एवं सशक्त तकनीकी

बैंक का परिचालन

घरेलू जमाएँ

31 मार्च 2017 के रु. 2,05,154 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2018 को बैंक की कुल घरेलू जमाएँ रु. 2,10,388 करोड़ रहीं। कासा में सुधार हेतु मुख्य रुप से बैंक द्वारा उठाए गए कदमों की वजह से खातों पर जमाओं में वृद्धि दर्ज हुई। घरेलू कासा 31 मार्च 2017 के रु. 75,466 करोड से बढ़कर 31 मार्च 2018 को रु. 78,739 करोड़ हो गया। उल्लेखनीय है कि 31 मार्च 2017 की तुलना में बचत बैंक जमाएँ 5.35% बढ़कर रु. 66,455 करोड़ रहीं। मार्च 2018 में कासा भी सुधरकर 37.43% हो गया है।

घरेलू अग्रिम

वृद्धिशील एनपीए एवं धीमी उधार संवृद्धि ने बैंक को बड़े पैमाने पर उधार देने में अधिक सावधान होने पर मजबूर कर दिया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में जोखिम को कम करने और मार्जिस में सुधार के लिए बैंक ने खुदरा और एमएसएमइ क्षेत्र पर जोड़ दिया। घरेलू सकल अग्रिम 31 मार्च 2017 के रु. 1,42,651 करोड़ के मुकाबले 31 मार्च 2018 को रु.1,38,516 करोड़ रहा।

ओवरसीज़ परिचालन

मार्च 2018 के अंत में, बैंक के 12 प्रतिष्ठान विदेश में थे, जिनमें 8 ओवरसीज़ शाखाएं, 1 प्रतिनिधि कार्यालय, 2 विप्रेषण केन्द्र और 1 संयुक्त उपक्रम अनुषंगी शामिल है। हाँग्काँग, श्रीलंका और बैंकॉक़ में दो-दो शाखाएं हैं और सिंगापुर तथा दक्षिण कोरिया में एक-एक शाखा है। प्रतिनिधि कार्यालय दुबई में स्थित है। चीन में स्थित गुवांग झौ प्रतिनिधि कार्यालय दिनांक 05 मई 2017 को बंद कर दिया गया। विप्रेषण केन्द्र बूनले एवं सेरांगून, सिंगापुर में परिचालित है। संयुक्त उपक्रम अनुषंगी इण्डिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बेरहाद, मलेशिया में कार्य कर रही है। ओवरसीज़ कारोबार 31 मार्च 2017 के रु. 20,314 करोड़ के मुकाबले 31 मार्च 2018 को रु. 18,927 करोड़ रहा।

फॉरेक्स परिचालन

पूर्व वर्ष की हानि रु.15.92 करोड़ के मुकाबले रु.186.32 करोड़ की लेखा प्रवर्ग हानि अंतरित करने के पूर्व वर्ष 2017 - 2018 के दौरान निवेशों की बिक्री पर लाभ रु.636.30 करोड़ था (वर्ष 2016 - 17 के दौरान रु.631.70 करोड़)। फॉरेक्स कारोबार से लाभ पर पूर्व वर्ष के रुपए 538.80 करोड़ के मुकाबले रुपए 552.87 करोड़ रहा।

निवेश

31 मार्च 2017 के रु. 71,485.69 करोड़ के मुकाबले निवल निवेश 31 मार्च 2018 को घटकर रु. 68,912.58 करोड़ रहा। 2016-17 के रु.1,191.75 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2017-18 के दौरान

प्रतिभूतियों की बिक्री और विनिमय पर लाभ को मिलाकर कुल लाभ की राशि रु. 1,208.01 करोड़ रही। 10 वर्ष की बेंचमार्क प्राप्ति वर्ष के दौरान 6.66% से बढ़कर 7.40% पर चली गई।

एमएसएमई

31 मार्च 2018 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में क्रेडिट का हिस्सा रु 32,615 करोड़ रहा।

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Economic and Banking Environment

India regained the status of the world's fastest-growing major economy in the October-December quarter of FY'18, driven by a pick-up in growth in manufacturing and services sectors. Gross domestic product grew 7.2 per cent in the October-December quarter. During the December quarter, the gross value added (GVA) for manufacturing grew at 8.9 per cent higher than 6.9 per cent in the previous quarter. Similarly, the farm sector GVA grew at 4.1 per cent compared to 2.7 per cent in the previous quarter. The construction sector recorded a growth of 6.8 per cent, higher than 2.8 per cent in previous quarter. The services segment including financial services grew at rate of 6.7 per cent up from 6.4 per cent in previous quarter.

In banking sector, the credit off take has started showing improvement. The total deposits in the banking system stood at Rs.1,14,749.90 billion as on 31st March 2018, as against Rs.1,08,051.52 billion with growth of 6.19%. Advances have increased from Rs.78,818.80 billion from March 2017 to Rs.86,507.10 billion in March 2018 with a growth of 9.75%. As such the CD ratio improved from 72.94% to 75.39% for the same period.

Background of the Bank

Indian Overseas Bank (IOB) was founded on 10th February 1937 by Shri. M. Ct. M. Chidambaram Chettyar, a pioneer in many fields. IOB was one of the 14 major banks that were nationalized in 1969. On the eve of Nationalization in 1969, IOB had 195 branches in India with aggregate deposits of Rs.67.70 crores and Advances of Rs.44.90 crores.

Currently IOB is sponsoring two Regional Rural Banks; Pandiyan Grama Bank in Tamil Nadu and Odisha Gramya Bank in Odisha. Bank has its overseas presence in 5 countries Singapore, Hongkong, Thailand, Srilanka and South Korea.

Key Highlights

- 81 years in the service of Banking.
- Strong Domestic presence of 3332 Branches & 3552 ATMS.
- 57% of Branches catering to the needs of Rural and Semi Urban centres enhancing deeper Financial Inclusion.
- 2713 Business Correspondents provide extended reach.
- A strong Brand name in South India especially in the State of Tamil Nadu.
- Trust of 35 million active customers.
- Overseas Presence with 8 branches and 1 Representative Office.
- Sustained Growth in Low cost CASA deposits.
- Improved performance in Retail, Agri and MSME Segments contributing to 66% of Domestic Advances up from 54% a year ago.
- Digital initiatives and strong technology penetration.

Bank's Operations

Domestic Deposits

The Bank's total domestic deposits stood at Rs.2,10,388 crores as on 31st March 2018 as against Rs. 2,05,154 crores as on 31st March 2017. The increase in deposits was mainly on account of steps taken by the Bank towards improving the CASA. The domestic CASA has increased from Rs. 75,446 crores as on 31st March 2017 to Rs. 78,739 crores as on 31st March 2018. It is noteworthy to mention that the savings bank deposits have grown by 5.35% over 31st March 2017 to end at Rs. 66,455 crores. The CASA% also improved to 37.43 % as of March 2018.

Domestic Advances

The incremental NPAs, capital constraints and slower credit off take have forced the Bank to be more cautious on large scale lending. With a view to diversify the risk and to improve the margins, the Bank focused more on Retail and MSME sectors during the fiscal year. The Domestic Gross Advances stood at Rs.1,38,516 crores as on 31st March 2018 as against Rs. 1,42,651 crores as on 31st March 2017.

Overseas Operations

The Bank had 12 establishments abroad, including 8 overseas branches, 1 Representative office, 2 Remittance Centers and 1 Joint Venture Subsidiary as on 31st March 2018. There are two branches each at Hongkong, Sri Lanka and Bangkok and one each at Singapore and South Korea. Representative office is located at Dubai. The representative office at Guangzhou, China was closed on 05th May 2017. Remittance Centres operate at Boonlay and Serangoon, Singapore. The Joint Venture subsidiary India International Bank (Malaysia) Berhad is functioning at Malaysia. The overseas business stood at Rs. 18,927 crores as of 31st March 2018 as compared to Rs. 20,314 crores as of 31st March 2017.

Forex Operations

The profit on sale of investments was higher at Rs.636.30 crores during 2017-18 (Rs.631.70 crores during 2016-17) before accounting category transfer loss at Rs.186.32 crores as against Rs. 15.92 crores in the previous year. The profit on exchange from Forex business stood at Rs.552.87 crores as against Rs.538.80 crores in the previous year.

Investments

Net investments of the Bank decreased to Rs. 68,912.58 crores as of 31st March 2018 from Rs. 71,485.69 crores as on 31st March 2017. Total Profit including sale of securities & profit on exchange amounted to Rs. 1,208.01 crores during the year 2017-18 as against Rs. 1,191.75 crores during the year 2016-17. 10-year benchmark yield has gone up from 6.66% to 7.40% during the year.

MSME

The share of credit to Micro, Small and Medium Enterprises stood at Rs. 32,615 crores as on 31st March 2018. MSME portfolio

बैंक के एमएसएमई पोर्टफोलियो ने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान रु. 2,051 करोड़ की वृद्धि दर्ज की और 31 मार्च 2017 को रु 30,564 करोड़ से बढ़ गया। माइक्रो श्रेणी अग्रिमों की प्रगति में ठोस वृद्धि दर्ज की गई और 31 मार्च 2017 को एएनबीसी के 9.43% रहा, इस तरह 7.50% के अनिवार्य लक्ष्य को पार कर गया। प्राथमिकता क्षेत्र की अग्रिमों में एमएसएमई अंश 31 मार्च 2017 को रुपये 28,234.29 करोड़ (बैंक के कुल प्राथमिकता क्षेत्र का 41.89% यानि रु. 67,400.80 करोड़) के मुकाबले 31 मार्च 2018 को रु. 32,615 करोड़ (बैंक के कुल प्राथमिकता क्षेत्र का 44.21% यानी 74,429.80 करोड़ रुपये) हो गया है।

बैंक ने रु. 1,956.34 करोड़ (93.16%) के 1,55,527 ऋणों की मंजूरी दी है और वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाइ) के अंतर्गत रु. 2,100.00 करोड़ लक्ष्य के मुकाबले 31 मार्च 2018 को रु. 1,882.99 करोड़ (89.67%) वितरित किया गया। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत रु. 175.57 करोड़ के 801 ऋण मंजूर किए हैं। सभी शाखाओं में नोडल अधिकारी के साथ मुद्रा सुविधा डेस्क बनाया गया है।

31 मार्च, 2018 तक, सीजीटीएमएसई योजना से गारंटी कवर के तहत 2,215.50 करोड़ रुपये बकाये के साथ बैंक ने सूक्ष्म एवं लघु क्षेत्र में 65,732 संपार्श्विक मुक्त ऋण स्वीकृत किया है।

सीजीएफएमयू योजना से गारंटी कवर के तहत बैंक ने मुद्रा योजना (10.00 लाख रुपये तक की ऋण राशि) के तहत स्वीकृत सभी खुदरा व्यापार अग्रिमों को सुरक्षित करने के लिए एनसीजीटीसी के साथ सदस्य ऋण संस्थान के रूप में नामांकन किया है। 31 मार्च 2018 तक, हमने सीजीएफएमयू योजना के तहत 307.16 करोड़ रुपये के एक्सपोजर के साथ 29,391 खातों को कवर किया है।

बैंक ने आरएक्सआईएल के साथ समझौता प्रबंधन किया है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एमएसएमई के प्राप्तियों के विरुद्ध वित्त पोषण के लिए टीआ-रईडीएस मंच में भाग लेने के लिए सदस्य के रूप में नामांकित किया है। बैंक ने एमएसएमई वित्त पोषण के लिए भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट (बीवाईएसटी), टीवीएस मोटर्स और अशोक लेलैंड के साथ समझौता ज्ञापन का नवीकरण/ समीक्षा की है।

बैंक ने **आइओबी जीएसटी-इजी योजना** शुरु की है ताकि एमएसएमई उधारकर्ताओं को पोस्ट जीएसटी कार्यान्वयन के दौरान इनपुट कर क्रेडिट आदि से जुड़े मुद्दों से उनके व्यापार को औपचारिक रुप से कार्यांवित किया जा सके।

अद्यतित जानकारी के साथ शाखाओं/क्षेत्रों की सुविधा के लिए, **एमएसएमई से संबंधित** बैंक के विनियामक दिशानिर्देश पर सभी नवीनतम अद्यतन के साथ **आइओबी ऑनलाइन** में विशेष एमएसएमई पोर्टल बनाया गया है।

बैंक ने एमएसएमई विकास क्षमता के साथ 273 शाखाओं की पहचान की है और उन्हें मौजूदा 28 विशिष्ट एसएमई शाखाओं के अतिरिक्त एमएसएमई केंद्रित शाखाओं के रूप में नामित किया है। इन शाखाओं में काम कर रहे सभी शाखा प्रमुखों और क्रेडिट अधिकारियों को अपने ज्ञान स्तर को समृद्ध करने और एमएसएमई क्षेत्र को उधार देने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए गहन प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

सभी विशेष एसएमई शाखाओं और 273 एमएसएमई केंद्रित शाखाओं में रिलेशनशिप अधिकारियों को नामित करने की प्रक्रिया में एमएसएमई रिले-शनशिप अधिकारियों की पहचान की गई है।

बैंक ने एमएसएमई क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं तैयार की हैं और ऐसे क्लस्टर की पहचान करने की प्रक्रिया में पूरे भारत में नौ संभावित समूहों की पहचान की है।

सिरेमिक उद्योग	मोर्वी, गुजरात राज्य
वस्त्र उद्योग	कोयंबटूर, तमिलनाडु राज्य
इंजीनियरिंग सामग्री	कोयंबटूर, तमिलनाडु राज्य
ऑटो पुर्जे	चेन्नई /कांचीपुरम, तमिलनाडु राज्य
ऑटो घटक	एनसीआर दिल्ली
इंजीनियरिंग और पैकेजिंग	एनसीआर दिल्ली
प्लाईवुड उद्योग	पेरुमबवूर, केरल राज्य
होजरी / टैक्सटाइल	लुधियाना, पंजाब राज्य
ऑटो / साइकिल घटक	लुधियाना, पंजाब राज्य

व्यवसाय करने में आसानी की सुविधा के लिए बैंक 10.00 लाख रुपये तक की ऋण राशि के साथ ऑनलाइन एमएसएमई ऋण प्रसंस्करण सुविधा शुरू करने की प्रक्रिया में है और इसे वित्त वर्ष 2008-19 में प्रस्तुत किया जाएगा।

बैंक ने विभिन्न कदम उठाए हैं और सभी स्तरों पर एमएसएमई क्रेडिट प्र-स्तावों को प्रसंस्कृत करने के लिए टर्नअराउंड समय को कम कर दिया है। एमएसएमई ऋण की त्वरित मंजूरी और एनपीए खातों का अनुवर्तन करने के लिए बैंक ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में एमएसएमई नोडल अधिकारी नामित किए हैं। आरबीआई के नए फ्रेम कार्य के तहत बैंक ने "एमएसएमई के पुनरुद्धार और पुनर्वास पर नीति" भी लागू की है और तनाव के तहत एमए-सएमई इकाइयों को राहत प्रदान करने पर विचार करने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में समितियों का गठन सुनिश्चित किया है।

बैंक ने विमुद्रीकरण पोस्ट, जीएसटी व्यवस्था में एमएसएमई द्वारा सामना किए जाने वाले व्यावहारिक मुद्दों को समझने के लिए चुनिंदा क्षेत्रों में **बाजार सर्वेक्षण** शुरू किया है और एमएसएमई की मदद के लिए विभिन्न सक्रिय कदम उठाए, जिसमें अतिरिक्त सुविधाओं की मंजूरी, ब्याज दरों में कमी, शुल्कों में रियायतें, त्वरित निपटान आदि सम्मिलित है।

खुदरा बैंकिंग

कोर खुदरा क्रेडिट योजनाओं के तहत कुल बकाया राशि मार्च 2017 तक रु.20,349 करोड़ से बढ़कर मार्च 2018 तक रु.25,693 करोड़ होते हुए 26.26% की वृद्धि दर्शाते हैं। कुल खुदरा क्रेडिट मार्च 2017 को रु.23,887 करोड़ से बढ़कर मार्च 2018 के अनुसार रु.28,183 करोड़ हो गया है।

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए खुदरा वितरण के तहत लक्ष्य हासिल किया गया है। रु.11,335 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले कुल रु.15, 985 करोड़ का वितरण किया गया। कुल अग्रिमों के लिए कुल खुदरा शेयर 16% से बढ़कर 19.94% हो गया है।

गृह ऋण पोर्टफोलियो ने मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार 36.82% की वृद्धि की है, जबकि इस अवधि के दौरान नए ऋण वितरण रु.5,404 करोड़ है। मार्च 2017 की स्थिति में 4.55% की वृद्धि दर्ज करते हुए शैक्षणिक ऋण योजना के तहत बकाया रु.5,009.80 करोड़ है। वाहन ऋण योजना के तहत, वर्ष के दौरान रु.1,237 करोड़ के नए वितरण के साथ मार्च 2018 तक

of the Bank registered a growth of Rs. 2,051 crores during the FY 2017-18 and increased from Rs. 30,564 crores as on 31st March 2017. Micro Category advances registered substantial growth and stood at 9.43 % of ANBC as on March, 31st 2017, thereby surpassed the mandatory target of 7.50%. MSME share towards Priority Sector advances has increased manifold from Rs. 28,234.29 crores (41.89 % of total priority sector of the Bank i.e., Rs. 67,400.80 crores) as on March, 31st 2017 to Rs. 32,615 crores (44.21 % of total priority sector of the Bank i.e., Rs. 74,429.80 crores) as on March, 31st 2018.

Bank has sanctioned 1,55,527 loans amounting to Rs.1,956.34 crores (93.16 %) and disbursed Rs.1,882.99 crores (89.67 %) as on 31st March 2018 vis-à-vis target of Rs. 2,100 crores under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) during the Financial Year 2017-18. Further, Bank has sanctioned 801 loans amounting to Rs.175.57 crores under Stand Up India Scheme during the FY 2017-18. MUDRA facilitation desk with a Nodal Officer created at all Branches.

As on March 31st, 2018, collateral free loans to Micro and Small Sector sanctioned by the Bank increased to 65,732 loans with outstanding amount of Rs. 2,215.50 crores under the guarantee cover from CGTMSE scheme.

Bank has enrolled as Member Lending Institution with NCGTC to secure all Retail Trade advances sanctioned under MUDRA Scheme (Loan amount upto Rs.10.00 lakhs) under the guarantee cover from CGFMU Scheme. As on March 31st, 2018, we have covered 29,391 accounts with an exposure of Rs.307.16 crores under CGFMU Scheme.

Bank has entered into a Tie up arrangement with RXIL and enrolled as member to participate in the TReDS platform for financing against receivables of MSMEs in the online platform. Bank has also Reviewed / Renewed the MoUs with Bharatiya Yuva Shakti Trust (BYST), TVS Motors and Ashok Leyland for financing to MSMEs.

Bank has introduced **IOB GST – EASE Scheme** to facilitate the MSME borrowers to formalize their business from the issues related to input tax credit etc., during post GST implementation.

Exclusive MSME portal created in **IOB ONLINE** with all latest updates on Bank, Regulatory guidelines related to MSME, to facilitate Branches / Regions with the updated information.

Bank has identified 273 Branches with MSME growth potential and designated them as MSME Focused Branches, in addition to the existing 28 Specialized SME Branches. Intensive Training has been provided to all the Branch heads and Credit Officers working in these branches to enrich their knowledge levels and focus on lending to MSME sector.

MSME Relationship officers have been identified in all Specialized SME branches and also in the process of designating the Relationship officers in 273 MSME focused branches.

Bank has identified nine potential clusters Pan India, formulated special schemes to promote MSME credit and also is in the process of identifying more such Clusters.

Ceramic Industry	Morvi, Gujarat State
Textiles Industry	Coimbatore, Tamil Nadu State
Engineering goods	Coimbatore, Tamil Nadu State
Auto components	Chennai / Kancheepuram, Tamil Nadu State
Auto components	NCR Delhi
Engineering & Packaging	NCR Delhi
Plywood Industry	Perumbavoor, Kerala State
Hosiery / Textiles	Ludhiana, Punjab State
Auto / Bicycle components	Ludhiana, Punjab State

Bank is in the process of introducing Online MSME loan processing facility with a loan amount upto Rs.10.00 lakhs to facilitate ease of doing business and it will be introduced in FY2018-19.

Bank has taken various steps and reduced the Turnaround time for processing the MSME credit proposals at all layers. Bank has designated MSME Nodal Officers at all Regional Offices to facilitate quick sanction of MSME loans and follow up of NPA accounts. Bank has also implemented the "Policy on Revival and Rehabilitation of MSMEs" under the New Frame work of RBI and ensured formation of committees at all Regional Offices to consider extending Relief to MSME units under stress.

Bank has undertaken a **Market Survey** in selected Regions to understand the practical issues faced by MSMEs in the post demonetization, GST regime and taken various proactive steps to help MSMEs, which include sanction of additional facilities, reduction of interest rates, concessions in charges, quick disposal etc.,

Retail Banking

The total outstanding amount under the Core Retail credit schemes increased from Rs. 20,349 crores as of March 2017 to Rs. 25,693 crores as of March 2018 showing a growth of 26.26%. The overall retail credit has increased from Rs. 23,887 crores as on March 2017 to Rs. 28,183 crores as on March 2018.

Target has been achieved under Retail disbursement for the FY 2017-18. The total disbursement made was Rs. 15,985 crores against the target of Rs. 11,335 crores. The overall Retail share to total advances has increased from 16% to 19.94%.

Housing Loan portfolio has shown a growth of 36.82% over March 2017 position while the fresh disbursement during the period is Rs. 5,404 crores. The outstanding under Educational Loan Scheme is Rs. 5,009.80 crores registering a growth of 4.55% over the March 2017 position. Under the Vehicle loan scheme, the outstanding stood at Rs. 2,618.27 crores as of March 2018 with fresh disbursements made to the tune of

रु.2,618.27 करोड़ का बकाया है। क्लीन लोन खंड के तहत रु.856 करोड़ बकाया रुपये है।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान प्रस्तुत किए गए नए खुदरा उत्पाद

- विद्या सुरक्षा, एक शैक्षणिक ऋण योजना जो किसी तीसरे पक्ष की गारंटी या संपार्श्विक सुरक्षा के बिना 7.50 लाख रुपये तक क्रेडिट प्रदान करती है। इस योजना के तहत प्राप्त ऋण को 75% डिफ़ॉल्ट सीमा तक क्रेडिट गारंटी कवर प्रदान किया जाता है।
- विद्या श्रेष्ठ, एक ऋण उत्पाद जो भारत के प्रमुख संस्थानों में, देश के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को शैक्षिक ऋण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- खुदरा योजना को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए - संपत्ति के विरुद्ध ऋण (एलएपी) के ऋण मात्रा को रु.25.00 लाख से बढ़ाकर रु.2.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है। ऋण का लाभ उठाने के लिए आय मानदंड में सकल वेतन को रु.30,000/- से प्रति माह से बदल कर रु.75,000/- प्रति माह कर दिया गया है।
- शुभग्रह टॉपअप - इस योजना को बाजार में अनुरूप थोड़ा संशोधित किया गया है। इससे पहले गृह ऋण अवधि के न्यूनतम एक तिहाई के पूरा होने के बाद ही ऋण का लाभ उठाया जा सकता है। अब इस योजना को इस तरह से संशोधित किया गया है कि अधिस्थगन अवधि के पूरा होने के न्यूनतम संतोषजनक 24 महीने के पुनर्भुगतान के बाद इसका लाभ उठाया जा सके।
- उच्च शिक्षा और कौशल विकास के लिए एनसीटी दिल्ली योजना- यह योजना दिल्ली में मान्यता प्राप्त संस्थानों में उच्च शिक्षा / कौशल विकास के लिए शिक्षा ऋण प्रदान करती है। योजना के तहत बिना संपार्श्विक सुरक्षा/तीसरे पक्ष की गारंटी के अधिकतम ऋण राशि रु.10.00 लाख है। यह योजना क्रेडिट गारंटी कवरेज के तहत कवर की गई है।

पैरा बैंकिंग उत्पादों पर प्रदर्शन

बैंककाश्युरेंस और म्यूचुअल फंड बिजनेस के तहत, बैंक ने 2017-18 के दौरान रु.21.25 करोड़ की आय अर्जित की है, जो 2016-17 के मुकाबले 35.95% की वृद्धि है, जहाँ आय रु.15.63 करोड़ थी। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान पैरा बैंकिंग उत्पाद और म्यूचुअल फंड योजनाओं के लिए विभिन्न अभियान चलाए गए, जिसने हमारी पैरा बैंकिंग आय में वृद्धि की है।

आईओबी सुरक्षा

हमारे बैंक ने हमारे सभी ग्राहकों के लिए रु.100+सेवाकर के मामूली वार्षिक प्रीमियम के साथ रु.10 लाख के कवरेज के लिए 14 अप्रैल 2017 को आईओबी सुरक्षा - व्यक्तिगत दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु बीमा योजना की शुरूआत की है। 31.03.2018 को हमारे बैंक ने इस योजना के तहत 9.34 लाख खाताधारकों को कवर किया है।

आईओबी सुरक्षा के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक ने 6.00 करोड़ रुपये के 60 दावों की संख्या तय की है। 60 दावों का निपटारा करके आईओबी ने जीवन को सरल बनाया और रोटी कमाने वाले सदस्य के अचानक निधन के कारण 60 परिवारों की अनिश्चितता को हटा दिया।

शिखर – खुदरा ऋण अभियान

हमारे खुदरा ऋण पोर्टफोलियो को मज़बूती प्रदान करने के लिए और छोटे अग्रिम में वृद्धि करने के लिए, 01.08.2017 से 31.10.2017 तक "शिखर" नाम से एक नया अभियान शुरू किया गया था जिसका लक्ष्य विशेष रूप से खुदरा ऋण पर ध्यान केंद्रित करते हुए ऊंचाई तक पहुंचना था।

अभियान के दौरान समेकित प्रदर्शन:

मानदंड	संख्या	स्वीकृत राशि (राशि करोड़ों में)
गृह ऋण	2,942	528.38
वाहन ऋण	9,290	335.00
अन्य खुदरा	14,257	232.51
बंधक ऋण	1,030	345.49
कुल	**27,519**	**1,441.39**

आईओबी मीट एवं ग्रीट – चरण 2 :

हमारे ग्राहकों से जुड़ने के क्रम में हमने 27.07.2017 से 31.08.2017 तक हमने मीट एंड ग्रीट - सीज़न 2 की शुरुआत की है जिसमें सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखाओं ने बचत, सावधि जमा और अग्रिम के तहत शीर्ष ग्राहकों से मुलाकात की है। अभियान के अंत में, हमारे क्षे.का./शाखा अधिकारियों द्वारा **कुल 80,463 ग्राहकों** से मुलाकात की गई हैजिसमें फीडबैक, सुझाव आदि लिए गए। कुल मिलाकर संतोषजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। इस अभ्यास ने मजबूत संबंध स्थापित किए और ग्राहकों के बीच गलतफहमी को हटा दिया।

एसबी कॉर्प और एसबी प्रीमियम कॉर्प वेतन खाता :

हमारे सीएएसए आधार को बढ़ाने के क्रम में, कॉर्पोरेट वेतन खातों पर विशेष ध्यान देने के साथ, हमने मौजूदा कॉर्पोरेट वेतन खाता योजना को दो नई योजनाओं में बदल दिया है, जिनकी विशेषताएं नए बैंकों सहित अन्य बैंकों के वेतन खाता पैकेज के बराबर हैं।

नई योजनाएँ हैं :

1) आईओबी कॉर्प वेतन खाता

2) आईओबी प्रीमियम कॉर्प वेतन खाता

खाते की विशेषताएं ग्राहकों द्वारा बनाए जाने वाले औसत तिमाही बैलेंस के आधार पर डिज़ाइन की गई हैं। ईएमआई में पुनर्भुगतान के साथ ओवरड्राफ्ट सुविधा जैसी अनूठी विशेषताओं उपलब्ध हैं। स्वयं और पति/पत्नी के लिए विशेष बीमा कवरेज पैक नई एसबी योजनाओं के तहत दिए जाते हैं।

आईओबी सुविधा : हमारे खुदरा जमा पोर्टफोलियो को और बेहतर बनाने के लिए, 10.02.2018 को एक नया जमा उत्पाद **"आईओबी सुविधा" लॉन्च किया गया था।**

उत्पाद की विशिष्ट सुविधा : इनबिल्ट क्रेडिट सुविधा के साथ जमा उत्पाद तुरंत स्वीकृत किया गया है और जमाकर्ता द्वारा नकद क्रेडिट सुविधा के रूप में लिया जा सकता है। मूल राशि का 90% जमा ब्याज दर पर 1% ब्याज

Rs. 1,237 crores during the year. The outstanding under clean loan segment is Rs. 856 crores.

New Retail Products introduced during the FY 2017-18

- Vidya Suraksha, an educational loan scheme that provides credit up to Rs 7.50 Lakhs without any third party guarantee or collateral security. The loans availed under this scheme is provided with credit guarantee cover to extent of 75% of default.
- Vidya Shrest, a loan product designed to provide educational loan to students for pursuing higher education in India, in premier institutions, in country's best engineering and medical colleges.
- In order to make the retail scheme – Loan against property (LAP) more competitive, the loan quantum has been enhanced from Rs. 25.00 Lakhs to Rs. 2.00 crores. Also the income criteria to avail the loan has been changed to Rs. 30,000/- gross pay per month from Rs. 75,000/- per month.
- Subhagruha Topup - The scheme has been modified slightly to fit the market. Earlier loan can be availed only after completion of minimum one third of the housing loan tenor. Now the scheme is modified in such a way it can be availed with minimum satisfactory repayment of 24 months after completion of the moratorium period.
- NCT Delhi Scheme for Higher Education and Skill Development -The scheme provides education loan for higher education/Skill Development in recognized institutions in Delhi. The maximum loan amount under the scheme is Rs. 10.00 Lakhs with no collateral security/ third party guarantee. The scheme is covered under the Credit guarantee coverage.

Performance on Para Banking Products

Under Bancassurance and Mutual Fund Business, the Bank has earned income of Rs.21.25 crores during the year 2017-18 which is 35.95 % growth over 2016-17 where in the income was Rs.15.63 crores. Various campaigns were floated for Para banking Products and Mutual Fund Schemes during the financial year 2017-18, which increased our Para banking income.

IOB Suraksha

Our Bank has launched IOB Suraksha - Personal Accidental Death Insurance Scheme on 14th April 2017 for coverage of Rs.10 Lakhs with a nominal annual Premium of Rs.100 + Service Tax for all our Customers. Our Bank has covered 9.34 Lakhs account holders under this scheme as on 31.03.2018.

During the financial year 2017-18 under IOB Suraksha, Bank has settled 60 number of claims amounting to Rs.6.00 crores. By settling 60 numbers of claims IOB lit the life and removed the uncertainty in 60 families due to sudden demise of their bread earner.

Shikhar – Retail Loan Campaign

In order to give thrust to our Retail Loan portfolio and have an increase in small ticket advances, a new campaign by the name "SHIKHAR" w.e.f from 01.08.2017 to 31.10.2017 was started which was aimed towards reaching to greater heights with a special focus on Retail Loans only.

The overall performance during the campaign period:

PARAMETER	NUMBER	SANCTIONED AMOUNT (Amt in Crores)
Housing Loans	2,942	528.38
Vehicle Loans	9,290	335.00
Other Retail	14,257	232.51
Mortgage Loans	1,030	345.49
TOTAL	**27,519**	**1,441.39**

IOB Meet & Greet – Season 2:

As a part of connecting with our customers we have launched our Meet & Greet – Season 2 from 27.07.2017 to 31.08.2017 wherein all the Regional Offices/Branches met the top clients under Savings, Term Deposits and Advances. At the end of the program, **a total of 80,463 customers** have been met by our RO/ Branch officials and feedback/suggestions were taken. Overall satisfactory feedback was received. The exercise established stronger relationship and removed the misgivings amongst the clients.

SB Corp and SB Premium Corp Salary Account:

In order to increase our CASA base with a special focus on corporate salary accounts, we have revamped the existing corporate salary account scheme into 2 new schemes whose features are at par with the salary account packages of other Banks including new Gen Banks.

The New Schemes are:

1) IOB CORP Salary Account

2) IOB Premium CORP Salary Account

The features of the account are designed based on the Average Quarterly Balance to be maintained by the customers. Unique features like Overdraft facility with repayment in EMIs is available. Special Insurance coverage packs for self and spouse are given under the new SB schemes.

IOB Suvidha: With a view to improve our Retail Deposits portfolio, a new deposit product **"IOB Suvidha" was launched on 10.02.2018.**

Unique Feature of the product: The deposit product with inbuilt credit facility sanctioned instantly and can be availed as Cash Credit Facility by the depositor. 90% of the principal amount is sanctioned as limit with an interest rate @ 1% over the deposit

दर साथ सीमा के रूप में स्वीकृत है। ग्राहक को एक व्यक्तिगत चेक बुक जारी की जाती है।

आईओबी सरल

खुदरा जमाओं के पोर्ट फोलियों में वृद्धि करने हेतु बैंक ने दिनांक 15.12.2017 को ''आईओबी सरल'' नामक नए जमा उत्पाद को लांच किया इस उत्पाद की सबसे खास बात यह है कि इसमें पूरी जमा को तोडे बिना एवं पूरी राशि पर ब्याज गवाएं बिना .रु.1000 के गुणक में आंशिक आहरण कर सकते हैं । इस योजना की सबसे आकर्षक बात यह है कि इसके तहत ग्राहक किसी भी समय पूरी जमा राशि से .रु.1000 के गुणक में आंशिक आहरण कर सकते हैं । इस प्रकार की आहरित राशि पर देय ब्याज की गणना उस अवधि के लिए की जाएगी जितने समय के लिए वो जमाएं लागू रहेंगी एवं इससे पूर्व समापन प्रभारों को घटाया जाएगा । शेष जमा राशि पर परिपक्वता तक करार की गई ब्याज दर लागू रहेगी ।

नई पहल

- **आईओबीइंडिया' आधिकारिक यूट्यूब चैनल और आधिकारिक इंस्टाग्राम :** वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी कॉर्पोरेट वीडियो साझा करने करते हुए ग्राहकों के साथनिकटता बनाई है। बैंक ने इंस्टाग्राम का उपयोग शुरू किया जहां आधिकारिक फोटो साझा की जाती हैं। पृष्ठ को केंद्रीय कार्यालय के सोशल मीडिया प्रबंधन और प्रतिक्रिया टीम द्वारा संभाला जा रहा है। **(एसएमएमएआरटी)**
- **टीएएनजीईडीसीओ प्रत्यक्ष भर्ती परीक्षा शुल्क एकत्रीकरण :** उनकी भर्ती प्रक्रिया के लिए आईओबी को वित्त वर्ष 2017-18 से शुल्क एकत्रित करने वाले बैंकके रूप में चुना गया है और हमारे द्वारा प्रसंस्कृत प्रत्येक लेनदेन के लिए हमारा बैंक रु.12/- प्राप्त करने के योग्य है, जो शुल्क के आधार पर आय की अच्छी कमाई करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

मध्य कॉर्पोरेट

मध्य कॉर्पोरेट विभाग उधारकर्ताओं की 40 करोड़ रुपये से 100 करोड़ रुपये तक की उधार की आवश्यकताओं को पूरा करता है। मौजूदा बाजार स्थितियों में, संपत्ति की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, बैंक नई/उन्नत क्रेडिट सीमाओं को विस्तारित करने में वरणात्मक रहा है। वर्ष 2017-18 के दौरान, मध्य कॉर्पोरेट विभाग ने 1,707.44 करोड़ रुपये की कुल क्रेडिट सीमा मंजूर की है (नए : रु.879.14 करोड़ और वृद्धि : रु.828.30 करोड़)। 31 मार्च 2018 तक मध्य कॉरपोरेट सेगमेंट के तहत कुल एक्सपोजर 12,539 करोड़ रुपये (8,900 करोड़ रुपये के फंड आधारित एक्सपोजर और 3,638 करोड़ रुपये के गैर फंड आधारित एक्सपोजर सहित) है।

वृहद कॉर्पोरेट

वृहद कॉर्पोरेट कृषि, खुदरा और एमएसएमई के अलावा उधारकर्ताओं की आवश्यकता की पूर्ति करता है, जहाँ एक व्यक्तिगत उधारकर्ता के लिए क्रेडिट की आवश्यकता 100.00 करोड़ रुपये से अधिक है। इस के तहत, बैंक के पास विभिन्न कोर उद्योगों और अन्य खंडों में फैले 68,012.90 करोड़ रुपये का फंड आधारित एक्सपोजर है और 26,191.74 करोड़ रुपये के गैर फंड आधारित एक्सपोजर हैं। वर्ष के दौरान, बैंक ने पूरे भारत में कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए, ज्यादातर निवेश ग्रेड खातों और / या राज्य सरकार में गारंटीकृत खातों की बढौतरी के लिए 6,884.09 करोड़ रुपये के 46 प्रस्तावों और 6,783.51 करोड़ रुपये के 22 नए प्रस्तावों के साथ कुल 13,667.60 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। बैंक ने गैर-निवेश ग्रेड खातों से बाहर निकलने/कम करने के उपायों की शुरुआत की है, जिनसे आगामी वर्ष के दौरान परिणाम मिलने की उम्मीद है। इस प्रकार से बाहर निकलने के मार्ग की शुरुआत के रूप में, बैंक ने वित्त वर्ष 2018 के दौरान तनावग्रस्त क्षेत्र में 3,970.00 करोड़ रुपये के जोखिम को कम किया है। रियायतों को वापस लेने, मूल्यांकन को अपग्रेड करने के लिए कंसोर्टियम में विचार-विमर्श, अतिरिक्त एक्सपोजर इत्यादि से बचने के उपाय किए गए हैं।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, केंद्रित ऋण को बढ़ावा देने के लिए, वृहद कॉर्पोरेट विभाग ने विशेष रूप से वृहद कॉर्पोरेट शाखाओं (एलसीबी) को चलाने के लिए वृहद कॉर्पोरेट कक्षों का गठन किया गया था। एलसीबी शाखाओं की संख्या को 7 से बढ़ाकर 13 किया गया जो पूर्ण भारत में कार्यरत है।

ये विशिष्ट शाखाएं वृहद कॉर्पोरेट सेगमेंट के तहत आने वाले उधारकर्ताओं को उधार देने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही हैं, जिससे क्रेडिट मूल्यांकन और क्रेडिट के त्वरित वितरण में आवश्यक विशेषज्ञता उपलब्ध हो रही है।

इन विशेष बड़ी कॉर्पोरेट शाखाओं के प्रस्ताव सीधे केंद्रीय कार्यालय में संबंधित विभाग द्वारा संसाधित किए जाते हैं जिन्हें अंचल कार्यालयों के माध्यम से अग्रेषित किया जाता है। इसने टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) में सुधार किया है।

स्थिर बदलाव के एक हिस्से के रूप में, यह सरकारी गारंटीकृत अग्रिम और 'ए' रेटेड खातों सहित कम जोखिम भार संपत्ति पर केंद्रित है। विभाग बिजली, इस्पात और सड़क जैसे व्यवहार्य जहाँ भी संभव हो वहाँ तनावग्रस्त क्षेत्र से एक्सपोजर / निकास को कम करने के प्रयास कर रहा है।

प्राथमिक क्षेत्र उधार

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए चार तिमाहियों की औसत उपलब्धि 5,024 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 70,040 करोड़ रुपये थी और बैंक ने कुल प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों के तहत 47.47% हासिल करके एएनबीसी के 40% के अनिवार्य मानदंड को पार कर लिया है। ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं और ग्रामीण विकास अधिकारियों के रणनीतिक दृष्टिकोण के कारण पिछले वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान एएनबीसी 40.33% की उपलब्धि के मुकाबले उपरोक्त 47.47% को प्राप्त करके वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान हमारे प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिम में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। हमारी ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाएं कुल शाखाओं का 57.38% होते हुए और 412 विशेष ग्रामीण विकास अधिकारियों के मजबूत श्रमिकों के साथ इन केंद्रों में प्रभावी ढंग से अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए मुख्य रूप से प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में जुटी हुई हैं, इनसे वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र की प्रगति के विकास और विकास में बहुत अच्छा परिणाम सामने आया है।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान हमारे बैंक ने 1,405 करोड़ रुपये के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाण पत्र को बेचा है, जिनमें से 1,300 करोड़ रुपये एसएफ/एमएफ के तहत हैं और सामान्य श्रेणी के तहत 105 करोड़ रुपये हैं और इससे 4.40 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित हुआ है। वर्ष के दौरान प्राथमिकता

interest rate. A personalized cheque book is issued to the customer.

IOB Saral: With a view to improve our Retail Deposits portfolio, Bank launched on 15.12.2017 a new deposit product "IOB SARAL". Unique Feature of the product is Partial withdrawal of the amount in multiples of Rs.1000/- without disturbing the whole deposit and without losing the interest for the whole amount. Under this scheme the customers can partially withdraw the amount in multiples of Rs.1000/- any time from the total deposit. The interest payable for such withdrawn amount will be calculated at the rate for the period the deposit has run less applicable preclosure charges. The balance deposit amount will continue as it is with the contracted rate till maturity.

New Initiatives

- **"IOBIndia" Official YouTube channel and official Instagram:** During the year, the Bank moved closer to the customers through its YouTube channel sharing all our corporate videos through this platform. Bank started the use of Instagram where official images are shared. The page is being handled by its Social Media Management and Response Team at Central Office. **(SMMART).**
- **TANGEDCO Direct Recruitment Examination Fee Collection:** For their recruitment process IOB has been chosen to be one of the fee collecting banks which will pave way to earn a good amount of Fee Based Income.

Mid Corporate

Mid Corporate Department caters to the lending requirements of borrowers in the range of Rs.40 crores and upto Rs.100 crores. In the prevailing market conditions, to maintain the asset quality, the Bank has been selective in extending new/ enhanced credit limits. During the year 2017-18, Mid Corporate Department has sanctioned total credit limits of Rs. 1,707.44 crores (Fresh: Rs. 879.14 crores and Enhancement: Rs. 828.30 crores). Aggregate exposure under Mid Corporate segment as on 31st March 2018 is Rs. 12,539 crores (Including Fund Based exposure of Rs. 8,900 crores and Non fund based exposure of Rs. 3,638 crores).

Large Corporate

Large Corporate caters to the requirement of borrowers other than agriculture, retail and MSME, where credit requirement is above Rs.100.00 crores for an individual borrower. Under this vertical, Bank has Fund based exposure of Rs. 68,012.90 crores and Non Fund based exposure of Rs. 26,191.74 crores spread over various core industries and other segments. During the year, the bank has sanctioned 46 proposals for Rs. 6,884.09 crores with enhancement and 22 fresh proposals for Rs. 6,783.51 crores totaling to Rs. 13,667.60 crores for Corporate Clients all over India, mostly in Investment grade accounts and/or accounts guaranteed by State Government. Bank has initiated measures to exit/reduce the Non- Investment grade accounts, which is expected to yield results during ensuing year. As initiation of exit route, bank has reduced exposure to the tune of Rs. 3,970.00 crores during the FY2018 in stressed sector. Measures like withdrawing concessions, deliberating in consortium for upgrading rating, avoiding additional exposure etc., have been taken.

During FY2017-18, in order to promote focused lending, LCB cell was formed in Large Corporate Department to cater exclusively to Large Corporate Branches (LCB). LCB Branches were enhanced from 7 to 13 which operate all over India.

These Specialized Branches are focusing in lending to borrowers coming under Large Corporate Segment, making available necessary expertise in Credit Appraisal and quick delivery of credit.

The proposals from these specialized large corporate branches are directly processed by respective department at Central Office which is forwarded through Zonal Offices. This has improved the Turn around Time (TAT).

As a part of steady turnaround, it is focused on lower Risk Weight Assets including Government Guaranteed advance and 'A' rated accounts. The department is taking efforts to reduce the exposure/exit from stressed sector, wherever feasible like Power, Steel and Road.

Priority Sector Credit

The average achievement of four quarters for the FY 2017-18 stood at Rs. 70,040 crores against the target of Rs. 59,024 crores and the Bank has surpassed the mandatory norm of 40% of ANBC by achieving 47.47% under Total Priority sector advances. Our Priority sector advance witnessed an unprecedented growth during FY 2017-18 by achieving the aforesaid 47.47% of ANBC against the achievement of 40.33% during the previous FY 2016-17 due to the strategic approach in leveraging the Rural / Semi Urban branches and Rural Development Officers. Our Rural and Semi urban branches mainly engaged in priority sector credit, constitute 57.38% of the total branches and with the strong workforce of 412 specialized Rural Development Officers being reoriented to render their services effectively in these centers, has yielded a very good result in the growth and development of Priority sector advances during the FY 2017-18.

During the FY 2017-18 our Bank has sold Priority Sector Lending

क्षेत्र की अग्रिम के तहत एएनबीसी के 47.47% की औसत उपलब्धि उपर्युक्त पीएसएलसी बिक्री की कटौती के बाद है।

वित्तीय वर्ष के दौरान, नाबार्ड द्वारा आयोजित राज्य क्रेडिट संगोष्ठी की स्थिति में बैंक को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, तमिलनाडु 2016-17 के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार मिला है।

कृषि

वित्त वर्ष 2017-18 की चार तिमाहियों की औसत उपलब्धि 26,561 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 29,851 करोड़ रुपये थी और बैंक ने कृषि प्रगति के तहत 20.23% प्राप्त करके एएनबीसी के 18% के अनिवार्य मानदंड को पार कर लिया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान एसएफ / एमएफ श्रेणी के तहत 1,300 करोड़ रुपये पीएसएलसी की बिक्री के बाद भी वित्त वर्ष 2016-17 के 18.19% की तुलना में एएनबीसी के 20.23% की औसत उपलब्धि के साथ कृषि विकास में पर्याप्त वृद्धि हुई है । वर्ष के दौरान बैंक ने विशेष कृषि उधार योजना (एसएसीपी) के निर्धारित लक्ष्य रु.30,000 करोड़ से अधिक रु.30,968 करोड़ की राशि का वितरण किया है ।

छोटे और सीमांत किसानों को ऋण

वित्त वर्ष 2017-18 की चार तिमाहियों की औसत उपलब्धि 11,805 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 15,894 करोड़ रुपये थी और बैंक ने छोटे/ सीमांत किसानों को ऋण के तहत 10.77% प्राप्त करके एएनबीसी के 8% के अनिवार्य मानदंड को पार कर लिया है। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 1,300 करोड़ रुपये के पीएसएलसी - एसएफ / एमएफ की बिक्री को कम करने के बाद यह उपलब्धि हासिल की गई है और वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 8.09% की औसत उपलब्धि की तुलना में इस क्षेत्र के तहत विकास को उच्च माना जा सकता है।

गैर कॉरपोरेट किसानों को ऋण

रू 17,265 करोड़ लक्ष्य के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए चार तिमाहियों की औसत प्राप्ति रू 20,795 करोड़ रही और बैंक ने गैर कॉर-पोरेट किसानों को ऋण के तहत 14.09 प्रतिशत प्राप्ति करके एएनबीसी के 11.78 प्रतिशत के बाध्यकारी मानदंड को पार किया।

कमज़ोर वर्ग को ऋण

वित्त वर्ष 2017-18 की चार तिमाहियों की औसत उपलब्धि 14,756 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 20,132 करोड़ रुपये थी और बैंक ने कमजोर वर्ग को ऋण के तहत 13.64% ऋण प्राप्त करके एएनबीसी के 10% के अनिवार्य मानदंड को पार कर लिया है।

माइक्रोफाइनेंस

वर्ष के दौरान, बैंक ने 37,831 स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को 1,247 करोड़ रुपये के क्रेडिट व्यय के साथ जोड़ा गया। मार्च 2018 तक 9,919.5 करोड़ रुपये के कुल वितरण के साथ बैंक द्वारा जुड़े एसएचजी क्रेडिट की संचयी संख्या 7,00,065 है। 31 मार्च 2018 तक कुल 257 करोड़ रुपये की शुद्ध शेष राशि के साथ एसएचजी बचत बैंक संबंध समूह की संख्या 1,06,073 है।

वित्तीय वर्ष के दौरान, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से मध्यम आकार के बैंकों, डीएई- एनआरएलएम - 2016-17 की श्रेणी के तहत एसएचजी - बैंक लिंकेज में उच्च वृद्धि दर रिकॉर्ड करने के लिए बैंक को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 2016-17 के दौरान तमिलनाडु राज्य में एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए भी सार्वजनिक क्षेत्र वाणिज्यिक बैंकों के बीच हमारा बैंक को दूसरा पुरस्कार प्रदान किया गया है।

महिलाओं को उधार

31 मार्च 2018 तक महिलाओं को बैंक का क्रेडिट 14,933.72 करोड़ रुपये था, जो बैंक के समायोजित नेट बैंक क्रेडिट का 10.00% था।

हमारे बैंक ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए **आईओबी सागर लक्ष्मी** नाम की तीन विशेष योजनाएं तैयार की हैं : फिशर महिलाओं को ऋण, **आईओबी भूमि शक्ति:** कृषि के तहत सभी गतिविधियों के लिए महिलाओं को ऋण और **आईओबी एसएमई महिला प्लस:** विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के तहत महिला उद्यमियों को ऋण।

बैंक ने **आईओबी भूमि शक्ति योजना** के तहत महिला लाभार्थियों को 50,000 रुपये तक की सीमा के लिए 0.50% की दर से 500 रुपये और 50,000 रुपये से अधिक के लिए 0.25% और **विद्या ज्योति एजुकेशनल ऋण योजना** के तहत छात्राओं को 0.50% की ब्याज रियायत प्रदान कर रहा है।

वित्तीय समावेशन

बिना बैंक वाले क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए बैंक ने आबंटित उप-सेवा क्षेत्र (एसएसए) में 2,590 व्यवसाय प्रतिनिधियों को प्रवृत्त किया है और 41 शहरी व्यवसाय प्रतिनिधियों सहित बिना आबंटन वाले एसएसए में 123 व्यवसाय प्रतिनिधियों ओक प्रवृत्त किया है। बैंक ने 23,16,017 स्मार्ट कार्ड जारी किए हैं और स्मार्ट कार्ड टर्मिनल में किए गए लेनदेन की संख्या 4,89,27,526 है। यह कहना उचित है कि तमिलनाडु सरकार के साथ सम-न्वय में, आईओबी स्मार्ट कार्ड बैंकिंग ने लगभग 2.99 लाख वृद्धावस्था पेंश-नभोगियों अपने मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए और लगभग 0.25 लाख श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों को 61 कैंप में उनके मासिक डोल प्राप्त करने के लिए सक्षम कर रही है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के मुताबिक, बैंक ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) ऑन-यूएस और ऑफ-यूएस लेनदेन व्यापार संवाददाता हाथ से आयोजित उपकरणों में सक्षम किया। 31 मार्च 2018 तक व्यापार संवाददाताओं द्वारा 1,72,74,083 एईपीएस ऑन-यूएस और ऑफ-यू लेनदेन किए गए थे।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई):

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार बैंक पीएमजेडीवाई लागू कर रहा है। यह योजना 15 अगस्त 2014 को भारत के प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई थी। बैंक ने 43,88,020 बीएसबीडी खातों को खोते और इस योजना के तहत 31 मार्च 2018 तक 41,24,821 रुपे डेबिट कार्ड जारी किए हैं, जिनमें से ग्राककों द्वारा 54% कार्ड सक्रिय किए गए हैं।

आधार विनियम, 2016 के अनुसार आधार नामांकन और अद्यतन केंद्र।

आधार विनियम, 2016 के अनुसार, यूआईडीएआई ने बैंकों को शाखा परिसर में आधार नामांकन / अद्यतन केंद्र स्थापित करने हेतू सूचित किया। हमारे बैंक ने 335 शाखाओं में और 91 आरआरबी शाखाओं मं आधार नामांकन केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है अर्थात आरआरबी-पीआरबी में 36 शाखाएँ और आरआरबी-ओजीबी में 55 शाखाएँ। बैंक ने आधार नामांकन केंद्रों की स्थापना के लिए शाखाओं में से 335 स्टाफ सदस्यों की "पर्यवेक्षक / सत्या-पनकर्ता" के रूप में पहचान की है। पर्यवेक्षकों के रूप में सभी 335 सदस्यों को यूआईडीएआई द्वारा प्रशिक्षित और प्रमाणित किया गया है। 31.03.2018 तक, मैसर्स आईआईटीआई लिमिटेड द्वारा 191 ऑपरेटरों को आउटसोर्स

Certificate of Rs. 1,405 crores out of which Rs. 1,300 crores are under SF/MF and Rs.105 crores under General category and earned a profit of Rs.4.40 crores. The average achievement of 47.47% of ANBC under priority sector advances during the year is after reduction of the above PSLC sale.

During the Financial year, the Bank has received Award for Excellent Performance under Priority Sector Lending, Tamil Nadu 2016-17 in the event of State credit seminar organized by NABARD.

Agriculture

The average achievement of four quarters for the FY 2017-18 stood at Rs. 29,851 crores against the target of Rs. 26,561 crores and the Bank has surpassed the mandatory norm of 18% of ANBC by achieving 20.23% under Agriculture advances. There is substantial growth in Agriculture advances with average achievement of 20.23% of the ANBC during the FY 2017-18 from 18.19% during FY 2016-17, even after sale of Rs. 1,300 crores of PSLC under SF/MF category. The Bank disbursed Rs. 30,968 crores under Special Agriculture Credit plan (SACP) as against the target of Rs. 30,000 crores during the year.

Loans to Small and Marginal farmers

The average achievement of four quarters for the FY 2017-18 stood at Rs. 15,894 crores against the target of Rs. 11,805 crores and the Bank has surpassed the mandatory norm of 8% of ANBC by achieving 10.77% under loans to Small/ Marginal farmers. This achievement is arrived at after reducing the sale of PSLC – SF/MF of Rs. 1,300 crores during FY 2017-18 and the growth under the sector is considered to be high when compared to the average achievement of 8.09% during the FY 2016-17.

Loans to Non-Corporate farmers

The average achievement of four quarters for the FY 2017-18 stood at Rs. 20,791 crores against the target of Rs. 17,265 crores and the Bank has surpassed the mandatory norm of 11.78% of ANBC by achieving 14.09% under loans to Non- Corporate farmers.

Loans to Weaker Section

The average achievement of four quarters for the FY 2017-18 stood at Rs. 20,132 crores against the target of Rs. 14,756 crores and the Bank has surpassed the mandatory norm of 10% of ANBC by achieving 13.64% under loans to Weaker Section.

Microfinance

During the year, the Bank credit-linked 37,831 Self Help Groups (SHGs) with a credit outlay of Rs. 1,247 crores. The cumulative number of SHGs credit linked by the Bank is 7,00,065 and with a total disbursement of Rs. 9,919.85 crores as of March 2018. The total SHG Savings Bank linkage is 1,06,073 groups with net balance of Rs.257 crores as on 31st March 2018.

During the Financial Year, the Bank has received National Award for recording high growth rate in SHG – Bank Linkage under the category of Medium Sized Banks, DAY- NRLM - 2016-17 from Ministry of Rural Development, Govt. of India. Our Bank is also awarded 2nd prize among Public Sector Commercial Banks for Excellence in Performance under SHG- BANK Linkage Programme in the State of Tamil Nadu during the year 2016-17.

Credit flow to women

Bank's credit to women stood at Rs. 14,933.72 crores as of 31st March 2018 which constitutes 10.00% of the Bank's Adjusted Net Bank Credit.

Our Bank has formulated three Special schemes exclusively for women namely **IOB Sagar Lakshmi:** Loans to Fisher women, **IOB Bhoomi Shakti:** Loans to women for all activities under Agriculture and **IOB SME Mahila Plus:** Loan to women entrepreneurs under manufacturing and service sectors.

The Bank is providing Interest concession at the rate of 0.50% for limits up to Rs. 50,000 and 0.25% for limits above Rs. 50,000 to women beneficiaries under **IOB Bhoomi Shakti scheme** and interest concession of 0.50% to the Girl student under **Vidhya Jyothi Educational Loan scheme.**

Financial Inclusion

Bank has engaged 2,590 Business Correspondents (BCs) in allotted Sub-Service Area (SSA) & 123 BCs in un-allotted SSA including 41 Urban BCs for providing Banking facilities in un-banked areas. The Bank has issued 23,16,017 smart cards and the number of transactions undertaken in the smart card terminal is 4,89,27,526. It is noteworthy to state that in co ordination with Government of Tamil Nadu, IOB Smart Card Banking has been enabling about 2.99 lakh old age pensioners to get their monthly pension and about 0.25 Lakh Sri Lankan Tamil Refugees in 61 camps to obtain their monthly dole.

As per the guidelines from MoF, GOI, the Bank enabled Aadhar Enabled Payment System (AEPS) ON-US and OFF-US Transactions in Business Correspondent Hand Held Devices. As on 31st March 2018, 1,72,74,083 AEPS ON-US and OFF-US transactions were carried out by Business Correspondents.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY):

The Bank is implementing PMJDY as per the directives of Ministry of Finance, Govt. of India. The Scheme was launched by the Prime Minister of India on 15th August 2014. The Bank has opened 43,88,020 BSBD Accounts and issued 41,24,821 RuPay Debit Cards till 31st March 2018 under this scheme out of which 54% cards have been activated by the customers.

Aadhaar enrolment and update centres as per Aadhaar Regulations, 2016.

As per Aadhaar Regulations, 2016, UIDAI has advised Banks to establish Aadhaar enrolment/update Centres in Branch premises. Our Bank has decided to establish Aadhaar Enrolment centres in 335 Branches and in 91 Branches of our RRBs i.e 36 Branches in PGB and 55 Branches in OGB. Bank has identified 335 Staff Members as "Supervisor/Verifier" from

किया गया, हमारे बैंक के ईए कोड - 0659 के तहत मैप किया गया है और बैंक ने हमारी 132 शाखाओं के परिसर में आधार नामांकन / अद्यतन केंद्र स्थापित किए।

जनसुरक्षा योजनाएँ

01 जून 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा जनसुरक्षा योजनाओं की शुरुआत की गई। बैंक पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और अटल पेंशन योजना जैसी पेंशन योजनाओं जैसे जनसुरक्षा योजनाओं के तहत ग्राहकों को नामांकित कर रहा है। 31.03.2018 तक, जन सुरक्षा और अटल पेंशन योजना योजनाओं के तहत नामांकन संख्या नीचे दी गई है:

योजनाएँ	31.03.2018 को नामांकन की स्थिति (संचयी)	वर्ष 2017-18 के दौरान नामांकन की स्थिति
पीएमजेजेबीवाई	8,89,777	46,758
पीएमएसबीवाई	27,73,384	81,130
कुल	36,63,161	1,27,888

"उन्नत पहुंच और सेवा उत्कृष्टता" (ईएएसई) के संबंध में - पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत उधार लेने वाले व्यक्तियों और उधारी संस्थाओं के कर्मचारियों को कवर करने के लिए एमएसएमई, कृषि और अन्य खुदरा वितरण के साथ टैगिंग द्वारा सूक्ष्म बीमा कवरेज में भारी विस्तार मिलता है। बैंक एमएसएमई / कृषि / खुदरा के तहत ऋण स्वीकृति के साथ नामांकन के स्वचालन की प्रक्रिया में है। बैंक जून 2018 तक नेट बैंकिंग के माध्यम से पीएमजेजेबीवाई / पीएमएसबीवाई नामांकन के लिए प्रावधान भी सक्षम कर रहा है।

अटल पेंशन योजना

वित्तीय वर्ष	नामांकन
2015-16	18,540
2016-17	60,084
2017-18	1,11,959
कुल एपीवाई नामांकन (संचयी)	**1,90,583**

ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसटीआई)

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक किसानों को प्रशिक्षण, एसएचजी के सदस्यों, एसजीएसवाई के तहत लाभार्थियों, शिक्षित बेरोजगार युवाओं, कमजोर वर्गों से संबंधित कारीगरों और लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बैंक ने कुल 13 आरएसटीआई सहित सभी लीड जिलों में 12 आरएसटीआई स्थापित किए हैं। उपर्युक्त के अलावा, बैंक ने आदिवासी लोगों के लाभ के लिए नीलगिरी जिले में एक आरएसईटीआई स्थापित की है। आरएसटीआई का प्रबंधन बैंक द्वारा स्थापित स्नेहा ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आरएसईटीआई ने 462 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं जो 10, 929 बेरोजगार युवाओं को लाभान्वित करते हैं। उन्होंने 70% संचयी सेटलमेंट और 50% संचयी क्रेडिट सेटलमेंट को भी क्रमशः 66% और 42% के राष्ट्रीय औसत से ऊपर हासिल किया है।

वित्तीय साक्षरता

वर्ष के दौरान, बैंक ने 23 स्थानों पर स्थापित वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एसएएनईएचए) के माध्यम से वित्तीय साक्षरता प्रदान करके कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की ओर रु 0.28 करोड़ खर्च किए हैं। इन केंद्रों के सलाहकार ग्रामीण और शहरी इलाकों में औपचारिक वित्तीय संस्थानों से उपलब्ध विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के संबंध में लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, आमने-सामने वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं और ऋणी व्यक्तियों को ऋण परामर्श प्रदान करते हैं। वे विभिन्न स्थानों पर आवधिक शिविर भी आयोजित कर रहे हैं। चालू वर्ष के दौरान, एफएलसी काउंसलर्स ने 10,810 क्रेडिट परामर्श आयोजित किए हैं, जिसमें 1,041 वित्तीय साक्षरता शिविर हैं और 6,810 एसबी खाते खोले गए। उपर्युक्त सभी सलाहकारों के अलावा, वित्तीय प्रणाली में नए शामिल लोगों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार डिजिटल वित्तीय साक्षरता पर 45,881 प्रत्याशियों और 74,119 लाभार्थियों को कवर करके एसएचजी, छात्र, वरिष्ठ नागरिक, किसान और सूक्ष्म और लघु उद्यमियों जैसे लक्ष्य समूह के लिए 355 शिविरों के साथ 280 विशेष शिविर आयोजित किए गए हैं।

यूआईडीएआई कक्ष

यूआईडीएएल सेल ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एनपीसीआई के माध्यम से, आधार मैप फ़ाइल का उत्पादन और भारत सरकार के प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएईजी) योजना के लिए प्रायोजक बैंक के रूप में कार्य करने वाली डीबीटी और डीबीटीएल फाइलों की प्रसंस्करण में शामिल है। डीबीटी / डीबीटीएल योजनाओं के तहत कुल 5.07 करोड़ लेनदेन संसाधित किए गए थे जिसमें 2017-18 के दौरान 5,456 करोड़ रुपये संसाधित हुए । उपरोक्त लेनदेन को संसाधित करने के लिए आयोग द्वारा अर्जित 14.28 करोड़ रुपये थे|

राज्य स्तरीय बैंकरों की समिति (एसएलबीसी)- तमिलनाडु

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य स्तरीय बैंकरों की समिति (एसएलबीसी) लीड बैंक योजना के अंतर्गत आती है। एसएलबीसी एक राज्य स्तर पर संस्थागत फोरम है जो बैंकिंग विकास से संबंधित मामलों पर सरकारी बैंकों के बीच समन्वय सुनिश्चित करती है । इण्डियन ओवरसीज बैंक एसएलबीसी, तमिलनाडु का संयोजक बैंक है।

एसएलबीसी गरीबी उन्मूलन, नियोजित रोजगार, गैर बैंक वाले क्षेत्रों में बैंकिंग आउटलेट, वित्तीय साक्षरता आदि में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक प्रोग्रामर को प्रभावी कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करती है । एसएलबीसी की भूमिका यह रहती है कि लीड बैंक योजना की समीक्षा करने के लिए आरबीआई द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति को मजबूती प्रदान करे |

प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) तमिलनाडु

पीएमजेडीवाई वित्तीय समावेश पर राष्ट्रीय मिशन है जिसमें देश के सभी घरों के व्यापक वित्तीय समावेश को लाने के लिए निरंतर प्रयासों का दृष्टिकोण शामिल है। इस योजना में प्रत्येक घर, वित्तीय साक्षरता, क्रेडिट तक पहुंच, बीमा एएनसी पेंशन सुविधा के लिए कम से कम एक मूल बैंकिंग खाते के साथ बैंकिंग सुविधाओं के सार्वभौमिक पहुंच की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, लाभार्थियों को रूपए कार्ड दिया जाएगा जिसमे 1 लाख रूपए का दुर्घटना बीमा कवर अंतर्निहित किया गया है |

Branches for establishment of Aadhaar enrolment centres. All 335 Staff members have been trained and certified by UIDAI as Supervisors. As on 31.03.2018, 191 Operators outsourced by M/s.ITI Ltd., have been mapped under our Bank's EA Code – 0659 and Bank has established Aadhaar Enrolment/Update centre in the premises of our 132 Branches.

Jansuraksha Schemes

The Jansuraksha Schemes were launched by the Prime Minister of India on 1st June 2015. The Bank is enrolling customers under Jansuraksha schemes like PMJJBY, PMSBY and Pension schemes like Atal Pension Yojana. As on 31.03.2018, the enrollment count under Jan Suraksha and Atal Pension Yojana schemes is as below:

Schemes	Status of enrolment as on 31.03.2018 (Cumulative)	Status of Enrolment during the year 2017-18
PMJJBY	8,89,777	46,758
PMSBY	27,73,384	81,130
Total	36,63,161	1,27,888

"Enhanced Access & Service Excellence" (EASE) - Mandates massive expansion in Micro Insurance Coverage by tagging with MSME, Agricultural and other Retail disbursements to cover borrowing individuals and employees of borrowing entities under PMJJBY & PMSBY. Bank is in the process of automation of enrolment along with loan sanction under MSME /Agri/Retail. Bank is also enabling provision for enrolling PMJJBY/PMSBY through net banking by June 2018.

Atal Pension Yojana

Financial Year	Enrolments
2015-16	18,540
2016-17	60,084
2017-18	1,11,959
Total APY Enrolments (Cumulative)	**1,90,583**

Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs)

In line with the guidelines issued by Ministry of Rural development, Govt of India, the Bank had set up total 13 RSETIs of which 12 RSETIs are in Lead Districts, to provide training to farmers, members of SHGs, beneficiaries under SGSY, Educated unemployed youth, artisans and beneficiaries belonging to weaker sections. In addition to the above, the Bank has set up one RSETI in the Nilgiris District for the benefit of the tribals. The RSETIs are managed by SNEHA trust established by the Bank. During the year under review, the RSETIs have conducted 462 training programs benefiting 10,929 unemployed youth. They have also achieved cumulative settlement of 70 % and Cumulative credit settlement of 50 % which are well above the national average of 66% and 42% respectively.

Financial Literacy

During the year, the Bank has spent about Rs.0.28 crore towards Corporate Social Responsibility by imparting Financial Literacy through Financial Literacy Centers (SNEHA) established at 23 locations. The counselors of these centers are educating the people in rural and urban areas with regard to various financial products and services available from formal financial institutions, provide face-to-face financial counseling services and offer debt counseling to indebted individuals. They are also conducting periodical camps at various places. During the current year, FLC Counselors have conducted 10,810 credit counseling, held 1,041 Financial Literacy camps and opened 6,810 SB accounts. Apart from the above, all Counselors put together have conducted 280 special camps by covering 45,881candidates for newly inducted people in the financial system and 355 camps for the target group viz. SHGs, Students, Senior Citizens, Farmers and Micro & Small entrepreneurs by covering 74,119 beneficiaries on Digital Financial Literacy as per RBI guidelines.

UIDAI CELL

UIDAI CELL is involved in processing of DBT & DBTL files received from Ministry of Rural Development, GOI through NPCI, generation of Aadhaar Mapped file and acting as Sponsor Bank for Pradhan Mantri Awaas Yojana – Gramin (PMAYG) Scheme of Government of India. A total of 5.07 crores transactions were processed under DBT/DBTL schemes amounting to Rs. 5,456 crores during 2017-18. Commission earned for processing the above transactions was Rs. 14.28 crores.

State Level Bankers' Committee (SLBC) – Tamil Nadu

State Level Bankers' Committee (SLBC) came into existence under Lead Bank Scheme as per RBI guidelines. SLBC is an inter - institutional forum at State level ensuring coordination between Government and Banks on matters pertaining to banking development. Indian Overseas Bank is the Convenor Bank of SLBC, Tamilnadu.

SLBC facilitates effective implementation of development programmers in the areas of poverty alleviation, employment to un-employed, providing banking outlet in un-banked areas, training, financial literacy etc. The role of SLBC is reinforced by the High Level Committee constituted by RBI to review Lead Bank Scheme.

Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY) – Tamil Nadu

PMJDY is a National Mission on Financial Inclusion encompassing an integrated approach to bring about comprehensive financial inclusion of all the households in the country. The plan envisages universal access to banking facilities with at least one basic banking account for every household, financial literacy, access to credit, insurance and pension facility. In addition, the beneficiaries would get RuPay Debit card having inbuilt accident insurance cover of Rs 1 lakh.

- तमिलनाडु में बैंकों ने, 31.03.2018 तक पीएमजेडीवाई के तहत 89.82 लाख खाते खोले हैं।
- एसएलबीसी, तमिलनाडु ने पीएमजेडीवाई से संबंधित एक विशेटोल फ्री नंबर या शिकायत निवारण की स्थापना की है । कॉल सेंटर के माध्यम से प्राप्त शिकायतें संबंधित बैंकों को तत्काल समाधान के लिए भेजी जाती हैं ।
- कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर **1800-425-4415** है । पीएमजेजेबीवाई / पीएमएसबीवाई / एपीवाई योजनाओं के लिए इसका भी उपयोग किया जाता है,
- पीएमजजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई योजनाओं के लिए एसएलबीसी ने वित्तीय वर्ष 2017- 18 के दौरान प्रधान मंत्री जे राज्य स्तर / जिला स्तर के कार्यों का आयोजन किया।

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)-तमिलनाडु:

- चेन्नई में 14 अक्टूबर 2017 को प्रधान मंत्री मुद्रा योजना ऋण (मुद्रा) के लिए राज्य स्तर और जिला स्तर पर संवर्धन अभियान आयोजित किया गया जिसमे माननीय रक्षा मंत्री, भारत सरकार मुख्य अतिथि तथा माननीय नगर प्रशासन मंत्री, ग्रामीण विकास और विशेष कार्यान्वयन मंत्री, तमिलनाडु सरकार उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे | यह अभियान 11 अक्टूबर 2017 को सेलम में भी आयोजित किया गया था जिसमें माननीय वित्त और नौ-परिवहण राज्य मंत्री एवं माननीय युवा कल्याण और खेल विकास विभाग मंत्री, तमिलनाडु सरकार कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित थे जिन्होने लाभार्थियों को ऋण वितरित किए ।
- राज्य के बैंकों ने मुद्रा योजना के तहत 58.61 लाख रुपये के ऋण को मंजूरी दी है वार्षिक लक्ष्य 15,006.06 करोड़ के मुक़ाबले 31 मार्च 2018 को 24,980,92 करोड़ रुपये तक ऋण वितरित हुए हैं ।
- एसएलबीसी ने शिकायत निवारण के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक मुद्रा ऋण के लिए समर्पित टोल फ्री नंबर **1800-425- 1646** की स्थापना की है। कॉल सेंटर के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को तत्काल समाधान के लिए संबंधित बैंकों को भेजा जाता है।

वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए मुद्रा वितरण के विवरण

राशि करोड़ में

	तमिलनाडु		
मुद्रा ऋण वर्ग	**मंजूरियों की संख्या**	**मंजूर राशि**	**सं. वितरित ऋण**
शिशु (50,000/-) तक के ऋण	53, 66, 238	13, 266.11	13, 237.15
किशोर (50,000/- से 5.00 लाख तक के ऋण)	4,31,410	7,404.05	7,171.88
तरुण (5.00 लाख से 10.00 लाख तक के ऋण)	62,308	4,655.26	4,564.44
कुल	58,59,956	25,325.42	24,973.47

तमिलनाडु में आकांक्षी जिले:

- तमिलनाडु में माननीय प्रधान मंत्री ने महत्वाकांक्षी जिलों के कार्यक्रम का परिवर्तन शुरू किया जिसका उद्देश्य इन जिलों को तेज़ी से और प्रभावी ढंग से बदलना है । कार्यक्रम के व्यापक रूपांतर अभिसरण (केंद्रीय और राज्य योजनाओं) के सहयोग (मध्य, राज्य स्तर "प्रभारी अधिकारी और जिला संग्राहक), और जन आंदोलन द्वारा संचालित जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा हैं । राज्यों के साथ मुख्य चालक, इस कार्यक्रम प्रत्येक जिले की ताकत पर ध्यान केंद्रित करेगा, तथा बैंकों के प्रगति और जिलों के रैंक में तत्काल सुधार के लिए आसान प्रयासों से पहचान कर सकता है |
- आकांक्षी जिलों को अपनी विशिष्ट विकास आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए तथा तेजी से परिवर्तन प्राप्त करने के लिए डीएफएस, एमओएफ, भारत सरकार ने देश के 115 पिछड़े जिलों में सभी सीएमडी एवं एमडी को वित्तीय समावेशन अभियान को करने के लिए सूचित किया है । रामनाथपुरम और विरुदुनगर तमिलनाडु राज्य में पहचाने गए आकांक्षा जिलों में से हैं।

आकांक्षी जिलों में बैंकिंग सुविधाएं:

			As on 31.03.2018
जिला	**एटीएम**	**बीसी**	**शाखा**
रामनाथपुरम	198	270	166
विरुदुनगर	351	276	248

- Banks in Tamil Nadu, have opened 89.82 Lakhs accounts in Tamil Nadu under PMJDY till 31.03.2018.
- SLBC, Tamil Nadu has established an exclusive Toll Free number for grievance redressal pertaining to PMJDY. The complaints received through the call centre are sent to the respective Banks for immediate resolution.
- The Toll Free number of the call center is 1800-425-4415. This is also used for PMJJBY/PMSBY/APY Schemes.
- SLBC organized the State Level/ District Level functions of PMJJBY, PMSBY and APY schemes during the Financial Year 2017-18.

Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) – Tamil Nadu

- SLBC has conducted the State Level and District Level promotion campaign for Pradhan Mantri Mudra Yojana Loans (MUDRA) on 14th October 2017 at Chennai. Hon'ble Minister of Defence, GoI was the Chief Guest and Hon'ble Minister for Municipal Administration, Rural Development and Implementation of Special Program, Government of Tamil Nadu was the Guest of Honor. The campaign was also conducted at Salem on 11th Oct 2017 in which Hon'ble Minister of State for Finance & Shipping, GoI & Hon'ble Minister for Youth Welfare & Sports Development Department, Government of Tamil Nadu were the Guests of Honor and distributed loans to the beneficiaries.
- Banks in the State have sanctioned 58.61 Lakhs loans under MUDRA scheme to the tune of Rs. 24,980.92 crores as on 31st March 2018 against the annual target of Rs. 15,006.06 crores.
- SLBC has established a dedicated Toll Free number **1800-425-1646** for MUDRA loans as per the instructions of Ministry of Finance, Government of India for grievance redressal. The complaints received through the call centre are sent to the respective Banks for immediate resolution.

Mudra Disbursement Details for Financial Year 2017-2018

			Amount in Rs. Crores
	Tamil Nadu		
Mudra Loan Categories	**No. of Sanctions**	**Sanctioned Amount**	**Disbursed Amount**
Shishu (Loans upto Rs. 50,000/-)	53, 66, 238	13, 266.11	13, 237.15
Kishore (Loans from Rs. 50, 000/- to Rs. 5.00 Lakhs)	4, 31, 410	7, 404.05	7, 171.88
Tarun (Loans from Rs. 5.00 Lakhs to 10.00 Lakhs)	62, 308	4, 655.26	4, 564.44
Total	58, 59, 956	25, 325.42	24, 973.47

Aspirational Districts in Tamil Nadu

- Hon'ble Prime Minister launched the 'Transformation of Aspirational Districts' program which aims to quickly and effectively transform these districts. The broad contours of the program are Convergence (of Central & State Schemes), Collaboration (of Central, State level 'Prabhari' Officers & District Collectors), and Competition among districts driven by a mass Movement. With States as the main drivers, this program will focus on the strength of each district, identify low-hanging fruits for immediate improvement, measure progress, and rank districts.
- DFS, MoF, GOI advised all CMDs / MD & CEOs of Banks the Financial Inclusion Campaign in 115 Backward Districts of the country, identified as Aspirational Districts for achieving rapid transformation by addressing their specific developmental needs. Ramanathapuram and Virudhunagar are the Aspirational Districts identified in the state of Tamil Nadu.

Banking Facilities in the Aspirational Districts

			As on 31.03.2018
Districts	**ATM**	**BC**	**Branch**
Ramanathapuram	198	270	166
Virudhunagar	351	276	248

इण्डियन ओवरसीज बैंक, जिसमें रामंतपुरम जिले में प्रमुख जिम्मेदारियां थीं, जिसने मेगा मुद्रा अभियान आयोजित किया जिसमें माननीय केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री श्री पोन. राधाकृष्णन और माननीय मंत्री सूचना एवं प्रौद्योगिकी, भारत सरकार ने तमिलनाडु के डॉ. माणिकंदन ने समारोह में भाग लिया, जिसमें लगभग **7900** लाभार्थियों को मुद्रा ऋण के साथ मंजूरी दी गई । 16 करोड़ रुपये के लिए जिले के सभी बैंकों को शामिल किया गया है ।

वित्तीय समावेशन के लिए एसएलबीसी की पहल:

- छात्रों को वित्तीय साक्षरता कोर्स का संचालन करवाने के लिए एसएलबीसी द्वारा 62 सरकारी आईटीआई, 559 निजी आईटी-आई, 165 कौशल केंद्र और 35 व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संस्थानों के लिए 59 वित्तीय संस्थान केंद्र खोले हैं |
- एफ़एलसी द्वारा सभी सरकारी आईटीआई में वित्तीय साक्षरता कोर्स पूरा करवा दिया गया है तथा वे निजी आईटीआई संस्थानो व कौशाल केंद्र में कोर्स करवा रहें हैं |

क्रेडिट फ्लो पर एसएलबीसी की पहल:

दिसंबर 2017 तक तमिलनाडु में बैंको ने निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त किया है:

- 109.48 % का उच्च सीडी अनुपात
- वार्षिक क्रेडिट योजना 2016-17 के तहत 106.04% और दिसंबर 2017 तक 96% प्राप्त किया।
- राष्ट्रीय मानदंड 40% के प्रति प्राथमिकता क्षेत्र के तहत 49.28%
- 18% के राष्ट्रीय मानदंड के प्रति कृषि अग्रिमों के 21.7 9
- 10% के राष्ट्रीय मानदंड के प्रति कमजोर वर्गों के लिए अग्रिम 13.88 %

अग्रणी बैंक योजना

बैंक को तमिलनाडु के 13 जिलों और केरल के एक जिले में अग्रिम बैंक की जिम्मेदारी सौंपी गई | बैंक तमिलनाडु में राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसए-लबीसी) का संयोजक है | समीक्षा के अंतर्गत बैंक द्वारा एसएलबीसी की चार बैठकें आयोजित की गई | इसके अतिरिक्त, बर्ष के दौरान बैंक द्वारा 18 विशेष /कोर समिति / उप-समिति बैठके आयोजित की गई |

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

बैंक ने दो क्षेत्रीय ग्रामीण यानि, तमिलनाडु में पांडियन ग्रामा बैंक और ओडिशा में ओडिशा ग्राम बैंक प्रायोजित किया है। पांडियन ग्रामा बैंक की तमिलनाडु के 16 जिलों में 329 शाखा का नेटवर्क है और वह 1,345 कर्मचा-रियों के साथ काम करता है। 31 मार्च 2018 तक आरआरबी द्वारा 11,044 करोड़ का मिश्रित व्यापार किया गया जिसमें 89.46% का सीडी अनुपात भी शामिल है । ओडिशा ग्रामा बैंक की 549 शाखाओं के नेटवर्क और 2,244 कर्मचारियों के साथ ओडिशा के 13 जिलों में मौजूदगी है। 31 मार्च को 2018 तक, आरआरबी का 45.07% के सीडी अनुपात के साथ मिश्रित कारोबार का रु 15,027 करोड़ रहा ।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

छवि निर्माण व अभ्यास के एक हिस्से के रूप में विभिन्न गतिविधियां अभियान, दान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर, स्वच्छ भारत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सजावटी पेड़ की आपूर्ति की गई जिसने बैंक की ब्रांड दृश्यता को पूरे भारत वर्ष में को काफी हद तक बनाया।

इसके अलावा दूरदर्शन के अंतर्गत बैंक द्वारा समुद्र तट की सफाई की गतिविधि चलाई गई | हमारे एमडी एवं सीईओ द्वारा इस कार्यक्रम का उद-घाटन किया गया जिसमें उन्होने सभी आईओबी स्टाफ के साथ इलिट बीच, बेसेंट नगर, चेन्नई में भी भाग लिया |

मर्चेंट बैंकिंग गतिविधियां

एएसबीए यानि अस्बा (जारीकर्ता गतिविधि के लिए बैंकर): भारत में हमारी सभी सामान्य बैंकिंग शाखाओं को आईएसओ, एफपीओ और राइट्स इशू के लिए अस्बा आवेदन स्वीकार करने के लिए अस्बा सक्षम शाखाएं बनाई गई हैं। ई-अस्बा हमारे ग्राहकों द्वारा प्रभावी रूप से उपयोग में है। हमारा बैंक ब्रोकरों से आईपीओ / एफपीओ / अधिकार आवेदन स्वीकार करने के लिए एक सिंडिकेट अस्बा बैंक के रूप में भी कार्य कर रहा है और चयनित शाखाओं को सिंडिकेट अस्बा शाखाओं के रूप में नामांकित भी किया गया है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान 203 मुद्दों के लिए अस्बा आवेदनों को संभाला गया था और 1046.17 करोड़ रुपये की राशि अवरुद्ध की गई थी।

मर्चेंट बैंकिंग के तहत अन्य गतिविधियां : बैंक ने इशू, डिबेंचर ट्रस्टी, डिविडेंड ब्याज वारंट इत्यादि के लिए के लिए मर्चेंट बैंकर के रूप में भुगतान का कार्य करना जारी रखा है। हमारा बैंक एसएसयू बैंकों में से एक है जो आईपीओ सेगमेंट में सक्रिय है, विशेष रूप से अंडरराइटिंग और को-लीड मैनेजिंग द्वारा एसएमई सेगमेंट में, हमारे बैंक ने अंडरराइटिंग प्रतिबद्धता के साथ 3 एसएमई आईपीओ के लिए को-लीड मैनेजर के रूप में कार्य किया और 62.50 लाख रुपये की आय अर्जित की है ।

डिपोजिटरी परिचालन : बैंक एनएसडीएल और सीडीएसएल के डिपॉजि-टरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के रूप में कार्य करता रहा है और सेवा केंद्र शाखाओं के माध्यम से डिपॉजिटरी से संबंधित अपनी सेवाएं बढ़ा रहा है। एनएसडीएल सेटअप के तहत 11,755 खाते और 67 खाते सीडीएसएल सेटअप के तहत आते हैं ।

एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ समझौता करने में 3 में 1 ई-ट्रेडिंग सुविधा शुल्क आधारित आय में सुधार के लिए लागू की गई है। अभी तक लगभग 375 ई-ट्रेडिंग खाते खोले गए हैं। उपर्युक्त के अलावा, हमारे बैंक ने एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के साथ टाई-अप कर एक एमओयू में प्रवेश करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें 3 में एक ई-ट्रेडिंग सुविधा प्रदान करने के लिए भी शामिल है।

पूंजी बाजार सेवा शाखा, मुंबई : सीएमएस शाखा, मुंबई आईपीओ के लिए सक्रिय रूप से अभिहस्तांकन कर रहा है | एसएमई आईपीओ में कई अभिहस्तांकन ले कर, बैंक की छवि को स्टॉक एक्सचेंज /पूंजी बाजार के मध्यस्थों में बढ़ा दिया गया है।

ग्राहक सेवा:

बैंक बैंकिंग कोड और भारतीय मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) में सदस्य है। बीसीएसबीआई ने विभिन्न निष्पक्ष अभ्यास संहिता संशोधित की हैं जो बैंकिंग के सभी क्षेत्रों को व्यापक रूप से कवर कर रही हैं।

Indian Overseas Bank, having lead responsibilities in Ramanthapuram district, conducted a Mega Mudra Campaign wherein Hon'ble Union Minister of State, Finance Shri Pon. Radhakrishnan and the Hon'ble Minister for information & technology, Govt. of Tamil Nadu Dr. Manikandan attended the function, in which about 7,900 beneficiaries were sanctioned with MUDRA loans to the tune of Rs. 16 crores involving all the banks in the district.

SLBC Initiatives for Financial Inclusion

- SLBC has mapped 62 Government ITIs, 559 Private ITIs, 165 Skill Centres and 35 Vocational Training providing Institutions to the 59 Financial Literacy Centres in the State for providing Financial Literacy courses to the students.
- The FLCs have completed Financial Literacy courses in all the Government ITIs and are conducting the courses in the Private ITIs and skill centres.

SLBC Initiatives on Credit Flow

Banks in Tamil Nadu have achieved the following as of December 2017

- Achieved higher CD ratio of 109.48 %.
- 106.04 % under Annual Credit Plan 2016-17 and 96% as on Dec 2017.
- 49.28% under Priority Sector against the national norm of 40%.
- 21.79 % of Agricultural Advances against the national norm of 18%.
- 13.88 % of advances to weaker sections against the national norm of 10%.

Lead Bank Scheme

The Bank has been assigned Lead Bank responsibility in 13 districts of Tamil Nadu and one district of Kerala. The Bank is also the Convener of State Level Bankers' Committee (SLBC) of Tamil Nadu. During the year under review the Bank has conducted four meetings of the SLBC. In addition, the Bank convened 18 special / core committee / sub-committee meetings during the year.

Regional Rural Banks

Bank has sponsored two Regional Rural Banks viz., Pandyan Grama Bank in Tamil Nadu and Odisha Gramya Bank in Odisha. Pandyan Grama Bank operates in 16 districts of Tamil Nadu with a branch network of 329 and staff strength of 1,345. As on 31st March 2018 the RRB had a business mix of Rs. 11,044 crores with a CD ratio of 89.46%. Odisha Gramya Bank has presence in 13 districts of Odisha with a network of 549 branches and staff strength of 2,244. As on March 31, 2018, the RRB had a business mix of Rs. 15,027 crores with a CD ratio of 45.07%.

Corporate Social Responsibility

As a part of image building exercise various activities like Blood Donation Camp, Health check up camps, Swachh Bharat Abhiyan, Supply of ornamental tree sapling were carried out for the financial year 2017-18 which created brand visibility of the bank pan India to a great extent.

Further, Beach Cleaning activity was organized by the Bank and same was covered by Doordarshan. Our MD & CEO inaugurated the function and also participated with IOB Staff in cleaning Eliots Beach, Besant Nagar, Chennai.

Merchant Banking Activities

ASBA (Banker to Issue activity): All our general banking branches in India have been made ASBA enabled branches to accept ASBA applications for IPO, FPO and Rights Issues. E-ASBA continued to be in usage effectively by our Customers. Our Bank is also acting as a Syndicate ASBA bank to accept IPO/FPO/Rights applications from Brokers and select branches are nominated as Syndicate ASBA Branches. ASBA applications were handled for 203 issues and an amount of Rs.1046.17 crores were blocked during the reporting period.

Other activities under Merchant Banking: The Bank continues to act as Merchant Banker for issues, Debenture Trustee, Paying Banker for Dividend / Interest Warrants etc. Our Bank is one of the PSU Banks who is active in IPO segment, especially SME segment, by Underwriting and Co-Lead Managing. Our Bank acted as Co-Lead Manager for 3 SME IPOs along with underwriting commitment and earned an income of Rs.62.50 lakhs.

Depository Operations: The Bank continues to act as Depository Participant (DP) of NSDL and CDSL and is extending depository related services through service centre branches. 11,755 accounts are under NSDL setup and 67 accounts are under CDSL setup.

3 in 1 E-Trading facility in tie up with Emkay Global Financial Services Limited has been implemented to improve the fee based income. Around 375 e-trading accounts have been opened so far. In addition to the above, our Bank has signed a MOU for entering into a tie-up with SMC Global Securities Ltd also for providing 3 in 1 e-trading facility.

Capital Market Services Branch, Mumbai: CMS Branch, Mumbai is actively mobilizing assignments for IPOs. By taking up several assignments in SME IPOs, the image of the Bank has been enhanced in stock exchanges / capital market intermediaries.

Customer Service

The Bank is a member in Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI). BCSBI has revised various Fair Practice Codes which is elaborately covering all the areas of Banking.

A web based online system called SPGRS (Standardised Public Grievance Redressal System) assisting customers to lodge complaint online with status tracking facility is already in place.

एक वेब आधारित ऑनलाइन प्रणाली जिसे **एसपीजीआरएस** (मानकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली) कहा जाता है, ग्राहकों को स्थिति ट्रैकिंग सुविधा के साथ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने में सहायता प्रदान करता है। इसमें क्षेत्रीय कार्यालय और शाखाएं सिस्टम में शिकायतों को देखने और इसे तुरंत हल करने के लिए सक्षम हैं। ग्राहक सेवा के लिए टोल फ्री टेलीसर्विसेज (1800-425-4445) द्वारा 48 घंटे के भीतर हल करने के लिए ग्राहकों से शिकायतें प्राप्त करने के लिए 24x7x365 आधार पर प्रदान की जाती है।

नई पहलों के अनुसार, शिकायत का समाधान करने और शाखाओं में ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए, "मिस्ड कॉल अवधारणा" के माध्यम से ग्राहकों से प्रतिक्रिया लीजिए" नामक सिस्टम द्वारा शाखाओं में एक अवधारणा पेश की गई थी, ग्राहकों को पूर्व समर्पित दो मोबाइल नंबरों पर मिस्ड कॉल देने के लिए "खुश" **(88288 46625)** और दुखी **(88288 46220)** द्वारा सुविधा दी गई | ग्राहक सेवा विभाग की एक टीम पोर्टल से मिस्ड कॉल का डेटा डाउनलोड करेगी और शाखाओं में अपने अनुभव के बारे में अपनी प्रतिक्रिया / सुझाव प्राप्त करने के लिए ग्राहक / संख्याओं को कॉल करेगी । प्रतिक्रिया के आधार पर, शाखाओं में सेवाओं में बताई गई कमियों को सुधारने के लिए कार्रवाई शुरू की जाती है ताकि अवधारणा अच्छी तरह से काम करे |

डिजिटल बैंकिंग / एटीएम से संबंधित शिकायतों के अलावा वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त ग्राहक शिकायतों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रमांक संख्या	विवरण	शिकायतों की संख्या
1	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	185
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायत की संख्या	5603
3	वर्ष के दौरान शिकायत निवारण की संख्या	5596
4	वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या	192
	निपटान दर	96.68%

31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक द्वारा डजिटिल बैंकगिं / एटीएम संबंधी शकियतों का आंकलन

शकियतों के ववरिण नीचे दएि गए हैं :

शिकायत की प्रकृति	शिकायतों की संख्या	कुल शिकायतों का %
अग्रिम संबंधी शिकायत	1317	23.51
ग्राहक सेवा संबंधि शिकायत	982	17.53
डीमैट सेवा	14	0.25
जमाएँ	492	8.73
सामान्य बैंकिंग	1996	35.62
सरकारी व्यापार	89	1.59
एनआरआई सेवाएँ	15	0.27
विप्रेषण	399	7.12
क्रेडिट कार्ड	189	3.37
पेंशन	110	1.96
कुल	**5603**	**100.00**

वसूली प्रबंधन

ताज़ा स्लिपेजेस को कम करना तथा एनपीए की वसूली को अधिक से अधिक करना ही बैंक की प्रमुख प्राथमिकता है क्योंकि सकल एनपीए वर्ष की शुरुआत से **35,**098 करोड़ रुपये था। इस उद्देश्य के लिए अप्रैल 2017 से एक बहुपक्षीय योजना को अपनाया गया तथा विभिन्न सक्रिय उपाय शामिल किए गए जैसे:

- प्रत्येक क्षेत्र में 15 सदस्यीय विशेष रिकवरी टीमों के गठन जैसे विभिन्न एनपीए खातों के अनुपालन के लिए विशिष्ट शाखाएं आवंटित की गई थीं।
- वीडियो कॉन्फ्रेंस और टास्क फोर्स मीटिंग्स के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यों की प्रेरणा एवं सहायता और निगरानी की गई ।
- दैनिक वसूली रिपोर्ट क्रिया |
- सभी पात्र मामलों में सरफासी के तहत 100% कार्रवाई पर जोर ।
- विशेष ओटीएस योजना शाखा प्रबंधकों को विवेकपूर्ण शक्तियों के साथ 7.50 लाख रुपये तक शिक्षा ऋण, कृषि ऋण और अन्य एनपीए खातों के लिए 10.00 लाख तक, क्षेत्रीय प्रबंधकों को 1.00 करोड़ रुपये तक के खातों को व्यवस्थित करने के लिए और ज़ोनल प्रबंधकों को 3.00 करोड़ रुपये तक के खातों को व्यवस्थित करने के लिए अधिकार दिए गए हैं ।
- क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों को प्रत्येक 20 खातों का जिसमें 10.00 लाख से ऊपर व 1.00 करोड़ तक से अधिक बकाया राशि हो का आवंटन किया गया है |
- क्षेत्रीय प्रबंधक समेत क्षेत्रीय कार्यालय के प्रत्येक अधिकारियों को 10.00 लाख रुपये से ऊपर और 1.00 करोड़ रुपये तक के बकाया खातों में रिकवरी / अपग्रेडेशन / ओटीएस के माध्यम से समाधान के लिए 20 खातों का आवंटन।

The Regional offices and branches are enabled to view the complaints in the system and resolve the same immediately. Toll Free Teleservices for Customer Service (No 1800-425-4445) is provided on 24x7x365 basis for receiving the complaints from the customers to resolve within 48 hours.

As per New Initiatives, to redress the Grievance and improve the Customer Service at the branches, a concept was introduced at the branches called" Collect feedback from the Customers through Missed Call concept". The customers to give missed call to pre dedicated two mobile numbers i.e., for "Happy (88288 46625) and Unhappy (88288 46220)". A team from the Customer Service Department will download the data of Missed calls from the portal and call the customer/numbers to get their feedback/ suggestions about their experience at the branches. On the basis of feedback, action is initiated to rectify the deficiencies pointed out in the services at the branches. The concept is working well.

The Details of customer complaints received and redressed during the year 2017-18 other than the complaints related to Digital Banking/ATM are detailed below:

Serial No.	Details	Complaint Numbers
1	No of Complaints pending at the beginning of the year	185
2	No of Complaints received during the year	5603
3	No of Complaints redressed during the year	5596
4	No of Complaints pending at the end of the year	192
	Settlement rate	96.68%

Analysis of Complaints other than Digital Banking/ATM related received by the Bank for the year ended 31.03.2018.

Details of Complaints are given below:

Nature of Complaints	No of complaints	% of Total Complaints
Advances related complaints	1317	23.51
Customer Service related complaints	982	17.53
Demat Services	14	0.25
Deposits	492	8.78
General Banking	1996	35.62
Government Business	89	1.59
NRI Services	15	0.27
Remittances	399	7.12
Credit Card	189	3.37
Pension	110	1.96
TOTAL	**5603**	**100.00**

Recovery Management

The Bank's principal focus was on maximizing recovery and minimizing fresh slippages as Gross NPAs stood at Rs. 35,098 crores during the beginning of the year. Towards this objective, a multi-pronged strategy was adopted from April 2017 itself comprising of various proactive measures such as

- Formation of 15-member Special Recovery Teams in each Region who have been allocated specific branches for follow up of NPA accounts.
- Motivation, Support and Monitoring of field functionaries through Video Conference and Task Force Meetings.
- Daily Recovery Report mechanism.
- Emphasis on 100% action under SARFAESI in all eligible cases.
- Special OTS Scheme with discretionary powers to Branch managers to settle Educational loans upto Rs.7.50 Lakhs, Agriculture loans and other NPA accounts up to Rs. 10.00 Lakhs, to Regional Managers to settle accounts upto Rs.1.00 crores and to Zonal managers to settle accounts upto Rs.3.00 crores.
- Allocation of 20 accounts each with outstanding of above Rs.10.00 Lakhs upto Rs.1.00 crores to the Officials of Regional office including the Regional Manager to take ownership for resolution either through recovery/ upgradation/ OTS.
- Allocation of 20 accounts each with outstanding above Rs.1.00 crores upto Rs.3.00 crores to the to the Officials of Zonal office including the Zonal Manager to take ownership for resolution either through recovery/ upgradation/ OTS.

- रु. 1.00 करोड़ से ऊपर और रु. 3.00 करोड़ तक बकाये खातों में वसूली/उन्नयन/ ओटीएस के प्रत्येक अधिकारिय़ों को 20 खातों का आवंटन।
- खातों को अलग करते हुए लंबवत यानि खुदरा, कृषि एवं एमएसएमई (रैम) खातों में केन्द्रित अनुवर्तन। शेष खातों को एकमात्र बैंकिंग, कंसोर्टियम खातों में वर्गीकृत किया गया है जहां हम अग्रणी है और कंसोर्टियम खातों में जहाँ हम सदस्य होते हैं और इन खातों के लिए विभिन्न रणनीतियों का पालन करते हैं।
- वाद दायर खातों के संबंध में, हमने उधारकर्ताओं / गारंटरों पर दबाव बनाने के लिए विभिन्न अंतरिम आवेदन दायर किए हैं।
- एआरसी को खातों की बिक्री जोरदार ढंग से की गई और एआरसी को बिक्री से एनपीए में रु. 3,775 करोड़ रूपए की कमी प्रभावित हुई।
- 100% प्रावधान वाले खातों में वसूली पर विशेष जोर।
- मार्च 2018 में सरफेसी अधिनियम के तहत मेगा ई-एक्शन का आयोजन करते हुए रु. 3,121.59 करोड़ आरक्षित मूल्य के साथ 52 खातों को कवर
- किया गया था।
- एनपीए उधारकर्ताओं के साथ सुलह हेतु वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में सभी केंद्रों में टास्क फोर्स बैठक का संचालन किया गया।
- ग्रामीण विकास अधिकारी को विशिष्ट वसूली लक्ष्य सौंपा गया और एनपीए की वसूली हेतु बैंक मित्र को भी शामिल करने के लिए सूचित किया गया।
- निपटारे के लिए लोक अदालतों का पूर्ण उपयोग।
- वसूली के साथ-साथ सरफेसी कार्यों में सहायता के लिए ऋण वसूली एजेंटों का इष्टतम उपयोग।
- विकासशील रणनीतियों के लिए शीर्ष प्रबंधन को महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करने के लिए वसूली क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की सहायता हेतु विभिन्न उपयोगिताओं के विकास के साथ एनपीए युद्ध कक्ष के कामकाज में निरंतर सुधार। सभी कर्मचारियों के लिए आईओबी सहायक मोबाइल ऐप में एनपीए वसूली उपकरण सक्षम बनाये गए।
- वाद दायर खातों के तहत वसूली में सुधार के लिए 16 विशेष आस्ति वसूली प्रबंधन शाखाओं (एआरएमबी) का गहन ध्यान और तर्कसंगतता।
- कंपनी के पूर्व निदेशकों को जिन्होंने व्यक्तिगत गारंटी दी थी और जिन्होंने गारंटी नही थी उनके खिलाफ नोटिस जारी करके कॉर्पोरेट खातों में अतिरिक्त कदम उठाए गए।
- उधारकर्ताओं के देनदारों को नोटिस जारी करते हुए अनुवर्तन किया गया कि उधारकर्ताओं को देय राशि का भुगतान सीधे हमें कर दें।
- उपरोक्त उपायों और कैम्प मोड में सभी स्टाफ सदस्यों की सक्रिय भागीदारी ने बैंक को रु. 15,496 करोड़ सहित तकनीकी रुप से निपटा दिए गए खातों में रु.1,134 करोड़ की वसूली और रु.2,329.86 करोड़ उन्नयन करने में मदद की ।
- रु. 1 करोड़ से अधिक के स्लिपेज की बोर्ड द्वारा समीक्षा की जा रही है और बोर्ड द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का ठीक तरीके पालन किया गया। न्यूनतम सुरक्षा कवर के साथ सभी सभी एनपीए खातों में प्रवर्जन प्रावधान में कमी लाने जोर दिया गया। प्रत्येक माह एनपीए में वसूली हेतु बोर्ड स्तरीय समिति बैठक हुई और वसूली निष्पादन के साथ-साथ टॉप 30 एनपीए खातों की समीक्षा की गई।
- सभी पात्र खातों में सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरु की गई और संपत्तियों की विक्री की गई। विशेष रुप से कम मूल्य के एनपीए खातों के संबंध में निरंतर लोक अदालत/वसूली अभियान चलाये गए हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक की भागीदारी महत्वपूर्ण थी। मौके पर प्रर्याप्त वसूली के साथ असंख्य मामलों का निपटारा किया गया। मामलों के त्वरित निपटारे के लिए बैंक बहुत ही करीबी से डीआरटी के साथ अनुवर्तन कर रहा है।

आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त याचिकाओं का निपटान

हमारे बैंक में आरटीआई आवेदन आरटीआई कक्ष नामक एक अलग विशेष कक्ष द्वारा संभाला जाता है। आरटीआई सेल उप महाप्रबंधक, कानून विभाग के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अंतर्गत काम कर रहा है जिसे केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ के बाद) के रूप में नामित किया गया है। बैंक ने निर्धारित समय-सीमा (यानी आरटीआई आवेदन प्राप्त होने से 30 दिन) के भीतर आरटीआई आवेदनों का निपटान करने में सीपीआईओ की सहायता के लिए केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ) के रुप में क्षेत्रीय प्रबंधकों को भी नामित किया है। हमारे बैंक में कुल 48 सीएपीआईओ हैं।

सीपीआईओ और सीएपीआईओ के जवाब से असंतुष्ट अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपील का निपटारा करने के लिए बैंक ने महाप्रबंधक, कानून विभाग को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) के रूप में नामित किया है।

वर्ष 2017-18 में सूचना मांगने के लिए हमारे बैंक को आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत दायर 1,823 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों और सीपीआईओ और सीएपीआईओ द्वारा निर्धारित समय-सीमा (यानी आरटीआई आवेदनों की प्राप्ति से 30 दिन) के भीतर सभी आवेदनों को विधिवत निपटाया गया था।

हमारे बैंक को उन आवेदकों से 282 पहली अपील मिली है जो सीपीआईओ और सीएपीआईओ के उत्तर से संतुष्ट नहीं थे और आरआईटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुरूप मेरिट के आधार पर उचित आदेश पारित करके एफएए द्वारा विधिवत निपटान किया गया है। सभी अपीलों को निर्धारित समय-सीमा (यानी आरटीआई अपील की प्राप्ति से 30 दिन) के भीतर निपटाया गया था।

अपीलकर्ता जो सीपीआईओ और एफएए दोनों के उत्तर से असंतुष्ट थे, माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली (सीआईसी) से पूर्व दूसरी अपील चुना था। सूचना आयुक्त से पहले सीआईसी सुनवाई के लिए बैंक को 58 सम्मन मिले हैं। सभी दूसरी अपीलों को बैंक के विरुद्ध किसी भी प्रतिकूल टिप्पणी के बिना मेरिट के आधार पर उचित आदेश पारित करके सूचना आयुक्त द्वारा विधिवत निपटान किया गया था, जिसे सीपीआईओ और सीएपीआईओ द्वारा विधिवत अनुपालन किया गया था।

- Focused follow up by segregating accounts vertical wise i.e., Retail, Agri and MSME (RAM). Remaining accounts are classified into sole banking, consortium accounts where we are leader and consortium accounts where we are member and following different strategies for these accounts.
- In respect of suit filed accounts, we have filed various interim applications to build pressure on the borrowers/ guarantors.
- Sale of accounts to ARC was done vigorously and NPA reduction of Rs. 3,775 crores were effected by sale to ARC.
- Special emphasis on recovery in accounts with 100 % provision.
- Mega e-auction under SARFAESI Act was organized in March 2018 covering 52 accounts.
- Conduct of Task force meetings at all centers headed by senior executives with NPA borrowers to arrive at settlements.
- Rural Development Officers are entrusted with specific recovery targets and advised to engage Business Correspondents for recovery of NPAs.
- Full utilization of Lok Adalats to arrive at settlements.
- Optimal utilization of Debt Recovery Agents for recovery as well as assistance in SARFAESI actions.
- Constant improvisation in functioning of NPA War Room with development of various utilities to assist field functionaries in recovery as well as data analytics for providing vital inputs to Top Management for developing strategies. NPA recovery tools enabled in IOB Sahayak Mobile app for all employees.
- Intensive focus and rationalization of 16 specialized Asset Recovery Management Branches (ARMB) to improve the recovery under suit filed accounts.
- Additional steps were taken in Corporate Accounts by issuing notices to erstwhile Directors of the Company who had executed personal guarantee and also against those Directors who had not executed personal guarantee.
- Follow up with the debtors of borrowers by issuing notices to them calling upon them to pay the amount due from them to our borrower directly to us.

The above measures and active involvement of all staff in camp mode helped the Bank to make substantial recovery to the tune of Rs.15,496 crores including recovery of Rs.1,134 crores in technically written off accounts and upgradation to an extent of Rs. 2,329.86 crores.

Slippages of Rs.1 crore and above are being reviewed by the Board and the specific directions given by the Board are duly carried out. All NPAs with minimal security coverage were focused upon to reduce migration provision. Board Level Committee for monitoring recovery in NPAs meets every month and reviews recovery performance as well as Top 30 NPA accounts.

Action under SARFAESI act has been initiated in all eligible accounts and properties brought for sale. Frequent Lok Adalats/ Recovery camps have been conducted especially in respect of small value NPA accounts. In the National Lok Adalat, Bank's participation was significant. Innumerable cases were settled with substantial recovery on the spot. The Bank is following up with DRTs closely to bring speedy conclusion to the cases.

Disposal of petitions received under RTI Act

In our Bank RTI applications are handled by a separate specialized cell called RTI Cell. The RTI Cell is working under the control and supervision of Deputy General Manager, Law Department who is designated as Central Public Information Officer (herein after CPIO). Bank has also designated Regional Managers as Central Assistant Public Information Officers (herein after CAPIOs) to assist CPIO in disposing RTI applications within the prescribed time-frame (i.e. 30 days from the receipt of RTI application). All together there are 48 CAPIOs in our Bank.

Bank has designated General Manager, Law Department as First Appellate Authority (herein after FAA) for disposing appeal filed by the appellants who were aggrieved with the reply of CPIO and CAPIOs.

Our Bank has received 1,823 applications filed under RTI Act, 2005 for seeking information in the year 2017-18. All applications were duly disposed in conformity with the provisions of RTI Act, 2005 and also within the prescribed time-frame (i.e. 30 days from the receipt of RTI applications) by CPIO and CAPIOs.

Our Bank has received 282 First Appeals from those applicants who were not satisfied with the reply of CPIO and CAPIO and the same have been duly disposed by FAA by passing appropriate order on merit and in conformity with the provisions of RTI Act, 2005. All the appeals were disposed within the prescribed time-frame (i.e. 30 days from the receipt of RTI appeal).

The appellants who were aggrieved with the reply of both CPIO and FAA have preferred second appeal before Honourable Central Information Commission, New Delhi (herein after CIC). Bank has received 58 summons for CIC hearing before Information Commissioner. All the second appeals were duly disposed by Information Commissioner by passing appropriate order on merit, without any adverse remark against the Bank, which were duly complied by CPIO and CAPIOs.

जोखिम प्रबंधन

दिनांक 31 मार्च 2008 से बैंक ने नई पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल II) को अपना लया है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए अनिदेशों के अनुसार, बैंक ने उधार जोखिम पूँजी के परिकलन के लिए माननीकृत दृष्टिकोण (एसए), परिचालानात्मक जोखिम हेतु पूँजी के परिकलन के लिए आधारभूत संकेतक दृष्टिकोण (बीआइए) और बाजार जोखिम पूँजी परिकलन के लिए मानकीकृत माप पद्धति (एसएमएम) को अपनाया है। इस संबंध में बैंक विनियामक अपेक्षाओं का पूर्ण अनुअपालन कर रहा है। बैंक 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार पूँजी को रख रहा है।

तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) तथा निवल स्थायी फंडिंग अनुपात (एनएसएफआर) पर दिशानिर्देशों के संबंध में, बैंक जनवरी 2015 से भारतीय रिज़र्व बैंक को एलसीआर की रिपोर्टिंग कर रहा है। एलसीआर के कार्यान्वयन को 1 जनवरी, 2015 से 60 प्रतिशत पर न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता के साथ चरणबद्ध किया गया है, जो धीरे-धीरे 1 जनवरी, 2019 तक 100 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत के बैंकों में दिनांक 1 जनवरी 2018 से एनएसएफआर को लागू करने का प्रस्ताव किया है। एनएसएफआर पर अंतिम दिशानिर्देश प्रतिक्षित है। बेसल III ने सरल, पारदर्शी व गैर जोखिम आधारित उत्तोलन अनुपात की शुरुआत की है, जो कि जोखिम आधारित पूँजी अपेक्षाओं हेतु विश्वसनीय पूरक उपायों के रुप में कार्य करने के लिए असंशोधित है। बैंक उत्तोलन अनुपात पर नियामक अपेक्षाओं का भी अनुपालन करता है एवं 30 जून, 2013 को समाप्त तिमाही आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करता आ रहा है।

उधार जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के उपाय के रुप में, बैंक ने बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित उधार जोखिम प्रबंधन नीति और संपार्श्विक प्रबंधन व उधार जोखिम शमन नीति तैयार की है। उदाहरण नीति समिति (सीपीसी) उधार जोखिम की उचित प्रबंधन के लिए कार्यकारी समिति के रुप में कार्य करता है। उधारकर्ता के लिए निष्पक्ष रेटिंग करने के उद्देश्य के लिए जो उच्च दृष्टिकोण की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक है, बैंक ने विशिष्ट स्तरों पर आंतरिक उधार रेटिंग्स का वैधीकरण करने के लिए टियर प्रणाली कार्यान्वित की है, जो कि उधार विभाग में स्वतंत्र है। बैंक के केन्द्रीय कार्यालय की शक्तियों के तहत आने वाले प्रस्तावों के संबंध में, रेटिंग्स का वैधीकरण जोखिम प्रबंधन विभाग, केन्द्रीय कार्यालय में किया जाता है। कॉर्पोरेट/पी.एस.ई./प्राइमरी डीलरों के ऋणों को उपलब्ध बाहरी रेटिंग के आधार पर जोखिम भार के साथ ऋण दिया जाता है। इस उद्देश्य के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने छ: देशीय बाहरी उधार रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग्स इस्तेमाल करने के लिए बैंकों को अनुमति दी है और बैंक पूँजी राहत उद्देश्य के लिए इन इसीआरए द्वारा दी गई रेटिंग्स का प्रयोग करता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2013 से प्रभावी तरलता जोखिम प्रबंधन विषयक अंतिम दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिशानिर्देश अलग से विभिन्न आवृत्तियों पर देशी परिचालनों व विदेशी परिचालनों सहित समेकित परिचालनों के विवरणियों की तैयारी व प्रस्तुति कवर करते हैं। इस संबंध में बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुपालन में प्रणाली एवं प्रक्रिया प्रस्तुत की है एवं डाटा प्रस्तुत किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और बैंक संपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति के अनुसार, विवरणियाँ तैयार किए जाते हैं और आरबीआई और हमारे बोर्ड को जमा किए जाते हैं।

बैंक ने बाज़ार जोखिम, तरलता जोखिम और ब्याज दर जोखिम के प्रभावी प्रबंधन हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाज़ार जोखिम प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति बनाई है। तरलता जोखिम का प्रबंधन अंतर विश्लेषण के जरिए किया जाता है जो दैनिक आस्ति व देयता के अवशेष परिपक्वता/व्यावहारिकता पैटर्न पर आधारित होता है। बाज़ार जोखिम प्रबंधन नीति के तहत बाज़ार जोखिम प्रबंधन कार्य व प्रक्रियाओं के लिए सुपरिभाषित संगठनात्मक संरचना दी गई है जिसके द्वारा बैंक द्वारा वहन की जाने वाली बाज़ार जोखिम की पहचान, परिकलन, प्रबोधन व नियंत्रण बैंक की जोखिम सहायता स्तर के अनुरुप एएलए फ्रेमवर्क के अंदर की जाती है। बाज़ार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन हेतु नीतियाँ बहुत से जोखिम तय करती है व सुनिश्चित करती हैं कि परिचालन उचित आस्ति देयता प्रबंधन द्वारा बाज़ार जोखिम में बैंक की लाभ की प्रत्याशा के अनुरुप हैं।

बैंक ने अल्पकालिक गत्यामक तरलता प्रबंधन वा आकस्मिक वित्त पोषण प्रयोजना की प्रणाली बनाई गई है। प्रभावी आस्ति देयता प्रबंधन हेतु विभिन्न अवशेष परिपक्वता अवधि बकेट्स के लिए विवेकपूर्ण (सहिष्णुता) सीमाएँ, निर्धारित की गई है। बैंक के तरलता प्रोफाइल का मूल्यांकन विभिन्न तरलता अनिपातों के जरिए किया जाता है। बैंक ने तरलता की स्थिति में किसी प्रकार के तनाव से निपटने के लिए विभिन्न आकस्मिक उपाय किए हैं। बैंक प्रणालीबद्ध व स्थायी निधि प्रयोजना के जरिए देशी ट्रेज़री द्वारा पर्याप्त तरलता प्रबंधन को सुनिश्चित करता है।

बेसल II फ्रेमवर्क तीन स्तंभीय ढाँचे (न्यूनतम पूँजी अनुपात, पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया और बाज़ार अनुशासन) के जरिए बैंकिंग इकाइयों में जोखिम मापने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण देता है। पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया (2) यह सुनिश्चित करने के लिए है कि बैंकों के पास अपने कारोबार के सभी जोखिमों में सहायता हेतु पर्याप्त पूँजी है और साथ ही उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कि बैंक अपने जोखिमों का प्रबोधन एवं प्रबंधन करने हेतु बेहतर जोखिम तकनीकों को विकसित करें और उन्हे उपयोग में लाएं? पिलर 2 के अंतर्गत बैंकों के लिए आंतरिक पूँजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आइसीएएपी) का निर्माण करना आवश्यक है ताकि सभी बड़े जोखिमों को पकड़ा जा सके जो पिलर 1 नुस्खे में कवर नही किए गए हैं, जिसमें कवर नही किए गए या आंशिक रुप से कवर किए गए जोखिम शामिल है। बैंक ने आइसीएएपी फ्रेमवर्क को अपनाया है और उसकी वार्षिक समीक्षा की जाती है।

बेसल II फ्रेमवर्क के लिए पिलर 2 के अंतर्गत, बैंकों से सिर्फ ये अपेक्षा नही की जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि बैंक के कारोबार में सभी प्रत्यक्ष जोखिमों को समर्थन देने के लिए उनके पास पर्याप्त पूँजी है बल्कि अपने जोखिमों के प्रबोधन व प्रबंधन हेतु बेहतर जोखिम प्रबंधन तकनीकियों का विकास व प्रयोग भी करें। बीसीबीएस दस्तावेज़ के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र दिनांकित 26 जून 2007 द्वारा तनाव परीक्षण विषयक दिशानिर्देश जारी किए थे। बैंक ने तनाव परीक्षण को निवल ब्याज आय (एनआइआइ) व पूँजी पर्याप्तता (सीआरएआर) के संदर्भ में तनाव की स्थिति में बैंक के तनाव झेलने की क्षमता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से अपनाया था।

बैंक ने बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित परिचालानात्मक जोखिम प्रबंधन नीति बनायी है। इसमें परिचालानात्मक जोखिम प्रबंधन के लिए संगठनात्मक ढाँचे और विस्तृत प्रक्रिया का खाका दिया गया है। महत्वपूर्ण परिचालानात्मक हानि सहित परिचालानात्मक जोखिम ऋणों की समय पर रिपोर्टिंग और परिचालानात्मक जोखिम कम करने या नियंत्रण व प्रबोधन, मूल्यांकन, प्रभावी पहचान के लिए भूमिकाओं का स्पष्ट रुप से निर्धारण करते हुए बैंक की परिचालानात्मक जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं को एक साथ लाना ही नीति का मूल उद्देश्य है। बैंक में परिचालानात्मक जोखिम का प्रबंधन व्यापक व सुस्पष्ट आंतरिक नियंत्रण फ्रेमवर्क के जरिए किया जाता है। परिचालानात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन कार्यप्रणाली के उपयुक्त प्रबंधन हेतु कार्यकारी समिति होगी। ओआरएमसी

Risk Management

The Bank has adopted the New Capital Adequacy Framework (Basel II) with effect from March 31, 2008. In line with Reserve Bank of India guidelines, the Bank has adopted the Standardized Approach (SA) for computation of Credit Risk Capital, Basic Indicator approach (BIA) for calculating the capital for Operational Risk and Standardized Measurement Method (SMM) for Market Risk Capital computation. The Bank is in compliance with the regulatory requirements in this regard. The Bank is maintaining capital as per Basel III guidelines issued by Reserve Bank of India with effect from 1st April 2013.

With regard to the guidelines on Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR), Bank is reporting LCR to RBI from Jan, 2015 onwards. The implementation of the LCR has been phased in from January 1, 2015 with a minimum mandatory requirement at 60 per cent, which will gradually increase to 100 per cent by January 1, 2019.The Reserve Bank had proposed to make NSFR applicable to banks in India from January 1, 2018. Final guidelines on NSFR are awaited. Basel III has introduced a simple, transparent and non-risk based leverage ratio, which is calibrated to act as a credible supplementary measure to the risk based capital requirement. Bank also has been in compliance with the regulatory requirement on Leverage ratio and reporting to RBI on a quarterly basis from the quarter ending June 30, 2013.

As a measure of robust credit risk management process, the Bank has formulated Credit Risk Management Policy and Collateral Management & Credit Risk Mitigation Policy duly approved by the Board. The Credit Risk Management Committee (CRMC) acts as an executive committee for appropriate management of Credit Risk. The Bank has implemented a tiered system for validation of internal credit ratings at specified levels, which is independent of credit departments, in order to draw unbiased rating for borrowers, for moving to advanced approaches. In respect of proposals falling under the powers of Bank's Central Office, the validations of ratings are done at Risk Management Department, Central Office. Exposures on Corporate /PSEs/Primary Dealers are assigned with risk weights based on available external ratings. For this purpose, the Reserve Bank of India has permitted Banks to use the ratings of six domestic External Credit Rating Agencies (ECRA) and the Bank is using the ratings assigned by all these ECRAs for capital relief purpose. The Bank uses the solicited ratings assigned by any of the ECRAs.

Reserve Bank of India has issued final guidelines on Liquidity Risk Management effective from March 2013. The guidelines cover preparation and submission of the statements of Consolidated Operations including domestic operations and overseas operations separately at various frequencies. The Bank has put in place system and procedure in this regard in compliance with the RBI guidelines and submitted the data. As per the RBI guidelines and Bank Asset Liability Management (ALM) policy; statements are prepared and submitted to RBI and our Board.

The Bank has put in place Board approved Market Risk Management Policy and Asset Liability Management (ALM) policy for effective management of Market risk, Liquidity Risk and Interest Rate Risk. The Liquidity risk is managed through gap analysis based on residual maturity/behavioral pattern of assets and liabilities on daily basis. The Market Risk management policy lays down well defined organizational structure for market risk management functions and processes whereby the market risks (carried by the bank) are identified, measured, monitored and controlled within the ALM framework, consistent with the Bank's risk tolerance level. The policies set various risk limits for effective management of market risk and ensure that the operations are in line with Bank's expectation of return to market risk through proper Asset Liability Management.

The Bank has put in place a mechanism of short-term dynamic liquidity management and contingency funding plan. Prudential (tolerance) limits are prescribed for different residual maturity time buckets for effective asset liability management. Liquidity profile of the Bank is evaluated through various liquidity ratios. The Bank has also drawn various contingency measures to deal with any kind of stress on liquidity position. The Bank ensures adequate liquidity by Domestic Treasury through systematic and stable funds planning.

Basel II framework provides a comprehensive approach to risk measurement in the banking entities, by adopting three-pillar structure (such as minimum capital ratio, supervisory review process and market discipline). The supervisory Review Process (Pillar 2) is to ensure that banks have adequate capital to support all the risks in their business as also to encourage them to develop and use better risk management techniques for monitoring and managing their risks. Pillar 2 requires the banks to establish an Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to capture all the material risks that are not covered under Pillar I prescriptions, which includes those that are not covered or partly covered. Bank has adopted ICAAP framework and it is being annually reviewed.

Under the Pillar 2 of Basel II framework Banks are required not only to ensure adequate capital to support all the materials risks in bank's business, but also to develop and use better risk management techniques in monitoring and managing their risks. In line with BCBS document RBI vide their circular dated 26.06.2007 had issued guidelines on Stress testing. Bank has adopted stress testing with an objective to evaluate bank's capacity to withstand stressed situations in terms of Net Interest Income (NII) and Capital Adequacy (CRAR).

The Bank has framed operational risk management policy duly approved by the Board. It outlines organization structure and detailed processes for management of operational risk. The basic objective of the policy is to closely integrate operational risk management processes of the Bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing, monitoring and controlling or mitigating operational risk and by timely reporting of operational risk exposures including material operational losses. Operational risks in the Bank are managed through comprehensive and well-articulated internal control framework. The Operational Risk Management Committee (ORMC) will be an executive committee for appropriate management of operation risk management function in the Bank. ORMC reviews the operational risk exposures across the Bank.

बैंक में भर में परिचालानात्मक जोखिम एक्सपोजरों की समीक्षा करती है।

परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन संबंधी बोर्ड द्वारा अपनायी गई अन्य नीतियाँ है : (क) सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति, (ख)धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति (ग) फॉरेक्स जोखिम प्रबंधन नीति, (घ) अपने ग्राहकों को जाने (केवाइसी) व धन शोधन निवारण प्रक्रिया(एएमएल) पर नीति दस्तावेज़ (ड़) सूचना प्रौद्योगिकी कारोबार निरंतरता व आपदा निवारण प्रायोजना (च) अनुपालन नीति और (छ) वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग से संबंधित नीति।

ऋण प्रबोधन

एनपीए के स्तर को कम करने के लिए बैंक एनपीए खातों की वसूली के साथ स्लिप को रोकने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस्पात, बिजली, सड़क परियोजनाओं और वस्त्रों ने बड़े पैमाने पर हमारे बैंक की कुल तनावग्रस्त संपत्तियों में योगदान दिया है।

एसएमए पोर्टल सभी एसएमए खातों पर डेटा प्रदान करता है। महीने के आरंभ में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सभी विशेष उल्लेख खातों को शाखा के सभी कर्मचारियों के सदस्यों को आबंटित किया जाता है। शाखा स्तर पर कर्मचारियों को इस मेनू में लॉग इन करना होगा (जिसमें आबंटित खाते प्रदर्शित होते हैं। खातों के चयन के बाद प्रत्येक खाते का विवरण प्रदान किया जाता है, अलग-अलग मेनू के बिना) और पोर्टल में अनुवर्ती कार्रवाई रिकॉर्ड की जाती है।

शाखा प्रबंधक,क्षेत्रीय कार्यालय / अंचल कार्यालय / केन्द्रीय कार्यालय अनुवर्ती कार्रवाई की निगरानी कर सकते हैं। स्टाफ सदस्यों को प्रभावी अनुवर्ती के लिए एसएमएस के माध्यम से भी याद दिलाया जाता है। महाप्रबंधक, केन्द्रीय कार्यालय द्वारा हस्ताक्षरित विभिन्न रंगीन पत्र आवंटित खातों की अनुवर्ती स्थिति के आधार पर सभी स्टाफ सदस्यों को भेजे जाते हैं।

महाप्रबंधक द्वारा हस्ताक्षरित पत्र क्षेत्रीय प्रबंधकों को क्षेत्र के अनुवर्ती स्थिति के बारे में भेजा जाता है। सभी हितधारकों को पीले रंग के रंग कोडिंग के लिए एक दृश्य रंग प्रभाव देने के लिए; नारंगी और लाल रंग क्रमशः एसएमए 0, एसएमए 1 एवं 2 खातों को दिया गया था। स्टाफ सदस्यों को अपने संबंधित खातों को लाल से नारंगी और पीले रंग में ले जाने की आवश्यकता होती है। पूरी तरह से नियमित खाता हरे रंग में दिखाया जाएगा।

यदि लगातार 3 टेलीफ़ोनिक अनुस्मारक के लिए उधारकर्ता से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो शाखा कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उधारकर्ताओं का दौरा करेंगे। फिर अकाउण्ट के तत्काल नियमितकरण के लिए इन एसएमए उधारकर्ताओं को पत्र भेजे जाएंगे।

जेएडब्ल्यूएस प्रोग्राम के माध्यम से अनुवर्ती कार्रवाई के लिए दृष्टिहीन विकलांग कर्मचारियों की सेवाओं को प्रभावी ढंग से जारी रखा जा रहा है। आउटसोर्स कॉल सेंटर के माध्यम से एसएमई और खुदरा उधारकर्ताओं को याद दिलाने में भी योगदान दिया गया है। अनुमानित स्लीपेज रिपोर्ट तैयार की जाती है और अनुवर्ती के लिए शाखाओं / क्षेत्रीय कार्यालय / अंचल कार्यालय / केन्द्रीय कार्यालय के उपयोग के लिए अपलोड की जाती है और दैनिक आधार पर अद्यतित की जाती है

सीसी आदि में स्लिपेज संकेत होने पर जैसे क्रेडिट नही होने, अपर्याप्त क्रेडिट जैसे गैर-वित्तीय मुद्दों पर भी रिपोर्ट उत्पन्न होता है, और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए लोड किया जाता है।

5.00 करोड़ रुपये और उससे अधिक के एक्सपोजर वाले खातों के लिए स्टॉक लेखा परीक्षा आयोजित किया जाता है। यूनिट का कार्य, स्टॉक रखरखाव और पुस्तक ऋण रिकॉर्ड को सत्यापित करने के लिए एक ऑनसाइट ऑडिट भी है; । यह लेखापरीक्षा प्रबंधन के अनुसार कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए खाते के बारे में स्पष्ट प्रारंभिक चेतावनी देती है।

उपर्युक्त उपायों से, बैंक स्लिपेज, अधिकतम वसूली और संपत्ति की गुणवत्ता को बनाए रखने में सक्षम है।

ऋण समीक्षा प्रणाली

क्रेडिट जोखिम पर आरबीआई के मार्गदर्शन नोट के अनुरूप, मौजूदा अनुपालन लेखा परीक्षा के स्थान पर क्रेडिट अनुपालन लेखा परीक्षा नामक एक अधिक मजबूत और संपूर्ण क्रेडिट ऑडिट तंत्र पेश किया गया है। यह सीसीए संबंधित समवर्ती लेखा परीक्षकों द्वारा आयोजित साइट ऑडिट पर है। लेखा परीक्षकों को पूर्व स्वीकृति, प्रसंस्करण, दस्तावेजीकरण, वितरण और अनुवर्ती से सही सत्यापित करना होगा। लेखा परीक्षकों को सीसीए जोखिम स्कोरिंग के साथ एक विस्तृत प्रारूप भरना होगा। इस प्रारूप में 115 प्रश्नों के साथ 10 पैरामीटर हैं जिनमें अधिकतम 1,134 स्कोर हैं। खातों को कम, मध्यम और उच्च जोखिम खाते के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। उपयुक्त समीक्षा और अनुवर्ती कार्रवाई भी प्रस्तावित हैं। रुपये 50 लाख और उससे अधिक के एक्सपोजर वाले खाते इस सीसीए के तहत कवर किए गए थे। 25 लाख रुपये से 50 लाख रुपये के बीच खातों के 2% के अलावा भी कवर किया जा रहा है। बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का मूल्यांकन 25 करोड़ रुपये और उससे अधिक के खातों की स्थिति के बारे में अर्ध वार्षिक रूप से किया जाएगा।

कॉर्पोरेट ऋण पुनर्संरचना विभाग

आरबीआई के तहत स्थापित सीडीआर तंत्र के तहत, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक को कोई नए मामले नहीं मिले हैं। आरबीआई के साथ पुनर्संरचना और एसडीआर और एस 4 ए जैसी नई योजनाओं के परिचय पर संपत्ति वर्गीकरण पर नियामक सहनशीलता वापस लेने के लिए सीडीआर तंत्र के तहत पुनर्संरचना के लिए अनुरोधों का प्रवाह बंद कर दिया गया। आरबीआई के तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर संशोधित ढांचे के साथ, सीडीआर योजना वापस ले ली गई है। 31.03.2018 तक, सीडीआर के तहत मानक पुनर्संरचना खातों में बैंक का एक्सपोजर 18 खातों में रु. 1,001.44 करोड़ है। जिनमें से 15 खातों में लगभग रु.929.29 करोड़ ने संतोषजनक प्रदर्शन अवधि पूरी की है।

अनुपालन

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने अनुपालन नीति को अच्छी तरह से परिभाषित किया है और अनुपालन कार्यों के प्रबंधन के लिए सिस्टम और प्रक्रियाओं में स्थान है। नियामक दिशानिर्देशों पर आवश्यक परिपत्र / निर्देश जारी किए जा रहे हैं। प्रत्येक शाखा / क्षेत्रीय कार्यालय / केंद्रीय कार्यालय विभाग में एक अनुपालन अधिकारी होता है जो अनुपालन प्रमाण पत्र जमा करता है। कुल अनुपालन स्तर बोर्ड की बोर्ड / लेखा परीक्षा समिति को जमा किया जाता है। बोर्ड / एसीबी द्वारा दिए गए निर्देश पूरे किए जाते हैं। बैंक ने एक वेब पोर्टल प्रदान किया है, जैसे बैंक के इंट्रानेट में ज्ञान प्रबंधन उपकरण जिसमें सभी नियम, आरबीआई, सेबी आदि जैसे विभिन्न नियामकों के दिशानिर्देशों को एक ही बिंदु पर प्राप्त किया सकता है।

अनुशासनिक कार्यवाही

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, सीएंडडीएसी ने 362 मामलों का निपटारा किया है जिसमें 172 सतर्कता और 193 गैर-सतर्कता के मामले शामिल हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने 401 चार्ज शीट जारी की हैं।

31 मार्च 2018 तक 277 मामलों के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही

Other policies adopted by the Board which deal with management of operational risk are (a) Information Systems Security Policy (b) Fraud Risk Management Policy (c)Forex Risk Management Policy (d) Policy document on Know Your Customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) procedures (e) Business Continuity and Disaster Recovery Plan (f) Compliance Policy and (g) Policy on Outsourcing of Financial Services.

Credit Monitoring

The bank continues to focus on preventing slippages along with recovery of NPA accounts to reduce the level of NPA. Steel, power, road projects and textile have contributed largely to total stressed assets of our bank.

The SMA portal provides data on all SMA accounts. All the Special Mention Accounts are allocated to all the staff members of the branch by RO at the beginning of the month. At branch level the staff has to log in to this menu (wherein the accounts allocated are displayed. The details of each account is provided once the account is selected, without going for different menus) and record the follow up actions in the portal.

The Branch Manager, RO/ZO/CO can monitor the follow up. The staff members are also reminded through SMS for effective follow up. Different coloured letters signed by the General Manager, CO, is sent to all the staff members depending on the follow up position of the allotted accounts.

Letters signed by GM is sent to Regional Managers about position of Region's follow up. To give a visual color impact to all stake holders colour coding of yellow; orange and red were give to SMA 0; SMA 1 & 2 accounts respectively. The staff members are required to move their respective accounts from red to orange then to yellow. The fully regularized account will be shown in green.

If there is no response from the borrower for 3 consecutive telephonic reminders the branch staff will be visiting the borrowers personally. Then letters will be sent to these SMA Borrowers for immediate regularization of the account.

The services of visually handicapped staff member for follow up action through JAWS program is continuing effectively. Reminding SME and Retail Borrowers through outsourced call centers has also contributed. Projected slippage report is generated and uploaded for the use of branches/RO/ZO/CO for follow up and updated on a daily basis

Report on non financial issues prompting slippages like no credit, inadequate credit in CC etc are also generated and up loaded for follow up action.

For accounts with an exposure of Rs.5.00 crores and above, stock audit is conducted. It is also an onsite audit to verify the stocks; working of the unit, maintenance of stock and book debts records. This audit gives clear Early Warning Signal about the account, to enable the management to act accordingly.

By the above measures, the bank is able to contain the slippages, recover maximum and maintain asset quality.

Loan Review Mechanism

In line with RBI's guidance note on Credit Risk, a more robust and exhaustive Credit Audit Mechanism called Credit Compliance Audit has been introduced in place of existing CALRM Audit. This CCA is on site audit conducted by the respective concurrent auditors. The auditors have to verify right from pre sanction, processing, documentation, disbursement and follow up. The auditors have to fill up a detailed format with CCA risk scoring. This format has 10 parameters with 115 questions with a maximum of score of 1,134. The accounts will be graded as low; moderate and high risk accounts according to its scores. Appropriate review and follow up actions are also proposed. The accounts with an exposure of Rs. 50 lakhs and above were covered under this CCA. Besides 2% of the accounts between Rs.25 lakhs to Rs.50 lakhs are also being covered. The Audit Committee of the Board will be appraised half yearly about the position of the accounts of Rs.25 crores and above.

Corporate Debt Restructuring

Under the CDR mechanism set up under the aegis of RBI, the bank during the financial year 2017-18 has not received any new references. The flow of requests for restructuring under CDR mechanism stopped with RBI withdrawing regulatory forbearance on asset classification upon restructuring and introduction of new schemes like SDR and S4A. With revised framework of RBI on stressed assets, the CDR scheme is withdrawn. As on 31.03.2018, the Bank's exposure in standard restructured accounts under CDR is Rs. 1,001.44 crores in 18 accounts. Of which, 15 accounts aggregating Rs. 929.29 crores have completed satisfactory performance period.

Compliance

The Bank has well defined Compliance Policy as per Reserve Bank of India guidelines and has in place systems and procedures for managing Compliance functions. Necessary circulars/instructions on the regulatory guidelines are being issued. Each branch/Regional Office/Central Office department has one Compliance Officer who is submitting compliance certificates. The overall compliance level is submitted to Board/ Audit Committee of the Board. The directions given by Board/ ACB are carried out. The Bank has provided a Web Portal viz., Knowledge Management Tool in Bank's intranet wherein all the regulations, guidelines of the various regulators like RBI, SEBI etc., can be accessed at a single point.

Disciplinary Proceedings

During the Financial Year 2017-18, C&DAC has disposed of 365 cases comprising of 172 Vigilance and 193 Non-Vigilance cases. During the year under review, the Bank issued 401 charge sheets.

The disciplinary proceedings are in various stages of progress in respect of 277 cases as on 31st March 2018. Efforts are made

प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। कार्यपालकों द्वारा निरंतर समीक्षा के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रक्रिया को पूरा करने के प्रयास किए जाते हैं।

सभी लंबे समय तक सतर्कता अनुशासनात्मक मामलों, जहां 30 सितंबर 2017 को घरेलू जांच प्रगति पर थी को 31 मार्च 2018 से पहले पूरा कर लिया गया था (न्यायालयों के साथ लंबित 2 मामलों को छोड़कर)।

अनुशासनात्मक कार्यवाही को विकेंद्रीकृत करने के लिए एक नई पहल निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई थी और इसे 1 फरवरी, 2017 से लागू किया गया था।

एक नया पैकेज यानी आईओबी विजिल अनंतिम आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के कम्प्यूटरीकरण के लिए विकसित किया गया है।

निरीक्षण

वर्ष के दौरान, जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आंतरिक निरीक्षण) की समीक्षा की गई और वर्तमान परिपत्रों और दिशानिर्देशों को प्रतिबिंबित करने के लिए लेखापरीक्षा अंक संशोधित किए गए। नियंत्रण उद्देश्यों पर निरंतर एकाग्रता के अलावा व्यापार पर बढ़ते फोकस और जोर देने के लिए कॉर्पोरेट उद्देश्य के अनुरूप, जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आंतरिक निरीक्षण) में स्कोरिंग मॉडल को 400 अंक (125 से बढ़ाकर) और नियंत्रण पहलुओं के साथ व्यावसायिक पहलुओं के साथ संशोधित किया गया है। 600 अंक (825 से घटाकर) लेना और 9 अक्टूबर 2017 से लागू किया गया।

प्रत्येक गतिविधि में दृष्टिकोण के संरचित तरीके से कार्यरत विभाग की दक्षता में वृद्धि के लिए, विभाग ने विभिन्न गतिविधियों जैसे स्टॉक ऑडिट, फोरेंसिक ऑडिट, आय रिसाव, लेखा परीक्षा कार्यालयों / विभागों के कामकाज के लिए मानक संचालन प्रक्रिया स्थापित की है। निरीक्षण और आंतरिक लेखापरीक्षा गतिविधि के महत्व पर बल देने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यकर्ताओं को परिपत्रों और मार्गदर्शन नोट के रूप में दिशानिर्देशों की एक श्रृंखला जारी की गई थी।

अंचल कार्यालयों के साथ निरीक्षणालय के तहत क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र को श्रेणीबद्ध करने के लिए त्रिवेन्द्रम में स्थित निरीक्षणालय को बैंगलोर स्थानांतरित कर दिया गया है। नतीजतन, 01.04.2018 से निरीक्षणालयों का नाम बदल कर अंचल लेखापरीक्षा कार्यालय कर दिया गया है।

अंचल कार्यालयों में 'अंचल ऑडिट उप-समिति' की अवधारणा को अंचल कार्यालयों के बेहतर नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए शुरु किया गया है।

अनुपालन संस्कृति में सुधार और सुधार के लिए तत्काल उपस्थिति पर जोर देने के लिए, अंतिम सुधार प्रमाण पत्र (एफआरसी) जमा करने और लेखापरीक्षा रिपोर्ट बंद करने पर संशोधित दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से समयरेखा परिभाषित किए गए थे; 31.03.2017 को 417 से 31.03.2018 तक 25 शाखाओं तक छह महीने से अधिक लंबित संख्या कम हो गई है।आगे अनुपालन कार्य को बेहतर बनाने के लिए शाखाओं में 'स्वयं-लेखा परीक्षा' प्रणाली शुरू की गई थी। विभिन्न लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त आय रिसावों की गैर--वसूली जिसने बैंक की लाभप्रदता को प्रभावित किया है, जिसे अनुरूपता और लगन के साथ घटनास्थल पर अधिकतम वसूली होने के साथ विभाग द्वारा लाया गया है। 31.03.2017 को 64.75 करोड़ रुपये के लिए लंबित राजस्व रिसाव घटकर 31.03.2018 को रुपये 8.38 करोड़ है। आईटीडी के साथ घनिष्ठ समन्वय में विभाग ने सभी संभावित शुल्कों की स्वचालित वसूली को सक्षम किया और विभिन्न लेखापरीक्षा रिपोर्टों में राजस्व रिसाव की रिपोर्टिंग ने पिछले कुछ महीनों में उल्लेखनीय कमी देखी।

वर्ष के दौरान, डाटा सेंटर / आईटीडी पर समवर्ती लेखा परीक्षा / कार्यात्मक लेखापरीक्षा को यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरु किया गया था जो परिपत्र / दिशानिर्देशों के साथ अंतिम मिलान में पैरामीटर सेट और निष्पादन पर आउटपुट वांछित परिणाम प्रदान करता है। अवरुद्ध राजस्व रिसाव के क्रम में इन गतिविधियों में राजस्व उत्पादन पैरामीटर शामिल हैं। यह संचालन स्तर पर किसी भी आईटी से संबंधित विसंगतियों / त्रुटियों को खत्म करने और के.का / नियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन की उपलब्धि को खत्म करने के लिए सत्यापन के अतिरिक्त स्तर के रूप में कार्य करेगा।

बैंक ने जमा राशि में 50.31% और कुल अग्रिम पर 68.60% कवरेज करती 399 शाखाओं को समवर्ती लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए चुना है। समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली के ऑनलाइन रिपोर्ट जमा करने के लिए बैंक ने 'ईथिक पैकेज' खरीदा है। यह रिपोर्टिंग पहलुओं के दोहराव से बचने और जोखिम मूल्यांकन में सुधार के साथ आरबीआईए (आंतरिक निरीक्षण) और समवर्ती लेखा परीक्षा के तहत रिपोर्टिंग के भावी एकीकरण की सुविधा भी प्रदान करता है।

विभाग ने प्रबंधन लेखापरीक्षा के लिए जोखिम आधारित रिपोर्टिंग विकसित की और तदनुसार जोखिम आधारित लेखा परीक्षा अप्रैल 2017 से जोखिम आधारित के तहत रिपोर्ट की गई थी। लेखापरीक्षा का दायरा फिर से संशोधित किया गया है और 2018-19 से लेखा परीक्षा के लिए मार्च 2018 में एक संशोधित नीति को मंजूरी दे दी गई है।

कार्यपालकों के लिए लेखापरीक्षा (एसीई) की बैठक लेखा परीक्षा और नियंत्रण कार्यों की समीक्षा करने और बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की मूल्यांकन करने के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित कार्यसूची के साथ जून 2017 से मासिक आधार पर आयोजित की जा रही है। चालू वर्ष के लिए 10 ऐसी बैठकें आयोजित की गईं।

वर्ष के दौरान, शाखा लेखा परीक्षकों (आंतरिक निरीक्षकों) को दो बार प्रशिक्षण दिया गया था, एक लेखापरीक्षा के कौशल में सुधार करने और अन्य सामान्य बैंकिंग पर था।

सतर्कता

वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित समय सारणी के भीतर लंबित सतर्कता अनुशासनात्मक मामलों के निपटारे के लिए प्रभावी कदम उठा रहा है। 31 मार्च 2018 तक, 166 सतर्कता अनुशासनात्मक मामलों का निपटारा किया गया और दण्ड दिया गया। 31 मार्च 2018 तक, 196 सतर्कता के मामले लंबित हैं जिनमें से केवल 38 मामले 18 महीने से अधिक लम्बित हैं।

ज्यादातर मामलों में, पूछताछ का आदेश दिया गया है और उपस्थित अधिकारी / रक्षा से संबंधित संक्षेपण का इंतजार है। सीवीओ द्वारा आवधिक शाखा निरीक्षण / यात्राओं के माध्यम से निवारक सतर्कता उपायों को मजबूत किया गया है। निवारक सतर्कता को मजबूत करने के लिए किए गए कुछ उपाय निम्नलिखित हैं

- **आवधिक/औचक निरीक्षण:केवाईसी/एएमएल दिशानिर्देश** इत्यादि सहित सिस्टम और प्रक्रियाओं के अनुपालन पर शाखाओं के आवधिक और औचक निरीक्षण किए जाते हैं।
- **आईओबी विजिल:** जून 2013 में लॉन्च सतर्कता जागरूकता फैलाने के लिए तिमाही गृह समाचार पत्र, वर्ष के सभी चार तिमाहियों के लिए प्रसारित किया गया था। धोखाधड़ी, सफलता की कहानियां, सतर्कता समाचार, शीर्ष प्रबंधन से संदेश आदि से शिक्षाप्रद बिन्दओं को स्टाफ के सदस्यों के बीच प्रसारित किया जाता है।
- **अन्य पक्ष इकाइयों के विरुद्ध कार्यवाही:** प्रतिबंधित अन्य पक्ष

to complete the disciplinary action process within the stipulated time frame, by continuous review by Executives.

All long outstanding vigilance disciplinary cases, where domestic enquiry was in progress as on 30th September 2017 were completed before 31st March 2018 (Except 2 cases which are pending with Courts).

A new initiative to decentralize the disciplinary proceedings was approved by the Board of Directors and the same was implemented from 1st February, 2017.

A new package i.e. IOB VIGIL is developed for computerization of disciplinary proceedings on end to end basis.

Inspection

During the year, the Risk Based Internal Audit (Internal Inspection) was revisited and the audit points were revised to reflect the present circulars and guidelines in force. In line with the Corporate Objective to give increased focus and thrust on Business besides continuing concentration on Control areas, the scoring model in Risk Based Internal Audit (Internal Inspection) has been revised with Business aspects carrying 400 points (increased from 125) and Control Aspects carrying 600 points (reduced from 825) and implemented from 9th Oct 2017.

To enhance efficiency of the department functioning with structured way of approach in each activity, the department has put in place Standard Operating Procedure for the various activities viz., Stock Audit, Forensic Audit, Income Leakage, functioning of audit offices/departments. A series of guidelines in the form of circulars and guidance note were issued to various functionaries at field level in order to stress the importance of inspection & internal audit activity.

To align the jurisdiction of Regional Offices under Inspectorates with that of Zonal Offices, Inspectorate at Trivandrum has been shifted to Bangalore. Consequently, the Inspectorates are renamed as Zonal Audit Offices from 01.04.2018.

Concept of 'Zonal Audit Sub-committee' at Zonal Offices has been introduced to bring in improved Control and Oversight of Zonal Offices.

To emphasize prompt attendance to rectifications and improvement in compliance culture, revised guidelines on submission of Final Rectification Certificate (FRC) and closure of audit reports were issued clearly defining timelines; the pendency beyond six months has significantly come down from 417 branches as on 31.03.2017 to 25 as on 31.03.2018. Further 'self-audit' system was introduced in branches in order to improve the compliance function. Non- recovery of income leakages detected during various audits, which affects the profitability of the Bank has been taken up consistently and persistently with maximization of on-the- spot recovery. The revenue leakage pending for Rs 64.75 crores as on 31.03.2017 is reduced to Rs. 8.38 crores as on 31.03.2018. Bank has automated recovery of all possible charges and the reporting of revenue leakage in various audit reports showed significant reduction in last few months.

During the year, concurrent audit/functional audit at Data Centre/ ITD were introduced with the objective of ensuring that the parameter set in FINACLE matches with circular/guidelines and also the output on execution provides desired results. These activities include revenue generation parameters in order arrest revenue leakage. This will act as additional level of verification to eliminate any IT related anomalies/errors at operational level and achievement of compliance to CO/regulatory guidelines.

The Bank has selected 399 branches for conducting concurrent audit having coverage of 50.31% in deposits and 68.60% on total advances. The bank has procured 'eTHIC package' for online report submission of concurrent audit system. This also facilitates future integration of reporting under RBIA (Internal Inspection) and Concurrent audit with avoidance of duplication of reporting aspects and improving the risk assessment.

The bank developed risk based reporting for Management Audit and accordingly the Risk Based audit is being conducted since April 2017. The scope of the audit has been revisited again and a revamped policy has since been approved in March 2018 for the audits from 2018-19.

Audit Committee of Executives (ACE) meeting is being held on monthly basis since June' 2017 with clearly defined agenda to review the audit and control functions and appraising Audit Committee of the Board. For the current year 10 such meetings were held.

During the year, the branch auditors (internal inspectors) were given training twice, one on improving skills of audit and other was on general banking.

Vigilance

During the year 2017-18 the Bank continued to take effective steps for disposal of pending Vigilance Disciplinary cases within the time schedule prescribed by Central Vigilance Commission. As on 31st March 2018, 166 Vigilance Disciplinary cases were disposed and penalties were awarded. As on 31st March 2018, there are 196 vigilance cases pending of which only 38 cases are beyond 18 months. In most of the cases, enquiries have been ordered and respective summing ups are awaited from Presenting Officer/Defence.

Preventive Vigilance measures have been strengthened through periodical branch Inspection/visits by CVO. The following are some of the measures taken to strengthen preventive vigilance

- **Periodical/Surprise Inspections:** Periodical and surprise inspections of branches are conducted on compliance of systems and procedures including KYC/ AML guidelines, etc.
- **IOB Vigil:** A quarterly in-house news letter to spread vigilance awareness launched in June 2013, was circulated for all the four quarters of the year. Learning points from frauds, success stories, vigilance news, messages from Top Management, etc. are circulated among staff members.
- **Action against Third Party Entities:** Bank has already put on intranet, the list of banned third party entities viz., Chartered Accountants, Valuers and Lawyers. So far

इकाइयों जैसे चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, वैल्यूर्स और वकील की सूची बैंक ने पहले से ही इंट्रानेट पर प्रस्तुत कर दी है। बैंक के निर्देशों का अनुपालन करने में उनकी विफलता के लिए पैनल से अभी तक 5 पैनल एडवोकेट को हटा दिया गया है, जो उधारकर्ताओं द्वारा बैंक द्वारा धोखाधड़ी के अधिकारों से संबंधित फर्जी टाइटल-डीड को मूल या संपार्श्विक प्रतिभूती के रूप में जमा करके बैंक पर धोखाधड़ी का समर्थन करने में सक्षम है।

- बैंक ने अधिकारियों की पहचान की है जिनमें जांच और डेटा विश्लेषण इत्यादि की योग्यता है और उन्हें जांच में उचित प्रशिक्षण दिया जाता है।
- सतर्कता जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, बैंक ने सभी अधिकारियों और अधीनस्थ सदस्यों के लिए निबंध प्रतियोगिता और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की थी और सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2017 के दौरान विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया था।

सतर्कता मामलों को संभालने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को सतर्कता अधिकारी के साथ तैनात किया गया है और उनके कार्यों को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है जिसमें शाखाओं के दौरे पर मासिक रिपोर्ट जमा करना शामिल है। बैंक के कर्मचारी कॉलेज चेन्नई में वृहद मूल्य धोखाधड़ी जाँच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम के लिए जाँच, पूछताछ कार्यवाही पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। प्रतिभागियों को निवारक सतर्कता उपायों और बाद में धोखाधड़ी अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अद्यतन किया गया था।बैंक द्वारा अक्टूबर 2017 अर्थात 30 अक्टूबर 2017 से 04 नवंबर 2017 तक सतर्कता जागरुकता सप्ताह मनाया गया था।

सूचना प्रौद्योगिकी

आईटी आधारभूत संरचना: बैंक के पास मजबूत आधारभूत संरचना वास्तुकला है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार और आईटी आकांक्षाओं का सही संरेखण हुआ है।

नेटवर्क उपलब्धता: नेटवर्क उपकरणों के साथ सभी अनुप्रयोगों के लिए उच्च-अंत सर्वर डेटा केंद्र पर स्थापित किए गए हैं, जो सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में विफलता का कोई भी बिंदु प्रदान नहीं करता है। बैंक ने सभी शाखाओं में नेटवर्क को अपग्रेड कर दिया है और वर्ष के दौरान 431 तक एकल लिंक शाखाओं की संख्या भी कम कर दी है। सुधारित बैंडविड्थ उपयोग के लिए कई उपाय किए गए जिसके परिणामस्वरूप बेहतर प्रयोग का अनुभव हुआ।

कोर बैंकिंग सॉल्यूशन: बैंक ने चार विदेशी केंद्रों सहित फिनाकल में सभी शाखाओं को सफलतापूर्वक विस्थापित कर दिया है।विदेशी केन्द्रों के लिए डाटा अभिलेखीय समाधान शुरु किया गया है और प्रगति पर है।

इंटरनेट बैंकिंग: ग्राहकों को नेट बैंकिंग का प्रयोग करने हेतु विविध सुरक्षा सुविधाएं की शुरुआत बेहतर संरक्षण के लिए की गई। मोबाइल पर अभिनव डिजिटल उत्पादों को लाँच किया गया। इसमें ग्राहक और गैर-ग्राहक दोनों के लिए विविध सुविधाओं के साथ 'आईओबीननबन' एक ऐप शामिल है।

आईटीआईएल कार्यान्वयन: बैंक ने अपनी आईटी सेवा रणनीति, आईटी सेवा डिज़ाइन, आईटी सेवा संक्रमण, आईटी सेवा संचालन और आईटी निरंतर सेवा में सुधार को बेहतर बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारभूत संरचना लाइब्रेरी (आईटीआईएल) को अपना लिया है। इससे जोखिम और सेवा के बेहतर प्रबंधन के लिए संसाधनों के बेहतर उपयोग के माध्यम से कम लागत में बेहतर आईटी सेवा वितरण और संतुष्टि मिलेगी। यह आईटी और व्यापार के मध्य मज़बूत संरेखण सुनिश्चित करेगा।

ग्राहक सेवा के लिए प्रौद्योगिकी: बैंक ने प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए ग्राहक सेवा सुधार के लिए नोवेल विधि के शुरुआत की है। बैंक ने मानकीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली(एसपीजीआरएस) की शुरुआत की है। इसमें एक एकल बिन्द है जहाँ सभी शिकायतों को सक्रिय अनुपालन के साथ ट्रैक करते हैं।

डिजिटल बैंकिंग

- **एटीएम/ नकदी वितरक (सीडी):** मार्च 2017 के अंत तक बैंक के एटीएम की कुल संख्या 3,679 है और 31.03.2018 तक एटीएमओं की संख्या 3108 है। पिछले एक वर्ष के दौरान हमने 571 अलाभकारी एटीएम बंद किए हैं। 31.03.2018 तक 3108 एटीएम के अलावा हमने सभी क्षेत्रों में 444 नकद रिसाइकलर प्रतिस्थापित किए है,
- 3108 एटीएम में से 2327 ऑनसाइट में स्थित हैं और 781 ऑफसाइट में स्थित है, इन एटीएमओं का भौगोलिक प्रसार मेट्रों केन्द्र में 729, शहरी केन्द्रों में 665, अर्धशहरी केन्द्रों में 951 और ग्रामीण केन्द्रों में 763 है।
- **डेबिट कार्ड्स:** समीक्षा के तहत वर्ष के दौरान 20.05 लाख नए डेबिट कार्ड जारी के साथ 31 मार्च 2018 तक बैंक के पास 151 लाख का कार्ड बेस है। वर्ष के दौरान बैंक ने 17.22 लाख रुपए डेबिट कार्ड जारी किए हैं। एनपीसीआई के निर्देशानुसार रुपे कार्ड जारी करने के लिए बैंक अधिक जोर दे रहा है। बैंक ने कम नकद अर्थव्यवस्था के लिए डिजिटल ड्राइव के साथ सामना करने के लिए बढ़ी हुई सुरक्षा के लिए ईएमवी चिप के साथ रुपे विविधता के तहत प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया। बैंक ने मौजूदा मैगस्ट्रिप कार्ड के लिए ईएमवी माइग्रेशन प्रक्रिया शुरू की और विस्तृत माइग्रेशन प्लान प्रचलन में है। बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग में ईएमवी कार्ड में मैग्स्ट्रिप कार्ड के प्रतिस्थापन की सुविधा प्रदान की है ताकि ग्राहकों को शाखा में जाकर ईएमवी कार्ड के लिए अनुरोध करने में सक्षम बनाया जा सके। बैंक ने ग्रीन पिन को अनिवार्य किया है जो ग्राहकों को भौतिक पिन मेलर्स की प्रतीक्षा किए बिना एटीएम पिन उत्पन्न करने में मदद करेगा।
- **भुगतान गेटवे संचालन:** बैंक के 11 एग्रीगेटर हैं जिनके पास बैनर के तहत लगभग 12,000 उप-व्यापारी हैं, जिनमें बीएसएनएल, एलआईसी ऑफ इंडिया आदि जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन शामिल हैं। बैंक के प्रत्यक्ष ग्राहकों में राज्य सरकार के उद्यम और शैक्षिक संस्थान शामिल हैं। आईओबी डेबिट / क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर आईआरसीटीसी के माध्यम से टिकट बुक करने के लिए आईओबी भुगतान गेटवे आईआरसीटीसी साइट में सूचीबद्ध है।
- **आरटीजीएस/एनईएफटी:** ग्राहकों और शाखाओं से प्रतिक्रिया के आधार पर, आईओबी आरटीजीएस / एनईएफटी मॉड्यूल में उनकी जरूरतों / आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न अपडेट किए गए थे। बल्क एनईएफटी और आरटीजीएस सुविधाएं शाखाओं और इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों को अधिक कॉर्पोरेट ग्राहकों को आकर्षित करने और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान चैनलों के प्रभावी ढंग से उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दी गई थीं ।
- **इंटरनेट बैंकिंग/ मोबाइल बैंकिंग:** 2017-18 के दौरान इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग पंजीकरण में अच्छी वृद्धि हुई है। वर्तमान में 15.51 लाख ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग के लिए पिछले वर्ष 12.9 4 लाख के खिलाफ पंजीकृत हैं और 31 मार्च 2018 तक मोबाइल बैंकिंग के लिए पंजीकृत 6.62 लाख ग्राहक पिछले साल 2.86 लाख ग्राहकों के मुकाबले पंजीकृत थे।

5 Panel Advocates have been removed from the panel for their failure to comply with the bank's instructions which enabled perpetration of fraud on the bank by the borrowers by submitting fake title deeds relating to the properties which were mortgaged to the bank either as prime or collateral security.

- Bank has identified Officers having aptitude for investigation; data analysis etc. and they are given appropriate training in investigations.
- To create vigilance awareness, Bank has conducted essay competition and Quiz competition for all the officers and award staff members and awarded prizes to winners during Vigilance Awareness Week 2017.

All the Regional Offices have been posted with Vigilance Officers to handle Vigilance matters and their role functions have been well defined which includes submission of monthly report on visit to branches. A Workshop on Investigation, Enquiry Proceedings, was conducted for a team of senior officers for investigating large value frauds at the Bank's Staff College Chennai. The participants were refreshed on various issues relating to Preventive Vigilance measures and post-fraud follow-up action. Vigilance Awareness week was observed by the Bank in October 2017 i.e. from 30th October 2017 to 04th November 2017.

Information Technology

IT Infrastructure: The Bank has robust infrastructure architecture, resulting in perfect alignment of Business and IT aspirations.

Network Availability: High-end servers for all the applications along with network equipments have been installed at the Data center, which provides no single point of failure thereby ensuring availability of services. Bank has upgraded the network across all branches and also reduced the number of single link branches by 431 during the year. Several measures were taken for improved bandwidth utilization resulting in better user experience.

Core Banking Solution: The Bank has successfully migrated all the branches including four overseas centers to Finacle. Data archival solution for overseas centers has been initiated and is under progress.

Internet Banking: Several security features were introduced to give better protection to customers using net banking. Innovative digital products on mobile launched. These include ÍOBNANBAN' an app with several features for both customer and non-customers.

ITIL Implementation: Bank has adapted Information Technology Infrastructure Library (ITIL), to better its IT Service Strategy, IT Service Design, IT Service Transition, IT Service Operation and IT Continual Service improvement. This will enable improved IT service delivery and satisfaction with reduced costs through improved utilization of resources for better management of risk and service. This will ensure strong alignment between IT and the business.

Technology for Customer Service: Bank has introduced novel methods for improving customer service using technology. It has introduced Standardized Public Grievance Redressal System (SPGRS). It is a single point where all customer complaints are tracked with active follow up.

Digital Banking

- **ATM / Cash Dispensers (CDs):** As at the end of March 2017 the total number of ATMs of the Bank stood at 3,679 and the number of ATMs as on 31.03.2018 is 3108. During the last one year we have closed 571 unviable ATMs. In addition to the 3108 ATMs we have installed 444 Cash recyclers across all the regions, till 31.03.2018.
- Out of the 3108 ATMs 2327 are located onsite and 781 are located offsite. The geographical spread of these ATMs is 729 in Metro centres, 665 in Urban centres, 951 in Semi urban centres and 763 in Rural centres.
- **Debit Cards:** Bank has a card base of 151 Lakhs as on 31st March 2018 with 20.05 Lakhs new debit cards issued during the year under review. Bank has issued more than 17.22 Lakh Rupay Debit Cards during the year. Bank is giving more thrust for issuance of Rupay cards as advised by NPCI. Bank launched Prepaid Card under Rupay variant with EMV Chip for enhanced security to cope up with the Digital drive for less cash economy. Bank started the EMV migration process for the existing Magstrip cards and detailed Migration Plan is in place. Bank has provided the facility of replacement of magstrip card to EMV card in the Internet Banking to enable the customers to place the request for EMV card without visiting the branch. Bank has mandated Green PIN which will help the customers to generate the ATM PIN without waiting for physical PIN mailers.
- **Payment Gateway Operations:** The Bank has 11 aggregators who have nearly 12,000 sub-merchants under their banner including public sector organizations like BSNL, LIC of India etc. The Bank's direct clients include State Government Enterprises & Educational Institutions. IOB payment gateway is listed in IRCTC site to book tickets through IRCTC using IOB debit/credit cards.
- **RTGS/NEFT:** Based on feedback from Customers and Branches, various updates were done in IOB RTGS/ NEFT module to meet their needs/requirements. BULK NEFT and RTGS facilities were given to branches and Internet banking customers to attract more corporate customers and promote usage of electronic payment channels effectively.
- **Internet Banking/Mobile Banking:** The internet banking and mobile banking registrations have shown a good growth during 2017-18. Presently 15.51 lakh customers registered for Internet Banking against 12.94 lakh for last year and 6.62 lakh customers registered for Mobile Banking as on 31st March 2018, as against 2.86 lakh customers last year.

- **एम-पासबुक:** ग्राहक अनुकूल एम-पासबुक पिछले साल के दौरान शुरु किया गया था जिसमें ग्राहक मोबाइल ऐप डाउनलोड करने पर अपना खाता विवरण देख सकता है। मिस्ड कॉल के माध्यम से बैलेंस पूछताछ भी वर्ष के दौरान पेश की गई थी। 31.03.2018 को एम-पास-बुक के लिए पंजीकृत ग्राहकों की कुल संख्या 5,68,593 है।
- **आईओबी कनेक्ट:** हमारे बैंक ने हमारे ग्राहकों के लिए एंड्रॉइड फोन के लिए एक व्यापक मोबाइल ऐप "आईओबी कनेक्ट" जारी किया है, जिसे आईओबी-मोबाइल, आईओबी रिवार्ड और आईओबी एमपास-बुक से जोड़ा जा सकता है।
- **आईओबी पे:** यह एक एकीकृत ऑनलाइन भुगतान गेटवे प्लेटफ़ॉर्म है जो शुल्क भुगतान, व्यापारी भुगतान, धर्मार्थ संस्थानों के लिए दान आदि प्रदान करता है।इस आवेदन में 69 संस्थान पंजीकृत हैं और लेनदेन इस मंच के माध्यम से मार्गांतरित किया जा रहा है।
- **भीम और भीम आईओबी यूपीआई:** भारत इंटरफेस फॉर मनी (बीएचआईएम) आवेदन सीधे बैंकों में ग्राहक भुगतान के लिए सीधे ग्राहक बनाने और केवल मोबाइल नंबर या भुगतान पते का उपयोग करके धन इकट्ठा करने के लिए लॉन्च किया गया है।
- **भीम आईओबी यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग करके हमारे बैंक द्वारा लॉन्च किया गया एप्लिकेशन है।** 31.03.2018 तक, 8.11 लाख ग्राहकों को इस मंच पर और भीम पर 3.23 लाख उपयोगकर्ताओं द्वारा इसका प्रयोग किया गया है।
- **बीबीपीएस:** बैंक ने भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस), एक एकीकृत बिल भुगतान प्रणाली शुरू की है, जो ग्राहकों को ऑनलाइन इंटरऑपरेबल बिल भुगतान सेवा प्रदान करती है।बीबीपीएस के लिए, मार्च 2017 में आईओबी ने ग्राहक ऑपरेटिंग यूनिट (सीओयू) और फरवरी 2018 में बिलर ऑपरेटिंग यूनिट (बीओयू) के रूप में बिलर के रूप में टीएनईबी के रूप में एकीकृत किया है।
- **क्रेडिट कार्ड:** हमारे बैंक ने 01.04.2006 से वीज़ा के साथ सहयोग में वीज़ा इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड शुरु किया है। क्रेडिट कार्ड डिवीजन ने क्रेडिट कार्ड व्यवसाय में सुधार और वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कार्ड बेस बढ़ाने के लिए विभिन्न विकास गतिविधियों की शुरुआत की है। इस तरह की गतिविधियों का विवरण इस प्रकार है:
- क्रेडिट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को डिजिटलकृत किया जाता है जो टर्नअराउंड समय को कम करने में मदद करता है क्योंकि बैंक से विक्रेता तक डेटा प्रवाह स्वचालित होता है।
- क्रेडिट कार्ड सीमाओं को मंजूरी देने के लिए विवेकपूर्ण शक्तियों को सभी शाखा प्रबंधकों और आरएलसीसी को शक्तियां प्रदान करने के लिए संशोधित और पुनर्गठित किया गया है। पहले केवल स्वीकृति शक्तियां केवल आरएलसीसी के साथ निहित थीं। बदलावों ने बदलाव के समय को कम करने में भी योगदान दिया।
- क्रेडिट कार्ड अभियान दिसंबर 2001 से जनवरी 2018 के दौरान अधिक से अधिक क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए लॉन्च किया गया था।
- स्लिपेज अवरुद्ध करने के बाद एनपीए स्तर 8.27 करोड़ से घटाकर 8.17 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- 31.03.2018 को क्रेडिट कार्ड बेस 60,530 से बढ़कर 78,567 हो गया है।

सरकारी खाते

प्रत्यक्ष कर संग्रह: बैंक पूरे भारत में 354 शाखाओं द्वारा भौतिक मोड में और ऑन लाइन टैक्स एकाउंटिंग सिस्टम (ओएलटीएएस) के माध्यम से आयकर और अन्य प्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत है। बैंक को प्रत्यक्ष करों का ई-भुगतान प्राप्त करने के लिए भी अधिकृत किया जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने लेनदेन को **रु10,139.41** करोड़ रुपये और अर्जित कमीशन **रु1.95** करोड़ नियंत्रित किया है।

अप्रत्यक्ष कर संग्रह: बैंक सीबीईसी द्वारा अधिकृत 217 शाखाओं द्वारा उत्पाद शुल्क और सेवा कर (ईएएसआईआईएसटी) में इलेक्ट्रॉनिक लेखा प्रणाली के माध्यम से अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत है। बैंक को उत्पाद शुल्क और सेवा कर का ई-भुगतान, सीमाशुल्क शुल्क का ई-भुगतान और ड्यूटी ड्रॉबैक के ई-रिफंड प्राप्त करने के लिए भी अधिकृत किया गया है। समीक्षाकर्ता साल के दौरान, बैंक ने लेनदेन को 1754486 करोड़ रुपए और अर्जित कमीशन रु 4.08 करोड़ नियंत्रित किया है।

केन्द्रीय पेंशन प्रसंस्करण केन्द्र

पेंशन का भुगतान: ईएसीएस के माध्यम से क्रेडिट के अलावा बैंक केन्द्रीय नागरिक, रक्षा, रेलवे, दूरसंचार, राज्य नागरिक, ईपीएफओ, सीएमपीएफओ, टीएनईबी, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई डॉक लेबर बोर्ड, तमिलनाडु के स्थानीय निधि लेखापरीक्षा और मलेशियाई सरकारी पेंशन से संबंधित **2.25** लाख पेंशनभोगियों की सेवा कर रहा है।

केन्द्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र केंद्रीय नागरिक, रक्षा, रेलवे और दूरसंचार पेंशनरों को **63,385** खातों के लिए केंद्रीकृत आधार पर पेंशन वितरित करता है। बैंक ने एक वर्ष के दौरान लगभग **रु1,740** करोड़ रुपये वितरित किए हैं और वितरण की तारीख से 2-3 दिनों के भीतर केंद्रीय नागरिक, रक्षा, रेलवे और दूरसंचार पेंशन के लिए योजना के तहत प्रतिपूर्ति प्राप्त की। वर्ष के दौरान बैंक ने **रु. 4.95** करोड़ कमीशन अर्जित किया है।

बैंक ने तमिलनाडु सरकार में 13 शाखाओं और ओडिशा सरकार में 3 शाखाओं के ट्रेजरी बिजनेस को और रुपये **2,091.22 करोड़** रसीदें और भुगतान के कारोबार के साथ संभाला है। बैंक योजना आयोग और दूरसंचार विभाग का खाता है और क्रमश: **13.34 करोड़** रुपये और **1,85.67 करोड़** रुपये की प्राप्तियां और भुगतान संभाला है। डाकघर संग्रह (ड्राइंग और जमा) खाता तमिलनाडु की रसीदों और **1,87.29 करोड़** रुपये के भुगतान में 66 शाखाओं में रखी जाती है। बैंक सक्रिय नागरिक बचत योजना 2004, 8% कर योग्य बॉन्ड जैसे भारत सरकार बचत योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। सार्वजनिक भविष्य निधि और सुकन्या समृद्धि योजना योजनाएं लगभग **रु1,035.84 करोड़** हैं।

स्वर्ण गोल्ड बॉण्ड योजना: साल के दौरान हमारे बैंक ने **60.65 करोड़** रुपये एकत्र किए हैं और आय **0.69 करोड़** रुपये कमाये हैं।

नेशनल पेंशन सिस्टम: साल के दौरान हमारी शाखाओं ने 2700 एनपीएस खातों को खोला है और आय **0.10 करोड़** रुपये कमाये है।

अभियान I- 08.09.2017 से 22.09.2017: अभियान के दौरान शाखाओं द्वारा 1388 एनपीएस खाते खोले गए थे।

सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 2905 शाखाओं के साथ अधिकतम संख्या में शाखाओं को सक्रिय करने के लिए तीसरा स्थान मिला था।

अभियान II- 18.01.2017 से 28.10.2017:

सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 128 शाखाओं के साथ अधिकतम संख्या में शाखाओं को सक्रिय करने के लिए **पहला स्थान** मिला था।

- **M-Passbook:** Customer friendly M-passbook was introduced during last year in which a customer can view their account statement upon downloading the mobile app. Balance enquiry through missed call was also introduced during the year. Total number of customers registered for M-Passbook as on 31.03.2018 is 5,68,593.
- **IOB Connect:** Our Bank has released a comprehensive mobile app "IOB Connect" for Android Phones, for our customers, which can be linked to IOB-Mobile, IOB Rewardz and IOB mPassbook.
- **IOB-Pay:** It is an integrated online payment gateway platform which offers fee payments, merchant payments, donations for charitable institutions etc. 69 Institutions have been registered in this application and the transactions are being routed through this platform.
- **BHIM & BHIM IOBUPI:** Bharat Interface for Money (BHIM) application has been launched to make direct customer to customer payments across the Banks instantly and collect money using just Mobile number or Payment address.
- **BHIM IOBUPI is the application launched by our Bank using Unified Payment Interface.** As on 31.03.2018, 8.11 lakh customers have been on boarded on this platform and 3.23 lakh users on BHIM.
- **BBPS:** Bank has launched Bharat Bill Payment System (BBPS), an integrated bill payment system, which offers interoperable bill payment service to customers online. For BBPS, IOB has been integrated as Customer Operating Unit (COU) in March 2017 and as Biller Operating Unit (BOU), with TNEB as biller, in Feb 2018.
- **Credit Cards:** Our Bank has introduced VISA International Credit Card in association with VISA with effect from 01.04.2006. Credit Card Division has initiated various developmental activities in order to improve the credit card business and increase the card base during the financial year 2017-18. Details of such activities are as follows.
- Credit Card issuing process is digitalized which facilitates to reduce the turnaround time as the data flow from Bank to Vendor is automated.
- Discretionary powers for sanctioning Credit Card Limits have been revised and restructured to provide powers to all branch managers and Regional Level Credit Committee. Previously, the sanctioning powers were vested with only RLCC. The changes also contributed to reduce the turnaround time.
- Credit card campaign was launched during December 2017 to January 2018 for issuing more and more credit cards.
- NPA Level is reduced from Rs.8.27 crores to Rs.8.17 crores after arresting the slippages.
- Credit card base increased from 60,530 to 78,567 as on 31.03.2018.

Government Accounts

Direct Tax Collections: The Bank is authorized to collect Income Tax and other Direct taxes in physical mode and through On Line Tax Accounting System (OLTAS) by 354 branches all over India. The Bank is also authorized to receive e-payment of Direct Taxes. During the year under review, the bank has handled transactions amounting to **Rs. 10,139.41 crores** and earned commission of **Rs. 1.95 crores.**

Indirect Tax Collections: The Bank is authorized to collect indirect taxes through Electronic Accounting System in Excise and Service Tax (EASIEST) by **217** branches authorized by CBEC. The Bank is also authorized to receive e-payment of Excise and Service Tax, E-payment of Customs Duty and e-refunds of Duty Drawback. The Bank has handled transactions amounting to **Rs. 17,544.86 crores** and earned commission of **Rs.4.08 crores.**

Centralised Pension Processing Centre

Payment of Pension: The bank is servicing 2.25 Lakhs pensioners belonging to Central Civil, Defence, Railways, Telecom, State Civil, EPFO, CMPFO, TNEB, Chennai Port Trust, Chennai Dock Labour Board, Local Fund Audit of Tamil Nadu and Malaysian Government Pension apart from credit through ECS.

Centralised Pension Processing Centre disburses pension on a centralised basis to Central Civil, Defence, Railway and Telecom Pensioners for **63,385** accounts. The Bank has disbursed about **Rs. 1,740 crores** during the year and received reimbursement under scheme for Central Civil, Defence, Railway and Telecom Pensions within 2-3 days from the date of disbursement. During the year bank has earned commission of **Rs. 4.95 crores**.

The Bank has also handled Treasury Business of the Government of Tamil Nadu at 13 branches and Government of Odisha at 3 branches and with the turnover of **Rs. 2,091.22 crores** of receipts and payments. The bank services the account of Planning Commission and Department of Telecommunications and handled receipts and payments of **Rs.180.34 crores** and **Rs.185.67 crores** respectively. Post Office Collection (Drawing and Deposit) Account is maintained at **66 branches** in Tamil Nadu handling receipts and payments of **Rs.187.29 crores**. The Bank has been actively participating in the Government of India Savings Schemes like Senior Citizens Savings Scheme 2004, 8% Taxable Bond etc. Public Provident Fund and Sukanya Samriddhi Yojana schemes are contributing subscriptions of about **Rs.1,035.84 crores.**

Sovereign Gold Bond Scheme: During the year our bank has collected **Rs.68.65 crores** and earned an income of **Rs.0.69 crores.**

National Pension System: During the year our branches have opened 2,700 NPS Accounts and earned income of Rs.0.10 crores.

Campaign I – 08.09.2017 to 22.09.2017: 1,388 NPS accounts were opened by branches during the campaign.

Stood 3rd among all Public Sector Banks for maximum number of branches activated – 2,905 Branches.

Campaign II – 18.10.2017 to 28.10.2017:

FIRST among all Public Sector Banks for maximum number of branches activated – 128 Branches.

सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 410 खातों के साथ अधिकतम संख्या में एनपीएस खाते खोलने के लिए **दूसरा स्थान** मिला था।

अंतर-शाखा लेखा समाधान

अंतर-शाखा सुलह ने अपनी भेद्यता को देखते हुए अधिक महत्व लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को बिजनेस डेवलपमेंट के समान अंतर-शाखा लेखा समाधान को प्राथमिकता देने की भी सलाह दी है। आरबीआई ने अंतर--शाखा प्रविष्टियों को खत्म करने के लिए छह महीने का समय निर्धारित किया है। शारीरिक अंतर शाखा सलाह समाप्त कर दी गई है। फाइनल पर्यावरण के तहत संड्री क्रेडिटर्स (Misc) खाते के माध्यम से इंटर शाखा लेनदेन को मार्गित किया जा रहा है। डीडीआर में क्रेडिट प्रविष्टियों का उन्मूलन केवल भुगतानकर्ताओं द्वारा ड्राफ्ट की प्रस्तुति पर संभव है। फंड प्रविष्टि के तहत 6 महीने से अधिक के लिए कोई डेबिट प्रविष्टियां बकाया नहीं हैं, जो कि 2,557 लाख रुपये की 6 प्रविष्टियों को छोड़कर हैं। छह महीने के आरबीआई मानदंडों के मुकाबले टीटी भुगतान भुगतान प्रतिपूर्ति खातों के तहत कोई प्रविष्टियां बकाया नहीं हैं। डिमांड ड्राफ्ट सुलह, फंड ट्रांसफर और टीटीपीआर खातों को सीबीएस (फिनाकल) पर्यावरण में स्थानांतरित कर दिया गया है।

मानव संसाधन विकास

भर्ती और स्टाफ संख्या

- वर्ष 2017 - 2018 के दौरान, बैंक ने पीसीए के कारण कोई भर्ती नहीं की है। हालांकि, आंतरिक लोकपाल (01), वरिष्ठ अर्थशास्त्री (01) और चेन्नई के स्टाफ कॉलेज, चेन्नई (04) के पद के लिए अनुबंध भर्ती की गई है।

31 मार्च 2018 तक बैंक की कुल स्टाफ संख्या **27,936** कर्मचारी हैं जिसमें से **14,751** अधिकारी, **10,243** लिपिक और **2,942** अधीनस्थ कर्मचारी हैं।

कुल कर्मचारियों की संख्या में, 5,573 सदस्य अनुसूचित जाति वर्ग, 1,928 अनुसूचित जनजाति श्रेणी के और 7,338 अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंधित हैं। कर्मचारी संख्या में 9,350 महिला कर्मचारी, 1063 भूतपूर्व सैनिक और 527 दिव्यांग सदस्य हैं।

उत्तराधिकार योजना और प्रेरणा

नेतृत्व निरंतरता सुनिश्चित करने और संभावित उत्तराधिकारी विकसित करने के लिए, उत्तराधिकार योजना की प्रक्रिया शुरू की गई थी। पहला चरण बैंक में महत्वपूर्ण पदों की पहचान और संभावित उत्तराधिकारी की पहचान के साथ शुरू हुआ। गंभीर विभागों की पहचान प्रत्येक विभाग में जोखिम धारणाओं के आधार पर और प्रतिस्थापन आवश्यक खाते को ध्यान में रखते हुए की गई है। प्रत्येक स्थिति के लिए, तीन उत्तराधिकारी पहचानने और प्रशिक्षित महत्वपूर्ण पदों / विभागों पर रखने और उत्तराधिकार योजना के अनुरूप होने के लिए प्रशिक्षित किए जाते हैं।

क्षमता का विकास करना

उत्तरवर्तन की योजना के लिए और चिन्हित अधिकारियों को चिन्हित महत्वपूर्ण स्थानों पर तैयार करने के लिए बैंक ने क्षमता के विकास पर रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार ही कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक योजना तैयार की है । इस संबंध में, बैंक ने तीन मान्यता प्राप्त संस्थानों को चिन्हित किया है जिनके नाम है –

क) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंक एंड फ़ांनेशेंस (आईआईबीएफ) मुम्बई

ख) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग मैनैंजमेंट

ग) मूडी एनालाईटिक

जो कि चिन्हित क्षेत्रों जैसे कि राजकोष परिचालन , विदेशी विनिमय , साख प्रबंधन रिस्क प्रबंधन और खाता में प्रमाणीकरण दे रहा है । स्टाफ सदस्यों को यह सूचित किया जाता है कि इन क्षेत्रों में प्रमाणीकरण बैंक के क्षमता विकास में बढानें के उद्देशय से प्राप्त करें ।

मेंटरशिप कार्यक्रम

बैंक ने वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मेंटरशिप कार्यक्रम की शुरूआत की है जिसका उद्देश्य सभी स्तर के अधिकारियों जिनकी न्युनतम दो साल की सेवा शेष हो के लिए जानकारी/ ज्ञान के अंतर को कम करना है ।

बैंक ने सभी कार्यपालकों के लिए कार्यक्रम शुरु किया और सभी मेंटर्स और मेंटिस को इस संबंध में पत्र भेजा गया है ।

नैतिकशास्त्र योजना

बैंक ने नैतिकशास्त्र योजना की शुरूआत की है जिसमें बैंक के सभी कर्मचारियों को शामिल किया गया है ताकि कर्मचारियों के बीच सदस्ता की संस्कृति सार्वजनिक आचरण के संबंध में , बैंक के साथ संचार . बाहरी इकाइयों के साथ परस्पर संवाद , जिसमें मीडिया और सहयोगीयों के साथ बर्ताव करना शामिल है, बनायी जा सके । यह नीति व्यवहार के मानक को परिभाषित करती है जिसकी अपेक्षा सभी कर्मचारियों से है ताकि अपने काम को करने में और बैंक की विभिन्न कार्यों की जिम्मेदारियों को निभाने में सही निर्णय लिया जा सके ।

कथित नीति के कार्यांवयन के लिए एक मानक परिचालित प्रक्रिया (एसओपी) को अपनाया गया है जहॉ सभी कर्मचारियों से ऑनलाइन अभिपुष्टि, आचार संहिता (जैसा कि नैतिकशास्त्र नीति में दिया गया है) के अनुपालन को लेकर पुष्टि प्राप्त की जाती है ।

कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण

बैंक नें जनशक्ति योजना के संबंध में एक नया मूल्यांकन लिया है जहॉ कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण स्टाफ की उत्पादकता के आधार पर किया जायेगा । स्टाफ की संख्या का मूल्यांकन समय और गति आंकलन के साथ लिया गया था । बताये गया आंकलन 72 + काम ड्राइवरों (प्राप्ति , भुगतान , साख , फोरेक्स आदि) और   उत्पादकता इनपुट पर किया गया था ।

इस प्रक्रिया में, अधिक स्टाफ वाले क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है । इसी प्रकार से , ऐसे क्षेत्र जहॉ कर्मचारियों की कमी है ,को चिन्हित कर लिया गया है और कर्मचारियों को कमी वाले स्थानों पर पदोन्नति स्थानांतरण प्रकिया में उपयुक्त रूप से तैनात किया गया था ।

बायोमैट्रिक उपस्थिति सिस्टम का भी आरंभ बैंक में किया गया ताकि कर्मचारियों के द्वारा समय की पाबंदी पर पूरा नियंत्रण हो सके जो कि प्रतियोगिता के माहौल में सबसे अच्छी ग्राहक सेवा देने की आधारभूत जरूरत है । स्टाफ सदस्यों को यह सूचित किया गया है कि प्रवेश और प्रस्थान के समय बायोमैट्रिक लगायें जो कि अपने आप ही अवकाश के रिकोर्ड को अद्यतन   बिना चूके, कम समय में और शून्य या कम आवर्ती व्यय में कर देगा ।

पदोन्नतियां

स्टाफ कर्मचारियों को एक कैडर से अगले कैडर में पदोन्नत किया गया था ।

SECOND among all Public Sector Banks for opening maximum NPS Accounts – 410 accounts.

Inter Branch Reconciliation

Inter - branch reconciliation has assumed greater significance in view of its vulnerability. Reserve Bank of India has also advised Banks to accord priority to inter-branch reconciliation at par with Business development. RBI has fixed six months time for elimination of inter-branch entries.

Physical inter branch advices have been done away with. Inter branch transactions are being routed through Sundry Creditors (Misc) account under Finacle Environment. The elimination of Credit entries in DDR is possible only on presentation of the drafts by the payees. No debit entries are outstanding for more than 6 months under Funds Transfer except 6 entries amounting to Rs. 2,557 Lakhs. No entries are outstanding under TTs Paid Reimbursement Accounts as against RBI norms of six months. Demand Draft reconciliation, Funds Transfer and TTPR accounts have been migrated to CBS (Finacle) environment.

Human Resources Development

Recruitment & Staff strength

- During the year 2017 – 2018, the bank has not done any recruitment due to PCA. However, Contract Recruitment has been done for the post of Internal Ombudsman (01), Senior Economist (01) and Faculty for Staff College, Chennai (04).

The Bank's staff strength stood at **27,936** Comprising **14,751** Officers, **10,243** Clerks and **2,942** Sub-staff as of 31st March, 2018.

Of the total staff strength, 5,573 members belonged to SC category, 1,928 to ST Category, and 7,338 to OBC Category. Staff Strength includes 9,350 Women employees, 1,063 Ex-servicemen and 527 physically challenged members.

Succession Planning and Motivation

To ensure leadership continuity and develop potential successors, succession planning process was initiated. The First phase started with the identification of critical positions in the bank and identifying potential successors. The Critical positions have been identified on the basis of the risk perceptions at each department as well as taking into account the replacement required. For every position, three successors to be identified and trained for placing them at identified critical positions/ departments and to be in line with succession planning.

Capacity Building

In order to plan the succession and equip the identified officers for identified critical positions, Bank has drawn a Policy on “Capacity Building” in tune with RBI guidelines to build up the capacity of the staff members. In this regard, bank has identified three accredited institutes namely

a) Indian Institute of Banking & Finance (IIBF), Mumbai

b) National Institute of Banking Management (NIBM), Pune &

c) Moody’s Analytics

who are providing certifications for the identified areas i.e. Treasury Operations, Foreign Exchange, Credit Management, Risk Management & Accounts. Staff members have been advised to obtain the certifications in those areas in order to build up the capacity in the Bank.

Mentorship Program

Bank has initiated Mentorship Program in tune with the current bank requirements with an objective to bridge/share the knowledge gap for officers of all levels having minimum of two years of left over service.

The Program has been initiated for all Executives of the bank by sending letters to respective mentors and mentees.

Ethics Policy

Bank has introduced “Ethics policy” covering all the employees of the Bank, to create a culture of cooperation among the employees in respect of public conduct, communications with the Bank, interactions with external entities including the media and dealing with colleagues. The policy defines the standards of the conduct that is expected of all employees in order that the right decisions are taken in performing roles and responsibilities across various functions in the Bank.

For implementation of the said policy, a Standard Operating Procedure (SOP) has been adopted wherein online affirmation from all the employees confirming adherence to the code of conduct (as detailed in the Ethics policy) is obtained on annual basis.

Staff Strength Assessment

Bank has undertaken a new assessment with regard to Manpower Planning wherein staff strength was determined on staff productivity basis. The Staff strength assessment had been undertaken with time and motion analysis. The said assessment was done with 72+ work drivers (types of works in a branch like Receipt, Payment, Credit, Forex etc.) and productivity inputs.

In this process, the excess staff regions had been identified. Similarly, regions with shortage of staff had been identified and the staffs were being appropriately placed in the promotion transfer process in the shortage pockets.

Biometric Attendance System was also introduced in the Bank to have a complete control over staff punctuality which is one of the basic requirements to provide best customer service in this competitive environment. Staff members were advised to put the biometric at the time of entry and exit which will automatically update the leave records with nil error, less time and nil or less recurring cost.

Promotions

Promotions were given to staff members from one cadre to next cadre. Sub-staff to Clerical 100, Clerical to Officer 350, Scale I to Scale II 305, Scale II to Scale III 175, Scale III to Scale IV 109,

अधीनस्थ कर्मचारी से लिपिक 100 , लिपिक से अधिकारी 350 और स्कैल 1 से स्कैल 2, 305 और स्कैल 2 से स्कैल 3 – 175 , स्कैल 3 से स्कैल 4 - 109 और स्कैल 4 से स्कैल 5 104 , स्कैल 5 से स्कैल 6 -24 और स्कैल 6 से स्कैल 7 -9

अन्य पहल

विभाग ने बाहरी एजेंसी सहयोग से ,चिकित्सा पेशेवर के द्वारा कई स्वास्थ्य जागरूकता सत्र जैसे – लाइफस्टाइल, और स्वास्थ्य , कारडियाक स्क्रीनिंग , विकलांग , डेंटल कैंप आदि पर आयोजन किया गया था ।

प्रशिक्षण

कोरपोरेट लक्ष्य जैसे बैंक को एक ग्राहक कैन्द्रित बनाने के कॉरपोरेट लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आधारभुत क्षेत्रों को छोड़कर बैंक के तत्कालिन समस्याओं पर आंतरिक और बाहरी मोड एक द्वारा दिया गया था ।

उक्त के अलावा , बैंकिंग विषयों जैसे साख मूल्यांकन / साख निगरानी , छोटे और मध्यम उद्यम वित्त , सतर्कता के क्षेत्र में लिपिक और अधिकारियों को निरंतर प्रशिक्षण दिया गया है । इसके साथ ही प्रथम पंक्ति और द्वितीय पंक्ति प्रबंधकों के लिए भी कार्यक्रम सभी स्टाफ कर्मचारी के लिए स्टाफ कॉलेज और स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र पर आयोजित किए गए ।

वित्तीय समावेशन पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम और मल्टी यात्रा प्रीपेड कार्ड का जारी करना का भी आयोजन इसी साल भी किया गया था ।

परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए पूर्व पुष्टि कार्यक्रम का आयोजन विभिन्न स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्रों पर किया गया था । अनुसूचित जाति और जनजाति सदस्य जो कि अधीनस्थ कर्मचारी से लिपिक कैडर , लिपिक से जेएमजीएस 1 , जेएमजीएस 1 से एमएमजीएस 2 एमएमजीएस 2 से एमएमजीएस 3 के लिए पूर्व पदोन्नति प्रशिक्षण का आयोजन विभिन्न स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्रों पर किया गया था । अधिकारियों और पंचाट स्टाफ जो कि उसी साल के दौरान सेवानिवृत्त हुए थे के लिए पूर्व सेवानिवृत्त सलाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था ।

आंतरिक प्रशिक्षण

आंतरिक प्रशिक्षण जिसमें एक स्टाफ कॉलेज , ग्यारह स्टाफ प्रशिक्षण कैन्द्र और एक ग्रामीण बैंकिंग प्रशिक्षण कैन्द्र शामिल है । आंतरिक प्रशिक्षण, 121 कार्यक्रमों का आयोजन कर 18235 कर्मचारियों 1435 सदस्य जो कि अपने सेवानिवृति से पहले पूर्व सेवानिवृत्त सलाह में शामिल हुए थे, उनको छोड़कर) को दिया गया था जिसमे 12235 अधिकारी 5357 लिपिक और 643 अधीनस्थ कर्मचारी शामिल थे । कुल प्रशिक्षित स्टाफ सदस्यों में 4157 अनुसूचित जाति और 1574 अनुसूचित जनजाति से संबंधित रखते थे ।

बाहरी प्रशिक्षण

हमने 165 कार्यपालक / अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रतिनियुक्त किया जिनका आयोजन प्रतिष्ठित संस्थान जैसे कैफरैल , मुम्बई , आईआईबीएफ मुम्बई , एनाअईबीएम पुणे , नेशनल अकादमी ऑफ आरयुडीएसईटीआई बैंगलूरू , सीएबी पुणे , आईडीआरबीटी हैदराबाद आदि के द्वारा किया गया था ।

औद्योगिक संबंध

बैंक के सभी कार्यालय/ शाखाओं में अच्छी औद्योगिक संबंध के वातवरण की निगरानी और बनाये रखने के लिए , अनुशासन का प्रवर्तन, निर्देश/ योजना जिनका पालन किया जाना है आदि के संबंध में समय-समय पर परिपत्र / दिशानिर्देश जारी किये जाते हैं । जहॉ भी नियोजक और कर्मचारी के बीच और कर्मचारियों के बीच विवाद की स्थिति है वहॉ विभाग मित्रभाव से सदस्यों के साथ सनझौता / सलाह के द्वारा निपटान किया जाता है या जरूरत है तो उद्योग समानता को बनाये रखने के लिए जो भी निपटान के लिए शर्ते है और विनिमय चलन में है के अनुसार अनुशानात्मक कार्यवाई की पहल की जाती है ।

कर्मचारियों के द्वारा किये गये आईआर मामलें से संबंधित शिकायतों / मामलों के संबंध में जहॉ भी जरूरत थी चूक करने वाले सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कारवाई की गयी ताकि बैंक में अनुशासन और समानता के साथ औद्योगिक संबंध बनाये रखे जा सके ।

एचआरएमडी – आईआर खंड केन्द्रीय कार्यालय ने अवार्ड कर्मचारी के लिए अधिकृत संगठन के साथ पदोन्नति , स्थानांतरण , लाभ आदि के संबंध में समझौता किया है ताकि कर्मचारियों/ अधिकारियों की शिकायतों यूनियन / एसोशियन के साथ सौदा कर निपटान किया जा सकें ।

बैंक में संगठन के उद्देशयों को प्राप्त करने के लिए औद्योगिक संबंध का वातावरण सौहार्दपूर्ण और अनुकूल हो ।

वित्त मंत्रालय और इण्डियन बैंक एशोशियन के द्वारा स्टाफ मामलों मे जारी दिशानिर्देशों पर परिपत्र जारी कर तेजी से कार्यान्वयन किया गया ताकि स्टाफ सदस्यों को लाभ हो सके ।

बैंक ने बायोमैट्रिक उपस्थिति सिस्टम की भी शुरूआत छुट्टी अद्यतन विवरण को आसान बनाने के लिए और स्टाफ समय पालन पर नियत्रंण बनाने के लिए किया है। कर्मचारियों के छुट्टी रिकॉर्ड के स्वचालन से छुट्टी रिकॉर्ड के अद्यतन में लगने वाले समय को कम करने और परिशुद्धता को बनाये रखने के लिए हमें सहायक होती है ।

निर्बाध ग्राहक सेवा की पहल शाखा में कर्मचारियों को दोपहर के भोजन का अवकाश चक्रीय आधार पर करने के लिए अनुमति देकर , की है ।

मा.सं.वि.वि. और मा.सं.प्र.वि. को ऑनलाइन अनुशासनिक कार्यवाही पंजीकृत प्रणाली का एक्सेस दिया गया है ताकि वे हमारे स्टाफ सदस्यों के लिए विभिन्न क्रिया अर्थात पदोन्नति, प्रथम श्रेणी की नियुक्ति, ऋण/सीसी देना, सेवानिवृत्ति आदि में आइआर क्लियरेंस उत्पन्न कर सके, जो कि समय, श्रम और स्टेशनरी को कम करेगा।

चल , अचल और मूल्यावान संपति की ऑनलाइन सबमिशन अधिकारी कर्मचरियों के द्वारा 31.03.2018 तक रिकोर्ड 99% सबमिशन तक पहुँच गया है । स्टाफ सदस्यों के द्वारा चल अचल विवरण की 100% छानबीन की प्रक्रिया हो चुकी है और इसे ऑनलाइन भी बना दिया गया है ।

सभी प्राशासनिक कार्यालयों (केन्द्रीय , अंचल , और क्षेत्रीय कार्यालय) में आंतरिक शिकायत समितियों का गठन एचआरएमडी – आईआर खंड के निर्देश के अंदर , कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोक थाम , निषेध, निवारण) अधिनियम 2013 के अनुसार ही हो चुका है । समिति की सिफारिशों के अनुसार ही शिकायतों के निवारण के लिए ठोस कदम उठाये गये हैं ।

साल 2017 -18 के दौरान यौन उत्पीड़न से सबंधित प्राप्त शिकायतों और निपटान का विवरण इस प्रकार से है –

Scale IV to Scale V 104, Scale V to Scale VI 24 and Scale VI to Scale VII 9.

Other initiatives

The Department, in coordination with external agencies conducted various health awareness sessions by medical professions on various topics such as Lifestyle and Health, Cardiac Screening, Orthopedics, Dental Camp, Eye Camp, etc.

Training

Keeping in view the corporate goal of making the bank a customer centric one training has been imparted on contemporary issues of banking apart from basic areas of banking through the internal and external mode.

Apart from the above, regular training on Banking topics have been imparted to officers and clerks in the field of Credit Appraisal/ Credit Monitoring, Small & Medium Enterprises Financing, Vigilance. Also Programs for First Line and Second line managers were conducted for all staff members at Staff College and various Staff Training Centers.

Special Training Programs on Financial Inclusion and issuance of multi travel prepaid card were conducted during the year.

Pre confirmation program for Probationary Officers was conducted at various Staff Training Centers. Pre Promotion Training for SC/ST members who are eligible for promotion from Sub Staff to Clerical cadre, Clerk to JMGS I, JMGS I to MMGS II and MMGS II to MMGS III was conducted at various Staff Training Centers. The Pre Retirement counseling program was conducted for Officers and Award Staff Members who retired during the year.

Internal Training

The internal training system comprises of One Staff College, Eleven Staff Training Centers and One Rural Banking Training Centre. Internal training was imparted to 18,235 staff (excluding 1,435 members who have undergone Pre – Retirement Counseling prior to their superannuation) comprising of 12,235 Officers, 5,357 Clerical and 643 Sub-staff by conducting 121 programs. Of the total staff trained 4,157 belonged to Scheduled Caste (SC) and 1,574 belonged to Scheduled Tribe (ST).

External Training

We had also deputed 165 Executives/ Officers for training programs conducted by reputed external institutes like CAFRAL, Mumbai; IIB&F, Mumbai; NIBM, Pune; National Academy of RUDSETI, Bangalore; CAB, Pune; IDRBT, Hyderabad etc.

Industrial Relations

In order to monitor and maintain good industrial Relations climate in all offices/Branches of the Bank, circulars/ guidelines are issued from time to time regarding enforcement of discipline, policies to be followed, etc. Wherever dispute arises between the Employer & Employee and among Employees, the department amicably settles by conciliation/counseling members or initiate disciplinary proceedings, if required, according to the terms of the settlement and regulations in force to maintain industrial harmony.

With regard to complaints/matters pertaining to IR matters committed by staff members, disciplinary action, wherever necessary, had been initiated against erring members to maintain discipline and harmonious industrial relations in the Bank.

HRMD-IR Section, Central Office had entered into settlement with the recognized union for award staff, regarding promotion, transfer, benefits, etc. to redressed the grievances of employees/ Officers through collective bargaining with Unions/Associations.

The Industrial relations environment for the Bank remained cordial and conducive for achieving organization's objectives.

The guidelines issued by the Ministry of Finance and Indian Banks Association with regard to staff matters are implemented expeditiously by issuing circulars for the benefit of our employees.

Bank introduced Biometric Attendance System to simplify the leave updating procedure and to have control over our staff punctuality. Automation of employees' leave records helps us to maintain accuracy and reduce the time involved in updating leave records.

Introduced uninterrupted customer service by permitting the employees in the branches to observe the lunch recess on rotational basis.

Online Disciplinary Proceedings Register System access is given to HRDD and HRMD, to enable them to generate IR clearance of our staff for various purpose such as promotion, posting of first line, avail loans/CC, retirement etc. which reduces the time, manpower and stationery involved.

Online submission of Return of Movable, Immovable and valuable properties by officer employees as on 31.03.2017 has reached a record of 99% submission. The 100% scrutiny of the movable and immovable statement process submitted by the staff members has been implemented and made online.

Internal complaints committees were constituted at all Administrative offices (Central, Zonal & Regional Office) under the instruction of HRMD-IR Section, as per the Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013. As per the recommendation of the Committees, appropriate action has been taken to redress the grievances.

The details of the Sexual harassment Complaints received and disposed during the year 2017 – 2018 are as follows:

31.03.2017 तक लंबित शिकायतें	2017-18 के दौरान प्राप्त शिकायत	शिकायतें जिनका निपटान किया गया है	लंबित शिकायतें
3	3	5	1

वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार न्यायालय मामलों की समीक्षा शिखर स्तर पर बैंक के द्वारा की जाती है और ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि न्यायालय मामलों का निपटान जल्द हो सके ।ऐसे मामलें जहॉ निपटारा नहीं हो सकता वहॉ मजबूती के साथ केस लड़ा जाता है ।

सुरक्षा

सुरक्षा मानक, अनिवार्य और अनुरोधित, सभी शाखाओ, सख्ती के साथ और सही से कार्यान्वित किया गया था, एटीएम औए प्रशासनिक कार्यालयो का आवधिक निरीक्षण किया जाता है ताकि स्थानीय कानून और आदेश का सही से अनुपालन किया जा सके और सुरक्षा को और अधिक मजबूत किया जा सके ताकि हम अपने ग्राहको और कर्मचारीयो के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करें। बैंक हमेशा अग्नि सुरक्षा और सुरक्षा के लिए निवारक मानकों पर जोर देता है और अग्नि सुरक्षा के लिए प्रबंध करता है स्टाफ के बीच अग्नि सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाता है ताकि जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित कि जा सके। बैंक ने सदस्यों को सुरक्षा को लेकर जागरूक किया है और सुरक्षा उपकरणो के रोपण जैसे कि सीसीटीवी और चोर अलार्म का 24* 7 * 365 काम करना और पेसिव इंफ्ररेड (पीआईआर) और सभी शखाओं में वाईब्रेशन सेंसर और सुभेद्य एटीएम और शाखाओं पर बाहरी ठेके पर चौकीदार / आर्म गार्ड की मामलों के आधार पर क्रमानुसार तैनाती सुनिश्चित किया है । केन्द्रीय कार्यालय सुरक्षा विभाग क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी के साथ मिलकर पूरे भारत मे नकद प्रवाह को प्रचालित और निगरानी करता है

राजभाषा नीति

वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने राजभाषा नीति के कार्यावयन के लिए पूरे प्रयास किए । वर्ष के दौरान 98 स्टाफ सदस्यों को, जिन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं है, आइओबी प्रवीण तथा बैंकिंग प्राज्ञ पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया गया । हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त 2,535 स्टाफ सदस्यों को सामान्य हिन्दी कार्यशालाओं में प्रशिक्षित किया गया। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी यूनिकोड फॉण्ट प्रतिष्ठापित किया गया और बैंक के इंट्रानेट पर डाउनलोडिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई । स्टाफ के प्रयोगार्थ ऑनलाइन पर बैंकिंग शब्दावली भी उपलब्ध करवाई गई है । वर्ष के दौरान 1,958 स्टाफ सदस्यों को कम्प्यूटरों पर हिन्दी में कार्य करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया । त्रैमासिक हिन्दी पत्रिका “वाणी” के चार अंकों का समय पर प्रकाशन डिजिटल व मुद्रण के रूप में किया गया। लेखमाला – 3 का प्रकाशन किया गया ।

बैंक की गृह-पत्रिका “वाणी” को भारत सरकार से ‘ग’ क्षेत्र में वर्ष 2016-17 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के तहत द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

केन्द्रीय कार्यालय के राजभाषा विभाग द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा कार्यावयन की स्थिति से संबंधित निरीक्षण किया गया और राजभाषा कार्यावयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों तथा शाखाओं को राजभाषा शील्ड प्रदान किए गए ।

संसदीय राजभाषा समिति की साक्ष्य एवं आलेख समिति द्वारा दिनांक 07.07.2017 व 06.09.2017 को निठारी व फरीदाबाद शाखाओं का निरीक्षण किया गया । दोनों समितियों ने इन केन्द्रों में राजभाषा कार्यावयन के क्षेत्र में किए गए प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया । तिमाही राजभाषा कार्यावयन समिति की बैठकों का आयोजन किया।

बैंक ने हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में केन्द्रीय कार्यालय तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं का अयोजन किया । दिनांक 07 सितंबर 2017 को अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता का अयोजन किया गया । सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में स्कूली छात्रों के लिए हिन्दी प्रतियोगिताओं का अयोजन किया गया । दिनांक 10 जनवरी 2018 को केन्द्रीय कार्यालय एवं सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में विश्व हिन्दी दिवस मनाया गया । इस अवसर पर हिन्दी प्रतियोगिताएं, कार्यशाला व संगोष्ठीयों का अयोजन किया गया । चेन्नै नराकास के सदस्य बैंक के अधिकारियों के लिए 13.02.2018 को सामान्य हिन्दी कार्यशाला का अयोजन किया गया ।

छपाई के साथ साथ डिजिटल रूप मे भी इसे प्रकाशित किया गया है। लेखमाला-3 का भी प्रकाशन किया गया है।

भारत सरकार ने हिन्दी गृह पत्रिका “वाणी” को ग क्षेत्र में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के तहत वर्ष 2016-17 के लिए द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया है। क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण राजभाषा परिपालन के ऊपर राजभाषा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय के द्वारा किया गया था और राजभाषा शील्ड उन क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखाओं को प्रदान किया गया था जो राजभाषा कार्यान्वयन मे अच्छा कार्य कर रहे है।

राजभाषा विभाग के ऊपर बनी संसदिय समिति के आलेख और साक्ष्य समिति ने हमारे निठारी और फरिदाबाद शाखा का निरीक्षण क्रमश: 07.07.2017 और 06.09.2017 को किया था। दोनो ही समितियों ने इन केन्द्रों में राजभाषा के कार्यान्वयन को लेकर संतोष जताया।

बैंक ने हिन्दी दिवस समारोह के दौरान हिन्दी प्रतोयोगिताओं का आयोजन सभी क्षेत्रीय कार्यालयो और केन्द्रीय कार्यालय में किया। एक अखिल भारतीय निबंध लेखन प्रतोयोगिता का आयोजन 07 सितम्बर 2017 को किया गया था। क्षेत्रीय कार्यालयो ने हिन्दी दिवस समारोह के अवसर पर स्कूली छात्रों के लिए विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है । 10 जनवरी 2018 को केन्द्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय में इसे विश्व हिन्दी के रूप मे अवेक्षित किया, विविध हिन्दी प्रतियोगिताओं, सेमीनार और कार्यशालाओ का आयोजन क्षेत्रीय कार्यालयो मे किया गया था। तिमाही ओ एल आई सी बैठक का आयोजन नियमित रूप से किया गया है।

नराकास चेन्नई के सदस्य बैंको के लिए एक सामान्य हिन्दी कार्यशाला का भी आयोजन 13 फरवरी 2018 को किया गया था।

आई एन डी ए एस के हमारे बैंक मे कार्यान्वयन के स्थिति

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ने वि.व 2016-17 से भारतीय लेखा मानकों को लागू करने की प्रक्रिया की शुरूआत की है । भारतीय लेखा मानकों को बैंकों के द्वारा लागू करने के समय को आर बी आई के द्वारा 05.04.2018 को एक वर्ष के लिए टाल दिया गया है, इसलिए अब बैंको के द्वारा भारतीय लेखा मानकों को वि. व 2018-19 से लागू किया जाना है।

फरवरी 2016 मे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, बैंक ने एक परिचालक समिति का गठन किया है जो कि कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में 4 महा प्रबंधकों के समूह के द्वारा आई एन डी एस कार्यान्वयन के विकास को निरिक्षित करेगा। बैंक ने भी 10 सदस्यों का एक समूह का गठन किया है और ई सी एल (अपेक्षित साख हानि) के लिए विभिन्न कार्यात्मक विभागों से 7 सदस्यों को लेकर एक समूह का गठन किया है जो आई एन डी एस के कार्यान्वयन को अग्रेषित करेगा । बैंक ने अग्रिम बीजक वित्तीय विवरण 30.09.2016, 01.04.2017 और 30.06.2017 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा किया है । आगे, आईएनडी एएस के क्रियान्वयन के विकास पर स्थिति सूचना परीक्षण समिति और बैंक के बोर्ड को भी पहले ही सौंपी जा चुकी है । बैंक ने पूरे भारत में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयो और अंचल कार्यालयो से संलग्न अधिकारीयों का प्रशिक्षण चलाया गया है । विभिन्न क्षेत्रीय और अंचल कार्यालयो से संलग्न कार्यपालको के लिए भी आईएनडी एएस जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया था ।

बैंक ने प्रचलित प्रक्रिया में आईएनडी एएस के जरूरतों को पूरा करने के लिए अंतर की पहचान की है जिसमें स्टाफ अग्रिम, स्टाफ जमा, प्रभावी ब्याज दर का उचित गणना (ईआईआर) के उचित आँकलन आदि को विक्रेता (फिनेकल) को बताया गया है। अपेक्षित साख हानि को दूर करने के लिए आईएनडी एएस के तहत समाधान जो कि फिनेकल के बाहर होगा, बैंक ने विभिन्न विभागों जैसे कि निधि कोष, साख अनुलंब, जोखिम प्रबंधन विभाग आदि के वर्तमान अंतर को दूर कर के आईएनडी एएस के जरूरतों को पूरा करने के लिए अगला कदम उठाया है।

Complaints Pending as on 31.03.2017	Complaints received during 2017-18	Complaints Disposed off	Complaints Pending
3	3	5	1

Court cases are reviewed by the Bank at Apex level as per Ministry of Finance guidelines and efforts are taken to settle/ get the Court cases disposed of expeditiously. In such cases which cannot be settled, the cases are contested strongly

Security

Security measures, mandatory and recommendatory, were correctly and strictly implemented in all the branches, ATMs and administrative offices were reviewed periodically keeping in view the local law and order situation and necessary steps taken to fortify security thereby creating a safe business environment for customers and our staff. The Bank continued to stress on preventive measures for security and fire safety arrangements and inculcation of fire prevention and security consciousness among staff to ensure safety to life and property. Bank has sensitized staff members regarding security awareness and ensured installation of security electronics viz., CCTV and Burglar Alarm functioning 24x7x365 days basis incorporating Passive Infra Red (PIR) sensors and vibration sensors in all branches and deployment of outsourced Watchmen/ Armed Guards at vulnerable ATMs and branches on case to case basis respectively. The Security Department at Central Office is monitoring and regulating the operations of cash flow, duly aided by the team of Regional Security Officers PAN India.

Rajbhasha (Official Language Policy)

The Bank has taken all efforts to implement the Official Language Policy of Government of India during the year 2017-18. During the year 98 Staff members who do not possess working knowledge of Hindi were trained in IOB Praveen. 2,535 Staff members possessing working knowledge of Hindi were trained in General Hindi Workshops held during the year. As per the directives of Govt. of India Bank has enabled Hindi Unicode font in all Regional Offices and has provided the facility of downloading of the same on IOB ONLINE. Banking terminology has been provided on IOB ONLINE for the benefit of staff members. Training has been given to 1,958 staff members for the use of Hindi in computers. Four issues of quarterly Hindi Magazine "VANI" in print as well as in digital form have been published. Lekhmala - 3 is also published.

Govt of India has awarded Second **Prize** for Hindi house **magazine "VANI" for the year 2016-17** in C Region under Rajbhasha Keerti Puraskar. Regional Offices were inspected on O L implementation by Official Language Department, Central Office and Rajbhasha Shields were awarded to Regional Offices and branches doing good work in official language implementation.

Drafting and evidence committee of Parliamentary Committee on Official Language conducted inspection of our Nithari and Faridabad branches on 07.07.2017 and 06.09.2017 respectively. Both the committees expressed satisfaction over the implementation of Official Language in these centers.

Bank has conducted Hindi competitions in all Regional Offices and Central Office on the occasion of Hindi Day Celebrations. An All India Hindi Essay Writing competition was held on 07th September 2017. Regional Offices have conducted various Hindi Competitions for school children on the occasion of Hindi Day Celebrations. On 10th January 2018 World Hindi Day was observed in Central Office and Regional Offices, Various Hindi competitions, seminars and workshops were held in Regional Offices. Quarterly OLIC meetings have been conducted regularly.

A general Hindi workshop for the officers of member banks of Chennai TOLIC was also held on 13th February 2018.

Status of Implementation of IND AS in our Bank

Indian Overseas Bank has commenced the process of IND AS (Indian Accounting Standards) implementation from FY 2016-17. IND AS for Banks has been deferred by one year by RBI on 05.04.2018, hence Bank is now required to implement Ind AS from FY 2018-19.

In line with the guidance issued by the Reserve Bank of India in February 2016, the Bank has set up a Steering Committee headed by the Executive Director along with a Working Group consisting of four (4) General Managers which monitors the progress of Ind AS implementation. Bank has also formed a Core team of ten (10) members and ECL (Expected Credit Loss) team of seven (7) members drawn from various functional departments for taking forward the implementation of Ind AS. The Bank has filed the Pro-forma financial statements as on 30.09.2016, 01.04.2017 and 30.06.2017 with the Reserve Bank of India. Further, the status report on progress of implementation of Ind AS has already been placed to the Audit Committee and also to the Board of the Bank. The Bank has undertaken pan India training to officers attached to various Regional and Zonal Offices. Also Ind AS awareness program was undertaken to the Executives attached to the various Regional and Zonal Offices of the Bank.

Bank has identified the gaps in existing system for meeting Ind AS requirement which includes fair valuation of staff advances, staff deposits, computation of Effective Interest Rate (EIR) etc and has taken up the same with the vendor (Finacle). With regard to roll out of Expected Credit Loss (ECL) Solution under Ind AS, which will be outside Finacle, Bank has initiated next steps towards streamlining the workflow of various departments viz., Treasury, Credit verticals, Risk Management Dept etc by bridging the existing gaps for meeting Ind AS requirements.

वस्तु एवं सेवा कर का कार्यान्वयन

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एक व्यापक कर सुधार है जो कि पहले कि सेवा कर/ प्रवेश शुल्क/ ऑक्ट्रॉय और निश्चित अन्य अप्रत्यक्ष करों को बदला है जो कि 01.07.2017 से प्रभाव में आया है । जीएसटी का देश में व्यापारिक परिचालन के सभी पहलुओं पर व्यापक प्रभाव पड़ा है जो कि वस्तुओं के मूल्यांकन और सेवा, आपूर्ति श्रृंखला बेहतरी, आईटी, लेखा और अनुपालन प्रक्रिया से संबंधित है । जीएसटी एक उपभोग आधारित कर है जिसमें कर का निर्धारण आपूर्ति स्थान के आधार पर किया जाता है।

जीएसटी की विभिन्न दर संरचना है : 5%, 12%/ 18% और 28% । स्वर्ण के बिक्री/ निलामी पर जिएसटी 3% निर्धारित है। **बैंकिंग और वित्तीय सेवा पर जीएसटी 18% पर है।**

बैंक ने मेसर्स डेलोइट हसकिंस और सेल्स को बैंक में जीएसटी कार्यान्वयन के लिए सलाहकार नियुक्त किया है। जीएसटी जरूरतों के साथ अनुपालन को पूरा करने के लिए प्रणाली मे आवश्यक सुधार किए गए है ।सभी आवश्यक प्रणाली सुधार को हमारे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा बैंक के जरूरतो के अनुसार विकसित किया गया है । भुगतान करने के साथ-साथ फाईलिंग रिटर्नस को जेनरेट किया जा रहा है के लिए सभी एमआईएस चाहिए ।

बैंक ने सफलतापूर्वक केन्द्रीय सेवा कर पंजीकरण से राज्यवार जीएसटी पंजीकरण 35 राज्यों के लिए जहाँ बैंक की शाखाएं है, सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया है।

मासिक जीएसटी विवरण भरना, जीएसटी का भुगतान से संबंधित कार्य को केन्द्रीयकृत कर दिया गया है और यह कर अनुपालन और भुगतान कक्ष , के.का के द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है।

बैंक ने जीएसटी के तहत अब तक सभी विवरण को अच्छे से भर दिया है ।

पीएसबी- सुधार मुद्दा – ईएएसई- परिवर्धित पहुँच और सेवा श्रेष्ठता

सरकार द्वारा अनुमोदित अक्टूबर- 2017 में पीएसबी के पूनर्पूजीकरण योजना के आगे- पीएसबी सुधार मुद्दा – "परिवर्धित पहुँच और सेवा श्रेष्ठता (ईज़)" को एमओएफ, भारत सरकार के द्वारा विकसित किया गया है जो कि पीएसबी मंथन में नवंबर- 2017 के पूर्णकालिक निदेशक और वरिष्ठ कार्यपालको के अनुशंसा पर आधारित है ।

पीएसबी के लिए सुधार मुद्दा

सुधार मुद्दा अनुशिर्षित "संवेदनशिल और जिम्मेदार पीएसबी- नये भारत के लिए बैंकिंग सुधार दिशानिर्देश" लक्ष्य "परिवर्धित पहुँच और सेवा श्रेष्ठता (ईएएसई)" और आगे इसे 6 विषयों में निम्नानुसार बाँटा गया है :

(1) **ग्राहक संवेदनशीलता** – ईज़, ग्राहक सुविधा के लिए

(2) **जिम्मेदार बैंकिंग –** वित्तीय स्थिरता, संचालन परिणाम सुनिश्चित करने के लिए और ईज़, स्वच्छ और वाणिज्यिक बुद्धिमतापूर्ण व्यापार के लिए।

(3) **क्रेडिट ऑफ टेक** – ईज़, ग्राहकों के लिए और अग्रसक्रिय साख की वितरण के लिए।

(4) **उद्यमी मित्र, एमएसएमई के लिए** – ईज़, एमएसएमई के लिए वित्तियन और छूट ।

(5) **वित्तीयन समावेशन और अंकियन को गहरा करना**- ईज़ के द्वारा आवास के समिप बैंकिंग, सुक्ष्म- बिमा और अंकियन ।

(6) **परिणाम सुनिश्चित करना- संचालन / मा. सं –** वैयक्तिक विकास **ब्रांड पीएसबी** के लिए ।

डीएफएस-एमओएफ ने निर्देशित किया है कि पूंजी समावेशन पीएसबी प्रदर्शन पर आधारित है और इन सभी सुधार विषय के ऊपर।

क्रिया के छ: विषय को आगे 30 बिंदुओ मे बाँटा गया है (एपीएस) और आगे 62 बिंदुओ मे बाँटा गया है। इसके अनुसार सभी 62 क्रिया बिंदुओ को लागू और बंद करने के लिए विशिष्ट समय सिमा का निर्धारण किया गया है।

ईज़ का क्रियान्वयन

ईज़ कार्य बिंदुओं को समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, हमने एक डैशबोर्ड कार्य बिंदु और क्रियात्मक मदों के साथ विकसित किया है, सभी बिंदुओ के साथ उनके संबंधित अधिकारी का नाम जुडा हुआ है और विकास को अद्यतित और निगरानी करने के लिए विकसित किया है, जो कि हमारे निदेशको के द्वारा ऐक्सेस किया जा सकता है।

प्रत्येक कार्य बिंदु को केपीआई के रूप मे म.प्र को सौंपा गया है और का. नि और प्र. नि को निरीक्षण के लिए आबंटित किया गया है। प्रत्येक कार्य बिंदु को आगे अभियोज्य मद के रूप मे बाँटा गया है जिसके विकास को समय सीमा के साथ पूरे समय सीमा के अंदर मापा और परखा जा सकता है । डैशबोर्ड अभियोज्य मद के सूक्ष्म निगरानी के लिए सक्षम बनाता है। डैशबोर्ड एक अंक तालिका के भाँती भी कार्य करता है।

बोर्ड बैठक मे ईज़ के तहत किये गये विकास से अवगत करवाया जाएगा। हमलोग ईज़ कार्य बिंदुओ को समय पर पूरा/ अनुपालन सुनिश्चित करने पूरा प्रयास कर रहे हैं ।

प्रायोजना और आर्थिक विभाग

प्रायोजना लगातार क्षेत्रवार मासिक लाभ और हानि गतिविधि, संगठित स्तर को निधि, प्रतिदिन अस्थायी एमआईएस को को उच्च प्रबंधन और विभिन्न समीक्षकों को सूचना देना, की निगरानी लाभदायक परिणाम प्राप्त करने के लिए कर रही है । आर्थिक डेस्क सरकार / आरबीआई योजनाओ को नियमित अंतराल पर विश्लेषित करने के अलावे उच्च प्रबंधन को दिन - प्रतिदिन होने वाले विकास में सहायता करता है ।

संसदीय समिति

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निम्नलिखित संसदीय समिति पोषित किया ।

1) ओबीसी हित के ऊपर विषय निरिक्षण, लोक सभा कोयम्बटूर और ऊटी 29.04.2017 से 01.05.2017 ।
2) सरकार आश्वासन पर विषय निरीक्षण, राज्य सभा उदगमंडलम और कोयम्बटूर 11.05.2017 से 13.05.2017 तक ।
3) सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के ऊपर विषय निरिक्षण, लोक सभा कोयम्बटूर और ऊँटी 01.06.2017 से 02.06.2017 ।
4) शहरी विकास के ऊपर विषय निरिक्षण, राज्य सभा चेन्नई 07.06.2017 को ।
5) उद्योग पर बनी स्थायी समिति के द्वारा विभाग संबंधित विषय निरीक्षण तिरूपति और चेन्नई का 15 से 19 जनवरी 2018 तक ।
6) ग्रामिण विकास पर विषय परीक्षण, चेन्नई और मदुरई का 20 से 200 जनवरी 2018 तक।

आऊटलुक 2018-19

भारत का आर्थिक विकास निर्माण, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के के सुदृढ आधार पर वित्तीय वर्ष 2018-19 मे 7.3% रहने की उम्मीद है । मुख्य सुधारों और उचित वित्तीय और मौद्रिक योजना के लागू होने के कारण वृद्धि की संभावना अनुकूल है । दीर्घकाल में, नये कर पद्धति, स्थायी खाता संख्या का आगमन और व्यापारिक अंतरण मे नकद पर रोक इन सभी से यह उम्मीद की जाती है कि यह सभी व्यापार पर प्रभाव डालेगा और असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र की ओर शिफ्ट को प्रोत्साहित करता है। एक सरलीकृत कर संरचना व्यापार करने को आसान बनाएगा, उत्पादकता और दक्षता बढाएगा और विदेशी निवेश को भी प्रोत्साहित करेगा। जीएसटी के कारण अधिक सरल व्यापार जीडीपी को 0.4% से 2.0 % तक बढा सकता है । बैंकिंग क्षेत्र मे सार्वजनिक बैंको का पुर्नमुद्रीकरण और बृहद व्यथित उधारकर्ताओ को दिवालिआयपन अधिनियम के तहत समाधान करने के लिए संदर्भित किया गया है जिससे की यह उम्मीद की जाती है कि आगे यह साख प्रवाह को बेहतर करेगा और नये निवेश के लिए माँग पैदा करेगा।

Implementation of Goods and Service Tax

Goods and Service Tax (GST) is a comprehensive Indirect Tax reform that has replaced the erstwhile Service Tax/Entry tax/Octroi and certain other Indirect Taxes and has come into effect from 01.07.2017. GST is having far-reaching impact on almost all the aspects of the business operations in the country ranging from pricing of products and services, supply chain optimization, IT, accounting and Tax Compliance systems. GST is a consumption based tax wherein the tax is determined based on the place of supply.

GST has different rate structures: 5%; 12%; 18% and 28%. GST on sale/auction of Gold is fixed at 3%. **GST on Banking and Financial Services is 18%.**

The Bank has appointed M/S Deloitte Haskins and Sells as the Consultant for GST implementation in the Bank. Necessary system modifications have been done for complying with GST requirements. All requisite system modifications have been developed in-house by our Information Technology Department (ITD) to suit the needs of the Bank. All the MIS required for making the payments as well as filing Returns are being generated.

The Bank has successfully migrated from Centralized Service Tax Registration to State-wise GST Registrations for 35 States where Bank has its Branches.

Work related to filing of monthly GST Returns, payment of GST has been centralized and is being made by Tax Compliance and Payment Cell, C.O.

Bank has duly filed all the Returns under GST up to date.

PSBs- Reforms Agenda – EASE – Enhanced Access & Service Excellence

Further to the recapitalization plan of PSBs approved by the Government in October-2017, PSB Reforms Agenda- "Enhanced Access & Service Excellence (EASE)" has been framed by MOF, GOI based on the recommendations made by the PSB Whole Time Directors and senior executives in PSB Manthan in November-2017.

Reforms Agenda for PSBs

The Reforms Agenda titled "Responsive and Responsible PSBs- Banking Reforms Roadmap for a New India" aims at "Enhanced Access and Service Excellence (EASE)" and has been further subdivided in to 6 themes as given below:

(1) **Customer Responsiveness** -EASE for customer comfort

(2) **Responsible Banking**- Financial Stability, governance for ensuring outcomes and EASE for clean and commercially prudent business.

(3) **Credit off-take**-EASE for the borrower and proactive delivery of credit.

(4) **UdayamiMitra for MSMEs**-EASE of financing and bill discounting for MSMEs.

(5) **Deepening Financial Inclusion & Digitalization**-EASE through near-home banking, micro-insurance and digitalization.

(6) **Ensuring Outcomes – Governance** / **HR**-Developing personnel for **Brand PSB.**

DFS-MOF has advised that capital infusion is dependent on PSB performance on these reform themes.

The six themes of action have been divided in to 30 Action Points (APs) and further sub divided in to 62 Sub-action points. Accordingly, specific timelines have been fixed for implementation and closure for each of the 62 Sub Action Points.

Implementation of EASE

To ensure monitoring of the EASE action points and to ensure timely compliance, we developed a dashboard with action points and actionable items, tagging ownership to each point and to monitor and update the progress on a real time basis, which can be accessed by directors.

Each action point is assigned as KPI to the GM and allotted to ED and MD for oversight. Each action point is further sub divided in to actionable items whose progress can be measured and mapped with time lines within the overall timeline. The dashboard enables drill down to actionable items for close monitoring. The Dash Board also acts as a Score Board.

The Board is apprised of the progress made under EASE in its meetings. We are taking all out efforts to ensure completion / compliance of the EASE action points as per timelines.

Planning & Economic Desk

The Planning function continues to derive useful results towards monitoring region wise monthly Profit & Loss movement, Corporate level Budgeting, reporting provisional daily MIS to top Management & various study analysis. The economic desk supports top management with day-to-day developments apart from analyzing the Government/ RBI policies at regular intervals.

Parliamentary Committee

The bank hosted the visit of following Parliamentary Committees during the FY 2017-18.

a) Study Visit on Welfare of OBC, Lok Sabha to Coimbatore and Ooty from 29.04.2017 to 01.05.2017.

b) Study Visit on Government Assurance, Rajaya Sabha to Udhagamandalam and Coimbatore from 11.05.2017 to 13.05.2017.

c) Study Visit on Social Justice and Empowerment, Lok Sabha to Coimbatore from 01.06.2017 to.02.06.2017.

d) Study Visit on Urban Development, Rajya Sabha to Chennai on 07.06.2017.

e) Study Visit of Department Related Standing Committee on Industry at Tirupathi and Chennai from 15th to 19th January 2018.

f) Study Visit on Rural Development to Chennai and Madurai from 20 to 22 January 2018.

Outlook 2018-19

Economic growth in India is expected to strengthen to 7.3% in financial year 2018-19 on the back of robust activity from construction, manufacturing, and services sectors. The growth prospects are favourable, due to the implementation of key reforms and appropriate fiscal and monetary policies. In the long run, the new tax regime, in addition to the permanent account number regulations and cash restrictions in business transactions, is expected to impact all businesses and encourage a shift from the unorganized to organized sectors. A simplified tax structure will improve the ease of doing business, increase productivity and efficiency and also incentivize FIIs to invest more. The more streamlined businesses due to the GST might boost GDP growth by 0.4 percent to 2.0 percent. In Banking Sector, due to the process of recapitalisation of public sector banks and large distressed borrowers are referenced for resolution under the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) is expected to improve credit flows further and create demand for fresh investment.

वर्ष 2017-18 हेतु कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट

ए. अनिवार्य आवशयकताएं

1. गवर्नेन्स कोड पर बैंक की फिलॉसफ़ी

बैंक अपने दैनिक क्रियाकलापों का संचालन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांतों के अनुपालन में करता है। बैंक हमेशा ही पारदर्शिता के पक्ष में रहा है तथा प्राधिकारों के विविध स्तरों पर कार्यनिष्पादन हेतु उच्च मानक,निष्पक्षता व ज़वाबदेही तय की है। बैंक सदैव अपने शेयरधारकों, ग्राहकों, सरकार, कर्मचारीगण, ऋणदाताओं तथा व्यापक तौर पर समाज के हितों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। देश की वित्तीय और आर्थिक प्रणाली में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका के संदर्भ में, बैंक अपने नैतिक मूल्यों, उद्देश्यों, रणनीतियों और नियंत्रित माहौल को निर्धारित करने में प्रभावी कॉर्पोरेट शासन के महत्वपूर्ण पहलुओं को महत्व देता है।

2. निदेशक मंडल :

ए. संरचना

बैंक के कारोबार का कार्यभार निदेशक मंडल पर है। प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा दो कार्यपालक निदेशक मंडल के पर्यवेक्षण,निर्देशन और नियंत्रण में काम करते हैं। निदेशक मंडल में 31.03.2018 तक 11 निदेशक हैं, जिनमें तीन पूर्ण कालिक निदेशक हैं व आठ गैर कार्यपालक निदेशक हैं जिसमें एक गैर कार्यपालक अध्यक्ष तथा दो निदेशक शेयर धारकों द्वारा उनके हितों के विधिवत प्रतिनिधित्व द्वारा चुने गए हैं। गैर कार्यपालक अध्यक्ष बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।

बी. वित्तीय वर्ष 2017-2018 के दौरान कार्यरत निदेशकों के विवरण

क्र.सं.	निदेशक का नाम (श्री/ श्रीमती)	पदनाम	निदेशकता का स्वरूप	नियुक्ति की तारीख	वर्ष के दौरान सेवा निवृत्ति/ कार्यकाल की समाप्ति
01	टी सी ए रंगनाथन	अध्यक्ष	गैर कार्यपालक/ अंशकालिक गैर आधिकारिक	16.02.2017	
02	आर. सुब्रमण्यकुमार	29.09.2016* से कार्यपालक निदेशक प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी	कार्यपालक/ पूर्णकालिक	29.09.2016	
03	के स्वामिनाथन	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक/ पूर्णकालिक	17.02.2017	
04	अजय कुमार श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक/ पूर्णकालिक	09.10.2017	
05	ऐनी जार्ज मैथ्यू	सरकारी नामिती निदेशक	आधिकारिक- गैर कार्यपालक	22.07.2016	
06	निर्मल चंद	भारतीय रिजर्व बैंक नामिती निदेशक	आधिकारिक- गैर कार्यपालक	13.03.2014	
07	के रघु	सनदी लेखाकार निदेशक	गैर कार्यपालक	26.07.2016	
08	विष्णुकुमार बंसल	अतित निदेशक	गैर कार्यपालक	08.08.2016	
09	निरंजन कुमार अग्रवाल	शेयरधारक निदेशक	गैर कार्यपालक	08.12.2014	07.12.2017
10	संजय रुंगटा**	शेयरधारक निदेशक	गैर कार्यपालक	08.12.2014	07.12.2017
		शेयरधारक निदेशक	गैर कार्यपालक	08.12.2017	
11	नवीन प्रकाश सिन्हा**	शेयरधारक निदेशक	गैर कार्यपालक	08.12.2017	
12	शिवरामन अनंत नारायण	निदेशक /अंशकालिक गैर सरकारी कार्यालयी	गैर कार्यपालक	27.12.2017	

* 11 नवंबर 2016 से 10 फरवरी 2017 की तीन माह की अवधि और 28 फरवरी 2017 से 27 मई 2017 की अतिरिक्त तीन माह की अवधि के लिए एमडी व सीईओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

** केंद्र सरकार के अलावा 29.11.2017 को आयोजित ईजीएम में शेयरधारकों के बीच से निर्वाचित

बैंक के निदेशकों की प्रोफाइल अनुबंध के रूप में संलग्न है। यह घोषित किया जाता है कि कोई भी निदेशक एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं हैं। मंडल ने निदेशकों और सभी महाप्रबंधकों के लिए आचरण संहिता अपनाई है और प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी से इस आशय की घोषणा प्राप्त की गई है जिसमें संहिता अनुपालन की पुष्टि की गई है और यह इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

महाप्रबंधक श्री एस. उमापति 31.05.2017 तक बोर्ड के सचिव रहे। वर्तमान में श्री सी.हरिदास , महा प्रबंधक बोर्ड के सचिव हैं।

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE FOR THE YEAR 2017-18

A. Mandatory Requirements

1. Bank's Philosophy on Corporate Governance

The Bank is conducting its day to day affairs in accordance with the principles of Corporate Governance. The Bank has always stood for transparency, accountability and responsiveness within the framework of regulatory, market, stakeholders and internal governance. In the context of the pivotal role that banks play in the financial and economic system of the country, the Bank values the critical importance of effective corporate governance in determining its ethical values, objectives, strategies and control environment.

2. Board of Directors:

a. Composition:

The business of the Bank is vested with the Board of Directors. The MD & CEO and two EDs function under the superintendence, direction and control of the Board. The strength as on 31.03.2018 is eleven directors comprising three whole time Directors and eight non-executive Directors, which includes one non-executive Chairman and two directors elected from amongst the shareholders to duly represent their interest. The Non-Executive Chairman presides over the meetings of the Board.

b. Particulars of Directors who held office during the financial year 2017-2018:

Sl No.	Name of the Director (Shri/Smt)	Designation	Nature of Directorship	Date of Appointments	Retirement / Demission of office during the year
01	T C A Ranganathan	Chairman	Non Executive/Part Time Non Official	16.02.2017	
02	R. Subramaniakumar	Executive Director w.e.f 29.09.2016* Managing Director & Chief Executive Officer	Executive / Whole Time	29.09.2016	
03	K Swaminathan	Executive Director	Executive / Whole Time	17.02.2017	
04	Ajay Kumar Srivastava	Executive Director	Executive / Whole Time	09.10.2017	
05	Annie George Mathew	Govt. Nominee Director	Official – Non Executive	22.07.2016	
06	Nirmal Chand	RBI Nominee Director	Official -Non Executive	13.03.2014	
07	K Raghu	Chartered Accountant Director	Non-Executive	26.07.2016	
08	Vishnukumar Bansal	Additional Director	Non-Executive	08.08.2016	
09	Niranjan Kumar Agarwal	Shareholder Director	Non-Executive	08.12.2014	07.12.2017
10	Sanjay Rungta**	Shareholder Director	Non Executive	08.12.2014	07.12.2017
		Shareholder Director	Non Executive	08.12.2017	
11	Navin Prakash Sinha**	Shareholder Director	Non Executive	08.12.2017	
12	Sivaraman Anant Narayan	Director / Part-time Non – Official	Non Executive	27.12.2017	

* Entrusted with Addl. Charge of MD & CEO for a period of 3 months from 11th November 2016 to 10th February 2017 and for a period of another 3 months from 28th February 2017 to 27th May 2017.

**Elected from amongst the shareholders, other than the Central Government, at the EGM held on 29.11.2017

Profile of Directors of the Bank is enclosed as an Annexure. It is declared that none of the directors are related to each other. The Board has adopted a Code of Conduct for Directors and all the General Managers and a declaration has been obtained from the MD & CEO confirming their compliance with the Code of Conduct and is attached to this report.

Shri S Umapathi, General Manager, was the Secretary to the Board till 31.05.2017. Shri C Haridas, General Manager, is the present Secretary to the Board.

सी. बोर्ड की बैठकें

बैठक की तारीख व स्थान और कार्यसूची सभी निदेशकों को समय रहते सूचित की जाती है। निदेशकों को एजेंडा के सभी अतिरिक्त सूचनाओं की जानकारी दी जाती है। आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान करने हेतु बैंक के कार्यपालकों को भी बोर्ड बैठकों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है ।समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने बोर्ड व समिति की बैठकों निदेशक मंडल की तिमाही में कम-से-कम एक बैठक के साथ, वर्ष में न्यूनतम छ: बार आयोजित किए जाने की तुलना में, 12 बैठकें हुई ।

बैंक ने 2012-13 में बोर्ड पोर्टल, एक वेब आधारित ऑनलाइन वर्कस्पेस, के जरिए बोर्ड के सदस्यों को सूचनाओं का समय पर और निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड व समिति की बैठकों के आयोजन के लिए ई गवर्नेंस पहल शुरू की। इस पोर्टल के द्वारा निदेशकों को आई पैड पर ऐजेंडा पेपर की गोपनीय पहुँच प्रदान करता है।इस पहल ने बैठक के आयोजन के तरीके को परिवर्तित किया है जिसके द्वारा कीमत, समय और संसाधनों में सारभूत बचत हुई हैं।

- वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निम्न तिथियों व स्थानों पर बोर्ड की 12 बैठकें आयोजित की गयी:

क्रम संख्या	बैठक की तिथि	स्थान
01	17.04.2017	चेन्नै
02	17.05.2017	चेन्नै
03	10.06.2017	चेन्नै
04	27.06.2017	चेन्नै
05	10.08.2017	चेन्नै
06	19.09.2017	चेन्नै
07	07.11.2017	चेन्नै
08	29.11.2017	चेन्नै
09	29.01.2018	चेन्नै
10	13.02.2018	चेन्नै
11	13.03.2018	चेन्नै
12	28.03.2018	चेन्नै

- सभी बैठकें समुचित कोरम व बिना किसी स्थगन के आयोजित की गयी।
- बोर्ड बैठकों और दिनांक 28.06.2017 को आयोजित पिछली ए.जी.एम. में निदेशकों की उपस्थिति नीचे दी गयी है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थित/ आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या	28.06.2017 को संपन्न ए.जी.एम. में
01	टी सी ए रंगनाथन	12/12*	उपस्थित
02	श्री आर. सुब्रमण्यकुमार	12/12	उपस्थित
03	के स्वामिनाथन	12/12	उपस्थित
04	अजय कुमार श्रीवास्तव	06/06	09.10.2017 को नियुक्त
05	ऐनी जार्ज मैथ्यू	06/12	अनुपस्थित
06	निर्मल चंद	11/12	अनुपस्थित
07	के रघु	11/12	अनुपस्थित
08	विष्णुकुमार बंसल	10/12**	अनुपस्थित
09	निरंजन कुमार अग्रवाल	08/08***	अनुपस्थित
10	संजय रुंगटा	12/12	उपस्थित
11	नवीन प्रकाश सिन्हा	04/04	08.12.2017 को नियुक्त
12	शिवरमन अनंत नारायण	04/04	27.12.2017 को नियुक्त

* श्री टी सी ए रंगनाथन ने 13.02.2018 को संपन्न बैठकों मे वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के ज़रिए भाग लिया।

** श्री विष्णुकुमार बंसल ने 10.08.2017, 07.11.2017, 29.01.2018 तथा 13.03.2018 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

*** श्री निरंजन कुमार अग्रवाल ने 27.06.2017 तथा 10.08.2017 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

31.03.2018 तक सेबी (एल.ओ.डी.आर) विनियम 2015 के विनियम 34 के संबंध में गैर-कार्यपालक निदेशकों द्वारा धारित शेयरों के ब्योरे निम्नवत हैं:

1. श्री संजय रुंगटा- 600 शेयर
2. श्री नवीन प्रकाश सिन्हा-100 शेयर कोई भी अन्य गैर – कार्यपालक निदेशक आईओबी के शेयर के धारक नहीं है।

डी. अन्य मण्डल या मण्डल समितियों की संख्या जिनमें निदेशक सदस्य / अध्यक्ष हैं

निदेशक का नाम	अन्य कंपनियों की संख्या (निजी कंपनियों और आइओबी को छोड़ कर) जिनमें वे सदस्य / बोर्ड के अध्यक्ष हैं (वैकल्पिक / नामित निदेशक को छोड़कर)	समितियों की संख्या जिसमें सदस्य हैं (आइओबी को छोड़कर)
श्री टी सी ए रंगनाथन	5	1
श्री विष्णु कुमार बंसल	1	-

c. Meetings of the Board:

The date and place of the meeting as well as the agenda papers are advised to all Directors well in advance. The Directors have access to all additional information on the agenda. Executives of the Bank are also invited to attend the Board meetings to provide necessary clarifications. During the year under review, the meetings of the Board were held 12 times as against the requirement of holding meetings at least once a quarter with a minimum of six times a year.

During the year 2012-13, the Bank has promoted an e-governance initiative for e-conduct of Board and Committee meetings by ensuring timely and seamless flow of information to Board members through the use of a Board Portal, a web based online workspace. The portal offers Directors confidential e-access on iPads, on a real-time basis, to agenda papers. This initiative has transformed the way meetings are conducted while resulting in substantial savings in cost, time and resources.

- During the financial year 2017-18, the Board meetings were held 12 times on the following dates and places:

SL NO.	DATE OF MEETING	PLACE HELD
01	17.04.2017	Chennai
02	17.05.2017	Chennai
03	10.06.2017	Chennai
04	27.06.2017	Chennai
05	10.08.2017	Chennai
06	19.09.2017	Chennai
07	07.11.2017	Chennai
08	29.11.2017	Chennai
09	29.01.2018	Chennai
10	13.02.2018	Chennai
11	13.03.2018	Chennai
12	28.03.2018	Chennai

- All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.
- Attendance of the directors at the Board meetings and last AGM held on 28.06.2017 are furnished below:

Sl. No.	Name of the Director	Number of Board Meetings attended/held	Attendance in the Last AGM 28.06.2017
01	Shri T C A Ranganathan	12/12*	Attended
02	Shri R. Subramaniakumar	12/12	Attended
03	Shri K Swaminathan	12/12	Attended
04	Shri Ajay Kumar Srivastava	06/06	Appointed on 09.10.2017
05	Smt Annie George Mathew	06/12	Not attended
06	Shri Nirmal Chand	11/12	Not attended
07	Shri K Raghu	11/12	Not attended
08	Shri Vishnukumar Bansal	10/12**	Not attended
09	Shri Niranjan Kumar Agarwal	08/08***	Not attended
10	Shri Sanjay Rungta	12/12	Attended
11	Shri Navin Prakash Sinha	04/04	Appointed on 08.12.2017
12	Shri Sivaraman Anant Narayan	04/04	Appointed on 27.12.2017

* Shri T C A Ranganathan attended the meeting through videoconferencing on 13.02.2018.

** Shri Vishnukumar Bansal attended the meeting through videoconferencing on 10.08.2017, 07.11.2017, 29.01.2018 and 13.03.2018.

*** Shri Niranjan Kumar Agarwal attended the meeting through video conferencing on 27.06.2017 and 10.08.2017.

Details of Shares held by Non-Executive Directors in terms of Regulation 34 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 as on 31.03.2018

1. Shri Sanjay Rungta – 600 shares
2. Shri Navin Prakash Sinha – 100 shares; No other Non-Executive Directors hold any IOB shares.

d. Number of other Boards or Board Committees in which the Director is a member / Chairperson:

Name of the Director	Number of other companies (excluding private companies and IOB) in which he / she is a member/ Chairperson of the Board (excluding alternate / nominee director)	Number of Committees (other than IOB) in which a member
Shri T C A Ranganathan	5	1
Shri Vishnukumar Bansal	1	-

ई. समितियों में सदस्यता:

मंडल के निदेशकों में से कोई भी 10 समितियों से अधिक में सदस्य नहीं हैं या सभी सूचीबद्ध इकाइयों, जिनमें वे निदेशक हैं, की पाँच समितियों से अधिक में अध्यक्ष के रूप में पदस्थ नहीं हैं। सेबी (सूचीबद्ध बाध्यता व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 26 के संबंध में सीमा की गणना के लिए, लेखापरीक्षा समिति व स्टेकधारक संबंध समिति की अध्यक्षता/ सदस्यता पर ही विचार किया गया है।)

3. बोर्ड की समितियाँ:

निर्णय प्रक्रिया को सहज़ बनाने के लिए बोर्ड ने निम्नलिखित समितियां गठित की हैं और उन्हें विशेष अधिकार भी दिए हैं। हर बैठक के कार्यवृत्त समिति की अगली बैठक के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं तथा अनुमोदन किए गये कार्यवृत्त को निदेशक मंडल के समक्ष सूचनार्थ मंडल बैठक में प्रस्तुत किया जाता है।

1. बोर्ड की प्रबंधन समिति
2. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति
3. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति
4. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति
5. बड़े मूल्य की धोखाधड़ी के प्रबोधन हेतु समिति
6. ग्राहक सेवा समिति
7. अनुशासनिक मामलों की समीक्षा हेतु समिति
8. पारिश्रमिक समिति
9. नामांकन समिति
10. सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति
11. मानव संसाधन विषयक बोर्ड स्तरीय संचालन समिति
12. एन.पी.ए. में वसूली के प्रबोधन हेतु बोर्ड स्तरीय समिति
13. ईक्विटी शेयर पूँजी को जारी करने हेतु निदेशकों की समिति
14. इरादतन चूककर्ता से संबंधित शिकायत निवारण समिति
15. हितधारक संबंध समिति

3.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति

एम सी बी का गठन राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना 1970 के प्रावधानों क्रे अनुसार हुआ है । एमसीबी के कार्यकलाप व कर्तव्य निम्न रूप से वर्णित हैं :-

ए. बोर्ड द्वारा निर्धारित की गयी सीमा के अनुसार ऋण प्रस्तावों (निधि और गैर निधि) की मंजूरी

बी. ऋण एवं ब्याज समझौता/अपलिखित किये जाने वाले प्रस्तावों- बोड द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुसार

सी. पूँजी व राजस्व खर्चों के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव

डी. अधिग्रहण और परिसर के चुनाव के मानदंडों से विचलन सहितअधिग्रहण और परिसर के चुनाव से संबंधित प्रस्ताव,

ई. वाद, अपील की फाइलिंग , उनका बचाव , इत्यादि

एफ. सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, अंडरराइटिंग सहित कंपनियों के शेयर और डिबेंचरों में निवेश

जी. दान

एच. बोर्ड द्वारा प्रबंधन समिति को संदर्भित अन्य कोई मामला

मद संख्या (क) से (छ) एमडी और सीईओ / क्रेडिट अनुमोदन समिति की विवेकाधीन शक्तियों से परे प्रस्तावों के संबंध में लागू हो सकते हैं।

बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस समिति के अध्यक्ष हैं। यह समिति वर्ष में 11 बार मिली । सभी बैठकें उचित कोरम के साथ बिना किसी स्थगन के आयोजित की गयी।

दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक की अवधि के दौरान समिति की बैठकों के ब्यौरे और प्रत्येक सदस्य द्वारा उसके कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति की संख्या निम्नलिखित है:

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	पद	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
			से	तक	
1	श्री आर सुब्रमण्यकुमार	समिति के अध्यक्ष	29.09.2016		11/11
2	श्री के स्वामिनाथन	सदस्य	17.02.2017		11/11
3	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	सदस्य	09.10.2017		05/05
4	श्री निर्मल चंद	सदस्य	13.03.2014		9/11*
5	श्री संजय रुंगटा	सदस्य	01.11.2016 17.05.2017 08.12.2017	30.04.2017 16.11.2017 07.06.2018	11/11
6	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल	सदस्य	25.01.2017 03.08.2017	24.07.2017 07.12.2017	06/07**
7	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	सदस्य	08.12.2017	07.06.2018	04/04

*श्री निर्मल चंद ने 29.04.2017 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

** श्री निरंजन कुमार अग्रवाल ने 29.04.2017, 28.06.2017 व 28.08.2017. को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

3.2 बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति

ऋण अनुमोदन समिति का गठन 25.02.2012 को निदेशक मंडल द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन व विविध प्रावधानों) योजना 1970 में दिनांक- 05.12.2011 के अधिसूचना सं. एस.0.2736(ई) द्वारा हुए संशोधनों के अनुरूप हुआ है। समिति को क्रेडिट प्रस्तावों को मंजूरी देने और ऋण समझौता / अपलिखित करने के लिए विशिष्ट वित्तीय शक्तियों प्राप्त है।

e. Membership in Committees:

None of the directors on the Board is a member in more than 10 committees or acts as a Chairman of more than 5 committees across all listed entities in which he is a director. (For the purpose of reckoning the limit in terms of Regulation 26 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, only the chairmanship/membership of the Audit Committee and the Stakeholders' Relationship Committee are considered).

3. COMMITTEES OF THE BOARD:

In order to facilitate the decision-making process, Board has constituted the following committees and delegated specific powers to them. The minutes of each meeting is subsequently placed before the next meeting of the committee for confirmation. The minutes are also placed before the Board Meeting for information.

1. Management Committee of the Board
2. Credit Approval Committee of the Board
3. Audit Committee of the Board
4. Risk Management Committee of the Board
5. Committee for Monitoring Large Value Frauds
6. Customer Service Committee
7. Committee for Review of Disciplinary Cases & Departmental Enquiries
8. Remuneration Committee
9. Nomination Committee
10. Information Technology Strategy Committee
11. Steering Committee on Human Resources
12. Board Level Committee to Monitor Recovery in NPA
13. Committee of Directors for Issue of Equity Share Capital
14. Review Committee on Wilful Defaulters
15. Stakeholders Relationship Committee

3.1 MANAGEMENT COMMITTEE OF THE BOARD

MCB is constituted as per the provisions of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The functions and duties of the MCB are as under:

a. Sanctioning of credit proposals (funded and non funded) as per quantum fixed by the Board
b. Loan and Interest Compromise / Write off proposals – as per quantum fixed by the Board
c. Proposals for approval of capital and revenue expenditure
d. Proposals relating to acquisition and hiring of premises, including deviation from norms for acquisition and hiring of premises
e. Filing of suits / appeals, defending them etc
f. Investments in Government and other approved securities, shares and debentures of companies, including underwriting
g. Donations
h. Any other matter referred to the Management Committee by the Board

Items (a) to (g) will be in respect of proposals beyond the discretionary powers of MD & CEO/ powers of Credit Approval Committee, as may be applicable.

The Chairman of the Committee is the MD & CEO of the Bank. The Committee met 11 times during the year. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

The Members who held office during the period 01.04.2017 to 31.03.2018 and the details of number of meetings attended during their tenure by each Committee member are as under:

Sl. No.	Name of Director	Position	Tenure of membership		Number of Meetings Attended/held
			From	To	
1	Shri R Subramaniakumar	Chairman of the committee	29.09.2016		11/11
2	Shri K Swaminathan	Member	17.02.2017		11/11
3	Shri Ajay Kumar Srivastava	Member	09.10.2017		05/05
4	Shri. Nirmal Chand	Member	13.03.2014		9/11*
5	Shri Sanjay Rungta	Member	01.11.2016 17.05.2017 08.12.2017	30.04.2017 16.11.2017 07.06.2018	11/11
6	Shri Niranjan Kumar Agarwal	Member	25.01.2017 03.08.2017	24.07.2017 07.12.2017	06/07**
7	Shri Navin Prakash Sinha	Member	08.12.2017	07.06.2018	04/04

*Shri Nirmal Chand attended the meeting through video conferencing on 29.04.2017.

** Shri N K Agarwal attended the meeting through video conferencing on 29.04.2017, 28.06.2017 and 28.08.2017.

3.2 CREDIT APPROVAL COMMITTEE OF THE BOARD

The Credit Approval Committee of the Board has been constituted on 25.02.2012 by the Board of Directors in terms of the amendment of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 vide Notification No. S.0.2736(E) dated December 5, 2011. The Committee is empowered with specific financial powers for sanctioning of credit proposals and for settlement for loan compromise / write off.

समिति की बैठक की अध्यक्षता एमडी व सीईओ द्वारा की गयी। 01.04.2017 से 31.03.2018 के दौरान समिति 24 बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाले बैठकों की संख्या

सदस्य का नाम	पद	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
श्री आर सुब्रमण्यकुमार	समिति के अध्यक्ष	29.09.2016		24/24
श्री के स्वामीनाथन	सदस्य	17.02.2017		24/24
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	सदस्य	09.10.2017		11/11
महा प्रबंधक , लार्ज कॉर्पोरेट विभाग व मिड कॉर्पोरेट विभाग	सदस्य	25.02.2012		24/24
महा प्रबंधक , एमएसएमई विभाग	सदस्य	25.02.2012		19/24
महा प्रबंधक , तुलन पत्र प्रबंधन विभाग (सीएफओ)	सदस्य	25.02.2012		23/24
महा प्रबंधक जोखिम प्रबंधन विभाग	सदस्य	25.02.2012		23/24
महा प्रबंधक एआर आइडी	सदस्य			03/03
महा प्रबंधक अंतरराष्ट्रीय	सदस्य			01/01
महा प्रबंधक डीबीडी	सदस्य			00/01
उप महा प्रबंधक खुदरा बैंकिंग	सदस्य			04/04

3.3 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति भारतीय रिज़र्व बैंक /भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा गठित की गयी है और वर्तमान में समिति में चार सदस्य हैं- आंतरिक निरीक्षण व लेखापरीक्षा के प्रभारी कार्यपालक निदेशक, सरकारी निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशक व एक गैर सरकारी निदेशक। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 24 सितंबर 2015 के पत्र के द्वारा यह सूचित किया है कि आंतरिक निरीक्षण व लेखापरीक्षा के प्रभारी कार्यपालक निदेशक एसीबी के सदस्य होंगे जबकि अन्य कार्यपालक निदेशक बैठक में आमंत्रिती होंगे।

एसीबी के प्रतिनिधि कार्य और कर्तव्य निम्न रूप से वर्णित हैं:-

- बैंक में कुल लेखापरीक्षा कार्य के संचालन के साथ-साथ दिशा प्रदान करना। कुल लेखापरीक्षा कार्य बैंक के अंतर्गत् आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण के प्रबंधन, परिचालन और गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक के वैधानिक / बाहरी लेखा परीक्षा के साथ अनुवर्तन और आरबीआई के निरीक्षण शामिल हैं।
- बैंक के आंतरिक निरीक्षण व लेखा परीक्षा की समीक्षा – अनुवर्तन के अनुसार प्रणाली, उसकी गुणवत्ता व प्रभावशीलता तथा साथ ही विशिष्ट व अति वृहद शाखा और असंतुष्ट रेटिंग प्राप्त सभी शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्ट
- कार्यात्मक क्षेत्र के सभी अनुपालन अधिकारियों से अर्ध वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त कर उसकी समीक्षा करना
- वैधानिक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट और लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए सभी मुद्दों की समीक्षा और अनुवर्तन और वार्षिक / त्रैमासिक वित्तीय विवरणों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले बाहरी लेखा परीक्षकों से बात करना
- भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण रिपोर्ट में उठाए गये मुद्दों/मामलों की समीक्षा व अनुवर्तन करना
- यह समीति मुख्य रूप से निम्न का अनुवर्तन करती है :
- अंतर बैंक समायोजन खाता
- अंतर बैंक खातों व नोस्ट्रो खातों में असंगत प्रविष्टियाँ जो लंबें समय से बकाया हैं

* विभिन्न शाखाओं में बहियों के मिलान में बकाया राशि

* धोखाधड़ी व हॉउस कीपिंग के अन्य प्रमुख क्षेत्र

आरबीआई द्वारा जारी भारतीय वाणिज्यिक बैंकों को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों पर सेबी कमेटी के संदर्भ में एसीबी को निम्नलिखित अतिरिक्त भूमिका कार्य / शक्तियां सौंपी गई हैं :

- संदर्भ की शर्तों के तहत किसी भी गतिविधि की जांच करना
- किसी भी कर्मचारी से सूचनाएं प्राप्त करना
- बाह्य कानूनी या अन्य प्रोफेशनल सलाह प्राप्त करना
- प्रासंगिक विशेषज्ञता के साथ बाहरी लोगों की उपस्थिति को सुरक्षित करने के लिए, यदि यह आवश्यक माना जाता है

लेखापरीक्षा समिति की भूमिका में मौजूदा भूमिकाओं के अलावा निम्न भूमिकाएं भी शामिल हैं :

- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया को देखना और वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं इसे सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण
- लेखांकन नीतियों और प्रथाओं, लेखांकन मानकों का अनुपालन और वित्तीय विवरणों से संबंधित अन्य कानूनी आवश्यकताओं पर विशेष जोर देने के साथ प्रबंधन के साथ वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना।
- प्रबंधन, बाहरी और आंतरिक लेखा परीक्षकों, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के साथ समीक्षा।
- जिन मामलों में आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता है और मामले को बोर्ड को रिपोर्ट करना ।
- ऑडिट की प्रकृति और दायरे के साथ-साथ ध्यान देने योग्य किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा चर्चा के बाद लेखा परीक्षा शुरू करने से पूर्व बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना

The Chairman of the Committee is the MD & CEO of the Bank. The Committee met 24 times during the period 01.04.2017 to 31.03.2018. Number of Meetings attended by each Committee Member during the period:

Name of Member	Position	Tenure of membership		Number of Meetings attended/held
		From	To	
Shri R Subramaniakumar	Chairman of the Committee	29.09.2016		24/24
Shri K Swaminathan	Member	17.02.2017		24/24
Shri Ajay Kumar Srivastava	Member	09.10.2017		11/11
General Manager, Large Corporate Dept & Mid Corporate Dept	Member	25.02.2012		24/24
General Manager, MSME Dept	Member	25.02.2012		19/24
General Manager, Balance Sheet Management Dept(CFO)	Member	25.02.2012		23/24
G M Risk Management Dept	Member	25.02.2012		23/24
G M ARID	Member			03/03
GM International	Member			01/01
GM DBD	Member			00/01
DGM Retail Banking	Member			04/04

3.3 AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per instructions of the Reserve Bank of India/GOI and presently consists of four members comprising of the Executive Director (in charge of Internal Inspection and Audit), Government Director, RBI Director and one non-official director. RBI, vide its letter dated September 24, 2015, advised that the ED in charge of Internal Inspection and Audit should be the member of the ACB whereas other EDs can be invitees to the meeting.

The delegated functions and duties of the ACB are as under:

⇒ To provide direction as also oversee the operation of the total audit function in the Bank. Total audit function will imply the organization, operationalisation and quality control of the internal audit and inspection within the Bank and follow up on the statutory / external audit of the Bank and inspections of RBI.

⇒ To review the internal inspection / audit function in the Bank – the system, its quality and effectiveness in terms of follow-up and also the inspection reports of specialized and extra large branches and all branches with unsatisfactory ratings

⇒ To obtain and review half – yearly reports from the Compliance Officers of the functional areas

⇒ To review and follow up on the report of the statutory audit and all the issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR) and interact with the external auditors before the finalization of the annual / quarterly financial statements and reports.

⇒ To review and follow up all the issues / concerns raised in the Inspection reports of RBI.

⇒ This Committee specially focuses on the follow-up of:

⇒ Inter – Branch Adjustment Accounts

⇒ Unreconciled long outstanding entries in Inter – Bank Accounts and Nostro Accounts

⇒ Arrears in balancing of books at various branches

⇒ Frauds and all other major areas of house – keeping,

The following additional role functions/powers have been entrusted to ACB in terms of SEBI Committee on Corporate Governance guidelines issued by RBI to Indian Commercial Banks listed on stock exchanges:

- To investigate any activity within its terms of reference.
- To seek information from any employee.
- To obtain outside legal or other professional advice.
- To secure attendance of outsiders with relevant expertise, if it considers necessary.

The role of the Audit Committee shall also include the following in addition to the existing role function:

- Overseeing of the company's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible.
- Reviewing with the Management the financial statements with special emphasis on accounting policies and practices, compliance of accounting standards and other legal requirements concerning the financial statements.
- Reviewing with the Management, external and internal auditors, the adequacy of internal control systems.
- Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board.
- Discussing with external auditors before the commencement of audit the nature and scope of audit as well as having post audit discussion to ascertain any area of concern.

- कंपनी की वित्तीय व जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के सुझावों के मुताबिक, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित विशिष्ट एक्सपोजर स्तर पर खातों की निम्नलिखित समीक्षाओं को शामिल करने के लिए बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का दायरा विस्तारित किया गया था:

1. संभावित एनपीए / तनाव के मामलों ,जब आवश्यक हो।
2. उच्च मूल्य ऋण जो प्रतिभूतियों के प्रति दिए गए हैं जो भार मुक्त नहीं है
3. एक बारगी निपटान के मामले जिसमें उच्च मूल्य ऋण शामिल हैं
4. उच्च मूल्य खाते - खाते के प्रति प्रदान की गई सुरक्षा / संपार्श्विक (दोनों मूर्त और विशेष रूप से अमूर्त) के मूल्य और गुणवत्ता का मूल्यांकन / पुनर्मूल्यांकन करना।

वर्ष 18-2017 के दौरान समिति कुल 12 बार 16.05.2017, 17.05.2017, 09.08.2017, 06.11.2017, 07.11.2017, 29.11.2017, 01.12.2017, 05.12.2017, 30.01.2018, 13.02.2018, 13.02.2018(वित्तीय परिणाम) तथा 12.03.2018 को मिली।

सभी बैठकें समुचित कोरम व बिना किसी स्थगन के आयोजित की गयी।

दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक की अवधि के दौरान समिति की बैठकों के ब्यौरे और प्रत्येक सदस्य द्वारा उसके कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति की संख्या निम्नलिखित है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पद	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
			तक	से	
1	श्री के रघु	समिति के अध्यक्ष	09.08.2016		12/12*
2	श्री के स्वामिनाथन	सदस्य #	17.02.2017	08.10.2017	05/05
3	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	सदस्य #	09.10.2017		07/07
4	श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू	सदस्य	22.07.2016		06/12**
5	श्री निर्मल चंद	सदस्य	13.03.2014		10/12***

01.11.2015 से निरीक्षण व लेखापरीक्षा के प्रभारी का.नि. ए.सी.बी के सदस्य हैं और दूसरे का.नि. भा.रि.बैं द्वारा बताए गए अनुसार आमंत्रिती हैं।

09.10.2017 तक , ईडी, श्री के स्वामीनाथन निरीक्षण व ऑडिट के इन चार्ज थे और 09.10.2017 से, ईडी, श्री अजय कुमार श्रीवास्तव निरीक्षण व ऑडिट के इन चार्ज हैं।

*श्री के रघु ने 01.12.2017 व 05.12.2017 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

**श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू ने 01.12.2017, 05.12.2017 व 30.01.2018. को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

*** श्री निर्मल चंद ने 01.12.2017 व 05.12.2017 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

3.4 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति

समिति की बैठक की अध्यक्षता एमडी व सीईओ द्वारा की गयी। 01.04.2017 से 31.03.2018 के दौरान समिति 5 बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाले बैठकों की संख्या

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		तक	से	
1	श्री टी सी ए रंगनाथन	24.02.2017		05/05*
2	श्री आर सुब्रमण्यकुमार	29.09.2016		05/05
3	श्री के स्वामीनाथन	17.02.2017		05/05
4	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	09.10.2017		02/02
5	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल	08.12.2014	07.12.2017	03/04**
6	श्री संजय रुंगटा	08.12.2014 29.01.2018	07.12.2017	05/05
7	श्री विष्णुकुमार बंसल	08.08.2016		03/05***

* श्री टी सी ए रंगनाथन ने 12.02.2018 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

* *श्री निरंजन कुमार अग्रवाल ने 17.04.2017 व 27.06.2017 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

** *श्री विष्णुकुमार बंसल ने 06.11.2017 व 12.02.2018 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

- Reviewing the company's Financial and Risk Management Policies.

In line with the suggestions of the Ministry of Finance, Government of India, the scope of the Audit Committee of the Board was broadened to include the following reviews of accounts at specific exposure levels as approved by the Audit Committee of the Board:

1) Potential NPA / stress cases as and when required.
2) High value loans which have been granted against a security which is not free from encumbrances
3) Cases of One time settlement involving high value loans
4) High value accounts - to evaluate / re-evaluate the value and quality of security / collateral (both tangible and especially intangible) provided against the account.

The committee met 12 times during the year 2017-18 on 16.05.2017, 17.05.2017, 09.08.2017, 06.11.2017, 07.11.2017, 29.11.2017, 01.12.2017, 05.12.2017, 30.01.2018, 13.02.2018, 13.02.2018(Financial Result) and 12.03.2018.

All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournment.

The members who held office during the period 01.04.2017 to 31.03.2018 and the particulars of the number of meetings attended by them during the year are as under:

Sl. No.	Name of Director	Position	Tenure of membership		Number of Meetings Attended/held
			From	To	
1	Shri K Raghu	Chairman of the Committee	09.08.2016		12/12*
2	Shri K Swaminathan	Member #	17.02.2017	08.10.2017	05/05
3	Shri Ajay Kumar Srivastava	Member #	09.10.2017		07/07
4	Smt Annie George Mathew	Member	22.07.2016		06/12**
5	Shri Nirmal Chand	Member	13.03.2014		10/12***

With effect from 01.11.2015 ED in charge of Inspection and Audit is a member of ACB and the other ED is an invitee as advised by RBI.

Till 09.10.2017, ED, Shri K. Swaminathan was in-charge of Inspection and Audit and since 09.10.2017, ED, Shri Ajay Kumar Srivastava is in-charge of Inspection and Audit.

*Shri K Raghu attended the meeting through video conferencing on 01.12.2017 and 05.12.2017.

**Smt Annie George Mathew attended the meeting through video conferencing on 01.12.2017, 05.12.2017 and 30.01.2018.

*** Shri Nirmal Chand attended the meeting through video conferencing on 01.12.2017 and 05.12.2017.

3.4 RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Chairman presides over the meetings of the Committee. The Committee met 5 times during the period from 01.04.2017 to 31.03.2018. Number of Meetings attended by each Member of the Committee during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of Meetings Attended / held
		From	To	
1	Shri T C A Ranganathan	24.02.2017		05/05*
2	Shri R Subramaniakumar	29.09.2016		05/05
3	Shri K Swaminathan	17.02.2017		05/05
4	Shri Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017		02/02
5	Shri Niranjan Kumar Agarwal	08.12.2014	07.12.2017	03/04**
6	Shri Sanjay Rungta	08.12.2014 29.01.2018	07.12.2017	05/05
7	Shri Vishnukumar Bansal	08.08.2016		03/05***

* Shri T C A Ranganathan attended the meeting through video conferencing on 12.02.2018.

**Shri Niranjan Kumar Agarwal attended the meetings through video conferencing on 17.04.2017 and 27.06.2017.

***Shri Vishnukumar Bansal attended the meetings through video conferencing on 06.11.2017 and 12.02.2018.

3.5 बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों के प्रबोधन हेतु समिति

समिति की बैठक की अध्यक्षता एमडी व सीईओ द्वारा की गयी। 01.04.2017 से 31.03.2018 के दौरान समिति 2 बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाले बैठकों की संख्या

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		तक	से	
1	श्री टी सी ए रंगनाथन	16.02.2017		02/02
2	श्री आर सुब्रमण्यकुमार	29.09.2016		02/02
3	श्री के स्वामीनाथन	17.02.2017		02/02
4	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	09.10.2017		01/01
5	श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू	22.07.2016		01/02
6	श्री के रघु	26.07.2016		02/02
7	श्री संजय रूंगटा	08.12.2017		01/01

3.6 ग्राहक सेवा समिति

समिति की बैठक की अध्यक्षता एमडी व सीईओ करते हैं। 01.04.2017 से 31.03.2018 के दौरान समिति 4 बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाले बैठकों की संख्या:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		तक	से	
1	श्री आर सुब्रमण्यकुमार	29.09.2016		04/04
2	श्री के स्वामीनाथन	17.02.2017		04/04
3	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	09.10.2017		02/02
4	श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू	22.07.2016		03/04*
5	श्री शिवरामन अनंत नारायण	27.12.2017		01/01

* श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू ने 10.08.2017 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

3.7 अनुशसनिक मामलों की समीक्षा हेतु समिति

समिति की बैठक की अध्यक्षता एमडी व सीईओ द्वारा की गयी। 01.04.2017 से 31.03.2018 के दौरान समिति 4 बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाले बैठकों की संख्या :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		तक	से	
1	श्री आर सुब्रमण्यकुमार	29.09.2016		04/04
2	श्री के स्वामीनाथन	17.02.2017		04/04
3	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	09.10.2017		02/02
4	श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू	22.07.2016		03/04*
5	श्री निर्मल चंद	13.03.2014		03/04

* श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू ने 27.06.2017 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

3.8 पारिश्रमिक समिति

पूर्णकालिक निदेशकों को देय पारिश्रमिक (कार्य-निष्पादन से जुडे प्रोत्साहन को छोड़कर) के बारे में केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। अन्य निदेशकों को केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक बैठक शुल्क के अलावा बैंक द्वारा कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक गैर कार्यपालक निदेशकों को बैठक शुल्क के अतिरिक्त कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं देता है। बोर्ड बैठक की बैठक शुल्क – रू.20000/- प्रति बैठक और अन्य बोर्ड स्तरीय समिति बैठकों हेतु शुल्क रू.10000/- प्रति बैठक है।

बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन एवं कार्य-निष्पादन प्रोत्साहन का भुगतान करने की सिफारिश करने हेतु निदेशक मंडल की उप समिति- पारिश्रमिक समिति उचित समय पर गठित की जाएगी।

समिति वर्ष 2017-18 के दौरान एक बार भी नहीं मिली।

3.5 COMMITTEE FOR MONITORING LARGE VALUE FRAUDS

The Chairman presides over the meetings of the Committee. The Committee met 2 times during the period from 01.04.2017 to 31.03.2018. Number of meetings attended by each member of the committee during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of Meetings Attended / held
		From	To	
1	Shri T C A Ranganathan	16.02.2017		02/02
2	Shri R Subramaniakumar	29.09.2016		02/02
3	Shri K Swaminathan	17.02.2017		02/02
4	Shri Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017		01/01
5	Smt Annie George Mathew	22.07.2016		01/02
6	Shri K Raghu	26.07.2016		02/02
7	Shri Sanjay Rungta	08.12.2017		01/01

3.6 CUSTOMER SERVICE COMMITTEE

The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee met 4 times during the period from 01.04.2017 to 31.03.2018. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of Meetings Attended / held
		From	To	
1	Shri R Subramaniakumar	29.09.2016		04/04
2	Shri K Swaminathan	17.02.2017		04/04
3	Shri Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017		02/02
4	Smt Annie George Mathew	22.07.2016		03/04*
5	Shri Sivaraman Anant Narayan	27.12.2017		01/01

* Smt Annie George Mathew attended the meeting through video conferencing on 10.08.2017.

3.7 COMMITTEE FOR REVIEW OF DISCIPLINARY CASES

The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee met 4 times during the period from 01.04.2017 to 31.03.2018. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of Meetings Attended / held
		From	To	
1	Shri R Subramaniakumar	29.09.2016		04/04
2	Shri K Swaminathan	17.02.2017		04/04
3	Shri Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017		02/02
4	Smt Annie George Mathew	22.07.2016		03/04*
5	Shri Nirmal Chand	13.03.2014		03/04

* Smt Annie George Mathew attended the meeting through video conferencing on 27.06.2017.

3.8 REMUNERATION COMMITTEE

Remuneration (excluding performance linked incentive) payable to the whole time directors is decided by the Central Government. The Bank does not pay any remuneration to other directors except sitting fees as per directives of Central Government. The Bank does not pay any remuneration to the Non-Executive Directors excepting sitting fees as per the Government of India guidelines. The sitting fees paid for Board Meetings – Rs.20000 per meeting and for other Board Level Committee Meetings Fees – Rs.10000/- per meeting.

A Remuneration Committee, a Sub-Committee of the Board of Directors, would be constituted at an appropriate time for evaluating the performance in terms of government guidelines and to recommend payment of performance-linked incentives to the whole time directors of the Bank.

The Committee did not meet during the year 2017-2018.

3.9 नामांकन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक- 01.11.2007 के परिपत्र संख्या डीबीओडी सं. बीसी सं. 47/29.39.001/2007-08 , जो बैंकिंग कंपनी (उपक्रम के अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1970 में हुए संशोधन के अनुसार है और 16.10.2006 से लागू है, निदेशकों की नियुक्ति करते समय ''योग्य तथा उचित'' हैसियत आदि निर्णय लेने के तरीके/ पद्धति, प्राधिकार के निर्धारण के लिए आवश्यक दिशानिर्देश ज़ारी किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निदेश दिया है कि ''योग्य तथा उचित'' मानदण्ड को अब से चुने गए निदेशकों (शेयरधारक निदेशकों) - वर्तमान तथा भविष्य दोनों में भी लागू किया जाए।

01.04.2017 से 31.03.2018 की अवधि के दौरान समिति एक बार 16.11.2017 को मिली। अध्यक्ष समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। समिति की अध्यक्षता चेयरमैन द्वारा की गयी

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		तक	से	
1	श्री टी सी ए रंगनाथन्	16.02.2017		01/01
2	श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू	22.07.2016		01/01
3	श्री के रघु	26.07.2016		01/01

* श्री के रघु ने 16.11.2017 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

3.10 सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति

समिति की अध्यक्षता चेयरमैन द्वारा की गयी। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाले बैठकों की संख्या:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		तक	से	
1	श्री टी सी ए रंगनाथन	16.02.2017		04/04
2	श्री आर सुब्रमण्यकुमार	29.09.2016		04/04
3	श्री के स्वामीनाथन	17.02.2017		04/04
4	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	09.10.2017		02/02
5	श्री के रघु	26.07.2016		03/04
6	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	08.12.2017		01/01

3.11 मानव संसाधन पर बोर्ड स्तरीय समिति

समिति की बैठक की अध्यक्षता एमडी व सीईओ द्वारा की गयी। 01.04.2017 से 31.03.2018 के दौरान समिति 3 बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाले बैठकों की संख्या:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		तक	से	
1	श्री आर सुब्रमण्यकुमार	29.09.2016		03/03
2	श्री के स्वामीनाथन	17.02.2017		03/03
3	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	09.10.2017		02/02
4	श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू	22.07.2016		01/03
5	डॉ टी टी राम मोहन	21.12.2011		02/03
6	श्री शिवरमन अनंत नारायण	27.12.2017		02/02

श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू ने 27.06.2017 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

डॉ टी टी राम मोहन ने 27.06.2017 व 30.01.2018 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

श्री शिवरामन अनंत नारायण ने 20.03.2018 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

3.9 NOMINATION COMMITTEE

RBI, vide circular ref: DBOD. No. BC. No.47 / 29.39.001 / 2007-08 dated 01 11 2007, pursuant to the amendment in The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 effective 16.10.2006, has issued necessary guidelines for determining the authority, manner/procedure and criteria for deciding the 'Fit and Proper' status etc., while appointing the Directors.

RBI has directed that the "Fit and Proper" criteria, as of now, be made applicable to the elected directors (Shareholder directors) – both present and future.

The Committee met one time during the period from 01.04.2017 to 31.03.2018 on 16.11.2017. The Chairman presides over the Meetings of the Committee.

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of Meetings Attended / held
		From	To	
1	Shri TCA Ranganathan	16.02.2017		01/01
2	Smt Annie George Mathew	22.07.2016		01/01
3	Shri K Raghu	26.07.2016		01/01*

* Shri K Raghu attended the meeting through video conferencing on 16.11.2017.

3.10 INFORMATION TECHNOLOGY STRATEGY COMMITTEE

The Chairman, presides over the meetings of the Committee. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of Meetings Attended / held
		From	To	
1	Shri TCA Ranganathan	16.02.2017		04/04
2	Shri R Subramaniakumar	29.09.2016		04/04
3	Shri K Swaminathan	17.02.2017		04/04
4	Shri Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017		02/02
5	Shri K Raghu	26.07.2016		03/04
6	Shri Navin Prakash Sinha	08.12.2017		01/01

3.11 BOARD LEVEL STEERING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCES

The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee met 3 times during the period from 01.04.2017 to 31.03.2018. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of Meetings Attended / held
		From	To	
1	Shri R Subramaniakumar	29.09.2016		03/03
2	Shri K Swaminathan	17.02.2017		03/03
3	Shri Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017		02/02
4	Smt Annie George Mathew	22.07.2016		01/03*
5	Dr T T Ram Mohan	21.12.2011		02/03**
6	Shri Sivaraman Anant Narayan	27.12.2017		02/02***

*Smt Annie George Mathew attended the meeting through video conferencing on 27.06.2017.

**Dr T T Ram Mohan attended the meetings through video conferencing on 27.06.2017 and 30.01.2018.

***Shri Sivaraman Anant Narayan attended the meeting through video conferencing on 20.03.2018.

3.12 एन पी ए वसूली की निगरानी हेतु बोर्ड स्तरीय समिति

समिति की बैठक की अध्यक्षता एमडी व सीईओ द्वारा की गयी। 01.04.2017 से 31.03.2018 के दौरान समिति 6 बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाले बैठकों की संख्या:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		तक	से	
1	श्री आर सुब्रमण्यकुमार	29.09.2016		06/06
2	श्री के स्वामीनाथन	17.02.2017		06/06
3	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	09.10.2017		03/03
4	श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू	22.07.2016		05/06
5	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	08.12.2017		02/02
6	महा प्रबंधक (वसूली)	08.12.2012		
7	महा प्रबंधक (ऋण प्रबोधन)	08.12.2012		
8	बैंक के वरिष्ठतम महा प्रबंधक	08.12.2012		

* श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू ने 27.06.2017 व 10.08.2017 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

3.13 ईक्विटी शेयर पूँजी के निर्गम हेतु निदेशकों की समिति

समिति की बैठक की अध्यक्षता एमडी व सीईओ द्वारा की गयी। 01.04.2017 से 31.03.2018 के दौरान समिति 4 बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाले बैठकों की संख्या:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		तक	से	
1	श्री आर सुब्रमण्यकुमार	29.09.2016		04/04
2	श्री के स्वामीनाथन	17.02.2017		04/04
3	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल	08.12.2014	07.12.2017	02/02
4	श्री संजय रुंगटा	08.12.2014 08.12.2017	07.12.2017	04/04
5	श्री के रघु	26.07.2016		04/04
6	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	08.12.2017		02/02

3.14 इरादतन चूककर्ताओं पर समीक्षा समिति

समिति की बैठक की अध्यक्षता एमडी व सीईओ द्वारा की गयी। 01.04.2017 से 31.03.2018 के दौरान समिति 4 बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाले बैठकों की संख्या:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		तक	से	
1	श्री आर सुब्रमण्यकुमार	29.09.2016		04/04
2	श्री संजय रुंगटा	08.12.2014 29.01.2018	07.12.2017	04/04
3	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल	08.12.2014	07.12.2017	03/03
4	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	08.12.2017		01/01

3.15 हितधारक संबंध समिति

श्री संजय रुंगटा इस समिति के अध्यक्ष हैं। 01.04.2017 से 31.03.2018 के दौरान समिति 4 बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाले बैठकों की संख्या:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		तक	से	
1	श्री आर सुब्रमण्यकुमार	29.09.2016		01/01
2	श्री के स्वामीनाथन	17.02.2017		03/03
3	श्री संजय रुंगटा	08.12.2014 29.01.2018	07.12.2017	04/04
4	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल	08.12.2014	07.12.2017	02/02
5	श्री शिवरामन अनंत नारायण	29.01.2018		02/02

3.12 BOARD LEVEL COMMITTEE TO MONITOR RECOVERY IN NPA

The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee met 6 times during the period 01.04.2017 to 31.03.2018.

Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of Meetings Attended / held
		From	To	
1	Shri R Subramaniakumar	29.09.2016		06/06
2	Shri K Swaminathan	17.02.2017		06/06
3	Shri Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017		03/03
4	Smt Annie George Mathew	22.07.2016		05/06*
5	Shri Navin Prakash Sinha	08.12.2017		02/02
6	General Manager (Recovery)	08.12.2012		
7	General Manager (Credit Monitoring)	08.12.2012		
8	Senior-most General Manager of the Bank	08.12.2012		

* Smt Annie George Mathew attended the meetings through video conferencing on 27.06.2017 and 10.08.2017.

3.13 COMMITTEE OF DIRECTORS FOR ISSUE OF EQUITY SHARE CAPITAL

The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee met 4 times during the period from 01.04.2017 to 31.03.2018. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of Meetings Attended / held
		From	To	
1	Shri R Subramaniakumar	29.09.2016		04/04
2	Shri K Swaminathan	17.02.2017		04/04
3	Shri Niranjan Kumar Agarwal	08.12.2014	07.12.2017	02/02
4	Shri Sanjay Rungta	08.12.2014 08.12.2017	07.12.2017	04/04
5	Shri K Raghu	26.07.2016		04/04
6	Shri Navin Prakash Sinha	08.12.2017		02/02

3.14 REVIEW COMMITTEE ON WILFUL DEFAULTERS

The MD & CEO presides over the meeting of the Committee. The Committee met 4 times during the period from 01.04.2017 to 31.03.2018. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of Meetings Attended / held
		From	To	
1	Shri R Subramaniakumar	29.09.2016		04/04
2	Shri Sanjay Rungta	08.12.2014 29.01.2018	07.12.2017	04/04
3	Shri Niranjan Kumar Agarwal	08.12.2014	07.12.2017	03/03
4	Shri Navin Prakash Sinha	08.12.2017		01/01

3.15 STAKEHOLDERS RELATIONSHIP COMMITTEE

Shri Sanjay Rungta is the Chairman of the Committee. The Committee met 4 times during the period 01.04.2017 to 31.03.2018. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of Meetings Attended / held
		From	To	
1	Shri R Subramaniakumar	29.09.2016		01/01
2	Shri K Swaminathan	17.02.2017		03/03
3	Shri Sanjay Rungta	08.12.2014 29.01.2018	07.12.2017	04/04
4	Shri Niranjan Kumar Agarwal	08.12.2014	07.12.2017	02/02
5	Shri Sivaraman Anant Narayan	29.01.2018		02/02

क. अनुपालन अधिकारी

सेबी (एल.ओ.डी.आर) के विनियम 6 के संबंध में सेबी, स्टॉक एक्सचेंज आदि के विविध प्रावधानों के अनुपालन हेतु समीक्षाधीन अवधि के दौरान सुश्री दीपा चेल्लम कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी हैं।

ख. शेयरधारकों की शिकायत:

वर्ष के दौरान प्राप्त, सुलझाई गई व लंबित शिकायतों की संख्या:

01.04.2017 तक लंबित	1
वर्ष के दौरान प्राप्त	119
वर्ष के दौरान सुलझाई गई	120
31.03.2018 तक लंबित	Nil

सेबी (एल.ओ.डी.आर) के विनियम 46 के संबंध में, हमने शेयरधारकों को सूचित किया है कि निवेशकों की शिकायतों को दर्ज़ करने व उनके समाधान हेतु एक अलग ईमेल आइडी investorcomp@iobnet.co.in आबंटित की गई है और कंपनी सचिव सुश्री दीपा चेल्लम इस संबंध में अनुपालन अधिकारी हैं। हमने इस ईमेल आइडी व अन्य प्रमुख ब्योरों को अपने वेबसाइट पर प्रदर्शित किया है। निवेशक संपर्क कक्ष, जिसके प्रमुख सहायक महाप्रबंधक हैं, जो कि योग्य कंपनी सचिव भी हैं, निवेशकों की शिकायतों को भी निपटारा करते हैं।

5. सामान्य निकाय बैठक:

क) अंतिम तीन सामान्य निकाय बैठकों के स्थान व समय निम्नलिखित हैं:

क्रम संख्या	बैठक की प्रकृति	बैठक की तारीख, दिन व समय	स्थान
1	15वीं एजीएम	30.06.2015, मंगलवार, पूर्वाह्न 10.30	नारद गान सभा, 314 टीटीके रोड, चेन्नै- 600018
2	16वीं एजीएम	18.07.2016, सोमवार, पूर्वाह्न 10.00	रानी सीतैया हॉल 603, अण्णा सालै, चेन्नै- 600002
3	17वीं महा प्रबंधक	28.06.2017, बुधवार पूर्वाह्न 10.00 बजे	नारद गान सभा 314 टीटीके रोड,चेन्नै 600 018

ख) 15 वीं, 16वीं व 17वीं वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदनार्थ योग्यता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट (क्यू.आइ.पी.), राईट्स ईश्यू, अधिमानी आधार पर आबंटन और अनुवर्तन पब्लिक ऑफर या अधिमानी शेयरों (संचयी / गैर संचयी) के ज़रिए इक्विटी शेयरों को जारी कर पूँजी जुटाने के लिए विशेष संकल्प प्रस्तुत किए गए।

ग) कोई डाक मतदान नहीं था ।

घ) स्थान व समय जहाँ असाधारण सामान्य बैठकें आयोजित हुयी:

क्रम सं.	बैठक का प्रकार	बैठक की तारीख, दिन व समय	स्थान
01	ईजीएम	16.12.2013, सोमवार पूर्वाह्न 10.00 बजे	होटल एंबेसेडर पल्लवा, 30, मॉन्टियथ रोड, एग्मोर, चेन्नै - 600 008.
02	ईजीएम	26.02.2014, बुधवार पूर्वाह्न 10.00 बजे	नारद गान सभा 314 टीटीके रोड,चेन्नै 600 018
03	ईजीएम	23.09.2015, बुधवार पूर्वाह्न 11.00 बजे	नारद गान सभा 314 टीटीके रोड,चेन्नै 600 018
04	ईजीएम	24.03.2016, गुरूवार पूर्वाह्न 10:30 बजे	नारद गान सभा 314 टीटीके रोड,चेन्नै 600 018
05	ईजीएम	15.09.2016, गुरूवार पूर्वाह्न 10.00 बजे	रानी सीतैय हॉल 603, अण्णा सालै, चेन्नै- 600002
6.	ईजीएम	29.11.2017 बुधवार पूर्वाह्न 10.30 बजे *	नारद गान सभा 314 टीटीके रोड,चेन्नै 600 018
7.	ईजीएम	30.01.2018 मंगलवार पूर्वाह्न 10.30 बजे**	नारद गान सभा 314 टीटीके रोड,चेन्नै 600 018
8.	ईजीएम	28.03.2018 बुधवार पूर्वाह्न 10.00 बजे	नारद गान सभा 314 टीटीके रोड,चेन्नै 600 018

उक्त असाधारण सामान्य बैठकों का आयोजन अधिमानी आधार पर भारत सरकार और एल.आइ.सी व उसकी विभिन्न योजनाओं को इक्विटी शेयरों को जारी करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए किया गया।

*शेयरधारक निदेशकों के चुनाव हेतु ईजीएम का आयोजन

** संचित नुकसानों का शेयरधारकों का शेयर प्रीमियम खाते में से सेटऑफ करने हेतु अनुमोदन प्राप्त करने हेतु ईजीएम का आयोजन

ड.) ई-वोटिंग:

सेबी (एल.ओ.डी.आर) के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में, ज़ारीकर्ता वार्षिक सामान्य बैठक / असाधारण सामान्य बैठक में पारित होने वाले सभी शेयरधारक संकल्पों के संबंध में अपने शेयरधारकों को **ई-वोटिंग सुविधा प्रदान** करने को सहमत है। तदनुसार बैंक ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रहा है।

6. संप्रेषण का माध्यम :

क. बैंक के तिमाही अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं और इसे नियत समय के अन्दर उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत कर दिया जाता है जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं। बैंक वार्षिक परिणाम हरित पहल के तहत ईमेल के द्वारा उन शेयरधारकों को भेजता रहा है जिनका ई मेल पता बैंक के पास उपलब्ध है तथा अन्य को यह जिन्होंने अपने ईमेल आइडी इसके लिए पंजीकृत नहीं की है उन्हें परिणाम हार्ड प्रति कूरियर / डाक के के जरिए भेजा जाता है

ख. सेबी (सूचीबद्ध करार व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 (एल.ओ.डी.आर.) के विनियम 47 के मुताबिक तिमाही वित्तीय परिणाम राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र, क्षेत्रीय स्थानीय दैनिक समाचार पत्र व हिंदी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाते हैं। प्रकाशन करने की तारीख व विवरण निम्नानुसार हैं :

a. Compliance Officer:

In terms of Regulation 6 of SEBI (LODR), Ms. Deepa Chellam is the Company Secretary and the Compliance Officer during the period under review for the purpose of complying with the various provisions of SEBI, Stock Exchanges etc.

b. Shareholders Complaints

Number of complaints received, resolved and pending during the year:

Pending as on 01.04.2017	1
Received during the year	119
Redressed during the year	120
Pending as on 31.03.2018	Nil

In terms of Regulation 46 of SEBI (LODR), we have advised the shareholders that an exclusive e-mail ID - investorcomp@iobnet.co.in has been allotted and Ms. Deepa Chellam, Company Secretary is the Compliance Officer for the purpose of registering and redressal of complaints by investors. We have displayed this email ID and other relevant details prominently on our website. The Investor Relations Cell headed by the Company Secretary is handling the redressal of investor complaints.

5. GENERAL BODY MEETING:

a. Location and time where last three Annual General Meetings were held:

Sl. No.	Nature of Meeting	Date, Day and time of Meeting	Venue
1	15th AGM	30.06.2015,Tuesday, 10.30 AM	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
2	16th AGM	18.07.2016, Monday, 10.00 AM	Rani Seethai Hall, 603, Anna Salai, Chennai – 600 006
3	17th AGM	28.06.2017, Wednesday 10.00 AM	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018

b. In the 15th ,16th and 17th AGMs, special resolutions were put through to obtain the shareholders approval to raise capital by way of issue of equity shares through Qualified Institutional Placement (QIP), Rights Issue, Preferential allotment or Follow-on Public Offer or preference shares (cumulative / non cumulative).

c. There was no postal ballot exercise.

d. Location and time where Extra Ordinary General Meetings were held :

Sl. No.	Nature of Meeting	Date, Day and time of Meeting	Venue
1	EGM	16.12.2013 Monday 10.00 A.M.	Hotel Ambassador Pallava, 30, Montieth Road, Egmore, Chennai – 600 008
2	EGM	26.02.2014 Wednesday 10.00 A.M.	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
3	EGM	23.09.2015 Wednesday 10.00 A.M.	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
4	EGM	24.03.2016 Thursday 10.30 A.M.	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
5	EGM	15.09.2016 Thursday 10.00 A.M.	Rani Seethai Hall, 603, Anna Salai, Chennai – 600 006
6.	EGM	29.11.2017 Wednesday 10.30 A.M. *	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
7.	EGM	30.01.2018 Tuesday 10.30 A.M.**	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
8.	EGM	28.03.2018 Wednesday 10.00 A.M.	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018

The above EGMs were held for obtaining shareholders approval for issue of equity shares to Government of India and LIC and its various schemes on preferential basis.

*EGM held for election of Shareholder Directors

** EGM held for obtaining shareholders approval for set off of Share Premium Account against accumulated losses

e) E-Voting:

In accordance with the provisions of Regulation 44 of SEBI (LODR), the Issuer agrees to provide **E-Voting facility to its shareholders** in respect of all shareholders resolutions, to be passed at AGM/EGM. Accordingly, the Bank is providing e-voting facility.

6. MEANS OF COMMUNICATION:

a. The quarterly un-audited financial results of the Bank are approved by the Board of Directors and the same are submitted within the stipulated period to all the stock exchanges where the Bank's shares are listed. The Bank has been sending Annual Reports under Green Initiative by email to those shareholders whose e-mail addresses are available with the Bank and through courier/post to shareholders who have not registered their email id for this purpose.

b. The quarterly financial results are published in a national daily, Hindi daily and a regional vernacular daily in terms of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (LODR). The details and dates of publication are as under:

को समाप्त तिमाही	अंग्रेजी दैनिक	क्षेत्रीय दैनिक (तमिल)	हिंदी दैनिक	प्रकाशन की तिथि
31.03.2017	बिजनेस लाइन	द हिंदू	जनसत्ता	18.05.2017
30.06.2017	बिजनेस लाइन	द हिंदू	जनसत्ता	11.08.2017
30.09.2017	बिजनेस स्टैंडर्ड	द हिंदू	बिजनेस स्टैडर्ड	08.11.2017
31.12. 2017	फाइनेंशियल एक्सप्रेस	द हिंदू	जनसत्ता	14.02.2018

ग. तिमाही परिणाम /वार्षिक परिणाम व विश्लेषकों को दी गई प्रस्तुति भी बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर प्रदर्शित किए जाते हैं।

घ. बैंक तिमाही/ वार्षिक परिणामों के दौरान आधिकारिक प्रेस रिलीज़ प्रदर्शित करता है।

7. सामान्य शेयरधारक सूचना:

क. ए.जी.एम.: तारीख, समय और स्थान:

दिनांक	11.07.2018
समय	10:00 बजे, सुबह
स्थान	ऑडिटोरियम, स्टॉफ कॉलेज, इण्डियन ओवरसीज बैंक, वी केयर हॉस्पीटल के पीछे, 100 फीट रोड, थिरूमंगलम की तरफ, 230/7ए, जवाहरलाल नेहरू रोड, अण्णा नगर, चेन्नै 600 040

ख. वित्तीय वर्ष: 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018

ग. लाभांश भुगतान की तारीख: शून्य (वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक को नुकसान हुआ)

घ. बही बंद करने की तारीख: वार्षिक सामान्य बैठक के लिए 04.07.2018 से 11.07.2018 (दोनों दिन शामिल हैं)

ड. अदत्त लाभांश:

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) तथा वित्तीय संस्थाएँ विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम 1970 में बैंक के अदत्त लाभांश विषयक 10 (बी) नामक एक नई धारा जोड़ दी गई है तथा कॉर्पोरेट मामलात मंत्रालय ने अदत्त लाभांश राशि के निवेशक शिक्षा व संरक्षण निधि (आइ.ई.पी.एफ.) में अंतरण हेतु बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में सूचित किया है।

तदनुसार पिछले वर्षों के अदत्त लाभांशों को आइओबी के अदत्त लाभांश खातों को अंतरित कर दिया गया है और अत: इस प्रकार की अंतरण राशि को जो अंतरण की तारीख से सात साल की अवधि तक अदत्त या अदावी हैं, निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि में अंतरित कर दिया जाएगा:

वर्ष के लिए लाभांश	अदत्त लाभांश खाते को अंतरित करने की तारीख	केंद्र सरकार को अंतरण की तारीख (आइ.ई.पी.एफ.)
2010-11	02.09.2011	सितंबर 2018
2011-12	16.10.2012	सितंबर 2019
2012-13	01.08.2013	सितंबर 2020
2013-14 (आई)	05.03.2014	अप्रैल 2021
2013-14 (एफ)	01.08.2014	सितंबर 2021

च. बैंक के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किए गए हैं:

स्टाक एक्सचेंज का नाम	स्टॉक कोड
बांबे स्टॉक एक्सचेंज लि.	532388
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.	आइओबी ईक्यू एई बीई बीटी

स्टाक एक्सचेंजों को वर्ष 2017-18 के लिए सूचीबद्ध करने हेतु वार्षिक शुल्क निर्धारित देय तारीखों के अंदर दिया गया है।

प्राधिकृत पूँजी: 31.03.2018 तक बैंक की प्राधिकृत पूँजी रु.10000 करोड़ है

प्रदत्त पूँजी में बढ़ोतरी

बैंक ने अधिमानी आधार पर क्यू.आइ.पी को 31.08.2017 को रु. 27.65 प्रति इक्विटी शेयर (रु. 17.65 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम समेत) के इश्यू मूल्य पर नकद के लिए रु. 10 प्रति इक्विटी शेयर के 39,78,30,018 इक्विटी शेयर जिनका मूल्य रु. 1100 करोड़ के करीब हुआ, ज़ारी किए तथा अधिमानी आधार पर भारत सरकार को 28.03.2018 को रु. 23.03 प्रति इक्विटी शेयर (रु. 13.03 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम समेत) के इश्यू मूल्य पर नकद के लिए रु. 10 प्रति इक्विटी शेयर के 203,82,11,029 इक्विटी शेयर जिनका मूल्य रु. 4694 करोड़ के करीब हुआ, ज़ारी किए। अत: बैंक की प्रदत्त पूँजी रु. 2454.73 करोड़ से बढ़कर रु. 4890.77 करोड़ हो गई। भारत सरकार की शेयरधारिता रु. 195304करोड़ (79.56%) से बढ़कर रु. 4389.08 करोड़ (89.74%) तथा पब्लिक शेयरधारिता रु. 501.69 करोड़ (10.26%). रही।

छ. बाजार मूल्य के आँकड़े

अवधि –माह	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज		बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज	
	उच्च(रु)	निम्न (रु)	उच्च(रु)	निम्न (रु)
अप्रैल 2017	29.20	26.70	29.65	26.75
मई 2017	32.20	24.90	32.25	24.85
जून 2017	26.90	24.50	26.95	24.55
जुलाई 2017	27.45	24.60	27.45	23.60
अगस्त 2017	25.30	21.60	25.60	21.50
सितंबर 2017	25.25	22.20	25.25	22.20
अक्तूबर 2017	28.40	19.80	28.70	21.55
नवंबर 2017	26.70	23.05	27.00	23.10
दिसंबर 2017	24.10	21.00	24.15	22.10
जनवरी 2018	25.40	22.15	25.20	21.75
फरवरी 2018	22.80	18.70	22.85	18.80
मार्च 2018	19.70	17.15	19.95	17.00

2017-18 के दौरान संबंधित स्टॉक एक्स्चेजों में बैंक के शेयरों का उच्च / निम्न कीमतों के आँकडे स्पष्ट अक्षरों में दिए गए हैं । हमारे बैंक को ट्रेडिंग से सस्पेंड नहीं किया गया है।

Quarter ended	English Daily	Tamil Daily	Hindi Daily	Date of publication
31.03.2017	Business Line	The Hindu	Jansatta	18.05.2017
30.06.2017	Business Line	The Hindu	Jansatta	11.08.2017
30.09.2017	Business Standard	The Hindu	Business Standard	08.11.2017
31.12. 2017	Financial Express	The Hindu	Jansatta	14.02.2018

c. The quarterly results/annual results and Performance Analysis are also being displayed on the Bank's web-site www.iob.in

d. Bank displays official press release during quarterly/annual results

7. GENERAL SHAREHOLDER INFORMATION:

a) AGM: Date, Time and Venue:-

Date	11.07.2018
Time	10.00 am
Venue	Auditorium Staff College, Indian Overseas Bank, Behind Vee Care Hospital, 100 Feet Road towards Thirumangalam, 230/7A Jawaharlal Nehru Road, Anna Nagar, Chennai- 600 040

b) Financial Year : 01st April 2017 to 31st March 2018.

c) Dividend Payment Date : NIL (Bank incurred losses during FY 2017-18)

d) Date of Book Closure : 04.07.2018 to 11.07.2018 (Both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

e) Unpaid Dividend:

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, has incorporated a new section 10(B) in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 on Unpaid dividend of banks and Ministry of Corporate Affairs had advised the process to be followed by banks for transferring the Unpaid Dividend amount to Investor Education and Protection Fund (IEPF).

Accordingly, the unpaid dividend of previous years has been transferred to Unpaid Dividend Account/s of IOB and hence such monies, which remain unpaid or unclaimed for a period of seven years, shall be transferred to IEPF:

Dividend for the year	Date of Transfer to Unpaid Dividend A/c	Due Date for Transferring to Government (IEPF)
2010-11	02.09.2011	September 2018
2011-12	16.10.2012	September 2019
2012-13	01.08.2013	September 2020
2013-14 (I)	05.03.2014	April 2021
2013-14 (F)	01.08.2014	September 2021

f. The Bank's shares are listed on the following stock exchanges:

Name of the Stock Exchange	Stock Code
Bombay Stock Exchange Ltd.	532388
National Stock Exchange of India Ltd.	IOB EQ AE BE BT

Annual Listing Fees for the year 2017-18 have been paid to the stock exchanges within the prescribed due dates.

Authorised Capital: As on 31.03.2018, the Authorized Capital of the Bank is Rs.10000 crore.

Increase in Paid-up Capital:

The Bank has issued 39,78,30,018 equity shares of Rs.10/- each for cash at issue price of Rs.27.65 per equity share (including premium of Rs.17.65 per equity share) aggregating upto Rs.1100 crore to Government of India on Preferential Basis on 31.08.2017 and 203,82,11,029 equity shares of Rs.10/- each for cash at issue price of Rs.23.03 per equity share (including premium of Rs.13.03 per equity share) aggregating upto Rs.4694 crore to Government of India on Preferential Basis on 28.03.2018. Hence, the paid-up capital of the Bank has increased from Rs.2454.73 crore to Rs. 4890.77 crore. Government of India's shareholding has increased from Rs.1953.04 crore (79.56%) to Rs.4389.08 crore (89.74%) and the Public shareholding stood at Rs.501.69 crore (10.26%).

g) Market Price Data:-

Period - Month	NSE		BSE	
	High (Rs.)	Low (Rs.)	High (Rs.)	Low (Rs.)
April 2017	29.20	26.70	29.65	26.75
May 2017	**32.20**	24.90	**32.25**	24.85
June 2017	26.90	24.50	26.95	24.55
July 2017	27.45	24.60	27.45	23.60
August 2017	25.30	21.60	25.60	21.50
September 2017	25.25	22.20	25.25	22.20
October 2017	28.40	19.80	28.70	21.55
November 2017	26.70	23.05	27.00	23.10
December 2017	24.10	21.00	24.15	22.10
January 2018	25.40	22.15	25.20	21.75
February 2018	22.80	18.70	22.85	18.80
March 2018	19.70	**17.15**	19.95	**17.00**

Figures in bold represent the high/low price of the Bank's shares traded during the year 2017 -18, in the respective Stock Exchanges. Our Bank was not suspended from trading.

ज. 01-04-2017 से 31-03-2018 के दौरान बीएसई सेंसेक्स की तुलना में ईक्विटी निष्पादन

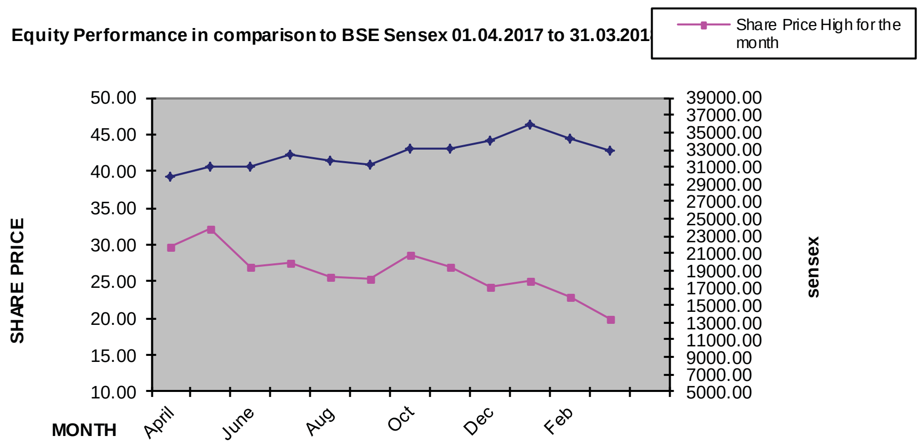

झ) रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट

मेसर्स केमियो कार्पोरेट सर्विसेज़ लि. (यूनिट - आइ ओ बी)

सुब्रमणियन बिल्डिंग, पाँचवी मंज़िल न.1, क्लब हाउस रोड चेन्नै - 600 002

टेलिफोन - 044- 28460395, फैक्स- 28460129 ई.मेल : cameo@cameoindia.com

ञ. शेयर अंतरण प्रणाली

हमारे बैंक के निदेशक मंडल ने इक्विटी शेयरों के लेनदेन का अधिकार कार्यपालक स्तरीय शेयर अंतरण समिति (एल्सटैक), महाप्रबंधकों की समिति को शेयर अंतरण एवं प्रेषण आदि पर विचार करने व उसे अनुमोदित करने के लिए दिया है। एल्सटैक बैठकों के कार्यवृत्त प्रत्येक बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। विगत वर्ष में समिति की 26 बैठकें हुयी तथा बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

ठ. 31.03.2018 तक शेयरधारिता का वितरण:

क्रम. सं.	श्रेणी	शेयरों की संख्या	शेयरधारण का %
	प्रवर्तकों की धारिता		
1	भारत सरकार	4389084289	89.74
	उप योग	**4389084289**	**89.74**
गैर-प्रवर्तक का धारण			
2.	**संस्थागत निवेशक**		
क.	म्यूचुअल फण्डस, यू.टी,आइ	0	0
ख.	बैंक व वित्तीय संस्थाएँ	279093543	5.71
ग.	बीमा कंपनियाँ	13438245	0.27
घ	विदेशी संस्थागत निवेशक	242012	0
ड़	विदेशी कॉर्पोरेट निकाय	48000	0.00
च	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	26415977	0.54
	उप योग	**319237777**	**6.52**
3	**अन्य**		
क.	निजी निगम निकाय	24350241	0.50
ख.	वैयक्तिक	149952363	3.07
ग.	एन.आर.आइ	6973788	0.14
घ.	अन्य	1171517	0.03
	उप योग	**182447909**	**3.74**
कुल योग		**4890769975**	**100.00**

h). Equity performance in comparison to BSE Sensex during 01.04.2017 to 31.03.2018

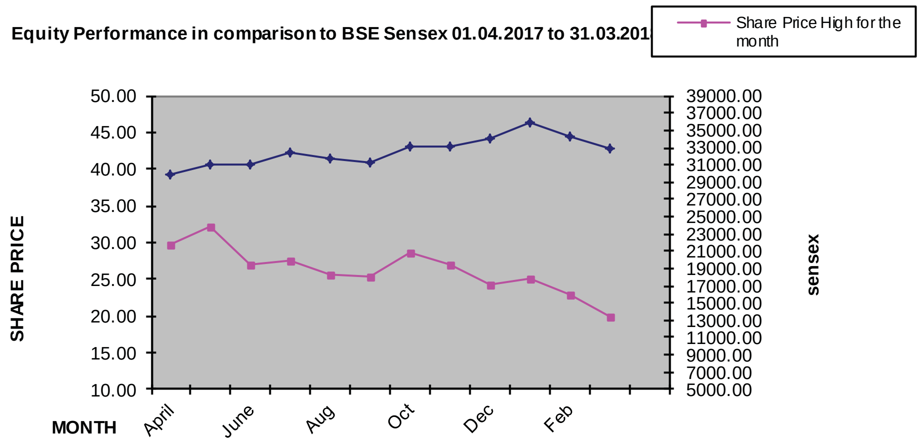

i) Registrar & Share Transfer Agent:

Cameo Corporate Services Limited (Unit-IOB)
Subramanian Building, V Floor No.1 Club House Road, Chennai-600 002
Tel: 044-28460395 Fax: 28460129 e-mail: cameo@cameoindia.com

j) Share Transfer System:

Our Bank's Board of Directors have delegated the power of transactions on equity shares to Executive Level Share Transfer Approval Committee (ELSTAC), Committee of General Managers, to consider and approve Share Transfer, Transmission etc. The minutes of the ELSTAC meetings are reported to the Board of Directors in each meeting. The Committee met 26 times during last year and reports were submitted to the Board.

k) Distribution of shareholding as on 31.03.2018:

S No	Category	No. of Shares	% of share holding
	PROMOTERS HOLDING		
1	Government of India	4389084289	89.74
	Sub-Total	**4389084289**	**89.74**
NON-PROMOTERS HOLDING			
2	**Institutional Investors**		
A	Mutual Funds and UTI	0	0
B	Banks, Financial Institutions	279093543	5.71
C	Insurance Companies	13438245	0.27
D	Foreign Institutional Investors	242012	0
E	Overseas Corporate Body	48000	0
F	Foreign Portfolio Investor	26415977	0.54
	Sub-Total	**319237777**	**6.52**
3	**OTHERS**		
A	Private Corporate Bodies	24350241	0.50
B	Individuals	149952363	3.07
C	NRI	6973788	0.14
D	Others	1171517	0.03
	Sub-total	**182447909**	**3.74**
GRAND TOTAL		**4890769975**	**100.00**

ड. 31.03.2018 तक वितरण अनुसूची :

शेयर धारकों की सं.	शेयरधारकों की कुल सं.का %	रु.10 के अंकित मूल्य के शेयरों की कुल शेयरधारिता	शेयरों की कुल रकम (अंकित मूल्य)	कुल सं का %
208595	81.63	1 - 5000	368931190	0.75
26963	10.55	5001 - 10000	226888640	0.46
10826	4.23	10001 - 20000	162207330	0.33
3108	1.22	20001 - 30000	79491020	0.16
1478	0.58	30001 - 40000	53494920	0.11
1202	0.47	40001 - 50000	57228350	0.12
1787	0.70	50001 - 100000	133865690	0.27
1582	0.62	100001 - व अधिक	47825592610	97.79
255541	**100.00**	**कुल**	**48907699750**	**100.00**

ढ. 31.03.2018 तक विदेशी शेयरधारिता

क्रम सं.	संवर्ग	31.03.2017 तक		31.03.2018 तक	
		शेयरों की सं	कुल पूँजी की तुलना में %	शेयरों की स	कुल पूँजी की तुलना में %
1	विदेशी संस्थागत निवेशक	5803296	0.24	242012	0.00
2	ओसीबी	48000	0.00	48000	0.00
3	एनआरआइ	6380013	0.26	6973788	0.14
4	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	19986890	0.81	26415977	0.54
	कुल	**32218199**	**1.31**	**33679777**	**0.69**

उक्त सारणी में वर्णितानुसार 31.03.2018 तक कुल विदेशी शेयरधारण (एनआरआइ, ओसीबी, विदेशी संस्थागत निवेशक) 0.69% था जोकि बैंक की कुल प्रदत्त पूँजी के 20% के निर्धारित स्तर के अंदर है।

ण. 31.03.2018 तक बैंक के पाँच सर्वोच्च शेयरधारक:

क्रम सं	**शेयरधारकों का नाम**	**धारित शेयरों की सं**	**कुल धारण का %**
1	भारत के राष्ट्रपति भारत सरकार	4389084289	89.74
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	262053524	5.36
3	आशीष रमेशकुमार गोएंका	12865778	0.26
4	युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	8756567	0.18
5	वेंगार्ड इमर्जिंग मार्केट्स स्टॉक इंडेक्स फंड, वेंगार्ड इंटरनेशनल ईक्विटी इंडेक्स फंड की एक श्रृंखला	7504203	0.15

त. शेयरों व प्रत्यक्ष धारिता का अमूर्तिकरण :

बैंक के शेयर अनिवार्य डीमेट ट्रेडिंग के अधीन हैं। बैंक शेयरों के अमूर्तिकरण के लिए जारीकर्ता कंपनी के रूप में बैंक राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी. लि. (एन.एस.डी.एल) और केन्द्रीय डिपॉजिटरी सेवाएं (भारत) लि. (सा. डी.एस.एल) का सदस्य है। शेयरधारक एनएसडीएल या सीडीएसएल किसी के भी साथ अपने शेयरों का अमूर्तिकरण करा सकते है। डिपॉजिटरी सेवा ने बैंक को निम्नलिखित आइ.एस.आइ.एन. कोड आबंटित किया है-आइएनई 565ए 01014

31.03.2018 तक 489.08 करोड़ इक्विटी शेयरों में से 486.18 करोड़ शेयर या 99.41% शेयर 168607 शेयरधारकों के पास डीमेट रूप में है (जिसमें से भारत सरकार 438.91 करोड़ शेयर डीमैट रूप में धारित करता है जोकि समग्रत: 89.46% है) तथा 2.90 करोड़ शेयर या 0.59% शेयर 86934 शेयरधारकों के पास प्रत्यक्ष रूप में है।

l) Distribution schedule as on 31.03.2018

No. of Shareholder	% to Total No.of Shareholders	Shareholding in terms of nominal value of Rs.10/-	Share Amount (Face Value)	% to Total
208595	81.63	1 - 5000	368931190	0.75
26963	10.55	5001 - 10000	226888640	0.46
10826	4.23	10001 - 20000	162207330	0.33
3108	1.22	20001 - 30000	79491020	0.16
1478	0.58	30001 - 40000	53494920	0.11
1202	0.47	40001 - 50000	57228350	0.12
1787	0.70	50001 - 100000	133865690	0.27
1582	0.62	100001 - And Above	47825592610	97.79
255541	**100.00**	**Total**	**48907699750**	**100.00**

m) Foreign Shareholding as on 31.03.2018

S No	Category	As on 31.03.2017		As on 31.03.2018	
		No. of shares	% To total capital	No. of shares	% To total capital
1	Foreign Institutional Investors	5803296	0.24	242012	0.00
2	OCBs	48000	0.00	48000	0.00
3	NRIs	6380013	0.26	6973788	0.14
4	Foreign Portfolio Investor	19986890	0.81	26415977	0.54
	Total	**32218199**	**1.31**	**33679777**	**0.69**

As detailed in the above table, the total foreign shareholding (FIIs, OCBs, NRIs and Foreign Portfolio Investors) as at 31.03.2018 was 0.69% which is within the stipulated level of 20% of the total paid up capital of the Bank.

n) Top five shareholders of the Bank as on 31.03.2018:

S No	Name of the Shareholders	No. of Shares held	% of Total Holding
1	The President of India, Government of India	4389084289	89.74
2	LIC of India	262053524	5.36
3	Ashish Rameshkumar Goenka	12865778	0.26
4	United India Insurance Company Limited	8756567	0.18
5	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund, a Series of Vanguard International Equity Index Funds	7504203	0.15

o) Dematerialization of shares & Physical Holding: The shares of the Bank are under compulsory demat trading. The Bank is a member of the depository services with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as an issuer company for dematerialization of the Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL. The depository services have allotted the following ISIN code to the Bank: INE565A01014.

Out of 489.08 crore equity shares as on 31.3.2018, 486.18 crore equity shares or 99.41% are held by 168607 shareholders in Demat form (of which Government of India holds 438.91 crore equity shares in Demat form aggregating to 89.46%) and 2.90 crore equity shares or 0.59% are held by 86934 shareholders in physical form.

डीमैट खाते में धारित अदावी शेयर:

अदावी सस्पेंस खाते धारित शेयरों की स्थिति निम्नवत है :

ब्यौरा	शेयरधारकों की सं.	शेयरों की सं.
01.04.2017 के प्रारंभ में शेयरधारकों की समग्र संख्या और प्रारंभ में अदावी संस्पेंस खाते में पड़े बकाया शेयर	221	55000
ऐसे शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने अदावी संस्पेंस खाते से वर्ष के दौरान शेयरों के स्थानांतरण के लिए संपर्क किया	1	200
ऐसे शेयरधारकों की संख्या जिन्हें अदावी संस्पेंस खाते से शेयरों का स्थानांतरण किया गया ।	1	200
शेयरधारकों की समग्र सं. और 31.03.2018 के अंत में अदावी संस्पेंस खाते में पड़े बकाया शेयर	220	54800

इन शेयरों से संबंधित वोटिंग अधिकार ऐसे शेयरों के उपयुक्त स्वामी के शेयरों पर दावे तक सुरक्षित रखा जाएगा।

थ. बकाया जीडीआर/एडीआर/वारण्ट या अन्य कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख व ईक्विटी पर इसका संभाव्य प्रभाव:

बैंक ने कोई जीडीआर/एडीआर/वारण्ट या कोई परिवर्तनीय लिखतें जारी नहीं की है।

द. बैंक ने समय-समय पर वचन-पत्रों के रूप में अपरिवर्तनीय बॉण्ड एकत्र किए गए है: 31-03-2018 तक बकाया बॉण्डों के विवरण निम्नानुसार हैं:

क्रम	**आबंटन की तारीख**	**आकार (रु.करोड़ों में)**	**अवधि (महीनों में)**	**कूपन (%)**	**मोचन की तारीख**
निम्न टियर ।।					
XII	22.08.2008	300.00	120	10.85	22.08.2018
XIII	24.08.2009	290.00	120	08.48	24.08.2019
XIV	31.12.2010	1000.00	120	08.95	31.12.2020
उच्च टियरII					**Call Option Date**
II	17.09.2008	655.30	@180	11.05	@17.09.2018
III	01.09.2009	510.00	@180	08.80	@01.09.2019
IV	10.01.2011	967.00	@180	09.00	@10.01.2021
टियर I बेसल II (बेमियादी)					
IV	29.9.2009	300.00	@perpetual	09.30	@29.09.2019
टियर I बेसल III (बेमियादी)					
I	04.02.2015	1000.00	*perpetual	10.00	04.02.2020
बेसल III टियर II					
1	03.11.2016	800.00	@120	9.24	@@03.11.2021

@ 10 वर्ष के अंत में माँग विकल्प उपलब्ध है (भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के साथ)। यदि माँग विकल्प का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो कूपन दर को 50 बीपीएस तक बढ़ाया जाएगा ।

@@5 वर्ष के अंत में माँग विकल्प उपलब्ध है (भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के साथ)

*5 वर्ष के अंत में माँग विकल्प उपलब्ध है (भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के साथ)

ध. इश्यू का बॉण्ड ट्रस्टी

बैंक ने उक्त सभी बाँड इश्यू के लिए बॉण्ड ट्रस्टी के रूप में मेसर्स आइडीबीआइ ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि., मुंबई को नियुक्त किया है जो बॉण्ड्स के निवेशको के हितों की रक्षा करे। ट्रस्टी का पता निम्नवत है:

मेसर्स आइडीबीआइ ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि.,

एशियन बिल्डिंग 17 आर कमानी रोड, बालार्ड एस्टेट, फोट मुंबई- 400001

Unclaimed shares held in Demat Account:

The position of shares held in the unclaimed suspense account is mentioned below:

Details	No. of shareholders	No. of Shares
Aggregate number of shareholders and outstanding shares lying in unclaimed suspense account at the beginning of 01.04.2017	221	55000
Number of Shareholders who approached for transfer of shares from unclaimed suspense account during the year	1	200
Number of Shareholders to whom shares were transferred from the unclaimed suspense account	1	200
Aggregate Number of Shareholders and the outstanding shares lying in the unclaimed suspense account at the end of 31.03.2018	220	54800

The voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.

q) Outstanding GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity:

The Bank has not issued any GDRs /ADRs / Warrants or any convertible instruments.

r) The bank has raised non-convertible bonds in the nature of promissory notes from time to time. The details of such bonds outstanding as on 31.03.2018 are as follows:

Series	Date of Allotment	Size (Rs. in cr)	Tenor (in months)	Coupon %	Redemption Date
LOWER TIER II					
XII	22.08.2008	300.00	120	10.85	22.08.2018
XIII	24.08.2009	290.00	120	08.48	24.08.2019
XIV	31.12.2010	1000.00	120	08.95	31.12.2020
Upper Tier II					**Call Option Date**
II	17.09.2008	655.30	@180	11.05	@17.09.2018
III	01.09.2009	510.00	@180	08.80	@01.09.2019
IV	10.01.2011	967.00	@180	09.00	@10.01.2021
Tier I Basel II (Perpetual)					
IV	29.9.2009	300.00	@perpetual	09.30	@29.09.2019
Tier I Basel III (Perpetual)					
I	04.02.2015	1000.00	*perpetual	10.00	04.02.2020
Basel III Tier II					
1	03.11.2016	800.00	@120	9.24	@@03.11.2021

@Call option available at the end of 10 years (with the prior approval of RBI). If the call Option is not exercised, the coupon rate will be stepped up by 50 bps.

@@Call option available at the end of 5 years (with prior approval of RBI)

*Call option available at the end of 5 years (with prior approval of RBI).

s) BOND TRUSTEE TO THE ISSUE:

The Bank has appointed M/s. IDBI Trusteeship Services Ltd., Mumbai, as Bond Trustees to all the above Bond Issues, to safeguard and to protect the interests of the investors of the Bonds. Address of the Trustees is given below:

IDBI Trusteeship Services Ltd.,

Asian Building, 17 R Kamani Road, Ballard Estate, Fort, MUMBAI-400 001

न. पत्राचार का पता:

शेयरों के अन्तरण, लाभांश भुगतान और निवेशकों से संबंधित अन्य सभी क्रियाकलाप रजिस्ट्रार व शेयर अन्तरण एजेन्ट मेसर्स केमियो कॉर्पोरेट सेवाएं लि. के कार्यालय में किए जाते हैं। शेयरधारक अपने अन्तरण विलेख और अन्य कोई भी दस्तावेज, शिकायतें निम्नलिखित पते पर दर्ज कर सकते हैं।

मेसर्स केमियो कार्पोरेट सर्विसेज़ लि.

(यूनिट - आइ.ओ.बी.) सुब्रमणियन बिल्डिंग, पाँचवीं मंज़िल

नं.1, क्लब हाउस रोड चेन्नै 600 002

टेलिफोन -044- 28460395, फैक्स- 28460129: ई.मेल : cameo@cameoindia.com

बैंक के निम्नलिखित पते पर शेयरधारकों की शिकायतों के निपटान के लिए और उनकी सेवा के लिए बैंक के केंद्रीय कार्यालय में निवेशक संबंध कक्ष है।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
निवेशक संपर्क कक्ष, केन्द्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै
चेन्नै-600 002
टेलिफोन : 044-71729791, 28415702, 28889392 फैक्स-044-28585675
ई.मेल: investor@iobnet.co.in/investorcomp@iobnet.co.in

प्रकटीकरण

ए. प्रबंधन के प्रमुख व्यक्तियों यानी पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी से संबंधित पार्टी लेनदेन के प्रकटन की तिमाही आधार पर समीक्षा मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा की जाती है ।

बी. बैंक के निदेशकों, प्रबंधन उनके संबंधियों आदि के साथ बैंक के ऐसे कोई महत्वपूर्ण पार्टी लेनदेन नहीं हैं जिनसे बैंक के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो ।

सी. सेबी ने अपने निर्णायक आदेश ईएडी-2/डीएसआर/आरजी/2437/1/2018 दिनांकित- 24.01.2018 के द्वारा सेबी अधिनियम 1992 की धारा 15 एचबी हमारे बैंक के ऊपर रू.2.00 लाख की पेनाल्टी लगायी है। यह पेनाल्टी गैर अनुपालन के कारण लगायी गयी थी जिसका भुगतान 12.03.2018 को किया गया।

स्टाक एक्सचेंजों /सेबी / किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा 31.03.2018 को समाप्त पिछले तीन वर्षो के दौरान पूंजी बाजार संबंधी किसी भी विषय पर बैंक पर न तो दण्ड लगाया गया और न ही आलोचना की गई है ।

डी. सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार वर्तमान में बैंक मे एक विध्सल ब्लोअर नीति है, जो कि हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

ई. बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक/ भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी सांविधिक / दिशानिर्देशों / निदेशों में दी गई सभी अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का पालन किया है ।

एफ. सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 34 के संदर्भ में, वर्ष 2017-18 के लिए व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट इस रिपोर्ट का हिस्सा है एवं यह हमारे बैंक की वेबसाइट www.iob.in में उपलब्ध कराई गई है

जी. प्रासंगिक वस्तुओं के प्रति इस रिपोर्ट में बताए गए अनुसार गैर अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाया गया है

एच. बैंक कमोडिटी बाजार गतिविधियों का संचालन नहीं करता है।

आई. एमडी व सीईओ तथा ईडी का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित है , जिसका विवरण निम्न रूप से दिया गया है:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि	पारिश्रमिक का ब्यौरा		राशि (रू. में)
				वेतन	पी एफ	
1	श्री आर कोटीस्वरन, दिनांक 30.06.2016को सेवा निवृत्त	प्र.नि व मु.का. अधि	01.04.2017 30.06.2017	182573*	76581*	**259154**
2	श्री अतुल अग्रवाल दिनांक 30.09.2016 को सेवा निवृत्त	का.नि	01.04.2017 30.06.2017	239414*	101205*	**340619**
3	श्री आर सुब्रमण्यकुमार	प्र.नि व मु.का. अधि	01.04.2017 31.03.2018	2624035	249429	2873465
4	श्री के स्वामिनाथन	का.नि	01.04.2017 31.03.2018	2277512	216930	2494442
5	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	का.नि	09.10.2017 31.03.2018	1065933	101517	1167450

*वेतन व पीएफ का बकाया

भारत सरकार के दिनांक 20.07.2015 के परिपत्र सं. 15/1/2011- बी.ओ.1 के अनुसार बैंक गैर कार्यपालक निदेशक को प्रति बोर्ड बैठक रू.20000/- बैठक शुल्क व रू. 10000/- प्रति समिति बैठक के अलावा किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं प्रदान करता।

t) Address for Correspondence:

Share transfers, dividend payment and all other investor related activities are attended to and processed at the office of Cameo Corporate Services Ltd., Registrars & Share Transfer Agents. Shareholders may lodge the transfer deeds and any other documents, grievances and complaints at their address:

Cameo Corporate Services Ltd.

(Unit-IOB) Subramanian Building, V Floor

No.1 Club House Road, Chennai-600 002

Tel: 044-28460395 Fax: 28460129 email:cameo@cameoindia.com

The Bank has an Investor Relations Cell at its Central Office to handle the complaints and service requirements of the shareholders at the following address:

Indian Overseas Bank
Investor Relations Cell, Central Office, 763, Anna Salai
Chennai-600 002
Tel: 044-28519654, 71729791, 28415702, Fax : 044-28585675
email: investor@iobnet.co.in / investorcomp@iobnet.co.in

Disclosures

a. Disclosures as to Related Party Transactions of Key Managerial Personnel i.e. Whole Time Directors are being reviewed on a quarterly basis by the Audit Committee of the Board.

b. There are no significant related party transactions of the Bank with its directors, management or their relatives etc that would have potential conflict with the interests of the Bank at large.

c. SEBI vide its Adjudicating Order EAD-2/DSR/RG/2437/1/2018 dated 24.01.2018 had imposed a penalty of Rs.2.00 lakhs on our Bank under Section 15HB of the SEBI Act 1992. The penalty was imposed due to certain non compliance and the penalty amount was paid on 12.03.2018.

   Except for the above, no other penalties were imposed or strictures passed on us by Stock Exchanges/SEBI /any statutory authority on any matter related to capital markets during the last three years ended 31.03.2018.

d. Bank has a Whistle Blower Policy and affirmed that no personnel has been denied access to the Audit Committee as per CVC guidelines and the same is disclosed in our website.

e. The Bank has complied with all the mandatory requirements to the extent provided for in the statutes/guidelines/directives issued from time to time by RBI/Government of India to the nationalized banks.

f. In terms of Regulation 34 of SEBI (LODR), Business Responsibility Report for the year 2017-18 forms part of this Report and is made available in our Bank's website: www.iob.in

g. The Non Mandatory requirements have been adopted as stated in this report against the relevant items.

h. The Bank does not undertake commodity market activities.

i. The remuneration of MD & CEO and EDs is fixed by the Government of India. The details of remuneration paid to the MD & CEO and EDs are detailed below:

S No	Name	Designation	Period	Details of Remuneration		Amount (Rs)
				Salary	PF	
1	Mr R Koteeswaran Superannuated on 30.06.2016	MD & CEO	01.04.2017 30.06.2017	182573*	76581*	**259154**
2	Mr. Atul Agarwal Superannuated on 30.09.2016	ED	01.04.2017 30.06.2017	239414*	101205*	**340619**
3	Mr R Subramaniakumar	MD & CEO	01.04.2017 - 31.03.2018	2624035	249429	**2873465**
4	Mr K Swaminathan	ED	01.04.2017 - 31.03.2018	2277512	216930	**2494442**
5	Mr Ajay Kumar Srivastava	ED	09.10.2017 - 31.03.2018	1065933	101517	**1167450**

*Arrears of Salary and PF

The Bank does not pay any remuneration to the non executive directors except sitting fee fixed by Government of India which is Rs.20,000/- per Board Meeting and Rs.10,000/- per Committee Meeting in terms of GOI Circular No.15/1/2011- BO.1 dated 20.07.2015.

के सेबी(एलओडीआर) के विनियमन 17 (8) के अनुसार सीईओ और सीएफओ का प्रमाणपत्र बैंक के निदेशक मंडल को सौंप दिया गया है और एक प्रति इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है

एल सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 34 के संदर्भ में, वर्ष 2017-18 के लिए बैंक में कॉर्पोरेट शासन पर वैधानिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों से प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है और यह इस रिपोर्ट के साथ अनुबंधित है।

एम बैंक की लाभांश वितरण नीति इस रिपोर्ट का हिस्सा है एवं यह बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर उपलब्ध है

एन निदेशकों के लिए परिचित कार्यक्रमों का विवरण बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर दिया गया है

बी. गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाएँ

गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाएँ	बैंक द्वारा अपनाई गई
बोर्ड, कंपनी के खर्चे पर गैर कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा एक कार्यालय का मेंटिनेन्स करता है	भारत सरकार द्वारा अबतक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है ।
शेयरधारकों के अधिकार	वित्तीय परिणाम वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाते हैं।
ऑडिट अर्हता	2017-18 की लेखापरीक्षा टिप्पणी में योग्य अभ्युक्ति मौज़ूद नहीं है।
अध्यक्ष व सीईओ के अलग पद	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद को भारत सरकार द्वारा एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष में बांटा गया है ताकि बैंक को पूर्ण नीति निर्देश दिया जा सके और एक पूर्णकालिक कार्यकारी प्रबंध निदेशक और सीईओ बैंक के दिन-प्रतिदिन कार्य की निगरानी कर सकें।
आंतरिक लेखापरीक्षक	बैंक की अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा निरीक्षण है और उनकी रिपोर्ट आवधिक रूप से समीक्षा हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

चेन्नै **(आर. सुब्रमण्यकुमार)**

29.05.2018 प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

k. The Certificate of CEO and CFO in accordance with Regulation 17(8) of SEBI (LODR) has been submitted to the Board of Directors of the Bank and a copy is attached to this report.

l. In terms of Regulation 34 of SEBI (LODR), a certificate has been obtained from the Statutory Central Auditors on corporate governance in the Bank for the year 2017-18 and the same is annexed to this report.

m. The Dividend Distribution Policy of the Bank forms part of this Report and is available on the Bank's website at www.iob.in

n. Details of familiarization programmes for Directors have been given on the Bank's website at www.iob.in

B. NON MANDATORY REQUIREMENTS:

Non Mandatory Requirements	Our Adoption
The Board – Maintenance of an office by a non executive Chairman at the company's expense	Bank has not provided office for the non-executive Chairman
Shareholders Rights	The financial results are displayed in our website.
Audit Qualification	The Audit Reports for the year 2017-18 do not contain qualified remarks.
Separate post of Chairman and CEO	The post of Chairman and Managing Director of Public Sector Banks has been bifurcated by the Government of India into a non-executive Chairman to give an overall policy direction to the Bank and a full time executive Managing Director & CEO to oversee the day to day functioning of the Bank.
Internal Auditor	The Bank has its own Internal Audit/Inspection and their reports are periodically placed to the Audit Committee for review.

For and on behalf of the Board of Directors

Chennai **(R. Subramaniakumar)**

29.05.2018 Managing Director & CEO

निदेशकों का जीवन परिचय DIRECTORS PROFILE

1. श्री टी सी ए रंगनाथन
अध्यक्ष

आयु व जन्म तिथि 64 वर्ष- 19.11.1953

योग्यता स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र

नियुक्ति की तिथि 16.02.2017

वर्तमान टर्म की समाप्ति तिथि
15.02.2020

अनुभव

संत स्टीफेन कॉलेज , दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से स्नातक/ स्नातकोत्तर करने के उपरांत श्री टी सी ए रंगनाथन का 39 वर्षों का बैंकिंग अनुभव है।

श्री टी सी ए रंगनाथन ने फरवरी 2010 से नवंबर 2013 के दौरान एक्सिम बैंक में सीएमडी के रूप में कार्य किया। एक्सिम बैंक के अध्यक्ष के रूप में , वे भारत सरकार के कुछ विदेशी पहलों जैसे कि इंडो –साउथ अफ्रिका सीईओ फोरम, इंडो आफ्रीका बिजनेस काउंसिल,इंडो- म्यांमार संयुक्त व्यापार व निवेश फोरम , इत्यादि ।

श्री टी सी ए रंगनाथन ने अपने करियर की शुरुआत भारतीय स्टेट बैंक से की जहाँ उन्होंनेशाखा प्रमुख/ शाखा नियंत्रक के रूप में घरेलू बैंक़िंग कार्य करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग , कॉर्पोरेट वित्त, निवेश बैंकिंग क्षेत्रों में भी कार्य किया और निम्न पदों पर कार्य किया:

- 2009-2010 के दौरान स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर व जयपुर में प्रबंध निदेशक के रहे
- 2007-2009 के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महा प्रबंधक के रूप में कार्य किया
- 2005-2007 के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य किया
- 2004-05 के दौरान उत्तर भारत में महा प्रबंधक और मिड कॉर्पोरेट हेड ,क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में कार्य किया
- 2001-2004 के दौरान एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड के वरिष्ठ वाइस प्रेसिडेंट एवं नार्थ इंडिया हेड के रूप में कार्य किया ।
- वर्ष 2000-2001 के दौरान नई तकनीक के शुभारंभ और प्रबंधन पहल में परिवर्तन हेतु भारतीय स्टेट बैंक द्वारा स्थापित तकनीकी योजना ग्रुप के सदस्य के रूप में कार्य
- वर्ष 1997-1999 के दौरान नव गठित ऋण मूल्यांकन कक्ष, भारतीय स्टेट बैंक के हेड
- वर्ष 1995-1997 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक (पश्चिमी राजस्थान) के रूप में कार्यरत

1. Shri. T C A Ranganathan
Chairman

Age and Date of Birth: 64 years - 19.11.1953

Qualification: MA (Economics)

Date of Appointment: 16.02.2017

Date of expiry of the current term: 15.02.2020

Experience:

Shri T. C. A. Ranganathan has over 39 years of banking experience after completing his graduation/ post-graduation in Economics from St. Stephen's College, Delhi School of Economics.

Shri T. C. A. Ranganathan served as the Chairman and Managing Director of Export-Import Bank of India from February 2010 to November 2013. As Chairman of Exim Bank, he had been a member of several Government of India overseas initiatives such as Indo-South Africa CEO Forum, Indo-Africa Business Council, Indo-Myanmar Joint Trade and Investment Forum etc.

Shri T C A Ranganathan started his career with State Bank of India wherein he had diverse assignments in International Banking, Investment Banking, Corporate Finance and Consultancy, in addition to Domestic Banking as Branch Head/ Branch Controller and also held the following positions :

- Managing Director of State Bank of Bikaner & Jaipur from 2009-2010.
- Chief General Manager of State Bank of India from 2007-2009
- Chief Executive Officer of State Bank of India from 2005-2007
- General Manager and Head of the Mid Corporate Regional Office for North India (2004-05)
- Senior Vice President and North India Head of SBI Capital Markets Ltd. (2001-2004)
- Member of Technology Planning Group set up by SBI for introducing new technology and change management initiatives (2000-2001)
- Head of Credit Appraisal Cell of the newly formed Commercial Network, State Bank of India, New Delhi (1997-1999)
- Regional Manager of SBI (Western Rajasthan) (1995-1997).

उनके पूर्व के अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों में चीन (एसबीआइ , शंघाई) में पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंकिंग परिचालन का शुभारंभ , नार्थ अमरीका, अफ्रीका व एशिया में विभिन्न एसबीआई सहायकों में बोर्ड में पदासीन रहना, इत्यादि शामिल रहे।

वर्तमान में वे आइटीसी जेनेवा (एक यूनडीपी संगठन) से संबंद्ध होने के साथ-साथ एनएसई /बीएसई /एनसीडीईएक्स /इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन के पैनलों के ज़रिए निर्णायक के रूप में कार्य करने के अलावा दो यू.एस .आधारित अंतरराष्ट्रीय परामर्शन संगठनों -मेसर्स गेर्सन लेहमान ग्रुप और मेसर्स बोवर एशिया ग्रुप के साथ भी संबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने अंतराष्ट्रीय व्यापार/ घरेलू अर्थव्यवस्था संबंधी मुद्दों विभिन्न आर्थिक समाचार- पत्रों एवं मैगजीनों में कॉलम लिखे हैं।

उनके पास बैंक की इक्विटी शेयरधारिता नहीं है।

अन्य निदेशकता

श्री टी सी ए रंगनाथन निम्न मंडलों के गैर कार्यकारी निदेशक है:

ए. आइएलएफएस मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड

बी. एसआइएस लिमिटेड

सी. आरएएल ग्राहक उत्पाद लिमिटेड

डी. ओरियंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड

2. श्री आर सुब्रमण्यकुमार

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

29.09.2016 को कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला।

उन्हें 11.11.2016 से दिनांक 10.02.2017 तक तीन महीने की अवधि के लिए एवं दिनांक 28.02.2017 से अतिरिक्त तीन महीने की अवधि के लिए प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

05.05.2017 से एमडी व सीईओ के पद पर नियुक्त

आयु व जन्म तिथि 59 वर्ष – 15.06.1959

योग्यता : बीएससी, सीएआइआइबी, कंप्यूटर विज्ञान में पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा, सीआइएसए, सीआइएसएम

नियुक्ति की तिथि 29.09.2016 (ईडी के रूप में)
05.05.2017 (एमडी व सीईओ के रूप में)

वर्तमान टर्म की समाप्ति तिथि 30.06.2019

अनुभव

आईओबी में आने के पूर्व 22 जनवरी 2016 तक वे इंडियन बैंक के कार्यपालक निदेशक थे। इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में, वह खुदरा, एमएसएमई और अन्य व्यावसायिक वर्टिकल के शुभारंभ के साथ व्यापार परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।उन्होंने नए उत्पादों और सेवाओं के साथ डिज़िटल बैंकिंग परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शुरुआत में श्री आर. एस.कुमार पंजाब नेशनल बैंक में शामिल हुए और तीन दशकों से अधिक समय तक वहाँ कार्य किया। पंजाब नेशनल बैंक में अपने कार्यकाल के दौरान, वह बीपीआर अभ्यास के साथ बैंक के कोर बैंकिंग कार्यान्वियन और प्रौद्योगिकी पहलों का नेतृत्व किया, और एचआर, वैकल्पिक चैनल, प्रौद्योगिकी, खुदरा, एमएसएमई, नई व्यावसायिक पहलों में परिवर्तन अभ्यास , आदि क्षेत्रों में परिवर्तन अभ्यास- "प्रगति" का नेतृत्व किया ।

His earlier International experiences include starting the first Indian Commercial Banking operations in China (SBI Shanghai) and Board positions in various SBI subsidiaries in North America, Africa and Asia.

Currently, he is associated with ITC Geneva (a UNDP organization) as also 2 US based international consultancy organizations – M/s. Gerson Lehman Group and M/s. Bower Asia Group apart from working as an arbitrator through the panels of NSE/BSE/NCDEX/Indian Council of Arbitration in addition to contributing columns in various economic newspapers and magazines on issues relating to international trade/ domestic economy.

He does not hold any shares of the Bank.

Other Directorships:

Shri T C A Ranganathan is an independent non executive Director on the boards of :

a) ILFS Maritime Infrastructure Company Ltd.
b) SIS Ltd.
c) RAL Consumer Products Ltd.
d) Orient Electric Limited

2. Shri R Subramaniakumar

Managing Director & CEO

Appointed as Executive Director with effect from 29.09.2016

Entrusted with the Additional charge of MD & CEO for a period of 3 months from 11.11.2016 to 10.02.2017 and for a period of another 3 months from 28.02.2017.

Appointed as MD & CEO w.e.f. 05.05.2017

Age and Date of Birth: 59 Years – 15.06.1959

Qualification: B.Sc., CAIIB, Post Graduate Diploma in Computer Science, CISA, CISM

Date of Appointment: 29.09.2016 (as ED) /
05.05.2017 (as MD & CEO)

Date of expiry of the current term: 30.06.2019

Experience:

Prior to joining IOB, Shri. R. Subramaniakumar was Executive Director of Indian Bank since 22nd January 2016. As Executive Director of Indian Bank, he was instrumental in bringing the business transformation with introduction of Retail, MSME & other business verticals. He spearheaded Digital Banking transformation with new products & services. Earlier, Shri. R. S. Kumar joined Punjab National Bank and served for more than three decades. During his stint in Punjab National Bank, he lead the core banking implementation and technology initiatives of the Bank, along with BPR exercise, and lead the “Pragati” – transformation exercise across HR, Alternate Channel, Technology, Retail, MSME, New Business Initiatives, etc.

वह भूटान के "ड्रुक पीएनबी" के बोर्ड में थे। उन्होंने पीएनबी में अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न व्यावसायिक वर्टिकलों में कार्य किया है और साथ ही उन्होंने पीएनबी में अपने कार्यकाल के दौरान अंचल प्रमुख के रूप में भी कार्य और वर्टिकल में कई अभिनव बैंकिंग समाधान पेश किए हैं। उनके अभिनव आरआरबी सीबीएस मॉडल को कई अन्य बैंकों द्वारा अपनाया गया । इसके साथ ही उन्होंने एफआइ मॉडल में भी अपना योगदान दिया।

ग्राहक सेवा विकास का हिस्सा रहते हुए उन्होंने कई ग्राहक सेवा वृद्धि पहल जिसमें "ग्राहक पहले" की धारणा का शुभारंभ करने के अलावा पीएनबी में संपर्क केंद्र की स्थापना की ।

टेक्नो बैंकर होते हुए , उन्होंने प्रौद्योगिकी व वित्तीय समावेशन विषयक विभिन्न आइबीए तथा आइडीआरबीटी समितियों में योगदान दिया और वे स्मार्ट कार्ड तथा माइक्रो एटीएम स्टैंडड्रस समिति के कोर सदस्य थे। वे आइडीआरबीटी, हैदराबाद तथा भारिबैं प्रशिक्षण केन्द्र, चेन्नै में अतिथि संकाय थे।अपने 36 वर्ष के बैंकिंग करियर में उन्होंने विभिन्न पदों पर और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया ।

उनके पास बैंक की इक्विटी शेयरधारिता नहीं है।.

अन्य निदेशकता - शून्य

3. श्री के स्वामीनाथन
कार्यपालक निदेशक

आयु व जन्म तिथि 55 वर्ष – 30.07.1962

योग्यता बीकॉम, सीएआइआइबी, सीएफए,एआइसीडब्ल्यूए

नियुक्ति की तिथि 17.02.2017

वर्तमान टर्म की समाप्ति तिथि 16.02.2020

अनुभव

श्री के स्वामीनाथन ने 10.06.1985 को चेन्नै परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में बैंक में शामिल हुए तथा बैंकिंग के सभी आयामों का ज्ञान व अनुभव प्राप्त करते हुए भारत के विभिन्न ग्रामीण/ अर्ध- शहरी / शहरी /प्रशासनिक कार्यालयों में कार्य किया। उनका हांग- कांग में भी चार वर्षों का कार्यकाल रहा।

वे मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में मदुरै व हैदराबाद क्षेत्र के प्रमुख रह चुके हैं। महा प्रबंधक के रूप में उनकी पदोन्नति 01.09.2014 को हुई और उन्हें कॉर्पोरेट ऋण पुनर्संरचना विभाग तथा मिड कॉर्पोरेट विभाग के महाप्रबंधक के रूप में केंद्रीय कार्यालय में तैनात किया गया।

कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत होने के पूर्व उन्होंने महा प्रबंधक के तौर पर मुंबई अंचल जिसमें 07 क्षेत्र शामिल हैं, के अंचल प्रमुख के रूप में कार्य किया । गुणवत्ता आस्तियों मे सुधार , टीएटी को कम करना , अनर्जक आस्तियों की वसूली , ग्राहक डिलाइट पर जोर देना, इत्यादि आने वाले दिनों में उनके प्रमुख एजेंडा हैं।

उनके पास बैंक के 1300 इक्विटी शेयर हैं।

अन्य निदेशकता शून्य

He was on the Board of "Druk PNB", Bhutan. He has experience across various business verticals and also served as Zonal Head during his tenure at PNB and introduced many innovative banking solutions across the verticals. His innovative RRB CBS model was adopted by many other banks. He also championed the FI model.

As part of customer service enhancement exercise, he established the contact centre practice in PNB apart from introducing many Customer Service enhancing initiatives including "Customer First" concept.

Being a techno Banker, he contributed in various IBA & IDRBT committees on technology & FI and was core member of the Smart Card and Micro ATM Standards Committee. He was a guest faculty at IDRBT, Hyderabad and RBI Staff Training College, Chennai. He has worked in various positions and geographies during his career spanning 36 years in the industry.

He does not hold any shares in our Bank

Other Directorships: Nil

3. Shri K Swaminathan
Executive Director

Age and Date of Birth: 55 Years – 30.07.1962

Qualification: B.Com., CAIIB, C.F.A.,AICWA

Date of Appointment: 17.02.2017

Date of expiry of the current term: 16.02.2020

Experience:

Shri K Swaminathan joined the Bank on 10.6.1985 as Probationary Officer at Chennai and worked at various Branches under different capacities in Rural/Semi urban and urban Branches/administrative offices pan India gaining rich experience and knowledge in all domain of Banking. He also had a four year stint in Hongkong.

Shri K Swaminathan headed Madurai and Hyderabad Regions as Chief Regional Manager and contributed significantly for the development of the Bank. He was elevated as General Manager on 1.9.2014 and posted to Central Office as GM of Corporate Debt Restructuring Department and Mid Corporate Department.

Before his elevation as Executive Director, he was heading Mumbai Zone, comprising of 7 western Regions. Improving quality assets, minimizing TAT, recovering Non Performing Assets and targeting customer delight are his main agenda for the days to come.

He holds 1300 equity shares of the Bank.

Other Directorships: Nil

4. श्री अजय कुमार श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

आयु व जन्म तिथि 50 वर्ष – 15.10.1967

योग्यता बी.एससी (ऑनर्स), सीएआइआइबी भाग 1

नियुक्ति की तिथि 09.10.2017

वर्तमान टर्म की समाप्ति तिथि 08.10.2020

अनुभव

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव ने 09.10.2017 को कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इसके पूर्व वे इलाहाबाद बैंक में फील्ड महा प्रबंधक – दिल्ली के रूप में कार्यरत थे।

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1991 में इलाहाबाद बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में की और अपने 27 वर्ष के बैंकिंग करियर में उन्होंने देश के विभिन्न भागों ,जिसमें फील्ड और प्रशासनिक कार्यालय शामिल हैं , में विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया। वे एक विद्वान/ कार्यकुशल और हार्डकोर बैंकर हैं जिन्हें फील्ड का विशाल अनुभव है तथा उन्हें उत्तर प्रदेश, गुजरात एवं दिल्ली के बड़े व महत्वपूर्ण क्षेत्रों का नेतृत्व करने का अनुभव प्राप्त है। उन्होंने सकारात्मक संरचनात्मक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी हैं और क्षेत्र में विभिन्न वर्टिकल का नेतृत्व करते समय कई नए पहलों का शुभारंभ किया है। श्री श्रीवास्तव ने भारत व विदेशों में कुछ प्रतिष्ठित प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

उनके पास बैंक की इक्विटी शेयरधारिता नहीं है।

अन्य निदेशकता - शून्य

5. सुश्री ऐनी जॉर्ज मैथ्यू
सरकार नामिती निदेशक

आयु व जन्म तिथि 54 वर्ष - 21.10.1963

योग्यता विज्ञान में एमएससी

नियुक्ति की तिथि 22.07.2016

वर्तमान टर्म की समाप्ति तिथि भारत सरकार के अगले आदेश तक

अनुभव

अभी वर्तमान में व्यय विभाग, भारत सरकार में संयुक्त सचिव हैं।

उनके पास बैंक की इक्विटी शेयरधारिता नहीं है।

अन्य निदेशकता शून्य

6. श्री निर्मल चंद
भारतीय रिज़र्व बैंक का नामिती निदेशक

आयु व जन्म तिथि 57 वर्ष - 31.01.1961

योग्यता : पंजाब विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर, एमबीए व सीएआइआइबी

नियुक्ति की तिथि 13.03.2014

वर्तमान टर्म की समाप्ति तिथि भारत सरकार के अगले आदेश तक

4. Shri Ajay Kumar Srivastava
Executive Director

Age and Date of Birth: 50 Years – 15.10.1967

Qualification: B.Sc (Hons), CAIIB Part I

Date of Appointment: 09.10.2017

Date of expiry of the current term: 08.10.2020

Experience:

Shri Ajay Kumar Srivastava has assumed Office as Executive Director of Indian Overseas Bank on 9th October 2017. Prior to this he was working as Field General Manager- Delhi with Allahabad Bank.

He started his banking career as Probationary Officer in 1991 with Allahabad Bank and during his banking career spanning over 27 years, he has worked in various capacities in different parts of the country which include Field as well as Administrative Offices. He is an astute and hardcore banker with vast field level experience and has the distinction of having successfully led the largest and most critical areas of Uttar Pradesh, Gujarat and Delhi. He has been instrumental in bringing positive structural and cultural changes and took many new initiatives while heading different verticals in the field. Mr Srivastava has undergone some very prestigious training programmes both in India and abroad.

He does not hold any shares in our Bank.

Other Directorships: Nil

5. Ms Annie George Mathew
GoI Nominee

Age and Date of Birth: 54 years - 21.10.1963

Qualification: M. Sc.,

Date of Appointment: 22.07.2016

Date of expiry of the current term: Until further orders from Government of India

Experience:

Ms.Annie George Mathew is presently the Joint Secretary, Department of Expenditure, Government of India.

She does not hold any equity shares of the Bank

Other Directorships: Nil

6. Shri. Nirmal Chand
RBI Nominee

Age and Date of Birth: 57 years - 31.01.1961

Qualification:

Post Graduate from Punjab University, M.B.A. , CAIIB

Date of Appointment: 13.03.2014

Date of expiry of the current term: Until further orders from Government of India

अनुभव

श्री निर्मल चंद 1986 में भारतीय रिज़र्व बैंक में शामिल हुए। उन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न कार्यालयों में कई पद पर कार्य किया। पूर्व में उन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय, मुंबई के साथ-साथ कोलकाता, जयपुर, नई दिल्ली और रायपुर में अवस्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग , गैर- बैंकिंग पर्यवेक्षण , करेंसी प्रबंधन और भुगतान प्रणाली विभाग में कार्य किया । श्री निर्मल चंद भारतीय रिज़र्व बैंक , तिरुवनंतपुरम के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्य किया था जिसका अधिकार क्षेत्र केरल राज्य और संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप तक फैला हुआ है। उसके बाद उन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक , चंडीगढ़ के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्य किया । वर्तमान में उनका स्थानांतरण मुख्य महा प्रबंधक के रूप में मुंबई हो गया।

उनके पास बैंक की इक्विटी शेयरधारिता नहीं है।

अन्य निदेशकता शून्य

7. श्री संजय रुंगटा
शेयरधारक निदेशक

आयु व जन्म तिथि 52 वर्ष –26.01.1966

योग्यता बी.कॉम , एफ.सी.ए., एफ.ए.एफ.पी.

नियुक्ति की तिथि 08.12.2017

वर्तमान टर्म की समाप्ति तिथि 07.12.2020

अनुभव

श्री संजय रुंगटा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया और चार्टेड अकाउंटेंट के रूप में कार्य कर रहे है , उन्हें बैंकिंग, वित्त व कर- निर्धारण तथा सार्वजनिक/ प्राइवेट बैंक के लिए कार्य करने का 28 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वे मेसर्स एस. पी.रुंगटा एवं एसोसियेटस के वरिष्ठ प्रबंध पार्टनर हैं साथ ही वे डीएमकेएच इनसोल्वेंसी रेसूल्यूसन सर्विस एलएलपी में भी पार्टनर हैं।

श्री रूंगटा 'दिवाला और दिवालियापन बोर्ड ऑफ इंडिया' (आईबीबीआई) के साथ 'पंजीकृत दिवालियापन पेशेवर' (आईपी) है। श्री संजय रुंगटा आइसीएआइ द्वारा नामित ''पियर रीव्युअर्स'' के पैनल में शामिल हैं और उन्होंने विभिन्न सीए फर्मों की पियर समीक्षा की है। बैंकिग जगत में लेखापरीक्षा के अपने वृहत अनुभव के अलावा उन्होंने कई प्राइवेट व पब्लिक सेक्टर कारपोरेशन, बीमा कंपनियों, केंद्रीय सहकारी समितियों, सरकारी कंपनियों का विभिन्न प्रकार से लेखापरीक्षण किया है।

विगत 28 वर्षों में उनके द्वारा बैंक की शाखाओं में विभिन्न प्रकार की लेखा परीक्षा जैसे नियमित आंतरिक निरीक्षण , संपार्श्विक लेखा परीक्षा , सांविधिक लेखा परीक्षा एवं स्टॉक लेखा परीक्षा , प्राथमिक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन , सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ओर से बड़े कॉर्पोरेट घरेलू उधारकर्ताओं का प्रबोधन और समुचित सावधानी बरतना, इत्यादि किया जा रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक के सीडीआर

कक्ष के अंतर्गत निगरानी संस्थान के सीडीआर क्रियाविधि के तहत बड़े उधारकर्ताओं हेतु संपार्श्विक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किए गये हैं। उन्होंने भारत और विदेशों में व्यापक रूप से यात्रा की है। उनके विशेष दिलचस्पी बैंकिंग, वित्त, सहकारी क्षेत्र और सामाजिक कार्य आदि में हैं।

उनके पास बैंक के 600 इक्विटी शेयर हैं।

अन्य निदेशकता शून्य

Experience:

Shri Nirmal Chand joined Reserve Bank of India in 1986. He has held several positions in RBI's various Offices. He has earlier worked in RBI's Central Office at Mumbai as well as other Regional Offices at Kolkata, Jaipur, New Delhi and Raipur in the departments of Banking Supervision, Non-Banking Supervision, Currency Management and Payment Systems. Shri Nirmal Chand was the Regional Director of Reserve Bank of India, Thiruvananthapuram having jurisdiction over State of Kerala and Union Territory of Lakshadweep. Later he was the Regional Director of RBI, Chandigarh. Now he has been transferred to Mumbai as CGM.

He does not hold any shares of our Bank

Other Directorships: Nil

7. Shri Sanjay Rungta,
Shareholder Director

Age and Date of Birth: 52 Years – 26.01.1966

Qualification: B Com., F.C.A., F.A.F.P.

Date of Appointment: 08.12.2017

Date of expiry of the current term: 07.12.2020

Experience:

Shri Sanjay Rungta from Mumbai has done B.Com from Rajasthan University and is a practicing Chartered Accountant with more than 28 years of experience in Banking, Finance & Taxation and has been working for the Public/Private sector Banks. He is a Senior Managing Partner of M/s. S. P. Rungta & Associates, Chartered Accountants. He is also a partner in DMKH Insolvency Resolution Services LLP.

Shri Rungta is a 'Registered Insolvency Professional' (IP) with 'Insolvency & Bankruptcy Board of India'(IBBI). He is also on the panel of "Peer Reviewers" nominated by the ICAI and has also conducted peer reviews of various CA firms in accordance with the ICAI regulations in the last few years. Apart from vast experience of audits of banking industry, he has also handled various types of assignments of many private and public sector corporations, insurance companies, central cooperative societies, government companies.

In the last 28 years he has conducted various kinds of audits of the Bank's Branches like regular internal inspection, Concurrent Audit, Statutory Audit and having conducted stock audit, valuation of primary securities, due diligence and monitoring of large corporate domestic borrowers on behalf of Public Sector Banks.

He was also appointed as concurrent auditor of large borrowers under the CDR mechanism by the Monitoring Institution under CDR cell of RBI.

He has widely travelled in India and abroad. His special interests are Banking, Finance, Cooperative Sector and Social Work etc.

He holds 600 shares of our Bank.

Other Directorships: Nil

8. श्री के रघु
सनदी लेखाकार निदेशक

आयु व जन्म तिथि 52 वर्ष – 09.10.1965

योग्यता बीकॉम व एफसीए

नियुक्ति की तिथि 26.07.2016

वर्तमान टर्म की समाप्ति तिथि 25.07.2019

अनुभव

सीए के.रघु इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट के फेलो सदस्य हैं जिन्हें 26 वर्ष से अधिक का व्यवसायिक अनुभव है और के.रघु व को. चार्टेड अकाउंटेंट , बंगलोर के वरिष्ठ पार्टनर हैं।

सीए के.रघु ने वर्ष 2014-15 में इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तथा 2007 से 2016 के दौरान केंद्रीय कार्यालय के सदस्य के रूप में कार्य किया।

वर्तमान में वें निम्न में सदस्य के रूप में कार्यरत हैं:

- द बोर्ड ऑफ इंटरनैशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स- न्यूयॉर्क.
- सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया तथा द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के सम्मानित सदस्य

सीए के.रघु ने विभिन्न अन्य संस्थानों और सरकारी समितियों में कार्य किया जो कि निम्नवत है :-

- बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आइआरडीए) के बोर्ड के सदस्य
- लेखा मानकों के राष्ट्रीय सलाहकार समिति , एशिया एवं पैशिफिक अकाउंटेंट के कंफिडरेशन के सदस्य -
बैंकों द्वारा एक्सबीआरएल आधारित डेटा प्रस्तुति के कार्यान्वियन के लिए उच्च स्तरीय संचालन समिति
- कॉर्पोरेट प्रशासन, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और कॉर्पोरेट मामलों के अन्य पहलुओं के क्षेत्र में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा गठित कार्यकारी समूह के सदस्य
- प्रतिभूतियों के म्यूचुअल फंड ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पर सलाहकार समिति के सदस्य
- कर्नाटक में एनबीएफसी के क्षेत्रीय निगरानी समिति के सदस्य
- सार्वजनिक वित्त व नीति के राष्ट्रीय नीति की प्रशासनिक निकाय के सदस्य
- प्रत्यक्ष कर का केंद्रीय बोर्ड की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति और क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकारी समिति के सदस्य
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा गठित लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य
- केंद्र व राज्य हेतु सी व एजी द्वारा गठित सरकारी लेखा मानकों की सलाहकार समिति के सदस्य
- कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा गठित कॉर्पोरेट मामलों पर भारत यूके (इंडो- यूके) टास्क फोर्स के सदस्य
- सार्वजनिक वित्त व नीति के राष्ट्रीय नीति की प्रशासनिक निकाय के सदस्य प्रत्यक्ष कर का केंद्रीय बोर्ड की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति और क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकारी समिति के सदस्य
- कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेतु नेशनल फाउंडेशन की सरकारी समिति के सदस्य

उनके पास बैंक की इक्विटी शेयरधारिता नहीं है।

अन्य निदेशकता शून्य

8. Shri K Raghu
Chartered Accountant Director

Age and Date of Birth: 52 Years – 09.10.1965

Qualification: B.Com., FCA

Date of Appointment: 26.07.2016

Date of expiry of the current term: 25.07.2019

Experience:

CA K. Raghu is a Fellow member of the Institute of Chartered Accountants of India with more than 26 years of professional standing and is the senior partner of K. Raghu & Co., Chartered Accountants, Bangalore.

CA K. Raghu served as the President of the Institute of Chartered Accountants of India during 2014-15 and as a member of the Central Council for a period of 9 years from 2007 to 2016.

He is currently a Member of the following:

- The Board of International Federation of Accountants – New York.
- Honorary Member of the Certified Public Accountants of Australia and The Institute of Chartered Accountants of Australia and New Zealand.

CA K. Raghu has served in various other Institutions and Government Committees as under:

- Member of the Board of Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA)
- Member of the Confederation of Asia and Pacific Accountants, National Advisory Committee on Accounting Standards
- Member of the High level Steering Committee for Implementation of XBRL based data submission by Banks.
- Member of the Working Group constituted by the Ministry of Corporate Affairs in the areas of Corporate Governance, Corporate Social Responsibility and other aspects of Corporate Affairs
- Member of the Advisory Committee on Mutual Funds of Securities and Exchange Board of India.
- Member of the Regional Monitoring Committee of NBFCs in Karnataka.
- Member of the Audit Advisory Board constituted by the Office of the Comptroller & Auditor General of India.
- Member of the Government Accounting Standards Advisory Board (GASAB) for Union and the States constituted by C&AG.
- Member of the India-UK (Indo-UK) Task Force on Corporate Affairs constituted by the Ministry of Corporate Affairs.
- Member of the Governing Body of the National Institute of Public Finance and Policy.
- Member of the Central Direct Taxes Advisory Committee (CDTAC) of Central Board of Direct Taxes and on Regional Direct Taxes Advisory Committee (RDTAC).
- Member of the Governing Council of National Foundation for Corporate Governance (NFCG).

He does not hold any shares of our Bank.

Other Directorships: Nil

9.श्री विष्णुकुमार बंसल अपर निदेशक
आयु व जन्म तिथि 64 वर्ष – 06.09.1953
योग्यता सनदी लेखाकार
नियुक्ति की तिथि 08.08.2016
वर्तमान टर्म की समाप्ति तिथि 07.08.2018

अनुभव

श्री विष्णुकुमार बंसल, लगभग 41 वर्षों के समग्र कार्यानुभव के साथ भारत के सबसे अधिक अनुभवी बैंकरों में से एक हैं।

वर्तमान में, वे मॉर्गन स्टेनलीज़ इनवेस्टमेंट बैंकिंग डिविजन, मुंबई, भारत के अध्यक्ष हैं । उनकी अध्यक्षता में, मॉर्गन स्टेनली भारत में सलाहकार और इक्विटी पूंजी बाजार लेनदेन में शीर्ष रैंकिंग निवेश बैंकों में से एक है। दैनिक आधार पर, श्री बंसल भारतीय संस्थागत वित्त के अपने अनुभव और गहन समझ को साझा करते हैं और निगमों को अपनी पूंजी आवश्यकताओं और एम एंड ए रणनीति की संरचना पर रणनीतिक सलाह प्रदान करते हैं। उन्होंने घरेलू और वैश्विक निवेशकों से भारतीय ग्राहकों के लिए पर्याप्त मात्रा में इक्विटी और ऋण पूंजी जुटाने में मदद की है। वे बुनियादी ग्राहकों, बुनियादी ढांचे, बिजली, बैंकिंग, प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य देखभाल आदि जैसे मूल विकास क्षेत्रों में भारत में अपनी अंतर्निहित रुचि बनाने में वैश्विक ग्राहकों के साथ कार्य कर रहे हैं। वे भारतीय ग्राहकों के साथ खनिज़ संपदा जैसे कोयला, तेल व गैस , सीमेंट , रसायन और सामान्य उद्योग को प्राप्त कर अन्य वैश्विक बाज़ारों में विस्तार हेतु भी कार्य करते हैं।

श्री विष्णुकुमार बंसल वित्तीय प्रायोजकों / संप्रभु धन निधि से भारतीय निगमों के लिए विकास पूंजी बढ़ाने में सहयोग प्रदान किया है। इसके अलावा, उनके लिए उपयुक्त निकास रणनीतियों के विकास के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उच्च विकास निवेश के अवसरों की पहचान करने में वित्तीय प्रायोजकों के साथ मिलकर कार्य किया है। उन्होंने

बुनियादी ढांचे / रियल एस्टेट क्षेत्र के विकास के लिए हाल ही में सेबी द्वारा घोषित आईएनआईटी / आरईआईटी जैसे नए नियमों को लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के ऋण एक्सपोजर को मंथन में मदद करेगा।

श्री विष्णुकुमार बंसल मोर्गन स्टैंली के निवेश बैंकिंग अनुभाग में वर्ष 2007 में शामिल हुए । मोर्गन स्टैंली के पूर्व वेवर्ष 1999 से जे.पी. मोर्गन स्टैंली (मोर्गन स्टैंली का संयुक्त उद्यम) के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे। इसके पूर्व वर्ष 1994 से वे जे एम वित्तीय के अध्यक्ष थे । जे एम वित्त के पूर्व श्री बंसल ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 18 वर्षों तक कार्य किया। हाल में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वित्त के प्रमुख के रूप में 10 बिलियन अमेरीकी डॉलर से अधिक के भारत के सभी निर्यातों को हैंडल किया साथ ही वैश्विक बैंकों साथ उक्त हेतु वित्त प्रदान करने हेतु कार्य किया।.

वे भारत के मर्चेंट बैंकरों के एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और प्रमुख वित्तीय और पूंजी बाजार नीतियों को तैयार करने में सहायता करते थे। वे बॉम्बे चैंबर ऑफ कॉमर्स की पूँजी बाजार समिति के सह-अध्यक्ष रहे हैं।

वह सेबी प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सदस्य और सेबी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी के एक सदस्य भी थे। वर्तमान में, वह एसोचैम की राष्ट्रीय पूँजी बाजार समिति के सह-अध्यक्ष हैं। उन्होंने मल्टी बिलियन डॉलर के विनिवेश कार्यक्रमों पर भारत सरकार के साथ बारीकी से काम किया है।

उनके पास बैंक की इक्विटी शेयरधारिता नहीं है।

अन्य निदेशकता शून्य

9. Shri Vishnukumar Bansal **Additional Director**
Age and Date of Birth: 64 Years – 06.09.1953
Qualification: CA
Date of Appointment: 08.08.2016
Date of expiry of the current term: 07.08.2018

Experience:

Shri. Vishnukumar Bansal, is one of India's most experienced investment bankers with around 41 years of overall work experience.

Shri. Vishnukumar Bansal currently serves as the Chairman of Morgan Stanley's Investment Banking Division in Mumbai, India. Under his Chairmanship, Morgan Stanley is one of the top ranked Investment Banks both in Advisory and Equity Capital market transactions in India. On a day-to-day basis, Shri. Bansal brings forth his experience and in-depth understanding of Indian institutional finance and provides strategic advice to corporations on structuring their capital requirements and M&A strategy. He has helped to raise substantial amount of equity and debt capital for Indian clients from domestic and global investors. He works with global clients in framing their inbound interest into India in core growth sectors like infrastructure, power, banking, technology and healthcare, etc.

He also works with Indian clients to help expand into other global markets by acquiring mineral assets such as coal, oil & gas, cement, chemicals and general industrials. Shri. Vishnukumar Bansal helps to raise growth capital for Indian Corporates from financial sponsors/ sovereign wealth funds. Also, works closely with financial sponsors in helping identify high growth investment opportunities across various sectors while developing appropriate exit strategies for them. He has contributed significantly in bringing out new regulations like InvIT/ REIT recently announced by SEBI for

the development of infrastructure /real estate sector which will also help in churning out debt exposures of the Indian banking system.

Shri. Vishnukumar Bansal joined the Investment Banking Division of Morgan Stanley in 2007. Prior to Morgan Stanley, he was the Managing Director at JM Morgan Stanley (Morgan Stanley's erstwhile joint venture) since 1999. Earlier, he was the President of JM Financial since 1994. Prior to JM Financial, Shri. Bansal worked with Indian Oil Corporation (sole canalizing agent for India's oil needs) for 18 years, most recently as the Chief of International Finance where he handled India's oil imports worth over US$ 10 billion a year and worked with global banks for financing the same.

He was the Chairman of the Association of Merchant Bankers of India and assisted in drafting key financial and capital markets policies. He has been the Co-Chairman of the Capital Markets Committee of the Bombay Chamber of

Commerce. He was also one of the longest serving members of the SEBI Primary Markets Advisory Committee and a member of the SEBI Corporate Governance committee. Currently, he is co-chairman of National Capital Market Committee of Assocham. He has closely worked with Government of India on its multi-billion dollar disinvestment programs.

He does not hold any shares of our Bank.

Other Directorships: Nil

10. श्री नवीन प्रकाश सिन्हा
शेयरधारक निदेशक

आयु व जन्म तिथि 55 वर्ष 15.10.1962

योग्यता बी ए (ऑनर्स) अर्थशास्त्र

भारत के बीमा संस्थान से लाइसेंस प्राप्त

नियुक्ति की तिथि 08.12.2017

वर्तमान टर्म की समाप्ति तिथि 07.12.2020

अनुभव

श्री नवीन प्रकाश सिन्हा को वित्त उत्पाद विपणन , मानव संसाधन प्रबंधन और श्रम कानून विशेषरूप से जो पेंशन, ग्रैच्युटी व अन्य कर्मचारी लाभ से संबद्ध है ,का विशाल अनुभव है ।

वित्तीय उत्पाद विपणन :

• हजारीबाग, पटना और हैदराबाद डिवीजन के सीनियर डिवीजनल मैनेजर (इन-चार्ज) के रूप में, वह लक्षित प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए इन डिवीजनों के तहत सभी शाखाओं की मार्केटिंग और सर्विसिंग गतिविधियों दोनों की निगरानी और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार थे।

• क्षेत्रीय प्रबंधक(विपणन) के रूप में , वे अंचल के विपणन रणनितियों के विकास व कार्यांवयन तथा विपणन गतिविधियों के पर्यवेक्षण हेतु जिम्मेदार थे ।

• प्रमुख (पी व जी एस) के रूप में वे समूह पोर्टफोलियो के निवेश में शामिल थे जिसमें वित्तीय बाजारों की दैनिक निगरानी समाहित थी।

मानव संसाधन प्रबंधन :

• क्षेत्रीय प्रबंधक (पी व आइ आर) के रूप में वे अंचल के मानव संसाधन प्रबंधन,जिसमें पदोन्नती व अधिकारियों का पदस्थापन शामिल है, जिम्मेदार रहे।

- जेडटीसी ,गुड़गांव के अतिरिक्त निदेशक और निदेशक के रूप में, वह उत्तरी क्षेत्र के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार थे और उन्होंने इसे उत्कृष्टता के सीखने के केंद्र के रूप में विकसित किया। विशेष रूप से पेंशन, ग्रैच्युइटी और अन्य कर्मचारियों के लाभ से संबंधित श्रम कानून।
- प्रमुख (पी व जी एस) के रूप में वे कॉर्पोरेट कार्यालय के पेंशन व ग्रुप इंश्योरेंस वर्टिकल के विपणन एवं प्रशासन हेतु जिम्मेदार थे।

वर्तमान / भूत में एल आईसी में धारित पद :

- अक्टूबर 2017 से अभी तक निदेशक (अंचल प्रशिक्षण केंद्र) , गुड़गांव के पद पर कार्यरत
- अप्रैल 2017 से सितंबर 2017 तक अतिरिक्त निदेशक (अंचल प्रशिक्षण केंद्र), गुड़गांव
- अप्रैल 2015 से अप्रैल 2017 तक प्रमुख (पेंशन व समूह सेवानिवृत्ति योजनाओं) , केंद्रीय कार्यालय, मुंबई
- अप्रैल 2012 से अप्रैल 2015 तक क्षेत्रीय प्रबंधक (विपणन) , दक्षिण केंद्रीय अंचल , हैदराबाद
- अप्रैल 2011 से अप्रैल 2012 तक क्षेत्रीय प्रबंधक (व्यक्तिगत व औद्योगिक संबंध) दक्षिण अंचल , चेन्नै

10. Shri Navin Prakash Sinha
Shareholder Director

Age and Date of Birth: 55 years 15.10.1962

Qualification: BA (Hons) Economics
Licenciate of Insurance Institute of India

Date of Appointment: 08.12.2017

Date of expiry of the current term: 07.12.2020

Experience:

Shri Navin Prakash Sinha has vast experience in the field of Financial Product Marketing, Human Resource Management and Labour laws especially related to Pension, Gratuity, and other Employees' benefits.

Financial Product Marketing:

- As a Sr. Divisional Manager (In-Charge) of Hazaribagh, Patna and Hyderabad Division, he was responsible for monitoring and controlling both marketing and servicing activities of all branches under these Divisions for achieving targeted performance.
- As a Regional Manager (Marketing), he was responsible for developing and implementing Marketing strategies of the Zone, Supervising marketing activities under Zone.
- As a Chief (P&GS), he was involved in investment of Group portfolio which included daily monitoring of Financial Markets.

Human Resource Management:

- As a Regional Manager (P&IR), he was responsible for human resource management of the zone involving promotion and placement of officers.
- As an additional Director and Director ZTC, Gurgaon, he was responsible for training of all officers & employees of Northern zone and develop it as a learning centre of excellence. Labour laws especially related to Pension ,Gratuity, and other employees' benefits:
- As a Chief (P&GS), he was responsible for marketing and administration of Pension & Group Insurance vertical from Corporate Office.

Post held in LIC at Present/Past

- Director (Zonal Training Centre), Gurgaon from October,2017 till date
- Additional Director (Zonal Training Centre), Gurgaon from April,2017 to September, 2017
- Chief (Pension & Group Superannuation Schemes), Central Office, Mumbai from April, 2015 to April,2017
- Regional Manager (Marketing), South Central Zone, Hyderabad from April, 2012 to April, 2015
- Regional Manager(Personnel & Industrial Relations), Southern Zone, Chennai from April, 2011 to April , 2012

- जुलाई 2010 से अप्रैल 2011 तक राष्ट्रीय संबंध प्रबंधक , चेन्नै
- अगस्त 2007 से जुलाई 2010 तक मुख्य प्रबंधक , मॉरिसस
- मई 2006 से अगस्त 2007 तक सीनियर डिविज़नल मैनेजर (इन – चार्ज), हैदराबाद
- मई 2004 से मई 2006 तक सीनियर डिविज़नल मैनेजर (इन – चार्ज),पटना
- मई 2002 से मई 2004 तक सीनियर डिविज़नल मैनेजर (इन – चार्ज),हजारीबाग

आईओबी में शेयरधारण

उनके पास बैंक के 100 इक्विटी शेयर हैं।

अन्य निदेशकता शून्य

11. श्री एस.ए . नारायण
अंशकालिक गैर अधिकारिक निदेशक

आयु व जन्म तिथि 68 वर्ष 29.09.1950

योग्यता बी. एस.सी (ऑनर्स)
व्यक्तिगत प्रबंधन व
औद्योगिक संबंध में स्नातकोत्तर , एलएलबी (सामान्य)

नियुक्ति की तिथि 27.12.2017

वर्तमान टर्म की समाप्ति तिथि 26.12.2020

अनुभव

श्री एस.ए नारायण ने विभिन्न संस्थानों में कार्य किया है जो कि निम्न रूप से वर्णित है :-

- जून 1998 से जून 2008 तक बीपीसीएल के बोर्ड में निदेशक (एच आर) के रूप में
- 2007 से जून 2008 तक पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड के चेयरमेन
- 2007 से जून 2008 तक पेट्रोनेट कोचीन-कोयंबटूर- करुर लिमिटेड के चेयरमेन
- नुमालिगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के निदेशक के रूप में 06 वर्ष
- भारत शेल लिमिटेड के बोर्ड के निदेशक के रूप में 02 वर्ष
- बीपीसीएल में विलय होने तक कोच्ची रिफाइनरी लिमिटेड के बोर्ड के निदेशक के रूप में
- 02 वर्ष तक भारत के नियोक्ता संघ की एचआर/ आइआर समिति के चेयरमेन
- भारतीय पेट्रोलियम फेडरेशन के प्रशासनिक समिति के सदस्य
- एक दशक तक पेट्रोलियम इंडिया इंटरनेशनल के प्रबंधन समिति के सदस्य
- 02 वर्ष हेतु एशोचैम के एचआरडी पर विशेषज्ञ समिति के सदस्य
- पेट्रोलियम व एनर्जी स्टडी विश्वविद्यालय, देहरादून के शैक्षणिक समिति के सदस्य

श्री एस.ए. नारायण को निम्न क्षेत्रों में विशाल अनुभव है :

- वरिष्ठ उद्योग निदेशक के रूप में, उद्योग नीतियों, मुआवजे, लाभ, आईआर से संबंधित नीतियों, सीएसआर, हिंदी कार्यान्वियन आदि से संबंधित नीतियों को प्रभावित किया।
- पेशेवर और प्रगतिशील मानव संसाधन प्रथाओं को बढ़ावा दिया जिसके परिणामस्वरूप आने वाले वर्षों के लिए 'सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता' और 'ग्रेट प्लेस टू वर्क' के रूप में पुरस्कार प्राप्त हुए।
- विपणन निदेशक व मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला
- पेट्रोल पंप पर ईंधन की गुणवत्ता की निगरानी के लिए प्रत्यक्ष रूप से एंटी-मिलावेशन सेल के प्रभारी

उनके पास बैंक की इक्विटी शेयरधारिता नहीं है।

अन्य निदेशकता शून्य

- National Relationship Manager, Chennai from July, 2010 to April, 2011
- Chief Manager, Mauritius from August, 2007 to July, 2010
- Sr. Divisional Manager (In-charge) of Hyderabad from May, 2006 to August, 2007
- Sr. Divisional Manager (In-charge) of Patna Division from May, 2004 to May, 2006
- Sr. Divisional Manager (In-charge) of Hazaribagh Division from May, 2002 to May, 2004.

He holds 100 shares of our Bank

Other Directorships - Nil

11. Shri S.A.Narayan
Part-time Non-Official Director

Age and Date of Birth: 68 years 29.09.1950

Qualification: B.Sc. (Hons.)
M.A. in Personnel Management &
Industrial Relations, LLB (Gen.)

Date of Appointment: 27.12.2017

Date of expiry of the current term: 26.12.2020

Experience:

Shri S A Narayan has served in various institutions as under:

- Director (HR) on the Board of BPCL – from June 1998 - till June 2008.
- Chairman of Petronet India Ltd from 2007 till June 2008.
- Chairman of Petronet Cochin-Coimbatore-Karur Ltd. 2007 till June 2008.
- Director on the Board of Numaligarh Refinery Ltd. for 6 years
- Director on the Board of Bharat Shell Ltd. for 2 years.
- Director on the Board of Kochi Refineries Ltd. for 5 years until its merger with BPCL.
- Chairman on the HR/IR Committee of Employers' Federation of India for 2 years.
- Founder Member of the Governing Council of Petroleum Federation of India.
- Member of the Management Committee of Petroleum India International for a decade.
- Member of the Expert Committee on HRD of ASSOCHAM for 2 years.
- Member of the Academic Council of University of Petroleum & Energy Studies, Dehra Dun.

Shri S A Narayan has vast experience in the following fields:

- As senior industry Director, significantly influenced industry policies, practices related to compensation, benefits, IR policies, CSR, Hindi Implementation etc.
- Spear-headed the professional and progressive HR practices resulting in awards as 'Best Employer' and 'Great Place to Work' for successive years.
- Held additional charge as Marketing Director and Chief Vigilance Officer.
- Directly in-charge of Anti-adulteration Cell for monitoring fuel quality at petrol Pumps

He does not hold any shares of our Bank

Other Directorships - Nil

घोषणा

इस बात की पुष्टि की जाती है कि बैंक ने मंडल के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन (यानी महा प्रबंधकों) के लिए आचार संहिता निर्धारित की है और इसे बैंक की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने आचार संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की है।

कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

चेन्नै
दिनांक: 29.05.2018

(आर सुब्रमण्यकुमार)
प्रबंध निदेशक व सी इओ

सेवा में,
निदेशक मंडल
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

31 03 2018को समाप्त 12 महीनों के लिए बैंक का वित्तीय विवरण

सेबी (लिस्टिंग बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 (एलओडीआर) के विनियम 17(8) के अनुसार सीईओ / सीएफओ का प्रमाणीकरण

सेबी (लिस्टिंग बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 (एलओडीआर) के विनियम 17(8) के अनुसार,हम प्रमाणित करते हैं कि:

क. हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमने उक्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और नकद प्रवाह विवरण की समीक्षा की है :

i. इन विवरणों में कोई भी विवरण विषय की दृष्टि से गलत नहीं है या इनमें कोई भी तथ्य छोड़ा नहीं गया है या भ्रम पैदा करनेवाले ब्योरे शामिल नहीं हैं ;

ii. ये सभी विवरण बैंक के क्रियाकलापों की सत्य और सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं और ये वर्तमान लेखाकरण मानकों, प्रभावी कानूनों और विनियमों के अनुसार हैं ।

ख. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार बैंक ने वर्ष के दौरान ऐसे कोई लेनदेन नहीं किए हैं जो धोखाधड़ीपूर्ण, गैरकानूनी हों या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करते हों ।

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी लेते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है और इन आंतरिक नियंत्रणों की रचना या परिचालन में यदि कोई कमियां हों, जिसकी जानकारी हमें है और उन्हें सुधारने के संबंध में हमारे द्वारा किए गए उपायों या प्रस्तावित उपायों की जानकारी हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को दी है ।

घ.हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित जानकारी दी है:

i. वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में,

ii. वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में और उन्हें वित्तीय विवरण के नोट्स में प्रकट किया गया है; और

iii. महत्वपूर्ण धोखाधड़ियों की घटनाएं जिनकी हमें जानकारी है और जिनमें प्रबंधन या कर्मचारी शामिल है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग विषयक बैंक की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

(सी हरिदास)
महा प्रबंधक एवं सीए फ ओ

(आर सुब्रमण्यकुमार)
प्रबंध निदेशक व सी इ ओ

चेन्नै
दिनांक: 29.05.2018

DECLARATION

This is to confirm that the Bank has laid down a code of conduct for all the Board Members and Senior Management (i.e., General Managers) of the Bank and the said code is posted on the website of the Bank. The Board Members and Senior Management have affirmed compliance with the Code of Conduct.

For Indian Overseas Bank

Chennai
Date: 29.05.2018

R Subramaniakumar
Managing Director & CEO

To
The Board of Directors
Indian Overseas Bank

Financial Statements of the Bank for the 12 months ended 31.03.2018

CEO/CFO Certification as per Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR)

In terms of Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR), we certify that:

A. We have reviewed the financial statements and the cash flow statement for the year and to the best of our knowledge and belief:

i. These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

ii. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

B. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's Code of Conduct.

C. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

D. We have indicated to the auditors and the Audit Committee

i. Significant changes in internal control over financial reporting during the year;

ii. Significant changes in accounting policies during the year and the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

iii. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

C Haridas
General Manager & CFO

R Subramaniakumar
Managing Director & CEO

Chennai
Date : 29.05.2018

कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन संबंधी लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक,
चेन्नै
के सदस्यों को

हमने 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, चेन्नै द्वारा कार्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया जैसा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं)विनियम, 2015 के सेबी लिस्टिंग विनियमन की अनुसूची V के पैराग्राफ सी, डी एवं ई तथा विनिपयमन 46(2) के खंड (बी) से (आइ) तथा विनियमन 17 से 27 में निर्धारित किया गया है।

कार्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी कार्पोरेट गवर्नैन्स विषयक प्रमाणीकरण संबंधी मार्गदर्शक नोट के अनुसार हुआ और यह प्रबंधन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वियन तक सीमित था। यह न तो लेखा परीक्षा है न ही यह इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करता है।

हमारे अभिमत एवं जानकारी के अनुसार तथा बैंक द्वारा रखें गए रिकार्डों और दस्तावेजों एवं हमें दी गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सेबी लिस्टिंग विनियमन की अनुसूची V के पैराग्राफ सी, डी एवं ई तथा विनिपयमन 46(2) के खंड (सी) से (एफ) एवं (आइ) तथा विनियमन 17 से 27 में निर्धारित कार्पोरेट गवर्नेन्स संबंधी बैंक पर लागू शर्तों का अनुपालन बैंक द्वारा किया गया है।

साथ ही, हम यह भी सूचित करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है व न ही प्रबंधन की दक्षता या प्रभावात्मकता का, जिससे कि प्रबंधन ने बैंक के कार्यकलाप संपन्न किए हैं।

कृते **हरिभक्ति एंड कम्पनी एलएलपी** सनदी लेखाकार, एफआरएन 103523W/W100048	कृते **तलाटी एंड तलाटी** सनदी लेखाकार एफआरएन 110758डब्ल्यू
(जी. एन. रामस्वामी) साझेदार एम.नं. 202363	**(उमेश तलाटी)** साझेदार एम. नं. 034834
कृते **आर सुब्रमणियन एंड कंपनी एलएलपी** सनदी लेखाकार एफआरएन 004137 एस/एस 200041	कृते **एस ए आर सी एंड ऐशोसिएट्स** सनदी लेखाकार एफआरएन 006085एन
(एन कृष्णमूर्ति) साझेदार एम संख्या 019339	**(सुनील कुमार गुप्ता)** साझेदार एम संख्या 084884

सथान : चेन्नै
दिनांक : 29.05.2018

AUDITORS' CERTIFICATE REGARDING COMPLIANCE OF CONDITIONS OF CORPORATE GOVERNANCE

To
The Members of
Indian Overseas Bank
Chennai

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Indian Overseas Bank ("the bank") Chennai, for the year ended on 31.03.2018, as stipulated in the Regulation 17 to 27 and clauses (b) to (i) of regulation 46 (2) and paragraphs C, D and E of Schedule V of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations").

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was carried out in accordance with the Guidance Note on Certification of Corporate Governance issued by the Institute of Chartered Accountants of India and was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the Regulation 17 to 27 and clauses (c) to (f) and (i) of regulation 46(2) and paragraphs C, D and E of Schedule V of the SEBI Listing Regulations, to the extent applicable to the Bank, for the year ended on March 31, 2018.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For **HARIBHAKTI & Co LLP** Chartered Accountants FRN 103523W/W100048	For **TALATI & TALATI** Chartered Accountants FRN 110758W
(G.N.RAMASWAMI) Partner M.No.202363	**(UMESH TALATI)** Partner M.No.034834
For **R SUBRAMANIAN AND COMPANY LLP** Chartered Accountants FRN 004137S/S200041	For **S A R C & ASSOCIATES** Chartered Accountants FRN 006085N
(N KRISHNAMURTHY) Partner M.No.019339	**(SUNIL KUMAR GUPTA)** Partner M.No.084884

Place : Chennai
Date : 29.05.2018

31.3.2018 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS AT 31.03.2018

(रु. हजारों में Rs. in 000's)

		SCHEDULES अनुसूची	AS AT 31.03.2018 तक	AS AT 31.03.2017 तक
पूँजी व देयताएँ	**CAPITAL & LIABILITIES**			
पूँजी	Capital	01	4890 76 99	2454 72 89
आरक्षितियाँ और अधिशेष	Reserves and Surplus	02	8383 21 30	11289 81 88
जमाएं	Deposits	03	216831 81 11	211342 62 67
उधार	Borrowings	04	9228 08 11	16097 67 18
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities & Provisions	05	8634 15 51	5982 64 12
कुल	**TOTAL**		**247968 03 02**	**247167 48 74**
आस्तियाँ	**ASSETS**			
भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ नकदी और अतिशेष	Cash and balances with Reserve Bank of India	06	11579 45 04	11499 96 53
बैंकों में अतिशेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	07	14965 54 04	11723 06 72
निवेश	Investments	08	68645 93 65	71654 12 15
अग्रिम	Advances	09	132488 81 49	140458 61 83
स्थिर आस्तियाँ	Fixed Assets	10	2893 43 38	3054 33 21
अन्य आस्तियाँ	Other Assets	11	17394 85 42	8777 38 30
कुल	**TOTAL**		**247968 03 02**	**247167 48 74**
समाश्रित देयताएँ	Contingent Liabilities	12	58366 44 84	68326 98 57
संग्रहण के लिए बिल	Bills for Collection		15239 37 71	14109 56 06
मूल लेखाकरण नीतियाँ	Significant Accounting Policies	17		
लेखों पर टिप्पणियाँ	Notes on Accounts	18		

अनुसूचियाँ तुलन - पत्र का अंग है। Schedules Form Part of the Balance Sheet

बोर्ड के लिए एवं उसकी ओर से **FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD**

टीसीए रंगनाथन
गैर कार्यकारी अध्यक्ष

T C A Ranganathan
Non Executive Chairman

आर सुब्रमण्यकुमार
एमडी एवं सीईओ

R. Subramaniakumar
MD & CEO

के स्वामिनाथन
कार्यपालक निदेशक

K. Swaminathan
Executive Director

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

Ajay Kumar Srivastava
Executive Director

निर्मल चंद
Nirmal Chand

के रघु
K. Raghu

शिवरामन अनंत नारायण
Sivaraman Anant Narayan

संजय रुंगटा
Sanjay Rungta

श्री विष्णु कुमार बंसल
Vishnukumar Bansal

निदेशक गण DIRECTORS

स्थान : चेन्नै Chennai
दिनांक: 29.05.2018

31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाता
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2018

(रु. हजारों में Rs. in 000's)

		SCHED-ULES अनुसूची	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2018	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2017
आय	**INCOME**			
अर्जित ब्याज	Interest earned	13	17915 21 30	19718 59 89
अन्य आय	Other income	14	3746 43 62	3372 63 53
योग आय	**TOTAL**		**21661 64 92**	**23091 23 42**
व्यय	**EXPENDITURE**			
व्यय किया गया ब्याज	Interest expended	15	12447 63 91	14529 01 88
परिचालन व्यय	Operating expenses	16	5584 92 54	4912 01 23
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	Provisions & Contingencies (Net)		9928 57 52	7066 94 17
योग	**Total**		**27961 13 97**	**26507 97 28**
लाभ / हानि (-)	Profit/ Loss (-)			
वर्ष के लिए लाभ / हानि (-)	Net Profit / Loss (-) for the year		-6299 49 05	-3416 73 86
अग्रणित लाभ / हानि (-)	Profit /Loss (-) brought forward		-6978 94 50	-3423 58 50
घटाएं शेयर प्रीमियम के प्रति सट ऑफ	Less: Set off against Share Premium		6978 94 50	0
अग्रणित लाभ / हानि (-)	Net Profit / Loss (-) brought forward		0	-3423 58 50
योग	**Total**		**-6299 49 05**	**-6840 32 36**
विनियोजन	**APPROPRIATIONS**			
राजस्व आरक्षित निधि में अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		0	0
राजस्व और अन्य आरक्षितियों में अंतरण	Transfer to Revenue and Other Reserves		0	0
पूँजी आरक्षितियों मे अंतरण	Transfer to Capital Reserve		74 20 67	138 62 14
विशेष आरक्षित को अंतरण	Transfer to Speciall Reserve		0	0
प्रस्तावित अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित)	Proposed Dividend (including Dividend Tax)		0	0
तुलन-पत्र में अग्रेषित शेष राशि	Balance carried over to Balance Sheet		-6373 69 72	-6978 94 50
योग	**TOTAL**		**-6299 49 05**	**-6840 32 36**
मूल एवं तनुकृत प्रति शेयर अर्जन (रु.)	Basic & Diluted Earnings per Share (Rs.)		-23.25	-15.78
प्रति इक्विटी शेयर का नाममात्र मूल्य (रु.)	Nominal Value per Equity Share (Rs.)		10.00	10.00

अनुसूचियाँ लाभ व हानि खाता का अभिन्न अंग हैं । Schedules Form Part of the Profit & Loss Account

समतिथि की हमारी रिपोर्ट के जरिए **VIDE OUR REPORT OF EVEN DATE**

कृते हरिभक्ति एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 103523 डब्ल्यू / डब्ल्यू 100048

For HARIBHAKTI & Co LLP
Chartered Accountants
FRN 103523W / W100048

(जी. एन. रामास्वामी)
साझेदार स.सं.202363

(G. N. RAMASWAMI)
Partner M.No. 202363

कृते तलाटी एंड तलाटी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 110758 डब्ल्यू

For TALATI & TALATI
Chartered Accountants
FRN 110758W

(उमेश तलाटी)
साझेदार स.सं. 034834

(UMESH TALATI)
Partner M.No. 034834

कृते आर सुब्रमणयिन एंड कंपनी एलएलपी,
सनदी लेखाकार
एफआरएन 004137एस / एस200041

For R SUBRAMANIAN AND COMPANY LLP
Chartered Accountants
FRN 004137S / S200041

(एन कृष्णमूर्ति)
साझेदार स.सं. 019339

(N KRISHNAMURTHY)
Partner M.No. 019339

कृते एस ए आर सी एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 006805एन

For S A R C & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 006085N

(सुनील कुमार गुप्ता)
साझेदार स.सं. 084884

(SUNIL KUMAR GUPTA)
Partner M.No. 084884

स्थान : चेन्नै Place : Chennai
दिनांक Date : 29.05.2018

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक INDIAN OVERSEAS BANK			
31.03.2018 समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की विवरणी STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31.03.2018			
		रु में Rs. in '000s	
		समाप्त वर्ष Year ended	
		31.03.2018	31.03.2017
परिचालनगत गतिविधियों से नकद प्रवाह	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
आयकर के बाद निवल हानि	**Net Loss after Income Tax**	**-62 99 49 03**	**-34 16 73 85**
जोडें : आयकर हेतु प्रावधान	Add: Provision for Income Tax	59 81 14	2 68 54 63
आयकर से पहले निवल हानि	**Net Loss before Income Tax**	**-62 39 67 89**	**-31 48 19 22**
निम्नवत के लिए समायोजन	**Adjustments for :**		
एचटीएम निवेशों के लिए ऋण परिशोधन	Amortisation of HTM Investments	68 61 89	92 88 23
निवेशों के पूनर्मूल्यांकन से हुई हानि	Loss on Revaluation of Investments	1 86 03 09	16 19 10
नियत आस्तियों पर मूल्यह्रास	Depreciation on Fixed Assets	2 72 47 03	2 14 86 49
आस्तियों की बिक्री पर (लाभ) / हानि	(Profit) / Loss on Sale of Assets	-1 79 39	- 1 23 73
आरक्षितियों से अंतरण	Transfer from Reserves	80 39 55	- 80 10 77
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for NPAs	118 16 37 34	67 77 25 04
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Standard Assets	-4 55 07 04	1 79 88 91
निवेशों पर मूल्य ह्रास	Depreciation on Investments	9 12 38 27	79 95 39
अन्य मदों के लिए प्रावधान	Provision for Other Items	-24 04 92 18	-2 38 69 80
टियर II पूँजी पर प्रदत्त ब्याज	Interest on Tier II Bonds	4 52 78 26	4 48 70 38
उप योग	**Sub total**	**109 27 26 82**	**74 89 69 24**
निम्नवत के लिए समायोजन	**Adjustments for :**		
निक्षेपों में वृद्धि / (ह्रास)	Increase / (Decrease) in Deposits	54 89 18 45	-131 71 61 29
उधारियों में वृद्धि / (ह्रास)	Increase / (Decrease) in Borrowings	-68 69 59 07	-103 55 63 59
अन्य देयताओं व प्रावधानों में वृद्धि / (ह्रास)	Increase / (Decrease) in Other Liabilities & Provisions	55 22 42 95	-21 14 31 73
निवेशों में (वृद्धि) / ह्रास	(Increase) / Decrease in Investments	18 41 15 25	74 51 32 94
अग्रिमों में (वृद्धि) / ह्रास	(Increase) / Decrease in Advances	-38 46 56 99	136 24 79 92
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / ह्रास	(Increase) / Decrease in Other Assets	-72 99 64 49	1 52 41 10
उप योग	**Sub total**	**-51 63 03 90**	**-44 13 02 65**
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (निवल)	Direct Taxes (Net)	-13 17 82 67	-4 33 42 37
परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह (क)	**NET CASH FLOW GENERATED FROM / (USED IN) OPERATING ACTIVITIES(A)**	**-17 93 27 65**	**-5 04 95 00**
निवेश संबंधी गतिविधियों से नकद प्रवाह	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
नियत आस्तियों की बिक्री / निपटान	Sale / disposal of Fixed Assets	6 68 16	6 97 94
नियत आस्तियों की खरीद	Purchase of Fixed Assets	-1 21 74 11	-1 41 83 70
निवेश संबंधी गतिविधियों से उत्पन्न निवल नकद (ख)	**NET CASH GENERATED FROM/(USED IN) INVESTING ACTIVITIES (B)**	**-1 15 05 95**	**-1 34 85 76**
वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
ईक्विटी शेयर निर्गम से धनागम (शेयर प्रीमियम को मिलाकर)	Proceeds of Equity Share Issue (including Share premium)	57 94 00 00	18 12 94 18
टियर । एवं ।। बाँडों का मोचन	Redemption of Tier I & Tier II Bonds	0	-15 30 00 00
बेसल III टियर II बाँडों का विनिर्मोचन	Issue of Basel III Tier II Bonds	0	8 00 00 00
टियर II पूँजी पर प्रदत्त ब्याज	Interest Paid on Tier II Capital	-4 63 70 58	-4 66 33 74

बेमियादी (एटी1) बॉन्ड पर प्रदत्त ब्याज	Interest paid on perpetual (AT1) bonds	-1 00 00 00	-1 00 00 00
भारत सरकार से प्राप्त शेयर आवेदन राशि	Share Application Money received from GOI	0	11 00 00 00
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकद (ग)	**NET CASH GENERATED FROM/(USED IN) FROM FINANCING ACTIVITIES (C)**	**52 30 29 42**	**16 16 60 44**
नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि (क+ख +ग)	**NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A) +(B) + (C)**	**33 21 95 83**	**9 76 79 68**
वर्ष के प्रारंभ में नकद व नकद समतुल्य	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR**		
भा.रि.बैं के साथ नकद व शेष	Cash & Balances with RBI	1 14 99 96 53	1 40 33 49 24
बैंकों के साथ शेष और माँग-द्रव्य	Balances with Banks & Money at Call	1 17 23 06 72	82 12 74 33
वर्ष के अंत में नकद व नकद समतुल्य	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR**		
नकद व भा.रि.बैं के साथ शेष	Cash & Balances with RBI	1 15 79 45 04	1 14 99 96 53
बैंकों के साथ शेष और माँग-द्रव्य	Balances with Banks & Money at Call	1 49 65 54 04	1 17 23 06 72
नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि/ कमीं	**NET INCREASE / DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS**	**33 21 95 83**	**9 76 79 68**

ये विवरण अप्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर तैयार किए गए हैं।

वर्तमान वर्ष के आंकड़ों से तारतम्यता हेतु पिछले वर्ष के आंकड़ों का आवश्यकता अनुसार पुन: समूहन किया गया है।

This Statement has been prepared in accordance with Indirect Method.

*The previous year figures have been reqrouped wherever necessary to conform with the current year figures.

टीसीए रंगनाथन
गैर कार्यकारी अध्यक्ष
T C A Ranganathan
Non Executive Chairman

आर सुब्रमण्यकमार
एमडी एवं सीईओ
R. Subramaniakumar
MD & CEO

के स्वामिनाथन
कार्यपालक निदेशक
K. Swaminathan
Executive Director

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक
Ajay Kumar Srivastava
Executive Director

निर्मल चंद
Nirmal Chand

के रघु
K. Raghu

श्री एस ए नारायण
अंश-कॉलिक गैर कार्यालयी निदेशक
Sivaraman Anant Narayan

संजय रुंगटा
Sanjay Rungta

श्री विष्णु कुमार बंसल
Vishnukumar Bansal

निदेशक गण DIRECTORS

Vide our Report of Even Date

कृते हरिभक्ति एंड कंपनी एलएलपी
For HARIBHAKTI & Co LLP
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआरएन 103523 डब्ल्यू / डब्ल्यू 100048
FRN 103523W / W100048

(जी. एन. रामास्वामी)
(G. N. RAMASWAMI)
साझेदार Partner
स.सं.202363 M.No. 202363

कृते तलाटी एंड तलाटी
For TALATI & TALATI
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआरएन 110758 डब्ल्यू FRN 110758W

(उमेश तलाटी)
(UMESH TALATI)
साझेदार Partner
स.सं. 034834 M.No. 034834

कृते आर सुब्रमणयिन एंड कंपनी एलएलपी,
For R SUBRAMANIAN AND COMPANY LLP
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआरएन 004137एस / एस200041 FRN 004137S / S200041

(एन कृष्णमूर्ति)
(N KRISHNAMURTHY)
साझेदार Partner
स.सं. 019339 M.No. 019339

कृते एस ए आर सी एवं एसोसिएट्स
For S A R C & ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआरएन 006805एन FRN 006085N

(सुनील कुमार गुप्ता)
(SUNIL KUMAR GUPTA)
साझेदार Partner
स.सं. 084884 M.No. 084884

स्थान : चेन्नै Place : Chennai
दिनांक Date : 29.05.2018

अनुसूची-1 पूँजी	SCHEDULE - 1 CAPITAL	AS AT 31.03.2018 तक	AS AT 31.03.2017 तक
		(रु. हज़ार में Rs. in 000's)	
प्राधिकृत पूँजी	**AUTHORISED CAPITAL**		
प्रत्येक रु.10/- के 1000,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष प्रत्येक रु.10/- के 300,00,00,000इक्विटी शेयर)	"1000,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each (Previous year-1000,00,00,000 Equity shares of Rs. 10/- each)"	**10000 00 00**	**10000 00 00**
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत पूँजी	**ISSUED, SUBSCRIBED & PAID UP CAPITAL**	**4890 76 99**	**2454 72 89**
प्रत्येक रु.10/- के 489,07,69,975 इक्विटी शेयर (इसमें भारत द्वारा धारित प्रत्येक रु.10 के 438,90,84,289 शेयर शामिल हैं) पिछले वर्ष प्रत्येक रु.10/- के 245,47,28,928 इक्विटी शेयर (इसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित प्रत्येक रु.10 के 195,30,43,242 शेयर शामिल हैं)	489,07,69,975 Equity Shares of Rs.10/- each (Includes 438,90,84,289 Equity Shares of Rs.10/- each held by Government of India) Previous year 245,47,28,928 Equity Shares of Rs.10/- each (Includes 195,30,43,242 Equity Shares of Rs.10/- each held by Government of India)		

अनुसूची-2 आरक्षितियाँ व अधिशेष	SCHEDULE - 2 RESERVES & SURPLUS	AS AT 31.03.2018 तक	AS AT 31.03.2017 तक
		(रु. हज़ार में Rs. in 000's)	
I.शेयर प्रीमियम	**I. SHARE PREMIUM**		
अथ शेष	Opening balance	7650 06 22	6484 58 36
जोड़ें : परिवर्धन	Add: Additions	3357 95 90	1165 47 86
घटाएँ: कटौतियाँ	Less: Deductions	6978 94 50	0
योग-I	**TOTAL -I**	**4029 07 62**	**7650 06 22**
II.सांविधिक आरक्षिती	**II. STATUTORY RESERVE**		
अथ शेष	Opening balance	2962 11 87	3062 11 87
जोड़ें : परिवर्धन	Add: Additions	0	0
घटाएँ: कटौतियाँ	Less: Deductions	0	1000000
योग-II	**TOTAL -II**	**2962 11 87**	**2962 11 87**
पूँजी आरक्षिती	**III. CAPITAL RESERVE**		
अ.पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती	A. Revaluation Reserve		
अथ शेष	Opening Balance	2165 43 78	2411 61 02
जोड़ें : परिवर्धन	Add: Additions	5 85 02	0
घटाएँ: कटौतियाँ / मूल्य-ह्रास	Less: Deductions / Depreciation	68 02 85	246 17 24
योग-अ	**TOTAL - A**	**2103 25 95**	**2165 43 78**
आ. निवेशों की बिक्री पर	B. On sale of Assets		
अथशेष	Opening Balance	1183 67 30	1045 05 15
जोड़ें : परिवर्धन	Add: Additions	74 20 67	138 62 15
योग-आ	**TOTAL - B**	**1257 87 97**	**1183 67 30**
इ. अन्य	C. Others		
अथशेष	Opening Balance	152 96 61	152 99 01
जोड़ें : परिवर्धन	Add: Additions	- 48	- 2 40
योग - इ	**TOTAL - C**	**152 96 13**	**152 96 61**
योग - III (अ, आ, इ)	**TOTAL - III (A,B,C)**	**3514 10 05**	**3502 07 69**

		AS AT 31.03.2018 तक	AS AT 31.03.2017 तक
		(रु. हज़ार में Rs. in 000's)	
IV. राजस्व व अन्य आरक्षिती	**IV. REVENUE & OTHER RESERVES**		
(ए) अन्य राजस्व आरक्षिती	**A Other Revenue Reserves**		
अथशेष	Opening Balance	2460 56 67	2460 56 67
जोड़ें : परिवर्धन	Add: Additions	817 36 79	0
घटाएँ: कटौतियाँ	Less: Deduction	100 00 00	0
योग-ए	**TOTAL - A**	**3177 93 46**	**2460 56 67**
बी) विशेष आरक्षिती	**B Special Reserve**		
अथशेष	Opening balance	741 60 00	741 60 00
जोड़ें : परिवर्धन	Add: Additions	0	0
घटाएँ: कटौतियाँ	Less: Deduction	741 60 00	0
योग-बी	**TOTAL - B**	**0**	**741 60 00**
(सी) निवेश आरक्षिती खाते	**C Investment Reserve Account**		
अथ शेष	Opening Balance	97 95 58	97 95 58
जोड़ें : परिवर्धन	Add: Additions	0	0
घटाएँ: कटौतियाँ	Less: Deductions	0	0
योग - (सी)	**TOTAL - C**	**97 95 58**	**97 95 58**
(डी) विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिती	**D Foreign Currency Translation Reserve**		
अथशेष	Opening balance	854 38 35	825 65 81
जोड़ें : परिवर्धन	Add: Additions	121 34 06	28 72 54
घटाएँ: कटौतियाँ	Less: Deduction	0	0
योग - (डी)	**TOTAL - D**	**975 72 41**	**854 38 35**
योग - IV (ए,बी,सी व डी)	**TOTAL - IV (A,B,C,D)**	**4251 61 45**	**4154 50 60**
V.लाभ व हानि खाते	**V. PROFIT AND LOSS ACCOUNT**	**-6373 69 72**	**-6978 94 50**
योग (I, II, III, IV & V)	**TOTAL (I, II , III, IV & V)**	**8383 21 30**	**11289 81 88**

अनुसूची-3 जमाएं	**SCHEDULE - 3 DEPOSITS**	AS AT 31.03.2018 तक	AS AT 31.03.2017 तक
		(रु. हज़ार में Rs. in 000's)	
अ I माँग जमाएं	**A. I. DEMAND DEPOSITS**		
i) बैंकों से	i) From Banks	13 75 08	20 57 24
ii) अन्यों से	ii) From Others	12921 78 27	13016 41 66
योग - I	**TOTAL - I**	**12935 53 35**	**13036 98 90**
II.बचत बैंक जमाएं	**II. SAVINGS BANK DEPOSITS**	**66742 31 60**	**63231 56 57**
III. **मीयादी जमाएं**	III. TERM DEPOSITS		
i)बैंकों से	i) From Banks	0	2 36 86
ii)अन्यों से	ii) From Others	137153 96 15	135071 70 34
योग - III	**TOTAL - III**	**137153 96 15**	**135074 07 20**
योग- अ (I, II & III)	**TOTAL - A (I,II & III)**	**216831 81 11**	**211342 62 67**
आ.I)भारत की शाखाओं में जमाएं	B. I) Deposits of branches in India	210387 94 26	205153 95 65
II)भारत के बाहर की शाखाओं में जमाएं	II) Deposits of branches outside India	6443 86 85	6188 67 02
योग - आ	**TOTAL - B**	**216831 81 11**	**211342 62 67**

अनुसूची-4 लिये गये उधार	SCHEDULE - 4 BORROWINGS	AS AT 31.03.2018 तक	AS AT 31.03.2017 तक
		(रु. हज़ार में Rs. in 000's)	
I. भारत में लिए गए उधार	**I. BORROWINGS IN INDIA**		
भारतीय रिज़र्व बैंक	Reserve Bank of India	0	0
अन्य बैंक	Other Banks	0	0
अन्य संस्थाएँ और अभिकरण	Other Institutions & Agencies	2117 61 87	4721 68 00
नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखत (आईपीडीआई)	Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	1300 00 00	1300 00 00
बॉण्ड के तौर पर जारी हाइब्रिड कर्ज पूंजी लिखत	Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	2132 30 00	2132 30 00
अधीनस्थ कर्ज	Subordinated Debt	2390 00 00	2390 00 00
योग (I)	**TOTAL (I)**	**7939 91 87**	**10543 98 00**
II. भारत के बाहर से लिए गए उधार	**II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA**	**1288 16 24**	**5553 69 18**
योग (I व II)	**TOTAL (I & II)**	**9228 08 11**	**16097 67 18**
III. ऊपर I व II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	**III. Secured borrowings included in I & II above**	**2117 61 87**	**4721 68 00**

अनुसूची-5 अन्य देयतायें व प्रावधान	SCHEDULE - 5 OTHER LIABILITIES & PROVISIONS	AS AT 31.03.2018 तक	AS AT 31.03.2017 तक
		(रु. हज़ार में Rs. in 000's)	
I) देय बिल	I. Bills Payable	602 87 38	624 38 84
II) अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	II. Inter Office Adjustments (Net)	0	0
III) प्रोद्भूत ब्याज	III. Interest Accrued	39 28 63	41 35 63
IV) अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं)	IV. Others (including provisions)	7991 99 50	5316 89 65
योग	**TOTAL**	**8634 15 51**	**5982 64 12**

अनुसूची-6 भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष	SCHEDULE - 6 CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	AS AT 31.03.2018 तक	AS AT 31.03.2017 तक
		(रु. हज़ार में Rs. in 000's)	
I) हाथ में नकदी (इसमें विदेशी मुद्रा नोट और एटीएम नकद सम्मिलित हैं)	I. Cash on hand (including Foreign currency notes & ATM cash)	1449 08 35	1155 78 85
II.भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष	II. Balances with Reserve Bank of India		
i) चालू खाते में शेष	i) in Current Account	10134 83 88	10357 61 63
ii) अन्य खातों में शेष	ii) in Other Accounts	-4 47 19	-13 43 95
योग	**TOTAL**	**11579 45 04**	**11499 96 53**

अनुसूची-7 बैंकों में शेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	SCHEDULE - 7 BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	AS AT 31.03.2018 तक	AS AT 31.03.2017 तक
		(रु. हज़ार में Rs. in 000's)	
I.भारत में	I. In India		
i)बैंकों में शेष	i) Balances with banks		
क.चालू ख़ातों में	a) In Current Accounts	100 08 20	79 39 32
ख. अन्य जमा खातों में	b) In Other Deposit Accounts	127 96 24	111 26 64
ii)माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	ii) Money at Call and Short Notice		
क)बैंकों के साथ	a) With banks	12800 00 00	4650 00 00
ख. अन्य संस्थाओं के साथ	b) With other institutions	0	
योग -I	**TOTAL - I**	**13028 04 44**	**4840 65 96**
II.भारत के बाहर	II. Outside India		
क . चालू खातों में	a) In Current Accounts	581 49 15	877 89 07
ख. अन्य जमा खातों में	b) In Other Deposit Accounts	754 66 95	5461 18 69
ग)माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	c) Money at Call and Short Notice	601 33 50	543 33 00
योग -II	**TOTAL - II**	**1937 49 60**	**6882 40 76**
योग -I & II	**TOTAL - I & II**	**14965 54 04**	**11723 06 72**

अनुसूची-8 निवेश	SCHEDULE - 8 INVESTMENTS	AS AT 31.03.2018 तक	AS AT 31.03.2017 तक
		रु. हज़ार में (Rs. in 000's)	
I. भारत में निवेश	**I. INVESTMENTS IN INDIA**		
i)सरकारी प्रतिभूतियाँ	i) Government Securities	56788 74 23	57848 12 03
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	ii) Other Approved Securities	1 33 95	3 10 93
iii) शेयर	iii) Shares	1201 31 97	1333 36 84
iv) डिबेंचर और बंध-पत्र	iv) Debentures and Bonds	2962 91 63	5989 34 09
v) अनुषंगी/ संयुक्त उद्यम	v) Subsidiaries/ Joint Ventures	0	0
vi) अन्य निवेश	vi) Other Investments	4057 05 58	2795 59 91
(म्यूच्युअल फंड, जमाओं की वेंचर पूँजी फंड जमा प्रमाण-पत्र और सी पी में निवेश)	(Investments in Mutual Funds, Venture Capital Funds Certificate of Deposits and CP)		
योग - I	**TOTAL - I**	**65011 37 36**	**67969 53 80**
II) भारत के बाहर निवेश	**II. INVESTMENTS OUTSIDE INDIA**		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारियों समेत)	i) Government Securities (including Local Authorities)	2895 78 39	2967 69 39
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	ii) Other Approved Securities	0	0
iii) शेयर	iii) Shares	8 55	8 72
iv) डिबेंचर और बंध-पत्र	iv) Debentures and Bonds	545 25 18	517 22 72
v) अनुषंगी/ संयुक्त उद्यम	v) Subsidiaries/ Joint Ventures	193 44 17	199 57 52
vi) अन्य निवेश	vi) Other Investments	0	0
योग - II	**TOTAL - II**	**3634 56 29**	**3684 58 35**
योग - (I एवं II)	**TOTAL (I & II)**	**68645 93 65**	**71654 12 15**
भारत में सकल निवेश	**Gross Investments in India**	66619 26 32	68731 71 95
घटाएँ : मूल्यह्रास	Less: Depreciation	1607 88 97	762 18 15
घटाएं : पुर्नसंरचित निवेश पर ब्याज	Less: Interest on Restructured Investments	0	0
निवल विनिधान	**Net Investments**	**65011 37 35**	**67969 53 80**
भारत के बाहर सकल निवेश	**Gross Investments Outside India**	3643 86 92	3685 90 25
घटाएँ : मूल्यह्रास	Less: Depreciation	9 30 62	1 31 90
निवल विनिधान	**Net Investments**	**3634 56 31**	**3684 58 35**
कुल निवल निवेश	**Total Net Investments**	**68645 93 65**	**71654 12 15**

अनुसूची-9 अग्रिम	SCHEDULE - 9 ADVANCES	AS AT 31.03.2018 तक	AS AT 31.03.2017 तक
		रु. हज़ार में	(Rs. in 000's)
क.i) क्रय व डिस्काउंट किए गए बिल	A. i) Bills Purchased & Discounted	2697 83 42	4255 04 65
ii) रोकड़ उधार, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिसंदेय उधार	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	54801 73 00	81028 32 67
iii) सावधि उधार	iii) Term Loans	74989 25 07	55175 24 51
योग	**TOTAL**	**132488 81 49**	**140458 61 83**
ख.i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बहीगत ऋणों के प्रति अग्रिमों सहित)	B. i) Secured by Tangible Assets (includes advances against Book Debts)	107009 57 08	113964 63 50
ii) बैंक / सरकारी जमानतों द्वारा संरक्षित	ii) Covered by Bank/Government Guarantees	2598 24 73	3681 89 73
iii) अप्रतिभूत	iii) Unsecured	22880 99 68	22812 08 60
योग	**TOTAL**	**132488 81 49**	**140458 61 83**
ग.I) भारत में अग्रिम	C. I) Advances in India		
i) प्राथमिकता क्षेत्र	i) Priority Sector	59885 04 97	57437 49 35
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	ii) Public Sector	7879 89 88	7450 57 35
iii) बैंक	iii) Banks	0	
iv) अन्य	iv) Others	53257 34 11	63117 84 87
योग	**TOTAL**	**121022 28 96**	**128005 91 57**
II)भारत के बाहर अग्रिम	II) Advances Outside India		
i) बैंकों से बकाया	i) Due from Banks	260 71 06	388 99 38
ii) अन्यों से बकाया	ii) Due from Others		
क) क्रय व डिस्काउंट किए गए बिल	a) Bills Purchased & Discounted	1916 62 04	2762 96 72
ख) संघबद्ध उधार	b) Syndicated Loans	2369 28 25	1824 68 57
ग) अन्य	c) Others	6919 91 18	7476 05 59
योग	**TOTAL**	**11466 52 53**	**12452 70 26**
योग (ग-I & ग-II)	**TOTAL (C-I & C-II)**	**132488 81 49**	**140458 61 83**

अनुसूची-10 स्थिर आस्तियाँ	SCHEDULE - 10 FIXED ASSETS	AS AT 31.03.2018 तक	AS AT 31.03.2017 तक
		रु. हज़ार में (Rs. in 000's)	
I.परिसर	**I. Premises**		
वर्ष के आरंभ में / पुनर्मूल्यांकित पर	At cost / revalued at beginning of the FY	3379 17 42	3404 46 92
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	36 98 13	0
		3416 15 55	3404 46 92
वर्ष के दौरान कटौतियाँ*	Deductions during the year *		25 29 50
		3416 15 55	3379 17 42
अद्यतन मूल्यह्रास	Depreciation to date	835 64 44	749 63 45
योग - I	**TOTAL -I**	**2580 51 11**	**2629 53 97**
II.पूँजीगत चालू कार्य	**II. Capital work in progress**	**55 72 03**	**52 78 99**
योग - II	**TOTAL - II**	**55 72 03**	**52 78 99**
III. अन्य स्थिर आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और जुड़नार सम्मिलित हैं)	**III. Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)**		
वर्ष के आरंभ में लागत पर	At cost as at beginning of the FY	1796 77 53	1686 94 52
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	81 82 96	141 21 48
		1878 60 49	1828 16 00
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	Deductions during the year	46 77 61	31 38 47
		1831 82 88	1796 77 53
अद्यतन मूल्यह्रास	Depreciation to date	1574 62 64	1424 77 28
योग - III	**TOTAL - III**	**257 20 24**	**372 00 25**
कुल योग (I, II & III)	**Total (I, II & III)**	**2893 43 38**	**3054 33 21**

* 31.03.2018 को विनिमय दरपर विदेशी शाखाओं से संबंधित बदलाव पर समायोजन शामिल ।

* Includes adjustment on account of conversion of figures relating to foreign branches at the rate of exchange at 31.03.2018

अनुसूची-11 अन्य आस्तियाँ	SCHEDULE - 11 OTHER ASSETS	AS AT 31.03.2018 तक	AS AT 31.03.2017 तक
		(रु. हजार में Rs. in 000's)	
i) अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	i) Inter Office Adjustments (Net)	3525 80 24	115 72 78
ii) प्रोद्भूत ब्याज	ii) Interest Accrued	2417 34 13	2431 55 53
iii) अग्रिम रूप से संदत्त कर (प्रावधानों का निवल)	iii) Tax paid in advance (Net of Provisions)	1954 84 12	637 01 45
iv) लेखन - सामग्री और स्टैम्प	iv) Stationery & Stamps	12 02 77	12 17 56
v) दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियाँ	v) Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims	210 01 51	211 55 39
vi) अन्य (नाबार्ड के पास रखे जमाओं को शामिल करें)	vi) Others (Include Deposits placed with NABARD)	9274 82 65	5369 35 59
योग	**TOTAL**	**17394 85 42**	**8777 38 30**

अनुसूची-12 आकस्मिक दायित्व	SCHEDULE - 12 CONTINGENT LIABILITIES	AS AT 31.03.2018 तक	AS AT 31.03.2017 तक
		(रु. हजार में Rs. in 000's)	
i) बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	i) Claims against the Bank not acknowledged as debts	47 07 17	47 67 43
ii) अंशत: संदत्त निवेशों के लिए देयता	ii) Liability for partly paid investments	11 60	11 60
iii) बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत देयता	iii) Liability on account of outstanding forward exchange contracts	28543 16 78	35649 99 66
iv) ग्राहकों की ओर से दी गयी गारंटियाँ	iv) Guarantees given on behalf of constituents		
क. भारत में	a) In India	14151 63 92	15722 88 45
ख. भारत के बाहर	b) Outside India	284 32 05	551 20 81
v) सकार, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएँ	v) Acceptances, Endorsements &Other obligations	8933 12 75	9966 71 94
vi) अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	vi) Other items for which the bank is contingently liable		
i) पूंजीगत खातों पर निष्पादित शेष अनुबंधो की अनुमानित राशि	i) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital accounts	22 51 79	189 21 80
ii) करेंसी स्वैप के तहत बैंक देयता	ii) Banks liability under currency swaps	1614 89 00	7 71 34

iii) ब्याज दर स्वैप (यूएसडी)	iii) Interest rate swaps (USD)	119 27 51	3413 25 88
iv) ब्याज दर स्वैप (आइएनआर)	iv) Interest rate swaps (INR)	0	73 00 00
v) करेंसी ऑप्शन के तहत बैंक देयता	v) Bank's Liability under Currency Options	0	0
vi) क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप	vi) Credit Default Swaps	18 82 23	16 81 92
vii) भारिबै के साथ डीईएएफ में राशि	vii) Amount in DEAF with RBI	695 58 45	6390729
viii) आइटी मांग विवाद	viii) Disputed IT demands	3935 85 30	2049 24 16
ix) अन्य	ix) Others	6 29	629
योग	**TOTAL**	**58366 44 84**	**68326 98 57**

अनुसूची 13 **अर्जित ब्याज**	**SCHEDULE - 13** **INTEREST EARNED**	**को समाप्त वर्ष** **YEAR ENDED** **31.03.2018**	**को समाप्त वर्ष** **YEAR ENDED** **31.03.2017**
		रु. हजार में	**(Rs. in 000's)**
i) ब्याज / अग्रिम बट्टा / बिल	i) Interest / discount on advances / bills	11960 83 33	14053 02 47
ii) निवेशों पर आय	ii) Income on investments	4797 04 05	5209 48 32
iii) भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ शेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	iii) Interest on Balances with Reserve Bank of India and Other Inter-Bank Funds	483 68 89	416 55 10
iv) अन्य	iv) Others	673 65 03	39 54 00
योग	**TOTAL**	**17915 21 30**	**19718 59 89**

अनुसूची 14 **अन्य आय**	**SCHEDULE - 14** **OTHER INCOME**	**को समाप्त वर्ष** **YEAR ENDED** **31.03.2018**	**को समाप्त वर्ष** **YEAR ENDED** **31.03.2017**
		रु. हजार में	**(Rs. in 000's)**
i) कमीशन, विनिमय और दलाली	i) Commission, Exchange and Brokerage	1022 12 39	949 99 24
ii) निवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल)	ii) Profit on Sale of Investments (Net)	640 65 97	638 15 84
iii) निवेशों के पूनर्मूल्यांकन पर निवल हानि	iii) Net Loss on Revaluation of Investments	-186 03 09	-16 19 10
iv) भूमि और भवनों के विक्रय पर लाभ व अन्य आस्तियाँ	iv) Profit on sale of land, Building & other Assets	1 79 39	1 23 73
v) विनिमय संव्यवहारों पर लाभ (निवल)	v) Profit on exchange transactions (Net)	590 27 37	571 79 57
vi) विविध आय	vi) Miscellaneous Income	1677 61 59	1227 64 25
योग	**TOTAL**	**3746 43 62**	**3372 63 53**

अनुसूची-15 खर्च किया गया ब्याज	SCHEDULE - 15 INTEREST EXPENDED	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2018	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2017
		रु. हजार में	(Rs. in 000's)
i) जमाओं पर ब्याज	i) Interest on Deposits	11493 83 47	13025 93 24
ii) भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर- बैंक उधारों पर ब्याज	ii) Interest on Reserve Bank of India / Inter - Bank Borrowing	953 75 21	1503 05 12
iii) अन्य	iii) Others	5 23	3 52
योग	**TOTAL**	**12447 63 91**	**14529 01 88**

अनुसूची-16 परिचालन व्यय	SCHEDULE - 16 OPERATING EXPENSES	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2018	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2017
		(रु. हजार में	Rs. in 000's)
i) कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	i) Payments to and provisions for employees	2994 14 50	3044 66 70
ii) भाड़ा, कर और रोशनी	ii) Rent, Taxes and Lighting	452 33 97	448 31 35
iii) मुद्रण और लेखन-सामग्री	iii) Printing and Stationery	25 69 84	22 42 24
iv) विज्ञापन और प्रचार	iv) Advertisement and Publicity	60 27	1 91 61
v) बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास (पूँजी आरक्षितियों से अंतरित अवक्षयण की निवल राशि)	v) Depreciation on Bank's property (Net of depreciation transferred from Revaluation Reserve)	272 47 03	214 86 49
vi) निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्च	vi) Directors' fees, allowances and expenses	78 11	1 07 12
vii) लेखापरीक्षकों की फीस और खर्च (शाखा लेखापरीक्षकों के शुल्क व व्यय सहित)	vii) Auditors' fees and expenses (including Branch auditor's Fees and Expenses)	28 38 06	33 76 14
viii) विधि प्रभार	viii) Law charges	23 48 42	21 92 94
ix) डाक , तार, टेलिफोन आदि	ix) Postages, telegrams, telephones, etc.	57 58 58	69 65 34
x) मरम्मत और अनुरक्षा	x) Repairs and Maintenance	12 07 68	13 66 75
xi) बीमा	xi) Insurance	221 45 64	256 03 84
xii) अन्य व्यय	xii) Other Expenditure	1495 90 44	783 70 71
योग	**TOTAL**	**5584 92 54**	**4912 01 23**

अनुसूची 17

प्रमुख लेखा नीतियाँ

1. तैयारी का आधार

1.1. यह वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार किया गया हैं जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो । यह भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जिसमें वैधानिक प्रावधान, नियामक / भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) दिशा-निर्देश, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक / मार्गदर्शन नोट्स और प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं । विदेशी कार्यालयों के संबंध में, संबंधित विदेशी देशों में प्रचलित वैधानिक प्रावधानों और प्रथाओं का पालन किया जाता है।

आकलन का प्रयोग :

1.2 वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को चाहिए कि वे ऐसे आकलन करें व अनुमान लगाएँ जिनको वित्तीय विवरणों की तारीख को आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की प्रतिवेदित रकम तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिये आय व खर्च की प्रतिवेदित रकम में विचारार्थ शामिल किया जा सके। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रयुक्त ये आकलन विवेक सम्मत व तर्कसंगत हैं। भविष्य के परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं।

2. राजस्व पहचान और लेखांकन खर्च

2.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के मुताबिक अर्जक आस्तियों पर उपचित आधार पर और अनर्जक आस्तियों के मामले में उगाही के आधार पर आय का अभिज्ञान किया जाता है । अनर्जक आस्तियों में वसूली का समंजन, वाद दायर खातों एवं एकबारगी निपटान खातों को छोड़कर बाकी मामलों में पहले ब्याज के लिए और शेष अगर हो तो मूल रकम के लिए किया जाता है ।

2.2 खरीदे गए बिलों/बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों पर ब्याज, कमीशन (साख पत्र / गारंटीपत्र/सरकारी कारोबार/ बीमा को छोडकर), विनिमय, लॉकर किराया और लाभांश को उगाही के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

2.3 बहुमूल्य धातुओं की परेषण बिक्री से हुई प्राप्त आय को बिक्री पूरी होने के बाद अन्य आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है ।

2.4 खर्चों को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

2.5 परिपक्व अतिदेय सावधि जमाओं के मामले में, जमाओं का नवीकरण करते समय ब्याज का परिकलन किया जाता है। निष्क्रिय बचत बैंक खाते, अदावी बचत बैंक खाते एवं अदावी मियादी जमाओं के मामलों में ब्याज, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर लिया जाता है ।

2.6 वाद दायर खातों के संबंध में कानूनी खर्चों को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है ।ऐसे खातों में वसूली हो जाने पर उसे आय में लिया जाता है ।

2.7 विदेशी शाखाओं के मामलों में, आय और व्यय का अभिज्ञान / हिसाब संबंधित देशों में लागू स्थानीय कानून के अनुसार किया जाता है ।

3. विदेशी मुद्रा लेनदेन

3.1 विदेशी मुद्रा से जुड़े लेनदेन का लेखांकन, लेखा मानक (एएस) 11 के अनुसार किया जाता है। विदेशी मुद्रा दरों में परवर्तन के प्रभाव को भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किया जाता है ।

3.2 ट्रेज़री के संबंध में लेन-देन (विदेशी):

क) विदेशी मुद्रा जमाओं और ऋणों को छोड़कर विदेशी मुद्रा लेन-देनों को लेन-देन के दिन रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच की विनिमय दर विदेशी मुद्रा रक़म पर लागू करके रिपोट्रिंग मुद्रा में प्रारंभिक मान्यता को रिकार्ड किया जाता है। विदेशी मुद्रा जमाएँ और ऋणों का आरंभिक लेखांकन तत्कालीन लागू भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ, की साप्ताहिक औसत दर के अनुसार किया जाता है।

ख) नॉस्ट्रो व एसीयू डॉलर खातों में इति शेष, समापन दरों पर दिखाया जाता है । सभी विदेशी मुद्रा जमाओं एवं आकस्मिक देयताओं सहित उधारों को प्रत्येक तिमाही के अंतिम सप्ताह के लिए लागू भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की साप्ताहिक औसत दर के अनुसार दिखाया जाता है। अन्य आस्तियों, देयताओं और विदेशी मुद्रा में मूल्य वर्गीकृत बकाया वायदा संविदाओं को लेनदेन की तारीख की दरों पर दिखाया जाता है।

ग) भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा सूचित वर्षांत विनिमय दरों पर आकस्मिक देयताओं सहित बकाया वायदा विनिमय संविदाओं व सभी आस्तियों, देयताओं के पुनर्मूल्यांकन के

SCHEDULE 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Basis of Preparation

1.1 The financial statements have been prepared under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards / Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

Use of Estimates

1.2 The preparation of financial statements requires the Management to make estimates and assumptions which are considered in the reported amounts of assets and liabilities (including Contingent Liabilities) as of the date of the financial statements and reported income and expense for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates.

2. Revenue Recognition and Expense Accounting

2.1 Income is recognized on accrual basis on performing assets and on realization basis in respect of non-performing assets as per the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India. Recovery in Non Performing Assets is first appropriated towards interest and the balance, if any, towards principal, except in the case of Suit Filed Accounts and accounts under One Time Settlement, where it would be appropriated towards principal. In case of assets sold to Asset Reconstruction Companies (ARCs), the income is recognised to the extent of cash component of the Sale Consideration received, where the sale consideration is over and above Net Book Value (i.e. Book outstanding less Provisioning).

2.2 Interest on bills purchased/Mortgage Backed Securities, Commission (except on Letter of Credit/ Letter of Guarantee/Government Business/Insurance), Exchange, Locker Rent and Dividend are accounted for on realization basis.

2.3 Income from consignment sale of precious metals is accounted for as Other Income after the sale is complete.

2.4 Expenditure is accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

2.5 In case of matured overdue Term Deposits, interest is accounted for as and when deposits are renewed. In respect of Inoperative Savings Bank Accounts, unclaimed Savings Bank accounts and unclaimed Term Deposits, interest is accrued as per RBI guidelines.

2.6 Legal expenses in respect of Suit Filed Accounts are charged to Profit and Loss Account. Such amount when recovered is treated as income.

2.7 In respect of foreign branches, Income and Expenditure are recognized / accounted for as per local laws of the respective countries.

3. Foreign Currency Transactions

3.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS) 11, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

3.2 Transactions in respect of Treasury(Foreign):

a) Foreign Currency transactions except foreign currency deposits and lending are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction. Foreign Currency deposits and lendings are initially accounted at the then prevailing FEDAI weekly average rate.

b) Closing Balances in NOSTRO and ACU Dollar accounts are stated at closing rates. All foreign currency deposits and lendings including contingent liabilities are stated at the FEDAI weekly average rate applicable for the last week of each quarter. Other assets, liabilities and outstanding forward contracts denominated in foreign currencies are stated at the rates on the date of transaction.

c) The resultant profit or loss on revaluation of all assets, liabilities and outstanding forward exchange contracts including contingent liabilities at year-end exchange rates advised by FEDAI is taken to revenue with corresponding net adjustments to "Other Liabilities and Provisions"/"Other Asset Account" except in case of NOSTRO and ACU Dollar accounts where the accounts stand adjusted at the closing rates.

कारण परिणत लाभ व हानि को ''अन्य देयताएँ व प्रावधान" /"अन्य आस्ति खाता" में तत्सम्बन्धी निवल समायोजनाओं सहित राजस्व में ले लिया जाता है, केवल नॉस्ट्रो व एसीयू डॉलर खातों को छोडकर जहाँ खातों का समायोजन क्लोजिंग दरों पर किया जाता है ।

घ) आय और व्यय संबंधी मदों को, लेखा-बहियों में उनके लेनदेन की निर्दिष्ट तारीख पर लागू विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

3.3. विदेशी शाखाओं के संबंध में परिवर्तन:

क. जैसा कि लेखा मानक 11 में निर्धारित है, सभी विदेशी शाखाओं को गैर अभिन्न प्रचालन माना जाता है ।

ख.) परिसंपत्तियों और देयताओं (आकस्मिक देनदारियों सहित) को हर तिमाही के अंत में के भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा अधिसूचित समान स्पॉट दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

ग. प्रत्येक तिमाही के अंत में आय और व्यय को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा सूचित त्रैमासिक औसत दर पर परिवर्तित किया जाता है ।

घ. परिणामी विनिमय के अंतर को आय या व्यय के रूप में नहीं लिया जाता है लेकिन इसे निवल निवेश के निपटान तक '' विदेशी मुद्रा परिवर्तन रिज़र्व '' नामक अलग खाते में जमा किया जाता है ।

4. निवेश

4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार भारत में किये गए निवेश को ट्रेडिंग के लिए धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध और परिपक्वता के लिए धारित प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जाता है । इन निवेशों के प्रकटीकरण को निम्नलिखित 6 वर्गों में दिखाया जाता है :

क) सरकारी प्रतिभूतियाँ

ख) स्थानीय निकायों द्वारा जारी की गयी प्रतिभूतियों सहित अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ

ग) शेयर

घ) बॉण्ड्स एवं डिबेंचर

ङ) सहायक/संयुक्त उपक्रम

च) म्यूचुअल फंड यूनिट व अन्य

4.2. म्यूचुअल फण्ड के यूनिटों से आय और जहाँ ब्याज/मूलधन 90 से भी अधिक दिनों से बकाया है, वहाँ निवेशों पर ब्याज की पहचान विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार उगाही आधार पर की जाती है।

4.3 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है:

4.3.1. ''व्यापार के लिए धारित" और ''बिक्री के लिए उपलब्ध" प्रवर्गों के तहत व्यक्तिगत शेयरों को तिमाही अंतराल पर विपणन के लिए मार्क किया गया । केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन फिम्डा (भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ) द्वारा घोषित बाजार दरों पर किया जाता है। राज्य सरकार के प्रतिभूतियों , अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ और बाण्ड एवं डिबेंचरों का मूल्यांकन एफआइएमएमडीए (भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ) द्वारा सुझाई गई अन्य पद्धतियों और रेटिंग / उधार स्प्रेड यील्ड कर्व के अनुसार किया जाता है। उद्त भाव वाले ईक्विटी शेयरों का मुल्यांकन बाजार दरों पर किया जाता है तथा गैर उद्त भाव वाले ईक्विटी शेयरों और वेंचर कैपिटल फंड की इकाइयों का मूल्यांकन तुलन पत्र से प्राप्त बही मूल्य/ एनएवी के आधार पर किया जाता है अन्यथा इसका मूल्यांकन रु.1/- प्रति कंपनी/ निधि के हिसाब से किया जाता है।

ट्रेज़री बिलों और वाणिज्यिक पत्र और जमाओं के प्रमाण पत्र को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। म्युचुअल फण्ड योजना में धारित यूनिटों को उपलब्ध बाज़ार मूल्य या पुनर्खरीद मूल्य या नेट एसेट वैल्यू पर मूल्यांकित किया जाता है ।

पीडीएआइ (भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ)/एफआइएमएमडीए (भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ) द्वारा केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाइटीएम (परिपक्वता प्रतिफल) दर पर उपयुक्त मूल्य वृद्धि के साथ अधिमानी शेयरों का मूल्यांकन वाइटीएम (परिपक्वता प्रतिफल) के आधार पर आवधिक रूप से किया जाता है ।

छ: वर्गीकरणों में से प्रत्येक के तहत उपर्युक्त मूल्यांकनों के आधार पर निवल मूल्यह्रास यदि कोई है, तो प्रावधान किया जाता है और निवल वृद्धि, यदि कोई है तो इसे नजर अंदाज किया जाता है। हालाँकि यदि व्यक्तिगत प्रतिभूतियों के बही मूल्य में मूल्यांकन

d) Income and expenditure items are translated at the exchange rates ruling on the date of incorporating the transaction in the books of accounts.

3.3 Translation in respect of overseas branches:

a) As stipulated in Accounting Standard 11, all overseas branches are treated as Non Integral Operations.

b) Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

c) Income and Expenses are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.

d) The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

4. Investments

4.1 Investments in India are classified into "Held for Trading", "Available for Sale" and "Held to Maturity" categories in line with the guidelines from Reserve Bank of India. Disclosures of Investments are made under six classifications viz.,

a) Government Securities

b) Other Approved securities including those issued by local bodies,

c) Shares,

d) Bonds &Debentures,

e) Subsidiaries /Joint Ventures,

f) Units of Mutual Funds and Others.

4.2 Interest on Investments, where interest/principal is in arrears for more than 90 days and income from Units of Mutual Funds, is recognized on realization basis as per prudential norms.

4.3 Valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India as under:

4.3.1. Individual securities under "Held for Trading" and "Available for Sale" categories are marked to market at quarterly intervals. Central Government securities and State Government securities are valued at market rates declared by FIMMDA. Securities of State Government, other Approved Securities and Bonds & Debentures are valued as per the yield curve, credit spread rating-wise and other methodologies suggested by FIMMDA. Quoted equity shares are valued at market rates, Unquoted equity shares and units of Venture Capital Funds are valued at book value /NAV ascertained from the latest available balance sheets, otherwise the same are valued at Re. 1/- per company /Fund.

Treasury Bills, Commercial Papers and Certificate of Deposits are valued at carrying cost. Units held in Mutual fund schemes are valued at Market Price or Repurchase price or Net Asset Value in that order depending on availability.

Valuation of Preference shares is made on YTM basis with appropriate markup over the YTM rates for Central Government Securities put out by the PDAI/FIMMDA periodically.

Based on the above valuations under each of the six classifications, net depreciation, if any, is provided for and net appreciation, if any, is ignored. Though the book value of individual securities would not undergo any change due to valuation, in the books of account, the investments are stated net of depreciation in the balance sheet.

के कारण कोई परिवर्तन नहीं है तो तुलन पत्र में निवेशों को मूल्य ह्रास के निवल के रूप में दर्शाया जाता है।

4.3.2 ''परिपक्वता के लिए धारित": ऐसे निवेशों को अधिग्रहण लागत / परिशोधन लागत पर लिया जाता है । प्रत्येक प्रतिभूति के अंकित मूल्य के ऊपर अधिग्रहण लागत में यदि अधिकता हो तो उसे परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है। अनुषंगी, सहयोगी और प्रायोजित संस्थाओं और जोखिम पूँजी निधि के यूनिटों में निवेशों को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

4.4 एन.पी.ए वर्गीकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार आय के उचित प्रावधान / आय की अनभिज्ञान के अधीन है । अग्रिमों के रूप में डिबेंचरों / बॉण्डों पर भी सामान्य विवेकपूर्ण मानदण्ड प्रयोज्य होते हैं और जहाँ कहीं लागू हो तदनुसार प्रावधान किया जाता है।

4.5 किसी भी वर्ग में निवेशों के विक्रय से होने वाले लाभ / हानि को लाभ / हानि खाते में लिखा जाता है। "परिपक्वता के लिए धारित वर्ग में निवेशों के विक्रय की आय के मामले में, करों का निवल लाभ पूँजी आरक्षित खाते में विनियोजित की जाती है।

4.6 प्रतिभूतियों के अधिग्रहण से प्राप्त खंडित अवधि के ब्याज, प्रोत्साहन / प्रारम्भिक शुल्क (फ्रण्ट-एण्ड-फीस) आदि को लाभ-हानि खाते में लिखा जाता है।

4.7 रेपो/रिवर्स रिपो (पुन:खरीद /प्रति पुनर्खरीद) लेन-देन का भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार हिसाब-किताब किया जाता है।

4.8 विदेशी शाखाओं द्वारा धारित निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन संबंधित विदेशी विनियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

5. अग्रिम

5.1 भारत में अग्रिमों को मानक, अव-मानक, संदिग्ध और हानि-जनक आस्तियों के रुप में वर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार समय-समय पर ऐसे अग्रिमों पर हानियों के लिए प्रावधान किया जाता है । विदेशी शाखाओं के संबंध में, संबंधित देशों के विनियमों के आधार पर वर्गीकरण और प्रावधान बनाया जाता है या फिर भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंड पर, जो भी उच्चतर हो।

5.2 मानक अग्रिमों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों को छोड़कर अग्रिमों को प्रावधानों के निवल के रूप में दिखाया गया है।

6. डेरिवेटिव्स

6.1. ब्याज सहित आस्तियों / देयताओं की प्रतिरक्षा और व्यापार उद्देश्यों के लिए बैंक ने डेरिवेटिव अनुबंध किया है।

6.2. प्रतिरक्षा उद्देश्य से किये गये व्युत्पन्न संविदा के संबंध में प्राप्तियों / देय निवल रकम की पहचान उपचय आधार पर की जाती है। ऐसी संविदा के समापन पर हुए लाभ या हानि को आस्थगित की गयी है और संविदा की शेष अवधि पर अथवा आस्ति / देयता जो भी पहले हो, पर इसकी पहचान की गयी है।ऐसी व्युत्पन्न संविदा बाजार को चिह्नित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि की पहचान नहीं की गयी है सिवाय तब जब कि व्युत्पन्न संविदा को आस्ति / देयता के साथ नामित किया जाता है जिसे भी बाजार को चिह्नित किया जाता है और जिस मामले में परिणामी लाभ या हानि पड़े हुए आस्ति / देयता के बाजार मूल्य के समायोजन के रूप में दर्ज किया जाता है।

6.3. उद्योग में प्रचलित सामान्य पद्धति के अनुसार कारोबार के उद्देश्य से किये गये व्युत्पन्न संविदा और बाजार मूल्य में हुए परिवर्तनों को लाभ-हानि खाते में पहचाना / मान्य किया गया। इन संविदाओं से संबंधित आय व व्यय को निपटान की तारीख पर मान्यता दी जाती है । कारोबार व्युत्पन्न संविदा के समापन पर लाभ या हानि को आय या व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

7. अचल आस्तियाँ (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण)

7.1 पुनर्मूल्यांकित परिसरों को छोड़कर स्थाई आस्तियों को ऐतिहासिक लागत पर दिखाया गया है ।

7.2 प्रबंधन द्वारा उपयुक्त समझी गयी दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर मूल्य ह्रास प्रदान किया जाता है।

परिसर	2.50%
फ़र्नीचर	10%
विद्त संस्थापना, वाहन व कार्यालयीन उपकरण	20%
कम्प्यूटर	33 1/3%
अग्निशामक यंत्र	100%
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	33 1/3%

स्थाई आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्यह्रास को लाभ और हानि खाते से लिया जाता है।

7.3 अधिग्रहण / पुनर्मूल्यांकन की तारीख पर ध्यान दिए बगैर मूल्यह्रास का प्रावधान पूरे साल के लिए किया जाता है ।

4.3.2. "Held to Maturity": Such investments are carried at acquisition cost/amortised cost. The excess, if any, of acquisition cost over the face value of each security is amortised on an effective interest rate method, over the remaining period of maturity. Investments in subsidiaries, associates and sponsored institutions and units of Venture capital funds are valued at carrying cost.

4.4 Investments are subject to appropriate provisioning / de –recognition of income, in line with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India for NPA classification. Bonds and Debentures in the nature of advances are also subject to usual prudential norms and accordingly provisions are made, wherever applicable.

4.5 Profit/Loss on sale of Investments in any category is taken to Profit and Loss account. In case of profit on sale of investments in "Held to Maturity" category, profit net of taxes is appropriated to "Capital Reserve Account".

4.6 Broken period interest, Incentive / Front-end fees, brokerage, commission etc. received on acquisition of securities are taken to Profit and Loss account.

4.7 Repo / Reverse Repo transactions are accounted as per RBI guidelines.

4.8 Investments held by overseas branches are classified and valued as per guidelines issued by respective overseas Regulatory Authorities.

5. Advances

5.1 Advances in India have been classified as 'Standard', 'Sub-standard', 'Doubtful' and 'Loss assets' and provisions for losses on such advances are made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India from time to time. In case of overseas branches, the classification and provision is made based on the respective country's regulations or as per norms of Reserve Bank of India whichever is higher.

5.2 Advances are stated net of provisions except general provisions for standard advances.

6. Derivatives

6.1 The Bank enters into Derivative Contracts in order to hedge interest bearing assets/ liabilities, and for trading purposes.

6.2 In respect of derivative contracts which are entered for hedging purposes, the net amount receivable/payable is recognized on accrual basis. Gains or losses on termination on such contracts are deferred and recognized over the remaining contractual life of the derivatives or the remaining life of the assets/ liabilities, whichever is earlier. Such derivative contracts are marked to market and the resultant gain or loss is not recognized, except where the derivative contract is designated with an asset/ liability which is also marked to market, in which case, the resulting gain or loss is recorded as an adjustment to the market value of the underlying asset/ liability.

6.3 Derivative contracts entered for trading purposes are marked to market as per the generally accepted practices prevalent in the industry and the changes in the market value are recognized in the profit and loss account. Income and expenses relating to these contracts are recognized on the settlement date. Gain or loss on termination of the trading derivative contracts are recorded as income or expense.

7. Fixed Assets (Property, Plant and Equipment)

7.1 Fixed Assets except revalued premises are stated at historical cost.

7.2 Depreciation is provided on straight-line method at the rates considered appropriate by the Management as under:

Premises	2.50%
Furniture	10%
Electrical Installations, Vehicles & Office Equipments	20%
Computers	33 1/3 %
Fire Extinguishers	100%
Computer Software	33 1/3%

Depreciation on revalued portion of the fixed assets is charged to profit and loss account.

7.3 Depreciation is provided for the full year irrespective of the date of acquisition / revaluation.

7.4 जहाँ अलग-अलग लागतों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, वहाँ भूमि और भवन पर मूल्यह्रास का प्रावधान समग्र रूप में किया गया है ।

7.5 पट्टे वाली संपत्तियों के मामले में पट्टे की अवधि के दौरान प्रीमियम का चुकतान किया जाता है।

7.6 विदेशी शाखाओं की स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए संबंधित देश में लागू कानून पद्धति के अनुसार प्रावधान किया जाता है।

8. स्टाफ़-सुविधाएँ

8.1 भविष्य निधि के अंशदान लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया जाता है ।

8.2 उपदान व पेंशन देयताओं के लिए प्रावधान वास्तविक आधार पर किया जाता है और उसे अनुमोदित उपदान एवं पेंशन निधि में अंशदानित किया जाता है । सेवा निवृत्ति व्यवस्था के मामलों में संचित अवकाश के नकदीकरण का भुगतान वर्षांत पर सीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। तथापि पेंशन विकल्प के आ जाने से वर्ष के दौरान अतिरिक्त देयता और ग्रेच्युटी सीमा में बढ़ोत्तरी का पाँच वर्षों के लिए परिशोधन किया जा रहा है।

8.3. विदेशी शाखाओं के मामले में उपदान का हिसाब संबंधित देशों में लागू कानून के अनुसार किया गया है ।

9. आय पर कर:

आय पर करों के लेखांकन, आइसीएआइ (भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान) के लेखांकन मानक 22 के तहत निर्धारित चालू कर और आस्थगित कर प्रभार या जमा के लिए प्रावधान (संबंधित अवधि के लिए लेखांकन आय और आयकर आय के बीच समय बद्ध विभेदों के कर प्रभावों को परिलक्षित करने वाला) इसमें समाहित है। आस्थगित कर को मान्यता दी जाती है परंतु इस शर्त पर कि आय की मदों के संबंध में विवेकपूर्ण विचार हो सके और एक समय में उत्पन्न होने वाले ऐसे खर्चों जिन्हें बाद की एक या इससे अधिक अवधियों में उलट दिये जाने की संभावना हो पर भी विचार हो सके । आस्थगित कर से जुड़ी आस्तियों और देयताओं की गणना लागू कर दरों का प्रयोग करते हुए की जाती है और ये दरें उस वर्ष के दौरान कर योग्य आय पर प्रयोज्य की जानेवाली आय कर दरों के आधार पर नियत की जाती है जहाँ समयबद्ध विभेदों को उल्टे जाने की संभावना होती है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं पर कर दरों में बदलाव के प्रभाव को आय के उस विवरण में मान्यता दी जाती है जो परिवर्तन को लागू करने की अवधि से संबंधित है।

10. प्रति शेयर अर्जन

सनदी लेखाकंन संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 20 "ईपीएस (प्रति शेयर अर्जन)" के अनुसार बैंक प्रति इक्विटी शेयर के आधार पर मूल और डाइलूटेड प्रति शेयर अर्जन की रिपोर्ट करता है। मूल प्रति ईक्विटी शेयर अर्जन का परिकलन वर्ष के लिए निवल लाभ को कुछ अवधि के दौरान बकाया शेयरों की धारित औसत से संभाजित किया गया है। डाइलूटेड अर्जन प्रति इक्विटी शेयर संभाव्य घटाव को दर्शाता है जो वर्ष के दौरान ईक्विटी शेयर ज़ारी करने के लिए प्रतिभूतियों या अन्य संविदाओं के उपयोग या परिवर्तन के कारण से हो सकता है। प्रति ईक्विटी शेयर डाइलूटेड आय का परिकलन भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या और अवधि के दौरान बकाया डाइलूटिव पोटेंशियल ईक्विटी शेयरों के घटाव के आधार पर किया गया है सिवाय उसके जहाँ परिणाम घटाव विरोधी रहते हैं।

11. आस्तियों की क्षति

बैंक प्रत्येक तुलन पत्र दिनांक को यह निर्धारित करता है कि क्या किसी आस्ति में घाटा होने का संकेत है। यदि कोई घाटा हो तो, उसे लाभ एवं हानि खाता में अनुमानित वसूली योग्य रक़म से अधिक आस्ति रक़म तक दर्शाया गया है।

12.प्रावधानों प्रासंगिक देयताओं और प्रासंगिक आस्तियों के लिए लेखाकरण

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 29 के अनुसार जारी प्रावधानों, प्रासंगिक देयताओं और प्रासंगिक आस्तियों के लिये बैंक प्रावधानों को मान्यता देता है जब अतीत की घटनाओं के कारण बैंक को वर्तमान में बाध्यता हो, संभव है कि ऐसे में संसाधनों का बहिर्प्रवाह और उससे आर्थिक लाभ की आवश्यकता से बाध्यताओं को निपटाने के लिए और जब बाध्यता की मात्रा का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

प्रावधानों का निर्धारण तुलन पत्र की तारीख को बाध्यताओं के निपटान के लिए प्रबंधन द्वारा किया गया है और निपटान के लिए प्रबंधन के अनुमान और उसी प्रकार के लेनदेनों द्वारा अनुपूरक के आधार पर निर्णय किया गया है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने हेतु समायोजित की जाती है। ऐसे मामलों में जहाँ उपलब्ध जानकारी यह संकेत देती है कि प्रासंगिकता का नुकसान संभव है लेकिन नुकसान की रक़म का अनुमान लगाना संभव नहीं है इसका प्रकटीकरण वित्तीय विवरण में किया गया है।

वित्तीय विवरण में प्रासंगिक आस्ति यदि कोई हो तो उसे मान्यता नहीं दी गई है या प्रकट नहीं किया गया है।

7.4 Depreciation is provided on Land and Building as a whole where separate costs are not ascertainable.

7.5 In respect of leasehold properties, premium is amortised over the period of lease. The revalued amount on leasehold property is being amortized over the remaining period of the lease.

7.6 Depreciation on Fixed Assets of foreign branches is provided as per the applicable laws/practices of the respective countries.

8. Staff Benefits

8.1 Contribution to Provident Fund is charged to Profit and Loss Account.

8.2 Provision for gratuity and pension liability is made on actuarial basis and contributed to approved Gratuity and Pension Fund. Provision for encashment of accumulated leave payable on retirement or otherwise is based on actuarial valuation at the year-end. However, additional liability accrued during the year on account of Re-opening of pension option and enhancement of Gratuity limit is being amortised over a period of five years.

8.3 In respect of overseas branches gratuity is accounted for as per laws prevailing in the respective countries.

9. Tax on Income

This comprises provision for current tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income & taxable income for the period) as determined in accordance with Accounting Standard 22 of ICAI, "Accounting for taxes on income". Deferred tax is recognized subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured using enacted tax rates expected to apply to taxable income in the years in which the timing differences are expected to be reversed. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognized in the income statement in the period of enactment of the change.

10. Earning per Share

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard - 20, "Earnings Per Share", issued by The Institute of Chartered Accountants of India. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net profit for the year by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per equity share have been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period except where the results are anti-dilutive.

11. Impairment of Assets

The bank assesses at each balance sheet date whether there is any indication that an asset may be impaired. Impairment loss, if any, is provided in the Profit and Loss Account to the extent the carrying amount of assets exceed their estimated recoverable amount.

12. Accounting for Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

In accordance with Accounting Standard 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Provisions are determined based on management estimate required to settle the obligation at the balance sheet date, supplemented by experience of similar transactions. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current management estimates. In cases where the available information indicates that the loss on the contingency is reasonably possible but the amount of loss cannot be reasonably estimated, a disclosure is made in the financial statements.

Contingent Assets, if any, are not recognized or disclosed in the financial statements.

अनुसूची 18

लेखों पर टिप्पणियाँ

1. समायोजन

1.1. भारतीय रिज़र्व बैंक (भा.रि.बैं.) के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के निवेश पोर्टफोलियो (देशी) को तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार है:

प्रवर्ग	सकल बही मूल्य (रु करोड़ों में)		कुल निवेशों का प्रतिशत (%)	
	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
परिपक्वता के लिए धारित	49 241.08	48 883.32	70.09	67.66
बिक्री के लिए उपलब्ध	21 009.86	23 367.89	29.91	32.20
ट्रेडिंग के लिए धारित	0.00	101.59	0.00	0.14

1.2. ''**परिपक्वता** के लिए धारित" के तहत एसएलआर प्रतिभूतियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 18.83 प्रतिशत(पिछले वर्ष 17.94) की सीमा के अंदर है जो मार्च 2018 की समाप्ति तक बैंक की माँग व सावधि देयताओं का 19.50 प्रतिशत (पिछले वर्ष 20.50 प्रतिशत) रहीं ।

1.3. ''**परिपक्वता** के लिए धारित" प्रवर्ग के निवेशों के संबंध में रु.68.62 करोड़ के प्रीमियम (पिछले वर्ष रु.98.22करोड़) का इस वर्ष के दौरान परिशोधन कर दिया गया है।

1.4. सीसीआईएल समझौता गारंटी निधि के प्रति रु.1005.5 करोड़ (पिछले वर्ष रु.1053.50 करोड़) के अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों और संपार्श्विकीकृत उधार ऋण बाध्यताओं के तहत उधार के लिए संपार्श्विक के प्रति रूपये 9168.57 करोड़ (पिछले वर्ष रु.12213.57 करोड़) की प्रतिभूतियों क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इंडिया के पास रखी गई हैं । रु.1500 करोड़ (पिछले वर्ष रु.1500 करोड़) की अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों को इंट्रा डे उधार हेतु आरबीआई के पास रखा गया है। हमने एलएएफ विंडो के अंतर्गत हमारे उधार हेतु भा.रि.बैंक के साथ रु.6150(पिछले वर्ष रु.6150 करोड़) करोड़ प्रतिभूति रखा है। इसके अलावा, फॉरेक्स परिचालन हेतु डिफॉल्ट निधि के प्रति रु. विदेशी परिचालन के लिए रूपये 12.50 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 12.50 करोड़) की राशि को सीसीआइएल के यहाँ रखा गया है।

1.5. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेशों के तहत शेयरों में रु 222,04/- करोड़ (पिछले वर्ष रु.222.04 /- करोड़) के शेयर पूँजी जमाएँ शामिल हैं ।

1.6. बैंक ने आउटराइट और भारतीय रिज़र्व बैंक के खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) दोनों के अंतर्गत वर्ष के दौरान एचटीएम प्रवर्ग से सरकारी प्रतिभूतियाँ । ओएमओ के अंतर्गत बैंक द्वारा किसी (बीवी) का विक्रय नहीं हुआ (पिछले वर्ष 5073.63 करोड़) अतएव अर्जित लाभ शून्य है (जो पिछले वर्ष 103.17 करोड़ था) । बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियाँ (ओएमओ के अतिरिक्त) भी बेची और रु. 573.86 करोड़ (बीवी)(पिछले साल 2519.87) (भा.रि.बै की 5 दी गई सीमा के अंदर) का विक्रय हुआ,और अर्जित लाभ रु.19.01 करोड़ है(पिछले वर्ष 70.70 करोड़)।

2. अग्रिम

2.1 संभव हानि के लिए प्रावधान एवं अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी नियमों के अनुसार किया गया है

2.2. गारंटी संस्थाओं के यहाँ निपटारे के लिए लंबित व दायर किए जाने वाले ऐसे दावों, जिनकी शाखाओं ने पहचान की है, पर प्रावधानिक अपेक्षाओं के लिए इस आधार पर विचार किया गया है कि ऐसे दावे वैध व वसूली योग्य हैं।

2.3. आस्ति वर्गीकरण और आय की पहचान के उद्देश्य से कुछ अग्रिमों की उगाही की स्थिति का निर्धारण करने के लिए प्रतिभूति के अनुमानित मूल्य, केन्द्र सरकार की गारंटियों आदि को ध्यान में रखा गया है।

2.4. अलेखा-परीक्षित शाखाओं के संबंध में अग्रिमों का वर्गीकरण शाखा प्रबंधकों द्वारा किए गए प्रमाणन के अनुसार किया गया है।

2.5. भारिबैं के परिपत्र संख्या डीबीओडी संख्या बीसी 79/ 21.04.048/ 2014-15 दिनांकित 30.03.2015 के अनुसार बैंक को 31.12.2014 की समाप्ति तक उनके द्वारा धारित प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर / फलोटिंग प्रावधान का 50 प्रतिशत प्रयोग करने के लिए अनुमत किया गया है। वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने (31.03.2017 तक) अनर्जक आस्तियों के निर्दिष्ट प्रावधानों को पूरा करने के लिए प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर रू 338.22 करोड़ के प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर किसी भी भाग का प्रयोग नहीं किया (पिछले वर्ष शून्य) ।

3. अचल आस्तियाँ

3.1. वर्ष 2017-18 के दौरान तथा वर्ष 2016-17 में भूमि तथा इमारत से संबन्धित कोई संकल्प नहीं लिया गया ।

3.2. आस्तियों की बिक्री पर लाभ मार्च 2018 में रु.1.79 करोड़ रहा (पिछले वर्ष रु.1.24 करोड़) जिसे पूँजी आरक्षिती में विनियोजित किया गया है।

4. रुपया ब्याज दर स्वैप

प्रतिरक्षा हेतु लिए गए ब्याज स्वैप के निरसन पर 31 मार्च 2018 तक कोई रकम नहीं(शून्य) ली गई ।

SCHEDULE 18

NOTES TO ACCOUNTS

1. Investments

1.1 In accordance with RBI guidelines, the investments portfolio of the bank has been classified into three categories, as given below:

Category	Gross Book Value (Rs. in crore)		Percentage to Total Investments (%)	
	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
Held to Maturity	49241.08	48883.32	70.09	67.66
Available for Sale	21009.86	23367.89	29.91	32.20
Held for Trading	0.00	101.59	0.00	0.14

1.2 SLR Securities (domestic) under "Held to Maturity" accounted for 18.83 % (previous Year 17.94%) of bank's Demand and Time liabilities as at the end of March 2018 as against ceiling of 19.50% (previous year 20.50%) stipulated by RBI.

1.3 In respect of Held to Maturity category of Investments, premium of Rs.68.62 Crore was amortized during the year (previous year Rs.92.88 Crore).

1.4 Securities of Face Value for Rs. 1005.50 Crore (previous year Rs. 1053.50 Crore) towards CCIL Settlement Guarantee Fund/Default Fund and securities for Rs.9168.57 Crore (previous year Rs. 12213.57 Crore) towards collateral for borrowing under Collateralized Borrowing and Lending Obligations/Default Fund have been kept with Clearing Corporation of India Limited. The Bank has placed securities of face value Rs.1500 Crore (previous year Rs.1500 Crore) with RBI for intraday borrowing. The Bank has also placed Securities to the extent of Rs.6150 Crore (previous year Rs.6150Crore) with Reserve Bank of India for our borrowing under the LAF window. Besides, a sum of Rs.57.38 Crore (previous year Rs.47.38 Crore) has been lodged with CCIL towards default fund for Forex operations and Rs.12.50 Crore (previous year Rs.12.50 Crore) held with NSCCL for currency derivative segment.

1.5 Shares under Investments in India in Regional Rural Banks is Rs.222.04 Crore (previous year Rs.222.04 Crore) including amount towards share capital Deposits.

1.6 The Bank sold Government Securities from HTM category during the year as outright sale operations and there was no participation under RBI's Open Market Operations (OMO). The extent of sale by the Bank under OMO was NIL (BV) [previous year Rs. 5073.63 Crore]and hence the profit earned was NIL [previous year Rs.103.17 Crore]. The Bank has also sold Government Securities (other than OMO), to the extent of Rs.573.86 Crore (BV) [previous year Rs. 2519.87 Crore](within 5%, prescribed limit of RBI) and booked a profit of Rs.19.01 Crore (previous year Rs.70.70 Crore).

2. Advances

2.1 The Classification for advances and provisions for possible loss has been made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India.

2.2 Claims pending settlement and claims yet to be lodged with Guarantee Institutions identified by the branches have been considered for provisioning requirements on the basis that such claims are valid and recoverable.

2.3 In assessing the realisability of certain advances, the estimated value of security, Central Government Guarantees etc. have been considered for the purpose of asset classification and income recognition.

2.4 The classification of advances, as certified by the Branch Managers have been incorporated, in respect of unaudited branches.

2.5 The Reserve Bank of India, vide Circular No. DBR.No.BP. BC.79/21.04.048/ 2014-15 dated 30.03.2015, allowed banks to utilize upto 50% of Counter-cyclical Provisioning Buffer / Floating Provisions held by them as at the end of 31.12.2014. During the year 2017-18, Bank has not utilized any portion of Counter-cyclical Provisioning Buffer [previous year NIL] out of balance in Counter-cyclical Provisioning Buffer of Rs.338.22 Crore held (as on March 31, 2017) for meeting specific provisions for Non-performing Assets.

3. **Fixed Assets (Property, Plant and Equipment)**

3.1 Revaluation has not been carried out during the current year 2017-18 and in the previous year 2016-17 pertaining to land and building.

3.2 Profit on Sale of Assets for the year ending March 2018 is Rs.1.79 crore (previous year Rs.1.24 crore), has been appropriated to Capital Reserve, net of Taxes.

4. Rupee Interest Rate Swap

Deferred income on account of gains on termination of Rupee Interest Rate Swaps taken for hedging as on 31st March 2018 is NIL (previous year NIL).

5. पूँजी एवं आरक्षितियाँ

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक को टर्न-अराउंड संबन्धित वित्तीय समावेशन योजना के तहत भारत सरकार से रूपये 1100 करोड़ प्राप्त हुए जिसके लिए बैंक ने भारत सरकार को प्राथमिक आधार पर 31.08.2017 को रूपये 10/- प्रत्येक मूल्य के 39,78,30,018 (रूपये 17.65 प्रति सामान्य शेयर किस्त सहित) सामान्य शेयर जारी किए । वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान भारत सरकार के द्वारा सार्वजनिक बैंकों के लिए पुनर्वित्तीयन योजना के तहत लगभग रूपये 4,694 करोड़ मूल्य का वित्तीय समावेशन किया जिसके लिए बैंक ने प्राथमिका आधार पर 28.03.2018 को रूपये 10/- प्रत्येक मूल्य के 203,82,11,029 (रूपये 13.03 प्रति सामान्य शेयर किस्त सहित) सामान्य शेयर इशू प्राइस 23.03 प्रति सामान्य शेयर के हिसाब से शेयर जारी किए । अतः बैंक की प्रदत्त पूंजी रूपये 2454.73 करोड़ से बढ़ कर रूपये 4890.77 करोड़ हो गई । भारत सरकार की शेयर धारिता रूपये 1953.04 करोड़ (79.57%) से बढ़ कर 4389.08 करोड़ (89.74) हो गई तथा सार्वजनिक शेयर धारिता रूपये 501.69 करोड़ (10.26%) है ।

बैंक ने 30.01.2018 को हुए ईजीएम में विशेष संकल्प के द्वारा शेयर धारकों का अनुमोदन तथा आरबीआई के द्वारा अनुमोदन के पश्चात 31.03.2017 को मूल्य रूपये 6978.94 करोड़ की कुल हानि से निपटने के लिए शेयर किस्त खाते में 31.03.2017 के उपलब्ध बकाया का उपयोग किया । फलस्वरूप, शेयर किस्त खाता तथा कुल हानि को उस स्टार तक कम रखा जा सका ।

6. कर

6.1 अपीलकर्ता प्राधिकारियों के निर्णयों,न्यायिक संघोषणाओं और कर-विशेषज्ञों की राय पर काफी विचार करने के बाद,आय कर से संबंधित रु.3916.26 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 1974.46 करोड़) की विवादित रकम और अन्य माँगों के संबंध में किसी प्रकार का प्रावधानीकरण करना आवश्यक नहीं समझा गया।

6.2 वर्ष के लिए कर व्यय आस्थगित कर का रु. (-)23321.21 करोड़ है (पिछले वर्ष रु. 35.81 करोड़) – संदर्भ नोट संख्या 18.6

6.3 वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने पिछले वर्षों में इसके सामान्य आरक्षण की अपेक्षा आयकर अधिनियम 1961 के अनुच्छेद 36(i)(viii) विशेष रूप से रूपये 741.60 करोड़ विशेष आरक्षण में अंतरित किया है । फलस्वरूप उपरोक्त पर विलंबित कर देयता 31.03.2017 तक का समायोजन बकाया कर परिसंपत्तियों हो गया ।

6.4 बैंक ने वर्ष के दौरान संबन्धित आंकड़ों/ आकलन के आधार पर आयकर से संबंधित अपने समायोजन की विस्तृत समीक्षा की है और भविष्य में कर योग्य आय की उपलब्धता निर्धारित की है जिसके खिलाफ अनावश्यक मूल्यह्रास, खराब और संदिग्ध ऋणों के कारण उत्पन्न होने वाले समय के अंतर, कर्मचारी लाभ, आदि की वसूली जा सके । आभासी / उचित निश्चितता की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद बैंक ने लेखा मानक अनुसार वर्ष के दौरान 222 9 .02 करोड़ रुपये की स्थगित कर संपत्तियों को मान्यता दी है जो प्रमाणित साक्ष्य द्वारा समर्थित है अर्थात प्रबंधन द्वारा विस्तृत रूप से अनुमानित तथा अनुमोदित । (एएस)22 - "कर और आय के लिए लेखांकन"।

7. समाधान

माइग्रेशन के संबंध में प्रबंधन ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करने के संबंध में सिस्टम ऑडिट सहित अन्य कार्य योजनाएँ लागू की है । कुछ शाखा के अंदर होने वाले लेनदेन को पहचाना जा रहा है और प्रबंधन बैंक के वित्तीय विवरणों पर इस तरह के अभ्यास से उत्पन्न होने वाले किसी भी भौतिक प्रभाव की अपेक्षा नहीं करता है ।

8. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत विक्रेताओं से संबंधित जानकारी तथा जिनके द्वारा बैंक के उत्पाद एवं सेवाओं की खरीद की गई है को बैंक द्वारा उपलब्ध सीमा तक जानकारी दी गई है।

आरबीआई की आवश्यकता के अनुसार प्रकटीकरण:

9. पूँजी:

क्र. सं.	विवरण	2017-18	2016-17
		प्रतिशत में	
i)	सामान्य ईक्विटी टायर 1 पूँजी अनुपात	6.39	7.58
ii)	टायर 1 पूँजी	7.17	8.21
iii)	टायर 2 पूँजी	2.09	2.28
iv)	कुल पूँजी अनुपात (सीआरएआर)	9.25	10.50
v)	भारत सरकार के शेयरधारण का प्रतिशत	89.74	79.56
		रू. करोड़ में	
vi)	जुटाई गई ईक्विटी पूँजी रकम	2 436.04	647.46
vii)	जुटाई गई अतिरिक्त टायर 1 पूँजी :	शून्य	शून्य
viii)	जुटाई गई टायर 2 पूँजी	शून्य	800

5. Capital and Reserves

During the Financial Year 2016-17, Bank had received Rs.1,100 crores from Government of India as part of Turnaround Linked Capital Infusion Plan for which Bank had allotted 39,78,30,018 Equity Shares of Rs.10/- each for cash at issue price of Rs. 27.65 per equity share (including premium of Rs.17.65 per equity share) to Government of India on 31.08.2017 on preferential basis. During the Financial Year 2017-18, the Bank had received an aggregate sum of Rs.4,694 crore as capital infusion by the Government of India including Recapitalisation Plan for Public Sector Banks for which the Bank has allotted 203,82,11,029 equity shares of Rs. 10/- each for cash at issue price of Rs. 23.03 per equity share (including premium of Rs. 13.03 per equity share) on preferential basis to Government of India on 28.03.2018 for this capital infusion. Hence the paid up capital of the Bank has increased from Rs.2,454.73 crore to Rs.4,890.77 crore. GOI's shareholding has increased from Rs. 1953.04 crore (79.56%) to Rs.4,389.08 crore(89.74%) and the Public Shareholding stood at Rs.501.69 crore (10.26%).

The Bank had, after obtaining the approval of the shareholders by way of a Special Resolution at the EGM held on 30.01.2018 and as approved by RBI utilized the balance available in the Share Premium account as at 31.03.2017 to set off the accumulated losses as at 31.03.2017 amounting to Rs.6978.94 crore.Consequently, the share premium account and accumulated losses stand reduced to that extant.

6. Taxes

6.1 Taking into consideration the decisions of Appellate Authorities, judicial pronouncements and the opinion of tax experts, no provision is considered necessary in respect of disputed and other demands of income tax aggregating Rs.3916.26Crore (previous year Rs.1974.46Crore).

6.2 Tax expense for the year is Rs.(-)2332.21Crore net of deferred tax(previous year Rs.35.81crore) – refer note no.18.6.

6.3 During the current year the Bank has transferred the Special Reserves of Rs.741.60 crorecreated under section 36(i)(viii) of the Income Tax Act, 1961, in earlier years, to its General Reserves. Consequently, the Deferred Tax Liability on above till 31.03.2017 remain adjusted in the Deferred Tax Assets.

6.4 The Bank has carried out during the year a detailed review of its adjustments relating to Income Tax, on the basis of relevant records / assessments and determined the availability of future taxable income against which timing differences arising on account of unabsorbed depreciation, bad and doubtful debts, employee benefits, etc. can be realized. After ascertaining the availability of virtual / reasonable certainty duly supported by convincing evidence, viz., the detailed projections approved by the Management, the Bank has recognized the Deferred Tax Assets of Rs.2392.02 crore during the year, in accordance with Accounting Standards (AS) 22 – "Accounting for Taxes and Income".

7. Reconciliation

The Management in relation to Migration has implemented action plan including systems audit to address significant areas.Reconciliation of certain inter branch transactions are being addressed to and the Management does not anticipate any material impact emanating out of such exercise on the Financial Statements of the bank.

8. Information relating to vendors registered under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 and from whom goods and services have been procured by the Bank has been disclosed to the extent information was made available to the Bank by the vendors.

DISCLOSURES AS PER RBI REQUIREMENTS:

9. Capital

S.No.	Particulars	2017-18	2016-17
		In %	
i)	Common Equity Tier 1 Capital Ratio	6.39	7.58
ii)	Tier I Capital	7.17	8.21
iii)	Tier 2 Capital	2.09	2.28
iv)	Total Capital Ratio (CRAR)	9.25	10.50
v)	Percentage of the shareholding of the Government of India	89.74	79.56
		Rs. In Crore	
vi)	Amount of Equity Capital raised (excluding security premium received)	2436.04	647.46
vii)	Amount of Additional Tier 1 raised	Nil	Nil
viii)	Amount of Tier 2 capital raised	Nil	800

10. निवेश

10.1. निवेशों का मूल्य

(रु. करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2017-18	2016-17
(i)	निवेशों का सकल मूल्य* (क) भारत में (ख) भारत एक बाहर	 66 619.26 3 643.87	 68 731.72 3 685.90
(ii)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान (क) भारत में (ख) भारत एक बाहर	 1 607.89 9.31	 762.18 1.32
(iii)	निवेशों का निवल मूल्य (क) भारत में (ख) भारत एक बाहर	 65 011.37 3 634.56	 67 969.54 3 684.58

*एनपीआई के लिए धारित किए गए निवल प्रावधान

10.2. निवेशों पर मूल्यह्रास के प्रति धारित प्रावधानों का प्रचलन

(रु. करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2017-18	2016-17
(i)	प्रारम्भिक शेष	762.18	632.38
(II)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	892.70	191.75
(iii)	घटना : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों के राइटऑफ / राइट-बैक	46.99	61.95
(iv)	अंतिम शेष	1 607.89	762.18

10.3. अंतर बैंक रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के अनुसार)

(रु. करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया		मार्च 31 को बकाया	
	17-18	16-17	17-18	16-17	17-18	16-17	17-18	16-17
रेपो दर के अधीन बेची गई सुरक्षाएँ								
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	--	--	--	--	--	--	--	--
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	--	--	--	--	--	--	--	--
रिवर्स रेपो दर के अधीन खरीदी गई सुरक्षाएँ								
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	--	--	--	--	--	--	--	--
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	--	--	--	--	--	--	--	--

10.4. गैर- एसएलआर निवेश पोर्टफ़ोलियो

10.4.1. गैर- एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता-वार संरचना

(रु. करोड़ में)

क्रम संख्या	**जारीकर्ता**	**31.08.2018 को राशि**	**निजी का विस्तार की स्थापना**	**'निवेश ग्रेड से कम' प्रतिभूतियों का विस्तार**	**'अनरेटेड' प्रतिभूतियों का विस्तार**	**'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों का विस्तार**
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)
1)	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	5 885.01	5 779.56	179.65	-	8.75
2)	वित्तीय संस्थाएँ	316.31	300.21	--	--	--
3)	बैंक	209.57	161.35	0.50	--	--

10. Investments

10.1 Value of Investments

(Rs. in Crore)

S.No.	Particulars	2017-18	2016-17
(i)	Gross Value of Investments* (a) In India (b) Outside India	 66619.26 3643.87	 68731.72 3685.90
(ii)	Provisions for Depreciation (a) In India (b) Outside India	 1607.89 9.31	 762.18 1.32
(iii)	Net value of Investments (a) In India (b) Outside India	 65011.37 3634.56	 67969.54 3684.58

*net of provision held for NPI

10.2 Movement of Provisions held towards depreciation on Investments

(Rs. in Crore)

S.No.	Particulars	2017-18	2016-17
(i)	Opening Balance	762.18	632.38
(II)	**ADD:** Provisions made during the year	892.70	191.75
(iii)	**LESS:** Write-off/Write-Back of excess provisions during the year	46.99	61.95
(iv)	Closing Balance	1607.89	762.18

10.3 Inter Bank Repo transactions (in face value terms)

(Rs. in Crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year		Maximum outstanding during the year		Daily average outstanding during the year		Outstanding as on March 31st	
	17-18	16-17	17-18	16-17	17-18	16-17	17-18	16-17
Securities sold under Repo								
i. Government securities	--	--	--	--	--	--	--	--
ii Corporate debt securities	--	--	--	--	--	--	--	--
Securities Purchased under reverse repo								
i. Government securities	--	--	--	--	--	--	--	--
ii. Corporate debt securities	--	--	--	--	--	--	--	--

10.4 Non-SLR Investment Portfolio

10.4.1 Issuer Composition of Non-SLR Investments

(Rs. in Crore)

S. No	Issuer	Amount As on 31.03.18	Extent of Private Placement	Extent of 'Below investment grade' securities	Extent of 'Unrated' securities	Extent of 'Unlisted' securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	PSUs	5885.01	5779.56	179.65	--	8.75
(ii)	FIs	316.31	300.21	--	--	--
(iii)	Banks	209.57	161.35	0.50	--	--

4)	निजी कार्पोरेट	7 189.34	6 535.86	175.85	--	-55.98
5)	अनुषंगी / संयुक्त उद्यम	199.58	--	--	--	--
6)	अन्य	545.34	--	--	--	--
7)	मूल्यह्रास हेतु धारित प्रावधान	(12 56.25)	(955.11)	--	--	(0.69)
	कुल	**13 088.90**	**11 821.87**	**356.00**	**--**	**64.04**

10.4.2. अनर्जक गैर एसएलआर निवेश

(रु. करोड़ में)

ववरण	2017-18	2016-17
प्रारम्भिक शेष	**295.61**	**259.53**
वर्ष एक दौरान जोड़ी गई राशि पहली अप्रैल से	1 420.887	78.48
उपर्युक्त अवधि के दौरान कटौती	68.927	42.41
अंतिम शेष	**1 647.57**	**295.61**
किया गया कुल प्रावधान*/**	**1 245.99**	**164.13**

* जिसमें 31 मार्च 2018 को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत इक्विटी शेयरों के एमटीएम की ओर रु .1034.66 करोड़ रुपये रु। 31 मार्च 2017 को 20.68 करोड़ रुपये ।

** हमारी पुस्तकों में एक गैर निष्पादित गैर एसएलआर निवेश है, लेकिन तकनीकी रूप से लिखा गया है और उस निवेश खाते में बकाया पुस्तक केवल $ 1.00 है ।

10.5. एचटीएम श्रेणी को / से अन्तरण एवं बिक्री – शून्य

(एचटीएम श्रेणी को / से प्रतिभूतियों का कुल अंतरण 5 की अनुमत सीमा के अंदर था)

11. डेरिवेटिव्स

11.1. वायदा दर करार / ब्याज दर अदला-बदली

(रु. करोड़ में)

विवरण	2017-18			2016-17		
	रुपया ऋण	एफएक्स ऋण	कुल	रुपया ऋण	एफएक्स ऋण	कुल
1) अदला-बदली करारों के काल्पनिक मूल	--	119.28	119.27	73.00	34 13.26	34 86.26
2) करारों के तहत यदि काउंटर पार्टी अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में असफल होती हैं तो उससे होने वाली हानि	--	1.35	1.35	0.41	4.01	4.42
3) अदला-बदली करने के बाद बैंक को अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	--	--	--	--	--	--
4) अदला-बदली से उत्पन्न क्रेडिट जोखिम पर केंद्रीकरण	--	--	--	--	--	--
5) अदला-बदली बही का उचित मूल्य	--	1.35	1.35	0.41	4.01	4.42

(iv)	Private Corporates	7189.34	6535.86	175.85	--	55.98
(v)	Subsidiaries / Joint Ventures	199.58	--	--	--	--
(vi)	Others (Including Overseas Non Government Investments)	545.34	--	--	--	--
(vii)	Provision held towards depreciation	(1256.25)	(955.11)	--	--	(0.69)
	Total	**13088.90**	**11821.87**	**356.00**	**--**	**64.04**

10.4.2 Non Performing Non SLR Investments **(Rs. in Crore)**

Particulars	2017-18	2016-17
Opening Balance	**295.61**	**259.53**
Additions during the year since 1st April,	1420.887	78.48
Reductions during the above period	68.927	42.41
Closing Balance	**1647.57**	**295.61**
Total Provisions held*/**	**1245.99**	**164.13**

*of which Rs.1034.66 crore held towards MTM of Equity Shares classified as NPI as on 31st March 2018 against Rs. 20.68 crore as on 31st March 2017

**there is one non performing non SLR investments in our books, but that has been technically written off and book outstanding in that investment account is USD 1.00 only

10.5 Sale and Transfers to/from HTM Category: NIL

(Total transfer of securities to/from HTM category was within permissible limit of 5 %.)

11. DERIVATIVES

11.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(Rs. in Crore)

PARTICULARS	2017-18			2016-17		
	Rupee Exposure	FX Exposure	Total	Rupee Exposure	FX Exposure	Total
i) The notional principal of swap agreements	--	119.28	119.27	73.00	3413.26	3486.26
ii) Losses which would be incurred if counter-parties failed to fulfill their obligations under the agreements	--	1.35	1.35	0.41	4.01	4.42
iii) Collateral required by the Bank upon entering into swaps	--	--	--	--	--	--
iv) of credit risk arising from the swaps	--	--	--	--	--	--
v) The fair value of the swap book	--	1.35	1.35	0.41	4.01	4.42

11.2. विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स

(रु. करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	2017-18	2016-t17
(i)	वर्ष के दौरान विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम	--	--
(ii)	31 मार्च तक विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम	--	--
(iii)	विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम और जो "ज्यादा प्रभावी " नहीं	--	--
(iv)	प्रतिभूतियों के दैनिक मूल्य प्रभार के विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम जो "ज्यादा प्रभावी " नहीं	--	--

11.3. डेरिवेटिव्स में जोखिम ऋण पर प्रकटीकरण

11.3.1. गुणात्मक प्रकटीकरण

ट्रेज़री-(विदेशी)

बैंक, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम और मुद्रा जोखिम को कम करने के उद्देश्य से प्रतिरक्षा के लिए ब्याज दर स्वैप (आइ आर एस) मुद्रा स्वैप व सुरक्षा उद्देश्य उपलब्ध विकल्पों का प्रयोग करता है। बैंक कार्पोरेट ग्राहकों को ये उत्पाद भी उपलब्ध कराता है ताकि वे अपनी ही मुद्रा और ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन कर सके। इस तरह के लेनदेन ग्राहकों व बैंक के साथ ही किए जाते हैं जिनके करार विद्यमान हैं।

अ. विदेशी उधार / एफ़ सी एन आर (बी) पोर्टफ़ोलियो / आस्ति देयता के असंतुलन के कारण ब्याज / विनिमय दरों में उत्पन्न होने वाली जोखिम की प्रतिरक्षा के लिए डेरिवेटिव उत्पादों का प्रयोग करने के लिए विदेशी खाताओं आदि के निधियन हेतु बैंक की जोखिम प्रबंधन नीतियाँ अनुमति देती हैं और साथ ही ये उत्पाद बैंक टू बैंक दुतरफा आधार पर ग्राहकों को उपलब्ध कराने की अनुमति देती है।

आ. डेरिवेटिव्स एक्सपोज़र का मूल्यांकन करने के लिए बैंक के पास एक अलग प्रणाली है और व्यक्तिगत ग्राहकों की निवल साख एवं प्रतिभूति समर्थन को पूर्ण रूप से गणना में लेते हुए डेरिवेटिव लेनदेनों के निष्पादन के लिए समुचित उधार श्रेणियाँ प्रस्तुत करने की भी प्रणाली है।

इ. बैंक ने प्रतिरक्षा लिखतों के रूप में डेरिवेटिव्स के उपयोग से जुड़े जोखिम को निर्धारित करने के लिए उचित नियंत्रण प्रणालियों का गठन किया है और डेरिवेटिव लेनदेन से संबंधित सभी पक्षों के प्रबोधन के लिए उचित रिपोर्टिंग प्रणालियाँ उपलब्ध हैं। प्रत्येक प्रतिपक्षी पार्टी के लिए उपयुक्त उधार मंजूरीकर्ता प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित ऋण सीमा के अंदर डेरिवेटिव्स लेन-देन सिर्फ प्रतिपक्षी पार्टी के साथ किए गए।

ई. बैंक ने डेरिवेटिव्स के प्रयोग के लिए आवश्यक सीमाएँ गठित की हैं और इसकी स्थिति का निरंतर प्रबोधन किया जाता है।

उ. बैंक के पास आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रशासनिक पदानुक्रम के परिणामी एक्सपोज़र के मूल्यांकन व निरंतर प्रबोधन करने की अलग प्रणाली है।

ऊ. बैंक द्वारा तुलन पत्र की प्रतिरक्षा और कार्पोरेट ग्राहकों का पारस्परिक आधार पर चयन करने के लिए व्युत्पन्न का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरक्षा लेनदेनों के संबंध मे प्रतिरक्षा के मूल्य व परिपाक ने मूलाधार को पार नहीं किया है। बैक टू बैक लेनदेनों के संबंध में ग्राहकों के साथ के लेनदेन, बैंक के काउंटर पार्टी लेनदेनों से पूर्णत: मेल किए गए हैं और आरक्षित ऋण नहीं हैं।

ऋ. इस प्रकार के डेरिवेटिव्स से होने वाली आय को परिशोधित किया गया है और संविदा की आयु के लिए उपचयन के आधार पर लाभ व हानि लेखे में लिया गया है। तुलन पत्र हेतु किए गए अदला-बदली के शीघ्र निरसन के मामले में ऐसे लाभों से प्राप्त आय अदला बदली की शेष संविदात्मक अवधि आयु या आस्तियों / देयताओं की अवधि , जो भी कम हो , के आधार पर की जाएगी । ग्राहकों के लिए बैक टू बैक आधार पर लिए गए डेरिवेटिव्स के शीघ्र समापन के संबंध में प्राप्त होने वाली आय की पहचान समापन के आधार पर की जाएगी।

ऌ. सभी प्रतिरक्षा लेन देन उपचयन के आधार पर परिकलित किए गए हैं । बकाए संविदाओं का मूल्यांकन बाजार मूल्य को बही में अंकित करने के आधार पर किया गया । बैंक के पास डेरिवेटिव्स में लेन देन के लिए विधिवत अनुमोदित जोखिम प्रबंधन और लेखांकन नीति उपलब्ध है ।

ऍ. डेरिवेटिव्स लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं ।

डेरिवेटिव से संबंधित जोखिम प्रबंधन नीतियां भी शामिल करने के लिए डेरिवेटिव्स का उपयोग किया जाता है, उस सीमा तक विशेष संदर्भ के साथ संबंधित जोखिम और व्यावसायिक उद्देश्यों की सेवा की जाती है।

अ. डेरिवेटिव व्यापार में जोखिम के प्रबंधन के लिए संरचना और संगठन;

आ. जोखिम माप, जोखिम रिपोर्टिंग और जोखिम निगरानी प्रणाली का दायरा और प्रकृति;

इ. हेजेज / कमजोरियों की निरंतर तथा प्रभावशीलता की निगरानी के लिए रणनीतियों और प्रक्रियाओं से जोखिम को कम करना और / या कम करने के लिए नीतियां बनना; तथा

ई. बचाव और गैर बचाव के लेनदेन की रिकॉर्डिंग के लिए लेखांकन नीति; आय, प्रीमियम और छूट की मान्यता; उत्कृष्ट अनुबंध का मूल्यांकन; प्रावधान, संपार्श्विक और क्रेडिट जोखिम शमन ।

11.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives **(Rs. in Crore)**

S. No.	Particulars	2017-18	2016-17
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year	--	--
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March	--	--
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	--	--
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	--	--

11.3 DISCLOSURES ON RISK EXPOSURE IN DERIVATIVES

11.3.1 Qualitative Disclosure

Treasury (Foreign)

The Bank uses Interest Rate Swaps (IRS), Currency Swaps and Options for hedging purpose to mitigate interest rate risk and currency risk in banking book. The Bank also offers these products to corporate clients to enable them to manage their own currency and interest rate risk. Such transactions are entered only with Clients and Banks having agreements in place.

a) The Risk Management Policy of the Bank allows using of derivative products to hedge the risk in Interest/Exchange rates that arise on account of overseas borrowing/ FCNR(B) portfolio/the asset liability mis-match, for funding overseas branches etc., and also to offer derivative products on back-to-back basis to customers.

b) The Bank has a system of evaluating the derivatives exposure separately and placing appropriate credit lines for execution of derivative transactions duly reckoning the Net Worth and security backing of individual clients.

c) The Bank has set in place appropriate control systems to assess the risks associated in using derivatives as hedge instruments and proper risk reporting systems are in place to monitor all aspects relating to derivative transactions. The Derivative transactions were undertaken only with the Banks and counterparties well within their respective exposure limit approved by appropriate credit sanctioning authorities for each counter party.

d) The Bank has set necessary limits in place for using derivatives and its position is continuously monitored.

e) The Bank has a system of continuous monitoring appraisal of resultant exposures across the administrative hierarchy for initiation of necessary follow up actions.

f) Derivatives are used by the Bank to hedge the Bank's Balance sheet and offered to select corporate clients on back-to-back basis. In respect of hedge transactions, the value and maturity of hedges have not exceeded that of the underlying exposures. In respect of back-to-back transactions, the transactions with clients are fully matched with counter party Bank transactions and there is no uncovered exposure.

g) The income from such derivatives are amortized and taken to profit and loss account on accrual basis over the life of the contract. In case of early termination of swaps undertaken for Balance Sheet Management, income on account of such gains would be recognized over the remaining contractual life of the swap or life of the assets/ liabilities whichever is lower. In case of early termination of derivatives undertaken for customers on a back-to-back basis, income on account of such transactions will be recognized on termination.

h) All the hedge transactions are accounted on accrual basis. Valuations of the outstanding contracts are done on Mark to Market basis. The Bank has duly approved Risk Management and Accounting procedures for dealing in Derivatives.

i) The derivative transactions are conducted in accordance with the extant guidelines of Reserve Bank of India.

Risk Management policies pertaining to derivatives with particular reference to the extent to which derivatives are used, the associated risks and business purposes served. Also to include

a) The structure and organization for management of risk in derivatives trading;

b) The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems;

c) Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/mitigants; and

d) Accounting policy for recording hedge and non-hedge transactions; recognition of income, premiums and discounts; valuation of outstanding contracts; provisioning, collateral and credit risk mitigation.

ट्रेजरी (देशीय)

बैंक, सरकारी प्रतिभूतियों में ब्याज दर जोखिम को कम करने के उद्देश्य से प्रतिरक्षा हेतु और अधीनस्थ ऋणों और सावधि जमाओं की लागत कम करने के लिए रुपया ब्याज दर स्वैप (आइ आर एस) का प्रयोग करता है । इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार ट्रेडिंग के लिए बैंक रुपया ब्याज दर स्वैप को अपनाता है । स्वैप लेन देन केवल उन्हीं बैंकों के साथ किए जाते हैं जिनके पास आइ एस डी ए करार मौजूद है ।

अ. बैंक में जोखिम प्रबंधन के लिए उपयुक्त ढांचा और संगठन उपलब्ध है जिसमें ट्रेजरी विभाग , बोर्ड की आस्ति देयता प्रबंधन समिति और जोखिम प्रबंधन समिति शामिल है ।

आ. व्युत्पन्न लेन देन में बाजार जोखिम (ब्याज दरों में प्रतिकूल संचलन के कारण उत्पन्न), उधार जोखिम (संभावित काउंटर पार्टी चूकने से उत्पन्न) तरलता जोखिम (सामान्य मूल्य पर लेन देन निष्पादित करने हेतु या निधियों की जरूरत की पूर्ति करने से चूकने पर उत्पन्न) , परिचालनगत जोखिम , विनियामक जोखिम , प्रतिष्ठा जोखिम शामिल रहता है। बैंक ने व्युत्पन्न का प्रयोग करने में निहित जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त नियंत्रण प्रणालियां स्थापित कर रखी हैं और व्युत्पन्न लेन देनों से संबंधित सभी पक्षों का प्रबोधन करने हेतु उचित जोखिम सूचना प्रणाली और उसे कम करने की प्रणाली उपलब्ध करवाई है । आइ आर एस लेन देन केवल बैंकों के साथ प्रतिपार्टी के रूप में किए जाते हैं और हर पार्टी के लिए बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित उधार सीमा के अंदर होते हैं ।

इ. बैंक व्युत्पन्न का प्रयोग प्रतिरक्षा एवं ट्रेडिंग के लिए करता है । बैंक में व्युत्पन्न के लिए अनुमोदित नीति उपलब्ध है और बैंक ने व्युत्पन्न का प्रयोग करने के लिए आवश्यक सीमाएं नियत की हैं और इसकी स्थिति का नियमित रूप से प्रबोधन किया जाता है । केवल दुतरफा आधार पर प्रयुक्त प्रतिरक्षाओं अथवा बैंक के तुलन पत्र की प्रतिरक्षा का मूल्य व परिपाक ने ऋण के मूलाधार का अधिगमन नहीं किया है ।

ई. व्युत्पन्न के लिए लेखाकरण नीति भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूची 17 -महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ (नीति संख्या 6) में प्रकट किए अनुसार तैयार की गयी है ।

11.3.2. मात्रात्मक प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2017-18		2016-17	
		वर्तमान डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स	वर्तमान डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स
(i)	डेरिवेटिव्स (काल्पनिक मूल रकम)				
	क) प्रतिरक्षा के लिए	1 614.89	0	7.71	23.00
	ख) व्यापार के लिए	0	0	0	50.00
(ii)	बाजार मूल्य को बही में अंकित करने की स्थिति				
	क) आस्तियाँ (+)				
	ख) देयताएँ (-)	4.96	0	0	0.11
		26.45	0	0.81	*
(iii)	ऋण जोखिम	166.45	0	15.42	0.36
(iv)	ब्याज दर में संभावित एक प्रतिशत के परिवर्तन (100*पीवी01)				
	क) प्रतिरक्षा डेरिवेटिव्स पर				
	ख) व्यापार डेरिवेटिव्स पर	40.01	0	0.02	0.24
		0	0	0.00	0.22
v)	वर्ष के दौरान देखे गए 100*पीवी01 का न्यूनतम और अधिकतम				
	प्रतिरक्षा पर				
	अधिकतम	42.97	0	0.64	2.34
	न्यूनतम	0	0	0.02	0.24
	व्यापार पर				
	अधिकतम	0.07	0	0.09	0.93
	न्यूनतम	0	0	0.00	0.22

*** उत्तरदायित्व के खिलाफ रखे स्वैप का संपर्क शून्य है।**

Treasury (Domestic)

The Bank uses Rupee Interest Rate Swaps (IRS) for hedging purpose to mitigate interest rate risk in Government Securities and to reduce the cost of Subordinated Debt. In addition, the bank also enters into Rupee Interest Rate Swaps for trading purposes as per the policy duly approved by the Board. Swap transactions are entered only with Banks having ISDA agreements in place.

a) The bank has put in place an appropriate structure and organization for management of risk, which includes Treasury Department, Asset Liability Management Committee and Risk Management Committee of the Board.

b) Derivative transactions carry Market Risk (arising from adverse movement in interest rates), Credit risk (arising from probable counter party failure), Liquidity risk (arising from failure to meet funding requirements or execute the transaction at a reasonable price), Operational risk, Regulatory risk and Reputation risk. The Bank has laid down policies, set in place appropriate control systems to assess the risks associated in using derivatives and proper risk reporting and mitigation systems are in place to monitor all risks relating to derivative transactions. The IRS transactions were undertaken with only Banks as counter party and well within the exposure limit approved by the Board of Bank for each counter party.

c) Derivatives are used by the bank for trading and hedging. The bank has an approved policy in force for derivatives and has set necessary limits for the use of derivatives and the position is continuously monitored. The value and maturity of the hedges which are used only as back to back or to hedge bank's Balance Sheet has not exceeded that of the underlying exposure.

d) The accounting policy for derivatives has been drawn up in accordance with RBI guidelines, asdisclosed in Schedule 17 – Significant Accounting Policies (Policy No.6)

11.3.2 Quantitative Disclosures **(Rs. in Crore)**

Sr. No.	Particulars	2017-18 CURRENCY DERIVATIVES	2017-18 INTEREST RATE DERIVATIVES	2016-17 CURRENCY DERIVATIVES	2016-17 INTEREST RATE DERIVATIVES
(i)	Derivatives (Notional Principal Amount)				
	a) For Hedging	1614.89	0	7.71	23.00
	b) For Trading	0	0	0	50.00
(ii)	Mark to Market Positions				
	a) Asset (+)	4.96	0	0	0.11
	b) Liability (-)	26.45	0	0.81	*
(iii)	Credit Exposure	166.45	0	15.42	0.36
(iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	a) On hedging derivatives	40.01	0	0.02	0.24
	b) on trading derivatives	0	0	0.00	0.22
v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	a) on hedging				
	Maximum	42.97	0	0.64	2.34
	Minimum	0	0	0.02	0.24
	b) on trading				
	Maximum	0.07	0	0.09	0.93
	Minimum	0	0	0.00	0.22

***The exposure to the swaps hedged against liability is Nil.**

12. आस्ति गुणवत्ता

12.1.1. अनर्जक आस्तियाँ (एनपीए)

(रु.करोड़ में)

	2017-18	2016-17
i) निवल एनपीए की तुलना में निवल अग्रिम ( )	15.33%	13.99
ii) एनपीए की गतिशीलता (सकल)		
क) अथ शेष	35 098.26	30 048.63
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	16 824.79	13 003.70
ग) वर्ष के दोरान कटौतियाँ	13 742.90	7 954.07
घ) इति शेष	38 180.15	35 098.26
iii) निवल एनपीए की गतिशीलता		
क) अथ शेष	19 749.32	19 212.58
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	4 889.81	6 055.44
ग) वर्ष के दोरान कटौतियाँ	4 239.46	5 518.70
घ) इति शेष	20 399.66	19 749.32
iv) एनपीए की गतिशीलता के लिए प्रावधान (मानक आस्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर)		
क) अथ शेष	14 149.97	9 743.38
ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	11 934.98	6 948.26
ग) बट्टे खाते में डाले गए / पुनरांकित अतिरिक्त प्रावधान	8 751.17	2 541.67
घ)इति शेष	17 333.78	14 149.97

12.1.2 एनपीए के लिए आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन

(आरबीआई परिपत्र सं डीबीआर.डीपीबीसी नं .63 / 21.04.018 / 2016-17 दिनांकित 18.04.2017)

12.1.2 ए. आरबीआई परिपत्र सं डीबीआर.डीपीबीसी नं .63 / 21.04.018 / 2016-17 दिनांकित 18.04.2017 के संदर्भ में बैंकों को आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण परिणामों में विचलन को भारिबैं के जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों के खातों के उनके नोट्स में प्रकट करना अपेक्षित है, जहां कहीं भी या तो (ए) संदर्भित अवधि के लिए भारिबैं के द्वारा मूल्यांकित अपेक्षित अतिरिक्त प्रावधान कर के बाद प्रकाशित निवल लाभ का 15 प्रतिशत पार करता है तो, अथवा (बी) आरबीआई द्वारा पहचाने गए अतिरिक्त सकल एनपीए संदर्भ अवधि के लिए प्रकाशित वृद्धिशील सकल एनपीए के 15% से अधिक हो गए हैं, या दोनों । उपरोक्त के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आरबीआई की वार्षिक जोखिम आकलन रिपोर्ट के संबंध में संपत्ति वर्गीकरण और एनपीए के प्रावधान में विचलन पर कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है।

12.1.2 बी हालांकि, एनपीए के लिए आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन के ब्यौरे

(आरबीआई परिपत्र सं डीबीआर.डीपीबीसी नं .63 / 21.04.018 / 2016-17 दिनांकित 18.04.2017) निम्नवत हैं :

कम संख्या	विवरण	राशि
1	बैक द्वारा 31 मार्च 2017 तक दर्ज किया गया सकल एनपीए	35,098.25
2	भा.रि.बै. द्वारा 31 मार्च 2017 तक आकलित किया गया सकल एनपीए	37,577.65
3	सकल एनपीए में विचलन (2-1)	2,479.40
4	भा.रि.बै. द्वारा 31 मार्च तक दर्ज किया गया निवल एनपीए	19,749.33
5	भा.रि.बै. द्वारा 31 मार्च 2016 तक आकलित किया गया निवल एनपीए	22,228.73
6	निवल एनपीए में विचलन (5-4)	2,479.40
7	भा.रि.बै. द्वारा 31 मार्च तक दर्ज किए गए एनपीए के लिए प्रावधान	14,149.97
8	भा.रि.बै. द्वारा 31 मार्च तक आकलित किए गए एनपीए के लिए प्रावधान	14,558.87
9	प्रावधानीकरण मे विचलन (8-7)	408.90
10	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद दर्ज निवल लाभ (पीएटी)	(3,416.74)
11	प्रवधानीकरण मे विचलन होने के बाद 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद समायोजित (काल्पनिक) निवल लाभ (पीएटी)	(3,858.84)

12.1.3. पुनर्संरचित खातों के विवरण

आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार गणना की गई प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 31.03.2018 (31.03.2017 को 53.63%) के मुकाबले 59.45% थी।

12. ASSET QUALITY

12.1.1 Non-Performing Assets (NPAs)

(Rs. in Crore)

Particulars	2017-18	2016-17
i) Net NPAs to Net Advances (%)	15.33%	13.99
ii) Movement of NPAs (Gross)		
a) Opening Balance	35098.26	30048.63
b) Additions during the year	16824.79	13003.70
c) Reductions during the year	13742.90	7954.07
d) Closing Balance	38180.15	35098.26
iii) Movement of Net NPAs		
a) Opening Balance	19749.32	19212.58
b) Additions during the year	4889.81	6055.44
c) Reductions during the year	4239.46	5518.70
d) Closing Balance	20399.66	19749.32
iv) Movement of Provisions for NPAs		
(excluding provisions on standard assets)		
a) Opening balance	14149.97	9743.38
b) Provisions made during the year	11934.98	6948.26
c) Write-off/Write-back of excess provisions	8751.17	2541.67
d) Closing balance	17333.78	14149.97

12.1.2 Divergence in the Asset Classification and Provisioning for NPAs

(vide RBI Circular No.DBR.DP.BC.No.63/21.04.018/2016-17 dated 18.04.2017)

12.1.2a In terms of RBI Circular No.DBR.BP.BC.No.63/21/04/018/2016-17 dated April 18, 2017, banks are required to disclose the divergences in asset classification and provisioning consequent to RBI's Risk Assessment Report in their notes to accounts to the financial statements, wherever either (a) the additional provisioning requirements assessed by RBI exceed 15% of the published net profits after tax for the reference period; or (b) the additional Gross NPAs identified by RBI exceed 15% of the published incremental Gross NPAs for the reference period, or both. Based on the above, no disclosure on divergence in asset classification and provisioning for NPAs is required with respect to RBI's Annual Risk Assessment Report for Financial Year 2016-17.

12.1.2b However, the details of Divergence in the Asset Classification and Provisioning for NPAs

(vide RBI Circular No.DBR.DP.BC.No.63/21.04.018/2016-17 dated 18.04.2017) are as under:

(Rs. In Crore)

S.No	Particulars	Amount
1	Gross NPAs as on March, 31,2017 as reported by the Bank	35,098.25
2	Gross NPAs as on March, 31,2017, as assessed by RBI	37,577.65
3	Divergence in Gross NPA (2-1)	2,479.40
4	Net NPAs as on March, 31,2017 as reported by the Bank	19,749.33
5	Net NPAs as on March, 31,2017 as assessed by RBI	22,228.73
6	Divergence in Net NPAs (5-4)	2,479.40
7	Provision for NPAs as on March, 31,2017 as reported by the Bank	14,149.97
8	Provision for NPAs as on March, 31,2017 as assessed by RBI	14,558.87
9	Divergence in provisioning (8-7)	408.90
10	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March,31,2017	(3,416.74)
11	Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March,31,2017 after taking into account the divergence in provisioning	(3,858.84)

12.1.3 Provision Coverage Ratio

The Provision Coverage Ratio (PCR) computed as per the RBI guidelines stood at 59.45% as on 31.03.2018 (53.63% as on 31.03.2017).

12.2. पुनर्संरचित खातों का विवरण (रु. करोड़ में)

क्रम सं.	पुन: संरचना का प्रकार		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई उधार पुनर्संरचना के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण / विवरण		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल, 2017 तक पुनर्संरचि खाते (प्रारंभिक आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	14	9	17	0	40	19	9	59	0	87	49	14	102	2	167	82	32	178	2	294
		बकाया राशि	1732.53	854.25	2788.87	0.00	5375.65	172.89	43.88	306.42	0.00	523.19	5661.94	747.95	2137.49	78.42	8625.80	7567.36	1646.08	5232.78	78.42	14524.64
		उन पर प्रावधान	56.57	21.63	56.57	0.00	134.77	0.51	0.05	0.39	0.00	0.95	37.75	13.27	4.85	0.00	55.87	94.83	34.95	61.81	0.00	191.59
2	मौजूदा खातों के लिए उधारी में वृद्धि सहित1.4.17 से 31.03.2018 के दौरान नई पुनर्संरचना	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	1	2	0	20	17	1	2	0	20
		बकाया राशि	21.14	2.74	107.73	0.00	131.61	24.30	0.06	0.21	0.00	24.57	4272.65	106.82	213.46	0.00	4592.93	4318.09	109.62	321.40	0.00	4749.11
		उन पर प्रावधान	-1.40	-3.42	-6.92	0.00	-11.74	0.00	-0.01	-0.03	0.00	-0.04	-1.80	-0.19	2.81	0.00	0.82	-3.20	-3.62	-4.14	0.00	-10.96
3	1.4.2017 से 31.03.2018 पुनर्संरचित मानक वर्ग के स्तर में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	1	-1	0	0	0	1	0	-1	0	0	6	-2	-4	0	0	8	-3	-5	0	0
		बकाया राशि	68.59	-68.59	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	-0.90	0.00	0.00	179.83	-161.28	-18.55	0.00	0.00	249.32	-229.87	-19.45	0.00	0.00
		उन पर प्रावधान	2.29	-2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29	-4.48	-0.81	0.00	0.00	7.58	-6.77	-0.81	0.00	0.00

12.2 Particulars of Accounts Restructured (Rs. in Crore)

Sl No.	Type of Restructuring		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
	Asset Classification / Details		Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total
1	Restructured Accounts as on April 1, 2017	No. of Borrowers	14	9	17	0	40	19	9	59	0	87	49	14	102	2	167	**82**	**32**	**178**	**2**	**294**
		Amount Out standing	1732.53	854.25	2788.87	0.00	5375.65	172.89	43.88	306.42	0.00	523.19	5661.94	747.95	2137.49	78.42	8625.80	**7567.36**	**1646.08**	**5232.78**	**78.42**	**14524.64**
		Provision Thereon	56.57	21.63	56.57	0.00	134.77	0.51	0.05	0.39	0.00	0.95	37.75	13.27	4.85	0.00	55.87	**94.83**	**34.95**	**61.81**	**0.00**	**191.59**
2	Fresh Restructuring during 1.4.17 to 31.03.2018 including increase in exposure for existing accounts	No. of Borrowers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	1	2	0	20	**17**	**1**	**2**	**0**	**20**
		Amount Out standing	21.14	2.74	107.73	0.00	131.61	24.30	0.06	0.21	0.00	24.57	4272.65	106.82	213.46	0.00	4592.93	**4318.09**	**109.62**	**321.40**	**0.00**	**4749.11**
		Provision Thereon	-1.40	-3.42	-6.92	0.00	-11.74	0.00	-0.01	-0.03	0.00	-0.04	-1.80	-0.19	2.81	0.00	0.82	**-3.20**	**-3.62**	**-4.14**	**0.00**	**-10.96**
3	Upgradation of restructured standard category during 01.04.2017 to 31.03.2018	No. of Borrowers	1	-1	0	0	0	1	0	-1	0	0	6	-2	-4	0	0	**8**	**-3**	**-5**	**0**	**0**
		Amount Out standing	68.59	-68.59	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	-0.90	0.00	0.00	179.83	-161.28	-18.55	0.00	0.00	**249.32**	**-229.87**	**-19.45**	**0.00**	**0.00**
		Provision Thereon	2.29	-2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29	-4.48	-0.81	0.00	0.00	**7.58**	**-6.77**	**-0.81**	**0.00**	**0.00**

क्रम सं.		4			5		
पुन: संरचना का प्रकार	आस्ति वर्गीकरण / विवरण	उच्च प्रावधान आकर्षित करनेवाले पुन: संरचित मानक अग्रिम और/या वित्तीय वर्ष के अंत में अतिरिक्त जोखिम भार और इसलिए अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में जिन्हें पुन: संरचित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है ।			1.4.17 से 31.03.2018 के दौरान पुन: संरचित खातों का अवनयन		
		उधारकर्ताओं की संख्या	बकाया राशि	उन पर प्रावधान	उधारकर्ताओं की संख्या	बकाया राशि	उन पर प्रावधान
सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत	**मानक**	-5	-344.67	-22.00	-7	-1230.52	-11.58
	अवमानक				-4	-408.09	-4.77
	संदिग्ध				11	1638.61	16.35
	हानि				0	0.00	0.00
	कुल	-5	-344.67	-22.00	0	0.00	0.00
एसएमई उधार पुनर्संरचना के अंतर्गत	**मानक**	-11	-94.78	-0.26	-3	-56.02	-0.21
	अवमानक				-6	12.17	0.01
	संदिग्ध				9	43.85	0.20
	हानि				0	0.00	0.00
	कुल	-11	-94.78	-0.26	0	0.00	0.00
अन्य	**मानक**	-16	-1883.49	-1.64	-24	-6011.62	-13.57
	अवमानक				2	3410.73	-0.09
	संदिग्ध				22	2600.89	13.66
	हानि				0	0.00	0.00
	कुल	-16	-1883.49	-1.64	0	0.00	0.00
कुल	**मानक**	-32	-2322.94	-23.90	-34	-7298.16	-25.36
	अवमानक				-8	3014.80	-4.85
	संदिग्ध				42	4283.35	30.21
	हानि				0	0.00	0.00
	कुल	-32	-2322.94	-23.90	0	0.00	0.00

Sl No.	Type of Restructuring / Asset Classification / Details		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
			Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and /or additional risk weight at the end of FY and hence need not be shows as restructured standard advances at the beginning of the next FY	No. of Borrowers	-5				-5	-11				-11	-16				-16	-32				-32
		Amount Out standing	-344.67				-344.67	-94.78				-94.78	-1883.49				-1883.49	-2322.94				-2322.94
		Provision Thereon	-22.00				-22.00	-0.26				-0.26	-1.64				-1.64	-23.90				-23.90
5	Down gradation of the restru-ctured accounts during 01.04.17 to 31.03.2018	No. of Borrowers	-7	-4	11	0	0	-3	-6	9	0	0	-24	2	22	0	0	-34	-8	42	0	0
		Amount Out standing	-1230.52	-408.09	1638.61	0.00	0.00	-56.02	12.17	43.85	0.00	0.00	-6011.62	3410.73	2600.89	0.00	0.00	-7298.16	3014.80	4283.35	0.00	0.00
		Provision Thereon	-11.58	-4.77	16.35	0.00	0.00	-0.21	0.01	0.20	0.00	0.00	-13.57	-0.09	13.66	0.00	0.00	-25.36	-4.85	30.21	0.00	0.00

क्रम सं.	पुन: संरचना का प्रकार		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई उधार पुनर्संरचना के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण / विवरण		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
6	1.4.17 से 31.03.2018 के दौरान पुन: संरचित खातों को बट्टे खाते में डालना / बिक्री	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	-3	0	-3	-5	-1	-9	0	-15	-3	0	-15	-1	-19	-8	-1	-27	-1	-37
		बकाया राशि	-174.91	-15.81	-317.50	0.00	-508.22	-35.60	-14.83	-13.21	0.00	-63.64	-394.57	-30.30	-273.82	-77.96	-776.66	-605.08	-60.94	-604.54	-77.96	-1348.52
		उस पर प्रावधान	-22.20	-3.49	-38.58	0.00	-64.27	-0.04	-0.02	-0.25	0.00	-0.31	-3.52	-2.55	-4.30	0.00	-10.37	-25.76	-6.06	-43.13	0.00	-74.95
7	मार्च 31, 2018 (अंतिम आंकड़े) तक पुन: संरचित किए गए खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	3	4	25	0	32	1	2	58	0	61	29	15	107	1	152	33	21	190	1	245
		बकाया राशि	72.16	364.50	4217.71	0.00	4654.37	11.69	41.28	336.37	0.00	389.34	1824.74	4073.92	4659.46	0.46	10558.58	1908.59	4479.70	9213.54	0.46	15602.29
		उनपर प्रावधान	1.68	7.66	27.42	0.00	36.76	0.00	0.03	0.31	0.00	0.34	22.51	5.96	16.21	0.00	44.68	24.19	13.65	43.94	0.00	81.78

12.3. आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/ पुन:संरचना कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के विवरण

अ. बिक्री का विवरण

(रु. करोड़ में)

क्रम सं	**विवरण**	**2017-18**	**2016-17**
(i)	खातों की संख्या	13	8
(ii)	एस सी / आर सी को विक्रय किए गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों का निवल)	2 113.05	276.75
(iii)	कुल प्रतिफल्ä	2 364.98	425.55
(iv)	गत वर्षों में अंतरित खातों से प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल्ä	5.92	0
(v)	निवल बही-मूल्य पर कुल लाभ / (हानि)	251.91	148.80

Sl No.	Type of Restructuring		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
	Asset Classification		Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total
	Details																					
6	Write off/ sale/ closure/ exit from CDR/ recovery action initiated in restructured accounts during 1.04.2017 to 31.03.2018	No. of Borrowers	0	0	-3	0	-3	-5	-1	-9	0	-15	-3	0	-15	-1	-19	-8	-1	-27	-1	-37
		Amount Out standing	-174.91	-15.81	-317.50	0.00	-508.22	-35.60	-14.83	-13.21	0.00	-63.64	-394.57	-30.30	-273.82	-77.96	-776.66	-605.08	-60.94	-604.54	-77.96	-1348.52
		Provision Thereon	-22.20	-3.49	-38.58	0.00	-64.27	-0.04	-0.02	-0.25	0.00	-0.31	-3.52	-2.55	-4.30	0.00	-10.37	-25.76	-6.06	-43.13	0.00	-74.95
7	Restruc tured Accounts as on March 31 of the 2018 (closing Figures)	No. of Borrowers	3	4	25	0	32	1	2	58	0	61	29	15	107	1	152	33	21	190	1	245
		Amount Out standing	72.16	364.50	4217.71	0.00	4654.37	11.69	41.28	336.37	0.00	389.34	1824.74	4073.92	4659.46	0.46	10558.58	1908.59	4479.70	9213.54	0.46	15602.29
		Provision Thereon	1.68	7.66	27.42	0.00	36.76	0.00	0.03	0.31	0.00	0.34	22.51	5.96	16.21	0.00	44.68	24.19	13.65	43.94	0.00	81.78

12.3 Details of Financial Assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset reconstruction

A. Details of Sales

(Rs. in Crore)

S. NO.	Particulars	2017-18	2016-17
(i)	No. of accounts	13	8
(ii)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	2 113.05	276.75
(iii)	Aggregate consideration	2 364.98	425.55
(iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	5.92	0
(v)	Aggregate gain/(loss) over net book value	251.91	148.80

आ. सुरक्षा रसीद में निवेश का मूल्य का विवरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17
i) अंतर्निहित बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित	1 355.01	483.39
ii) अंतर्निहित अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थानों / गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित	--	--
कुल	1 355.01	483.39

उ. सुरक्षा रसीद में निवेश के मूल्य मूल्य पर अतिरिक्त प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

क्रम सं	विवरण	पिछले 5 वर्षों में जारी की गई एसआर	पिछले 5 वर्षों के बाद लेकिन 8 वर्षों से पहले जारी की गई एसआर	8 साल पहले जारी की गई एसआर
(i)	अंतर्निहित बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआरएस का बुक वैल्यू	3 666.37	294.34	2.89
	(I) के खिलाफ प्रावधान	--	193.85	2.89
(ii)	अंतर्निहित के रूप में अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थानों / गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआरएस का बुक वैल्यू	--	--	--
	(ii) के खिलाफ प्रावधान	--	--	--
	कुल (i)+ (ii)	3 666.37	294.34	2.89

12.4. अन्य बैंकों से क्रय / विक्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

12.4.1. क्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17
1 [क] वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की संख्या	--	--
[ख] कुल बकाया	--	--
2 [क] वर्ष के दौरान इनमें से पुन:संरचित खातों की संख्या	--	--
[ख] कुल बकाया	--	--

12.4.2. विक्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17
1 विक्रय किए गए खाते	--	--
2 कुल बकाया	--	--
3 प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	--	--

12.5. मानक आस्तियों पर प्रावधान

(रु. करोड़ में)

ववरिण	2017-18	2016-17
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	629.49	1084.11

13. कारोबार अनुपात

	विवरण	2017-18	2016-17
(i)	औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजगत आय	7.26%	7.77%
(ii)	औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय	1.52%	1.33%
(iii)	औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालनात्मक लाभ	1.47%	1.44%
(iv)	आस्तियों से लाभ	-2.33	-1.21
(v)	कारोबार (जमाएँ व अग्रिम) प्रति कर्मचारी (रु. करोडों में)	13.10	12.28
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (रु. करोड़ों में)	-0.2243	-0.1140

B. Details of book Value of Investment in Security Receipt

(Rs. in Crore)

Particulars	2017-18	2016-17
i) Backed by NPAs sold by the Bank as underlying	1 355.01	483.39
ii) Backed by NPAs sold by other banks/financial institutions /non-banking financial companies as underlying	--	--
Total	**1 355.01**	**483.39**

C. Additional Disclosure on book Value of Investment in Security Receipt

(Rs. In Crore)

S. NO.	Particulars	SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 years ago
(i)	Book Value of SRs backed by NPAs sold by the bank as underlying	3 666.37	294.34	2.89
	Provision held against (i)	--	193.85	2.89
(ii)	Book Value of SRs backed by NPAs sold by other banks/financial institutions/non-banking financial companies as underlying	--	--	--
	Provision held against (ii)	--	--	--
Total (i)+ (ii)		**3 666.37**	**294.34**	**2.89**

12.4 Details of non-performing financial assets purchased/sold from other banks

12.4.1 Details of non-performing financial assets purchased: (Rs. in Crore)

Particulars	2017-18	2016-17
1 (a) No. of accounts purchased during the year	--	--
(b) Aggregate outstanding	--	--
2 (a) Of these, number of accounts restructured during the year	--	--
(b) Aggregate outstanding	--	--

12.4.2 Details of non-performing financial assets sold: (Rs. in Crore)

Particulars	2017-18	2016-17
1. No. of accounts sold	--	--
2. Aggregate Outstanding	--	--
3. Aggregate consideration received	--	--

12.5 Provisions on Standard Assets (Rs. in Crore)

Particulars	2017-18	2016-17
Provisions towards Standard Assets	629.49	1084.11

13 BUSINESS RATIOS

S. No.	Particulars	2017-18	2016-17
(i)	Interest Income as a percentage to Working Funds	7.26%	7.77%
(ii)	Non-Interest Income as a percentage to Working Funds	1.52%	1.33%
(iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.47%	1.44%
(iv)	Return on Assets	-2.33	-1.21
(v)	Business (Deposits plus advances) per Employee (Rs. in Crore)	13.10	12.28
(vi)	Profit per employee (Rs. in Crore)	-0.2243	-0.1140

14. आस्ति देयता प्रबंधन :

31 मार्च 2018 तक आस्तियों व देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का प्रतिमान

(रु. करोड़ों में)

ववविरण	जमाएँ	अग्रिम (सकल)	निवेश (सकल)	उधार	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	विदेशी मुद्रा देयताएँ
1 दिन	2227.87	2072.80	9560.69	3.75	3506.88	1450.52
2 से 7 दिन	5117.39	3430.45	2201.77	0	1334.75	981.22
8 से 14 दिन	6189.96	3167.48	1416.91	0	702.38	1146.92
15 से 30 दिन	4998.45	5298.72	961.39	313.17	3692.44	3448.49
31 दिन से 2 महीने तक	8294.17	13181.02	1877.43	130.74	4784.67	2804.05
2 महीने से अधिक एवं 3 महीने तक	8050.60	15934.30	1773.32	309.41	2167.38	2713.51
3 महीने से अधिक एवं 6 महीने तक	22613.86	17788.94	5906.86	3604.01	4677.36	6072.60
6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	51397.89	32701.56	11866.91	0	1668.31	3120.04
1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	24835.14	32072.77	9712.92	3100.00	1990.63	1616.65
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	7064.66	9961.80	3045.21	0	2563.19	3059.53
5 वर्ष से अधिक	76036.68	14372.87	21939.72	1767.00	1972.99	2647.45
कुल	**216826.67**	**149982.71**	**70263.13**	**9228.08**	**29060.98**	**29060.98**

31 मार्च, 2017 को संपत्तियों और देनदारियों के कुछ सामानों की परिपक्वता पैटर्न *

(रु. करोड़ों में)

विवरण	जमाएँ	अग्रिम (सकल)	निवेश (सकल)	उधार	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	विदेशी मुद्रा देयताएँ
1 दिन	3019.23	7243.87	10071.57	0.20	2127.58	1274.56
2 से 7 दिन	5202.00	2783.86	2499.30	144.11	1136.40	426.76
8 से 14 दिन	6104.89	5159.22	1378.93	175.10	361.17	480.23
15 से 30 दिन	4201.59	4574.02	1021.14	64.85	911.06	1110.50
31 दिन से 2 महीने तक	7679.05	13555.36	1849.27	389.11	1961.99	1561.05
2 महीने से अधिक एवं 3 महीने तक	7890.48	17135.28	1986.63	356.66	3893.60	978.55
3 महीने से अधिक एवं 6 महीने तक	23828.70	14403.25	6772.86	2891.13	1636.03	2838.66
6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	48431.56	23741.24	11933.95	817.26	1691.79	3481.45
1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	26229.50	41962.77	10018.38	8492.25	1257.88	3413.16
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5444.86	11989.03	2176.72	1000.00	1723.07	447.65
5 वर्ष से अधिक	73310.76	14227.93	22603.93	1767.00	1973.45	2661.45
कुल	**211342.63**	**156775.81**	**72312.68**	**16097.67**	**18674.02**	**18674.02**

*प्रबंधन द्वारा अनुपालन और प्रमाणित के रूप में

14 . ASSET LIABILITY MANAGEMENT:

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as at March 31, 2018*

(Rs. in Crore)

Particulars	Deposits	Advances (Gross)	Investments (Gross)	Borrowings	Foreign Currency Assets	Foreign Currency Liabilities
Day 1	2227.87	2072.80	9560.69	3.75	3506.88	1450.52
2 to 7 days	5117.39	3430.45	2201.77	0	1334.75	981.22
8 to 14 days	6189.96	3167.48	1416.91	0	702.38	1146.92
15 Days – 30 Days	4998.45	5298.72	961.39	313.17	3692.44	3448.49
31 Days – 2 Months	8294.17	13181.02	1877.43	130.74	4784.67	2804.05
2 Months – 3 Months	8050.60	15934.30	1773.32	309.41	2167.38	2713.51
3 Months – 6 Months	22613.86	17788.94	5906.86	3604.01	4677.36	6072.60
Over 6 Months & Upto 1 year Months	51397.89	32701.56	11866.91	0	1668.31	3120.04
Over 1 year & up to 3 years	24835.14	32072.77	9712.92	3100.00	1990.63	1616.65
Over 3 years & up to 5 years	7064.66	9961.80	3045.21	0	2563.19	3059.53
Over 5 years	76036.68	14372.87	21939.72	1767.00	1972.99	2647.45
Total	**216826.67**	**149982.71**	**70263.13**	**9228.08**	**29060.98**	**29060.98**

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as at March 31, 2017*

(Rs. in Crore)

Particulars	Deposits	Advances (Gross)	Investments (Gross)	Borrowings	Foreign Currency Assets	Foreign Currency Liabilities
Day 1	3019.23	7243.87	10071.57	0.20	2127.58	1274.56
2 to 7 days	5202.00	2783.86	2499.30	144.11	1136.40	426.76
8 to 14 days	6104.89	5159.22	1378.93	175.10	361.17	480.23
15 Days – 30 Days	4201.59	4574.02	1021.14	64.85	911.06	1110.50
31 Days – 2 Months	7679.05	13555.36	1849.27	389.11	1961.99	1561.05
2 Months – 3 Months	7890.48	17135.28	1986.63	356.66	3893.60	978.55
3 Months – 6 Months	23828.70	14403.25	6772.86	2891.13	1636.03	2838.66
Over 6 Months & Upto 1 year Months	48431.56	23741.24	11933.95	817.26	1691.79	3481.45
Over 1 year & up to 3 years	26229.50	41962.77	10018.38	8492.25	1257.88	3413.16
Over 3 years & up to 5 years	5444.86	11989.03	2176.72	1000.00	1723.07	447.65
Over 5 years	73310.76	14227.93	22603.93	1767.00	1973.45	2661.45
Total	**211342.63**	**156775.81**	**72312.68**	**16097.67**	**18674.02**	**18674.02**

***as complied and certified by the management**

15. उधार

15.1. स्थावर संपदा क्षेत्र को ऋण

(रु. करोड़ों में)

प्रवर्ग	**2017-18**	**2016-17**
अ) प्रत्यक्ष ऋण		
i) रिहाइशी बंधक - उधारकर्ता की उस रिहाइशी संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्णत: प्रतिभूति उधार जिसमें उधारकर्ता खुद रहता है या रहने वाला है या जिसे किराए पर दिया जायेगा ।	16298.78	12327.00
जिसमें प्राथमिकता क्षेत्र के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र वैयक्तिक आवास ऋण	7369.56	7631.29
ii) वाणिज्यिक स्थावर-संपदा - वाणिज्यिक स्थावर संपदाओं पर बंधक द्वारा प्रतिभूत उधार (कार्यालय भवन, छोटी-मोटी ज़मीन, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार निवासीय भवन, बहुविध किराए पर दिया हुआ वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या वेयरहाउस ज़मीन, होटल, भूमि अभिग्रहण, विस्तारण व निर्माण आदि) उधार में गैर-निधि आधारित सीमाएँ (एनएफबी) सम्मिलित हैं	5983.04	5425.42
iii) स्थावर संपदा अन्य :: होटल, अस्पताल और लिक्विरेंट ऋण जो सीआरई के तहत नहीं है	1838.20	2210.27
iv) बंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश और अन्य प्रत्याभूत उधार रिहाइशी वाणिज्यिक स्थावर संपदा अन्य क) आवासीय ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा ग) अन्य निवेश सीआइजी रियलिटी	0	20.00
अप्रत्यक्ष ऋण		
आ) अप्रत्यक्ष ऋण : राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबीह) और आवासीय वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित और गैर-निधि आधारित उधार	1697.00	1156.00
स्थावर संपदा प्रवर्ग को कुल ऋण (अ +आ)	25817.02	21138.69

15.2. पूँजी बाज़ार को ऋण जोखिम **(रु. करोड़ों में)**

विवरण	**2017-18**	**2016-17**
उन ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनशील बाँडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों में किया गया प्रत्यक्ष निवेश, जिनकी निधि का निवेश विशिष्टत: कार्पोरेट ऋण में नहीं किया गया है;	472.30	540.33
ii) शेयरों (आइपीओ / ईएसओपी सहित), परिवर्तनशील बाँडों और परिवर्तनशील डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों / बाँडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर अग्रिम्ä	0.68	0.29
iii) किसी अन्य प्रयोजन हेतु दिए गए वे अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडो की यूनिटों को मूल प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है ।	1.98	2.26
iv) जहाँ शेयरों / परिवर्तनशील बाँडों / परिवर्तनशील डिबेंचरों / ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों से इतर प्रधान प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करती, वहाँ शेयरों या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों को संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रत्याभूत कर किन्हीं अन्य उद्देश्यों के लिए प्रदत्त अग्रिम;	653.41	1594.13
v) स्टॉक ब्रोकर को दिए गए सुरक्षित व असुरक्षित अग्रिम और स्टॉक ब्रोकर और मार्केट मेकर्स की ओर से जारी की गई गारंटियाँ;	0.60	0.88
vi) संसाधनों को जुटाने की अपेक्षा से नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों / बाँडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति के प्रति या निर्बन्ध आधार पर कार्पोरेटों को मंजूर ऋण;		0.00
vii) प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह / निर्गमों पर कंपनियों को पूरक ऋण;	0.00	0.00
viii) शेयरों या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंड की यूनिटों के संबंध में बैंकों द्वारा ली गयी हामीदारी प्रतिबद्धताएँ;	0.00	0.00
ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त प्रदान करना;	0.00	0.00
x) उद्यम पूंजीगत निधियों (पंजीकृत व अपंजीकृत दोनों ही) के प्रति सभी ऋण	142.10	169.83
पूँजी बाजार को कुल उधार	**1271.07**	**2307.72**

15 Exposures

15.1 Exposure to Real Estate Sector

(Rs. in Crore)

Category	2017-18	2016-17
(a) Direct Exposure		
i) Residential Mortgages- Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented;	16298.78	12327.00
Out of which individual housing loans eligible to be classified under Priority Sector	7369.56	7631.29
ii) Commercial Real Estate- Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenated commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction etc.) Exposure would also include non-fund based(NBF) limits;	5983.04	5425.42
iii) Real estate other (Hotel, Hospital & liquirent not under CRE)	1838.20	2210.27
iv) Investments in mortgage backed securities (MBS) and other securitized exposures- a. Residential b. Commercial Real Estate c. other investment CIG Reality	0	20.00
(b) Indirect Exposure		
Fund based and non-fund based exposures on National housing Bank(NHB) and Housing Finance companies(HFCs)	1697.00	1156.00
TOTAL EXPOSURE TO REAL ESTATE SECTOR	**25817.02**	**21138.69**

15.2 Exposure to Capital Market

(Rs. in Crore)

Particulars	2017-18	2016-17
i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	472.30	540.33
ii) advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds;	0.68	0.29
iii) advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	1.98	2.26
iv) advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds ie. Where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	653.41	1594.13
v) Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers;	0.60	0.88
vi) loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoters contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00
vii) bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	0.00	0.00
viii) underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
ix) financing to stock brokers for margin trading;	0.00	0.00
x) all exposures to venture Capital Funds (both registered and unregistered and commitment charges)*	142.10	169.83
TOTAL EXPOSURE TO CAPITAL MARKET	**1271.07**	**2307.72**

15.3. जोखिम वर्ग वार देश ऋण

(रु. करोड़ों में)

जोखिम वर्ग*	31.03.2018 तक (निवल) अग्रिम	31.03.2018 तक धारित प्रावधान	31.03.2018 तक (निवल) अग्रिम	31.03.2018 तक धारित प्रावधान
अमहत्वपूर्ण	12454.40	8.18	15319.36	9.43
कम	5447.40	--	7177.42	--
सामान्य	77.65	--	22.36	--
सामान्य उच्च	824.41	--	752.49	--
उच्च	10.56	--	--	--
अति उच्च	--	--	--	--
कुल	18814.42	8.18	23 271.63	9.43

* निर्यात श्रेणी गारंटी निगम लिमिटेड (ईसीजीसी) के बाद सात श्रेणी वर्गीकरण के आधार पर

15.4. एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल) का विवरण, समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) बैंक द्वारा पार किया गया:

बैंक ने नीचे दिए गए मामलों में आरबीआई द्वारा निर्धारित विवेकाधीन सीमा से अधिक एकल / समूह उधारकर्ता एक्सपोजर लिया था:

2017-18

(रु. करोड़ों में)

क्रम सं.	उधारकर्ता का नाम	ऋण जोखिम सीमा	मंजूर की गई सीमा	वह अवधि जिस दौरान सीमा का अधिगमन हुआ	बोर्ड की मंजूरी के विवरण	31.03.2018 तक के लिए बकाये की स्थिति
1	ट्विन स्टार होल्डिंग्स लि., मॉरिशस	260.70	391.05	12 महीने	29.04.2017	312.85

2016-17

(रु. करोड़ों में)

क्रम सं.	उधारकर्ता का नाम	ऋण जोखिम सीमा	मंजूर की गई सीमा	वह अवधि जिस दौरान सीमा का अधिगमन हुआ	बोर्ड की मंजूरी के विवरण	31.03.2018 तक के लिए बकाये की स्थिति
1	एमटीएनएल	2345.53	3163.54	01.04.2016 -31.03.2017	18.04.2016	2438.47
2	ट्विन स्टार होल्डिंग्स लि., मॉरिशस - हाँगकाँग शाखा	259.40 (यूएसडी 40.00 मिओ)	389.10 (यूएसडी 60.00 मिओ)	01.04.2016 -31.03.2017	05.12.2014	389.10 (यूएसडी 60.00 मिओ)
3	वरदा ट्रेल्व पीटीई लि. - हाँगकाँग शाखा	259.40 (यूएसडी 40.00 मिओ)	457.19 (यूएसडी 70.50 मिओ)	01.04.2016- 03.10.2017 यूएसडी69.560मिओ (रूपये451.10 करोड़) की सीमा तक	05.12.2014	INR.64.85 (यूएसडी1/-) (In actuals)
4	एमवीपी ग्रुप आइएनटीएनएल आइएनसी	259.40 (यूएसडी 40.00 मिओ)	324.25 (यूएसडी50.00 मिओ)	01.04.2016 -31.03.2017	20.09.2013	304.80 (यूएसडी 47.00 मिओ)
5	एयर इंडिया	500.00	977.21	01.04.2016 -31.03.2017	05.02.2015	934.89
6	इफ़्फ़्को	100.00	1700.00	01.04.2016 -31.03.2017	02.09.2016	689.05
7	वेलम्मा एजुकेशन ट्रस्ट	100.00	194.01	01.04.2016 -31.03.2017	11.12.2015	167.67
8	एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेकनॉलाजी	100.00	150.00	01.04.2016 -31.03.2017	22.12.2015	138.89
9	बुलदाना उर्बन को-ओप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड	100.00	150.00	01.04.2016 -31.03.2017	13.07.2015	112.02

15.3 Risk Category-wise Country Exposure:

(Rs. in Crore)

Risk Category*	Exposure (net) as at 31.03.2018	Provision held as at 31.03.2018	Exposure (net) as at 31.03.2017	Provision held as at 31.03.2017
Insignificant	12454.40	8.18	15319.36	9.43
Low	5447.40	--	7177.42	--
Moderately Low	77.65	--	22.36	--
Moderately High	824.41	--	752.49	--
High	10.56	--	--	--
Very High	--	--	--	--
Total	**18814.42**	**8.18**	**23 271.63**	**9.43**

*Based on seven category classification followed by Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd. (ECGC)

15.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank:

The bank had taken single/group borrower exposure in excess of prudential limit prescribed by RBI in the cases given below:

2017-18

(Rs. In Crore)

SL No	Name of the borrower	Exposure Ceiling	Limit sanctioned	Period during which limit exceeded	Board ratification details	Position as on 31.03.2018 outstanding
1	Twin Star Holdings Ltd, Mauritius	260.70	391.05	12 months	29.04.2017	312.85

2016-17

(Rs. In Crore)

SL No	Name of the borrower	Exposure Ceiling	Limit sanctioned	Period during which limit exceeded	Board ratification details	Position as on 31.03.2017 outstanding
1	MTNL	2345.53	3163.54	01.04.2016 -31.03.2017	18.04.2016	2438.47
2	Twin Star Holdings Ltd, Mauritius	259.40 (USD 40.00 mio)	389.10 (USD 60.00 mio)	01.04.2016 -31.03.2017	05.12.2014	389.10 (USD 60.00 mio)
3	Varada Twelve Pte Ltd	259.40 (USD 40.00 mio)	457.19 (USD 70.50 mio)	01.04.2016-03.10.2017 to the extent of USD69.560mio(INR451.10 crore)	05.12.2014	INR.64.85 (USD1/-) (In actuals)
4.	MVP Group	259.40 (USD 40.00 mio)	324.25 (USD50.00 mio)	01.04.2016 -31.03.2017	20.09.2013	304.80 (USD 47.00 mio)
5	Air India	500.00	977.21	01.04.2016 -31.03.2017	05.02.2015	934.89
6.	IFFCO	100.00	1700.00	01.04.2016 -31.03.2017	02.09.2016	689.05
7.	Velammal Educational Trust	100.00	194.01	01.04.2016 -31.03.2017	11.12.2015	167.67
8.	SRM Institute of Science & Technology	100.00	150.00	01.04.2016 -31.03.2017	22.12.2015	138.89
9.	Buldana Urban Co-op Credit Society Ltd.	100.00	150.00	01.04.2016 -31.03.2017	13.07.2015	112.02

17.3.2016 की बैठक में एमसीबी द्वारा 100 मिलियन अमरीकी डालर की कुल स्वीकृत सीमा से 40 मिलियन अमरीकी डालर का अनावरण किया गया हिस्सा

हालांकि 31.3.2016 तक खातों को बंद कर दिया गया है, लेकिन शेष राशि 20.8.2015 तक रिपोर्टिंग अवधि के दौरान 40 मिलियन अमरीकी डालर के एसबीएल से अधिक हो गई है। 20.8.2015 को बकाया 46.80 मीओ [रूपये 310.07 करोड़] था।

** स्वीकृति के बाद एलसी के तहत बिल का प्रतिनिधित्व करता है - बैंक पर एक्सपोजर

@ सीमा 1.4.15 से बढ़कर 31.12.15 डॉलर हो गई है और एमसीबी द्वारा 1.1.16 से 31.3.16 तक 50 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गई है

बोर्ड द्वारा एमसीबी / मूल्यांकन द्वारा मूल स्वीकृति की तिथि के बाद उपर्युक्त खातों के संबंध में सीमा में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

15.5. अप्रतिभूत अग्रिम

(रु. करोड़ों में)

विवरण	2017-18	2016-17
अमूर्त प्रतिभूतियों की कुल रकम जैसे अधिकार, लाइसेंस प्राधिकार पर किए गए प्रभार आदि	7623.85	6932.94
ऐसी अमूर्त संपार्श्विकों का आक्कलित मूल्य	7623.85	6932.94

16. लगाए गए दंड:

(रु. करोड़ों में)

विवरण	2017-18	2016-17
भा.रि.बैंक द्वारा लगाए गए दंड:	2.00	--
सेबी के द्वारा लगाए गए दंड:	0.02	--

लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

17.0. लेखांकन मानक 5 - अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि की वस्तुओं और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

संपत्ति पर लेखांकन मानक 10 (संशोधित 2016) के अनुसार फिक्स्ड एसेट्स के संशोधित हिस्से पर मूल्यह्रास के अलावा 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए उसी लेखा नीतियों और प्रथाओं के बाद वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं, नीचे के रूप में संयंत्र और उपकरण:

फिक्स्ड एसेट्स के संशोधित हिस्से पर मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से लाभ और हानि खाते में जमा करने के बजाय राजस्व रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया है।

17.1. लेखांकन मानक 9 - राजस्व मान्यता

महत्वपूर्ण लेखांकन पॉलिसी - अनुसूची 17 में मद सं.2 में वर्णितानुसार राजस्व को मान्यता दी गई हैं ।

17.2. लेखांकन मानक 15 - कर्मचारी लाभ

i) बैंक ने 01 अप्रैल 2007 से भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी ''कर्मचारियों के लाभ" संबंधी लेखांकन मानक 15 (परिशोधित) को अपनाया है ।

ii) लेखांकन मानक-15 (परिशोधित) के अनुसार अपेक्षित लाभ व हानि खाते और तुलन पत्र में पहचाने गए नियोजन-उत्तर लाभों और दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की स्थिति का सारांश निम्नवत है;

(क) परिभाषित लाभ योजनाएँ

बाध्यताओं के वर्तमान मूल्यों में परिवर्तन

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		गैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
वर्ष के आरंभ में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	7562.52	6815.05	1313.48	1139.92	469.79	435.40
ब्याज लागत	566.60	510.13	90.01	82.49	32.69	28.42
वर्तमान सेवा लागत	168.65	162.75	60.24	58.48	31.51	31.68
प्रदत्त लाभ	(634.04)	(583.21)	(164.17)	(170.14)	(93.68)	(93.33)
बाध्यताओं पर वास्तविक नुकसान / (लाभ)	595.21	657.80	172.84	202.74	23.89	67.62
वर्ष के अंत में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	8258.95	7562.52	1472.41	1313.48	464.20	469.79

Unavailed portion of USD 40 mio cancelled by MCB in its meeting dated 17.3.2016 out of total sanctioned limit of USD 100 mio

Even though the accounts stands closed as on 31.3.2016, the balance exceeded SBL of USD 40 mio during the reporting period upto 20.8.2015. Outstanding was USD 46.80 mio [INR 310.07 cr] as on 20.8.2015.

** Represents bills under LC after acceptance – exposure on Bank

@ Limit reduced to USD 55 mio from 1.4.15 to 31.12.15 and USD 50 mio wef 1.1.16 to 31.3.16 BY MCB

There has been no increase in limits in respect of the above accounts after the date of original sanction by MCB/Ratification by Board.

15.5 Unsecured Advances

(Rs. In Crore)

Particulars	2017-18	2016-17
Total amount for which intangible securities such as charge over the rights, licenses authority, etc., has been taken	7623.85	6932.94
Estimated value of such intangible collateral	7623.85	6932.94

16 Disclosure of Penalties imposed

(Rs. In Crore)

Particulars	2017-18	2016-17
Penalties imposed by RBI	2.00	--
Penalties imposed by SEBI	0.02	--

DISCLOSURES IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS

17.0 Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies

The financial statements have been prepared following the same accounting policies and practices as those followed for the year ended March 31, 2017, except for the treatment of depreciation on revalued portion of Fixed Assets in accordance with Accounting Standard 10 (revised 2016) on Property, Plant and Equipment as below:

Depreciation on revalued portion of Fixed Assets has been transferred from the revaluation reserve to the revenue reserve instead of crediting to the Profit and Loss account.

17.1 Accounting Standard 9 – Revenue Recognition

Revenue has been recognized as described in item No. 2 of Significant Accounting Policies – Schedule 17.

17. 2 Accounting Standard 15 – Employee Benefits

i. The Bank had adopted Accounting Standard 15 (Revised) "Employees Benefits" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, with effect from 1stApril, 2007.

ii. The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognized in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised) are as under:-

(a) Defined Benefit Schemes:

Changes in the present value of the obligations

(Rs. In Crore)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Present Value of obligation as at the beginning of the year	7562.52	6815.05	1313.48	1139.92	469.79	435.40
Interest Cost	566.60	510.13	90.01	82.49	32.69	28.42
Current Service Cost	168.65	162.75	60.24	58.48	31.51	31.68
Benefits Paid	(634.04)	(583.21)	(164.17)	(170.14)	(93.68)	(93.33)
Actuarial loss/(gain) on Obligations	595.21	657.80	172.84	202.74	23.89	67.62
Present Value of Obligation at year end	8258.95	7562.52	1472.41	1313.48	464.20	469.79

(ख) योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		गैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
वर्ष के आरंभ में योजना आस्ति का उचित मूल्य	7589.84	6807.24	1308.94	1255.42	--	--
योजना आस्ति पर अनुमानित लाभ	610.23	548.35	109.56	101.16	--	--
नियोक्ता का अंशदान	684.66	677.77	204.58	188.29	93.68	93.33
प्रदत्त लाभ	(634.04)	(583.21)	(164.17)	(170.14)	93.68	93.33
बाध्यताओं पर वास्तविक नुकसान / (लाभ)	3.09	139.69	13.50	(65.79)	--	--
वर्ष के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	8253.78	7589.84	1472.41	1308.94	--	--
गैर निधीय संक्रमणकालीन देयता	--	--	--	--	--	--

ग) तुलन पत्र में पहचानी गयी रकम

(रु. करोडों में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		गैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
वर्ष के अंत तक बाध्यताओं का अनुमानित वर्तमान मूल्य	8258.95	7562.52	1472.41	1313.48	464.20	469.79
वर्ष के अंत में तक योजना आस्ति का उचित मूल्य	8253.78	7589.84	1472.41	1308.94	--	--
तुलन पत्र में पहचानी गई अनिधिक निवल देयता	5.17	--	--	4.54	464.20	469.79
तुलन पत्र में पहचानी गई निधिक निवल देयता	--	17.21	--	--	--	--

*पेंशन और ग्रैच्युटी निधियों में निहित अ-निधीगत निवल देयता को अगले एक वर्ष की अवधि के दौरान परिशोधित किया जायेगा।

घ) लाभ व हानि में पहचाने गए व्यय

(रु. करोडों में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		गैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
वर्तमान सेवा लागत	168.65	162.75	60.24	58.48	31.51	31.68
ब्याज लागत	566.60	510.13	90.01	82.49	32.69	28.42
योजना आस्ति पर अनुमानित लाभ	(610.23)	(548.35)	(109.56)	(101.16)	--	--
वर्ष में पहचाना गया निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि	592.12	518.12	(159.34)	(268.52)	23.89	67.62
लाभ व हानि खाते में प्रभारित करने योग्य कुल व्यय	717.15	642.64	200.04	308.33	88.10	127.72
।। पेंशन विकल्पियों / पीएफ में नियोक्ता के अंशदान से प्राप्त रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(b) **Change in Fair Value of Plan Asset**

(Rs. In Crore)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	7589.84	6807.24	1308.94	1255.42	--	--
Expected return on Plan Assets	610.23	548.35	109.56	101.16	--	--
Employer's contribution	684.66	677.77	204.58	188.29	93.68	93.33
Benefit Paid	(634.04)	(583.21)	(164.17)	(170.14)	93.68	93.33
Actuarial gain/(loss) on Obligations	3.09	139.69	13.50	(65.79)	--	--
Fair Value of Plan Asset at the end of the year	8253.78	7589.84	1472.41	1308.94	--	--
Unfunded Transitional Liability	--	--	--	--	--	--

(c) **Amount recognized in Balance Sheet**

(Rs. In Crore)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Estimated Present value of obligations as at the end of the year	8258.95	7562.52	1472.41	1313.48	464.20	469.79
Actual Fair value of Plan Assets as at the end of the year	8253.78	7589.84	1472.41	1308.94	--	--
Unfunded Net Liability recognized in Balance Sheet	5.17	--	--	4.54	464.20	469.79
Funded Net Assets to be recognized in Balance Sheet	--	17.21	--	--	--	--

(d) **Expenses Recognized in Profit & Loss**

(Rs. In Crore)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2018	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**2017**
Current Service Cost	168.65	162.75	60.24	58.48	31.51	31.68
Interest Cost	566.60	510.13	90.01	82.49	32.69	28.42
Expected return on Plan Asset	(610.23)	(548.35)	(109.56)	(101.16)	--	--
Net Actuarial (Gain)/Loss recognized in the year	592.12	518.12	(159.34)	(268.52)	23.89	67.62
Total expenses chargeable in Profit & Loss Account	717.15	642.64	200.04	308.33	88.10	127.72
Amount received from II Pension optees/ employer's contribution of PF	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

(ड़) पेंशन व ग्रेच्युटी न्यास द्वारा अनुरक्षित निवेश प्रतिशतता :

(आंकडे %में)

विवरण	पेंशन न्यास ( )		गैच्युटी न्यास ( )	
	2018	2017	2018	2017
क) ऋण लिखतें				
केंद्र सरकार प्रतिभूतियाँ	12.93	10.29	2.73	3.45
राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	13.43	18.45	69.03	58.24
पीएसयु / पीएफआइ/कार्पोरेट बाँडों में निवेश	73.12	64.59	26.90	34.83
अन्य निवेश	0.07	6.47	--	2.37
ख) ईक्विटी लिखतें	0.45	0.20	1.34	1.11

(च) तुलन-पत्र की तारीख तक मूल वास्तविक अनुमान (भारित औसत के रूप में अभिव्यक्त)

(आंकडे %में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		गैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
बट्टा दर	7.73	7.31	7.73	7.31	7.73	7.31
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ दर	8.00	8.00	8.00	8.00	--	--
वेतन वृद्धि की प्रत्याशित दर	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
अपनायी गयी प्रक्रिया	अनुमानित यूनिट क्रेडिट		अनुमानित यूनिट क्रेडिट		अनुमानित यूनिट क्रेडिट	

(छ)अनुभवगत समंजन **(रु. करोडों में)**

विवरण	पेंशन (निधिक)					गैच्युटी (निधिक)					अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)				
	2018	2017	2016	2015	2014	2018	2017	2016	2015	2014	2018	2017	2016	2015	2014
योजना आस्तियों पर अनुभवगत समंजन (हानि) / लाभ	(3.09)	(139.69)	85.42	3.73	433.71	13.50	(65.79)	10.14	23.13	47.25	--	--	--	--	--
योजना देयताओं पर अनुभवगत समंजन (हानि) / लाभ	(595.21)	(657.80)	(907.77)	(567.28)	(553.88)	(172.84)	(202.74)	(130.80)	30.57	(28.36)	23.89	67.62	53.44	35.78	(73.40)

भविष्य में वेतन वृद्धि का अनुमान, वास्तविक मूल्यांकन में माना जाता है, कर्मचारी बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे योजना संपत्ति, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक कारकों पर वास्तविक वापसी को ध्यान में रखता है ।

विदेशी शाखाओं के संबंध में, यदि कर्मचारी लाभ योजनाओं के लिए आवश्यक कोई भी जानकारी जानकारी की अनुपस्थिति में नहीं किया गया है।

(ज) गणना के लिए विचार की गई वित्तीय धारणाएं निम्नानुसार हैं: -

छूट दर: वैल्यूएशन की तारीख (31.03.2018 की बैलेंस शीट) के अनुसार सरकारी बांड पर बाजार उपज के संदर्भ में छूट दर का चयन किया गया है।

रिटर्न की अपेक्षित दर: परिसंपत्तियों पर वापसी की कुल अनुमानित दर उस तारीख को लागू होने वाली बाजार कीमतों के आधार पर निर्धारित की जाती है, जिस पर दायित्व का निपटारा किया जाना चाहिए। बेहतर शेयर बाजार परिदृश्य के कारण परिसंपत्तियों पर वापसी की अनुमानित दर में महत्वपूर्ण बदलाव आया है।

ग्रैच्युइटी के लिए अगले वित्तीय वर्ष में बैंक का सबसे अच्छा अनुमान 200 करोड़ का भुगतान किया जाने वाला है रुपये।

(e) Investment percentage maintained by Pension & Gratuity Trust:

(Figures in %)

Particulars	Pension Trust		Gratuity Trust	
	2018	2017	2018	2017
a) Debt Instruments				
Central Government Securities	12.93	10.29	2.73	3.45
State Government Securities	13.43	18.45	69.03	58.24
Investment in PSU/PFI/ Corporate Bonds	73.12	64.59	26.90	34.83
Other Investments	0.07	6.47	--	2.37
b) Equity Instruments	0.45	0.20	1.34	1.11

(f) Principal actuarial assumptions at the Balance Sheet Date (expressed as weighted average)

(Figures in %)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Discount Rate	7.73	7.31	7.73	7.31	7.73	7.31
Expected rate of return on Plan Assets	8.00	8.00	8.00	8.00	--	--
Expected Rate of Salary increase	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Method used	Projected unit credit		Projected unit credit		Projected unit credit	

(g) Experience Adjustments

(Rs. In Crore)

Particulars	PENSION (Funded)					GRATUITY (Funded)					LEAVE ENCASHMENT (Unfunded)				
	2018	2017	2016	2015	2014	2018	2017	2016	2015	2014	2018	2017	2016	2015	2014
Experience adjustment on Plan assets (Loss)/Gain	(3.09)	(139.69)	85.42	3.73	433.71	13.50	(65.79)	10.14	23.13	47.25	--	--	--	--	--
Experience adjustment on Plan Liabilities (Loss)/Gain	(595.21)	(657.80)	(907.77)	(567.28)	(553.88)	(172.84)	(202.74)	(130.80)	30.57	(28.36)	23.89	67.62	53.44	35.78	(73.40)

The estimates of future salary increases, considered in actuarial valuation, take into account actual return on plan assets, inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in employee market.

In respect of overseas branches, disclosures if any required for Employee Benefit Schemes are not made in the absence of information.

h) The financial assumptions considered for the calculations are as under:-

Discount Rate: The discount rate has been chosen by reference to market yield on government bonds as on the date of valuation (Balance sheet dated 31.03.2018).

Expected Rate of Return: The Overall expected rate of return on assets is determined based on the market prices prevailing on that date applicable to the period over which the obligation is to be settled. There has been significant change in expected rate of return on assets due to the improved stock market scenario.

Bank's best estimate expected to be paid in next Financial Year for Gratuity is Rs.200 Crore.

17.3 लेखांकन मानक 17 - सेगमेंट रिपोर्टिंग

बैंक सेगमेंट रिपोर्टिंग के संबंध में जिसमे रिपोर्ट करने योग्य घटकों को ट्रेजरी, कार्पोरेट / होलसेल बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग अन्य बैंकिंग परिचालन में बांटा गया है पर बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अप्रैल 2007 में जारी समसोदिन दिशा निर्देशों को अपना चुका है ।

भाग ए : कारोबार खण्ड

(रु. करोड़ों में)

कारोबार खण्ड	राजकोष		कार्पोरेट / थोक बैंकिंग		रीटेल बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
विवरण	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
राजस्व	6 093.26	6 612.08	8 159.26	9 411.26	6 367.63	6 724.75	366.03	302.38	20 986.18	23 050.47
परिणाम	1 314.11	1 050.87	52.14	494.87	1 284.11	1 807.70	303.52	256.19	2 953.88	3 609.63
अनाबंटित आय									675.47	40.76
अनाबंटित व्यय									0.27	0.19
परिचालनगत लाभ/हानि									3 629.08	3 650.20
आय कर									(2 332.21)	35.81
प्रावधान व आकस्मिकताएँ									12 260.78	7 031.14
असाधारण लाभ / हानि									0.00	0.00
निवल लाभ									(62 99.49)	(34 16.74)
अन्य सूचना										
खण्डवार आस्तियाँ	79 628.80	81 130.63	90 761.16	10 3126.91	71 016.76	60 017.54	149.53	191.89	241 556.25	244 466.97
अनाबंटित आस्तियाँ									6 411.78	2 700.51
कुल आस्तियाँ									247 968.03	247 167.48
खण्डवार देयताएँ	77 197.58	74 907.37	88 301.20	9 9214.11	69 175.08	57 955.35	75.57	223.06	234 749.43	232 299.89
अनाबंटित देयताएं									20.38	1 123.04
कुल देयताएं									234 769.81	233 422.93

भाग ख - भौगोलिक खण्ड

(रु. करोड़ों में)

विवरण	देशी		अंतरराष्ट्रीय		कुल	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
राजस्व	20 960.23	22 302.07	701.42	789.16	21 661.65	23 091.23
आस्तियाँ	230 414.98	228 493.46	17 553.05	18 674.02	247 968.03	247 167.49

17.3 Accounting Standard 17 – Segment Reporting

The Bank has adopted Reserve Bank of India's revised guidelines issued in April 2007 on Segment Reporting in terms of which the reportable segments have been divided into Treasury, Corporate/Wholesale Banking, Retail Banking and Other Banking Operations.

Part A: Business Segments (Rs. In Crore)

Business Segments	Treasury		Corporate / Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		TOTAL	
Particulars	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
Revenue	6 093.26	6 612.08	8 159.26	9 411.26	6 367.63	6 724.75	366.03	302.38	20 986.18	23 050.47
Result	1 314.11	1 050.87	52.14	494.87	1 284.11	1 807.70	303.52	256.19	2 953.88	3 609.63
Unallocated Income									675.47	40.76
Unallocated Expenses									0.27	0.19
Operating Profit/Loss									3 629.08	3 650.20
Income Taxes									(2 332.21)	35.81
Provisions & Contingencies									12 260.78	7 031.14
Extraordinary profit / loss									0.00	0.00
Net Profit									(62 99.49)	(34 16.74)
OTHER INFORMATION										
Segment Assets	79 628.80	81 130.63	90 761.16	10 3126.91	71 016.76	60 017.54	149.53	191.89	241 556.25	244 466.97
Unallocated Assets									6 411.78	2 700.51
Total assets									247 968.03	247 167.48
Segment Liabilities	77 197.58	74 907.37	88 301.20	9 9214.11	69 175.08	57 955.35	75.57	223.06	234 749.43	232 299.89
Unallocated Liabilities									20.38	1 123.04
Total Liabilities									234 769.81	233 422.93

Part B – Geographic segments (Rs. In Crore)

Particulars	**Domestic**		**International**		**Total**	
	2017-18	**2016-17**	**2017-18**	**2016-17**	**2017-18**	**2016-17**
Revenue	20 960.23	22 302.07	701.42	789.16	**21 661.65**	**23 091.23**
Assets	230 414.98	228 493.46	17 553.05	18 674.02	**247 968.03**	**247 167.49**

17.4 लेखांकन मानक 18 - संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (प्रबंधन द्वारा समेकित व प्रमाणित अनुसार)

(रु. करोड़ों में)

वस्तुएँ / संबन्धित पार्टी	एसोसिएट्स * / संयुक्त उद्यम **				मुख्य प्रबंधन कार्मिक				कुंजी प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार				कुल			
	2017-18		2016-17		2017-18		2016-17		2017-18		2016-17		2017-18		2016-17	
	31.03.2018 को बकाया	अवधि 1.04.2017 - 31.03.2018 के दौरान अधिकतम शेषराशि	31.03.2017 को शेष राशि	अवधि 1.04.2016 - 31.03.2017 के दौरान अधिकतम शेषराशि	31.03.2018 को शेष राशि	अवधि 1.04.2017 - 31.03.2018 के दौरान अधिकतम शेषराशि	31.03.2017 को शेष राशि	अवधि 1.4.2016 - 31.03.2017 के दौरान अधिकतम शेषराशि	31.03.2018 को शेष राशि	अवधि 1.04.2017 - 31.03.2018 के दौरान अधिकतम शेषराशि	31.03.2017 को शेष राशि	अवधि 1.4.2016 - 31.03.2017 के दौरान अधिकतम शेषराशि	31.03.2018 को शेष राशि	अवधि 1.04.2017 - 31.03.2018 के दौरान अधिकतम शेषराशि	31.03.2017 को शेष राशि	अवधि 1.4.2016 - 31.03.2017 के दौरान अधिकतम शेषराशि
उधारी		2621.9965		976.7900		--		--		--		--		2621.9965	291.0900	976.7900
जमाएँ	149.0260	937.0340	8.4700	381.3600	0.3673	0.5475	0.1800	0.3800	0.2149	0.2149	--	--	149.6100	937.7964	8.6500	381.7400
निवेश	--	--	--	--	0.1274	--	--	--	--	--	--	--	0.1274	--	-	-
अग्रिम	1150.0000	1250.0000	600.0000	1205.0000	0	--	--	--	--	--	--	--	11.5000	1250.0000	600.0000	1205.0000
वर्ष के दौरान लेनदेन	**2017-18**		**2016-17**		**2017-18**		**2016-17**		**2017-18**		**2016-17**		**2017-18**		**2016-17**	
निश्चित संपत्तियों की खरीद	--		--		0		--		--		--		--		--	
अदा किया गया ब्याज	115.1131		--		0		--		--		--		115.1131		--	
प्राप्त ब्याज	30.9500		26.2000		0.0022		0.0002		0.0043		20.2002		57.1565		20.2002	

17.4 Accounting Standard 18 – Related Party Disclosures (as compiled & certified by Management) **(Rs. In Crore)**

Items / Related Party	Associates */Joint Ventures**				Key Management Personnel				Relatives of Key Management Personnel				Total			
	2017-18		2016-17		2017-18		2016-17		2017-18		2016-17		2017-18		2016-17	
	Balance as on 31.03.2018	Maximum Balance during the period 1.04.2017 – 31.03.2018	Balance as on 31.03.2017	Maximum Balance during the period 1.04.2016 – 31.03.2017	Balance as on 31.03.2018	Maximum Balance during the period 1.04.2017 – 31.03.2018	Balance as on 31.03.2017	Maximum Balance during the period 1.4.2016 – 31.03.2017	Balance as on 31.03.2018	Maximum Balance during the period 1.04.2017 – 31.03.2018	Balance as on 31.03.2017	Maximum Balance during the period 1.4.2016 – 31.03.2017	Balance as on 31.03.2018	Maximum Balance during the period 1.04.2017 – 31.03.2018	Balance as on 31.03.2017	Maximum Balance during the period 1.4.2016 – 31.03.2017
Borrowings	2210.9900	2621.9965	291.0900	976.7900	--	--	--	--	--	--	--	--	2210.9900	2621.9965	291.0900	976.7900
Deposits	149.0260	937.0340	8.4700	381.3600	0.3673	0.5475	0.1800	0.3800	0.2149	0.2149	--	--	149.6100	937.7964	8.6500	381.7400
Investment	--	--	--	--	0.1274	--	--	--	--	--	--	--	0.1274	--	-	-
Advances	1150.0000	1250.0000	600.0000	1205.0000	0	--	--	--	--	--	--	--	11.5000	1250.0000	600.0000	1205.0000
Transactions during the year	**2017-18**		**2016-17**		**2017-18**		**2016-17**		**2017-18**		**2016-17**		**2017-18**		**2016-17**	
Purchase of fixed assets	--		--		0		--		--		--		--		--	
Interest paid	115.1131		--		0		--		--		--		115.1131		--	
Interest received	30.9500		26.2000		0.0022		0.0002		0.0043		20.2002		57.1565		20.2002	

आईआईबीएम के निदेशकों का विवरण

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री पी एस जय कुमार	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक निदेशक
2.	दातुक भूपतिराय ए/ आई मुकेश प्रेमजी	गैर स्वतंत्र गैर-कार्यपालक निदेशक
3.	श्री गोह चिनग ची	स्वतंत्र गैर-कार्यपालक निदेशक
4.	श्री संथानम वंगल जगन्नाथन	स्वतंत्र गैर-कार्यपालक निदेशक

2016-17 और 2017-18 के दौरान पूरे समय निदेशकों को वेतन और प्रदर्शन प्रोत्साहन का विवरण:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	पारिश्रमिक राशि (रु.) (2017-18)	पारिश्रमिक राशि (रु.) (2016-17)
1.	श्री आर कोटीश्वरन	पूर्व- मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्रबंध निदेशक	2,59,153.50	5,62,240.95
2.	श्री अतुल अग्रवाल	पूर्व- कार्यपालक निदेशक	3,40,618.50	9,99,342.30
3.	श्री पवन कुमार बजाज	पूर्व- कार्यपालक निदेशक	--	10,13,025.76**
4.	श्री आर सुब्रमण्यम कुमार	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	28,73,464.63	12,37,308.80
5.	श्री के स्वामी नाथन	कार्यपालक निदेशक	24,94,442.43	2,82,880.00
6.	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक	11,67,450.32**	--

***पारिश्रमिक में वेतन व भत्ते, वेतन बकाया, निष्पादन लागत प्रोत्साहन राशि, छुट्टी भुनाई बकाया और ग्रैच्युटी बकाया शामिल हैं।**

**** वर्ष का अंश**

17.5. लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर आय

(रु. करोडों में)

विवरण लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर आय	2017-18	2016-17
ईक्विटी शेयरधारकों के लिए कर के बाद उपलब्ध लाभ (रु. करोड़ों में)	(6299.49)	(3416.74)
भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या	270,92,23,826	216,45,61,771
मूल तथा कम किए हुए प्रति शेयर आय	रु.(23.25)	रु.(15.78)
प्रति शेयर सामान्य मूल्य	रु.10.00	रु.10.00

17.6. लेखांकन लेखा मानक 21 - समेकित वित्तीय वक्तव्य और लेखा मानक 23 - समेकित वित्तीय वक्तव्यों में एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन

चूँकि कोई अनुषंगी संस्था नहीं है, किसी समेकित वित्तीय विवरण की प्रस्तुति आवश्यक नहीं समझी गई है।

17.7. लेखांकन मानक 22 : आय पर करों के लिए लेखांकन

(रु.करोड़ में)

विवरण	31.03.2018		31.03.2017	
	डीटीए	डीटीएल	डीटीए	डीटीएल
निवेशों पर मूल्यह्रास		52.54		439.61
अचल आस्तियों पर मूल्यहास		14.11	73.02	
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	160.65		171.37	

The details of the Directors of IIBM

S.No.	Name	Designation
1.	Mr. P.S.Jayakumar	Non Independent Non-Executive Director
2.	Datuk Bhupatrai a/l MaksukhlalPremji	Independent Non-Executive Director
3.	Mr. Goh Ching Chee	Independent Non-Executive Director
4.	Mr. Santhanam VangalJagannathan	Independent Non-Executive Director

Details of Salary and Performance Incentive paid to Whole Time Directors during the year 2016-17 and 2017-18:

Sl. No.	Name	Designation	Remuneration* Amount (Rs.) (2017-18)	Remuneration* Amount (Rs.) (2016-17)
1.	Shri R. Koteeswaran	Ex-Managing Director & Chief Executive Officer	2,59,153.50	5,62,240.95
2.	Shri Atul Agarwal	Ex-Executive Director	3,40,618.50	9,99,342.30
3.	Shri Pawan Kumar Bajaj	Ex-Executive Director	--	10,13,025.76**
4.	Shri R SubramaniaKumar	Managing Director & Chief Executive Officer	28,73,464.63	12,37,308.80
5.	Shri K Swaminathan	Executive Director	24,94,442.43	2,82,880.00
6.	Shri Ajay Kumar Srivastava	Executive Director	11,67,450.32**	--

***Remuneration Includes salary & allowances, salary arrears, performance incentives, leave encashment arrears and gratuity arrears.**

****Part of the year**

17.5 Accounting Standard 20 – Earnings per Share

Particulars	2017-18	2016-17
Net Profit after Tax available for Equity Shareholders (Rs. in Crore)	(6299.49)	(3416.74)
Weighted Average Number of Equity Shares	270,92,23,826	216,45,61,771
Basic & Diluted Earnings Per Share	Rs.(23.25)	Rs.(15.78)
Nominal value per Equity Share	Rs.10.00	Rs.10.00

17.6 Accounting Standard 21 - Consolidated Financial Statements and Accounting Standard 23 - Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements

As there is no subsidiary, no consolidated financial statement is considered necessary.

17.7 Accounting Standard 22: Accounting for Taxes on Income

(Rs. in Crore)

Particulars	31.03.2018		31.03.2017	
	DTA	DTL	DTA	DTL
Depreciation on Investments		52.54		439.61
Depreciation on Fixed Assets		14.11	73.02	
Provision for Employee Benefits	160.65		171.37	

धोखाधड़ियों के लिए प्रावधान	38.21		17.91	
अन्य परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	27.97			
पुन: संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान	80.10		121.15	
प्रथक करण के लिए प्रावधान	2.66			
विशेष आरक्षितियाँ				256.65
एनपीए के लिए प्रावधान	3501.16		2102.97	
वदिेशी मुद्रा अंतरण के लए प्रावधान	337.68		9.94	
अन्य	136.25		31.40	
कुल	**4284.68**	**66.65**	**2527.76**	**696.26**
नविल डीटीएल	**4218.03**		**1831.50**	

17.8. लेखांकन मानक 26 - अमूर्त आस्तियाँ

कोर बैंकिंग सिस्टम के लिए अधिग्रहित सॉफ्टवेयर को अमूर्त संपत्ति के रूप में माना जाता है और 3 साल की अवधि में बढ़ाया जाता है

17.9. लेखांकन मानक 27 - संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग

मलेशिया में हमारे बैंक ने (35 हिस्से के साथ) बैंक ऑफ बडौदा (40) और आंध्र बैंक (25) के साथ एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किये हैं । बैंक निगारा, मलेशिया के केंद्रीय बैंक ने 16.04.2010 को संयुक्त उद्यम के लिए लाइसेंस जारी किया। इस संयुक्त उद्यम को 13.08.2010 के दिन इण्डिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद (आइआइबीएम) नाम से मलेशिया में स्थापित किया गया जिसकी प्राधिकृत पूँजी है एमवाइआर 500 मियो। इस समनुदेशित पूँजी में हमारे बैंक का हिस्सा 35 - 115.500 मियो एमवाइआर है ।

31.03.2015 तक हमारे बैंक ने प्रति शेयर 10 एमवाइआर सहित 11550000 शेयरों के लिए रु.194.91 करोड़ प्रदान किया है, जिसका कुल मूल्य 115.500 मियो एमवाइआर बनता है । इस संयुक्त उद्यम ने 11.07.2012 को परिचालन शुरू किए ।

17.10. लेखांकन मानक 28 - आस्तियों का अनर्जक होना

बैंक द्वारा धारित अचल आस्तियों को खकार्पोरेट आस्तियाँग माना गया है और ये आइसीएआइ द्वारा जारी एएस28 के जरिए परिभाषित अनुसार खनकदी सृजन इकाइयाँग नहीं हैं। प्रबंधन के मतानुसार बैंक की किसी भी अचल आस्ति को क्षति नहीं हुई है ।

17.11. लेखांकन मानक 29 - आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान

इस संबंध में भारतीय सनदी लेखाकारों की संस्था द्वारा जारी दिशानिर्देशों को उपयुक्त स्थानों पर शामिल किया गया है।

18. अतिरिक्त प्रकटीकरण

18.1. जमाओं, अग्रिमों, उधारों व अनर्जक आर्स्तियों का केन्द्रीकरण

18.1.1. जमाओं का केन्द्रीकरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17
बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाएँ	20152.15	17145.82
बैंक की कुल जमाओं की तुलना में बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाओं का प्रतिशत	9.31%	8.11%

18.1.2. अग्रिमों का केन्द्रीकरण (उधार एक्सपोज़र व्युत्पन्नों सहित)

(रु. करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17
बीस बड़े उधारकर्ताओं को प्रदत्त कुल अग्रमि	19991.92	21249.27
बैंक के कुल अग्रमिों की तुलना में बीस बड़े उधारकर्ताओं को प्रदत्त अग्रमिों का प्रतशित	11.80%	10.68 %

18.1.3. एक्सपोज़र का केन्द्रीकरण (उधार और निवेश एक्सपोज़र)

(रु. करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17
बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र	29225.24	30306.46
बैंक द्वारा उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र की तुलना में बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र का प्रतशित	12.17%	14.54%

Provision for Frauds	38.21		17.91	
Provision for Other Assets	27.97			
Provision for Restructured Advances	80.10		121.15	
Reserve for Severance Pay	2.66			
Special Reserve				256.65
Provision for NPA	3501.16		2102.97	
Foreign Currency Translation Reserve	337.68		9.94	
Others	136.25		31.40	
Total	**4284.68**	**66.65**	**2527.76**	**696.26**
Net DTL /DTA	**4218.03**		**1831.50**	

17.8 Accounting Standard 26 – Intangible Assets

The software acquired for core banking system is treated as intangible asset and amortised over a period of 3 years.

17.9 Accounting Standard 27 – Financial Reporting of Interests in Joint Ventures

Our Bank (with 35% share) has floated a Joint Venture at Malaysia along with Bank of Baroda (40%) and Andhra Bank (25%). Bank Negara, the Central Bank of Malaysia, issued the license to the Joint Venture on 16.04.2010. The Joint Venture was incorporated at Malaysia on 13.08.2010 by name INDIA INTERNATIONAL BANK (MALAYSIA) BHD (IIBM). IIBM has an Authorised Capital of MYR 500 Mio. The Joint Venture's Paid up Capital is MYR 330 Mio. (previous year MYR 330 Mio.) Our Bank's share in the Assigned up Capital is 35% - MYR115.500 Mio.

As on 31.03.2018, Bank has paid Rs.199.58Crore (Previous year Rs. 199.58Crore) towards 11550000 shares of MYR10 each aggregating to MYR115.500 Mio. The Joint Venture has commenced operations on 11.07.2012.

17.10 Accounting Standard 28 – Impairment of Assets

Fixed Assets owned by the Bank are treated as 'Corporate Assets' and are not 'Cash Generating Units' as defined by AS-28 issued by ICAI. In the opinion of the Management, there is no impairment of any of the Fixed Assets of the Bank.

17.11 Accounting Standard 29 – Provision for Contingent Liabilities and Contingent Assets:

The guidelines issued by the Institute of Chartered Accountant of India in this respect have been incorporated at the appropriate places.

18 Additional Disclosures

18.1 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

18.1.1 Concentration of Deposits

(Rs. in Crore)

Particulars	2017-18	2016-17
Total Deposits of twenty largest depositors	20152.15	17145.82
Percentage of Deposits of twenty largest deposits to Total Deposits of the Bank	9.31%	8.11%

18.1.2 Concentration of Advances (Credit Exposure including derivatives)

(Rs. in Crore)

Particulars	2017-18	2016-17
Total Advances to twenty largest borrowers	19991.92	21249.27
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	11.80%	10.68 %

18.1.3 Concentration of Exposures (Credit and Investment exposure)

(Rs. in Crore)

Particulars	2017-18	2016-17
Total Exposure to twenty largest borrowers / customers	29225.24	30306.46
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the Bank on borrowers/ customers	12.17%	14.54%

18.1.4. अनर्जक आस्तियों का केन्द्रीकरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17
उच्च चार अनर्जक खातों से सम्बन्धित कुल एक्सपोज़र	4202.67	4759.95

18.1.5. प्रवर्ग-वार अग्रिम / अनर्जक आस्तियाँ

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	2017-18			2016-17		
अ.	प्राथमिक क्षेत्र						
1.	कृषि व सम्बन्धित गति-विधियाँ	29520.00	3 594.76	12.18	29348.13	3550.26	11.85
2.	प्राथमिक क्षेत्र उधार के रूप में पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम	17854.85	3 307.42	18.52	16199.99	4544.04	18.22
3.	सेवाएं	14760.07	1 843.81	12.49	11895.53	2159.76	18.82
4.	वैयक्तिक ऋण	11419.04	329.43	2.88	9936.10	302.48	1.87
	कुल (अ)	73553.96	9 075.42	12.34	67379.75	10556.54	13.14
ब.	गैर प्राथमिक क्षेत्र						
1.	कृषि व सम्बन्धित गति-विधियाँ	1230.00	0.00	0.00	1610.41	95.74	5.84
2.	उद्योग	41657.97	24 516.58	58.85	50335.14	18241.00	39.55
3.	सेवाएं	9204.62	4 284.88	46.55	20054.73	4222.06	20.66
4.	वैयक्तिक ऋण	25352.74	303.27	1.20	17395.78	1982.92	12.07
	कुल (ब)	77445.33	29 104.73	37.58	89396.06	24541.72	29.36
	कुल (अ+ब)	150999.29	38180.15	25.28	156775.81	35098.26	22.39

18.2. अनर्जक आस्तियों का संचलन

(रु. करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17
1 अप्रैल को सकल एनपीए (प्रारंभिक शेष)	35 098.26	30048.63
वर्ष के दौरान संवर्धन (नई अनर्जक आस्तियाँ)	16 378.81	11 737.52
अन्य शेष/ मौजूदा खातों में क्रेडिट	445.98	1 266.18
उप-योग (अ)	51 923.05	43 052.33
घटाएँ :		

18.1.4 Concentration of NPAs

(Rs. in Crore)

Particulars	2017-18	2016-17
Total Exposure to top four NPA accounts	4202.67	4759.95

18.1.5 Sector-wise Advances / NPAs

(Rs. in Crore)

S. No	SECTOR	2017-18			2016-17		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to total advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to total advances in that sector
A.	**Priority Sector**						
1.	Agriculture and allied activities	29520.00	3 594.76	12.18	29348.13	3550.26	11.85
2.	Advances to Industries sector eligible as priority sector lending	17854.85	3 307.42	18.52	16199.99	4544.04	18.22
3.	Services	14760.07	1 843.81	12.49	11895.53	2159.76	18.82
4.	Personal Loans	11419.04	329.43	2.88	9936.10	302.48	1.87
	Sub Total (A)	**73553.96**	**9 075.42**	**12.34**	**67379.75**	**10556.54**	**13.14**
B	**Non Priority Sector**						
1.	Agriculture and allied activities	1230.00	0.00	0.00	1610.41	95.74	5.84
2.	Industry	41657.97	24 516.58	58.85	50335.14	18241.00	39.55
3.	Services	9204.62	4 284.88	46.55	20054.73	4222.06	20.66
4.	Personal loans	25352.74	303.27	1.20	17395.78	1982.92	12.07
	Sub Total(B)	**77445.33**	**29 104.73**	**37.58**	**89396.06**	**24541.72**	**29.36**
	TOTAL (A+B)	**150999.29**	**38180.15**	**25.28**	**156775.81**	**35098.26**	**22.39**

18.2 MOVEMENT OF NPAs

(Rs. in Crore)

Particulars	2017-18	2016-17
Gross NPAs as on 1st April (Opening Balance)	35 098.26	30048.63
Additions (Fresh NPAs) during the year	16 378.81	11 737.52
Other Debits / Credits in Existing Accounts	445.98	1 266.18
Sub-total (A)	51 923.05	43 052.33
Less:-		

i. उन्नयन	2 329.86	3 325.35
ii. वसूलियाँ (उन्नयन किए गए खातों में से की गई वसूलियों को छोडकर और एआरसीआइएल को बिक्री सहित)	1 105.13	1 674.68
iii) तकनीकी रूप/ प्रूडेंशियल	7 018.32	2 294.03
रूप से बट्टे खाते डाले गए	3 253.95	424.77
iv) एआरसी को बिक्री आदि	35.64	235.24
v) विनिमय उतार चढ़ाव आदि	13 742.90	7 954.07
उप-कुल	38 180.15	35 098.26
31 मार्च के लिए सकल अनर्जक आस्तियाँ (समापन शेष) (अ-आ)		

18.3. तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डालने की गतिविधि

(रु. करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17
1 अप्रैल को तकनीकी / प्रूडेंशियल का प्रारम्भिक शेष	74 90.21	6 472.94
योग : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए तकनीकी / प्रूडेंशियल बट्टे	57 77.36	1 894.21
उप-योग (A)	132 67.57	8 367.15
घटाना: पूर्व के वर्षों में बट्टे में डाले गए खातों में तकनीकी/ वसूली तथा प्रूडेंशियल वसूली	11 34.47	876.94
31 मार्च (A-B) को अंतिम बकाया	121 33.10	7 490.21

18.4 विदेशी आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियाँ और राजस्व

(रु. करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17
विवरण	19 029.96	18 674.02
कुल आस्तियाँ	1 993.36	2 576.87
कुल अनर्जक आस्तियाँ	822.16	789.16
कुल राजस्व		

18.5. तुलन पत्र इतर प्रायोजित एसपीवी (जिनका लेखांकन-मानदण्डों के अनुसार समेकन किया जाना अपेक्षित है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
देशीय	विदेशी
--	--

18.6. वर्ष के दौरान आय-कर के लिए किए गए प्रावधानों की मात्रा

(रु. करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17
आय कर के लिए प्रावधान	59.81	268.55
ताले गए कर के लिए प्रावधान	-2 392.02	-232.74
निवल प्रावधान	-2 332.21	35.81

प्रावधान और आकस्मिकताएँ - अलग-अलग विवरण

लाभ व हानि खाते में व्यय शीर्ष के तहत दर्शाए गए `प्रावधानों और आकस्मिकताओं' का अलग-अलग विवरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	829.21	23.14
अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान	11 934.98	6 948.26
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	-455.07	179.88
पुनर्गठित खातों के लिए प्रावधान	-118.61	-171.01
आय कर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर व संपत्ति कर सहित)	-2 332.21	35.81
अन्य प्रावधान व आकस्मिकताएँ	70.28	50.85
कुल	9 928.58	7 066.94

18.8. अस्थिर प्रावधान

(रु. करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17
अस्थिर प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	--	--
लेखा-वर्ष में किए गए अस्थिर प्रावधानों की मात्रा	--	--

(i) Up-gradations	2 329.86	3 325.35
(i) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	1 105.13	1 674.68
(iii) Technical Write-offs / Prudential Write-offs	7 018.32	2 294.03
(iv) Sale to ARC etc	3 253.95	424.77
(v) Exchange Fluctations / Others	35.64	235.24
Sub-total (B)	13 742.90	7 954.07
Gross NPAs as on 31st March (Closing Balance) (A-B)	38 180.15	35 098.26

18.3 Movement of Technical Write off

(Rs. in Crore)

Particulars	2017-18	2016-17
Opening Balance of Technical / Prudential Write off as on 1st April	74 90.21	6 472.94
Add: Technical / Prudential Write offs during the year	57 77.36	1 894.21
Sub-total (A)	132 67.57	8 367.15
Less: Recoveries and other adjustments in Technical / Prudential written off accounts of earlier years (B)	11 34.47	876.94
Closing Balance as on 31st March (A-B)	121 33.10	7 490.21

18.4 OVERSEAS ASSETS, NPAs AND REVENUE

(Rs. in Crore)

Particulars	2017-18	2016-17
Total Assets	19 029.96	18 674.02
Total NPAs	1 993.36	2 576.87
Total Revenue	822.16	789.16

18.5 Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
--	--

18.6 Amount of provisions made for Income Tax during the year:

(Rs. in Crore)

Particulars	2017-18	2016-17
Provision for Income Tax	59.81	268.55
Provision for Deferred Tax	-2 392.02	-232.74
Net Provision	-2 332.21	35.81

18.7 Provisions and Contingencies – Break-up

Break up of 'Provisions and Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account

(Rs. in Crore)

Particulars	2017-18	2016-17
Provisions for depreciation on Investment / Written back	829.21	23.14
Provision towards NPA	11 934.98	6 948.26
Provision towards Standard Assets	-455.07	179.88
Provision for Restructured accounts	-118.61	-171.01
Provision made towards Income Tax (including Deferred Tax & Wealth Tax)	-2 332.21	35.81
Other Provision and Contingencies	70.28	50.85
Total	9 928.58	7 066.94

18.8 Floating Provisions

(Rs. in Crore)

Particulars	2017-18	2016-17
(a) Opening balance in the floating provisions account	--	--
(b) The quantum of floating provisions made in the accounting year	--	--

लेखा-वर्ष के दौरान निकाली गई रकम (प्रतिचक्रीय बफ़र को अंतरित)	--	--
अस्थिर प्रावधान खाते में इतिशेष	--	--

18.9. शिकायतों का प्रकटीकरण

18.9.1. ग्राहकों की शिकायतें

क्रम संख्या	विवरण	2017-18	2016-17
(क)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित रही शिकायतों की संख्या	4515	2432
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	19294	21261
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	22603	19178
(घ)	वर्ष की समाप्ति पर लंबित रही शिकायतों की संख्या	1206	4515

जहां कहीं अगले कार्य दिवस के अंदर ही शिकायतों का निवारण कर दिया गया तो उनको विवरण में शामिल नही किया गया

18.9.2. एटीएम की शिकायतें

क्रम संख्या	विवरण	2017-18	2016-17
(क)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित रही शिकायतों की संख्या	720	134
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	76918	6096
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	75757	5510
(घ)	वर्ष की समाप्ति पर लंबित रही शिकायतों की संख्या	1881	720

18.9.3. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किए गए अधिनिर्णय

क्रम संख्या	विवरण	2017-18	2016-17
(क)	वर्ष के प्रारंभ में कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	--	--
(ख)	वर्ष के दौरान पारित किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	*2	--
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित की गई अधिनिर्णयों की संख्या	--	--
(घ)	ग्राहक द्वारा अस्वीकृति के कारण कालातीत हुए अधिनिर्णयों की संख्या	--	--
(ङ)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	--	--

* बंगलूरु अंचल कार्यालय ने अपील प्राधिकारी, डिप्टी गवर्नर, आरबीआई मुंबई, के सम्मुख अपील दायर की है

18.9.4. चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

विवरण	2017-18	2016-17
वर्ष के दौरान जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र	--	--
31.03.2014 को बकाया रहे चुकौती आश्वासन पत्र	2	2
निर्धारित वित्तीय प्रभाव	--	--
संचयी रूप में निर्धारित वित्तीय दायित्व	--	--

वर्ष 2009-10 के दौरान, बैंक ने एक चुकौती आश्वासन सहमति पत्र जारी किया कि बैंकॉक शाखा के संबंध में 12 का न्यूनतम सीआरएआर का अनुरक्षण किया जाएगा तथा कि रखे गए अर्जनों को पूँजी निधियों के रूप में परिवर्तित किया जाएगा तथा कि सीआरएआर को 12 के न्यूनतम स्तर पर अनुरक्षित करने के लिए और पूँजी लाई जाएगी बशर्ते भा.रि.बैंक से अनुमोदन प्राप्त हो ।

शाखा के संपूर्ण वस्त्र उद्योग को दिए गए सभी उधारों के बुरी तरह अनर्जक आस्ति बनने के कारण, हमें टीएचबी 676.273मियो(पिछले वर्ष टीएचबी 495.276 मियो) की अतिरिक्त प्रावधान की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि वह वस्त्र उद्योग के मानक अग्रिमों का अप्रतिभूत हिस्सा है । यदि ऐसी आकस्मिकता उत्पन्न हो, अप्रतिभूत रकम को सुरक्षित करने के लिए वर्तमान आरक्षितियाँ पर्याप्त होने के कारण अतिरिक्त पूँजी का प्रेषण करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने बैंक नेगारा मलेशिया के पक्ष में चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया था । बैंक संयुक्त उद्यम के अन्य भागीदारों के सहयोग सहित इण्डिया इंटर्नेशनल बैंक (मलेशिया) बर्हाद को निधि प्रदान करने के लिए, व्यापार और अन्य मामलों में जब कभी अपेक्षित हो, समर्थन प्रदान करेगा और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे कार्यों में, औपचारिक परिचालनों और प्रबंधन संबंधी मलेशिया के कानून, विनियमों और पॉलिसियों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाता है ।

बैंक नेगारा मलेशिया को जारी किए गए गए चुकौती आश्वासन पत्र का वित्तीय प्रभाव यह है कि प्रदत्त पूँजी एमवाइआर 330 मियो के 35 प्रतिशत यानी, एमवाइआर 115.500 मियो का प्रेषण करना होगा । हमारे बैंक ने एमवाइआर 115.500 मियो की पूँजी के लिए 199,57,52,186/- रुपयों का प्रेषण किया है ।

(c) Amount of draw down made during the accounting year (Transferred to Counter Cyclical Buffer)	**--**	**--**
(d) Closing balance in the floating provisions account	**--**	**--**

18.9 Disclosure of complaints

18.9.1 Customer Complaints other than ATM

S. No.	Particulars	2017-18	2016-17
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	4515	2432
(b)	No. of complaints received during the year	19294	21261
(c)	No. of complaints redressed during the year	22603	19178
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	1206	4515

Wherever the complaints are redressed within next working day is not included in the statement

18.9.2 ATM – Customer Complaints

S. No.	Particulars	2017-18	2016-17
(a)	No. of ATM complaints pending at the beginning of the year	720	134
(b)	No. of ATM complaints received during the year	76918	6096
(c)	No. of ATM complaints redressed during the year	75757	5510
(d)	No. of ATM complaints pending at the end of the year	1881	720

18.9.3 Awards passed by the Banking Ombudsman

S. No.	Particulars	2017-18	2016-17
(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	--	--
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsmen during the year	*2	--
(c)	No. of Awards implemented during the year	--	--
(d)	No. of Awards lapsed due to non acceptance by customer	--	--
(e)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	--	--

*ZO Bangalore has preferred an appeal before Appellate authority, Deputy Governor, RBI Mumbai

18.9.4 Letters of Comfort (LoC)

Particulars	2017-18	2016-17
Letters of Comfort issued during the year	**--**	**--**
Letters of Comfort outstanding as on 31st March	**2**	**2**
Assessed financial impact	**--**	**--**
Cumulative Assessed Financial Obligation	**--**	**--**

During the year 2009-10, the Bank has issued a Letter of Comfort (LOC) undertaking to maintain a minimum CRAR of 12% in respect of Bangkok branch and to arrange to convert retained earnings to capital funds and/ or infuse further capital in order to restore the CRAR to a minimum of 12% subject to approval from RBI.

In the worst case scenario of the entire textile exposure of the branch becoming NPA, we may have to make additional provision to the extent of THB 676.273 mio (previous year THB 495.276 mio) being unsecured portion of standard textile advances and the capital of Bangkok centre is THB 1797.890 mio as on 31.03.2018. If this contingency arises, there would be no additional capital to be remitted as existing reserves are adequate to cover the unsecured amount.

During the year 2010-11, the Bank has issued a letter of comfort favoring Bank Negara Malaysia. The Bank in association with other JV partners will provide support to India International Bank (Malaysia) Bhd in funding, business and other matters as and when required and ensure that it complies with the requirements of the Malaysian Laws, Regulations and Policies in the conduct of its business operations and management.

The financial impact for the letter of undertaking issued to Bank Negara Malaysia is remittance of our share of 35% of the paid up capital of MYR 330 mio ie. MYR 115.500 mio. Our Bank has remittedINR 199,57,52,186/- towards the capital of MYR 115.500 mio.

18.10. बैंक बीमा कारोबार

(रु.करोड़ों में)

क्रम सं.	आय का स्वरूप*	2017-18	2016-17
1	जीवन बीमा पालिसियों को बेचने के लिए	2.70	3.39
2	गैर जीवन बीमा पालिसियों को बेचने के लिए	17.50	11.83
3	म्युचुअल फंड उत्पादों को बेचने के लिए	1.05	0.41
4	अन्य (स्पष्ट करें)	--	--
	कुल	**21.25**	**15.63**

*बैंक द्वारा लिये गये बैंकएश्यूरन्स कारोबार के संबंध में प्राप्त शुल्क / पारिश्रमिक।

18.11. प्रतिभूतीकरण से संबंधित प्रकटीकरण शून्य (गत वर्ष शून्य)

18.12. उधार डीफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) शून्य (गत वर्ष शून्य)

18.13. आरक्षितियों से आहरण

बेसल III के अनुपालन के लिए रूपये सतत बांड 05.02.2018 (04.02.2018 को छुट्टी के रूप में) पर 100 करोड़ के कूपन भुगतान 04.02.2018 को लिए अतिरिक्त भुगतान किया गया था। अपर्याप्त लाभ के संदर्भ में ब्याज की ओर भुगतान / प्रावधान सामान्य रिजर्व के खिलाफ समायोजित किया जाता है।

18.14. इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर

(रु.करोड़ों में)

विवरण	2017-18	2016-17
इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र की कुल राशि	--	--
शीर्ष 20 इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र की कुल राशि	--	--
उधारकर्ताओं / ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोज़र के इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र का	--	--
इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र पर सीमा विच्छेद के विवरण और उन पर की गई नियामक कार्रवाई, यदि कोई हो	--	--

19. जमाकर्ता शैक्षिक एवं जागरूकता निधि को अंतरण (डीईएएफ)

(रु.करोड़ों में)

विवरण	2017-18	2016-17
डीईएएफ को अंतरित राशियों का प्रारंभिक शेष	639.07	530.87
जोड़े : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि	83.80	110.61
घटाएं : दावे की ओर डीईएएफ द्वारा प्रतिपूर्ति राशि	27.29	2.41
डीईएएफ को अंतरित राशियों का अंतिम शेष	695.58	639.07

20. अरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण (यू एफ सी ई)

भा.रि.बै. के परिपत्र भा.रि.बै./2013-14/620 एवं भा.रि.बै./2013-14/448 के अनुसार, शाखाओं से उधारकर्ता के यू एफ सी ई से संबंधित आंकड़े ऑनलाइन प्राप्त किए जाते हैं और जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा अरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण वाली इकाइयों के ऋण के लिए पूँजी व अपेक्षित अतिरिक्त प्रावधान की गणना का समेकन किया जाता है।

क्रेडिट जोखिम पूंजी मूल्यांकन 31.03.2018 को अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए अतिरिक्त प्रावधान आवश्यकता रुपये है 8.99 करोड़ (31.03.2017 को 11.08 करोड़ रुपये) और 31.03.2018 को अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर शामिल किया गया है के लिए बढ़ती आरडब्ल्यूए आवश्यकता 2,57.81 करोड़ रुपये (31.03.2017 को 360.20 करोड़ रुपये है) का हिस्सा थी।

18.10 Bancassurance Business

(Rs. in Crore)

S. No.	Nature of income*	2017-18	2016-17
(a)	For selling Life Insurance Policies	2.70	3.39
(b)	For selling Non Life Insurance Policies	17.50	11.83
(c)	For Selling Mutual Fund products	1.05	0.41
(d)	Others (specify)	--	--
	Total	21.25	15.63

***Fees/Remuneration received in respect of the Bancassurance Business undertaken by the Bank.**

18.11 Disclosures relating to Securitisation NIL(previous year – NIL)

18.12 Credit Default Swaps (CDS) NIL(previous year – NIL)

18.13 Draw Down from Reserves

Coupon payment of Rs.100 crore on Basel III compliant Additional Tier I Perpetual Bonds due for payment on 04.02.2018 was made on 05.02.2018 (04.02.2018 being a holiday). The payment / provision towards interest remain adjusted against General Reserves in view of insufficient profits.

18.14 Intra-Group Exposures

(Rs. in Crore)

Particulars	2017-18	2016-17
Total amount of intra-group exposures	--	--
Total amount of top 20 intra-group exposures	--	--
% of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers/ customers	--	--
Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	--	--

19. Transfer to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(Rs. in Crore)

Particulars	2017-18	2016-17
Opening Balance of Amounts transferred to DEAF	639.07	530.87
Add: Amounts transferred to DEAF during the year	83.80	110.61
Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	27.29	2.41
Closing Balance of Amounts transferred to DEAF	695.58	639.07

20 Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE)

As per RBI circular ref to RBI/2013-14/620 & RBI/2013-14/448, data relating to UFCE of borrowers from individual branches is obtained through online and consolidated working of the required additional provision and capital for Exposures to entities with Unhedged Foreign Currency Exposure is done at Risk Management Department.

The additional provision requirement for Unhedged Foreign Currency Exposure as on 31.03.2018 is Rs.8.99 Crore (As on 31.03.2017 is Rs.11.08 Crore) and the incremental RWA requirement for Unhedged Foreign Currency Exposure as on 31.03.2018 is Rs.257.81 Crore(As on 31.03.2017 is Rs.360.20 Crore) which is included as part of the Credit Risk Capital assessment.

21. तरलता कवरेज अनुपात पर प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

		जून-17		जून-16		सितंबर-17		सितंबर-16		दिसंबर-17		दिसंबर-16		मार्च-18		मार्च-17	
		कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)
उच्च गुणवत्ता तरलता आस्ति																	
1	कुल उच्च गुणवत्ता तरलता आस्ति (एच क्यू एल ए)		29003.26		13256.19		32170.54		9397.63		38597.66		25295.10		37641.35		16740.23
नकदी प्रवाह																	
2	लघु कारोबार ग्राहकों से रिटेल जमाएं व जमाएं, जिसमें	59046.78	5118.90	26317.43	1529.02	53127.05	4628.37	54519.22	4695.28	53438.04	4658.80	64243.82	5444.21	55043.70	4818.88	60381.59	5204.37
i.	स्थिर जमाएं	15715.60	785.78	22054.36	1102.72	13686.61	684.33	15132.69	756.63	13700.01	685.0005	19603.41	980.17	13709.72	685.486	16675.67	833.78
ii.	कम स्थिर जमाएं	43331.18	4333.118	4263.07	426.30	39440.44	3944.044	39386.53	3938.65	39738.03	3973.80	44640.41	4464.04	41333.98	4133.398	43705.92	4370.59
iii.	अप्रतिभूत ऋण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	अप्रतिभूत थोक वित्तीयन जिसमें	34785.80	8050.31	26535.31	9166.86	37838.10	10117.43	32510.93	10514.66	40798.16	10579.92	29831.62	6413.74	41558.64	11926.96	37747.81	8864.63
i.	परिचालनात्मक जमाएं (सभी काउंटर पार्टियां)	23368.55	1223.47	7210.38	425.11	22813.35	1176.83	16385.35	857.09	24999.33	1306.80	20747.03	1077.68	21336.48	1109.82	25676.20	1330.89
ii.	गैर - परिचालनात्मक जमाएं (सभी काउंटर पार्टियां)	11417.25	6826.84	19324.93	8741.75	15024.75	8940.60	16125.58	9657.57	15798.83	9273.12	9084.59	5336.06	20222.16	10817.14	12071.61	7533.74
iii.	अप्रतिभूति ऋण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	अप्रतिभूत थोक वित्तीयन	485.47	0	471.76	0	0	0	450.39	0	152.44	152.44	2473.04	0	1307.34	1307.34	489.58	0
5	अतिरिक्त अपेक्षाएं जिसमें से	8467.97	892.12	10233.37	1262.90	150.51	103.59	9734.06	1534.44	192.66	154.78	8672.11	962.76	192.05	167.82	8431.14	1123.78
i.	व्युत्पन्न एक्सपोज़र एवं अन्य संपार्श्वी अपेक्षाओं से संबंधित बहिर्वाह	51.09	51.09	126.49	126.49	98.49	98.49	196.56	196.56	150.63	150.63	72.34	72.34	165.22	165.22	182.94	182.94
ii	ऋण उत्पादों पर नधीकरण की हानि से संबंधति बहर्िवाह	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 Disclosure on Liquidity Coverage Ratio

(Rs. in Crore)

		Jun-17		Jun-16		Sep-17		Sep-16		Dec-17		Dec-16		Mar-18		Mar-17	
		Total Unweighted Value* [average]	Total Weighted Value # (average)	Total Un-weighted Value* [average]	Total Weighted Value # (average)	Total Un-weighted Value* [average]	Total Weighted Value # (average)	Total Un-weighted Value* [average]	Total Weighted Value # (average)	Total Un-weighted Value* [average]	Total Weighted Value # (average)	Total Un-weighted Value* [average]	Total Weighted Value # (average)	Total Un-weighted Value* [average]	Total Weighted Value # (aver-age)	Total Un-weighted Value* [aver-age]	Total Weighted Value # (average)
High Quality Liquid Assets																	
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		29003.26		13256.19		32170.54		9397.63		38597.66		25295.10		37641.35		16740.23
Cash Outflows																	
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	59046.78	5118.90	26317.43	1529.02	53127.05	4628.37	54519.22	4695.28	53438.04	4658.80	64243.82	5444.21	55043.70	4818.88	60381.59	5204.37
(i)	Stable deposits	15715.60	785.78	22054.36	1102.72	13686.61	684.33	15132.69	756.63	13700.01	685.0005	19603.41	980.17	13709.72	685.486	16675.67	833.78
(ii)	Less stable deposits	43331.18	4333.118	4263.07	426.30	39440.44	3944.044	39386.53	3938.65	39738.03	3973.80	44640.41	4464.04	41333.98	4133.398	43705.92	4370.59
(iii)	Unsecured Debt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Unsecured wholesale funding, of which:	34785.80	8050.31	26535.31	9166.86	37838.10	10117.43	32510.93	10514.66	40798.16	10579.92	29831.62	6413.74	41558.64	11926.96	37747.81	8864.63
(i)	Operational deposits (all counterparties)	23368.55	1223.47	7210.38	425.11	22813.35	1176.83	16385.35	857.09	24999.33	1306.80	20747.03	1077.68	21336.48	1109.82	25676.20	1330.89
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	11417.25	6826.84	19324.93	8741.75	15024.75	8940.60	16125.58	9657.57	15798.83	9273.12	9084.59	5336.06	20222.16	10817.14	12071.61	7533.74
(iii)	Unsecured debt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Secured wholesale funding	485.47	0	471.76	0	0	0	450.39	0	152.44	152.44	2473.04	0	1307.34	1307.34	489.58	0
5	Additional requirements, of which	8467.97	892.12	10233.37	1262.90	150.51	103.59	9734.06	1534.44	192.66	154.78	8672.11	962.76	192.05	167.82	8431.14	1123.78
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	51.09	51.09	126.49	126.49	98.49	98.49	196.56	196.56	150.63	150.63	72.34	72.34	165.22	165.22	182.94	182.94
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		जून-17		जून-16		सितंबर-17		सितंबर-16		दिसंबर-17		दिसंबर-16		मार्च-18		मार्च-17	
		कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	कुल भारित मूल्य* (औसत)
ii.	ऋण उत्पादों पर निधीकरण की हानि से संबंधित बहिर्वाह	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
iii.	ऋण एवं तरलता सुविधा	8416.88	841.03	10106.88	1136.41	52.02	5.10	9537.50	1337.88	42.03	4.15	8599.77	890.42	26.83	2.60	8248.20	940.84
6	अन्य संविदागत निधीकरण बाध्यताएं	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	अन्य संभाव्यता वित्तीयन बाध्यताएं	68999.33	2833.82	42677.50	1755.86	55384.68	2185.36	58605.57	2562.46	58765.55	2337.15	55318.99	2355.29	49972.96	2021.99	63508.01	2620.63
8	कुल नकद बहिर्वाह		16895.15		13714.64		17034.75		19306.84		17883.09		15176.00		20242.99		17813.41
नकदी प्रवाह																	
9	प्रतिभूत उधार [उदा. रिवर्स रेपो]	27141.99	0	5655	0	20567	0	13350	0	15938	0	6202.52	0	12800	0	4650	0
10	पूर्णता निष्पादित एक्सपोज़र से अंतर्वाह	142.47	142.47	235.41	235.41	2189.19	2189.19	507.25	507.25	2150.17	2150.17	200.53	200.53	3005.90	3005.90	229.19	229.19
11	अन्य नकद अंतर्वाह	8858.70	5213.44	11870.51	7951.33	8148.80	4261.98	17987.99	10744.94	12951.98	6695.48	12452.19	7334.27	10718.70	5553.88	15069.49	8354.06
12	कुल नकद अंतर्वाह	36143.16	5355.91	17760.92	8186.74	30904.99	6451.17	31845.24	11252.19	31040.15	8845.65	18855.24	7534.80	26524.60	8559.78	19948.68	8583.25
			कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य
21	कुल एच क्यू एल ए		29003.26		13256.19		32170.54		9397.63		38597.66		25295.10		37641.35		16740.23
22	कुल निवल नकद प्रवाह		11539.24		5527.90		10583.58		8054.65		9037.44		7641.20		11683.21		9230.16
23	तरलता कवरेज अनुपात [ ]		251.3447		239.8052		303.9664		116.6734		427.0860		331.0357		322.1832		181.3645

* बिना भारित मूल्य (औसत) प्रबंधन द्वारा प्रदान किए जाते हैं और लेखा परीक्षकों द्वारा भरोसा करते हैं।

एलसीआर के बारे में गुणवत्ता प्रकटीकरण

बेसल III पूंजी विनियम चरणबद्ध तरीके से 1 अप्रैल 2013 को लागू हुआ है एवं दिनांक 31 मार्च 2019 तक पूरी तरह से लागू जाएंगे। आगे भारतीय रिज़र्व बैंक ने बेसल III चल निधि कवरेज अनुपात (एससीआर) को लागू किया है जिसे कि भारतीय बैंकों द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2015 से लागू किया जाएगा एवं इसका सम्पूर्ण कार्यान्वयन 1 जनवरी 2019 तक से प्राभावी होगा। एलसीआर इस सुनिश्चितीकरण द्वारा कि बैंक के पास पिछले 30 दिनों के हेतु तीव्र तनाव परिदृश्य को वहन करने के लिए बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में संभावित तरलता अवरोध हैं को बैंक के लघु अवधि के लचीलेपन को बढ़ावा देता हैं। बैंक हेतु ट्रंजीशन समय प्रदान करने के लिए जो कि दिनांक 01 जनवरी 2015 से प्रभावी होंगे एवं 1 जनवरी 2019 तक इसे न्यूनतम आपेक्षिक 100% तक समान चरणों में बढ़ाया जाएगा।

एलसीआर 30 दिनों तक चलने वाले तीव्र तनाव परिदृश्य से बचने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (मुख्यालय) सुनिश्चित करने के लिए बैंकों की संभावित तरलता व्यवधान के लिए बैंकों की अल्पकालिक लचीलापन को बढ़ावा देता है।

		Jun-17		Jun-16		Sep-17		Sep-16		Dec-17		Dec-16		Mar-18		Mar-17	
		Total Un-weighted Value* [average]	Total Weighted Value # (average)	Total Un-weighted Value* [average]	Total Weighted Value # (average)	Total Un-weighted Value* [average]	Total Weighted Value # (average)	Total Un-weighted Value* [average]	Total Weighted Value # (average)	Total Un-weighted Value* [average]	Total Weighted Value # (average)	Total Un-weighted Value* [average]	Total Weighted Value # (average)	Total Un-weighted Value* [average]	Total Weighted Value # (average)	Total Un-weighted Value* [average]	Total Weighted Value # (average)
(iii)	Credit and liquidity facilities	8416.88	841.03	10106.88	1136.41	52.02	5.10	9537.50	1337.88	42.03	4.15	8599.77	890.42	26.83	2.60	8248.20	940.84
6	Other contractual funding obligations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Other contingent funding obligations	68999.33	2833.82	42677.50	1755.86	55384.68	2185.36	58605.57	2562.46	58765.55	2337.15	55318.99	2355.29	49972.96	2021.99	63508.01	2620.63
8	TOTAL CASH OUTFLOWS		16895.15		13714.64		17034.75		19306.84		17883.09		15176.00		20242.99		17813.41
Cash Inflows																	
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	27141.99	0	5655	0	20567	0	13350	0	15938	0	6202.52	0	12800	0	4650	0
10	Inflows from fully performing exposures	142.47	142.47	235.41	235.41	2189.19	2189.19	507.25	507.25	2150.17	2150.17	200.53	200.53	3005.90	3005.90	229.19	229.19
11	Other cash inflows	8858.70	5213.44	11870.51	7951.33	8148.80	4261.98	17987.99	10744.94	12951.98	6695.48	12452.19	7334.27	10718.70	5553.88	15069.49	8354.06
12	TOTAL CASH INFLOWS	36143.16	5355.91	17760.92	8186.74	30904.99	6451.17	31845.24	11252.19	31040.15	8845.65	18855.24	7534.80	26524.60	8559.78	19948.68	8583.25
			Total Adjusted Value		Total Adjusted Value		Total Adjusted Value		Total Adjusted Value		Total Adjusted Value		Total Adjusted Value		Total Adjusted Value		Total Adjusted Value
21	TOTAL HQLA		29003.26		13256.19		32170.54		9397.63		38597.66		25295.10		37641.35		16740.23
22	TOTAL NET CASH OUTFLOWS		11539.24		5527.90		10583.58		8054.65		9037.44		7641.20		11683.21		9230.16
23	LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)		251.3447		239.8052		303.9664		116.6734		427.0860		331.0357		322.1832		181.3645

*** Unweighted values (Average) are provided by the management and relied upon by the Auditors.**

Qualitative Disclosure about LCR

Basel III capital regulation has been implemented from April 1, 2013 in phases and it will be fully implemented as on March 31, 2019. Further RBI also introduced Basel III Liquidity Coverage Ratio (LCR) to be implemented by banks in India from January 1, 2015 with full implementation being effective from January 1, 2019 with a view to provide transition time for Banks, the requirement would be minimum of 60% for the calendar year 2015 i.e. with effect from January 1, 2015 and rise in equal steps to reach the minimum required level of 100% on January 1, 2019.

The LCR promotes short term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that bank have sufficient high quality liquid assets (HQLA) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days.

31.03.2018 को बैंक के लिए एलसीआर 322.18% था जो वर्तमान कैलेंडर वर्ष के लिए आरबीआई निर्धारित 90% के स्तर से काफी ऊपर है । बैंक 31.03.2018 को उच्च गुणवत्ता वाले तरल संपत्तियों का मजबूत निर्माण 377641.35 करोड़ रूपए कर रहा है । कम से कम एसएलआर आवश्यकताओं के मुकाबले बैंक के पास 10,750.83 करोड़ रुपये के सरकारी प्रतिभूतियां हैं। अचानक नकद बहिर्वाह को पूरा करने के लिए बैंक में पर्याप्त तरलता है ।

बैंक अनिवार्य आवश्यकताओं के ऊपर और ऊपर एसएलआर निवेश के रूप में मुख्य रूप से मुख्यालय बनाए रख रहा है। खुदरा जमा कुल वित्त पोषण स्रोतों का प्रमुख हिस्सा है, और ऐसे फंडिंग स्रोत अच्छी तरह से विविध हैं। प्रबंधन का मानना है कि बैंक की भविष्य की अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता कवर है।

22. सामरिक ऋण पुनर्गठन योजना (जिन खातों में वर्तमान में स्टैंड-स्टिल अवधि के तहत हैं) पर प्रकटीकरण

विवरण	**2017-18**	**2016-17**
खातों की संख्या जह्व एसडीआर को लागू किया गया है ।	--	17
		(रूपये करोड़ में)
को बकाया राशि	**2017-18**	**2016-17**
मानक के अंतर्गत वर्गीकृत	--	3410.09
एनपीए के अंतर्गत वर्गीकृत	--	245.73
खातों के संबंध में बकाया राशि जहां ऋण से इक्विटी का रूपांतरण लंबित है	**2017-18**	**2016-17**
मानक के अंतर्गत वर्गीकृत	--	1123.82
एनपीए के अंतर्गत वर्गीकृत	--	245.73
उन खातों के संबंध में बकाया राशि जहां ऋण का इक्विटी रूपांतरण हुआ है	**2017-18**	**2016-17**
मानक के अंतर्गत वर्गीकृत	--	2286.28
एनपीए के अंतर्गत वर्गीकृत	--	--

23. तनावग्रस्त संपत्तियों के सतत संरचना के लिए योजना पर प्रकटीकरण (एस 4 ए)

(रूपये करोड़ में)

वविरण	**2017-18**	**2016-17**
खातों की संख्या जहाँ एस4ए लागू किया गया है		
मानक के रूप में वर्गीकृत	4	2
एनपीए के रूप में वर्गीकृत	1	--
		(Rs. in Crore)
सकल बकाया राशि	**2017-18**	**2016-17**
मानक के रूप में वर्गीकृत	250.13	122.65
एनपीए के रूप में वर्गीकृत	54.75	--

(Rs. in Crore)

बकाया राशि	**2017-18**	**2016-17**
मानक के रूप में वर्गीकृत		
भाग ए में	127.96	66.05
भाग बी में	122.17	56.02
एनपीए के रूप में वर्गीकृत		
भाग ए में	27.47**	--
भाग बी में	27.28	--
धारित किए गए प्रावधान	**72.19**	**23.14**

** संदर्भ दिनांक पर खाता एनपीए कार्यान्वयन के बाद, भाग ए मानक में अपग्रेड किया गया

LCR for the bank as on 31.03.2018 stood at 322.18% which is well above the RBI stipulated level of 90% for the current calendar year. Bank is having a strong build up of High Quality Liquid Assets at Rs.37,641.35 Crore as on 31.03.2018. Bank is having government securities to the worth of Rs.10,750.83 Crore in excess to the minimum SLR requirements. Bank is having enough liquidity to meet sudden cash outflows.

The Bank has been maintaining HQLA mainly in form of SLR investments over and above the mandatory requirements. Retail deposits constitute major portion of total funding sources, and such funding sources are well diversified. Management is of the view that Bank has sufficient liquidity cover to meet its likely future short term requirements.

22 Disclosure on the Strategic Debt Restructuring Scheme (Accounts which are currently under the Stand-Still Period)

Particulars	2017-18	2016-17
Number of Accounts where SDR has been applied	--	17
		(Rs. in Crore)
Amount Outstanding as on	**2017-18**	**2016-17**
Classified as Standard	--	3410.09
Classified as NPA	--	245.73
Amount Outstanding with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending	**2017-18**	**2016-17**
Classified as Standard	--	1123.82
Classified as NPA	--	245.73
Amount Outstanding with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	**2017-18**	**2016-17**
Classified as Standard	--	2286.28
Classified as NPA	--	--

23 Disclosure on the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A)

Particulars	2017-18	2016-17
Number of Accounts where S4A has been applied		
Classified as Standard	4	2
Classified as NPA	1	--
		(Rs. in Crore)
Aggregate Amount Outstanding	**2017-18**	**2016-17**
Classified as Standard	250.13	122.65
Classified as NPA	54.75	--

(Rs. in Crore)

Amount Outstanding	2017-18	2016-17
Classified as Standard		
In Part A	127.96	66.05
In Part B	122.17	56.02
Classified as NPA		
In Part A	27.47**	--
In Part B	27.28	--
Provision Held	**72.19**	**23.14**

**Account NPA as on reference date. After implementation, Part A upgraded to Standard

आरबीआई 12 वीं फरवरी 2018 के अपने परिपत्र सं। बीपीबीसी.101 / 21.04.048 / 2017-18 के माध्यम से, तनावग्रस्त संपत्तियों के समाधान पर संशोधित ढांचा जारी किया है। संशोधित फ्रेमवर्क के अनुसार, बैंक ने विशिष्ट पुनर्गठित खातों को मौजूदा आईआरएसी मानदंडों के अनुसार वर्गीकृत किया है और चालू वर्ष के दौरान इस तरह के खातों के लिए 7 99.37 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

24. अग्रिम संबन्धित धोखे

ववरिण	2017-18	2016-17
रिपोर्ट किए गए धोखों की संख्या	74*	106

(रूपये करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17
इस प्रकार के धोखों में शामिल राशि – 31 मार्च को बकाया	1372.90	850.45
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान की मात्र	1372.90	850.45
	--	--

'अन्य भंडार' से वंचित अनधिकृत प्रावधान का क्वांटम

25. प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाण पत्र (पीएसएलसी)

(रूपये करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2017-18		2016-17	
		खरीद	बिक्री	खरीद	बिक्री
1	पीएसएलसी कृषि	--	--	--	--
2	पीएसएलसी – एसएफ़/ एमएफ़	--	1300	--	--
3	पीएसएलसी – अतिलघु उद्यम	--	--	--	--
4	पीएसएलसी सामान्य	--	105	--	--

नोट :

1) प्रकटीकरण आरबीआई परिपत्र एफ़आईडीडी.केका.प्लान.बीसी.23 / 04.09.01 / 2015-16 दिनांकित 7 अप्रैल 2016 प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाण पत्र (पीएसएलसी) के आधार पर ।

26. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार दिवालियापन और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों के तहत कवर किए गए कुछ उधार खातों के संबंध में 23 जून, 2017 को जारी पत्र संख्या डीबीआर.एन.बीपी: 1519 9 / 21.04.048 / 2016-17 के अनुसार दिवालियापन और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों के तहत कुछ उधार खातों के संबंध में 28 अगस्त, 2017 दिनांकित डीबीआर.एन.बी.बी.बी.सी. 1949 / 21.04.048 / 2017-18 के अनुसार बैंक को अतिरिक्त प्रावधान करना था । तदनुसार, बैंक ने 02.04.2018 के आरबीआई पत्र सं. डीबीआरएन.बी.पी. / 8756 / 21.04.048 / 2017-18 के अनुसार किसी रियायत का लाभ उठाए बिना उन खातों के संबंध में 726.87 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है ।

27. तुलनात्मक आंकड़े

पिछले वर्ष के आंकड़े जहां भी जरूरी हो, पुन: समूहित / पुनः वर्गीकृत किए गए हैं ।

RBI vide its Circular No.BPBC.101/21.04.048/2017-18 dated 12th February 2018, has issued revised framework on Resolution of Stressed Assets. Pursuant to the revised framewoirk, the bank has classified the specific restructured accounts in accordance with extant IRAC norms and made a provision of Rs.799.37 crore towards such accounts during the current year.

24 Advances Related Frauds

Particulars	2017-18	2016-17
Number of Frauds reported	74*	106
		(Rs. in Crore)
Particulars	**2017-18**	**2016-17**
Amount involved in such Frauds - Outstanding as on 31st March	1372.90	850.45
Quantum of Provision made during the year	1372.90	850.45
Quantum of unamortised provision debited from 'other reserves'	--	--

*excluding two frauds pending as on 31.03.2018

25 Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)

(Rs. In Crore)

S. No.	Particulars	2017-18		2016-17	
		Purchase	Sales	Purchase	Sales
1	PSLC - Agriculture	--	--	--	--
2	PSLC - SF/MF	--	1300	--	--
3	PSLC - Micro Enterprises	--	--	--	--
4	PSLC - General	--	105	--	--

Note:

1) The disclosure is in line with RBI Circular FIDD.CO.Plan.BC.23/04.09.01/2015-16 dated : April 7, 2016 on Priority Sector Lending Certificates(PSLC).

26 As per RBI directions vide letter No.DBR.NO.BP:15199/21.04.048/2016-17 dated June 23, 2017 in respect of certain borrowal accounts covered under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) and vide letter no. DBR.NO.BP. BC.1949/21.04.048/2017-18 dated August 28, 2017 in respect of certain borrowal accounts covered under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), the Bank was required to make additional provision as stated therein. Accordingly, the Bank has made an additional provision of Rs.726.87 crore in respect of those accounts without availing any concession as per the latest RBI letter No.DBR.No.BP/8756/21.04.048/2017-18 dated 02.04.2018.

27 Comparative Figures

Previous year's figures have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.

स्वायत्त लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के सदस्यगण

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. सार्थक लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश युक्त 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक "बैंक" के तुलन पत्र व लाभ व हानि लेखा तथा संबंधित वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण सहित संलग्न वित्तीय विवरणों की हमने लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं तथा शाखा के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 8 विदेशी शाखाओं और 9 क्षेत्रीय कार्यालयों सहित 1564 शाखाओं की विवरणियां भी शामिल की गई हैं। हमारे द्वारा तथा अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ज़ारी दिशानिर्देशों के अनुरूप ही किया है। इस तुलन-पत्र और लाभ व हानि के विवरण में उन 1820 शाखाओं एवं 39 क्षेत्रीय कार्यालयों और 7 अंचल कार्यालयों की विवरणियाँ भी शामिल की गई हैं जिनकी लेखा परीक्षा नहीं हुई है। अ-लेखा परीक्षित इन शाखाओं का अग्रिम के क्षेत्र में अंशदान 11.24% , जबकि जमाओं में 25.72% , ब्याज आय में 8.88% और ब्याज संबंधी खर्चों में 23.83% का अंशदान है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

2. बैंकिंग विनियामक अधिनियम 1949, समय - समय पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी में डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रण शामिल है जो वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए आवश्यक है जो वस्तुनिष्ठ दोष से मुक्त है, चाहे वे धोखाधड़ी या गलती के कारण हों।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

3. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्था द्वारा जारी किए गए लेखाकरण पर मानकों के अनुरूप अपनी लेखा परीक्षा की। इन मानकों से अपेक्षा की जाती है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं के अनुरूप लेखा परीक्षा करें। वित्तीय विवरण दोषरहित रहने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करें।

4. लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों में प्रकटीकरणों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने संबंधी प्रयोग की गई प्रकियाएँ शामिल रहती हैं। चयनित की गई प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षकों के निर्णयों पर निर्भर हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के वस्तुनिष्ठ गलत विवरण के मूल्यांकन का जोखिम शामिल रहता है, चाहे वे धोखाधड़ी या गलती के कारण हों। लेखा परीक्षक इन जोखिम मूल्यांकन का आकलन करने में इकाई की आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविकारिता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं बल्कि उस समय की परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने हेतु वित्तीय विवरणों की उचित प्रस्तुति एवं बैंक की तैयारी से संबद्ध आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त की गई लेखाकरण नीतियों के समयुक्त मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा दिए गए लेखाकरण अनुमानों के तर्कसंगतों के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की संपूर्ण प्रस्तुति का मूल्यांकन करना शामिल है।

5. हमें विश्वास है कि अपनी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान हेतु हमने पर्याप्त एवं उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं।

राय

6. हमारी राय में बैंक की बहियों द्वारा दर्शाए गए अनुसार व हमारी उचित जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार

   (i) तुलन पत्र को उसमें दी गई पूरी टिप्पणियों में पूर्ण और उचित तुलनपत्र के सभी आवश्यक ब्यौरे निहित हैं, भारत में स्वीकृत सामान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2018 को बैंक की वर्तमान स्थिति का उचित रूप से सही और उचित आकलन किया गया है;

   (ii) लाभ हानि के साथ टिप्पणियों में लेखा द्वारा वर्ष के लिए कवर की गई भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के साथ पुष्टि करते हुए लाभ के सही शेष दर्शाते हैं ; और

   (iii) नकदी प्रवाह विवरण उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की सही एवं उचित स्थिति दर्शाता है।

मामलों पर बल

7. क) हम नोट सं. 6.4 (अनुसूची 18) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो वर्ष के लिए रु.2392.02 करोड़ के योग का आस्थगित कर आस्ति से सम्बन्धित था।

   ख) हम नोट सं. 7 (अनुसूची 18) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो अंतर शाखा लेन-देन से सम्बन्धित था।

उक्त के संबंध में हमारी राय नहीं ली गई है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

8. तुलन पत्र एवं लाभ हानि खाते को बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 29 के अनुसरण में तैयार किया गया है।

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the Members of Indian Overseas Bank

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of Indian Overseas Bank ("the Bank") as at 31stMarch 2018, which comprise the Balance Sheet as at 31stMarch 2018, and Profit and Loss Account and the Cash Flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches audited by us and 1564 branches (including 8 overseas branches and 9 Regional Offices) audited by statutory branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss are the returns from 1820 branches (Including 39 Regional Offices and 7 Zonal Offices) which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 11.24% of advances, 25.72% of deposits, 8.88% of interest income and 23.83% of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with Banking Regulations Act 1949, Reserve Bank of India guidelines from time to time and accounting standards generally accepted in India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by books of the Bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:

    (i) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31stMarch, 2018 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

    (ii) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of loss, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

    (iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the Cash Flows for the year ended on that date.

7. Emphasis of Matter

We draw attention to:

a) Note No.6.4 (Schedule 18) relating to recognition of Deferred Tax Asset for the year aggregating to Rs.2392.02 Crores

b) Note No.7 (Schedule 18) relating to reconciliation of certain Inter branch transactions.

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.

9. अनुच्छेद 1 से 5 से अधिक में इंगित की गई लेखा परीक्षा की सीमाओं के तहत बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/ 1980 द्वारा अपेक्षानुसार और उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अनुसार भी हो, हम रिपोर्ट करते हैं कि

क) हमने सभी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो कि हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार उत्कृष्ट हैं, हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषप्रद पाया गया है।

ख) बैंक के लेन-देन जो कि हमारी जानकारी में आए हैं, वे बैंक की शक्तियों के अंदर किए गए हैं।

ग) बैंक के कार्यालयों तथा शाखाओं से प्राप्त विवरणियां लेखा के उद्देश्य हेतु उपयुक्त पाई गई हैं।

10. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

क) इस रिपोर्ट में वर्णित सम्बन्धित तुलनपत्र एवं लाभ व हानि लेखे, लेखा बहियों एवं रिटर्न के अनुक्रम में हैं।

ख) बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं के लेखों पर रिपोर्ट हमें प्राप्त हो गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करते हुए हमने उस पर समुचित कार्रवाई की है।

ग) हमारे मतानुसार, तुलनपत्र, लाभ व हानि लेखे व नकदी प्रवाह विवरणी लागू लेखांकन मानकों के अनुपालन में है।

कृते **हरिभक्ति एंड कं. एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 103523डब्ल्यू 100048

(जी. एन. रामस्वामी)
साझेदार
एम.नं. 202363

कृते **तलाटी एंड तलाटी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 110758डब्ल्यू

(उमेश तलाटी)
साझेदार
एम. नं. 034834

कृते **आर सुब्रमणियन एंड कं. एलएलपी**
सनदी लेखाकार,
एफआरएन 004137एस/ एस200041

(एन कृष्णमूर्ती)
साझेदार
एम नं. 019339

कृते **एस ए आर सी एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 006085एन

(सुनील कुमार गुप्ता)
साझेदार
एम नं. 084884

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 29.05.2018

9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

(a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

(b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

(c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

10. We further report that:

a) the Balance Sheet and Profit and Loss account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;

b) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;

c) in our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

For **HARIBHAKTI & Co LLP**
Chartered Accountants
FRN 103523W/W100048

(G.N.RAMASWAMI)
Partner
M.No.202363

For **TALATI & TALATI**
Chartered Accountants
FRN 110758W

(UMESH TALATI)
Partner
M.No.034834

For **R SUBRAMANIAN AND COMPANY LLP**
Chartered Accountants
FRN 004137S/S200041

(N KRISHNAMURTHY)
Partner
M.No.019339

For **S A R C & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
FRN 006085N

(SUNIL KUMAR GUPTA)
Partner
M.No.084884

Place : Chennai
Date : 29.05.2018

31.03.2018 तक अतिरिक्त प्रकटीकरण:

भारतीय रिज़र्व बैंक, नए पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क बेसल (II) पर समय-समय पर दिशानिर्देश जारी करता है। दिशानिर्देशों के संबंध में पिलर III अपेक्षाओं के तहत निर्धारित प्रारूप के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण किए गए हैं।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम लेना बैंकिंग कारोबार का अभिन्न अंग है। विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया में बैंक कई प्रकार का जोखिम लेते हैं। बैंक द्वारा किए गए प्रत्येक लेन देन से बैंक का रिस्क प्रोफाइल बदलता है। सामान्य कारोबार में बैंक के लिए कई जोखिम हैं जैसे उधार जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम। जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य जोखिम भरे कार्यकलापों से रोकना नहीं है , बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि पूरी जानकारी, स्पष्ट उद्देश्य और समझ के साथ जोखिम उठाया गया है ताकि इसका आकलन किया जा सके और शमन किया जा सके। ऐसी जोखिमों का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने के लिए बैंक ने कई जोखिम प्रबंधन उपाय एवं प्रणालियां तैयार की हैं और इन्हें काम में लाया जा रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाए रखा है जिसमें नीतियां, साधन, तकनीक, प्रबोधन प्रक्रियाएं और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआइएस) शामिल हैं।

बैंक नियमित आधार पर जोखिम और प्रतिलाभ के बीच उपयुक्त ट्रेड ऑफ प्राप्त करने के जरिए शेयरधारकों के मूल्यों को अधिकतम करने और बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। बैंक के जोखिम प्रबंधन के उद्देश्यों में जोखिम की उचित पहचान, उसे मापना, प्रबोधन / नियंत्रण और इसका शमन करना शामिल है ताकि बैंक की समग्र जोखिम फिलॉसफी को प्रतिपादित किया जा सके। बैंक द्वारा अपनाई गई जोखिम प्रबंधन नीति जोखिम की स्पष्ट समझ और जोखिम की मांग के स्तर पर आधारित है। बैंक की जोखिम एपिटाइट जोखिम प्रबंधन से संबंधित विभिन्न नीतियों में जोखिम सीमाओं के उपायों के जरिए प्रदर्शित होते हैं।

बैंक ने उपयुक्त जोखिम प्रबंधन संगठन रूपरेखा बैंक में स्थापित कर ली है। निदेशक मंडल की एक उप-समिति, जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई है जो बैंक में ऋण जोखिम, व्यापार जोखिम, परिचालन जोखिम और अन्य जोखिमों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। बैंक ने उधार जोखिम प्रबंधन के लिए ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) और बाज़ार जोखिम के प्रबंधन हेतु अल्को उप समिति, परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी), परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन हेतु उत्पाद/ प्रोसेस जोखिम शमन समिति (पीआरएमसी) तथा सूचना सुरक्षा के प्रबंधन हेतु सूचना सुरक्षा समिति का भी गठन किया है।

बैंक में उत्कृष्ट जोखिम प्रबंधन प्रणाली और व्यवहार के कार्यान्वयन के लिए बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में एक पूर्णरूपेण जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है जो कारोबार विभागों से अलग है। महा प्रबंधक इस विभाग के प्रभारी हैं जो बैंक में जोखिम प्रबंधन पर समग्र पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी मुख्य जोखिम अधिकारी हैं और सभी आंतरिक जोखिम प्रबंधन समितियों के लिए संयोजक हैं। विशेष रूप से जोखिम प्रबंधन में मिड ऑफिस तथा उधार समर्थन सेवाएँ विभाग और सामान्यत: अन्य प्रकार्यात्मक विभाग/ शाखा भी जोखिम प्रबंधन कार्य करते हैं तथा नीति जोखिम सीमा रूपरेखा और आन्तरिक अनुमोदनों के पालन / अनुपालन का प्रबोधन करते हैं। जोखिम प्रबंधकों को क्षेत्रीय कार्यालयों/ अंचल कार्यालयों में तैनात किया गया है। विभिन्न एम आइ एस को प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबंधन विभाग के साथ समन्वयन करने के अलावा वे क्षेत्र/ अंचल स्तरीय ऋण अनुमोदन समिति में सहभागिता करते हैं।

जोखिम का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने के लिए मूल एप्रोच इसके प्रारंभिक बिंदु के जोखिम नियंत्रण करने पर निर्भर करती है। बैंक ने 31.3.2008 से प्रभावी पूँजी पर्याप्तता रूपरेखा (बेसल II) का कार्यान्वयन किया था और ये समय - समय पर भा.रि.बैं. द्वारा जारी दिशानिर्देशों के क्रम में फ्रेमवर्क के अनुपालन में है। बेसल III दिशानिर्देशों की शुरूआत 01.04.2013 से की गई है और बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार पूँजी का अनुरक्षण कर रहे हैं। बेसल II फ्रेमवर्क तीन पारस्परिक सहायक पिलर पर आधारित हैं। संशोधित फेमवर्क का पहला पिलर क्रेडिट, मार्केट और परिचालनात्मक जोखिम के लिए न्यूनतम पूँजी आवश्यकता से संबंधित है। दूसरा पिलर पर्यवेक्षी पुनरीक्षा प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करता है कि बैंक के पास पर्याप्त पूँजी है ताकि वह अपने कारोबार में सभी प्रकार के जोखिमों का बैंक के जोखिम प्रोफाइल और नियंत्रण वातावरण के साथ शमन कर सकता है। भा.रि.बै. की अपेक्षा के अनुरूप बैंक ने आंतरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइसीएएपी) पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है ताकि वह दूसरे पिलर की अपेक्षाओं को पूरा कर सके। इस नीति का लक्ष्य उन सभी महत्वपूर्ण जोखिमों का मूल्यांकन प्रथम पिलर जोखिमों के तहत विनियामक निर्धारकों से ऊपर करना है जिसका सामना बैंक करता है और पर्याप्त पूँजी ढाँचा सुनिश्चित करना ताकि आवश्यकताओं की पूर्ति निरंतर होती रहे।

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 02.12.2013 को जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप एक तनाव जांच नीति /फ्रेमवर्क तैयार किया है जिससे अपवादस्वरूप किन्तु संभाव्य घटनाओं के प्रति संगठन की संभाव्य संवेदनशील स्थिति का पता लगाया जा सके। तनाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण, विशेषत: बैंक के भौतिक जोखिम एक्सपोजर के संबंध में, आर्थिक मंदी के समय में किसी पोर्टफोलियो में निहित संभावित जोखिम की पहचान करने और तदनुसार इसका सामना करने के लिए उचित उपाय करने में सहायक होता है। नीतिगत उपायों के अनुसार बैंक आवधिक रूप से बैंक के तुलन-पत्र पर विभिन्न तनाव परीक्षण करता है और आल्को / आरएमसीबी / बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित कारोबार निरंतरता योजना एवं विनाश से उबरने की योजना बनी है । जीरो डाटा लॉस के लिए 3 वे डी आर , सभी 3 डाटा केन्द्रों पर और केन्द्रीय कार्यालय पर , मल्टीपल एम पी एल एस - वी पी एन हाइ बैण्डविथ कनेक्शन , वैकल्पिक सेवा प्रदाता से ड्वेल कनेक्टीविटी और शाखाओं के लिए वैकल्पिक मीडिया की स्थापना की गयी है। फायरवॉल और इन्ट्रूजन डिटेक्शन प्रणाली को कार्यान्वित किया गया है। सूचना सुरक्षा घटनाओं की निगरानी और विश्लेषण करने के लिए सूचना प्रणाली सुरक्षा विभाग (आइ एस सेक्यूरिटी) की स्थापना की गयी है ताकि सुधारात्मक उपाय किए जा सके। जबकि आइ एस लेखापरीक्षा अनुभाग बैंक के विभागों और शाखाओं की आवधिक सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा की देख-रेख करता है। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सूचना सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाया है। प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से डी आर ड्रिल आयोजित किया जाता है। नेटवर्क सेक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए बाहरी विशेषज्ञों द्वारा खतरा विश्लेषण और पेनेट्रेशन टेस्टिंग आयोजित किया जाता है।

बेसल II फ्रेमवर्क के तहत परिकल्पित उन्नत पहलों को माइग्रेट करने के लिए बैंक अपने जोखिम प्रबंधन प्रणाली व प्रक्रिया को उन्नत बनाने की प्रक्रिया में सलंग्न है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2013 से प्रभावी लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस दिशानिर्देश में विभिन्न स्तरों पर घरेलू व विदेशी परिचालनों समेत समेकित बैंक परिचालनों की तैयारी व प्रस्तुति शामिल है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक ने प्रणाली व प्रक्रिया तैयार की है ।

ADDITIONAL DISCLOSURES AS ON 31.03.2018

Reserve Bank of India issues guidelines on Basel III Capital Adequacy Framework from time to time. In terms of the guidelines, the following disclosures are made as per the specified Formats under Pillar III requirement:

RISK MANAGEMENT

Risk taking is an integral part of the banking business. Banks assume various types of risks in its activities while providing different kinds of services based on its risk appetite. Each transaction that the Bank undertakes changes the risk profile of the Bank. In the normal course of business, a bank is exposed to various risks including Credit Risk, Market Risk and Operational Risk. The objective of risk management is not to prohibit or prevent risk taking activity, but to ensure that the risks are consciously taken with full knowledge, clear purpose and understanding so that it can be measured and mitigated. With a view to managing such risks efficiently and strengthening its risk management systems, the bank has put in place various risk management measures and practices which include policies, tools, techniques, monitoring mechanism and management information systems (MIS).

The Bank, on a continuous basis, aims at enhancing and maximizing the shareholder values through achieving appropriate trade off between risks and returns. The Bank's risk management objectives broadly cover proper identification, measurement, monitoring, control and mitigation of the risks with a view to enunciate the bank's overall risk philosophy. The risk management strategy adopted by the bank is based on an understanding of risks and the level of risk appetite of the bank. Bank's risk appetite is demonstrated broadly through prescription of risk limits in various policies relating to risk management.

The bank has set up appropriate risk management organization structure in the bank. Risk Management Committee of the Board (RMCB), a sub-committee of the Board, is constituted which is responsible for management of credit risk, market risk, operational risk and other risks in the Bank. The bank has also constituted internal risk management committees namely Credit Risk Management Committee (CRMC) for managing credit risk, Asset Liability Management Committee (ALCO), Funds Committee for managing market risk, Operational Risk Management Committee (ORMC) and Product/Process Risk Mitigation Committee (PRMC) for managing operational risk, and Information Security Committee for managing Information security.

A full-fledged Risk Management department is functioning at the Bank's Central Office, independent of the business departments for implementing best risk management systems and practices in the bank. A Chief Risk Officer in the rank of General Manager of the bank is in charge of the department who is responsible for overall supervision on risk management in the bank and is the convener for all the internal risk management committees. The Mid-Office in Risk Management and Credit Support Services Dept., in particular, and other functional departments/ branches in general also carry out the risk management functions and monitor the adherence/ compliance to policies, risk limit framework and internal approvals. Risk Managers have been placed at Regional Offices and Zonal Offices. Apart from coordinating with Risk Management Department, Central Office for submission of various MIS, they participate in Regional and Zonal Level Credit Approval Committees.

The basic approach to manage risk more effectively lies with controlling the risk at the point of its origination. The bank had implemented the New Capital Adequacy Framework (Basel-II) with effect from 31.3.2008 and is in compliance with the framework, in line with the guidelines issued by the RBI from time to time. Basel III guidelines have been introduced from 01.04.2013, and bank is maintaining capital as per the guidelines. The Basel-II Framework is based on three mutually reinforcing pillars. While the first pillar of the revised framework addresses the minimum capital requirement for credit, market and operational risks, the second pillar of supervisory review process ensures that the bank has adequate capital to address all the risks in their business commensurate with bank's risk profile and control environment. As per RBI Circular, the Bank has put in place a Board approved Policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to address second pillar requirements. This policy aims at assessing all material risks to which the bank is exposed over and above the regulatory prescriptions under the first pillar risks, and ensuring adequate capital structure to meet the requirements on an ongoing basis.

The bank has formulated a "Stress Testing framework" to assess the potential vulnerability of the organization to exceptional but plausible events in line with the guidelines issued by RBI on 2nd December 2013. Stress testing and scenario analysis, particularly in respect of the bank's material risk exposure, enable identification of potential risks inherent in a portfolio at times of economic recession and accordingly take suitable proactive steps to address the same. In accordance with the policy prescriptions, the bank carries out various stress tests on bank's balance sheet periodically and specific portfolios and places the reports to ALCO/ RMCB / Board.

Board approved Business Continuity Plan and Disaster Recovery plan is in place. The 3 way data centers have been implemented to facilitate Zero data loss, Multiple MPLS-VPN high bandwidth connections at all 3 data Centers and Central, Dual connectivity from different alternate service/ alternate providers and alternate media for branches have been established. Firewall and Intrusion detection systems have been implemented. A Security Operating Centre (SOC) has been established by the Information System Security Department to monitor and analyses the information security incidents to take corrective steps while IS Audit section takes care of the periodical Information Systems Audit of the Bank's department and branches. The bank has fine-tuned the information security systems in accordance with RBI guidelines. Regular DR drills are being conducted every quarter. To ensure Network security, periodical Vulnerability assessment and Penetration testing exercise are conducted by external experts.

The Bank is also in the process of upgrading its risk management systems and procedure for migrating to the advanced approaches envisaged under Basel II framework.

Reserve Bank of India has issued final guidelines on Liquidity Risk Management effective from March 2013. The guideline covers preparation and submission of consolidated bank operations including domestic operations and overseas operations separately at various frequencies. The bank has put in place system and procedure in this regard in compliance with the RBI guidelines.

तरलता कवरेज अनुपात व निवल स्थायी वित्त पोषण अनुपात विषयक भा.रि.बैं. दिशानिर्देशों के संदर्भ, बैंक जनवरी 2015, इसके बाद भा.रि.बैं. को एलसीआर दर्ज कर रहा है। एलसीआर का कार्यान्वयन 60 प्रतिशत के न्यूनतम आवश्यक अपेक्षा के साथ 1 जनवरी 2015 से चरणबद्ध किया गया है जो 1 जनवरी 2019 तक धीरे – धीरे 100 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। आरबीआई ने प्रभावी लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन(एनएसएफ़आर) के संबंध में अपने परिपत्र दिनांकित 17.05.2018 में अंतिम दिशानिर्देश जारी किए हैं तथा विनिर्दिष्ट किया है एनएफ़एसआर के लागू किए जाने की तिथि को उचित समय पर घोषित कर देगा । जब कभी भी आरबीआई के द्वरा एनएसएफ़आर के बारे में सूचित किया जाएगा तब बैंक रिपोर्ट कर देगा ।

बेसल ।।। ने एक सरल, पारदर्शी व गैर जोखिम आधारित लेवरेज अनुपात की शुरूआत की है, जिसे जोखिम आधारित पूँजी अपेक्षा के लिए विश्वसनीय पूरक उपाय के रूप में कार्य करने के लिए जांचा जाता है। बैंक को भी लेवरेज अनुपात पर नियामक अपेक्षाओं के अनुरूप किया गया है और 30 जून 2013 को समाप्त तिमाही से तिमाही आधार पर भा.रि.बैं. को रिपोर्ट कर रहा है।

भा.रि.बैं. ने बैंक द्वारा जून 30 2013 को समाप्त तिमाही के बेसल 3 पूँजी अनुपात के साथ 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किए जाने के लिए भारत में बेसल ।।। पूँजी विनियामकों को कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार इनका अनुपालन कर रहा है।

बेसल II फ्रेमवर्क के तीसरे पिलर का अभिप्राय बाज़ार अनुशासन से है। बाज़ार अनुशासन का उद्देश्य, स्तम्भ 1 के तहत उल्लिखित न्यूनतम पूँजी आवश्यकता और स्तम्भ II के तहत उल्लिखित पर्यवेक्षी पुनरीक्षण प्रक्रिया को पूरा करना है। इस संदर्भ में, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक में जोखिम प्रबंधन के बारे में तालिका डीएफ 1 से 11 (संलग्न) में प्रकटीकरण (मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों) का एक सेट प्रकाशित किया गया है जिससे बाजार के सहभागी अनुप्रयोग की गुंजाइश, पूँजी जोखिम एक्सपोजर जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया, बैंक की जोखिम प्रोफाइल और पूँजीकरण के स्तर आदि के बारे में महत्वपूर्ण सूचना का आकलन कर सकें; (1) अनुप्रयोग की गुंजाइश डीएफ-1, (2) पूँजी पर्याप्तता (डीएफ-2), (3) उधार जोखिम: सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण (डीएफ-3), (4) उधार जोखिम: पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण बशर्ते कि मानकीकृत दृष्टिकोण (डीएफ-4), (5) उधार जोखिम शमन: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (डीएफ-5), (6) प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (डीएफ-6), (7) ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम (डीएफ-7), (8) परिचालन जोखिम (डीएफ-8), (9) बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) (डीएफ-9), (10) काउंटर पार्टी उधार जोखिम से संबंधित एक्सपोजर के लिए सामान्य प्रकटीकरण (डीएफ-10) और (11) पूँजी का संघटन (डीएफ-11)। यह बाजार के सहभागियों को विभिन्न मानदण्डों में बैंक के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक जानकारी भी प्रदान करेगा।

1. प्रयोज्यता की संभावना और पूँजी पर्याप्तता

तालिका डीएफ-1: प्रयोज्यता की संभावना

बैंकिंग समूह का नाम जहां यह रूपरेखा लागू होती है

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

निगमन के देश/ ईकाई का नाम	क्या ईकाई समेकन के लेखाकरण संभावना के अंतर्गत आती है(हाँ/ नहीं)	समेकन की विधि की व्याख्या	क्या ईकाई समेकन के विनियामक संभावना के अंतर्गत आती है(हाँ/ नहीं)	समेकन की विधि की व्याख्या	समेकन की विधि में अंतर के लिए कारणों की व्याख्या	समेकन की संभावना के सिर्फ किसी एक के तहत समेकन किए जाने के कारण की व्याख्या
		बैंक किसी समूह के अंतर्गत नहीं आता है लागू नहीं		लागू नहीं		

(क) समेकन के लिए विचारणीय इकाइयों के समूह की सूची

(ख) लेखाकरण और विनियामक समेकन की दोनों संभावनाओं के तहत समेकन के लिए अविचारणीय इकाइयों के समूह की सूची

निगमन के देश/ ईकाई का नाम	ईकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी(विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलनपत्र में उल्लिखित)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	ईकाई के पूँजी लिखतों में बैंक के निवेश के प्रति विनियमक व्यवहार	कुल तुलन पत्र परिसंपत्ति(विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलनपत्र में उल्लिखित)
		बैंक किसी समूह के अंतर्गत नहीं आता है लागू नहीं		लागू नहीं	

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(ग) समेकन के लिए विचारणीय इकाइयों के समूह की सूची

नगिमन के देश/ ईकाई का नाम जैसा ऊपर (I) क में इंगति कयिा गया है	ईकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी(विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलनपत्र में उल्लिखित)	कुल तुलन पत्र परिसंपत्ति(विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलनपत्र में उल्लिखित)
		लागू नहीं	

With regard to the RBI guidelines on Liquidity Coverage ratio and Net Stable funding ratio, Bank is reporting LCR to RBI from Jan. 2015 onwards. The implementation of the LCR has been phased in from January 1, 2015 with a minimum mandatory requirement at 60 per cent, which will gradually increase to 100 per cent by January 1, 2019. RBI Vide their Circular dated 17.05.2018 has issued the final guidelines on Net Stable Funding Ratio (NSFR) and mentioned that the implementation date of NSFR shall be communicated in due course. The bank shall accordingly report NSFR as and when advised by RBI.

Basel III has introduced a simple, transparent and non-risk based leverage ratio, which is calibrated to act as a credible supplementary measure to the risk based capital requirement. Bank has been in compliance with the regulatory requirement on Leverage ratio and reporting to RBI on a quarterly basis from the quarter ending June 30, 2013

Reserve Bank of India has issued guidelines on implementation of Basel III capital regulations in India to be implemented in phased manner effective from April 1, 2013 with Banks disclosing Basel III capital ratios from the quarter ending June 30, 2013. The bank is complying with the same.

The third pillar of Basel-II framework refers to market discipline. The purpose of market discipline is to complement the minimum capital requirements detailed under Pillar 1 and the supervisory review process detailed under Pillar 2. In this context and as guided by RBI a set of disclosure (both qualitative and quantitative) are published in DF 1 to 11 (annexed) with regard to risk management in the bank, which will enable market participants to assess key pieces of information on the (a) scope of application (DF-1), (b) Capital Adequacy (DF-2), (c) Credit Risk: General Disclosures for all banks (DF-3), (d) Credit Risk: Disclosures for Portfolios subject to the Standardized Approach (DF-4), (e) Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches (DF-5), (f) Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach (DF-6), (g) Market Risk in Trading Book (DF-7), (h) Operational Risk (DF-8), (i) Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) (DF-9), (j) General Disclosure for Exposures Related to Counter Party Credit Risk (DF-10),(k) Composition of Capital (DF (11) and (L) Leverage ratio common disclosure template (DF-18). This would also provide necessary information to the market participants to evaluate the performance of the bank in various parameters.

Data Required as per Pillar III disclosure under Basel III

1. Scope of Application and Capital Adequacy

TABLE DF –1: Scope of application

Name of the Banking Group to which the frame work applies

(i) Qualitative disclosures:

Name of the Entity / Country of Incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of Consolidation (yes/ no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of Consolidation (yes/ no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
		Bank does not belong to any group		NA		

a. List of group entities considered for consolidation: Not applicable

b. List of Group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

Name of the Entity / Country of Incorporation	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of the bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of the Bank's investments in the capital instruments of the entity	Total Balance Sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
		Bank does not belong to any group	NA		

ii. Quantitative disclosures:

c. List of Group entities considered for consolidation

Name of the Entity / Country of Incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total Balance Sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
		Not applicable	

(घ) सभी अनुषंगी इकाइयों में पूँजी की कमी की कुल रकम समेकन में शामिल नहीं है यानी जिनकी कटौती की गई है और ऐसी अनुषंगी इकाइयों के नाम

निगमन का/ देशानुगंशी का नाम	ईकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी(विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलनपत्र में उल्लिखित)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	पूँजी की कमी
		लागू नहीं		

(ड) बीमा इकाई में बैंक के कुल हित की औसत रकम (उदाहरण - चालू बही मूल्य) जो जाखिम भारित हैं:

निगमन का देश/ बीमा इकाइयों के नाम	ईकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलनपत्र में उल्लिखित)	वोटिंग अधिकार का अनुपात / कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	जोखिम भारित प्रक्रिया बनाम पर्ण कटौती विधि के इस्तेमाल का विनियामक पूँजी पर मात्रात्मक प्रभाव
		लागू नहीं		

(च) बैंकिंग समूह के बीच निधियों या विनियामक पूँजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधा: लागू नहीं

तालिका डीएफ-2

पूँजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (बीसीबीएस) द्वारा जारी किए गए पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल I) और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के आधार पर अप्रैल 1992 में भारत के बैंकों ने पूँजी पर्याप्तता उपाय कार्यान्वित किए। आरंभ में यह बेसल फ्रेमवर्क उधार जोखिम के लिए पूँजी की समस्या दूर करने के लिए थी जिसे बाद में बाजार जोखिम के लिए पूँजी को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक ने संगत दिशानिर्देशों का अनुपालन किया।

बाद में बीसीबीएस ने 26 जून 2004 को पूँजी मानकों और पूँजी मापन के अन्तरराष्ट्रीय सम्परिवर्तन, एक परिशोधित फ्रेमवर्क (बेसल II दस्तावेज के रूप में जाना जाता है) जारी किया। व्यापारिक गतिविधियों और दुगुने चूक प्रभावों के समाधान को शामिल करने के लिए नवंबर 2005 में संशोधित फ्रेमवर्क को अद्यतन किया है और इस फ्रेमवर्क के व्यापक रूपांतर को जून 2006 में जारी किया गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक 31-03-2008 से परिशोधित (बेसल II) फ्रेमवर्क में आ चुका है और बेसल II फ्रेमवर्क की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।

बैंक ने निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के केंद्रीय कार्यालय में संबधित आँकड़ों के आधार पर बाज़ार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूँजी की गणना की है। मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत क्रेडिट जोखिम के लिए पूँजी की गणना में बैंक अपने केन्द्रीय कार्यालय की पोर्टफोलियो से इतर प्रत्येक शाखा से प्राप्त उधारकर्तावार आंकड़ों पर निर्भर है। सभी प्रकार के ऋणों में क्रेडिट जोखिम पूँजी की संगणना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में सूचित वर्गीकरण के अनुसार उधारकर्तावार या सुविधा प्रकार आधार पर किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए, बैंक ने आंतरिक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जो शाखाओं के अग्रिम पोर्टफोलियो के उधार जोखिम के लिए पूँजी के हिसाब को सुलभ करता है और सीबीएस के ज़रिए शाखा स्तर, क्षेत्रीय कार्यालय और केंद्रीय कार्यालय स्तर पर आवश्यक रिपोर्ट उत्पन्न करता है। पूँजी संगणना के विभिन्न पहलुओं तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में समन्वयकों के साथ हुई बातचीत के आधार पर फील्ड स्टाफ को आवधिक रूप से आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि पूँजी संगणना में यथार्थता व पर्याप्तता को सुनिश्चित किया जा सके।

भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में बेसल III पूँजी नियमकों को चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं जो 1 अप्रैल 2013 से लागू हैं जहाँ बैंके अपनी 1 अप्रैल 2013 से अपनी बेसल III की पूँजी की घोषणा कर रही हैं । बैंक उपरोक्त दिशानिर्देशों साथ अनुपालन कर रहे हैं ।

भारतीय रिज़र्व बैंक कुल जोखिम भारित आस्ति अर्थात जोखिम भारित आस्ति की पूँजी के 9 के न्यूनतम अनुपात को बनाए रखना नियत करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी फ्रेमवर्क 5.5 के न्यूनतम सीईटी के साथ 7 न्यूनतम टीयर I सीआरएआर के अनुरक्षण की बात करता है। कुल पूँजी (टियर 1 पूँजी + टियर 2 पूँजी) को नियमित आधार पर जोखिम भारित आस्तियों का कम से कम 9 अवश्य होना चाहिए । इस प्रकार 9 की न्यूनतम सीआरएआर के भीतर टियर 2 पूँजी को अधिकतम 2 तक स्वीकार किया जा सकता है । बेसल III के निर्देशों के अनुसार न्यूनतम 9% पूँजी के साथ ही बैंक को प्रत्येक वर्ष 31.03.2016 से 31.03.2019 तक आरडबल्यूए के 0.625% का पूँजी संरक्षण बफर(सीसीबी) भी बनाए रखना होगा उदाहरण के लिए 31.03.2018 को 1.875% । पूँजी संरक्षण बफर को यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि बैंक सामान्य समय(तनाव ग्रस्त समय के अलावा) में अपनी पूँजी को बढ़ा सके जिसे तनाव ग्रस्त समय में हुई हानि के समय इस्तेमाल किया जा सके । बैंक तनाव ग्रस्त है अतः आरबीआई के द्वारा बताए गए सीसीबी को बनाए रखने में अक्षम है ।

बैंक की समग्र जोखिम प्रोफाइल के समान परिशोधित फेमवर्क के पिलर 2 आवश्यकताओं के उपाय के रूप में बैंक के संबंधित जोखिम कारकों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने आन्तरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया पर नीति और फ्रेमवर्क तैयार किया है। नीति तैयार करते समय बैंक ने

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e., that are deducted:

Name of the Subsidiaries / Country of Incorporation	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of the bank's holding in the total equity	Capital deficiencies
		Not applicable		

e. The aggregate amounts (e.g. currant book value) of the Bank's total interests in insurance entities, which are risk weighted:

Name of the insurance entities / Country of Incorporation	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of the bank's holding in the total equity/ proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method vs. using the full deduction method
		Not applicable		

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the Banking Group:

Not Applicable

Table DF – 2

CAPITAL ADEQUACY

Qualitative disclosures:

Banks in India implemented capital adequacy measures in April 1992 based on the capital adequacy framework (Basel-I) issued by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) and the guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) from time to time. Initially the Basel framework addressed the capital for credit risk, which was subsequently amended to include capital for market risk. In line with the guidelines issued by the RBI the bank was compliant with the relevant guidelines.

Subsequently, the BCBS released the "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework" on June 26, 2004. The Revised Framework was updated in November 2005 to include trading activities and the treatment of double default effects and a comprehensive version of the framework was issued in June 2006.

In line with the RBI guidelines, the Bank had migrated to the revised (Basel-II) framework from 31.3.2008 and continues to be compliant with the requirements of Basel-II framework.

The Bank has computed capital for market risk and operational risk as per the prescribed guidelines at the bank's Central Office, based on the relevant data. In computation of capital for Credit risk under Standardized Approach, the bank has used the borrower-wise data captured directly from system for each individual branch besides portfolios held at Central Office of the bank. In all loan types, the credit risk capital computation is done on borrower basis or facility type basis as per the segmentation approach given in the RBI guidelines. For this purpose, the Bank has developed in-house software, which enables computation of capital for credit risk of the advances portfolio of the branches and generation of the requisite reports at the Branch level, Regional Office level and Central Office level through CBS System. Necessary training is imparted to the field staff periodically on various aspects of capital computation and close interactions held with the coordinators at Regional Offices, to ensure accuracy and adequacy of data in capital computation.

Reserve Bank of India has issued guidelines on implementation of Basel III capital regulations in India to be implemented in phased manner effective from April 1, 2013 with Banks disclosing Basel III capital ratios from the quarter ending June 30, 2013. The bank has been complying with the same.

RBI has prescribed that banks are required to maintain a minimum total capital (MTC) of 9% of total risk weighted assets (RWAs) i.e. capital to risk weighted assets (CRAR). The framework issued by RBI prescribes maintenance of a minimum Tier-1 CRAR of 7% with a minimum CET 1 of 5.5%. Total Capital (Tier 1 Capital plus Tier 2 Capital) must be at least 9% of RWAs on an ongoing basis. Thus, within the minimum CRAR of 9%, Tier 2 capital can be admitted maximum up to 2%. As per Basel III guidelines, in addition to the Minimum Total Capital of 9.00%, banks are also required to maintain a capital conservation buffer (CCB) of 0.625% of RWAs every year from 31.03.2016 to 31.03.2019 i.e.1.875% as on 31.03.2018. Capital Conservation Buffer is designed to ensure that banks build up capital buffers during normal times (i.e. outside periods of stress) which can be drawn down as losses are incurred during a stressed period. The bank is under stress and hence, was not able to maintain the CCB as stipulated by RBI.

The Bank has put in place a policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and the framework in consideration of the relevant risk factors of the bank as a measure towards adequacy of capital available to meet the residual risk as part of Pillar 2 requirements of the revised framework commensurate with the bank's overall risk profile. In framing the policy the bank has taken into consideration the requirements

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों तथा ओवरसीज़ परिचालन समेत बैंक की जोखिम प्रवृत्ति, जहाँ कही लागू / प्रासंगिक हो, में निर्धारित अपेक्षाओं को ध्यान में रखा है।

बेसल III फ्रेमवर्क के अंश के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने लीवरेज अनुपात अवधारणा शुरू की है। लीवरेज अनुपात टायर I पूँजी (कॉमन इक्विटी + अतिरिक्त टायर I) तथा कुल जोखिम (बेसल III के तहत परिभाषितानुसार) का अनुपात है। लीवरेज अनुपात का अनुरक्षण तिमाही आधार पर किया जाना है। प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर संगणना का आधार "पूँजी की परिभाषा (पूँजी उपाय) तथा कुल जोखिम (जोखिम उपाय) पर आधारित है।"

भारतीय रिज़र्व बैंक ने चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) तथा निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) जैसी दो न्यूनतम मानकों के संबंध में दिशानिर्देश ज़ारी किया है। संभाव्य चलस्थितियों से संबंधी बाधाएँ उत्पन्न होने पर 30 दिनों तक गंभीर मौद्रिक तनाव की स्थिति से जूझने के लिए बैंक के पास पर्याप्त उच्च गुणवत्तापूर्ण चल आस्तियों को सुनिश्चित करते हुए एलसीआर बैको को अल्पकालिक सुदृढ़ता प्रदान करता है। एलसीआर व एनएसएफआर अपीक्षाएँ क्रमश: 1 जनवरी 2015 तथा 1 जनवरी 2018 से बैंकों पर बाध्य होंगी। बैंकों को संक्रमण अवधि प्रदान करने के मद्देनजर कैलेंडर वर्ष 2015 के लिए अपेक्षा न्यूनतम 60% होगी अर्थात यह 1 जनवरी 2015 से प्रभावी होगी और नीचे दी गई समय सीमा के अनुसार 1 जनवरी 2019 को 100% के न्यूनतम अपेक्षित स्तर को प्राप्त करने के लिए समान चरणों में बढ़ोतरी अपेक्षित है:

	1 जनवरी 2015	1 जनवरी 2016	1 जनवरी 2017	1 जनवरी 2018	1 जनवरी 2019
न्यूनतम एलसीआर	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %

31.03.2018 को बैंक का 322.18% था जोकि वर्तमान वित्तवर्ष में आरबीआई के द्वारा बताए गए 80% से कहीं अधिक है । अचानक नकदी के बाहर निकल जाने की स्थिति के लिए बैंक के पास पर्याप्त तरलता है ।

(रु. करोड़ में)

31.03.2018 को

मात्रात्मक प्रकटीकरण

क) उधार जोखमि के लए पूँजी आवश्यकता	
• मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार पोर्टफोलियो प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र	9446.44
• जांचकरण एक्स्पोज़र	0.00
ख)बाज़ार जोखमि के लए पूँजी आवश्यकता:	
• मानकीकृत आवधकि पहुँच	
- ब्याज दर जोखिम	450.75
- विदेशी परिचालन जोखिम	5.41
- एक्विटी जोखिम	758.99
ग) परिचालनगत जोखिम के लिए पूँजी आवश्यकता:	
• मूल संकेतक दृष्टिकोण	1180.71
• मानकीकृत दृष्टिकोण	--
घ) कुल सामान्य इक्विटी टायर I पूँजी अनुपात	(प्रतशित में)
शीर्ष एकीकृत समूह के लिए तथा	
• कुल पूँजी अनुपात	9.25%
• कुल सीआरएआर (आवेदन के अधीन विवेकपूर्ण तल पर)	9.25%
• कुल टायर I पूँजी अनुपात (टायर I सीआरएआर)	7.14%
• सामान्य समता टायर आई पूँजी अनुपात	6.39%

तालिका डीएफ-3

उधार जोखिम : सभी बैंकों के लिये सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

उधार जोखिम उधारकर्ताओं या प्रतिपक्षियों की ऋण गुणवत्ता में ह्रास से जुड़ी हानियों की संभावना है। बैंक के पोर्टफोलियो में उधार जोखिम अधिकांशत: बैंक के उधार क्रियाकलापों तथा बैंक के विश संबंधी कार्यकलापों से उत्पन्न होता है यदि उधारकर्ता/प्रतिपक्षी ऋणदाता/ निवेशक के प्रति अपनी वित्तीय बाध्यताओं को पूरा नहीं कर पाता है। यह उधारकर्ता या प्रतिपक्षियों की उधार गुणवत्ता / साख में संभाव्य परिवर्तनों से उत्पन्न होता है। उधार जोखिम में काउंटर पार्टी जोखिम और देश जोखिम भी शामिल हैं।

उधार रेटिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया

बैंक उधारकर्ता और पोर्टफोलियो स्तर पर जोखिम के निरन्तर मापन व

prescribed by the RBI in their guidelines and bank's risk appetite.

As part of Basel III framework RBI has introduced Leverage Ratio concept. The leverage ratio is the ratio of Tier-1 capital (Common Equity + Additional Tier I) and total exposure (as defined under Basel III). The leverage ratio has to be maintained on a quarterly basis. Banks operating in India are required to make disclosure of the leverage ratio on quarterly basis and its components from April 1, 2015 on a quarterly basis.

RBI has issued guidelines on two minimum standards Viz. Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) for funding liquidity. The LCR promotes short term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that bank have sufficient high quality liquid assets (HQLA) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. With a view to providing transition time for banks, the requirement would be minimum of 60% for the calendar year 2015 i.e with effect from January 1, 2015 and rise in equal measure to reach the minimum required level of 100% on January 1, 2019 as per the time line given below:

	January 1, 2015	January 1,2016	January 1,2017	January 1,2018	January 1,2019
Minimum LCR	60%	70%	80%	90%	100%

LCR for the bank as on 31.03.2018 stood at 322.18% which is well above the RBI stipulated level of 80% for the current calendar year. Bank is having enough liquidity to meet sudden cash outflows.

(Rs. in crore)

As on 31.03.2018

Quantitative disclosures:

a) Capital requirements for credit risk	
• Portfolios subject to standardised approach	9446.44
• Securitisation exposures	NIL
b) Capital requirements for market risk:	
• Standardised duration approach	
- Interest rate risk	450.75
- Foreign Exchange risk (including gold)	5.41
- Equity risk	758.99
c) Capital requirements for operational risk	
• Basic indicator approach	1180.71
• The Standardised Approach	--
d) Common Equity Tier 1 Capital Ratio:	**(in Percentage)**
For the top consolidated group; and	
• Total Capital Ratio (CRAR)	9.25%
• Total CRAR (Subject to application of Prudential Floor)	9.25%
• Total Tier I Capital Ratio (Tier I CRAR)	7.17%
• Common Equity Tier-I Capital Ratio	6.39%

Table DF - 3

CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES FOR ALL BANKS

Qualitative disclosures:

Credit Risk is the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counter parties. In a Bank's portfolio, Credit Risk arises mostly from lending and investment activities of the Bank if a borrower / counterparty is unable to meet its financial obligations to the lender/investor. It emanates from changes in the credit quality/worthiness of the borrowers or counter parties. Credit risk also includes counterparty risk and country risk.

Credit rating and Appraisal Process:

The Bank manages its credit risk through continuous measuring and monitoring of risks at obligor (borrower) and portfolio

प्रबोधन के ज़रिए अपने उधार जोखिम का प्रबंधन करता है। बैंक में मजबूत आंतरिक उधार रेटिंग फ्रेमवर्क और सुस्थापित मानकीकृत उधार मूल्यांकन / अनुमोदन प्रक्रिया है। उधार रेटिंग एक उत्प्रेरक प्रक्रिया है जो बैंक को प्रस्ताव गुणों और अवगुणों के मूल्यांकन में सहायक है। यह निर्णय लेने में सहायक साधन है जो किसी उधार प्रस्ताव की स्वीकार्यता पर विचार करने में बैंक की सहायता करती है।

रेटिंग मॉडल कारक मात्रात्मक और गुणात्मक गुण जैसे जोखिम घटकों से संबंधित हैं जैसे उद्योग जोखिम, व्यापार जोखिम, प्रबंधन जोखिम, वित्तीय जोखिम, परियोजना जोखिम (जहाँ लागू हो) और सुविधा जोखिम इत्यादि । उद्योग क्रिसिल आधारित बाजार स्थितियों के जोखिम पर डेटा नियमित रूप से अद्यतन / समर्थित है ।

बैंक ने 02.01.2017 से लागू पुष्पका(वाहन ऋण) के लिए तथा मूल्य के संबंध में गैरजमानती ऋण तथा गृह ऋण "खुदरा में स्कोर करने का तंत्र" लागू किया है ।

बैंक ऋणों तथा अग्रिमों की मंजूरी के लिए एक सुस्पष्ट परिभाषित बहु स्तरीय विवेकाधिकार संरचना का अनुसरण करता है। उपयुक्त मंजूरीकर्ता प्राधिकर्ताओं को नए / संवर्धित प्रस्तावों पर विचार करने के लिए अपवाद स्वरूप बड़ी शाखाओं / क्षेत्रीय कार्यालयों /अंचल/ केन्द्रीय कार्यालय में सभी स्तरों पर अनुमोदन ग्रिड गठित किया गया है। शाखा प्रबंधकों को विशिष्ट मंजूरी शक्तियाँ प्रदान की गई है।

बैंक द्वारा आरंभ किए गए नए उत्पाद/ प्रक्रिया/ सेवाएँ तथा वर्तमान उत्पाद/ प्रक्रिया/ सेवाओं में संशोधन से पहले नए उत्पाद/प्रक्रिया में निहित जोखिम प्रकार पर आधारित केन्द्रीय कार्यालय स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा जांचे की जाती हैं । फिर उत्पाद / प्रक्रिया / सेवा लॉन्च करने से पहले इसकी जाच मुख्य कार्यालय स्तर पर हाल ही में शुरू की गई दो नई जांच समितियों नामतः उत्पाद / प्रक्रिया जोखिम कमी समिति (पीआरएमसी) और बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग कमेटी (बीपीआर) के द्वारा की जाती है ।

उधार जोखिम प्रबंधन नीतियाँ

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित सुसंरचित ऋण नीति और उधार जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। इस नीति में संगठन की संरचना, भूमिका और उत्तरदायित्व और उन प्रक्रियाओं का उल्लेख है जहाँ बैंक द्वारा वहन किए जाने वाले ऋण जोखिम को पहचाना जा सकता है, उसकी मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है और फ्रेमवर्क के अंदर प्रबंधन किया जा सकता है जिसे बैंक अपने अधिदेश और जोखिम सहन करने की क्षमता के साथ निरन्तर जोखिम मानता है। उधार जोखिम का प्रबोधन बैंक द्वारा बैंक वाइड आधार पर किया जाता है और बोर्ड / आरएमसीबी द्वारा जोखिम सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। सीपीसी बैंक की जोखिम वहन क्षमता को हिसाब में लेता है और तदनुसार सुरक्षा, तरलता, विवेकपूर्ण मानदण्डों, एक्सपोज़र सीमाओं से संबंधित मामलों को संभालता है।

बैंक ने उत्कृष्ट उधार जोखिम प्रबंधन व्यवहार स्थापित करने के लिए उपाय किए हैं। उधार जोखिम प्रबंधन नीति ऋण के अतिरिक्त निधि एवं निवेश नीति, प्रतिपक्षी जोखिम प्रबंधन नीति और देशीय जोखिम प्रबंधन नीति आदि तैयार की है जो बैंक में उधार जोखिम के प्रबोधन का आंतरिक भाग है। इसके अतिरिक्त बैंक ने संपार्श्विक प्रबंधन और उधार जोखिम कम करने की नीति भी कार्यान्वित की गई है जो बैंक द्वारा सामान्यत: स्वीकार की जाने वाली प्रतिभूतियों (प्रधान और संपार्श्विक) के विवरण और बैंक के हित की रक्षा के लिए ऐसी प्रतिभूतियों के प्रशासन के विवरण निर्धारित करती है। वर्तमान में, कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियां उन उधार जोखिमों को कम करती हैं जो बैंक को वहन करना पड़ सकता है।

(रूपये करोड़ में)

<u>मात्रात्मक प्रकटीकरण</u>	31.03.2018
1) कुल सकल क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर:	
निधि आधारित	220123.13
गैर निधि आधारित	16480.22
कुल	**236603.35**
2) भौतिक वितरण एक्सपोजर:	
• **घरेलू**	
निधि आधारित	138516.18
गैर निधि आधारित	21888.87
• **विदेशी**	
निधि आधारित	12483.11
गैर निधि आधारित	1480.22
3) एक्सपोजर, फंड आधारित और गैर-निधि अलग-अलग उद्योग प्रकार	अनुबंधित
4) परिसंपत्तियों की अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता ब्रेकडाउन	अनुबंधित

level. The Bank has a robust internal credit rating framework and well-established standardized credit appraisal / approval process. Credit rating is a facilitating process that enables the bank to assess the inherent merits and demerits of a proposal. It is a decision enabling tool that helps the bank to take a view on acceptability or otherwise of any credit proposal.

The rating models factor quantitative and qualitative attributes relating to Risk components such as Industry Risk, Business Risk, Management Risk, Financial Risk, Project risk (where applicable) and Facility Risk etc. The data on industry risk is regularly updated/ supported by CRISIL based on market conditions.

Bank has implemented "Retail Scoring Models" for Pushpaka (Vehicle Loan), Clean Loan and Housing loan irrespective of the amount w.e.f 02.01.2017.

The bank follows a well-defined multi layered discretionary power structure for sanction of loans and advances. Approval Committees has been constituted at all levels covering Exceptionally Large branch / RO/ ZO / CO for recommending fresh/ enhancement proposal to appropriate sanctioning authorities. Specific Sanctioning Powers have been delegated to Branch Managers.

The new Products/Process/Services introduced by Bank and Modification of existing Product/Process/Services are examined at the head office level by Risk Management Department depending upon the type of risks involved in the new product / process. Then it shall be examined by newly introduced two committees at head office level namely Product/Process Risk Mitigation Committee (PRMC) and Business Process Re-engineering committee (BPR) before launching product/process/ service.

Credit Risk Management Policies:

The bank has put in place a well-structured loan policy and credit risk management policy duly approved by the Board. The policy document defines organizational structure, role and responsibilities and processes whereby the Credit Risk carried by the Bank can be identified, quantified and managed within the framework that the Bank considers consistent with its mandate and risk tolerance. Credit risk is monitored by the bank on a bank-wide basis and compliance with the risk limits approved by Board / RMCB is ensured. The Credit Risk Management Committee (CRMC) takes into account the risk tolerance level of the Bank and accordingly handles the issues relating to Safety, Liquidity, Prudential Norms and Exposure limits.

The bank has taken earnest steps to put in place best credit risk management practices in the bank. In addition to Loan Policy and Credit Risk Management Policy, the bank has also framed Funds and Investment Policy, Counter Party Risk Management Policy and Country Risk Management Policy etc., which form integral part of monitoring of credit risk in the bank. Besides, the bank has implemented a policy on collateral management and credit risk mitigation which lays down the details of securities (both prime and collateral) normally accepted by the Bank and administration of such securities to protect the interest of the bank. Presently, some select securities act as mitigation against credit risk (in capital computation), to which the bank is exposed.

(Rs. in crore)

Quantitative disclosures:	31.03.2018
a) Total gross credit risk exposures:	
Fund based	220123.13
Non fund based	16480.22
Total	**236603.35**
b) Geographic distribution of exposures :	
• **Domestic**	
Fund based	138516.18
Non Fund based	21888.87
• **Overseas**	
Fund based	12483.11
Non Fund based	1480.22
c) Industry type distribution of exposures, fund based and non-fund based separately	Annexed
d) Residual contractual maturity breakdown of assets	Annexed

5) एनपीए का मूल्य (कुल)	38180.15
• अवमानक	8032.60
• संदिग्ध (डी1, डी2, डी3)	29507.51
• हानि	640.04
6) निवल एनपीए	20399.66
7) एनपीए अनुपात	
• कुल अग्रिमों पर कुल एनपीए	25.28%
• निवल एनपीए पर निवल एनपीए	15.33%
8) एनपीए की प्रवृत्ति (कुल)	
• शुरुआती बकाया(01.04.2017)	35098.26
• जोड़	16824.79
• घटाव	13742.90
• अंतिम बकाया (31.03.2018)	38180.15

6) एनपीए के लिए प्रावधानों का प्रचलन	
• प्रारंभिक शेष (01.04.2017)	14149.97
• अवधि के दौरान किए गये प्रावधान	4889.81
• बट्टे खाते में डाला गया अतिरिक्त प्रावधानों का प्रलेखन	4239.46
• अंतिम शेष (31.03.2018)	17333.78
7) अनर्जक निवेशों की राशि (बही मूल्य)	1647.59
8) अनर्जक निवेशों के लिए किए गए प्रावधानों की राशि	1245.99
9) निवेशों पर मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान का उतार – चढाव	
• प्रारंभिक शेष (01.04.2017)	762.18
• अवधि के दौरान किए गये प्रावधान	892.70
• बट्टे खाते में डाला गया	-
• अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	46.99
• अंतिम शेष (31.03.2018)	1607.89

1. आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता ब्रेकडाउन **(रू. करोड़ों में)**

विवरण	रकम
दिन 1	12559.79
2 दिन – 7 दिन	11913.52
8 दिन – 14 दिन	3994.00
15 दिन – 30 दिन	5577.67
31 दिन – 2 माह	12435.94
2 माह – 3 माह	15854.20
3 माह – 6 माह	24742.25
>6 माह – 12 माह	37268.07
>1 वर्ष – 3 वर्ष	34035.01
>3 वर्ष – 5 वर्ष	17866.88
> 5 वर्ष	83445.87

e)	Amount of NPAs (Gross)	38180.15
	• Substandard	8032.60
	• Doubtful (D1, D2, D3)	29507.51
	• Loss	640.04
f)	Net NPAs	20399.66
g)	NPA Ratios	
	• Gross NPAs to gross advances	25.28%
	• Net NPAs to net advances	15.33%
h)	Movement of NPAs (Gross)	
	• Opening balance (01.04.2017)	35098.26
	• Additions	16824.79
	• Reductions	13742.90
	• Closing balance (31.03.2018)	38180.15
i)	Movement of provisions for NPAs	
	• Opening balance (01.04.2017)	14149.97
	• Provisions made during the period	4889.81
	• Write off / Write back of excess provisions	4239.46
	• Closing balance (31.03.2018)	17333.78
j)	Amount of Non-Performing Investments (Book Value)	1647.59
k)	Amount of provisions held for non-performing investments	1245.99
l)	Movement of provisions for depreciation on investments	
	• Opening Balance (01.04.2017)	762.18
	• Provisions made during the period	892.70
	• Write-off	-
	• Write-back of excess provisions	46.99
	• Closing Balance (31.03.2018)	1607.89

Residual contractual Maturity break down of Assets

(Rs. in crore)

Particulars	Amount
Day 1	12559.79
2 Days – 7 Days	11913.52
8 Days – 14 Days	3994.00
15 Days – 30 Days	5577.67
31 Days – 2 Months	12435.94
2 Months – 3 Months	15854.20
3 Months – 6 Months	24742.25
>6 Months – 12 Months	37268.07
>1 Year – 3 Years	34035.01
>3 Years – 5 Years	17866.88
> 5 Years	83445.87

2. उद्योगवार प्रकटीकरण

(रू. करोड़ों में)

उद्योग का नाम	31.03.2018 को बकाया
खनन व क्वेरियिंग	3078.60
खाद्य प्रसंस्करण	631.81
उनमें से चीनी	55.92
उनमें से खाद्य तेल व वनस्पति	555.62
बेवरेज़ व तंबाकू उत्पाद	78.75
सूती वस्त्र	1995.00
जूट वस्त्र	5.06
हस्तशिल्प/ खादी (गैर प्राथमिक)	122.49
अन्य वस्त्र उद्योग	2055.47
चमड़ा व चमड़ा उत्पाद	544.49
लकड़ी व लकड़ी उत्पाद	567.68
कागज व कागज उत्पाद	528.72
पेट्रोलियम (गैर- इंफ्रा) , कोयलान उत्पाद (गैर- खनिज) एवं नाभिकीय इंधन	822.40
रसायन व रसायन उत्पाद (डाइ, पेंटस, इत्यादि)	2154.91
उनमें से उर्वरक	96.35
उनमें से औषधि और फार्मास्युटिकल	679.08
उनमें से अन्य	1379.48
रबर , प्लास्टिक और उनके उत्पाद	960.95
ग्लास एवं ग्लासवेयर	133.14
सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	827.01
लौह एवं स्टील	9965.41
अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	1474.90
सभी इंजीनियरिंग	4291.31
उनमें से इलेक्ट्रॉनिक्स	1155.45
वाहन , वाहन के भाग , परिवहन साधन	2139.377
रत्न व आभूषण	1311.06
निर्माण	1084.57
इंफरास्ट्रक्चर	22028.27
उनमें से रोडवेज़	8925.67
उनमें से शक्ति	12167.35
उनमें से तार संचार	935.25
अन्य उद्योग	5011.45
अवशिष्ट अन्य अग्रिम	89186.47
उनमें से उड्डयन क्षेत्र के लिए	1015.22
कुल ऋण व अग्रिम	**150999.29**

INDUSTRY WISE EXPOSURES

(Rs. in crore)

Industry Name	Outstanding as on 31.03.2018
Mining and quarrying	3078.60
Food Processing	631.81
Of which Sugar	55.92
Of which Edible Oils and Vanaspati	555.62
Beverages and Tobacco	78.75
Cotton Textiles	1995.00
Jute Textiles	5.06
Handicraft/ Khadi (Non Priority)	122.49
Other Textiles	2055.47
Leather and Leather Products	544.49
Wood and Wood Products	567.68
Paper and Paper Products	528.72
Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	822.40
Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.,)	2154.91
Of which Fertilisers	96.35
Of Which Drugs and Pharmaceuticals	679.08
Of which Others	1379.48
Rubber, Plastic and their products	960.95
Glass & Glassware	133.14
Cement and Cement Products	827.01
Iron and Steel	9965.41
Other Metal and Metal Products	1474.90
All Engineering	4291.31
Of which Electronics	1155.45
Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	2139.377
Gems and Jewellery	1311.06
Construction	1084.57
Infrastructure	22028.27
Of which Roadways	8925.67
Of which Energy	12167.35
Of which Telecommunications	935.25
Other Industries	5011.45
Residuary Other Advances	89186.47
Of which Aviation Sector	1015.22
Total Loans and Advances	**150999.29**

तालिका डीएफ -4

उधार जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुरूप पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

सामान्य सिद्धान्त

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने से उधार जोखिम के लिए पूंजी के परिकलन के लिए बेसल II पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क के मानकीकृत दृष्टिकोण को अपना लिया है। पूँजी के परिकलन में बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय - समय पर निर्धारित अनुसार जोखिम भारों को विभिन्न आस्ति प्रवर्गों में आबंटित कर दिया है।

बाहरी उधार रेटिंग

पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल II) के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों को देखते हुए बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सियों (ईसीआरए) द्वारा उधारकर्ताओं की रेटिंग का महत्व बढ़ गया है। बाहरी रेटिंग के आधार पर कार्पोरेट / पीएसई / प्राइमरी डीलरों को एक्सपोज़र को जोखिम भार आबंटित किया गया है। इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सात देशीय ईसीआरए जैसे उधार विश्लेषण और शोध लि.(सीएआरई),क्रिसिल लि, फिच इंडिया (इंडिया रेटिंग्स के रूप में पुनर्नामित) लि.और इकरा लि.,ब्रिकवर्क्स रेटिंग सर्विसेज़ लि. ,छोटे एवं मध्यम उद्यम रेटिंग एजेंसी लि. (एसएमईआरए) और इंफोमेरिक्स मूल्यांकन एवं रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड (इंफोमेरिक्स) की रेटिंग का प्रयोग करने की अनुमति दी है।

उपरोक्त के मद्देनजर बैंक ने पूँजी राहत के उद्देश्य से इन सभी ईसी आर ए द्वारा प्रदत्त रेटिंग को स्वीकार करने का निर्णय किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग बही में तुलनात्मक आस्ति पर पब्लिक ईश्यू की मैपिंग के लिए प्रावधान किया है । तथापि यह विशेष प्रावधान उधार जोखिम पूँजी की गणना में नहीं लिया जाता है ।

बैंक पूँजी परिकलन उद्देश्यों के लिए केवल प्रार्थित बाहरी रेटिंग्स का उपयोग करता है । 15 महीनों के दौरान दी गई नई या पुनरीक्षित रेटिंग को ही बैंक द्वारा पूंजी के अभिकलन के लिए हिसाब में लिया जाता है।

आतरिक क्रेडिट रेटिंग :

किसी उधारकर्ता से जुड़ी हुई उधार जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए बैंक में सुसंरचित आन्तरिक उधार रेटिंग प्रणाली है और तदनुसार प्रस्तावों की स्वीकार्यता और एक्सपोज़र का स्तर तथा कीमत निर्धारण के संबंध में उधार निर्णय लेने के लिए भी प्रणाली है। बैंक ने नए खातों के मामले में प्रवेश स्तर पर रेटिंग निर्धारित किया है। प्रवेश स्तर पर से कम रेटिंग वाले खातों पर निर्धारित प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार उच्च प्राधिकारी के द्वारा ही विचार किया जाएगा।

वर्तमान, पूंजी परिकलन के मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत जोखिम भार के अनुप्रयोग के लिए ऐसी रेटिंग को काम में नहीं लाया जा सकता ।साथ ही साथ बैंक ने उधार जोखिम के लिए पूंजी का परिकलन करते समय, बैंक की अनुमोदित बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सियों द्वारा आबंटित उधारकर्ता की ऋण एक्सपोज़र रेटिंग को कार्पोरेट और पीएसई के तहत 31.3.2018 तक लिया है।

कार्पोरेट / पीएसई के विशेष निर्गमों में निवेश के मामले में अनुमोदित बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सी की किसी निर्गम विशेष के लिए रेटिंग को हिसाब में लिया जाता है और तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में दी गई रेटिंग स्केल की समवर्ती वित्तीय स्थिति के बाद जोखिम भार का अनुप्रयोग किया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विदेश में दिए गए उधारों के पूंजी परिकलन के उद्देश्य से फिच, मूडीस और एस एण्ड पी अन्तरराष्ट्रीय रेटिंग एजेन्सियों, जो भी उपलब्ध हो, द्वारा आबंटित रेटिंग का प्रयोग किया गया है।

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पूंजी के परिकलन के अनुरूप बाहरी रेटिंग द्वारा भारत में एक्सपोज़र के कवरेज के संबंध में प्रक्रिया को उधारकर्ताओं के बीच प्रचलित किया जाना है ताकि अपने ग्राहकों की बेहतर रेटिंग के लिए उपलब्ध पूंजी राहत का लाभ उठाया जा सके जिसमें कुछ समय लग सकता है। उधारकर्ताओं द्वारा अपने कारोबार विकास के लिए बाहरी रेटिंग को अवसर के रूप में लेना चाहिए ।

मात्रात्मक प्रकटीकरण :

(रू. करोड़ में)

वर्गीकरण	कम करने के पश्चात एक्सपोजर (मएएइ)	बाहरी रेटिंग के अधीन कवर्ड इएएम	रेटिंग नहीं की गई
अग्रिम/निवेश			
100% जोखिम भार से कम	102432.24	15228.43	87203.81
100% जोखिम भार	54547.68	9995.12	44552.56
100% से अधिक जोखिम भार	14255.13	1626.16	12628.97
घटाएँ	0.00	0.00	0.00
कुल	**171235.05**	**26849.71**	**144385.35**
अन्य आस्तियाँ			
100% जोखिम भार से कम	25871.42	3565.78	22305.65
100% जोखिम भार	1809.53	0.00	1809.53
100% से अधिक जोखिम भार	6.61	0.00	6.61
घटाएँ	0.00	0.00	0.00
कुल	**27687.56**	**3565.78**	**24121.78**

Table DF - 4

CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

Qualitative disclosures:

General Principle:

In accordance with the RBI guidelines, the Bank has adopted Basel II Capital Adequacy Framework for computation of capital for credit risk. In computation of capital, the bank has assigned risk weight to different asset classes as prescribed by the RBI from time to time.

External Credit Ratings:

Rating of borrowers by External Credit Rating Agencies (ECRAs) assumes importance in the light of Guidelines for implementation of the Basel II Capital Adequacy Framework. Exposures on Corporates / Public Sector Enterprises/ Primary Dealers are assigned with risk weights based on available external ratings. For this purpose, the Reserve Bank of India has permitted Banks to use the ratings of seven domestic ECRAs viz. Credit Analysis and Research Ltd (CARE), CRISIL Ltd, India Ratings (formerly known as FITCH India), ICRA Ltd, Brickworks Rating Services India Ltd., Small Medium Enterprises Rating Agency Ltd (SMERA) and INFOMERICS Valuation and Rating Pvt. Ltd. (INFOMERICS).

In consideration of the above, the Bank has decided to accept the ratings assigned by all these ECRAs for capital relief purpose. The RBI has provided for mapping public issue ratings on to comparable assets into banking book. However, this particular provision has not been taken into account in Credit Risk Capital Computation.

The bank uses only solicited external ratings for capital computation purpose. External ratings assigned fresh or reviewed during the previous 15 months are reckoned for capital computation by the bank.

Internal Credit Rating:

The bank has a well structured internal credit rating mechanism to evaluate the credit risk associated with a borrower and accordingly the systems are in place for taking credit decision as regards the acceptability of proposals and level of exposures and pricing. The bank has prescribed entry level rating in case of new accounts. Accounts with ratings below the prescribed rating entry level can be considered only by higher authorities as per the delegated powers prescribed.

Presently, the internal ratings cannot be used for application of risk weight under Standardised Approach of capital computation. The bank takes into consideration the borrower's loan exposure credit ratings assigned by the approved ECRAs while computing the capital for credit risk as on 31.03.2018 under corporate and PSE segments.

In case of investment in particular issues of Corporates / PSEs, the issue specific rating of the approved ECRAs are reckoned and accordingly the risk weights have been applied after a corresponding mapping to rating scale provided in RBI guidelines.

For the purpose of capital computation of overseas exposures, ratings assigned by the international rating agencies namely Fitch, Moody's and Standard & Poor's are used as per RBI guidelines.

In the context of coverage of exposures in India by external ratings as relevant for capital computation under Standardised Approach, the process needs to be popularized among the borrowers so as to take the benefit of capital relief available for better-rated customers. The borrowers need to consider the external rating as an opportunity for their business development, which would take some time.

Quantitative disclosures:

(Rs. in crore)

Classification	Exposure after Mitigation (EAM)	EAM covered under External Rating	Unrated
ADVANCES / INVESTMENT			
Below 100% risk weight	102432.24	15228.43	87203.81
100% risk weight	54547.68	9995.12	44552.56
More than 100% risk weight	14255.13	1626.16	12628.97
Deducted	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**171235.05**	**26849.71**	**144385.35**
OTHER ASSETS			
Below 100% risk weight	25871.42	3565.78	22305.65
100% risk weight	1809.53	0.00	1809.53
More than 100% risk weight	6.61	0.00	6.61
Deducted	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**27687.56**	**3565.78**	**24121.78**

तालिका डीएफ – 5

उधार जोखिम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

उधार जोखिम को कम करने पर नीति

विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप संपार्श्विक प्रतिभूति प्रबंधन तथा उधार जोखिम को कम करने के तकनीक पर बहुत ही स्पष्ट नीति बैंक द्वारा बनाई गई है जो बैंक के मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित है। नीति में बैंक द्वारा ऋण देते समय सामान्यत: स्वीकार की गई प्रतिभूतियों के प्रकार तथा इसके साथ जुडे हुए जोखिम को कम करने के बारे में उल्लेख है ताकि बैंक के हित की सुरक्षा / रक्षा हो तथा ऐसी प्रतिभूतियों का प्रशासन / प्रबोधन भी हो ।

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम कम करना

क) पात्र वित्तीय संपार्श्विक :

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सूचितानुसार, बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम कम करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है, जो उधार जोखिमों के प्रति प्रतिभूतियों (मूल तथा संपार्श्विक) को संपूर्ण रूप से ऑफसेट करने के लिए अनुमति देता है जिससे प्रतिभूतियों पर आरोपित मूल्य द्वारा जोखिम राशि को प्रभावी ढंग से घटाया जा सकता है। अत: पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों का उधार जोखिम पूँजी के परिकलन में उधार जोखिम को कम करने के लिए पूरा-पूरा उपयोग किया जा सकता है।

ख) ऑन बैलेंस शीट नेटिंग :

उधार जोखिम कम करने की तकनीकों तथा संपाश्र्विक प्रबंधन के उपयोग गुणात्मक प्रकटीकरण पर बैक की नीति के अनुसार उधारकर्ता के ऋण/ अग्रिमों के प्रति उपलब्ध जमाओं की हद तक ऑन बैलेंस शीट नेटिंग की गणना की गई है (ऋण की अधिकतम हद तक),जहाँ बैंक ने भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित दस्तावेज़ के प्रमाण के साथ विशिष्ट ग्रहणाधिकार शामिल करते हुए विधिक लागू नेटिंग व्यवस्थाएँ कीं। ऐसे मामलों में पूंजी गणना निवल उधार एक्सपोज़र के आधार पर किया जाता है।

ग) पात्र गारंटियां

आगे उधार जोखिम पूँजी के परिकलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप जोखिम कम करने के लिए ''मान्य गारंटियों'' के प्रकार इस प्रकार हैं - क) केंद्र सरकार की गारंटी (0%) ख) राज्य सरकार (20%) ग) सीजीटीएमएसई (0%) घ) ईसीजीसी (20%) ङ) साख-पत्र के अधीन खरीदे / बट्टे खाते में डाले गए बिलों के रूप में बैंक गारंटी (दिशानिर्देशों के अनुसार देशी और विदेशी दोनों)

बैंक ने उधार जोखिम को कम करने के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विधिक निश्चितता के अनुपालन को सुनिश्चित किया है।

उधार जोखिम को कम करने में संकेंद्रीकरण जोखिम

बैंक द्वारा मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पूँजी की गणना के लिए कई प्रकार के शामक उपाय वाली नीतियां व प्रक्रिया उपलब्ध हैं। उधार जोखिम को कम करने के लिए पात्र सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ (वित्तीय संपार्श्विक) आसानी से उगाही लायक वित्तीय प्रतिभूतियाँ हैं । वर्तमान में बैंक प्रयुक्त क्रेडिट जोखिम शमन में कोई संकेन्द्रण जोखिम नहीं है और वर्तमान में उधार जोखिम कम करने के माध्यमों में प्रत्येक प्रकार के संपार्श्विक की कोई सीमा / उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है ।

(रू. करोड़ में)

ब्यौरा	**राशि**
प्रत्येक अलग से प्रकटित उधार जोखिम पोर्टफोलियों के लिए , एक्सपोज़र (जहाँ लागू ऑन या ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग के बाद) जो पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा हेयर कट के पश्चात् कवर किया गया है ।	**24876.49**
देशी संप्रभुता	0.00
विदेशी संप्रभुता	0.00
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयाँ	781.63
बैंकों – अनुसूची (आइ एन आर)	0.00
एफ सी वाई में विदेशी बैंकों का दावा	0.00
प्राथमिक डीलर	0.00
कॉर्पोरेट	5447.20
विनियामक रिटेक पोर्टफोलियो (आर आर पी)	11658.61
आवासीय संपति द्वारा प्रतिभूत दावे	12.90
वाणिज्यिक भू संपदा द्वारा प्रतिभूत दावे	62.59
उपभोक्ता ऋण	3627.70
पूँजी बाज़ार एक्सपोज़र	2.58
एनबी एफ सी	2.13
जोखिम पूँजी	0.00
अनर्जक आस्तियाँ – क) आवासीय ऋण	0.03

Table DF – 5

CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES

Qualitative disclosures:

Policy on Credit Risk Mitigation:

In line with the regulatory requirements, the bank has put in place a well-articulated policy on collateral management and credit risk mitigation techniques duly approved by the bank's Board. The Policy lays down the type of securities normally accepted by the bank for lending and administration/ monitoring of such securities in order to safeguard /protect the interest of the bank so as to minimize the risk associated with it.

Credit Risk Mitigation under Standardised Approach:

(a) Eligible Financial Collaterals:

As advised by RBI, the Bank has adopted the comprehensive approach relating to credit risk mitigation under Standardised Approach, which allows fuller offset of securities (prime and collateral) against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the securities. Thus the eligible financial collaterals are fully made use of to reduce the credit exposure in computation of credit risk capital.

(b) On Balance Sheet Nettings:

As per Bank's policy on utilization of the credit risk mitigation techniques and collateral management, on–balance sheet netting has been reckoned to the extent of deposits available against loans/advances of the borrower (maximum to the extent of exposure), where bank has legally enforceable netting arrangements involving specific lien with proof of documentation as prescribed by RBI. In such cases, the capital computation is done on the basis of net credit exposure.

(c) Eligible Guarantees:

Other approved form of credit risk mitigation is availability of "Eligible Guarantees". In computation of credit risk capital, types of guarantees recognized as mitigation, in line with RBI guidelines are (a) Central Government (0%) (b) State Government (20%), (c) CGTMSE (0%) (d) ECGC (20%) (e) Banks in the form of Bills Purchased/discounted under Letters of Credit (both domestic and foreign banks as per guidelines).

The bank has ensured compliance of legal certainty as prescribed by the RBI in the matter of credit risk mitigation.

Concentration risk in credit risk mitigation:

Policies and process are in place indicating the type of mitigants the bank uses for capital computation under the Standardised approach. All types of securities (financial collaterals) eligible for mitigation are easily realizable financial securities. As such, the bank doesn't envisage any concentration risk in credit risk mitigation used and presently no limit/ceiling has been prescribed for the quantum of each type of collateral under credit risk mitigation.

Quantitative Disclosures

(Rs. in crore)

Particulars	**Amount**
For each separately disclosed credit risk portfolio, the exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by Eligible Financial Collateral after application of haircuts	**24876.49**
Domestic Sovereign	0.00
Foreign Sovereign	0.00
Public Sector Entities	781.63
Banks – Schedule (INR)	0.00
Foreign Bank claims in FCY	0.00
Primary Dealers	0.00
Corporates	5447.20
Regulatory Retail Portfolio (RRP)	11658.61
Claims secured by Residential Property	12.90
Claims secured by Commercial Real Estate	62.59
Consumer Credit	3627.70
Capital Market Exposure	2.58
NBFC	2.13
Venture Capital	0.00
Non Performing Assets – a) Housing Loan	0.03

अनर्जक आस्तियाँ – ख) अन्य	168.81
अन्य आस्तियाँ – स्टाफ ऋण	20.19
अन्य आस्तियाँ	3084.64
पुनर्संरचित /पुनर्निर्धारित खाते	7.41
वाणिज्यिक संपत्ति- आर एच द्वारा प्रतिभूत दावे	0.06
पुनर्संरचित गृह ऋण	0.00
प्रत्येक अलग से प्रकटित उधार जोखिम पोर्टफोलियों के लिए , एक्सपोज़र (जहाँ लागू ऑन या ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग के बाद) जो कि गारंटी/ ऋण व्युत्पन्नी द्वारा कवर किया गया है (जब भी आरबीआई द्वारा विशेषरूप से अनुमति प्रदत्त)	**9342.77**
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां	4410.08
कॉर्पोरेट	2118.64
विनियामक रिटेल पोर्टफोलियो (आर आर पी)	2814.05
पुनर्संरचित /पुनर्निर्धारित खाते	0.00
सीआरई	0.00
सीआरई- आरएच	0.00

तालिका डीएफ 6

प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए कोई प्रतिभूतिकरण नहीं किया गया है ।

तालिका डीएफ – 7

गुणात्मक प्रकटीकरण :

बाज़ार जोखिम :

बाजार जोखिम वह होता है जिससे बैंक को ब्याज दरें, विदेशी मुद्रा विनिमय दरें, इक्विटी कीमतें तथा कमोडिटी कीमतों जैसे बाजार व्युत्पन्न द्वारा उत्पन्न परिवर्तन / गति के कारण ऑन-बैलेंस शीट तथा ऑफ बैलेंस शीट स्थिति में हानि होने की संभावना है। बाजार जोखिम से बैंक का एक्सपोजर ट्रेडिंग बुक (एएफएस तथा हेचएफटी वर्गों दोनों) में देशी निवेशों (ब्याज संबंधित लिखतों तथा इक्विटियों), विदेशी विनिमय स्थितियों (बहुमूल्य धातुओं में खुली स्थिति को शामिल करते हुए) तथा ट्रेडिंग से संबंधित व्युत्पन्न से उत्पन्न होता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य अर्जन पर हानि के प्रभाव और इक्विटी पूँजी से उत्पन्न बाजार जोखिम को कम करना है ।

बाजार जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियाँ

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) को लागू किया है ताकि बैंक में बाजार जोखिम का प्रभावपूर्ण प्रबंधन किया जा सके। बाजार जोखिम प्रबंधन को संभालने की अन्य नीतियाँ निवेश नीति, फोरेक्स जोखिम प्रबंधन नीति और व्युत्पन्न नीति हैं । बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन कार्यों और प्रक्रियाओं के लिए सुस्पष्ट संगठनात्मक रूपरेखा निर्धारित करती है जिससे बैंक द्वारा उठाए गए बाजार जोखिम एएलएम फ्रेमवर्क के अंतर्गत बैंक की जोखिम छूट के अनुरूप पहचाने, मापे, प्रबोधित किए तथा नियंत्रित किए जाते हैं। इस नीति में विभिन्न जोखिम सीमाएँ गठित हैं जिससे बाजार जोखिम का प्रभावी प्रबंधन होता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि उचित आस्ति देयता प्रबंधन के जरिए बाजार जोखिम से प्राप्य लाभ बैंक की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं या नहीं। नीति में बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबोधन के लिए रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को भी संभाला गया है।

एएलएम नीति में विशेष रूप से तरलता जोखिम प्रबंधन तथा ब्याज दर जोखिम प्रबंधन फ्रेमवक्र का उल्लेख है। नीति द्वारा उल्लिखितानुसार तरलता जोखिम का प्रबंधन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारितानुसार डॉटा कवरेज की उत्तम उपलब्धता के आधार पर दैनिक रूप से आस्ति और देयताओं के अवशिष्ट परिपक्वता / प्रवृत्तिजन्य पद्धति को आधार बनाकर जीएपी विशलेषण के जरिए किया जाता है। अभी तक संरचनागत तरलता विवरण के माध्यम से तरलता जोखिम की रिपोर्ट आरबीआइ को घरेलू परिचालन के लिए की जाती थी वहीं इसे प्रत्येक ओवरसीज केंद्रों पर अलग अलग प्रबंधित किया जाता था तथा अतीत में नियंत्रण के उद्देश्य से अल्को (एएलसीओ) में रखा जाता था। हालाँकि आरबीआइ के हालिया परिपत्र के अनुसार, मार्च 2013 से प्रभावी तरलता जोखिम की संगणना की जानी है तथा आरबीआइ को रुपए तथा विदेशी मुद्रा में घरेलू परिचालनों व ओवरसीज केंद्रों के लिए प्रस्तुत किया जाना है और बैंक परिचालन हेतु विभिन्न अंतरालों पर इसका समेकन किया जाना है।

बैंक ने अल्पावधि गतिशील तरलता प्रबंधन तथा आकस्मिक निधि योजना के उपाय बनाये हैं। प्रभावकारी आस्ति देयता प्रबंधन के लिए विभिन्न अवशिष्ट परिपक्वता को संभालने के लिए विवेकपूर्ण (छूट) सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। बैंक की तरलता प्रोफाइल को विभिन्न तरलता अनुपातों के जरिए मूल्यांकित किया जाता है। बैंक ने विभिन्न आकस्मिक उपायों को गठित किया है ताकि तरलता स्थिति में किसी प्रकार के तनाव को संभाला जा सके। बैंक घरेलू ट्रेजरी द्वारा निधि के व्यवस्थित तथा स्थिर नियोजन के जरिए पर्याप्त तरलता का प्रबंधन सुनिश्चित करता है।

ब्याज दर जोखिम को संवेदनशील आस्तियों और देयताओं को जीएपी विशलेषण के प्रयोग से प्रबंधित और निर्धारित विवेकपूर्ण (छूट) सीमाओं के जरिए प्रबोधित किया जाता है। ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए बैंक ने अवधि अंतराल विश्लेषण फ्रेमवर्क भी बनाया है। शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम बनाने की दृष्टि से निवल ब्याज मार्जिन और इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव को निर्धारित करने के लिए ब्याज दर में प्रतिकूल गति के प्रति बैंक जोखिम पर अर्जन तथा अवधि अंतराल आशोधन को निर्धारित

Non Performing Assets – b) Others	168.81
Other Assets – Staff Loans	20.19
Other Assets	3084.64
Restructured / Rescheduled Accounts	7.41
Claims secured by Commercial Property - RH	0.06
Restructured Housing Loan	0.00
For each separately disclosed credit risk portfolio the total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by Guarantees/ credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI).	**9342.77**
Public Sector Entities	4410.08
Corporate	2118.64
Regulatory Retail Portfolio (RRP)	2814.05
Restructured / Rescheduled Accounts	0.00
CRE	0.00
CRE-RH	0.00

Table DF - 6

SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

No Securitization for the year ended 31.03.2018

Table DF – 7

Market Risk in Trading Book

Qualitative disclosure:

Market Risk:

Market Risk is defined as the possibility of loss to a bank in on & off-balance sheet position caused by changes/movements in market variables such as interest rate, foreign currency exchange rate, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to market risk arises from domestic investments (interest related instruments and equities) in trading book (Both AFS and HFT categories), the Foreign Exchange positions (including open position, if any, in precious metals) and trading related derivatives. The objective of the market risk management is to minimize the impact of losses on earnings and equity capital arising from market risk.

Policies for management of market risk:

The bank has put in place Board approved Market Risk Management Policy and Asset Liability Management (ALM) policy for effective management of market risk in the bank. Other policies which deal with market risk management are Funds Management and Investment Policy, Derivative Policy, Risk Management Policy for forex operations and Stress testing policy. The market risk management policy lays down well defined organization structure for market risk management functions and processes whereby the market risks carried by the bank are identified, measured, monitored and controlled within the ALM framework, consistent with the Bank's risk tolerance. The policies set various risk limits for effective management of market risk and ensuring that the operations are in line with Bank's expectation of return to market risk through proper Asset Liability Management. The policies also deal with the reporting framework for effective monitoring of market risk.

The ALM policy specifically deals with liquidity risk management and interest rate risk management framework. As envisaged in the policy, liquidity risk is managed through GAP analysis based on residual maturity/behavioral pattern of assets and liabilities on daily basis based on best available information data coverage as prescribed by RBI. The liquidity risk through Structural Liquidity statement was hitherto reported to RBI for domestic operation while the same was managed separately at each overseas center and placed to ALCO for control purpose in the past. However as per RBI guidelines from March 2013 the liquidity risk is computed and submitted to RBI in rupee and foreign currency for domestic operations, overseas centers and consolidated for Bank operations at various frequencies.

The bank has put in place mechanism of short-term dynamic liquidity management and contingent funding plan. Prudential (tolerance) limits are prescribed by RBI for the first four buckets and by Bank's Board for different residual maturity time buckets for efficient asset liability management. Liquidity profile of the bank is evaluated through various liquidity ratios. The bank has also drawn various contingent measures to deal with any kind of stress on liquidity position. Bank ensures adequate liquidity management by Domestic Treasury through systematic and stable funds planning.

Interest rate risk is managed through use of GAP analysis of rate sensitive assets and liabilities and monitored through prudential (tolerance) limits prescribed. The bank estimates earnings at risk for domestic operations and modified duration gap for global operations periodically for assessing the impact on

प्रति बैंक जोखिम पर अर्जन तथा अवधि अंतराल आशोधन को निर्धारित करता है।

आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (अल्को) / बोर्ड, बैंक द्वारा नियत विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन को प्रबोधित करता है और एएलएम नीति में स्पष्ट किए अनुसार बाजार स्थिति (वर्तमान तथा प्रत्याशित) के अनुरूप रणनीति निर्धारित करता है। कार्यरत मिड ऑफिस विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन को निरंतर आधार पर प्रबोधित करता है।

चूंकि ब्याज दर की गति अस्थिर होती है, खासकर रु. 1 करोड़ व इससे अधिक पर ,अतः इस तरह के जमा पर प्रतिस्पर्धी दरों को उद्‌त करने हेतु दैनिक आधार पर विचार करने की आवश्यकता है। एएलसीओ की एक उप समिति , फंड कमेटी ,इस उद्देश्य के लिए व्यावसायिक घंटों की शुरुआत में दैनिक रूप से मिला करेगी । समिति बैंक की वर्तमान और अनुमानित तरलता स्थिति, तत्काल भुगतान की आवश्यकता, तैनाती के अवसरों के बारे में उपलब्ध बाजार प्रवृत्ति, अनहेज़ विदेशी मुद्रा एक्सपोजर आदि पर प्रभाव की समीक्षा करेगी ।

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप पूँजी के अनुरक्षण के लिए बेसल ।। फ्रेमवर्क के मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) के अनुसार बाजार जोखिम के लिए बैंक ने पूँजी परिकलित की है। 31.03.2018 तक बैंक के ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम के लिए पूँजी अपेक्षाएँ इस प्रकार हैं :

(रू. करोड़ में)

बाजार जोखिम का प्रकार	जोखिम भारित आस्ति (कल्पित)	पूँजी आवश्यकता
ब्याज दर जोखिम	5634.32	450.75
ईक्विटी स्थिति जोखिम	9487.39	758.99
विदेशी विनिमय जोखिम	67.67	5.41
कुल	15189.38	1215.15

तालिका डीएफ – 8

परिचालनात्मक जोखिम :

गुणात्मक प्रकटीकरण :

परिचालनात्मक जोखिम का तात्पर्य अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रकियाओं, लोगों तथा प्रणालियों या बाहरी घटनाओं के फलस्वरूप होने वाली हानि का जोखिम है। परिचालनात्मक जोखिम में विधिक जोखिम शामिल हैं लेकिन रणनीति या प्रतिष्ठा से संबंधित जोखिम शामिल नहीं है।

बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति का गठन किया है जो बैंक के बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित है। बोर्ड द्वारा अपनाई गई अन्य नीतियाँ जो परिचालनात्मक जोखिम को संभालती हैं इस प्रकार हैं : (क) सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति (ख) साइबर सुरक्षा नीति (ग) फोरेक्स जोखिम प्रबंधन नीति (घ) अपने ग्राहक को जानें (के वाइ सी) पर नीतिगत दस्तावेज और धन शोधन निवारक (एएमएल) कार्यविधियों (ड.) अविराम कारोबार तथा विपदा पुन:प्राप्ति योजना (बीसी) डीआरपी अनुपालन नीति और (च) वित्तीय सेवाओं के बाह्य स्त्रोत पर नीति।

बैंक ने अपनी अनुदेश पुस्तक में विभिन्न परिचालनों के लिए सुस्पष्ट पद्धतियां व प्रक्रियाएं बना रखी हैं। निर्धारित पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आन्तरिक और बाह्य लेखा परीक्षा प्रणालियां हैं और कमियों को सुधारने के लिए समय पर कार्रवाई की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अंतिम दिशानिर्देशों के अनुसार, हमारा बैंक परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी संगणना हेतु आधारभूत सूचक दृष्टिकोण अपना रहा है। दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक को परिचालनात्मक जोखिम के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बताई गई सकारात्मक वार्षिक सकल आय के 15% के पिछले तीन वर्षों के औसत के बराबर पूंजी धारित करनी चाहिए।

मात्रात्मक प्रकटीकरण :

(रू. करोड़ में)

मानदंड	पूँजी राशि	अनुमानित जोखिम भारित आस्ति
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त परिभाषा के अनुसार पिछले तीन वर्षों में सकारात्मक वार्षिक सकल आय का 15%	1180.71	14758.84

तालिका डीएफ – 9

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण :

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम होता है जहाँ बाजार ब्याज दर में परिवर्तन बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है। ब्याज दर में परिवर्तन चालू अर्जन (परिप्रेक्ष्य अर्जन) तथा बैंक के नेटवर्थ (परिप्रेक्ष्य आर्थिक मूल्य) दोनों को प्रभावित करता है। परिप्रेक्ष्य अर्जन के जोखिम को निवल ब्याज आय (एनआइआइ) या निवल ब्याज मार्जिन (एनआइएम) पर पड़ने वाले प्रभाव के अनुसार मापा जा सकता है। इसी प्रकार, परिप्रेक्ष्य आर्थिक मूल्य के जोखिम को ईक्विटी के आर्थिक मूल्य में होने वाले घटाव से मापा जा सकता है।

बैंक ने वैश्विक परिचालनों पर ईक्विटी के आर्थिक मूल्य (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) पर प्रभाव (प्रतिशतता के रूप में) के निर्धारण के लिए 200 बीपीएस पर कल्पित दर प्रघात को लागू करके पारंपरिक जीएपी विशलेषण को अंतराल जीएपी विशलेषण के साथ मिलाकर अपनाया है। इस प्रयोजन के लिए बैंक की 1 वर्ष की अवधि के दौरान एएलएम नीति में तुलन पत्र पर आशोधित अंतराल जीएपी के लिए (+/-) 1.00% की सीमा निर्धारित है और इसकी स्थिति को आवधिक रूप से प्रबोधित किया जाता है।

बैंक प्रत्येक मुद्रा में ब्याज दर जोखिम स्थिति की गणना अवधि अन्तराल विश्लेषण (डी जी ए) और पारंपरिक अंतराल विश्लेषण (टी जी ए) उस मुद्रा में दर संवेदनशील आस्ति (आर एस ए)/ दर संवेदनशील देयता (आर एल ए) पर करता है जहाँ या तो आस्ति या देयता बैंक की आस्ति या वैश्विक देयता कुल वैश्विक आस्ति या वैश्विक देयता का 5 प्रतिशत या अधिक हो। सभी अन्य अवशेष मुद्रा में ब्याज जोखिम स्थिति की गणना अलग से समग्र आधार पर की गणना की जाती है।

गुणात्मक प्रकटीकरण

निवल ब्याज आय (एन आइ आइ) और ईक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) पर प्रभाव के परिवर्तन को दिनांक 31.03.2018 तक उपर्युक्त चर्चा के अनुसार कल्पित ब्याज दर प्रघातों को लागू करके नीचे दिया जा रहा है :

(रु. करोड़ों में)

Net Interest Income and Economic Value of Equity with a view to optimize shareholder value.

The Asset-Liability Management Committee (ALCO) / Board monitors adherence to prudential limits fixed by the Bank and determines the strategy in the light of the market conditions (current and expected) as articulated in the ALM policy. The mid-office monitors adherence to the prudential limits on a continuous basis.

As interest rate movements are volatile, particularly on deposits of Rs. 1Crore and above, there is a need to take views on quoting competitive rates to such deposits on daily basis. A subcommittee of ALCO, namely Funds Committee, shall meet daily at the beginning of business hours for this purpose. The committee shall review the present & projected liquidity position of the bank, requirement for immediate payment of funds, market trend regarding deployment opportunities available, impact on un-hedged forex exposure etc

Quantitative disclosures:

In line with the RBI's guidelines, the Bank has computed capital for market risk as per Standardised Duration Approach of Basel-II framework for maintaining capital. The capital requirement for market risk as on 31.03.2018 in trading book of the bank is as under:

(Rs. in crore)

Type of Market Risk	Risk Weighted Asset (Notional)	Capital Requirement
Interest rate risk	5634.32	450.75
Equity position risk	9487.39	758.99
Foreign exchange risk	67.67	5.41
Total	**15189.38**	**1215.15**

Table DF – 8

OPERATIONAL RISK:

Qualitative disclosures:

Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risk.

The bank has framed operational risk management policy duly approved by the Board. Other policies adopted by the Board which deal with management of operational risk are (a) Information Systems security policy (b) Cyber Security Policy (c) forex risk management policy (d) Policy document on know your customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) procedures (e) Business Continuity and Disaster Recovery Plan (BC-DRP) (f) compliance policy and (g) policy on outsourcing of Financial Services.

The Bank has got embodied in its Book of Instructions well-defined systems and procedures for various operations. Various internal and external audit systems are in place to ensure that laid down systems and procedures are followed and timely actions are initiated for rectifying the deficiencies.

In line with the final guidelines issued by RBI, our bank is adopting the Basic Indicator Approach for computing capital for operational risk. As per the guidelines the banks must hold capital for operational risk equal to 15% of positive average annual gross income over the previous three years as defined by RBI

Quantitative disclosures:

(Rs. in Crore)

Parameter	Capital amount	Notional Risk Weighted Assets
15% of positive average annual gross income over the previous 3 years as defined by RBI	1180.71	14758.84

Table DF – 9

INTEREST RATE RISK ON THE BANKING BOOK

Qualitative disclosures:

Interest rate risk is the risk where changes in the market interest rates might affect a bank's financial condition. Changes in interest rates may affect both the current earnings (earnings perspective) as also the net worth of the Bank (economic value perspective). The risk from earnings perspective can be measured as impact on the Net Interest Income (NII) or Net Interest Margin. Similarly, the risk from economic value perspective can be measured as drop in Economic Value of Equity.

The bank has adopted traditional gap analysis combined with duration gap analysis for assessing the impact (as a percentage) on the Economic Value of Equity (Economic Value Perspective) on global operations by applying a notional interest rate shock of 200 bps over a time horizon of one year. For the purpose a limit of (+/-) 1.00% for modified duration gap is prescribed in the Bank's ALM policy and the position is monitored periodically.

The bank is computing the interest rate risk position in each currency applying the Duration Gap Analysis (DGA) and Traditional Gap Analysis (TGA) to the Rate Sensitive Assets (RSA)/ Rate Sensitive Liabilities (RSL) items in that currency, where either the assets, or liabilities are 5 per cent or more of the total of either the bank's global assets or global liabilities. The interest rate risk positions in all other residual currencies are computed separately on an aggregate basis.

Quantitative disclosures:

The impact of changes of Net Interest Income (NII) and Economic Value of Equity (EVE) calculated as on 31.03.2018 by applying notional interest rate shocks as discussed above are as under

ब्याज दर में परिवर्तन	इएआर के लिए एएलएम नीति सीमा	जोखिम पर अर्जन (रआएइ)	
		31/03/2018	
		1 वर्ष तक	5 वर्ष तक
0.25% परिवर्तन	162.00 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 3%)	78.45	116.78
0.50% परिवर्तन	323.00 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 6%)	156.91	233.56
0.75% परिवर्तन	485.00 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 9%)	235.36	350.33
1.00% परिवर्तन	646.00 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 12%)	313.82	467.11
2.00% परिवर्तन	1292 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 24%)	627.64	934.22

इक्विटी का आर्थिक मूल्य	**31.03.2018**
आशोधित अवधि अंतराल (डीजीएपी)	0.08
एएलएम नीति के अनुसार सीमा	(+/-)1.00%
इक्विटी की बाजार मूल्य (ईवमए)	
200 बीपीएस दर प्रघात के लिए ईक्विटी में घटाव	4.59

तालिका डीएफ़ 10-

<u>प्रतिपक्ष उधार जोखिम से संबंधित एक्सपोजर से संबंधित सामान्य प्रकटीकरण</u>

<u>गुणात्मक प्रकटीकरण</u>

गुणात्मक प्रकटीकरण	(क)	डेरिवेटिव्स एवं सीआरआर के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा में निम्न शामिल हैं - • काउंटर पार्टी क्रेडिट एक्सपोजऱ के लिए क्रेडिट लिमिट एवं आर्थिक पूंजी को सौंपने में प्रयुक्त कार्यप्रणाली की चर्चा • क्रेडिट आरक्षितियों को स्थिर करने तथा संपाश्र्विकों प्रतिभूतियों के लिए नीतियों पर चर्चा • त्रुटिपूर्ण विधि से जोखिम़ एक्सपोज़र के संबंध में नीतियों की चर्चा • सम्ंपाश्र्विकों की राशि के प्रभाव पर चर्चा से बैंक को क्रेडिट रेटिंग को कम किया जाएगा।
मात्रात्मक प्रकटीकरण	(b)	करारों का सकल सकारात्मक उचित मूल्य, नेटिंग लाभ, नेटेड वर्तमान क्रेडिट एक्सपोज़र, धारित समपाश्र्विक (सरकारी प्रतिभूतियों, नकदी इत्यादि जैसी सहित) एवं निवल डेरीवेटिव क्रेडिट एक्सपोज़र। इसके अलावा सीईएम के तहत एक्सपोज़र राशि अथवा डिफाल्ट के एक्सपोज़र के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट करें। क्रेडिट एक्सपोज़र सीमा का अनुमानित मूल्य, तथा क्रेडिट एक्सपोज़र के प्रकारों द्वारा वर्तमान क्रेडिट एक्सपोज़र का वितरण।
	(c)	क्रेडिट डेरीवेटिव सौदे जो कि सीसीआर (अनुमानित मूल्य) के एक्सपोज़र को उत्पन्न करते हैं को संस्था के निज़ी क्रेडिट पोर्टफोलियो के प्रयोग के लिए अलग-अलग किया जाएगा एवं इसके साथ-साथ वित्तीय मध्यस्थता गतिविधियों के साथ प्रयोग किए गए क्रेडिट डेरीवेटिव उत्पाद, आगे पुन: प्रत्येक समूह के साथ ब्रोकेन डाउन के माध्यम से खरीद एवं बिक्री से की गयी सुरक्षा।

(Rs. in crore)

Change in Interest Rate	ALM Policy **Limit for EaR**	Earnings at Risk (EaR) **31.03.2018**	
		Up to **1 year**	Up to **5 years**
0.25% change	162.00 (3% of NII of previous year)	78.45	116.78
0.50% change	323.00 (6% of NII of previous year)	156.91	233.56
0.75% change	485.00 (9% of NII of previous year)	235.36	350.33
1.00% change	646.00 (12% of NII of previous year)	313.82	467.11
2.00% change	1292.00 (24% of NII of Previous year)	627.64	934.22

ECONOMIC VALUE OF EQUITY	31.03.2018
Modified Duration Gap (DGAP)	0.08
Limit as per ALM Policy	(+/-)1.00%
Market value of Equity (MVE)	
For a 200 BPS Rate Shock the Drop in Equity Value	4.59

Table DF – 10

GENERAL DISCLOSURE FOR EXPOSURES RELATED TO COUNTERPARTY CREDIT RISK

Qualitative disclosure:

Qualitative Disclosures	(a)	The general qualitative disclosure requirement with respect to derivatives and CCR, including: • Discussion of methodology used to assign economic capital and credit limits for counter party credit exposures • Discussion of policies for securing collateral and establishing credit reserves • Discussion of policies with respect to wrong way risk exposures • Discussion on impact of the amount of collateral the bank would have to provide given a credit rating downgrade
Quantitative Disclosures	(b)	Gross positive fair value of contracts, netting benefits, netted current credit exposures, collateral held(including type, e.g. cash, government securities, etc.), and net derivatives credit exposure. Also report measures for exposure at default, or exposure amount, under CEM. The notional value of credit exposure hedges, and the distribution of current credit exposure by types of credit exposure.
	(c)	Credit derivative transactions that create exposures to CCR (notional value), segregated between use for the institution's own credit portfolio, as well as in its intermediation activities, including the distribution of the credit derivatives products used, broken down further by protection bought and sold within each product group.

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(रु. करोड़ों में)

क्र	ब्योरे	काल्पनिक मूल्य	एमटीएम	कुल चालू ऋण एक्सपोजर
1	डेरिवेटिव्स	0.00	0.00	0.00
2	ब्याज दर करार /स्वैप एस	1734.17	4.96	4.96
3	आगे की खरीददारी /बिक्री करार	27160.37	209.02	209.02
4	ऋण डेरिवेटिवस	0.00	0.00	0.00
5	ऋण डिफ़ोल्ट स्वैप	0.00	0.00	0.00

तालिका डीएफ़ -11

पूंजी की रचना

भाग -1 टेम्पलेट का प्रयोग केवल मार्च 31,2018 से किया जाए : लागू नहीं

भाग -2 –टेम्पलेट का प्रयोग मार्च 31,2018 के पूर्व करना है (यानि बेसल III नियामक संयोजन करने की प्रक्रिया के दौरान)

(रु. करोड़ों में)

बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट जिसका प्रयोग नियामक संयोजन करने की प्रक्रिया के दौरान किया गया (यानि 01 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक)		राशि पूर्व बेसल III के विषय को छोड़कर	
सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत और भंडार			
1	प्रत्यक्ष रूप से जारी उपयुक्त सामान्य शेयर पूँजी सहित संबंधित स्टॉक अधिशेष(शेयर प्रीमियम)	8919.85	8919.85
2	प्रतिधारित आय	7475.13	7475.13
3	संचयित अन्य व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षितियाँ)	1678.26	1678.26
4	सीईटी1 से निकाले जाने के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूँजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0.00	0.00
5	अनुषंगियों द्वारा जारी तथा अन्य पक्ष द्वारा धारित सामान्य शेयर पूँजी (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि)	0.00	0.00
6	**विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य ईक्विटी टियरापूँजी**	**18073.23**	**18073.23**
सामान्य ईक्वटी टयिरापूँजी : वनियिामक समायोजन			
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन		
8	साख (संबंधित कर देयता का निवल)		
9	अमूर्त (संबंधित कर देयता का निवल)	6373.70	6373.70
10	आस्थगित कर आस्तियाँ	0.00	0.00
11	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित		
12	अपेक्षित हानियों पर प्रावधानों की कमी		
13	व्यय पर प्रतिभूतिकरण अभिलाभ		
14	उचित मूल्य देयताओं पर अपने ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ व हानि		
15	परिभाषित- लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियाँ,	0.00	0.00
16	खुद के शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र पर प्रदत्त पूँजी का पहले ही निवलीकरण नहीं किया गया है)		
17	सामान्य ईक्विटी में पारस्परिक क्रॉस- धारण	22.91	0.00

Quantitative disclosure:

(Rs. in crore)

No	Particulars	Notional Amount	MTM	Total current credit exposures
1	Derivatives	0.00	0.00	0.00
2	Interest Rates Contracts/Swaps	1734.17	4.96	4.96
3	Forward Purchase / Sales Contract	27160.37	209.02	209.02
4	Credit Derivatives	0.00	0.00	0.00
5	Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00

Table DF – 11

COMPOSITION OF CAPITAL

Part I : Template to be used only from March 31,2018 : Not Applicable

Part II : Template to be used before March 31,2018 (i.e. during the transition period of Basel III regulatory adjustment)

(Rs. in crore)

Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)			Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	8919.85	8919.85
2	Retained earnings	7475.13	7475.13
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	1678.26	1678.26
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0.00	0.00
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00	0.00
6	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**18073.23**	**18073.23**
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments			
7	Prudential valuation adjustments		
8	Goodwill (net of related tax liability)		
9	Intangibles (net of related tax liability)	6373.70	6373.70
10	Deferred tax assets	0.00	0.00
11	Cash-flow hedge reserve		
12	Shortfall of provisions to expected losses		
13	Securitisation gain on sale		
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities		
15	Defined-benefit pension fund net assets	0.00	0.00
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-up capital on reported balance sheet)		
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	22.91	0.00

18	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा इकाइयों, जो विनियामक समेकन, पात्र आंशिक स्थितियों के निवल के दायरे से बाहर हैं, जहाँ बैंक जारी शेयर पूँजी के 10% से अधिक नहीं रखता है 10% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि), की पूँजी में निवेश		
19	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा इकाइयों, जो विनियामक समेकन, पात्र आंशिक स्थितियों के निवल के दायरे से बाहर हैं, योग्य अल्प स्थितियों का निवल 10% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि	0.00	0.00
20	बंधक सेवा अधिकार 10% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	0.00	0.00
21	अस्थायी अंतरों से उभरती आस्थगित कर आस्तियाँ 10% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि संबंधित कर देयता का निवल	3050.30	3050.30
22	15% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि 6	0.00	0.00
23	जिसमें से: वित्तीय इकाइयों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	0.00	0.00
24	जिसमें से: बंधक सेवा अधिकार	0.00	0.00
25	जिसमें से: अस्थायी अंतरों से उभरती आस्थगित कर आस्तियाँ	0.00	0.00
26	राष्ट्रीय विशेषीकृत विनियामक समायोजन7 (26क+26ख+26ग+26घ)	0.00	0.00
26ए	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों की ईक्विटी पूँजी में निवेश	0.00	0.00
26बी	जिसमें से: समेकित गैर वित्तीय अनुषगियों8 की ईक्विटी पूँजी में निवेश	0.00	0.00
26सी	जिसमें से: बहुमत प्राप्त वित्तीय इकाइयों, जिनका समेकन बैंक9 द्वारा नहीं हुआ है, की ईक्विटी पूँजी में कमी	0.00	0.00
26डी	जिसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	0.00	0.00
	बासेलIIIप्रतिपादन पूर्व के अधीन राशियों के संबंध में सामान्य ईक्विटी टियरIपर लागू विनियामक समायोजन		
27	कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियरIतथा टियरIIके कारण सामान्य ईक्विटी टियरIपर लागू विनियामक समायोजन।	0.00	0.00
28	सामान्य ईक्विटी टियर**I**पर कुल विनियामक समायोजन	**9446.91**	**9424.00**
29	सामान्य ईक्विटी टियरIपूँजी (सीईटी 1)	**8626.32**	**8649.23**
	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी लिखत		
30	प्रत्यक्ष रूप से जारी उपयुक्त अतिरिक्त टियर 1 लिखत सहित संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम) (31+32)	1120.00	1780.00
31	जिसमें से: प्रायोज्य लेखांकन मानकों के तहत ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत (स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयर)	0.00	0.00
32	जिसमें से: प्रायोज्य लेखांकन मानकों के तहत देयता के रूप में वर्गीकृत (स्थायी ऋण लिखत)	1120.00	1780.00
33	अतिरिक्त टियर 1 से निकाले जाने के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूँजी लिखत	0.00	0.00
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और अन्य पक्ष द्वारा धारित (समूह एटी1 में अनुमत राशि) अतिरिक्त टियर 1 लिखत (तथा सीईटी1 लिखत जो क्रम 5 में शामिल नहीं हैं)	0.00	0.00
35	जिसमें से निकाले जाने के अधीन अनुषगियों द्वारा जारी लिखत	0.00	0.00
36	**विनियामक समायोजन से पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूँजी**	**1120.00**	**1780.00**

18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)		
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	0.00	0.00
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	0.00	0.00
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	3050.30	3050.30
22	Amount exceeding the 15% threshold6	0.00	0.00
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities	0.00	0.00
24	of which: mortgage servicing rights	0.00	0.00
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0.00	0.00
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	0.00	0.00
26a	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	0.00
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	0.00	0.00
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	0.00
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures	0.00	0.00
	Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment		
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0.00	0.00
28	**Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1**	**9446.91**	**9424.00**
29	**Common Equity Tier 1 capital (CET1)**	**8626.32**	**8649.23**
	Additional Tier 1 capital: instruments		
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (share premium) (31+32)	1120.00	1780.00
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0.00	0.00
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	1120.00	1780.00
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0.00	0.00
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	0.00	0.00
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00	0.00
36	**Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**1120.00**	**1780.00**

अतिरिक्त टियर 1 पूंजी ; नियामक समायोजन			
37	खुद के अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश	50.00	50.00
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक गैर-धारिता	30.0	30.00
39	विनियामक समेकन की संभावनाओं से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश, पात्र अल्प स्थितियों का निवल, जहाँ बैंक की स्वामित्व इकाई 10% की सीमा से ऊपर की राशि) की जारी साझा शेयर पूँजी के 10% से अधिक की राशि न हो	0.0	0.00
40	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश (पात्र अल्प स्थितियों का निवल) 10	0.00	0.00
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41ए+41बी)	0.00	0.00
41ए	असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियरापूँजी में निवेश	0.00	0.00
41बी	बहुलांश स्वामित्व वाली वित्तीय इकाइयों की अतिरिक्त टियरापूँजी में कमी जिन्हें बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया ह	0.00	0.00
42	अपर्याप्त टियरााकी वजह से कटौतियों को कवर करने के लिए अतिरिक्त टियरामें लागू विनियामक समायोजन		
43	**अतिरिक्त टियरापूँजी में कुल विनियामक समायोजन**	80.00	80.00
44	**अतिरिक्त टियर I पूँजी (एटी1)**	**1040.00**	**1700.00**
45	**टियरापूँजी (टी1 = सीईटी1 + स्वीकार्य एटी1) (29 + 44)**	**9666.32**	**10349.23**
टीअर 2 पूंजी: लिखत और प्रावधान			
46	प्रत्यक्ष तौर पर जारी पात्र टियर 2 लिखत सहित संबंधित अधिक स्टॉक	458.00	458.00
47	टियर 2 से बाहर होने होने की शर्त पर प्रत्यक्ष तौर पर जारी पूँजी लिखत	1652..92	2632.30
48	अनुषंगी द्वारा जारी और अन्य पक्षों द्वारा धारित (समूह टियर 2 में स्वीकृत राशि) टियर 2 लिखत (और 5 या 34 पंक्ति में नहीं शामिल सीईटी1 और एटी1 लिखत)	0	0
49	जिनमें से : बाहर होने की शर्त पर अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत	0	0
50	प्रावधान	755.66	755.66
51	**विनियामक समायोजन से पहले टियर 2 पूँजी**	**2866.58**	**3845.96**

Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments			
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	50.00	50.00
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	30.00	30.00
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00	0.00
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)10	0.00	0.00
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	0.00	0.00
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	0.00
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	0.00
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions		
43	**Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital**	80.00	80.00
44	**Additional Tier 1 capital (AT1)**	**1040.00**	**1700.00**
45	**Tier 1 capital (T1 = CET1 + Admissible AT1) (29 + 44)**	**9666.32**	**10349.23**
Tier 2 capital: instruments and provisions			
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	458.00	458.00
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	1652..92	2632.30
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0	0
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0	0
50	Provisions	755.66	755.66
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	**2866.58**	**3845.96**

नियामक समायोजन : टियर 2 पूंजी			
52	उपकरणों में निवेश 2 स्वयं के अतिरिक्त टियर	50.00	50.00
53	लिखत में पारस्परिक क्रॉस होल्डिंग 2 अतिरिक्त टियर	0.0	0.0
54	बैंकिंग पूंजी में निवेश , वित्तीय बीमा संस्थाएं जो नियामक समेकन क्षेत्र से बाहर हैं , पात्र कम पोसिशन का कुल , जहां पर बैंक संस्था द्वारा जारी सामान्य शेअर पूंजी के 10% से अधिक का स्वामित्व नहीं है (10% थ्रेश्होल्ड से ऊपर) की राशि	0	
55	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं जो कि जो नियामक समेकन क्षेत्र से बाहर (हैं पूंजी में महत्त्वपूर्ण निवेश (पात्र कम पोजीशन का कुल	0	
56	(56ब+ 56अ) राष्ट्रीय विशेषकृत नियामक समायोजन		
56अ	की पूंजी में निवेश 2 असमेकित बीमा अनुषंगी के अतिरिक्त टियर	0	
56ब	पूंजी में कमी , जिसमें से अधिकतर का स्वामित्व वित्तीय 2 अतिरिक्त टियर संस्थाओं के पास है और जिसका समेकन बैंक के साथ नहीं हुआ है	0	
57	**टीअर 2 का कुल नयिामक समायोजन**	50.00	50.00
58	**टीअर 2 पूंजी (टी2)**	**2816.58**	3795.96
59	**कुल पूंजी (टीसी =टी1+टी2)(45+58)**	**12482.90**	13145.19
60	**कुल उधार जोखिम भारित आस्तियां (60अ + 60ब + 60स)**	***134908.70***	
60अ	उसमें से : कुल उधार जोखिम भारित आस्तियां	104960.48	
60ब	उसमें से : कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	15189.38	
60स	उसमें से : कुल परिचालनात्मक जोखिम भारत आस्तियां	14758.84	
पूंजी अनुपात			
61	सामान्य इक्विटी टीअर 1 (जोखिम भारित आस्तियां का प्रतिशत)	6.39%	
62	टीअर 1(जोखिम भारित आस्तियां का प्रतिशत)	7.17%	
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियां का प्रतिशत)	9.25%	
	संस्था विशेषकर बफर आवश्यकता (कम से कम सीईटी 1 आवश्यकता अधिक पूंजी बचाव और प्रति चक्रीय बफर आवश्यकता , जिसे जोखिम भारित आस्तियां के प्रतिशत के रूप में व्यक्त		
64	संस्था विशेषकर बफर आवश्यकता कम से कम सीईटी 1 आवश्यकता अधिक पूंजी बचाव और प्रति चक्रीय बफर) (आवश्यकता , जिसे जोखिम भारित आस्तियां के प्रतिशत के रूप में व्यक्त	7.375%	
65	उसमें से पूंजी बचाव बफर आवश्यकता	1.875%	
66	उसमें से बैंक का प्रति चक्रीय बफर आवश्यकता	0	
67	उसमें से : जी एसआईबी बफर आवश्यकता	0	
68	सामान्य इक्विटी टीअर 1 जो कि बफर मिलने के लिए उपलब्ध (जोखिम) भारित आस्तियां का प्रतिशत	0.89%	
काल्पनिक न्यूनतम (अगर बेसल III से अलग है			
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टीअर 1 न्यूनतम अनुपात (अगर बेसल III से अलग है)	5.50%	
70	राष्ट्रीय टीअर 1 न्यूनतम अनुपात (अगर बेसल III से अलग है)	7.00%	
71	कटौती के लिए थ्रेश्होल्ड से कम राशि (जोखिम भारित से पूर्व	9.00%	

Tier 2 capital: regulatory adjustments			
52	Investments in own Tier 2 instruments	50.00	50.00
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	0.00	0.00
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0	
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0	
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)		
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	0	
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0	
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**	50.00	50.00
58	**Tier 2 capital (T2)**	***2816.58***	***3795.96***
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58)**	**12482.90**	**13145.19**
60	**Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)**	***134908.70***	
60a	of which: total credit risk weighted assets	104960.48	
60b	of which: total market risk weighted assets	15189.38	
60c	of which: total operational risk weighted assets	14758.84	
Capital ratios			
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	6.39%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.17%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	9.25%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	7.375%	
65	of which: capital conservation buffer requirement	1.875%	
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0	
67	of which: G-SIB buffer requirement	0	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	0.89%	
National minima (if different from Basel III)			
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%	
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00%	
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00%	

निम्तृ राशी कटौती के लिए थ्रेशहोल्ड है (जोखिम भारित से पहले)			
72	अन्य वित्तीय इकाइयों की पूँजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश		
73	वित्तीय इकाइयों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश		
74	बन्धक सेवा अधिकार (संबंधित कर देयता का निवल)	0	
75	अस्थाई अंतर से उत्पन्न अस्थगित कर आस्तियाॅ (संबंधित कर देयता का निवल)	0	
टीअर 2 पर लागू प्रावधान सीएपी			
76	मानकीकृत अभिगम के अधीन ऋणों के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू करने के पूर्व)	755.66	
77	मानकीकृत अभिगम के तहत टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने के लिए सीमा	1686.39	
78	मानकीकृत अभिगम के तहत टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने के लिए सीमा	कुछ नहीं	
79	मानकीकृत आंतरिक रेटिंग आधारित अभिगम के तहत टियर 2 में शामिल करने के लिए प्रावधान की सीमा	कुछ नहीं	
पूंजी लिखत फेज आउट व्यवस्था (31 मार्च 2017 से 31 मार्च 2022 तक ही लागू)			
80	फेज़ आउट व्यवस्था के अधीन सीइटी1 पर वर्तमान सीमा	0	
81	सीमा को देय सीइटी 1 में शामिल नहीं राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद सीमा से अधिक राशि)	0	
82	फेज आउट व्यवस्था के अधीन ए टी 1 लिखत पर वर्तमान सीमा	150	
83	सीमा को देय ए टी 1 में शामिल नहीं राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद सीमा से अधिक राशि)	660.00	
84	फेज आउट व्यवस्था के अधीन टी 2 लिखत पर वर्तमान सीमा	1652.92	
85	सीमा को देय टी 2 में शामिल नहीं राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद सीमा से अधिक राशि)	979.38	

(टेम्पलेट को नोट्स (रु. करोड़ों में

टेम्पलेट की क्रम संख्या	**विवरण**	**राशि**
10	संचयी नुकसान के साथ संबद्ध आस्थगित कर आस्तियाँ	0
	आस्थगित कर आस्तियाँ (संचयी नुकसान के साथ संबद्ध को छोड़कर) आस्थगित कर देयता का निवल	4217.96
	क्रम संख्या 10 में दर्शित अनुसार योग	0.00

टेम्पलेट की क्रम संख्या	**विवरण**	**राशि**
19	यदि बीमा अनुषंगी में निवेश की कटौती पूँजी में से पूर्णत: नहीं काटी गयी है और बल्कि कटौती के लिए 10 की सीमा पर विचार किया गया है , बैंक की पूँजी में परिणामी वृद्धि	0
	इसमें से : सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी में वृद्धि	0
	इसमें से : अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में बढ़ोत्तरी	0
	इसमें से : टियर 2 पूँजी में बढ़ोत्तरी	0

Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities		
73	Significant investments in the common stock of financial entities		
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	0	
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	755.66	
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	1686.39	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	NA	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	NA	
Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)			
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	0	
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0	
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	150	
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	660.00	
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	1652.92	
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	979.38	

Notes to the Template

Rs. (in crore)

Row No. of the template	Particular	Amount
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses	0
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	4217.96
	Total as indicated in row 10	0.00

Row No. of the template	Particular	Amount
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	0
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	0
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	0
	of which: Increase in Tier 2 capital	0

26बी	यदि गैर वित्तीय अनुषंगी की ईक्विटी पूँजी में निवेश की कटौती नहीं की गयी और उसके बाद जोखिम भार	0
	(i) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी में वृद्धि	0
	(ii) जोखिम भारांक आस्तियों में बढ़ोत्तरी	0
50	टियर 2 पूँजी में शामिल पात्र प्रावधान	755.66
	टियर 2 पूँजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियाँ	0.0
	क्रम 50 का कुल	755.66

क्र	बेसल III के सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट का उद्धरण (अधिक कॉलम के साथ)- तालिका डीएफ़ 11-(भाग 1 / भाग 2 जो भी लागू हो	
	सामान्य इक्विटी तैयार 1 पूंजी : उपकरण और भंडार	(रु. करोड़ों में)
1	प्रत्यक्ष रूप से जारी उपयुक्त सामान्य शेयर (तथा गैर संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए समतूल्य) पूँजी सहित संबंधित स्टॉक अधिशेष।	8919.85
2	प्रतिधारित आय	7475.13
3	संचयित अन्य व्यापक आय (तथा अन्य आरक्षितियाँ)	1678.26

क्रम सं	**बेसल III का सार – सामान्य प्रकटीकरण टैम्प्लेट (अतिरिक्त कॉलम के साथ)- तालिका डीएफ -11 (भाग I / भाग II जो भी लागू हो)**	
4	सीईटी 1 से बाहर चरण के अधीन जारी प्रत्यक्ष पूंजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0.00
5	सहायक कंपनियों द्वारा जारी और तीसरे पक्ष द्वारा रखी गई सामान्य शेयर पूंजी (सीईटे 1 समूह में राशि की अनुमति)	0.00
6	विनियामक समायोजन से पहले सामान्य इक्विटी टायर 1 पूंजी	**18073.23**
7	प्रूडेंशियल मूल्यांकन समायोजन	-
8	साख (संबंधित कर देयता का निवल)	-

सूची डीएफ़ – 12

पूंजी की रचना – सामाधान आवश्यकता (रु. करोड़ों में)

क्र	**ब्योरा**	**वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलन पत्र 31.03.2018 के अनुसार**	**नियामक विचार के दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र 31.03.2018 के अनुसार**
अ	**पूंजी और देयता**		
1	**प्रदत्त पूँजी**	4890.77	4890.77
	आरक्षिति तथा अधिशेष	8383.21	8383.21
	अल्पमत ब्याज	0	0
	कुल पूँजी	**13273.98**	**13273.98**

26b	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	0
	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	0
	(ii) Increase in risk weighted assets	0
50	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	755.66
	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	0.00
	Total of row 50	755.66

(Rs. in crore)

S. No.	Extract of Basel III common disclosure template (with added column)- Table DF-11 (Part I / Part II whichever, applicable)	
	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserve	
		Component of regulatory capital reported by bank
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	8919.85
2	Retained Earning	7475.13
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	1678.26

S. No.	Extract of Basel III common disclosure template (with added column)- Table DF-11 (Part I / Part II whichever, applicable)	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0.00
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	**18073.23**
7	Prudential valuation adjustment	-
8	Goodwill(net of related tax liability)	-

Table DF – 12

COMPOSITION OF CAPITAL-RECONCILIATION REQUIREMENTS

(Rs. in crore)

S. No.	Particulars	Balance Sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on 31.03.2018	**As on 31.03.2018**
A	**Capital & Liabilities**		
i	**Paid up Capital**	4890.77	4890.77
	Reserves and Surplus	8383.21	8383.21
	Minority Interest	0	0
	Total Capital	**13273.98**	**13273.98**

2	**जमाएं**	**216831.81**	**216831.81**
	जिसमें से:बैंकों से जमा	13.75	13.75
	जिसमें से: ग्राहक जमा	216818.06	216818.06
	जिसमें से: अन्य	0	0
3	**उधार**	**9228.08**	**9228.08**
	जिसमें से: आरबीआइ से	0	0
	जिसमें से: बैंक से	0	0
	जिसमें से: अन्य संस्थाओं तथा एजेंसियों से	2117.62	2117.62
	जिसमें से: अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	1288.16	1288.16
	जिसमें से: पूँजी लिखत	5822.30	5822.30
4	**अन्य देयताएँ तथा प्रावधान**	**8634.16**	**8634.16**
	कुल	**247968.03**	**247968.03**
क्र	**ब्योरा**	**वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलन पत्र 31.03.2018 के अनुसार**	**नियामक विचार के दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र 31.03.2018 के अनुसार**
ब	आस्तियां		
1	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद व शेष	11579.45	11579.45
	बैंक में शेष तथा अल्प मांग पर मांग मुद्रा	14965.54	14965.54
2	**निवेश**	68645.94	68645.94
	जिसमें से: सरकारी प्रतिभूतियाँ	59684.53	59684.53
	जिसमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	1.34	1.34
	जिसमें से: शेयर	1201.41	1201.41
	जिसमें से: डिबेंचर तथा बाण्ड	3508.17	3508.17
	जिसमें से: जिसमें से अनुषंगियों/ संयुक्त उपक्रम/ सहयोगी	193.44	193.44
	जिसमें से: अन्य (व्यावसायिक पत्र, म्यूच्युअल फंड आदि)	4057.05	4057.05
3	**ऋण तथा अग्रिम**	**132488.82**	**132488.82**
	जिसमें से: बैंकों को ऋण तथा अग्रिम	260.71	260.71
	जिसमें से: ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम	132228.11	132228.11
4	**अचल आस्तियाँ**	**2893.43**	**2893.43**
5	**अन्य आस्तियाँ**	**17394.85**	**17394.85**
	जिसमें से: साख तथा अमूर्त आस्तियाँ	0	0
	जिसमें से: आस्थगित कर आस्तियाँ	4218.03	4218.03
6	**समेकन पर साख**	0	0
7	**लाभ व हानि खाते में ऋण शेष**	0	0
	कुल	**247968.03**	**247968.03**

ii	**Deposits**	**216831.81**	**216831.81**
	of which : Deposit from Banks	13.75	13.75
	of which : customer deposits	216818.06	216818.06
	of which : Others	0	0
iii	**Borrowings**	**9228.08**	**9228.08**
	of which : From RBI	0	0
	of which : From bank	0	0
	of which : from other institutional & agencies	2117.62	2117.62
	of which : Others(pl .Specify) - Outside India	1288.16	1288.16
	of which : Capital instruments	5822.30	5822.30
iv	**Other liabilities and provisions**	**8634.16**	**8634.16**
	Total	**247968.03**	**247968.03**
S. No.	**Particulars**	**Balance Sheet as in financial statements**	**Balance sheet under regulatory scope of con-solidation**
		As on 31.03.2018	**As on 31.03.2018**
B	**Assets**		
i	Cash and Balances with Reserve Bank of India	**11579.45**	**11579.45**
	Balance with bank and money at call and short notice	**14965.54**	**14965.54**
II	**Investments**	**68645.94**	**68645.94**
	of which: Government Securities	59684.53	59684.53
	of which: Other approved securities	1.34	1.34
	of Which :shares	1201.41	1201.41
	of which : Debentures & Bonds	3508.17	3508.17
	of which: Subsidiaries / joint Venture /Associates	193.44	193.44
	of which : other (commercial Paper, Mutual Funds etc)	4057.05	4057.05
iii	**Loans and advances**	**132488.82**	**132488.82**
	of which : Loans and advances to banks	260.71	260.71
	of which : Loans and advances to customers	132228.11	132228.11
iv	**Fixed assets**	**2893.43**	**2893.43**
v	**Other assets**	**17394.85**	**17394.85**
	of which : Goodwill and intangible assets	0	0
	of which : Deferred tax assets	4218.03	4218.03
vi	**Goodwill on consolidation**	0	0
vii	**Debit balance in Profit & Loss account**	0	0
	Total	**247968.03**	**247968.03**

तालिका डीएफ-13 : नियमित कैपिटल लिखतों की मुख्य विशेषताएं				
नियामक पूंजीगत उपकरणों की मुख्य विशेषताओं के लिए प्रकटीकरण टेम्पलेट				
क्रम सं	**विवरण**	**लोअर टियर II**	**लोअर टियर II**	**लोअर टियर II**
		श्रृंखला XII	**श्रृंखला XIII**	**श्रृंखला XIV**
1	जारीकर्ता	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (जैसे निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूए-सआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE565A09165	INE565A09181	INE565A09215
3	लिखत के शासकीय कानून	चैन्नै	चैन्नै	चैन्नै
	नियामक व्यवहार			
4	बेसल III नियमों का परिवर्तन काल	टियर II	टियर II	टियर II
5	बेसल III नियमों के परिवर्तन के बाद	अयोग्य	अयोग्य	अयोग्य
6	एकल / समूह / समूह @ एकल पर योग्य	एकल	एकल	एकल
7	लिखत का प्रकार	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी में मान्यता प्राप्त राशि (हाल ही की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार रुपए करोड़ों में)	0.00	58.00	400.00
9	लिखत का बराबर मूल्य	रु.10.00 लाख	रु. 10.00 लाख	रु.10.00 लाख
10	खाता वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता
11	जारी होने की मूल तिथि	22.08.2008	24.08.2009	31.12.2010
12	शाश्वत या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	परिपक्वता की मूल तिथि	22.08.2018	24.08.2019	31.12.2020
14	पर्यवेक्षी के अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता का निर्णय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
15	वैकल्पिक क़ोल तिथि, आकस्मिक कॉल तिथियां और रिडेम्प्शन राशि (रु. करोड़ों में)	निल, निल, 300	निल, निल, 290	शून्य , निल, 1000
16	आगामी कॉल तिथियां यदि लागू है तो	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन्स / लाभांश			
17	स्थिर या फ्लोटिंग लाभांश/ कूपन	स्थिर	स्थिर	स्थिर
18	कूपन दर और कोई भी संबंधित सूचकांक	कूपन रेट	कूपन रेट	कूपन रेट
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	नहीं	नहीं	नहीं
20	पूरी तरह से विवेकपूर्ण, आंशिक रूप से विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	रिडीम करने के लिए कदम उठाने या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
22	गैर-संचयी या संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर	परिवर्तनीय	गैर
24	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण ट्रिगर (ओं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, पूरी तरह से या आंशिक रूप से	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक रूपांतरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है, तो लिखत प्रकार को परिवर्तनीय निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है, तो लिखत के जारीकर्ता को निर्दिष्ट करें जो इसे परिवर्तित करता है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन सुविधा	नहीं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, आंशिक या पूर्ण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

Table DF - 13 : MAIN FEATURES OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS				
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments				
S. No.	**Particulars**	**Lower Tier II SERIES XII**	**Lower Tier II SERIES XIII**	**Lower Tier II SERIES XIV**
1	Issuer	PSU Bank	PSU Bank	PSU Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement	INE565A09165	INE565A09181	INE565A09215
3	Governing law(s) of the instrument	Chennai	Chennai	Chennai
	Regulatory treatment			
4	Transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II
5	Post-transitional Basel III rules	ineligible	ineligible	ineligible
6	Eligible at solo/group/group @ solo	Solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. In Crore, as of most recent reporting date)	0.00	58.00	400.00
9	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs
10	Account classification	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	22.08.2008	24.08.2009	31.12.2010
12	Perpetual or dated	dated	dated	dated
13	Original maturity date	22.08.2018	24.08.2019	31.12.2020
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not applicable	Not applicable	Not applicable
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. in Crore)	nil, nil, 300	nil, nil, 290	nil, nil, 1000
16	Subsequent call dates, if applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
	Coupons / dividends			
17	Fixed or floating divend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
19	Existence of a dividend stopper	No	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Not available	Not available	Not available
22	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	N/A	N/A	N/A
25	If convertible, fully or partially	N/A	N/A	N/A
26	If convertible, conversion rate	N/A	N/A	N/A
27	If convertible, mandatory or optional conversion	N/A	N/A	N/A
28	If convertible, specify instrument type convertible into	N/A	N/A	N/A
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N/A	N/A	N/A
30	Write-down feature	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	N/A	N/A	N/A
32	If write-down, full or partial	N/A	N/A	N/A

33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थाई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थाई अवलेखन, आलेख क्रियाविधि का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनता पदानुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत बाद लिखत प्रकार निर्दिष्ट करें)	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
36	गैर अनुपालन संक्रमण सुविधाओं	हाँ	हाँ	हाँ
37	यदि हां, तो गैर-अनुरूप विशेषताएं निर्दिष्ट करें	बेसल III नुकसान अव-शोषण नहीं	बेसल III नुकसान अव-शोषण नहीं	बेसल III नुकसान अवशोषण नहीं

तालिका डीएफ-13 : <u>नियमित कैपिटल लिखतों की मुख्य विशेषताएं</u>

नियामक पूंजीगत उपकरणों की मुख्य विशेषताओं के लिए प्रकटीकरण टेम्पलेट

क्रम सं	**विवरण**	**ऊपरी टियर II श्रृंखला II**	**ऊपरी टियर II श्रृंखला III**	**ऊपरी टियर II श्रृंखला IV**
1	जारीकर्ता	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (जैसे निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूए-सआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE565A09173	INE565A09199	INE565A09223
3	लिखत के शासकीय कानून	चैन्नै	चैन्नै	चैन्नै
	नियामक समाधान			
4	बेसल III नियमों का परिवर्तन काल	टियर II	टियर II	टियर II
5	बेसल III नियमों के परिवर्तन के बाद	टियर II	टियर II	टियर II
6	एकल / समूह / समूह @ एकल पर योग्य	एकल	एकल	एकल
7	लिखत का प्रकार	ऊपरी टियर II पूंजीगत लिखत	ऊपरी टियर II पूंजीगत लिखत	ऊपरी टियर II पूंजीगत लिखत
8	विनियामक पूंजी में मान्यता प्राप्त राशि (हाल ही की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार रुपए करोड़ों में)	262.12	204.00	386.80
9	लिखत का बराबर मूल्य	रु. 10.00 लाख	रु. 10.00 लाख	रु. 10.00 लाख
10	खाता वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता
11	जारी होने की मूल तिथि	17.09.2008	01.09.2009	10.01.2011
12	शाश्वत या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	परिपक्वता की मूल तिथि	17.09.2023	01.09.2024	10.01.2026
14	पर्यवेक्षी के अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता का निर्णय	हाँ	हाँ	हाँ
15	वैकल्पिक क़ोल तिथि, आकस्मिक कॉल तिथियां और रिडे-म्प्शन राशि (रु. करोड़ों में)	17.09.2018 शून्य 655.30	01.09.2019 शून्य 510	10.01.2021 शून्य 967
16	आगामी कॉल तिथियां यदि लागू है तो	नहीं	नहीं	नहीं
	कूपनस / लाभांश			
17	स्थिर या फ्लोटिंग लाभांश/ कूपन	स्थिर	स्थिर	स्थिर
18	कूपन दर और कोई भी संबंधित सूचकांक	कूपन रेट	कूपन रेट	कूपन रेट
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	नहीं	नहीं	नहीं
20	पूरी तरह से विवेकपूर्ण, आंशिक रूप से विवेकाधीन या अनि-वार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य

33	If write-down, permanent or temporary	N/A	N/A	N/A
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	N/A	N/A	N/A
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
36	Non-compliant transitioned features	YES	YES	YES
37	If yes, specify non-compliant features	No Basel III loss Absorption	No Basel III loss Absorption	No Basel III loss Absorption

Table DF - 13 : MAIN FEATURES OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

S. No.	Particulars	Upper Tier II SERIES II	Upper Tier II SERIES III	Upper Tier II SERIES IV
1	Issuer	PSU Bank	PSU Bank	PSU Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement	INE565A09173	INE565A09199	INE565A09223
3	Governing law(s) of the instrument	Chennai	Chennai	Chennai
	Regulatory treatment			
4	Transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II
6	Eligible at solo/group/group @ solo	Solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Upper Tier II capital instrument	Upper Tier II capital instrument	Upper Tier II capital instrument
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. In Crore, as of most recent reporting date)	262.12	204.00	386.80
9	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs
10	Account classification	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	17.09.2008	01.09.2009	10.01.2011
12	Perpetual or dated	dated	dated	dated
13	Original maturity date	17.09.2023	01.09.2024	10.01.2026
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (in Rs. Crore)	17.09.2018 nil 655.30	01.09.2019 nil 510	10.01.2021 nil 967
16	Subsequent call dates, if applicable	No	No	No
	Coupons / dividends			
17	Fixed or floating divend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
19	Existence of a dividend stopper	No	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory

क्रम सं	विवरण	ऊपरी टियर II	ऊपरी टियर II	ऊपरी टियर II
		श्रृंखला II	श्रृंखला III	श्रृंखला IV
21	रिडीम करने के लिए कदम उठाने या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	0.50% की वृद्धि	0.50% की वृद्धि	0.50% की वृद्धि
22	गैर-संचयी या संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर	परिवर्तनीय	गैर
24	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण ट्रिगर (ओं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, पूरी तरह से या आंशिक रूप से	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक रूपांतरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है, तो लिखत प्रकार को परिवर्तनीय निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है, तो लिखत के जारीकर्ता को निर्दिष्ट करें जो इसे परिवर्तित करता है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन सुविधा	नहीं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, आंशिक या पूर्ण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थाई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थाई अवलेखन, आलेख क्रियाविधि का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनता पदानुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत बाद लिखत प्रकार निर्दिष्ट करें)	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
36	गैर अनुपालन संक्रमण सुविधाओं	हाँ	हाँ	हाँ
37	यदि हां, तो गैर-अनुरूप विशेषताएं निर्दिष्ट करें	कूपन रेट में वृद्धि, बेसल III नुकसान अवशोषण नहीं	कूपन रेट में वृद्धि, बेसल III नुकसान अवशोषण नहीं	कूपन रेट में वृद्धि, बेसल III नुकसान अवशोषण नहीं

तालिका डीएफ -13 : नियमित कैपिटल लिखतों की मुख्य विशेषताएं

नियामक पूंजीगत उपकरणों की मुख्य विशेषताओं के लिए प्रकटीकरण टेम्पलेट

क्रम सं	**विवरण**	**सतत**
		बेसल II के अनुरूप
		श्रृंखला IV
1	जारीकर्ता	पीएसयू बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (जैसे निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE565A09207
3	लिखत के शासकीय कानून	चैन्नै
	नियामक समाधान	
4	बेसल III नियमों का परिवर्तन काल	अतिरिक्त टीयर I
5	बेसल III नियमों के परिवर्तन के बाद	अतिरिक्त टीयर I
6	एकल / समूह / समूह @ एकल पर योग्य	एकल
7	लिखत का प्रकार	सतत ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी में मान्यता प्राप्त राशि (हाल ही की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार रुपए करोड़ों में)	120.00
9	लिखत का बराबर मूल्य	रु.10.00 लाख

S. No.	Particulars	Upper Tier II	Upper Tier II	Upper Tier II
		SERIES II	SERIES III	SERIES IV
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Step-up 0.50%	Step-up 0.50%	Step-up 0.50%
22	Non-cumulative or cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	N/A	N/A	N/A
25	If convertible, fully or partially	N/A	N/A	N/A
26	If convertible, conversion rate	N/A	N/A	N/A
27	If convertible, mandatory or optional conversion	N/A	N/A	N/A
28	If convertible, specify instrument type convertible into	N/A	N/A	N/A
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N/A	N/A	N/A
30	Write-down feature	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	N/A	N/A	N/A
32	If write-down, full or partial	N/A	N/A	N/A
33	If write-down, permanent or temporary	N/A	N/A	N/A
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	N/A	N/A	N/A
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
36	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	Step-Up in coupon rate, No Basel III loss Absorbency	Step-Up in coupon rate, No Basel III loss Absorbency	Step-Up in coupon rate, No Basel III loss Absorbency

Table DF - 13 : MAIN FEATURES OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

S. No.	Particulars	**Perpetual Basel II Compliant SERIES IV**
1	Issuer	PSU Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement	INE565A09207
3	Governing law(s) of the instrument	Chennai
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier I
5	Post-transitional Basel III rules	Additional Tier I
6	Eligible at solo/group/group @ solo	Solo
7	Instrument type	Perpetual Debt Instrument
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. In Crore, as of most recent reporting date)	120.00
9	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs

10	खाता वर्गीकरण	देयता
11	जारी होने की मूल तिथि	29.09.2009
12	शाश्वत या दिनांकित	सतत
13	परिपक्वता की मूल तिथि	सतत
14	पर्यवेक्षी के अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता का निर्णय	हाँ
15	वैकल्पिक क़ोल तिथि, आकस्मिक कॉल तिथियां और रिडेम्प्शन राशि (रु. करोड़ों में)	29.9.2019 , nil, 300
16	आगामी कॉल तिथियां यदि लागू है तो	नहीं
	कूपनस / लाभांश	
17	स्थिर या फ्लोटिंग लाभांश/ कूपन	स्थाई
18	कूपन दर और कोई भी संबंधित सूचकांक	कूपन रेट
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	नहीं
20	पूरी तरह से विवेकपूर्ण, आंशिक रूप से विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य
21	रिडीम करने के लिए कदम उठाने या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	0.50 की वृद्धि
22	गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर-संचयी
24	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण ट्रिगर (ओं)	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, पूरी तरह से या आंशिक रूप से	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक रूपांतरण	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है, तो लिखत प्रकार को परिवर्तनीय निर्दिष्ट करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है, तो लिखत के जारीकर्ता को निर्दिष्ट करें जो इसे परिवर्तित करता है	लागू नहीं
30	अवलेखन सुविधा	नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, आंशिक या पूर्ण	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थाई	लागू नहीं
34	यदि अस्थाई अवलेखन, आलेख क्रियाविधि का विवरण	लागू नहीं

10	Account classification	Liability
11	Original date of issuance	29.09.2009
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	Perpetual
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. in Crore)	29.9.2019 , nil, 300
16	Subsequent call dates, if applicable	No
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating divined/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Coupon rate
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Step-up 0.50%
22	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	N/A
25	If convertible, fully or partially	N/A
26	If convertible, conversion rate	N/A
27	If convertible, mandatory or optional conversion	N/A
28	If convertible, specify instrument type convertible into	N/A
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N/A
30	Write-down feature	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	N/A
32	If write-down, full or partial	N/A
33	If write-down, permanent or temporary	N/A
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	N/A

क्रम सं	विवरण	सतत बेसल II के अनुरूप श्रृंखला IV
35	परिसमापन में अधीनता पदानुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत बाद लिखत प्रकार निर्दिष्ट करें)	इक्विटी शेयरधारकों के लिए सुपीरियर और अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ
36	गैर अनुपालन संक्रमण सुविधाओं	हाँ
37	यदि हां, तो गैर-अनुरूप विशेषताएं निर्दिष्ट करें	कूपन रेट में वृद्धि, बेसल III नुकसान अवशोषण नहीं

तालिका डीएफ -13 : नियमित कैपिटल लिखतों की मुख्य विशेषताएं		
नियामक पूंजीगत उपकरणों की मुख्य विशेषताओं के लिए प्रकटीकरण टेम्पलेट		
क्रम सं	**विवरण**	**सतत बेसल III के अनुरूप श्रृंखला I**
1	जारीकर्ता	पीएसयू बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (जैसे निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE565A09231
3	लिखत के शासकीय कानून	चैन्नै
	नियामक समाधान	
4	बेसल III नियमों का परिवर्तन काल	अतिरिक्त टीयर I
5	बेसल III नियमों के परिवर्तन के बाद	अतिरिक्त टीयर I
6	एकल / समूह / समूह @ एकल पर योग्य	एकल
7	लिखत का प्रकार	सतत ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी में मान्यता प्राप्त राशि (हाल ही की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार रुपए करोड़ों में)	1000.00
9	लिखत का बराबर मूल्य	रु.10.00 लाख
10	खाता वर्गीकरण	देयता
11	जारी होने की मूल तिथि	04.02.2015
12	शाश्वत या दिनांकित	सतत
13	परिपक्वता की मूल तिथि	सतत
14	पर्यवेक्षी के अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता का निर्णय	हाँ
15	वैकल्पिक क़ोल तिथि, आकस्मिक कॉल तिथियां और रिडेम्पशन राशि (रु. करोड़ों में)	4.2.2020, निल, 1000
16	आगामी कॉल तिथियां यदि लागू है तो	नहीं
	कूपनस / लाभांश	
17	डीएफ 14	स्थाई
18	कूपन दर और कोई भी संबंधित सूचकांक	कूपन रेट
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	नहीं
20	पूरी तरह से विवेकपूर्ण, आंशिक रूप से विवेकाधीन या अनिवार्य	पूर्णतः विवेकाधीन
21	रिडीम करने के लिए कदम उठाने या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उपलब्ध नहीं
22	गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनशील
24	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण ट्रिगर (ओं)	लागू नहीं

Sr. No.	Particulars	Perpetual Basel II Compliant SERIES IV
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Superior to equity shareholders and subordinate to claims of all other creditors
36	Non-compliant transitioned features	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	Step-Up in coupon rate, No Basel III loss Absorbency

Table DF - 13 : MAIN FEATURES OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS		
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments		
S. No.	**Particulars**	**Perpetual Basel III Compliant SERIES I**
1	Issuer	PSU Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement	INE565A09231
3	Governing law(s) of the instrument	Chennai
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier I
5	Post-transitional Basel III rules	Additional Tier I
6	Eligible at solo/group/group @ solo	Solo
7	Instrument type	Perpetual Debt Instrument
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. In Crore as of most recent reporting date)	1000.00
9	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs
10	Account classification	Liability
11	Original date of issuance	04.02.2015
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	Perpetual
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. In Crore)	4.2.2020, nil, 1000
16	Subsequent call dates, if applicable	No
	Coupons / dividends	
17	DF 14	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Coupon rate
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Not Available
22	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	N/A

क्रम सं	विवरण	सतत वेसल III के अनुरूप श्रृंखला I
25	यदि परिवर्तनीय, पूरी तरह से या आंशिक रूप से	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक रूपांतरण	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है, तो लिखत प्रकार को परिवर्तनीय निर्दिष्ट करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है, तो लिखत के जारीकर्ता को निर्दिष्ट करें जो इसे परिवर्तित करता है	लागू नहीं
30	अवलेखन सुविधा	उपलब्ध
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	सामान्य इक्विटी टायर 1 पूंजी अनुपात 5.5
32	यदि अवलेखन, आंशिक या पूर्ण	आंशिक रूप से या पूरी तरह से
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थाई	दोनों
34	यदि अस्थाई अवलेखन, आलेख क्रियाविधि का विवरण	बैंक अपने विवेकाधिकार पर, भविष्य में बॉन्ड को अपने मूल मूल्य पर लिख सकता है, जब यह दर्शाता है कि इसकी पूंजी स्थिति न्यूनतम पूंजी आवश्यकता-ओं और आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के मुकाबले अच्छी है।
35	परिसमापन में अधीनता पदानुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत बाद लिखत प्रकार निर्दिष्ट करें)	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
36	गैर अनुपालन संक्रमण सुविधाओं	नहीं
37	यदि हां, तो गैर-अनुरूप विशेषताएं निर्दिष्ट करें	लागू नहीं

तालिका डीएफ-13 : <u>नियमित कैपिटल लिखतों की मुख्य विशेषताएं</u>		
नियामक पूंजीगत उपकरणों की मुख्य विशेषताओं के लिए प्रकटीकरण टेम्पलेट		
क्रम सं	**विवरण**	**सतत बेसल III टीयर II श्रृंखला I**
1	जारीकर्ता	पीएसयू बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (जैसे निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE565A09256
3	लिखत के शासकीय कानून	चैन्नै
	नियामक समाधान	
4	बेसल III नियमों का परिवर्तन काल	टीयर II
5	बेसल III नियमों के परिवर्तन के बाद	अपात्र
6	एकल / समूह / समूह @ एकल पर योग्य	एकल

S. No.	Particulars	Perpetual Basel III Compliant SERIES I
25	If convertible, fully or partially	N/A
26	If convertible, conversion rate	N/A
27	If convertible, mandatory or optional conversion	N/A
28	If convertible, specify instrument type convertible into	N/A
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N/A
30	Write-down feature	Available
31	If write-down, write-down trigger(s)	Common Equity Tier1 capital ratio 5.5
32	If write-down, full or partial	partially or fully
33	If write-down, permanent or temporary	Both
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Bank solely at its discretion, may write up the bonds to its original value in future, when it demonstrates that its capital position is well above the minimum capital requirements and with the prior approval of RBI
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
36	Non-compliant transitional features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not applicable

Table DF - 13 : MAIN FEATURES OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

S. No.	Particulars	Perpetual Basel III Tier II SERIES I
1	Issuer	PSU Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement	INE565A09256
3	Governing law(s) of the instrument	Chennai
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier II
5	Post-transitional Basel III rules	ineligible
6	Eligible at solo/group/group @ solo	Solo

क्रम सं	विवरण	सतत बेसल III टीयर II श्रृंखला I
7	लिखत का प्रकार	Tier II debt instruments
8	विनियामक पूंजी में मान्यता प्राप्त राशि (हाल ही की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार रुपए करोड़ों में)	800.00
9	लिखत का बराबर मूल्य	रु.10.00 लाख
10	खाता वर्गीकरण	देयता
11	जारी होने की मूल तिथि	03.11.2016
12	शाश्वत या दिनांकित	दिनांकित
13	परिपक्वता की मूल तिथि	03.11.2026
14	पर्यवेक्षी के अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता का निर्णय	हाँ
15	वैकल्पिक क़ोल तिथि, आकस्मिक कॉल तिथियां और रिडेम्प्शन राशि (रु. करोड़ों में)	शून्य, शून्य, 800
16	आगामी कॉल तिथियां यदि लागू है तो	लागू नहीं
	कूपनस / लाभांश	स्थाई
17	स्थिर या फ्लोटिंग लाभांश/ कूपन	कूपन रेट
18	कूपन दर और कोई भी संबंधित सूचकांक	नहीं
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	अनिवार्य
20	पूरी तरह से विवेकपूर्ण, आंशिक रूप से विवेकाधीन या अनिवार्य	उपलब्ध नहीं
21	रिडीम करने के लिए कदम उठाने या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	गैर संचयी
22	गैर-संचयी या संचयी	गैर-परिवर्तनीय
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	लागू नहीं
24	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण ट्रिगर (ओं)	स्थाई
25	यदि परिवर्तनीय, पूरी तरह से या आंशिक रूप से	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक रूपांतरण	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है, तो लिखत प्रकार को परिवर्तनीय निर्दिष्ट करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है, तो लिखत के जारीकर्ता को निर्दिष्ट करें जो इसे परिवर्तित करता है	लागू नहीं
30	अवलेखन सुविधा	हाँ
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	आरबीआई द्वारा पीओएनवी के तहत घोषणा पर
32	यदि अवलेखन, आंशिक या पूर्ण	आंशिक/ पूर्ण
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थाई	स्थाई
34	यदि अस्थाई अवलेखन, आलेख क्रियाविधि का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनता पदानुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत बाद लिखत प्रकार निर्दिष्ट करें)	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
36	गैर अनुपालन संक्रमण सुविधाओं	नहीं
37	यदि हां, तो गैर-अनुरूप विशेषताएं निर्दिष्ट करें	लागू नहीं

तालिका डीएफ -14 : <u>नियमित कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स की नियम और शर्तें</u>

नियामक पूंजीगत उपकरणों की मुख्य विशेषताओं के लिए प्रकटीकरण टेम्पलेट

क्रम सं	विवरण	लोअर टियर II	लोअर टियर II	लोअर टियर II
		श्रृंखला XII	श्रृंखला XIII	श्रृंखला XIV
1	विशिष्ट पहचानकर्ता (जैसे निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE565A09165	INE565A09181	INE565A09215

S. No.	Particulars	Perpetual Basel III Tier II SERIES I
7	Instrument type	Tier II debt instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. In Crore as of most recent reporting date)	800.00
9	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs
10	Account classification	Liability
11	Original date of issuance	03.11.2016
12	Perpetual or dated	dated
13	Original maturity date	03.11.2026
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. In Crore)	nil, nil, 800
16	Subsequent call dates, if applicable	Not applicable
	Coupons / dividends	Fixed
17	Fixed or floating divend/coupon	Coupon rate
18	Coupon rate and any related index	No
19	Existence of a dividend stopper	Mandatory
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Not available
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Non-cumulative
22	Non-cumulative or cumulative	Non-convertible
23	Convertible or non-convertible	N/A
24	If convertible, conversion trigger(s)	Fixed
25	If convertible, fully or partially	N/A
26	If convertible, conversion rate	N/A
27	If convertible, mandatory or optional conversion	N/A
28	If convertible, specify instrument type convertible into	N/A
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N/A
30	Write-down feature	yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	Upon declaration under PONV by RBI
32	If write-down, full or partial	partial/full
33	If write-down, permanent or temporary	permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	N/A
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
36	Non-compliant transitional features	No
37	If yes, specify non-compliant features	NA

Table DF - 14 : TERMS AND CONDITIONS OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

S. No.	Particulars	Lower Tier II	Lower Tier II	Lower Tier II
		SERIES XII	SERIES XIII	SERIES XIV
1	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement	INE565A09165	INE565A09181	INE565A09215

2	लिखत का प्रकार	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत
3	लिखत के बराबर मूल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख
4	जारीकर्ता कॉल पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	वैकल्पिक कॉल तिथि, आकस्मिक कॉल तिथियां और रिडेम्प्शन राशि (रुपये करोड़ में)	शून्य, शून्य, 300	शून्य, शून्य, 290	शून्य, शून्य, 1000
6	यदि लागू है तो बाद की तिथि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	फिक्स्ड या फ्लोटिंग लाभांश / कूपन	स्थिर	स्थिर	स्थिर
8	कूपन दर और किसी भी संबंधित सूचकांक	कूपन रेट	कूपन रेट	कूपन रेट
9	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	नहीं	नहीं	नहीं
10	पूरी तरह से विवेकपूर्ण, आंशिक रूप से विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
11	रिडीम करने के लिए कदम उठाने या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
12	गैर-संचयी या संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी
13	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर	परिवर्तनीय	गैर
14	परिसमापन में अधीनता पदानुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत बाद लिखत प्रकार निर्दिष्ट करें)	अन्य सभी लेनदारों और जमा-कर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	अन्य सभी लेनदारों और जमाक-र्ताओं के दावों के अधीनस्थ
15	गैर अनुपालन संक्रमण सुविधाओं	हाँ	हाँ	हाँ
16	यदि हां, तो गैर-अनुरूप विशेषताएं निर्दिष्ट करें	बेसल III नुकसान अवशोषण नहीं	बेसल III नुकसान अव-शोषण नहीं	बेसल III नुकसान अवशोषण नहीं

तालिका डीएफ 14: विनियामक पूंजी लिखतों के लिए नियम व शर्ते

विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों का प्रकटीकरण टेंपलेट

क्रम सं	विवरण	उच्च टियर II	उच्च टियर II	उच्च टियर II
		श्रृंखला II	श्रृंखला III	श्रृंखला IV
1	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अंथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565ए09173	आइएनई565ए09199	आइएनई565ए09223
2	लिखत प्रकार	उच्च टियर II पूंजी लिखत	उच्च टियर II पूंजी लिखत	उच्च टियर II पूंजी लिखत
3	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रू10 लाख	रू10 लाख	रू10 लाख
4	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	हां	हां	हां
5	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रू. करोड़ में)	17.09.2018 शून्य 655.30	01.09.2019 शून्य 510	10.01.2021 शून्य 967
6	अनुवर्ती माँग तिथियाँ, यदि लागू हो	नहीं	नहीं	नहीं
7	फिक्स्ड या फ्लोटिंग लाभांश / कूपन	निश्चित	निश्चित	निश्चित
8	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर
9	लाभांश अवरोधक की मौजूदगी	नहीं	नहीं	नहीं
10	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
11	क्षतिपूर्ति करने के लिए लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	स्टेप-अप	स्टेप-अप	स्टेप-अप

2	Instrument type	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments
3	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs
4	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not applicable	Not applicable	Not applicable
5	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. in Crore)	nil, nil, 300	nil, nil, 290	nil, nil, 1000
6	Subsequent call dates, if applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
7	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
8	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
9	Existence of a dividend stopper	No	No	No
10	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
11	Existence of step up or other incentive to redeem	Not available	Not Available	Not available
12	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
13	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
14	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
15	Non-compliant transitioned features	YES	YES	YES
16	If yes, specify non-compliant features	No Basel III loss Absorption	No Basel III loss Absorption	No Basel III loss Absorption

Table DF - 14 : TERMS AND CONDITIONS OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS				
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments				
S. No.	**Particulars**	**Upper Tier II**	**Upper Tier II**	**Upper Tier II**
		SERIES II	**SERIES III**	**SERIES IV**
1	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement	INE565A09173	INE565A09199	INE565A09223
2	Instrument type	Upper Tier II capital instrument	Upper Tier II capital instrument	Upper Tier II capital instrument
3	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs
4	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes
5	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (in Rs. Crore)	17.09.2018 nil 655.30	01.09.2019 nil 510	10.01.2021 nil 967
6	Subsequent call dates, if applicable	No	No	No
7	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
8	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
9	Existence of a dividend stopper	No	No	No
10	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
11	Existence of step up or other incentive to redeem	Step-up	Step-up	Step-up

12	गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
13	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	गैर-संपरिवर्तनीय	गैर-संपरिवर्तनीय	गैर-संपरिवर्तनीय
14	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
15	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	हाँ	हाँ	हाँ
16	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	कूपन दर मे वृद्धि , बासल III का अवशोषण नहीं	कूपन दर मे वृद्धि, बासल III का अवशोषण नहीं	कूपन दर मे वृद्धि, बासल III का अवशोषण नहीं

तालिका डीएफ 14: विनियामक पूंजी लिखतों के लिए नियम व शर्ते

विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों का प्रकटीकरण टेंपलेट

क्र. सं.	**विवरण**	**बेमियादी** **बेसल II अनुपालन** **श्रृंखला IV**
1	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	आइएनई 565ए09207
2	लिखत प्रकार	सतत ऋण लिखत
3	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रू10 लाख
4	सतत या दिनांकित	बेमियादी
5	वास्तविक परिपक्वता तिथि	बेमियादी
6	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	हाँ
7	वैकल्पिक मांग तिथि,संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रू.करोड़ में(	शून्य, शून्य, 300
8	निश्चित या चल लाभांश/कूपन	निश्चित
9	लाभांश अवरोधक की मौजूदगी	नहीं
10	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य	अनिवार्य
11	क्षतिपूर्ति करने के लिए लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	स्टेप-अप
12	गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी
13	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	गैर-संपरिवर्तनीय
14	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	ईक्विटी शेयरधारकों से बेहतर और सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
15	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	हाँ
16	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	कूपन दर में वृद्धि, बासल III का अवशोषण नहीं

तालिका डीएफ 14: विनियामक पूंजी लिखतों के लिए नियम व शर्ते

विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों का प्रकटीकरण टेंपलेट

क्र. सं.	**विवरण**	**बेमियादी** **बेसल III अनुपालन** **श्रृंखला I**
1	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप्, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई 565ए09231
2	लिखत प्रकार	सतत ऋण लिखत

12	Non-cumulative or cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative
13	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
14	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
15	Non-compliant transitioned features	yes	yes	yes
16	If yes, specify non-compliant features	Step-Up in coupon rate, No Basel III loss absorbency	Step-Up in coupon rate, No Basel III loss absorbency	Step-Up in coupon rate, No Basel III loss absorbency

Table DF - 14 : TERMS AND CONDITIONS OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS		
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments		
S. No.	**Particulars**	**Perpetual**
		Basel II Compliant
		SERIES IV
1	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement	INE565A09207
2	Instrument type	Perpetual Debt Instrument
3	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs
4	Perpetual or dated	Perpetual
5	Original maturity date	Perpetual
6	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
7	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. in Crore)	nil, nil, 300
8	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
9	Existence of a dividend stopper	No
10	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
11	Existence of step up or other incentive to redeem	Step-up
12	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative
13	Convertible or non-convertible	Non-convertible
14	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Superior to equity shareholders and subordinate to claims of all other creditors
15	Non-compliant transitioned features	Yes
16	If yes, specify non-compliant features	Step-Up in coupon rate, No Basel III loss absorbency

Table DF - 14 : TERMS AND CONDITIONS OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS		
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments		
S. No.	**Particulars**	**Perpetual**
		Basel III Compliant
		SERIES I
1	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement	INE565A09231
2	Instrument type	Perpetual Debt Instrument

3	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रू. 10 लाख
4	सतत या दिनांकित	सतत
5	वास्तविक परिपक्वता तिथि	सतत
6	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	हाँ
7	वैकल्पिक माँग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रू. करोड़ में)	शून्य, शून्य, 1000
8	निश्चित या चल लाभांश/कूपन	निश्चित
9	लाभांश अवरोधक की मौजूदगी	नहीं
10	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य	पूर्ण विवेकाधिकार
11	क्षतिपूर्ति करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उपलब्ध नहीं
12	गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी
13	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	गैर-संपरिवर्तनीय
14	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
15	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं
16	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं

तालिका डीएफ 14: विनियामक पूंजी लिखतों के लिए नियम व शर्ते

विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों का प्रकटीकरण टेंपलेट

क्र. सं.	विवरण	बेमियादी बेसल III अनुपालन टियर II श्रृंखला I
1	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई 565ए09256
2	लिखत प्रकार	ऋण लिखत
3	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रू. 10 लाख
4	सतत या दिनांकित	दिनांकित
5	वास्तविक परिपक्वता तिथि	03.11.2026
6	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	हाँ
7	वैकल्पिक माँग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रू.करोड़ में)	शून्य, शून्य, 800
8	निश्चित या चल लाभांश/कूपन	निश्चित
9	लाभांश अवरोधक की मौजूदगी	नहीं
10	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य	पूर्ण विवेकाधिकार
11	क्षतिपूर्ति करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उपलब्ध नहीं
12	गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी
13	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	गैर-संपरिवर्तनीय
14	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
15	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं
16	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं

3	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs
4	Perpetual or dated	Perpetual
5	Original maturity date	Perpetual
6	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
7	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. in Crore)	nil, nil, 1000
8	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
9	Existence of a dividend stopper	No
10	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Full Discretionary
11	Existence of step up or other incentive to redeem	Not available
12	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative
13	Convertible or non-convertible	Non-convertible
14	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
15	Non-compliant transitioned features	No
16	If yes, specify non-compliant features	Not applicable

Table DF - 14 : TERMS AND CONDITIONS OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

Sr. No.	Particulars	Perpetual
		Basel III Compliant Tier II
		SERIES I
1	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement	INE565A09256
2	Instrument type	Debt Instrument
3	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs
4	Perpetual or dated	Dated
5	Original maturity date	03.11.2026
6	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
7	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. in Crore)	nil, nil, 800
8	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
9	Existence of a dividend stopper	No
10	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Full Discretionary
11	Existence of step up or other incentive to redeem	Not available
12	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative
13	Convertible or non-convertible	Non-convertible
14	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
15	Non-compliant transitioned features	No
16	If yes, specify non-compliant features	Not applicable

टेबल डीएफ16-	
<u>इक्विटी - बैंकिंग बही स्थिति के लिए प्रकटीकरण</u>	
गुणात्मक प्रकटीकरण	
1	विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक का इक्विटी पोर्टफोलियो का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है : <u>बिक्री के लिए उपलब्ध और ट्रेडिंग प्रवर्ग के लिए धारित इक्विटी शेयरों के लिए</u> ➢ सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन अंतिम बाज़ार दरों पर किया जाता है अर्थात बाज़ार को मार्क किए हुए ➢ असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन उपलब्ध अंतिम तुलन पत्र से प्राप्त बही मूल्यों के आधार पर किया जाता है। यदि तुलन-पत्र उपलब्ध नहीं है तो उसे प्रति कंपनी 1 पर मूल्यांकित किया जाता है। <u>परिपक्वता प्रवर्ग तक धारित इक्विटी शेयरों के लिए</u> ➢ परिपक्वता प्रवर्ग तक धारित इक्विटी शेयरों के लिए मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

प्रमाणात्मक प्रकटीकरण

(रू.करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
1	निवेशों के तुलन पत्र मे प्रकटित मूल्य के साथ-साथ उन निवेशों का उचित मूल्य ; कोट किए हुए प्रतिभूतियों के लिए सार्वजनिक रूप से कोट किए हुए शेयरों की तुलना जहाँ शेयर कीमत उचित मूल्य से भिन्न है।	468.89*
2	निम्नानुसार वगीकृत की जा सकने वाली राशि के साथ निवेशों के प्रकार व स्वरूप : सार्वजनिक रूप से ट्रेड होनेवाले निजी रूप से धारित	1469.58 778.54
3	रिपोर्टिंग अंवधि में समापन व व्बिकि से प्राप्त संचयित लाभ (हानि) (01.04.2017 से 31.03.2018)	7.20
4	न उगाहे गए कुल लाभ (हानि)	0.00
5	कुल निहित पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानि)	0.00
6	टियर I व / या टियर 2 पूंजी में सम्मिलित उपर्युक्त कोई भी राशि	0.00
7	विनियामक पूंजीगत अपेक्षाओं के संबंध में प्रावधानों के पर्यवेक्षी संकमण की शर्त पर इक्विटी निवेशों के प्रकार व सकल राशि के साथ-साथ बैंक की पद्धतियों के अनुसार इक्विटी समूहन द्वारा काटी गयी पूंजीगत अपेक्षाएं	0.00

* का तात्पर्य सभी सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के अंतिम बाज़ार मूल्य से है।

डीएफ तालकि 17

लेखांकन आस्तियां तथा लिवरेज अंनुपात एक्सपोज़र उपायों का तुलनात्मक सारांश

(रू.करोड़ में)

क्र.सं.	मदें	राशि
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	244442
2	बैंकिंग में निवेश हेतु समायोजन, वित्तीय, बीमा अथवा कारोबारी इकाइयां जो कि लेखांकन उद्देश्य से समेकित की गई हैं किंतु नियामक समेकन के विस्तार के बाहर हैं	289
3	परिचालित लेखांकन फ्रेमवर्क के आधार पर किंतु लिवरेज अनुपात मानक से बाहर तुलनपत्र पर पहचानी गई प्रत्ययी आस्तियों के लिए समायोजन	0
4	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	1137
5	प्रतिभूतित वित्तीय लेनदेनों के लिए समायोजन (जैसे कि रेपो एवं समान सुरक्षित उधार)	12800

Table DF - 16

EQUITIES – DISCLOSURE FOR BANKING BOOK POSITIONS

Qualitative Disclosure

1	As per regulatory guidelines, the Equity portfolio of Bank is valued as under: For Equity Shares held in Available For Sale and Held For Trading category ➢ Listed Equity Shares are valued at latest Market Rates i.e. Marked to Market. ➢ Unlisted Equity Shares are valued at Book value ascertained from the latest available balance-sheets. If the balance-sheet is not available, then the same are valued at Re.1/- per company. For Equity Shares held in Held till Maturity category ➢ Equity shares held in Held till Maturity category are valued at cost.

Quantitative disclosure:

(Rs. in crore)

Sr. No.	Particulars	Amount
1	Value disclosed in the balance sheet of investments, as well as the fair value of those investments; for quoted securities, a comparison to publicly quoted share values where the share price is materially different from fair value	468.89*
2	The types and nature of investments, including the amount that can be classified as: • Publicly traded • Privately held	 1469.58 778.54
3	The cumulative realised gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period (01.04.2017 to 31.03.2018)	7.20
4	Total unrealised gains (losses)	0.00
5	Total latent revaluation gains (losses)	0.00
6	Any amounts of the above included in Tier 1 and/or Tier 2 capital	0.00
7	Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the bank's methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements	0.00

* Indicates the latest market value of all the quoted equity shares.

Table DF - 17

SUMMARY COMPARISON OF ACCOUNTING ASSETS VS. LEVERAGE RATIO EXPOSURE MEASURE

(Rs. in crore)

Sr. No.	Item	Amount
1	Total consolidated assets as per published financial statements	244442
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	289
3	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	0
4	Adjustments for derivative financial instruments	1137
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	12800

6	तुलनपत्र से परे की मदों के लिए समायोजन (तुलनपत्र एक्सपोजर से परे समतुल्य क्रेडिट राशियों में परिवर्तन)	15557
7	अन्य समायोजन	23225
8	**लिवरेज अनुपात एक्सपोजर**	250422

डीएफ तालिका 18

लेवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट

(रू.करोड़ में)

क्र. सं.	मदें	लिवरेज अनुपात फ्रेम वर्क
1	तुलनपत्र की मदें (डेरीवेटिव एवं एसएफटी को छोड़कर किंतु संपार्श्विकों सहित)	244442
2	(बेसल III टायर 1 पूंजी निर्धारित करने में कटौती की गई आस्ति राशियां)	23514
3	तुलनपत्र में कुल एक्सपोज़र (डेरीवेटिव एवं एसएफटी को छोड़कर) (1 एवं 2 पंक्तियों का योग)	**220928**
	डेरीवेटिव एक्सपोज़र	
4	सभी डेरीवेटिव लेनदेनों के साथ संबद्ध प्रतिस्थापना मूल्य (जैसे कि पात्र नकदी भिन्नता मार्जिन का निवल)	214
5	सभी व्युत्पन्न लेनदेनों के साथ पीएफई संबद्ध हेतु अतिरिक्त राशियां	923
6	जहां परिचालित लेखांकन फ्रेमवर्क के आधार पर तुलन पत्र आस्तियों से कटौतियां की गई हैं वहां डेरीवेटिव संपार्श्विक के लिए ग्रॉस	---
7	(डेरीवेटिव लेनदेनों में प्रदत्त नकदी विचलन मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों की कटौतियां)	---
8	(ग्राहक-निपटान कारोबार एक्सपोज़र से सीसीपी लेग की छूट)	---
9	लिखे हुए क्रेडिट डेरीवेटिव के लिए अनुमानित राशि का प्रभावी समायोजन	---
10	(बेसल III टायर 1 पूंजी निर्धारित करने में कटौती की गई आस्ति राशियां)	---
11	**कुल डेरीवेटिव एक्सपोज़र 4) से 10 पंक्तियों का योग)**	**1137**
	प्रतिभूति वित्तीय लेनदेन एक्सपोज़र	
12	(बिक्री खाता लेनदेनों के लिए समायोजित करने के बाद सकल एसएफटी आस्तियां नेटिंग की कोई मान्यता नहीं है)	---
13	(सकल एसएफटी आस्तियो की नकद प्राप्तियों तथा नकद देयताओं की निवल राशि)	---
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोज़र	12800
15	एजेंट लेन-देन एक्सपोज़र	---
16	**कुल प्रतिभूतित वित्तीय लेनदेन एक्सपोज़र (12 से 15 पंक्तियों का योग)**	**12800**
	तुलनपत्र से परे अन्य मदें	
17	सकल अनुमानित राशि पर तुलनपत्र से परे एक्सपोज़र	25928
18	(क्रेडिट समतुल्य राशियों के परिवर्तन के लिए समायोजन)	10371
19	तुलनपत्र से परे मदें (17 तथा 18 पंक्तियों का योग)	**15557**
	पूंजी एवं कुल एक्सपोज़र	
20	टियर 1 पूंजी	**9666**
21	**कुल एक्सपोजर (3,11,16 तथा 19 पंक्तियों का योग)**	**250422**
	लिवरेज अनुपात	
22	**बेसल III लिवरेज अनुपात**	**3.86%**

6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off-balance sheet exposures)	15557
7	Other adjustments	23225
8	**Leverage ratio exposure**	250422

Table DF - 18

LEVERAGE RATIO COMMON DISCLOSURE TEMPLATE

(Rs. in crore)

Sr. No.	Item	Leverage ratio framework
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	244442
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	23514
3	**Total on-balance sheet exposures** (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	**220928**
	Derivative exposures	
4	Replacement cost associated with all *derivatives* transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	214
5	Add-on amounts for PFE associated with *all* derivatives transactions	923
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	--
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	--
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	--
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	--
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	--
11	**Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)**	**1137**
	Securities financing transaction exposures	
12	Gross SFT *assets* (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	--
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	--
14	CCR exposure for SFT assets	12800
15	Agent transaction exposures	--
16	**Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)**	**12800**
	Other off-balance sheet exposures	
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	25928
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	10371
19	**Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)**	**15557**
	Capital and total exposures	
20	**Tier 1 capital**	**9666**
21	**Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)**	**250422**
	Leverage ratio	
22	**Basel III leverage ratio**	**3.86%**

व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट – 2017-18

सेक्शन अ : कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी

1.कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या कंपनी का (सीआईएन)	लागू नहीं
2.कंपनी का नाम	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
3.रजिस्टर्ड पता	763 अण्णा साले, चेन्नई 600 002
4. वेबसाइट	www.iob.in
5.ईमेल	investor@iobnet.co.in
6.वित्तीय वर्ष रिपोर्ट	2017-18
7. कंपनी जिस क्षेत्र से संबन्धित है (औद्योगिक गतिविधि कोडवार)	बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएँ
8.तीन उत्पादों/ सेवाओं की सूची जो की उत्पादकों द्वारा प्रदान की गई हो (जैसा तुलन पत्र में)	a) खुदरा बैंकिंग b) कॉर्पोरेट बैंकिंग c) अंतराष्ट्रीय बैंकिंग
9.कंपनी द्वारा व्यावसायिक कार्यकलाप करने के कुल स्थानों की संख्या I. राष्ट्रीय। II. अंतरराष्ट्रीय 10. कंपनी द्वारा सर्विस दिए जाने वाले बाजार स्थानीय /राज्य /राष्ट्रीय /अंतराष्ट्रीय	31.03.2018 को 3,332 शाखाएँ 11 (सिंगापुर, सियोल, श्रीलंका, हाँगकाँग, बैंकॉक, दुबई) बैंक की 27 राज्यों में और 6 संघ राज्य क्षेत्र में शाखाएँ हैं और सिंगापुर, सिऔल, श्रीलंका, हाँगकाँग, बैंकॉक, दुबई में अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति है।

सेक्शन बी : वित्तीय विवरण और कंपनी

1) प्रदत्त पूंजी (रु.)	**रु.** 4890.77 **करोड़**
2) कुल व्यवसाय (रुपये) / राजस्व	**लागू नहीं**
3) टैक्स के बाद कुल लाभ (रुपये)	**हानि रु. ________करोड़**
4) कर के बाद लाभ के प्रतिशत के रूप में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर कुल व्यय	नुकसान के कारण सीएसआर के तहत कोई खर्च नहीं **(रु. लाखों में)**
5) उन गतिविधियों की सूची जिसमें उपरोक्त 4 पर व्यय किया गया है।	**लागू नहीं**

(रु. लाखों में)

क्रमांक	सीएसआर कार्य-कलाप	**विवरण**	**राशि**
	लागू नहीं	**लागू नहीं**	**शून्य**

सेक्शन सी : अन्य विवरण

1. क्या कंपनी की सहायक कंपनी/ कंपनियां है	नहीं
2. क्या सहायक कंपनियां कार्यान्वियन है: मूल कंपनी की बीआर पहलों यदि हां, तो ऐसी सहायक कंपनियों की संख्या इंगित करें।	लागू नहीं
3. कोई अन्य इकाई / संस्थाएं (उदा. आपूर्तिकर्ताओं, वितरकों आदि) की कंपनी कंपनी के बीआर पहल में भाग लेने के साथ व्यापार करती है? यदि हां, तो ऐसी इकाई / संस्थाओं का प्रतिशत इंगित करें? (30% से कम, 30% -60%, 60% से अधिक)	नहीं

Business Responsibility Report – 2017-18

Section A: General Information about the Company

1.Corporate Identity Number: (CIN) of the Company	Not Applicable
2.Name of the Company	INDIAN OVERSEAS BANK
3.Registered Address	763 ANNA SALAI, CHENNAI 600 002
4.Website	www.iob.in
5.Email	investor@iobnet.co.in
6.Financial Year Reported	2017-18
7. Sectors that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	Banking & Financial Services
8.List of 3 key products/services that the manufacturers provides (as in Balance Sheet)	a) Retail Banking b) Corporate Banking c) International Banking
9. Total number of locations where: business activity is undertaken by the Company No. of Locations I. National II. International 10. Markets served by the Company-Local/State/National/International	 3,332 branches as on 31.03.2018 11 (Singapore, Seoul, Sri Lanka, Hongkong, Bangkok, Dubai) Bank has branches in 27 States and 6 Union Territories and International presence in Singapore, Seoul, Hongkong, Sri Lanka, Bangkok and Dubai.

Section B: Financial Details of the Company

1) Paid up Capital (INR) 2) Total Turn Over (INR) / Revenue 3) Total profit After Tax(INR) 4) Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of Profit after Tax (%)	Rs. 4890.77 crore Not applicable Loss: Rs 6299 crores No spending under CSR due to loss (Rs.in Lakhs)
5) List of the activities in which expenditure on 4 above has been incurred	Not Applicable

(Rs.in Lakhs)

Sl. No.	CSR activity	Particulars	Amount
	NA	NA	NIL

Section C: Other Details

1. Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies	No
2. Do the subsidiaries implement : BR initiatives of the parent company If YES, then indicate the number of such subsidiaries.	Not applicable
3. Do any other entity/ entities (e.g., suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/ entities? (Less than 30%, 30%-60%, more than 60%)	No

धारा डी: बीआर सूचना

1. बीआर के लिए जिम्मेदार निदेशक / निदेशकों का विवरण

ए. बीआर नीति / नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक / निदेशकों का विवरण

डीआईएन संख्या	लागू नहीं
नाम	के स्वामीनाथन
पदनाम	कार्यपालक निदेशक

बीआर हेड का विवरण - नीचे दिया गया है :

क्रमांक	विवरण	विवरण
1	डीआईएनी संख्या (यदि लागू हो)	**लागू नहीं**
2	नाम	**सी हरिदास**
3	पदनाम	**महाप्रबंधक एवं सीएफ़ओ**
4	टेलीफोन संख्या	044-28519509
5	ईमेल आई डी	investor@iobnet.co.in / charidas@iobnet.co.in

2. सिद्धांतवार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति / नीतियां (हां / नहीं में जवाब) (जांचने के लिए)

क्रमांक	प्रश्न	व्यावसायिक नैतिकता	उत्पाद ज़िम्मे-दारी	कर्मचारी का कल्याण	स्टेकहोल्डर अनुबंध	मानवाधिकार	पर्यावरण	सार्वजनिक नीति	समावेशी विकास	ग्राहक संबंध
1	1 क्या आपके पास सिद्धांतों के लिए नीति / नीतियां हैं	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	हां
2	क्या संबंधित हितधारकों के परामर्श से नीति तैयार की जा रही है?	हां	हां	हां	हां	लागू नहीं	हां	लागू नहीं	हां	हां
3	क्या नीति किसी भी राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मानकों की पुष्टि करती है? यदि हां, निर्दिष्ट करें? * (50 शब्द)	हां	हां	हां	हां	लागू नहीं	हां	लागू नहीं	हां	हां
4	क्या बोर्ड द्वारा नीति को मंजूरी दे दी गई है? यदि हां, तो क्या यह एमडी / मालिक / सीईओ / उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है	हां	हां	हां	हां	लागू नहीं	हां	लागू नहीं	हां	हां
5	क्या कंपनी के पास नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए बोर्ड / निदेशक / आधिकारिक की एक निर्दिष्ट समिति है?	हां	हां	हां	हां	लागू नहीं	हां	लागू नहीं	हां	हां
6	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक को इंगित करें?	हां	हां	हां	हां	लागू नहीं	हां	लागू नहीं	हां	हां
7	क्या नीति को औपचारिक रूप से सभी संबन्धित आंतरिक और बाहरी हितधारकों को सूचित किया गया है?	हां	हां	हां	हां	लागू नहीं	हां	लागू नहीं	हां	हां
8	क्या कंपनी के पास नीति / नीतियों को लागू करने के लिए आंतरिक संरचना है?	हां	हां	हां	हां	लागू नहीं	हां	लागू नहीं	हां	हां
9	क्या कंपनी के पास हितधारकों की नीति / नीतियों से संबंधित शिकायतों के निपटान हेतु शिकायत निवारण तंत्र है ?	हां	हां	हां	हां	लागू नहीं	हां	लागू नहीं	हां	हां

Section D: BR Information

1. Details of Director/ Directors responsible for BR

a. Details of the Director/ Directors responsible for implementation of the BR policy/ policies

DIN Number	NA
Name	K Swaminathan
Designation	Executive Director

b. Details of the BR head – as below

S. No	Particulars	Details
1	DIN No (if applicable)	NA
2	Name	C Haridas
3	Designation	General Manager & CFO
4	Telephone no.	044-28519509
5	e-mail id	investor@iobnet.co.in / charidas@iobnet.co.in

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy / Policies (Reply in Y / N)(to check)

Sl No	Questions	Business Ethics	Product Responsibility	Well being of Employees	Stakeholder Engagement	Human Rights	Environment	Public Policy	Inclusive growth	Customer relations
1	Do you have a policy/ policies for principles	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	Y	Y
2	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	NA	Y	NA	Y	Y
3	Does the policy confirm to any national/ international standards? If yes, specify? *(50 words)	Y	Y	Y	Y	NA	Y	NA	Y	Y
4	Has the policy been approved by the Board? If yes, has it been signed by MD/ Owner/ CEO/ appropriate Board Director	Y	Y	Y	Y	NA	Y	NA	Y	Y
5	Does the company have a specified committee of the Board/ Director/ Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	NA	Y	NA	Y	Y
6	Indicate the link for the policy to be viewed online?	Y	Y	Y	Y	NA	Y	NA	Y	Y
7	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	NA	Y	NA	Y	Y
8	Does the company have in-house structure to implement the policy/ policies?	Y	Y	Y	Y	NA	Y	NA	Y	Y
9	Does the company have a grievance redressal mechanism related to the policy/ policies to address stakeholders' grievances related to the policy/ policies?	Y	Y	Y	Y	NA	Y	NA	Y	Y

10	क्या कंपनी ने आंतरिक या बाहरी एजेंसियों द्वारा इस नीति के संचालन के लिए अलग से लेखा परीक्षा / मूल्यांकन किए हैं?	हां	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं

* सोसाइटी के लिए फायदेमंद सरकारी नियमों और दिशानिर्देशों की नीति का पालन करना।

2ए. यदि किसी भी सिद्धांत पर क्रमांक 1 का उत्तर 'नहीं' है, तो कृपया स्पष्ट करें क्यों: (2 विकल्पों तक टिक करें)

क्रमांक	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है ।									
2	कंपनी उस अवस्था में नहीं है जहां यह खुद को निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियों को बनाने और लागू करने की स्थिति में पाती है									
3	कंपनी के पास कार्य के लिए वित्तीय या जनशक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं हैं .									
4	यह अगले 6 महीनों के भीतर कयिा जाने की योजना है									
5	यह अगले एक वर्ष के भीतर किया जाने की योजना है									
6	कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)					&		$		

&बैंक की अलग से मानवाधिकार नीति नहीं है। हालांकि, इन पहलुओं को मानव संसाधन नीतियों और बैंक के व्यवहार के तहत शामिल किया गया है

$ बैंक की लिखित नीति नहीं है लेकिन बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित सार्वजनिक नीति को आकार देने के लिए नियामकों और नीति निर्माताओं से जुड़ा हुआ है।

3. बीआर से संबंधित अधिकार

क. निदेशक मंडल, बोर्ड की समीति या सीईओ द्वारा बी आर के कार्य निष्पादन का आकलन कितनी बार किया जाता है इंगित करें , 3 महीने, 3-6 महीने, वार्षिक, 1 वर्ष से अधिक	वार्षिक
ख. क्या कंपनी बीआर या धारणीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? इसे कितनी बार प्रकाशित किया जाता है	हां, यह वार्षिक आधार पर प्रकाशित है। वेबसाइट पर बीआरआर देखा जा सकता है: www.iob.in

सेक्शन ई : सिद्धांत वार निष्पादन

सिद्धांत 1: व्यवसाय को आचार, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ आचरण और संचालन करना चाहिए

1) क्या नैतिकता, रिश्वत और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है? क्या यह समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / गैर सरकारी संगठनों / अन्य लोगों तक पहुंचता है?	यह बैंक के साथ साथ इसके वेन्डर / सप्लायर / ठेकेदार को कवर करता है बैंक ने एक आचार नीति को कार्यान्वित किया है जो अच्छे आचरण और नैतिक प्रथाओं के उच्चतम मानकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता का वर्णन है। बैंक के आधारभूत मूल्यों को ग्राहक केंद्रितता, नैतिकता, पारदर्शिता, टीमवर्क और स्वामित्व के रूप में व्यक्त किया गया है। * बैंक के सभी कर्मचारियों को निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करने की आवश्यकता है * जीवन के सभी क्षेत्रों में कानून के नियम एवं ईमानदारी का अनुसरण करना * सभी कार्यों को एक ईमानदार और पारदर्शी तरीके से करना * सार्वजनिक हित में कार्य करना * उदाहरण प्रस्तुत करते हुए व्यक्तिगत व्यवहार में अखंडता प्रदर्शित करना * उपयुक्त एजेंसी को भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट करना।

10	Has the company carried out independent audit/ evaluation of the working of this policy by internal or external agencies?	Y	N	N	N	NA	N	NA	N	N

*Contemplating the Policy of Government rules and guidelines beneficial to the Society.

2a. If the answer to S. No. 1 against any principle is 'No', please explain why: (Tick up to 2 options)

S. No	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	The company has not understood the Principles									
2	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3	The company does not have financial or manpower resources available for the task									
4	It is planned to be done within next 6 months									
5	It is planned to be done within next 1 year									
6	Any other reason (Please specify)					&		$		

& *Bank does not have a separate Human Rights Policy. However, these aspects are covered under Human Resources Policies and Practices of the Bank*

$ *The Bank does not have a written policy but is associated with regulators and policy makers to shape public policy relating to banking sector*

3. Governance related to BR

a. Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the company, within 3 months, 3-6 months, annually, more than 1 year	Annually
b.Does the company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?	Yes, it is published on an annual basis. BRR could be viewed at website: www.iob.in

Section E: Principle-wise-performance

Principle 1: Business should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

1) Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Does it extend to the group/ Joint Venture/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ Others?	It covers the Bank as well as its vendors / suppliers / contractors etc. The Bank has operationalised an Ethics Policy which is a statement of the Bank's commitment to good conduct and highest standards of ethical practices. The Bank's core values have been articulated as Customer Centricity, Ethics, Transparency, Teamwork and Ownership. All employees of the Bank are required to take the Integrity Pledge committing ▪ To follow probity and rule of law in all walks of life; ▪ To neither take nor offer bribe; ▪ To perform all tasks in an honest and transparent manner; ▪ To act in public interest; ▪ To lead by example exhibiting integrity in personal behaviour; ▪ To report any incident of corruption to the appropriate agency.

	अनुबंध को सुरक्षित करने या आगे बढ़ाने के लिए सभी आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / बोली-दाताओं को अपनी बोली के किसी भी चरण के दौरान या किसी भी पूर्व-अनुबंध या अनुबंध पश्चात चरण के दौरान भ्रष्ट प्रथाओं, अनुचित साधनों और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक सभी उपायों को अपनाने की प्रतिबद्धता हेतु एक पूर्व अनुबंध अखंडता संधि निष्पादित करने की आवश्यकता होती है। बैंक बैंकिंग कोड और स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया (बीसीएसबीआई) का सदस्य है और इसलिए स्वेच्छा से ग्राहकों के लिए बैंकों की वचनबद्धता को मंजूरी दे दी गई है- जनवरी 2014 और सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रति वचनबद्धता संहिता - अगस्त 2015 को सौदे में अपनी उचित अभ्यास संहिता के रूप में अपने ग्राहकों के साथ। कोड की पूरी प्रति बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर उपलब्ध है। "सिटिज़न चार्टर" बैंक की शाखाओं में ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं / सेवाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। सिटिज़न चार्टर के साथ कोड ग्राहकों के साथ बैंक के लेनदेन में उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी और पारदर्शिता के उच्च मानकों को सुनिश्चित करेगा। बैंक में एक व्हिस्ल ब्लोअर पॉलिसी है। **आईओबी विजल:** जून 2013 के दौरान जागरूकता के लिए एक चैथाई आंतरिक समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। **अन्य पक्ष इकाइयों** के खिलाफ : बैंक अपनी इंट्रानेट वेबसाइट पर प्रतिबंधित तृतीय पक्ष इकाइयों जैसे चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, वैल्यूअर्स और वकीलों की सूची प्रकाशित करता है। जागरूकता के लिए, बैंक ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए निबंध प्रतियोगिता और प्रश्नोत्तरी आयोजित की है और सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2017 के दौरान विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया है। सतर्कता मामलों को संभालने के लिए **सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सतर्कता अधिकारी के साथ तैनात किया गया है।** अक्टूबर 2017 में बैंक द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 30 अक्टूबर 2017 से 04 नवंबर 2017 तक मनाया गया था। **आचरण संहिता** उन मार्गदर्शक सिद्धांतों को निर्धारित करती है जिन पर बैंक अपने बहुमूल्य हितधारकों, सरकार और नियामक एजेंसियों, मीडिया और किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना दैनिक व्यवसाय संचालित करेगा। यह दर्शाता है कि बैंक सार्वजनिक धन का एक ट्रस्टी और संरक्षक है और अपने विश्वसनीय कर्तव्य और उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए, इसे बड़े पैमाने पर जनता के विश्वास और आनंद को जारी रखना है। निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के सभी सदस्यों को वार्षिक आधार पर आचरण संहिता के अनुपालन की पुष्टि करने की आवश्यकता होती है।
2) पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से कितने प्रतिशत को हल किया गया था? यदि ऐसा है, तो इसके बारे में 50 शब्द या उससे भी अधिक विवरण प्रदान करें।	ग्राहक शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:
वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	5235
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	96212
वर्ष के दौरान निवारण शिकायतों की संख्या	98360
वर्ष के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या	3087
निवारण की गई शिकायत का प्रतिशत	96.96%

	All suppliers / contractors / bidders are required to execute a Pre Contract Integrity Pact to commit to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means and illegal activities during any stage of its bid or during any pre-contract or post-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it. The Bank is a member of Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI)and has therefore voluntarily adopted the Code of Banks' Commitments to Customers-January 2014 and Code of Commitment to Micro and Small Enterprises – August 2015 as its Fair Practice Code in dealings with its customers. Complete copy of the Code is available at www.iob.in "Citizens' Charter" provides key information of various facilities/ services provided to customers in the branches of the Bank. The Code together with the Citizens' Charter will ensure high standards of accountability, responsibility and transparency in the Bank's dealings with customers. The Bank has a Whistle Blower Policy in place. **IOB Vigil:** A quarterly in-house news letter to spread vigilance awareness was launched during June 2013. **Action against Third Party Entities:** Bank publishes on its intranet website the list of banned third party entities viz., Chartered Accountants, Valuers and Lawyers. To create vigilance awareness, Bank has conducted essay competition and Quiz competition for all the officers and award staff members and awarded prizes to winners during Vigilance Awareness Week 2017. **All the Regional Offices have been posted with Vigilance Officers** to handle Vigilance matters. Vigilance Awareness week was observed by the Bank in October 2017 i.e. from 30th October 2017 to 04th November 2017. **Code of Conduct** sets forth the guiding principles on which the Bank shall operate and conduct its daily business with its multitudinous stakeholders, Government and regulatory agencies, media, and anyone else with whom it is connected. It recognises that the Bank is a trustee and custodian of public money and in order to fulfill its fiduciary obligations and responsibilities, it has to maintain and continue to enjoy the trust and confidence of public at large. All members of the Board of Directors and senior management personnel are required to affirm compliance with the code of conduct on an annual basis.
2) How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	The details of customer complaints are as under:
No. of complaints pending at the beginning of the year	5235
No. of complaints received during the year	96212
No. of complaints redressed during the year	98360
No. of complaints pending during the year	3087
% age of complaints resolved	96.96%

सिद्धांत 2: व्यापार को ऐसे सामान और सेवाएं प्रदान करने चाहिए जो सुरक्षित हैं और उनके जीवन चक्र में स्थिरता में योगदान

1. अपने उत्पादों या सेवाओं में से 3 को सूचीबद्ध करें जिनके डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताओं, जोखिम और या अवसर शामिल हैं।	बैंक निम्न वित्तीय सेवाओं जो कि सामाजिक समस्याओं एवं मौकों से सम्बंधित है को ऑफर करता है : **वित्तीय साक्षरता** बैंक 23 स्थानों पर स्थापित वित्तीय साक्षरता केंद्र (स्नेहा) के माध्यम से वित्तीय साक्षरता प्रदान कर रहा है। चालू वर्ष के दौरान, एफएलसी काउंसलर्स ने 10,810 क्रेडिट परामर्श आयोजित किए, जिसमें 1,041 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए गए, 6,810 एसबी खाते खोले गए, वित्तीय प्रणाली में नए शामिल लोगों के लिए 32,119 उम्मीदवारों को कवर करके 280 विशेष शिविर आयोजित किए और लक्ष्य समूह अर्थात एसएचजी, छात्र, वरिष्ठ नागरिक, किसान और सूक्ष्म और लघु उद्यमी शिविरों के लिए 355 शिविर शामिल हैं, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार डिजिटल वित्तीय साक्षरता पर 50,567 लाभार्थियों को कवर किया गया **स्वयं सहायता समूह** वर्ष के दौरान, बैंक ने 1,247 करोड़ रु. ऋण वितरित करते हुए 37831 स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण से जोड़ा। मार्च 2018 तक बैंक द्वारा कुल 9,919 करोड़ रु. वितरित कर ऋण से जुड़ने वाले स्वयं सहायता समूहों की संचयी संख्या 7,00,065 बढ़ी। **ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (ईओीटईसएरआ)** ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरुप बैंक द्वारा स्थापित कुल 13 ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों में से सभी अग्रणी जिलों में 12 ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान किसानों, एसजीएसवाई के सदस्यों, एसएचजी के तहत लाभार्थियों, शिक्षित बेरोजगार युवकों, कारीगरों और कमजोर वर्गों के लाभार्थियों के प्रशिक्षण हेतु और जनजातियों के लाभ के लिए नीलगिरिस जिले में 1 आरएसईटीआई स्थापित किया गया है। बैंक द्वारा स्थापित न्यास **स्नेहा** द्वारा आरएसईटीआई का प्रबंधन किया जाता है। वर्ष के दौरान समीक्षा के तहत, बैंक ने 462 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर 10,929 बेरोजगार युवकों लाभ पहुँचाया है।
2. प्रत्येक उत्पाद के लिए, संसाधन प्रयोग(ऊर्जा, जल, कच्ची साम्रगी इत्यादि) के संबंध में उत्पाद का प्रति इकाई (ऐच्छिक) प्रदान किया जाता है: i) सोर्सिंग / उत्पादन पिछले वर्ष के दौरान मूल्य श्रृंखला में कटौती की गई? ii) उपभोक्ताओं (ऊर्जा, पानी) द्वारा उपयोग के दौरान कटौती पिछले वर्ष से हासिल की गई है।	 लागू नही लागू नही
3. क्या टिकाऊ सोर्सिंग(परिवहन सहित) के लिए कंपनी की कार्यवाही हो रही है। i) यदि हां, तो आपके इनपुट का प्रतिशत किसने स्थिरता को सोर्स किया था? इसके बारे में 50 शब्दों में भी विवरण प्रदान करें।	लागू नही लागू नही सभी वित्तीय उत्पाद है जिनका उद्देश्य संपूर्ण परिचालानात्मक क्षेत्र प्राप्त करना है।
4. क्या कंपनी ने स्थानीय और छोटे उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए कोई कदम उठाए हैं, जिनमें उनके काम के आसपास के समुदायों समेत शामिल हैं? यदि हां, तो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और सामर्थ्य में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?	हाँ अधिमानतः, परिवहन लागत और समय अंतराल को कम करने के लिए आस-पास के विक्रेताओं से सामग्री को सोर्स किया जाता है।

Principle 2: Business should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/ or opportunities.	The Bank offers the following financial services which have incorporated social concerns and opportunities: **Financial Literacy** The Bank is imparting Financial Literacy through Financial Literacy Centers (SNEHA) established at 23 locations. During the current year, FLC Counselors have conducted 10,810 credit counseling, held 1,041 Financial Literacy camps, opened 6,810 SB accounts, conducted 280 special camps by covering 32,119 candidates for newly inducted people in the financial system and 355 camps for the target group viz. SHGs, Students, Senior Citizens, Farmers and Micro & Small Entrepreneurs by covering 50,567 beneficiaries on Digital Financial Literacy as per RBI guidelines. **Self Help Group** During the year, the Bank credit-linked 37831 Self Help Groups (SHGs) with a credit outlay of Rs. 1,247 crores. The cumulative number of SHGS credit linked by the Bank is 7,00,065 with a total disbursement of Rs. 9,919.85 crores as of March 2018. **Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs)** In line with the guidelines issued by Ministry of Rural Development, Government of India, the Bank had set up total 13 RSETIs of which 12 RSETIs are at all Lead Districts, to provide training to farmers, members of SHGs, beneficiaries under SGSY, educated unemployed youth, artisans and beneficiaries belonging to weaker sections and 1 RSETI in the Nilgiris District for the benefit of the tribals. The RSETIs are managed by SNEHA trust established by the Bank. During the year under review, the Bank has conducted 462 training programs benefiting 10,929 unemployed youth.
2. For each such product, provide in respect of resource use (energy, water, raw material etc. per unit of product (optional): i) Reduction during sourcing/ production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain? ii) Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since previous year?	 NA NA
3. Does the company have proceedings in place for sustainable sourcing (including transportation) i) If yes, What percentage of your inputs was sourced sustainably? Also provide details thereof in about 50 words or so	NA NA All are financial products aiming to reach the entire operational area.
4. Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work? If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?	Yes Preferably, the materials are sourced from nearby vendors to reduce transportation cost and time lag.

5. क्या कंपनी के उत्पादों और अपशिष्ट रीसायकल करने के लिए एक तंत्र है? यदि हां उत्पादों और अपशिष्ट के रीसाइक्लिंग का प्रतिशत क्या है (अलग से <5%, 5% -10%)। इसके अलावा, इसके बारे में 50 शब्द या उससे भी अधिक विवरण प्रदान करें।	लागू नही

सिद्धांत 3: व्यापार को सभी कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए।

<table>
<tr><td>1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या इंगित करें</td><td colspan="5">27,936</td></tr>
<tr><td>2. कृपया अस्थायी/ संविदात्मक/आकस्मिक आधार पर कर्मचारियों की पूर्ण संख्या इंगित करें</td><td colspan="5">02</td></tr>
<tr><td>3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की कुल संख्या इंगित करें</td><td colspan="5">9,350</td></tr>
<tr><td>4. स्थायी विकलांगता वाले स्थायी कर्मचारियों की संख्या इंगित करें</td><td colspan="5">527</td></tr>
<tr><td>5. क्या आपके पास एक कर्मचारी संघ है जो प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है?</td><td colspan="5">हाँ

कर्मचारियों के लिए – ऑल इण्डिया ओवरसीज़ बैंक एम्प्लॉयीस यूनियन अधिकारियों के लिए –इण्डियन ओवरसीज़ बैंक अधिकारी संघ</td></tr>
<tr><td>6. आपके कितने प्रतिशत कर्मचारी इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य है?</td><td colspan="5">कर्मचारी – ऑल इण्डिया ओवरसीज़ बैंक एम्प्लॉयी यूनियन – 87.20%
अधिकारी – इण्डियन ओवरसीज़ बैंक अधिकारी संघ – 97.08%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">7. कृपया वित्तीय वर्ष के अंत में बाल मज़दूरी, जबरन मज़दूरी, अनैच्छिक मज़दूरी, पिछले वित्तीय वर्ष में यौन उत्पीड़न और लंबित शिकायतों की संख्या इंगित करें।</td><td>क्र. सं.</td><td>प्रवर्ग</td><td>वित्तीय वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या</td><td>वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज़ शिकायतों की संख्या</td><td>वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या</td></tr>
<tr><td>1</td><td>बाल मजदूरी/जबरन श्रम/ अनैच्छिक मज़दूरी।</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>2</td><td>यौन उत्पीड़न</td><td>3</td><td>3</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>भेदभावपूर्ण रोजगार</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">8. आपके तहत उल्लिखित कर्मचारियों का कितना प्रतिशत पिछले वर्ष में सुरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया था?</td><td colspan="2">स्थायी कर्मचारी</td><td colspan="3">65.27%</td></tr>
<tr><td colspan="2">स्थायी महिला कर्मचारी</td><td colspan="3">31.45%</td></tr>
<tr><td colspan="2">आकस्मिक/अस्थायी/संविदात्मक कर्मचारी</td><td colspan="3">शून्य</td></tr>
<tr><td colspan="2">विकलांग कर्मचारी</td><td colspan="3">लागू नही</td></tr>
</table>

- वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर, स्वच्छ भारत अभियान, सजावटी वृक्ष की आपूर्ति जैसी विभिन्न गतिविधियां की गईं।
- बैंक खुदरा और एसएमई क्षेत्र की प्रगति में अनुवर्ती और पुनर्प्राप्ति के लिए दृष्टिहीन विकलांग कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग जारी रख रहा है। एसएमए -1 और 2 खातों की पूरी सूची उन सदस्यों को प्रदान की जाती है जो सॉफ़्टवेयर (जेएडब्ल्यूएस) का उपयोग संपर्क हेतु करते हैं और वसूली के लिए अनुवर्ती करते हैं। यह पहल यह सुनिश्चित करती है कि दृष्टिहीन विकलांग कर्मचारियों का संगठन द्वारा प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है, जो मनोबल बनाने में भी मदद करता है।

5. Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5%-10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.	Not applicable.

Principle 3: Business should promote the well-being of all employees

1.Please indicate the total number of employees	27,936
2.Please indicate the Total number of employees hired on temporary/ contractual/ casual basis	02
3. Please indicate the number of permanent women employees	9,350
4. Please indicate the permanent number of employees with permanent disabilities	527
5. Do you have an employee association that is recognized by the management	Yes Workmen – All India Overseas Bank Employees Union Officers – Indian Overseas Bank Officers Association
6. What percentage of your employees are members of this recognized employees association	Workmen – All India Overseas Bank Employees Union – 87.20% Officers – Indian Overseas Bank Officers Association – 97.08%

7. Please indicate the Number of complaints relating to child labor, forced labor, involuntary labor, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year	Sr. No.	Category	No. of complaints pending as on the start of the financial year	No. of complaints filed during the financial year	No. of complaints pending as on end of the financial year
	1	Child labour/ forced labour/ involuntary labour	Nil	Nil	Nil
	2	Sexual Harassment	3	3	1
	3	Discriminatory Employment	0	2	0

8. What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?	Permanent employees	65.27%
	Permanent women employees	31.45%
	Casual/ Temporary/ Contractual employees	Nil
	Employees with disabilities	Not available

- Various activities like Blood Donation Camp, Health Check up camps, Swachh Bharat Abhiyan, Supply of ornamental tree saplings were carried out for the financial year 2017-18.
- Bank is continuing to utilize the services of visually impaired staff for follow up and recovery in Retail and SME sector advances. The entire list of SMA-1 & 2 accounts is provided to these members who use the software (JAWS) to contact and follow up for recovery. This initiative ensures that visually impaired staff are utilized effectively by the organization and also helps to build up morale.

सिद्धांत 4 : व्यापार हितकारी और सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, खासतौर पर वे जो वंचित, कमजोर और हाशिए पर हैं।

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाहरी हितधारकों को मैप किया है? हाँ/नही	शेयरधारकों को विभिन्न श्रेणियों, जैसे सरकारी, विदेशी संस्थागत निवेशक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड, बैंक, व्यक्तियों आदि में वर्गीकृत किया जाता है। ग्राहकों को बड़े कॉर्पोरेट, मध्य-कॉर्पोरेट, छोटे और मध्यम उद्यमों और खुदरा ग्राहकों में विभाजित किया जाता है। मानव संसाधन विभाग बैंक के कर्मचारियों के हितों की देखभाल करता है।
2. उपरोक्त में से, कंपनी ने वंचित, कमजोर और हाशिए वाले हितधारकों की पहचान की है?	हाँ बैंक ने वंचित, कमजोर और हाशिए वाले हिस्सेदारों की पहचान की है जिनमें छोटे और सीमांत किसान, किरायेदार और पट्टे पर लिए गए किसान, भूमिहीन मजदूर और ग्रामीण महिला शामिल हैं। उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि ज्वेल लोन, स्वयं सहायता समूह, प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) इत्यादि जैसी विशेष क्रेडिट सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। पदोन्नति हेतु पात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति स्टाफ सदस्यों के लिए प्री प्रमोशन ट्रेनिंग बैंक के विभिन्न स्टाफ प्रशिक्षण केंद्रों में आयोजित की गई थी। आंतरिक प्रशिक्षण 18,235 कर्मचारियों को दिया गया था। प्रशिक्षित कुल कर्मचारियों में से 4,157 अनुसूचित जाति (अ.जा.) और 1,574 अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) से संबंधित थे।
3. क्या कंपनी द्वारा वंचित, कमजोर और हाशिए वाले हितधारकों से जुड़ने के लिए कोई विशेष पहल की गई है? यदि हां, तो विवरण प्रदान करें।	हाँ। बैंक ने कमजोर वर्गों अर्थात छोटे और सीमांत किसानों, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, महिला लाभार्थियों, अल्पसंख्यकों आदि को अपने उधार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित विभिन्न पहलें की हैं: **प्राथमिकता उधार क्षेत्र** वित्त वर्ष 2017-18 के लिए चार तिमाहियों की औसत उपलब्धि रु. 59,024 रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 70,040 करोड़ प्राप्त की और बैंक ने कुल प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों के तहत 47.47% प्राप्त करके एएनबीसी के 40% के अनिवार्य मानदंड को पार कर लिया है। **कृषि** वित्त वर्ष 2017-18 के लिए चार तिमाहियों की औसत उपलब्धि रु. 26,561 करोड़ लक्ष्य के मुकाबले रु. 29,851 करोड़ प्राप्त किया और बैंक ने कृषि प्रगति के तहत 20.24% प्राप्त करके एएनबीसी के 18% के अनिवार्य मानदंड को पार कर लिया है। बैंक ने वर्ष के दौरान 30,000 करोड़ रुपये लक्ष्य के मुकाबले रु. 30,968 करोड़ विशेष कृषि ऋण योजना (एसएसीपी) के तहत वितरित किया। **लघु एवं सीमांत किसानों को ऋण** वित्त वर्ष 2017-18 के लिए चार तिमाहियों की औसत उपलब्धि 11,805 करोड़ रुपये लक्ष्य के मुकाबले 15,894 रोड़ रुपये रही और छोटे / सीमांत किसानों को ऋण के तहत 10.77% प्राप्त करके बैंक ने एएनबीसी के 8% के अनिवार्य मानदंड को पार कर लिया है। **गैर-कॉर्पोरेट किसानों को ऋण** वित्त वर्ष 2017-18 के लिए चार तिमाहियों की औसत उपलब्धि 17,265 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 20,791 करोड़ रुपये रही और गैर-कॉर्पोरेट किसानों को ऋण के तहत 14.09% प्राप्त करके बैंक ने एएनबीसी के 11.78% के अनिवार्य मानदंड को पार कर लिया है। **कमजोर वर्ग के लिए ऋण** वित्त वर्ष 2017-18 के लिए चार तिमाहियों की औसत उपलब्धि रुपये 14,756 करोड़ लक्ष्य के मुकाबले 20,132 करोड़ रुपये रही और कमजोर वर्ग को ऋण के तहत 13.65% ऋण प्राप्त करके बैंक ने एएनबीसी के 10% के अनिवार्य मानदंड को पार कर लिया है। **सूक्ष्म वित्तपोषण** वर्ष के दौरान, बैंक ने 1,247 करोड़ क्रेडिट प्रदान कर 37831 स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को ऋण से जोड़ा। मार्च 2018 तक बैंक द्वारा कुल 9,919.85 करोड़ रु. वितरित कर ऋण से जुड़ने वाले स्वयं सहायता समूहों की संचयी संख्या 7,00,065 बढ़ी। **महिलाओं को ऋण प्रवाह** महिलाओं के लिए बैंक का उधार 31 मार्च 2018 तक 14, 9 33.72 करोड़ रुपये रहा, जो बैंक के समायोजित निवल बैंक उधार का 10.00% है।

Principle 4 : Business should respect the interests of and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized.

1. Has the company mapped its internal and external stakeholders? Yes/ no	Shareholders are classified into different categories viz., Government, Foreign Institutional Investors, Financial Institutions, Insurance Companies, Mutual Funds, Banks, individuals, etc. Customers are segmented into large corporate, mid-corporate, Small and Medium Enterprises and Retail customers. Human Resource Department looks after the interest of the Bank's employees.
2.Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders	Yes Bank has identified the disadvantaged, vulnerable and marginalized stake holders which include Small and Marginal Farmers, Tenant and Leased Farmers, Landless Labourers and Rural Women. They are provided with special credit facilities like Kissan Credit Card, Agri Jewel Loan, Self Help Groups, Prime Ministers Jan Dhan Yojana (PMJDY), etc. Pre Promotion Training for SC/ST staff members who are eligible for promotion was conducted at various Staff Training Centers of the Bank. Internal training was imparted to 18,235 staff. Of the total staff trained, 4,157 belonged to Scheduled Caste (SC) and 1,574 belonged to Scheduled Tribe (ST).
3. Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof.	Yes. Bank has taken various initiatives for increasing its lending to weaker sections ie., Small and Marginal farmers, SCs, STs, OBCs, Women Beneficiaries, Minorities etc. including the following: **Priority Sector Credit** The average achievement of four quarters for the FY 2017-18 stood at Rs. 70,040 crores against the target of Rs. 59,024 crores and the Bank has surpassed the mandatory norm of 40% of ANBC by achieving 47.47% under Total Priority Sector advances. **Agriculture** The average achievement of four quarters for the FY 2017-18 stood at Rs. 29,851 crores against the target of Rs. 26,561 crores and the Bank has surpassed the mandatory norm of 18% of ANBC by achieving 20.24% under Agriculture advances. The Bank disbursed Rs. 30,968 crores under Special Agriculture Credit plan (SACP) as against the target of Rs. 30,000 crores during the year. **Loans to Small and Marginal farmers** The average achievement of four quarters for the FY 2017-18 stood at Rs. 15,894 crores against the target of Rs.11,805 crores and the Bank has surpassed the mandatory norm of 8% of ANBC by achieving 10.77% under loans to Small/ Marginal farmers. **Loans to Non-Corporate farmers** The average achievement of four quarters for the FY 2017-18 stood at Rs. 20,791 crores against the target of Rs. 17,265 crores and the Bank has surpassed the mandatory norm of 11.78% of ANBC by achieving 14.09% under loans to Non-Corporate farmers. **Loans to Weaker Section** The average achievement of four quarters for the FY 2017-18 stood at Rs. 20,132 crores against the target of Rs. 14,756 crores and the Bank has surpassed the mandatory norm of 10% of ANBC by achieving 13.65% under loans to Weaker Section. **Micro Finance** During the year, the Bank credit-linked 37831 Self Help Groups (SHGs) with a credit outlay of Rs. 1,247 crores. The cumulative number of SHGS credit linked by the Bank is 7,00,065 with a total disbursement of Rs. 9,919.85 crores as of March 2018. **Credit Flow to Women** Bank's credit to women stood at Rs. 14,933.72 crores as of 31st March 2018 which constitutes 10.00% of the Bank's Adjusted Net Bank Credit.

	प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाइ) बैंक ने 43,88,020 बेसिक बचत बैंक जमा खातों को खोला है और इस योजना के तहत 31 मार्च 2018 तक 41,24,821 रुपे डेबिट कार्ड जारी किए हैं। **प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाइ)** वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहत बैंक ने रुपये 1,956.34 करोड़ (93.16%) के लिए 1,55,527 ऋण की मंजूरी दे दी है और 31 मार्च 2018 तक 2,100.00 करोड़ रुपये के मुकाबले 1,882.99 करोड़ रुपये (89.67%) वितरित किया गया। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने स्टेंड अप इंडिया योजना के तहत 1,75.57 करोड़ रुपये के 801 ऋण मंजूर किए हैं। **अग्रणी बैंक योजना** बैंक को तमिलनाडु के 13 जिलों और केरल के एक जिले में लीड बैंक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक** बैंक ने दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों जैसे तमिलनाडु में पांडयन ग्राम बैंक और ओडिशा में ओडिशा ग्राम्य बैंक प्रायोजित किया है। पांडयन ग्राम बैंक तमिलनाडु के 16 जिलों में 329 शाखा का नेटवर्क और 1,345 कर्मचारियों की संख्या के साथ काम करता है। 31 मार्च 2018 तक आरआ-रबी के पास 89.06% की सीडी अनुपात के साथ 11,044 करोड़ रुपये का व्यापार मिश्रण था। ओडिशा ग्राम्य बैंक की ओडिशा के 13 जिलों में 549 शाखाओं और 2,244 कर्मचारियों की संख्या के नेटवर्क के साथ उपस्थिति है। 31 मार्च, 2018 तक, आरआरबी का कारोबार 45.07% सीडी अनुपात के साथ रुपये 15,027 करोड़ का कारोबार मिश्र था। **वित्तीय समावेशन** बैंक ने गैर-बैंकिंग गांवों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार 2,624 बैंक मित्र के माध्यम से स्मार्ट कार्ड बैंकिंग शुरू की है। **बैंक जनसुरक्षा योजनाओं** के तहत जैसे पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और पेंशन योजना के तह्त अटल पेंशन योजनाओं में ग्राहकों को नामांकित कर रहा है। **शक्ती - इंडियन ओवरसीज बैंक चिदंबरम चेट्टियार मेमोरियल ट्रस्ट** ट्रस्ट ने महिलाओं को चुनौतियों का सामना करने के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उद्यमशील विकास प्रशिक्षण प्रदान करना जारी रखा। वर्ष के दौरान, बैंक ने 133 लाभार्थियों को कवर करने वाले 4 कार्यक्रम आयोजित किए। बैंक ने अभी तक 95 कार्यक्रमों का आयोजन किया है जिसमें 4,225 लाभार्थियों को शामिल किया गया है, जिनमें से 1,271 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं और 143 अल्पसंख्यक हैं। बैंक महिला एसएचजी, युवा एसएचजी, एक्स सर्विस मैन एसएचजी, शारीरिक रूप से विकलांग / दृष्टिहीन विकलांग आदि सहित एसएचजी को जोड़ने के लिए विशेष बल देता है।

सिद्धान्त 5: व्यवसायों में मानव अधिकारों का सम्मान तथा प्रचार होना चाहिए |

क्या मानव अधिकारों पर कंपनी की नीति केवल कंपनी को कवर करती है या समूह /संयुक्त उद्यम /आपूर्ति-कर्ताओं /ठेकेदारों /गैर सरकारी संगठनों /अन्य लोगों तक पहुँचती है ?	17:40हां, यह केवल बैंक को कवर करता है। बैंक की नीतियां और प्रथाएं किसी भी दौड़, धर्म, वैवाहिक स्थिति लिंग, सामाजिक स्थिति या किसी अन्य आधार पर कानून के निषिद्ध आधार पर भेदभाव नहीं करती हैं | बैंक के सभी कार्यालयों / शाखाओं में अच्छे औद्योगिक संबंधों की निगरानी और रखरखाव हो सके तथा समय-समय पर अनुशासन को लागू करने, नीतियों का पालन आदि करने के संबंध में परिपत्र / दिशानिर्देशों को जारी किया जाता है । जब भी नियोक्ता और कर्मचारी और कर्म-चारियों के बीच जहां भी विवाद उत्पन्न होता है, विभाग उचित रूप से सदस्यों के बीच समझौता/परामर्श द्वारा सुलझाता है या निपटारे की शर्तों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा नियम प्रभावित करता है जो ओद्योगिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए हो।

	Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY) The Bank has opened 43,88,020 Basic Savings Bank Deposit Accounts and issued 41,24,821 RuPay Debit Cards till 31st March 2018 under this scheme. **Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY)** The Bank has sanctioned 1,55,527 loans amounting to Rs. 1,956.34 crores (93.16 %) and disbursed Rs.1882.99 crore (89.67%) as on 31st March 2018 vis-à-vis target of Rs. 2,100.00 crore under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) during the Financial Year 2017-18. Further, Bank has sanctioned 801 loans amounting to Rs.175.57 crores under Stand Up India Scheme during the FY 2017-18. **Lead Bank Scheme** The Bank has been assigned Lead Bank responsibility in 13 districts of Tamil Nadu and one district of Kerala. **Regional Rural Banks** The Bank has sponsored two Regional Rural Banks viz., Pandyan Grama Bank in Tamil Nadu and Odisha Gramya Bank in Odisha. Pandyan Grama Bank operates in 16 districts of Tamil Nadu with a branch network of 329 and staff strength of 1,345. As on 31st March 2018, the RRB had a business mix of Rs.11,044 crores with a CD ratio of 89.46%. Odisha Gramya Bank has presence in 13 districts of Odisha with a network of 549 branches and staff strength of 2,244. As on March 31, 2018, the RRB had a business mix of Rs. 15,027 crores with a CD ratio of 45.07%. **Financial Inclusion** The Bank has introduced Smart Card Banking through 2,624 Business Correspondents as per the guidelines of Reserve Bank of India for providing banking facilities in un-banked villages. The Bank is enrolling customers under **Jansuraksha schemes** like PMJJBY, PMSBY and Pension schemes like Atal Pension Yojana. **Sakthi - Indian Overseas Bank Chidambaram Chettyar Memorial Trust** The Trust continued to provide Entrepreneurial Development Training to women to empower them socially and financially to meet the challenges. During the year, the Bank conducted 4 programmes covering 133 beneficiaries. The Bank has so far conducted 95 programmes covering 4,225 beneficiaries of which 1,271 belong to SC/ST and 143 belong to minority. The Bank lays special emphasis for credit linking Women SHGs, youth SHGs, SHGs of Ex-Service men, SHGs comprising of physically handicapped/ visually impaired etc.

Principle 5 : Businesses should respect and promote human rights

1 .Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/ suppliers/Contractors/ NGOs/Others?	Yes, it covers only the Bank. The Bank's policies and practices do not discriminate on the basis of race, religion, marital status, gender, social status or any other basis prohibited by law. In order to monitor and maintain good industrial relations climate in all offices/Branches of the Bank, circulars/ guidelines are issued from time to time regarding enforcement of discipline, policies to be followed, etc. Wherever dispute arises between the Employer & Employee and among Employees, the department amicably settles by conciliation/counseling members or initiates disciplinary proceedings, if required, according to the terms of the settlement and regulations in force to maintain industrial harmony.

	कर्मचारी सदस्यों के आईआर मामलों से संबंधित शिकायतों / मामलों के संबंध में जहां भी आवश्यक हो, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाने हेतु व बैंक के अनुशासन और सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बनाए रखने के लिए गड़बड़ करने वाले सदस्यों के खिलाफ शुरू की गई थी। एचआरएमडी-आईआर अनुभाग में अनुशासन और सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बनाए रखने, केंद्रीय कार्यालय ने यूनियनों / संघों के साथ सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से कर्मचारियों के शिकायतों का निवारण करने के लिए जो कि पंचाटाधीन स्टाफ के लिए पदोन्नति, स्थानांतरण, लाभ इत्यादि के संबंध में है मान्यता प्राप्त संघ के साथ समझौते में प्रवेश किया था। औद्योगिक संबंध पर्यावरण संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बैंक के लिए सौहार्दपूर्ण और अनुकूल बने रहे। कर्मचारियों के मामलों के संबंध में वित्त मंत्रालय और भारत बैंक एसोसिएशन द्वारा जारी दिशा-निर्देश हमारे कर्मचारियों के लाभ के लिए परिपत्र जारी करके त्वरित रूप से लागू किए गए हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीनण (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार तथा एचआरएमडी –आईआर के अंतर्गत व प्रशासनिक अनुभाग के तहत सभी प्रशासनिक कार्यालयों (केंद्रीय, अंचल, क्षेत्रीय कार्यालयों) को आंतरिक शिकायत समितियों का गठित की गई | समितियों के संस्तुति अनुसार, शिकायत निवारण हेतु उचित कार्रवाई की जाती है |
2-पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें मिली हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत को ?संतोषजनक ढंग से हल किया गया था	वर्ष 2017 - 18 के दौरान कर्मचारियों की शिकायतों का विवरण निम्नवत है : 31.03.2017 तक लंबति शकिायतें -3 वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त शिकायतें -5 वर्ष 2017-18 के दौरान शिकायतों का निपटान -7 31.03.2018 तक लंबित शिकायतें -1

सिद्धान्त 6: पर्यावरण को बहाल करने के लिए व्यवसाय को सम्मान, रक्षा और प्रयास करना चाहिए।

1. सिद्धांत 6 केवल कंपनी को कवर करता है या समूह / संयुक्त उद्यम प्रदायक / ठेकेदार / गैर सरकारी संगठनों / अन्य लोगों को सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपायों तक विस्तारित करता है	हां इसमें केवल बैंक शामिल है।
2-क्या कंपनी ने पर्यावरण को संबोधित करने के लिए रणनीतियों की पहल शुरू की है जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि हां/नहीं यदि हां, तो कृपया वेबपृष्ठ | इत्यादि पर हाईपरलिंक दें	बैंक ने पर्यावरण की रक्षा और प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं : राष्ट्रीय लक्ष्यों और सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों के संदर्भ में, बैंक सामाजिक आधारभूत संरचना (स्कूल, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, पेयजल सुविधाओं, घर सहित स्वच्छता सुविधाओं जैसे क्षेत्रों के संपर्क में वृद्धि, जल स्तर में सुधार करने का प्रयास करता है।) और नवीकरणीय ऊर्जा, यानी.. सौर आधारित बिजली जेनरेटर, पवन मिलों, सूक्ष्म जल संयंत्रों और गैर-पारंपरिक ऊर्जा आधारित सार्वजनिक उपयोगिताओं, जैसे सड़क प्रकाश प्रणालियों और दूरस्थ गांव विद्तीकरण के प्रयोजनों के लिए । **पेपर की खपत को कम करने के उपाय:** ग्रीन इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में बैंक पेपरलेस बैंकिंग की ओर बढ़ रहा है जो कि लागत के साथ-साथ समय को भी कम करेगा। हाल ही में एक अद्वितीय उत्पाद जो चेक / कैश के माध्यम से संग्रह के बजाय अनुकूलित एमपीओएस संग्रह की पेशकश कर सकता है । एटीएम डेबिट कार्ड के लिए ग्रीन पिन भी समर्थ किया गया है | बैंक के पास बिजनेस इंटेलिजेंस सूट है जो इंटरैक्टिव डैश बोर्ड, अलर्ट, एनालिटिक्स इत्यादि देता है | 12 वर्षों से संबंधित डाटा और बड़ी मात्रा में ऐतिहासिक डेटा को सुरक्षित स्टोर करने के लिए स्थापित प्रणाली को बनाया गया है | इसके लिए निम्नलिखित पहल भी की गई है : ● नकद के जमा और निकासी के लिए नकद पुनर्चक्रण का उपयोग किया गया है | ● पीओएस मशीनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए | ● एम-पासबुक के उपयोग को बढ़ावा देना ● ई-लेनदेन के हिस्सेदारी को बढ़ावा देना |

	With regard to complaints/matters pertaining to IR matters committed by staff members, disciplinary action, wherever necessary, had been initiated against erring members to maintain discipline and harmonious industrial relations in the Bank. HRMD-IR Section, Central Office had entered into settlement with the recognized union for award staff regarding promotion, transfer, benefits, etc. to redress the grievances of employees/Officers through collective bargaining with Unions/Associations. The industrial relations environment for the Bank remained cordial and conducive for achieving organization's objectives. The guidelines issued by the Ministry of Finance and Indian Banks Association with regard to staff matters are implemented expeditiously by issuing circulars for the benefit of our employees. Internal complaints committees were constituted at all Administrative offices (Central, Zonal & Regional Office) under the instruction of HRMD-IR Section, as per the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. As per the recommendation of the Committees, appropriate action has been taken to redress the grievances.
2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?	The following are the details of employee complaints during the year 2017 – 2018: Complaints pending as on 31.03.2017 - 3 Complaints received during 2017-18 - 5 Complaints disposed during 2017-18 - 7 Complaints pending as on 31.03.2018 - 1

Principle 6 : Business should respect, protect and make efforts to restore the environment.

1. Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/ Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ others.	Yes, it covers only the Bank.
2. Does the Company have strategies/initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. if yes, please give hyperlink for webpage etc	Bank has initiated certain important measures to protect the environment and prevent pollution : In terms of national goals and socio-economic objectives, Bank endeavors to increase exposure to sectors such as social infrastructure (schools, health care facilities, drinking water facilities, sanitation facilities including household water level improvement) and renewable energy, ie. for purposes such as solar based power generators, wind mills, micro hydel plants and for non-conventional energy based public utilities, viz., street lighting systems and remote village electrification. Measures to reduce consumption of paper: As a part of Green Initiative, the Bank is moving towards paperless banking, which will reduce the cost as well as save time. Recently a unique product which can offer customised MPOS collections instead of collections through Cheque/Cash has been implemented. Green PIN for ATM debit cards has also been enabled. The Bank has a Business Intelligence Suite which gives interactive Dash Boards, alerts, analytics etc. System is established to store huge amount of historical data and data relating to 12 years has been warehoused. The following initiatives have also been taken : • Use of cash recyclers for deposit and withdrawal of cash • Promoting use of POS machines • Promoting use of M-Passbooks • Increasing share of e-transactions

	• बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एवं अन्य ई-चेनल के उपयोग को बढ़ावा देना | • भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस), ऑनलाइन ग्राहकों के लिए एक भुगतान प्रणाली लॉन्च की गई है | • डिजिटल पहल जैसे कि "आईओबी कनेक्ट" एंड्रॉइड फोन के लिए व्यापक मोबाइल ऐप, "आईओबी पे" एक एकीकृत ऑनलाइन भुगतान गेटवे प्लेटफार्म, भारत इंटर-फेस फॉर मनी (भीम) आदि को केवल मोबाइल नंबर तथा भुगतान को पते द्वारा बैंक से बैंक को सीधे भुगतान करने हेतु लॉन्च किया गया है । भीम आईओबीयूपीआई हमारे बैंक द्वारा लॉन्च किया गया एप्लिकेशन है जिससे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग करके भुगतान किया जाता है | 31.03.2018 तक, 8.11 लाख ग्राहकों को इस मंच पर और भीम एप पर 3.23 लाख उपयोगकर्ताओं पर लाया गया है • डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के उपयोग को बढ़ावा देना | • भुगतान गेटवे संचालन : भारत के बीएसएनएल, एलआईसी जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों सहित उनके बैनर के तहत बैंक के 11 एग्रीग्रेट है जिसमें करीब 12,000 सब–मर्चेन्ट हैं । बैंक के प्रत्यक्ष ग्राहकों में राज्य सरकार के उद्यम और शैक्षिक संस्थान शामिल हैं। आईओबी डेबिट / क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर आईआरसी-टीसी के माध्यम से टिकट बुक करने के लिए आईओबी भुगतान गेटवे आईआरसी-टीसी साइट में सूचीबद्ध है । • **आरटीजीएस / एनईएफटी:** शाखाओं और इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों को अधिक कॉर्पोरेट ग्राहकों को आकर्षित करने और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान चैनलों के प्रभावी ढंग से उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत एनईएफटी और आरटीजीएस सुविधाएं दी गई । • प्रतियां प्रिंट करने की बजाय बैंक की इंट्रानेट वेबसाइट पर परिपत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। • हार्ड कॉपी भेजने के बजाय ज़ोन / क्षेत्र आदि को ई-मेल भेजना । • कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे ईमेल से प्रिंट न करें जब तक कि यह बिल्कुल जरूरी नहीं हो | • विक्रेताओं को भुगतान ई-भुगतान मोड के माध्यम से किया जाता है
3- क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करती है ? हाँ नहीं	हाँ
4- क्या कंपनी के पास स्पष्ट विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? यदि ऐसा है तो इसके बारे में 50 शब्द या उससे भी अधिक विवरण प्रदान करें। इसके अलावा, यदि हां, तो क्या किसी भी पर्यावरण का अनुपा-लन दायर किया?	लागू नहीं
5- क्या कंपनी ने स्वच्छ तकनीकी ऊर्जा दक्षता, नवीनी-करण ऊर्जा इत्यादि पर अन्य पहल की है।हा/नहीं यदि हां, तो कृपया वेब पेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें |	जी हां, कुछ पहल की गई हैं जो कि निम्न हैं: ए ऊर्जा कुशल एलईडी लाइट जो स्थिर हो को बैंक में लाया गया है | बी हमारे परिसर में ऊर्जा बचाने के लिए 5 स्टार रेटेड विद्त उपकरणों का उपयोग किया जाता है। सी पतला मॉनिटर लाया गया है, बैंक उच्च स्तरीय तथा पर्यावरण के अनुकूल हो को जहां तक संभव हो प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं |
6- वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी / एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमत सीमा के भीतर कंपनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन / अपशिष्ट क्या हैं ?	लागू नहीं
7- . वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीसीबी / एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ नोटीस/ कानूनी नोटिस की संख्या जो लंबित है (यानी संतोष का समाधान नहीं)	शून्य

	• Promoting use of Internet Banking, Mobile Banking and other e-channels • Bharat Bill Payment System (BBPS), an integrated bill payment system for customers online has been launched • Digital initiatives such as "IOB Connect" – a comprehensive mobile app for Android phones, "IOB Pay" – an integrated online payment gateway platform, Bharat Interface for Money (BHIM) has been launched to make direct bank to bank payments instantly and collect money using just mobile number or payment address. BHIM IOBUPI is the application launched by our Bank using Unified Payment Interface. As on 31.03.2018, 8.11 lakh customers have been onboarded on this platform and 3.23 lakh users on BHIM. • Promoting use of Debit Cards and Credit Cards • Payment Gateway Operations: The Bank has 11 aggregators who have nearly 12,000 sub-merchants under their banner including public sector organizations like BSNL, LIC of India etc. The Bank's direct clients include State Government Enterprises & Educational Institutions. IOB payment gateway is listed in IRCTC site to book tickets through IRCTC using IOB debit/credit cards. • RTGS/NEFT: BULK NEFT and RTGS facilities were given to branches and Internet banking customers to attract more corporate customers and promote usage of electronic payment channels effectively. • Circulars are made available on the Bank's intranet website instead of printing copies. • Sending e-mails to Zones/Regions etc instead of sending hard copies. • Employees are encouraged not to take print out of emails unless it is absolutely essential • Payment to vendors is made through e-payment mode
3. Does the company identify and assess potential environmental risks? Y/N	Yes
4. Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if Yes, whether any environmental compliance is filed?	Not applicable.
5. Has the company undertaken any other initiative on clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc	Yes. Some of the initiatives taken are as follows: a. Energy efficient LED light fixtures have been introduced in the Bank b. 5 Star rated electrical equipments are used to save energy at all our premises. c. Thin Monitors are introduced. As far as possible, the Bank is using high-end eco-friendly technology.
6. Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?	NA
7.Number of show cause/legal notices received from CPCB/SPCB which are pending(i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year	NIL

सिद्धान्त 7- कारोबार को समावेशी वृद्धि एवं न्याय संगत विकास को सपोर्ट करना चाहिए

क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और कक्ष या एसोसिएशन की सदस्य है? यदि हां, तो केवल उनके नाम दें जो आपके कारोबार से डील करते हैं	बैंक निम्नलिखित से संबद्ध / सदस्य है 1. इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) 2. भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईएफबी) 3. बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) 4. राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम) 5. भारतीय वाणिज्य मंडल और उद्योग संघ (एफआईसीसी) 6. सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग (सीएएफआरएएल) 7. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) 8. भारतीय क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड सीसीआई) 9. भारत के वाणिज्य और उद्योग के एसोसिएटेड चैंबर (एसोचैम) . 10. स्विफ्ट इंटरनेशनल बैंकिंग परिचालन सेमिनार (एसआईबीओएस
11. क्या आपने सार्वजनिक अच्छे सुधार के लिए उपरोक्त संगठनों के माध्यम से लॉबबिड की वकालत की है? हां / नहीं यदि हां व्यापक क्षेत्रों को निर्दिष्ट करता है (ड्रॉप बॉक्स: शासन और प्रशासन। सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, सतत व्यापार प्रिंसिपल अन्य प्रगति अथवा आर्थिक सुधार	समय समय पर बैंक ने बैंकिंग उद्योग से संबंधित मामलों पर नीति निर्माताओं और नीति बनाने वाले संगठनों को सुझाव और योगदान दिया है |
सिद्धांत 8 व्यवसायों को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास उपयोगों का समर्थन करना चाहिए |	
क्या कंपनी ने सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण पहलों / परियोजनाओं को में कार्यक्रम निर्दिष्ट किया है यदि हां इसका विवरण है	**वित्तीय समावेशन** बैंक के ने गैर बैंकित गांवों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार2,624 बिजनेस कॉरस्पेंडेंट के माध्यम से स्मार्ट कार्ड बैंकिंग शुरू की है। बैंक ने 23,16,017 स्मार्ट कार्ड जारी किए हैं और स्मार्ट कार्ड टर्मिनल में किए गए लेनदेन की संख्या 4,89,27,526 है यह कहना उचित है कि तमिलनाडु के गवर्नमेंट के साथ समन्वय में आईओबी स्मार्ट कार्ड बैंकिंग 2.99 लाख वृद्धावस्था पेंशनभोगियों ने अपनी मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए 61 मिलियन शिविरों में अपनी पूरी पेंशन और लगभग 0.25 लाख श्रीलंकन तमिल शरणार्थियों को प्राप्त करने के लिए है | एमओएफ, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने आधार सक्षम पेमेंट सिस्टम (एईपीएस) द्वारा व्यापार संवाददाता के हेंड हेल्ड उपकरण में संचालन ऑन-अस तथा ऑफ-अस में सक्षम किया है | 31 मार्च 2018, तक व्यापार संवाददाताओं द्वारा 1,72,74,083 एईपीएस ऑन-अस तथा ऑफ-अस संचालन का लेनदेन किया गया है | **प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई):** वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राप्त दिशानिर्देशों अनुसार बैंक ने पीएमजेडीवाई का कार्यान्वयन किया है | इस योजना को भारत के प्रधान मंत्री द्वारा 15 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था | बैंक ने कुल 43,88,020 मूल बचत बैंक जमा खाते खोले तथा इस योजना के तहत 41,24,821 रुपे डेबिट कार्ड को 31.03.2018 तक जारी किए हैं |

Principle 7 : Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

1. Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with:	Bank is a member/ associated with the following: 1. Indian Banks Association (IBA) 2. Indian Institute of Banking & Finance (IIFB) 3. Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) 4. National Institute of Bank Management (NIBM) 5. Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) 6. Centre for Advanced Financial Research and Learning (CAFRAL) 7. National Payments Corporation of India (NPCI) 8. The Clearing Corporation of India Ltd. (CCI) 9. The Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM) 10. Swift International Banking Operations Seminar (SIBOS)
11. Have you advocated /lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration. Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others).	The Bank from time to time has given suggestions / contribution to policy-makers and policy-making associations on matters relating to banking industry.

Principle 8 : Businesses should support inclusive growth and equitable development

1. Does the company have specified programmes/initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes details thereof	**Financial Inclusion** The Bank has introduced Smart Card Banking through 2,624 Business Correspondents as per the guidelines of Reserve Bank of India for providing Banking facilities in un-banked villages. The Bank has issued 23,16,017 smart cards and the number of transactions undertaken in the smart card terminal is 4,89,27,526. It is noteworthy to state that in co-ordination with Government of Tamil Nadu, IOB Smart Card Banking has been enabling about 2.99 lakh old age pensioners to get their monthly pension and about 0.25 lakh Sri Lankan Tamil Refugees in 61 camps to obtain their monthly dole. As per the guidelines from MoF, GOI, the Bank enabled Aadhar Enabled Payment System (AEPS) ON-US and OFF-US Transactions in Business Correspondent Hand Held Devices. As on 31st March 2018, 1,72,74,083 AEPS ON-US and OFF-US transactions were carried out by Business Correspondents. **Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY):** The Bank is implementing PMJDY as per the directives of Ministry of Finance, Govt. of India. The Scheme was announced by the Prime Minister of India on 15th August 2014. The Bank has opened 43,88,020 Basic Savings Bank Deposit Accounts and issued 41,24,821 RuPay Debit Cards till 31st March 2018 under this scheme.

	जनसुरक्षा योजना बैंक जनसुरक्षा योजना के तहत जैसे पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई तथा पेंशन योजना जैसे अटल पेंशन योजना आदि में ग्राहकों का नामांकन कर रही है। जनसुरक्षा योजना को प्रधान मंत्री द्वारा 1 जून 2015 को शुरू किया गया
2. क्या कार्यक्रम/प्रोजेक्ट को इन हाउस टीम /स्वयं की संस्थान /बाहरी एनजीओ / शासकीय संरचना /अन्य कोई संगठन के माध्यम से की जाती है ?	वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को इन-हाउस टीम के माध्यम से तथा बैंक द्वारा लगाए गए व्यापार संवाददाताओं के साथ किया जाता है।
3.क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभाव मूल्यांकन किया है	(see table below)

योजनाएँ	01.04.2017 तक नामांकन की स्थिति	2017-18 दौरान नामांकन की स्थिति	31.03.2018 वर्ष के दौरान नामांकन की स्थिति (संचित)
पी एम जे जे बी वाई	8,41,608	48,169	8,89,777
पी एम एस बी वाई	26,88,716	84,668	27,73,384
कुल	35,30,324	1,32,837	36,63,161

4. आपकी कंपनी की प्रत्यक्ष एनआईटी योगदान विकास परियोजनाएं क्या हैं - आईएनआर में राशि और समुदाय की परियोजनाओं के विवरण	शून्य
5. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि समुदाय द्वारा इस समुदाय विकास पहल को सफलतापूर्वक अपनाया नहीं गया है? कृपया 50 शब्दों में बताएं, या तो।	लागू नहीं
सिद्धान्त 9: अपने ग्राहक और उपभोक्ता को व्यवसाय जिम्मेदार तथा मूल्यवान तरीके से मूल्य प्रदान करना चाहिए।	
I. वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित ग्राहक शिकायतों का प्रतिशत है	3.04 %
2. क्या कंपनी कंपनी स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य है, उत्पाद प्रयोगशाला पर उत्पाद की जानकारी नहीं दिखाती है? हां/नहीं (अतिरिक्त जानकारी)	लागू नहीं
3. क्या कंपनी के खिलाफ अनुचित व्यापार प्रथाओं, गैर जिम्मेदार विज्ञापन और विरोधी के संबंध में कंपनी के द्वारा दायर कोई मामला है?	शून्य
क्या आपकी कंपनी ने काई उपभोक्ता संतुष्टि ट्रेन्ड / उपभोक्ता सर्वे कराया है ?	ग्राहक संतुष्टि सर्वे को नियमित अंतराल पर शाखाओं में ग्राहक सेवा बैठकों के माध्यम से आयाजित किया जाता है
4. Did your company carry out any consumer survey/consumer satisfaction trends?	Customer satisfaction survey is conducted through the customer service meetings organized at branches periodically.

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">Jansuraksha Schemes
The Bank is enrolling customers under Jansuraksha schemes like PMJJBY, PMSBY and Pension schemes like Atal Pension Yojana. The Jansuraksha Schemes were launched by the Prime Minister of India on 1st June 2015.</td></tr>
<tr><td>2. Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/ external NGO/government structures/any other organization?</td><td colspan="4">The Financial Inclusion programme has been undertaken through in-house team as well as Business Correspondents engaged by the Bank.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">3. Have you done any impact assessment of your initiative?</td><td>Schemes</td><td>Status of enrolment as on 1.04.2017</td><td>Status of Enrolment during the year 2017-18</td><td>Status of enrolment as on 31.03.2018 (Cumulative)</td></tr>
<tr><td>PMJJBY</td><td>8,41,608</td><td>48,169</td><td>8,89,777</td></tr>
<tr><td>PMSBY</td><td>26,88,716</td><td>84,668</td><td>27,73,384</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>35,30,324</td><td>1,32,837</td><td>36,63,161</td></tr>
<tr><td>4. What is your company's direct contribution to community development projects- Amount in INR and the details of the projects undertaken</td><td colspan="4">Nil</td></tr>
<tr><td>5. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.</td><td colspan="4">Not applicable</td></tr>
</table>

Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner

1. What percentage of customer complaints are pending as on the end of financial year	3.04%
2. Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/ No./N.A/Remarks(additional information)	Not applicable
3. Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behavior during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about words or so	Nil
4. Did your company carry out any consumer survey/consumer satisfaction trends?	Customer satisfaction survey is conducted through the customer service meetings organized at branches periodically.

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक लाभांश वितरण नीति

I. नीति की आवश्यकता और उद्देश्य :

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 08 जुलाई 2016 को सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनिमय, 2015 (एलओडीआर) में विविमय 43ए अंतर्निविष्ट किया है, जिसे लाभांश वितरण नीति तैयार करने के लिए बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष पांच सौ सूचीबद्ध संस्थाओं की आवश्यकता होती है, (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को संगणित), जो उनकी वार्षिक रिपोर्टों और उनकी वेबसाइटों पर प्रकट की जाएगी। लाभांश वितरण नीति में निम्नलिखित पैरामीटर शामिल होंगे :

(ए) परिस्थितियां जिनके अंतर्गत सूचीबद्ध संस्थाओं के शेयरधारक लाभांश की उम्मीद कर सकते हैं या नही कर सकते।

(बी) वित्तीय पैरामीटर जिन पर लाभांश घोषित करते समय विचार किया जा सकता है ;

(सी) आंतरिक और बाह्य कारक जिन्हें लाभांश की घोषणा करने के लिए विचार जा सकता है;

(डी) नीति जिसके तहत धारित आय को कैसे उपयोग में लाया जाए; और

(इ) पैरामीटर जो शेयरों के विभिन्न वर्गों के संबंध में अपनाए जाएंगे:

बशर्ते कि सूचीबद्ध इकाई क्लॉज (ए) से (ई) के अतिरिक्त पैरामीटर के आधार पर लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव रखती है या ऐसे पैरामीटर में शामिल ऐसे अतिरिक्त पैरामीटर या लाभांश वितरण नीति को बदलने का प्रस्ताव करती है, तो तर्क के साथ ऐसे प्रकटों को अपने वार्षिक रिपोर्ट और वेबसाइट पर खुलासा करेगी।

सेबी (एलओडीआर) विनियम के विनियम 43ए के संबंध में, लाभांश वितरण नीति बनाना हमारे बैंक के लिए अनिवार्य है, जैसा कि बाज़ार पूँजीकरण के संबंध में दिनांक 31 मार्च 2016 को हमारा बैंक शीर्ष 500 सौ सूचीबद्ध संस्थाओं के अंतर्गत आता है और तदनुसार हमारा शेयर बीएसइ और एनएसइ लिमिटेड में सूचीबद्ध है, निम्नलिखित "लाभांश वितरण नीति" बनाई गई है जिसे बैंक निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित और अंगीकृत किया है।

हमारा बैंक, एक नवीन बैंक के रुप में हैं, जिसे बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1970 के उपक्रमों का अंतरण अधिग्रहण व प्रावधानों के तहत गठित किया गया है, जो लाभांश भुगतान के संबंध में भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है।

II.परिभाषा:

ए) लाभांश	लाभांश में अंतरिम लाभांश शामिल है। सामान्य प्रावृत्ति में, 'लाभांश' का मतलब बैंक का लाभ है, जिसे कारोबार में नही रखा जाता है और शेयरधारकों के बीच उनके द्वारा धारित शेयर के लिए भुगतान किए गए राशि के अनुपात में वितरित किया जाता है।
बी) सीआरएआर	यह बैंक पूँजी का अपने परिसंपत्ति भारित जोखिम का अनुपात है।
सी) लाभांश देय अनुपात	'लाभांश देय अनुपात' 'वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ' के लिए एक वर्ष (लाभांश कर को छोड़कर) में देय लाभांश के प्रतिशत के रूप में गणना की जाती है।
डी) बोर्ड	'बोर्ड' का मतलब निदेशक मंडल जो बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के तहत गठित है।

(III) नीति:

1. नीति को "आइओबी लाभांश नीति" के नाम से जाना जाएगा।

2. लाभांश वितरण के संबंध में सामान्य नियम :

बैंक का इरादा शेयरधारकों को बैंक का लाभ देकर परितोषिक देना है, तथापि यह सुनिश्चित करना है कि बैंक के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि बरकरार रखी जाती है। आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा घोषणा के लिए और बैंक के वित्तीय प्रदर्शन, भविष्य की योजनाओं, आंतरिक व बाह्य कारक, वैधानिक प्रतिबंध इत्यादि को ध्यान में रखकर प्रत्येक वर्ष के लिए लाभांश बोर्ड द्वारा भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित दिशानिर्देशों के तहत अपने विवेकाधिकार पर सिफारिश की जाएगी। बोर्ड अपने विवेकाधिकार पर अंतरिम लाभांश घोषित कर सकता है।

3. लाभांश की घोषणा के लिए पात्रता मानदंड;

दिनांक 04 मई 2005 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक लाभांश घोषित करने के लिए तभी पात्र होगा, जब यह निम्नलिखित न्यूनतम विवेकपूर्ण आवश्यकताओं का अनुपालन करता है;

i. बैंक के पास होना चाहिए :

- कम से कम सीआरएआर 9% पिछले दो पूर्ण वर्ष के लिए और लेखांकन वर्ष जिसके लिए यह लाभांश घोषणा करने के लिए प्रस्ताव करता है।
- निवल एनपीए 7% से कम होना चाहिए।

यदि बैंक उपरोक्त सीआरएआर मानदंड को पूरा नहीं करता है, लेकिन लेखांकन वर्ष के लिए कम से कम 9% का सीआरएआर है जिसके लिए यह लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव करता है, तो यह लाभांश घोषित करने के योग्य होगा, बशर्ते इसका नेट एनपीए 5% से कम हो।

ii. बैंक धारा 15 के प्रावधानों (जो लाभांश के भुगतान को तब तक प्रतिबंधित करता है जब तक सभी पूंजीकृत व्यय निसरित नही किए गए हैं) और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 (जो सांविधिक आरक्षित निधि के लाभ को निर्दिष्ट हिस्से के हस्तांतरण को निर्धारित करता है)

का पालन करेगा।

iii. बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए मौजूदा नियमों / दिशानिर्देशों का पालन करेगा जिसमें परिसंपत्तियों और कर्मचारियों सेवानिवृत्ति लाभों की कमी के लिए पर्याप्त प्रावधान, सांविधिक रिज़र्व को लाभ अंतरण शामिल है।

iv. प्रस्तावित लाभांश चालू वर्ष के लाभ से देय होना चाहिए।

v. लाभांश की घोषणा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं लगा होना चाहिए।

यदि कोई बैंक उपर्युक्त पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो रिजर्व बैंक से कोई विशेष छूट उपलब्ध नहीं होगी।

4. देय लाभांश की मात्रा :

IOB DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY

I. NEED AND OBJECTIVE OF THE POLICY:

Securities and Exchange Board of India (SEBI) has on July 08, 2016, inserted Regulation 43A in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR), which requires the top five hundred listed entities based on Market Capitalization, (calculated as on March 31 of every financial year), to formulate a Dividend Distribution Policy which shall be disclosed in their annual reports and on their websites. The dividend distribution policy shall include the following parameters:

(a) the circumstances under which the shareholders of the listed entities may or may not expect dividend;

(b) the financial parameters that shall be considered while declaring dividend;

(c) internal and external factors that shall be considered for declaration of dividend;

(d) policy as to how the retained earnings shall be utilized; and

(e) parameters that shall be adopted with regard to various classes of shares:

Provided that if the listed entity proposes to declare dividend on the basis of parameters in addition to clauses (a) to (e) or proposes to change such additional parameters or the dividend distribution policy contained in any of the parameters, it shall disclose such changes along with the rationale for the same in its annual report and on its website.

In terms of Regulation 43A of SEBI (LODR) Regulations, it is mandatory for our Bank to frame the **Dividend Distribution Policy,** as our Bank falls within the top 500 listed entities as on March 31, 2016 in terms of Market Capitalization and our shares are listed in BSE & NSE Limited. Accordingly, the following 'Dividend Distribution Policy' has been framed and been approved and adopted by the Board of Directors of the Bank.

Our Bank, being a corresponding new bank, formed under the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, is following the guidelines of Reserve Bank of India (RBI) and Government of India in respect of dividend payments.

II. DEFINITIONS:

a) Dividend	Dividend includes interim dividend. In common parlance, 'Dividend' means the profit of the Bank which is not retained in the business and is distributed among the shareholders in proportion to the amount paid up on the shares held by them.
b) CRAR	It is the ratio of the Bank's capital to its risk weighted assets.
c) Dividend Payout Ratio	'Dividend Payout Ratio' is calculated as a percentage of 'dividend payable in a year' (excluding dividend tax) to 'net profit during the year'.
d) Board	'Board' means Board of Directors of the Bank constituted in terms of Section 9(3) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

III. POLICY:

1. The Policy will be called as **"IOB Dividend Distribution Policy."**

2. **General Principles of the Bank regarding distribution of dividend:**

The intent of the Bank is to reward the shareholders of the Bank by sharing a portion of the profits whilst also ensuring that sufficient funds are retained for growth of the Bank. The dividend for each year would be recommended by the Board at its discretion within the set guidelines of Government and Reserve Bank of India and after taking into account the financial performance of the Bank, its future plans, internal and external factors, statutory restrictions etc, for declaration by the shareholders in general meeting. The Board may also declare interim dividend at its discretion.

3. **Eligibility Criteria for declaration of dividend:**

As per the guidelines dated May 04, 2005 issued by Reserve Bank of India, Bank will be eligible to declare dividends only when it complies with the following minimum prudential requirements;

i. The Bank should have:

- CRAR of atleast 9% for preceding two completed years and the accounting year for which it proposes to declare dividend.
- Net NPA less than 7%.

In case the Bank does not meet the above CRAR norm, but is having a CRAR of atleast 9% for the accounting year for which it proposes to declare dividend, it would be eligible to declare dividend provided its Net NPA is less than 5%.

ii. The Bank shall comply with the provisions of Sections 15 (which prohibits payment of dividend until all capitalized expenses have been written off) and Section 17 (which stipulates transfer of specified portion of profit to statutory reserve fund) of The Banking Regulation Act, 1949.

iii. The Bank shall comply with the prevailing regulations / guidelines issued by RBI, including creating adequate provisions for impairment of assets and staff retirement benefits, transfer of profits to Statutory Reserves etc.

iv. The proposed dividend should be payable out of the current year's profit.

v. The Reserve Bank of India should not have placed any explicit restrictions on the Bank for declaration of dividends.

In case any bank does not meet the above eligibility criteria no special dispensation shall be available from the Reserve Bank.

ए. भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देश: बैंक, यदि यह उपरोक्त अनुच्छेद संख्या 3 में निर्धारित योग्यता मानदंडों को पूरा करता है, तो निम्नलिखित के अधीन लाभांश की घोषणा और भुगतान कर सकता है:

i. लाभांश भुगतान अनुपात 40% से अधिक नहीं होना चाहिए और अनुलग्नक 1 में दिए गए मैट्रिक्स के अनुसार होना चाहिए।

ii. यदि प्रासंगिक अवधि के लाभ में कोई अतिरिक्त सामान्य लाभ / आय शामिल है, तो विवेकपूर्ण भुगतान अनुपात के अनुपालन के लिए ऐसे अतिरिक्त सामानों को छोड़कर भुगतान अनुपात की गणना की जाएगी।

iii. वित्तीय वर्ष से संबंधित वित्तीय विवरण जिनके लिए बैंक लाभांश घोषित कर रहा है, वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी योग्यता से मुक्त होना चाहिए, जिसके दौरान उस वर्ष लाभ पर प्रतिकूल असर पड़ता है। उस प्रभाव के लिए किसी भी योग्यता के मामले में, लाभांश भुगतान अनुपात की गणना करते समय शुद्ध लाभ उचित रूप से समायोजित किया जाना चाहिए।

बी. भारत सरकार का दिशानिर्देश :

भारत सरकार के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक को अपनी इक्विटी (यानी प्रदत्त पूंजी) का 20% न्यूनतम या कर पश्चात लाभ का 20% जो भी अधिक हो, लाभांश देना होगा। यदि, कोई भी बैंक अंतरिम लाभांश का भुगतान करने का फैसला करता है, तो वार्षिक परिणामों के आधार पर बैंक द्वारा भुगतान किए जाने वाले कुल लाभांश उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार होना चाहिए।

5.. आंतरिक और बाहरी कारक :

बैंक का लाभांश भुगतान निर्णय कुछ बाहरी कारकों पर भी निर्भर करता है जैसे कि देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति, वैधानिक और विनियामक प्रावधान, कर नियम इत्यादि, जैसा कि लाभांश की घोषणा के समय लागू हो सकता है । उपरोक्त बाह्य कारकों के अलावा, बोर्ड अन्य आंतरिक कारको को ध्यान में रखता है जैसे कि व्यापार विकास योजनाएं, भविष्य की पूंजी आवश्यकताएं, पूंजीगत संपत्तियों के प्रतिस्थापन इत्यादि। लाभांश के संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

6. अर्जित आय का उपयोग :

अर्जित आय का उपयोग मुख्य रूप से बैंक की विकास योजनाओं के उद्देश्य के लिए और अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए जो भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार द्वारा समय-सम्य पर जारी किए जाते हैं, के लिए उपयोग की जाएगी।

7. शेयरों के विभिन्न वर्गों के संबंध में प्रावधान:

वर्तमान में बैंक के पास केवल एक शेयर वर्ग अर्थात् इक्विटी शेयर है। भविष्य में किसी भी अन्य वर्ग के शेयर जारी करने के मामले में, पैरामीटर उचित समय पर बैंक द्वारा उचित रूप से तय किए जाएंगे।

8. लाभांश वितरण प्रणाली:

सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार, बैंक लाभांश के भुगतान के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित भुगतान सुविधा के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड का उपयोग करेगा। जहाँ भी इलेक्ट्रोनिक भुगतान मोड का उपयोग संभव नही होने पर, जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान विधि का उपयोग करना संभव नहीं है, तब 'सममूल्य पर देय' वारंट या डिमांड ड्राफ्ट पात्र शेयरधारकों को जारी किए जाएंगे।

9. प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग :

a) पॉलिसी को बैंक के वेबसाइट पर प्रकट किया जाएगा और वार्षिक रिपोर्ट में वेब लिंक उपलब्ध कराया जाएगा।

b) बैंक आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट समयसीमा के अनुसार आरबीआई को लेखांकन वर्ष के दौरान घोषित लाभांश के विवरण की रिपोर्ट करेगा।

c) बैंक प्रति शेयर आधार पर लाभांश घोषित और खुलासा करेगा जैसा कि सेबी(एलओडीआर) विनियमों के तहत निर्दिष्ट है।

d) विनियामक प्राधिकरणों द्वारा संशोधन तक पॉलिसी लागू नही होगी। पॉलिसी और नियामक दिशानिर्देशों के बीच किसी भी विसंगति या असंगतता की स्थिति में, नियामक दिशानिर्देश प्रभावी होंगे।

****

अनुलग्रक- 1

लाभांश देय अनुपात की अधिकतम अनुमत सीमा के लिए मानदंड का मैट्रिक्स

प्रवर्ग	सीआरएआर	निवल एनपीए अनुपात			
		शून्य	शून्य से अधिक लेकिन 3% से कम	3% से अधिक और 5% से कम	5%से अधिक और 7% से कम
		लाभांश देय अनुपात की सीमा			
A	पिछले प्रत्येक तीन वर्ष के लिए 11% या अधिक	40 तक	35 तक	25 तक	15 तक
B	पिछले प्रत्येक तीन वर्ष के लिए 10% या अधिक	35 तक	30 तक	20 तक	10 तक
C	पिछले प्रत्येक तीन वर्ष के लिए 09% या अधिक	30 तक	25 तक	5 तक	5 तक
D	वर्तमान वर्ष में 9% या अधिक	10 तक		5 तक	शून्य

4. Quantum of dividend payable:

A. RBI guidelines:

The Bank, if it fulfills the eligibility criteria set out at paragraph No.3 above, may declare and pay dividends subject to the following:

i. The dividend payout ratio shall not exceed 40% and shall be as per the matrix furnished in Annexure 1.

ii. In case the profit for the relevant period includes any extra-ordinary profits / income, the payout ratio shall be computed after excluding such extra-ordinary items for reckoning compliance with the prudential payout ratio.

iii. The financial statements pertaining to the financial year for which the bank is declaring a dividend should be free of any qualifications by the statutory auditors, which have an adverse bearing on the profit during that year. In case of any qualification to that effect, the net profit should be suitably adjusted while computing the dividend payout ratio.

B. Government of India guidelines:

As per extant guidelines of Government of India, the Bank is required to pay a minimum dividend of 20% of its equity (i.e. paid up capital) or 20% of its post–tax profits, whichever is higher. In case, any Bank decides to pay interim dividend, the total dividend to be paid by the Bank based on the annual results should be as per the above guidelines.

5. Internal and External Factors:

The dividend payout decision of the Bank will also depend on certain external factors such as the state of the economy of the country, statutory and regulatory provisions, tax regulations etc, as may be applicable at the time of declaration of the dividend. Apart from the aforesaid external factors, Board will also take into account various internal factors such as business growth plans, future capital requirements, replacement of capital assets etc. The decision of the Board regarding dividend shall be final.

6. Utilisation of Retained Earnings:

The retained earnings will mainly be utilized for the purpose of the Bank's growth plans and such other purposes as per the guidelines issued by RBI and Government of India from time to time.

7. Provisions with regard to various classes of shares:

The Bank currently has only one class of shares namely Equity Shares. In case of issuance of any other class of shares in future, the parameters shall be decided suitably by the Bank at the appropriate time.

8. Manner of Payment of dividend:

As per Regulation 12 of SEBI (LODR) Regulations, the Bank shall use any of the electronic modes of payment facility approved by the Reserve Bank of India for the payment of the dividends. Where it is not possible to use electronic mode of payment, 'payable-at-par' warrants or Demand Drafts will be issued to the eligible shareholders.

9. Disclosure and Reporting:

a) The Policy will be disclosed on the website of the Bank and a web link shall be provided in the Annual Report.

b) The Bank shall report the details of dividend declared during the accounting year to RBI as per timeline specified by RBI.

c) The Bank shall declare and disclose the dividend on per share basis only as specified under SEBI (LODR) Regulations.

d) The Policy will be in force until further amendments made by Regulatory Authorities. In the event of any discrepancy or inconsistency between the Policy and Regulatory guidelines, the regulatory guidelines will prevail.

****

ANNEXURE - 1

Matrix of Criteria for maximum permissible range of Dividend Payout Ratio

Category	CRAR	Net NPA Ratio			
		Zero	More than zero but less than 3%	From 3% to less than 5%	From 5% to less than 7%
		Range of Dividend Payout Ratio			
A	11% or more for each of the last 3 years	Up to 40	Up to 35	Up to 25	Up to 15
B	10% or more for each of the last 3 years	Up to 35	Up to 30	Up to 20	Up to 10
C	9% or more for each of the last 3 years	Up to 30	Up to 25	Up to 15	Up to 5
D	9% or more in the current year	Up to 10		Up to 5	Nil

Focus

is one of the key attributes to succeeding in any field.

And banking is no exception.

At Indian Overseas Bank, the focus is on Customer Service. We believe that our every customer is our brand ambassador. No wonder, we spare no efforts in making the IOB Banking Experience a memorable one.

Which is what helps us stay **ahead**.

Forging ahead with Digital solutions

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

Indian Overseas Bank

(A Government of India undertaking)

आपकी प्रगति का सच्चा साथी

Good people to grow with

www.iob.in

Touching Hearts Spreading Smiles

Toll free: 1800 425 4445 (24 X 7)

Website: www.iob.in

E-mail: info@iobnet.co.in

/IOBIndia

@iobindia

IOB YouTube

Central Office Address:

763 Anna Salai, Chennai - 600002. Phone : +91-44-2852 4212